



करेंट अपडेट्स

मई, 2020

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

- मई दिवस: इतिहास और महत्त्व 11
- 'मल्टी-सिस्टम इंप्लेमेंटरी स्टेट' संबंधी मुद्दा 13
- COVID-19 के 'गणितीय और अभिकलनात्मक पहलुओं का अध्ययन 14
- राष्ट्रपति चुनाव और जम्मू-कश्मीर 15
- भारतीय फोटो जर्नलिस्टों ने पुलित्जर पुरस्कार जीता 16
- मच्छर जनित बीमारियों का प्रसार 17
- महामारी रोग अधिनियम: समग्र विश्लेषण 18
- COVID-19 के कारण रक्त के थक्के जमने की समस्याएँ 20
- उत्तर प्रदेश में उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट 22
- प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना में संशोधन 23
- औद्योगिक आपदा और 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' 24
- जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन 25
- COVID-19 से मुकाबले के लिये विश्व बैंक की आर्थिक सहायता 26
- जम्मू-कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रोसीजर) रूल्स 2020 28
- डेटा निगरानी और गोपनीयता 29
- कोणार्क सूर्य मंदिर तथा सौर उर्जा 30
- दवा अनुमोदन प्रक्रिया में तीव्रता की आवश्यकता 31
- चुनावी भ्रष्टाचार का मुद्दा 32
- COVID-19 के कारण टीकाकरण में बाधा 33
- मेरा पानी मेरी विरासत' योजना 34
- आरोग्य सेतु एप अब ओपन सोर्स 35
- भारतीय श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 36
- करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम 38

आर्थिक घटनाक्रम

- वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर COVID-19 महामारी का प्रभाव 40
- आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम 41

➤ उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में 6.5% की गिरावट	42
➤ चीन की डिजिटल मुद्रा	43
➤ ओपन बजट सर्वेक्षण	45
➤ बीसीजी वैक्सिन के प्रयोग पर WHO की चिंता	46
➤ 'लघु वनोत्पाद' की खरीद	47
➤ विदेशी मुद्रा भंडार	48
➤ सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द	49
➤ राज्य की अर्थव्यवस्था में शराब की भूमिका	50
➤ द सरस कलेक्शन	52
➤ विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक में गिरावट	53
➤ सरफेसी अधिनियम के तहत सहकारी बैंक	53
➤ COVID- 19 महामारी और बीमा दावा	55
➤ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर लॉकडाउन का प्रभाव	56
➤ एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन	58
➤ खाद्य बनाम ईंधन	59
➤ राजकोषीय घाटा लक्ष्य और COVID- 19	60
➤ FPIs के बहिर्वाह में गिरावट	61
➤ कैलाश मानसरोवर के लिये नवीन सड़क मार्ग	62
➤ गेहूँ की खरीद में बढ़ोतरी	64
➤ राजस्थान में टिड्डियों का हमला	65
➤ स्वर्ण भंडार में वृद्धि	66
➤ गुजरात कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2020	67
➤ 'भारतीय बैंक संघ' द्वारा 'बैंड बैंक' की सिफारिश	68
➤ ई-नाम पोर्टल पर मंडियों की संख्या में वृद्धि	70
➤ फसलों पर तपेदिक रोधी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग पर रोक	71
➤ कृषि से संबंधित राहत उपायों की घोषणा	72
➤ नकद लाभ हस्तांतरण में JAM की भूमिका	74
➤ COVID-19 के कारण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट	76
➤ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में चौथे आर्थिक पैकेज की घोषणा	77
➤ अमेरिका-चीन व्यापार समझौता	79
➤ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	80
➤ आत्मनिर्भर भारत अभियान की पाँचवीं किश्त	81
➤ बिजली वितरण कंपनियाँ और आर्थिक पैकेज	83
➤ ब्याज दर और आर्थिक वृद्धि दर	85
➤ भारत-बांग्लादेश 'अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल'	86

➤ कंपनी अधिनियम में परिवर्तन	87
➤ कॉयर जियो टेक्सटाइल	88
➤ वस्तु एवं सेवा कर और छूट	89
➤ बैंकों द्वारा ऋण भुगतान पर पुनः अधिस्थगन की मांग	90
➤ अनुबंध कृषि	91
➤ कृषि-विपणन से जुड़े संरचनात्मक मुद्दे	92
➤ GST पर आपदा उपकर	94
➤ मधुमक्खी पालन और भारत	95
➤ शहरी क्षेत्रों में टिड्डियों का आगमन	96
➤ रेपो रेट में कटौती	97
➤ बैंक बोर्ड ब्यूरो	99
➤ गूगल के खिलाफ अविश्वास मामले में शिकायत	100
➤ सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट	101
➤ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को शून्य जोखिम-भार युक्त ऋण	102
➤ केंद्रीय पेट्रोसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET)	104
➤ आर्बिट्रेज स्कीम	105
➤ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	106
➤ GDP वृद्धि दर में गिरावट	108
➤ '7.75% बचत बॉण्ड, 2018' योजना की समाप्ति	109
➤ 'रोजगार सेतु' योजना	111
➤ नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना	111
➤ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि	113
अंतर्राष्ट्रीय संबंध	115
➤ NAM संपर्क समूह शिखर सम्मेलन	115
➤ अफगानिस्तान में COVID-19 मामलों में वृद्धि	116
➤ भारत का स्थायी मिशन	118
➤ ईरान की नई मुद्रा	119
➤ COVID-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना	120
➤ COVID-19 से निपटने हेतु ब्रिक्स (BRICS) का सहयोग	121
➤ कैलाश मानसरोवर मार्ग और नेपाल का विरोध	122
➤ पंचेन लामा की रिहाई की मांग	123
➤ 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा	125
➤ G-20 व्यापार और निवेश वचुंअल मीटिंग	126
➤ वेस्ट बैंक अधिग्रहण	126

➤ फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट	128
➤ COVID-19 वैक्सीन के विकास हेतु भारत और अमेरिका की संयुक्त पहल	129
➤ श्रीलंका ऋण संकट	131
➤ हॉन्गकॉन्ग संकट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून	132
➤ चीन द्वारा सीमा उल्लंघन के मामलों में वृद्धि	134
➤ अमेरिका की 'ओपन स्काई संधि' से अलग होने की चेतावनी	136
➤ सोमालिया-केन्या समुद्री विवाद	137
➤ G-7 समिट	138
➤ उइगर मानवाधिकार विधेयक	139
➤ मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष	141
➤ एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता	142
➤ भारत और चीन के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव	143
➤ पश्तून क्षेत्र की भू-राजनीति	144

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

➤ ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ' कार्यक्रम	146
➤ मणिपुर के काले चावल तथा गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग	147
➤ स्थिरवैद्युत कीटाणुशोधन प्रौद्योगिकी	148
➤ असमान द्रव्यमान वाले दो ब्लैक होल का पहला विलय	148
➤ भारत में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	150
➤ एसएन 2010 केडी	151
➤ कश्मीरी केसर को GI टैग	152
➤ एक-आयामी द्रव सिमुलेशन कोड	153
➤ COVID-19 महामारी और स्वाइन फ्लू	154
➤ DRDO ने विकसित किया 'यूवी ब्लास्टर'	156
➤ साइलेंट हाइपोक्सिया	157
➤ 'अतुल्य' माइक्रोवेव-स्ट्रेलाइज़र	158
➤ नैनोमैटिरियल्स आधारित सुपरकैपसिटर	159
➤ सोना-सिलिकॉन इंटरफेस आधारित फोटोडिटेक्टर	160
➤ COVID-19 परीक्षण की नवीन तकनीक 'फेलुदा'	161
➤ रीस्टार्ट'	162
➤ मेलामाइन की जाँच हेतु नई तकनीक	163
➤ दिव्यांगजन/बुजुर्ग की सहायता हेतु प्रौद्योगिकी	164
➤ पार्किंसंस रोग हेतु तकनीक	165
➤ हल्का कार्बन फोम	166

➤ क्वांटम डॉट्स	168
➤ COVID-19 और अश्वगंधा	169
➤ COVID-19 परीक्षण हेतु स्वदेशी RNA पृथक्करण किट का विकास	170
➤ गेहूं की नवीन किस्म तथा फसल अवशिष्ट समस्या	171
➤ वस्त्र समिति	173
➤ अल्जाइमर रोग और ट्रोजन हॉर्स	174
➤ क्वांटम एंटीगलमेंट	175
➤ प्रवासियों की वास्तविक समय ऑनलाइन निगरानी	176
➤ कांगड़ा चाय	177
➤ प्रतिरक्षा बढ़ाने हेतु फंगल पाउडर	178

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 180

➤ बन्नेरघट्टा 'जैविक उद्यान' संबंधी मुद्दा	180
➤ लद्दाख हिमालय की नदियाँ	181
➤ अफ्रीकन स्वाइन फीवर	182
➤ 'नदी प्रबंधन का भविष्य' पर आइडियार्थोन का आयोजन	183
➤ वर्ष 2018-19 के लिये ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव' रिपोर्ट	185
➤ भारत में रासायनिक आपदा और सुरक्षा उपाय	186
➤ काराकोरम रेंज में ग्लेशियरों पर मौसमी प्रभाव	188
➤ भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना	190
➤ फ्लाई ऐश का सुंदरबन की पारिस्थितिकी पर प्रभाव	191
➤ एटालिन जलविद्युत परियोजना	192
➤ अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग	193
➤ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट	195
➤ अंडमान-दुर्लभ ताड़ का संरक्षण	196
➤ प्रमुख पर्यावरण आदेश: हड़्डा रोड़ी में प्रदूषण	198
➤ पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों का संरक्षण	199
➤ वनाग्नि संबंधी चिंता: समग्र विश्लेषण	201
➤ पंजाब में फसल अवशिष्ट दहन में वृद्धि	202
➤ विश्व डुगोंग दिवस	203
➤ केरल में चारु मुसेल का प्रसार	205
➤ ज्वारनदमुख-पंक मैदान पारिस्थितिकी	206

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 207

➤ दामोदर घाटी कमान क्षेत्र	207
----------------------------	-----

➤ ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान 'अम्फान'	208
➤ हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन	209
➤ उत्तराखंड एक स्वर्ग' वेबिनार	210
➤ उष्ण महासागर और सुपर साइक्लोन	212
➤ भारत-नेपाल के बीच सुस्ता क्षेत्र विवाद	213
➤ उत्तर भारत में ग्रीष्म लहर	214
➤ नील नदी पर 'ग्रैंड रेनेसां डैम' विवाद	215
➤ दक्षिण अटलांटिक विसंगति	216

सामाजिक मुद्दे **219**

➤ गोल कार्यक्रम	219
➤ राजीव गांधी किसान न्याय योजना	220
➤ स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस-बी के लिये टीकाकरण कार्यक्रम	221
➤ गिलोय की बिक्री में वृद्धि	222
➤ कोविड-19 के खिलाफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी	223
➤ प्रवासी श्रमिक: चुनौती और संभावना	224

कला एवं संस्कृति **227**

➤ पुरंदर दास: कर्नाटक संगीत के पिता	227
-------------------------------------	-----

आंतरिक सुरक्षा **229**

➤ ब्रू शरणार्थी संकट और समझौते का विरोध	229
➤ UNICEF की 'लॉस्ट एट होम' रिपोर्ट	230
➤ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में पदों की समाप्ति	232
➤ टूर ऑफ ड्यूटी	233
➤ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना	234
➤ अवैध ड्रग्स आपूर्ति	235

चर्चा में **236**

➤ लायंस क्लब इंटरनेशनल	236
➤ मैट्रिक्स योजना	236
➤ जन औषधि सुगम	237
➤ इम्युनिटी पासपोर्ट	238
➤ महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस	238
➤ किसान सभा एप	239

➤ डेमो-2 मिशन	239
➤ हिज्बुल्लाह	240
➤ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस	241
➤ गंतव्य-सरिस्का टाइगर रिजर्व	241
➤ ठीकरी पहरा	242
➤ जैमिनी रॉय	242
➤ श्रम गहन कार्यक्रम	243
➤ अतुल्य: माइक्रोवेव स्टेरलाइजर	244
➤ ई-कोवसेंस	244
➤ कोरोना किलर 100	244
➤ बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट	245
➤ द लांग मार्च 5बी The Long March 5B	246
➤ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का 50वाँ स्थापना दिवस	246
➤ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	246
➤ संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम	247
➤ विश्व अस्थमा दिवस 2020	247
➤ अर्कटिका-एम	249
➤ सुरक्षित दादा-दादी एवं नाना-नानी अभियान	249
➤ बिष्णु सेंदरा पर्व	250
➤ वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु	250
➤ फ्लाइटनाउ-इंटरनेट ऑफ ड्रोन प्लेटफॉर्म	251
➤ बुद्ध पूर्णिमा	251
➤ नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य	252
➤ आयुष संजीवनी एप	253
➤ सुंदरबन	253
➤ हेलिकॉप्टर मनी	254
➤ रवींद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती	254
➤ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस	255
➤ नीला नदी की खोज	256
➤ मिशन सागर	256
➤ काला हिरण	256
➤ गोपाल कृष्ण गोखले की 154वीं जयंती	257
➤ 29वाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस	258
➤ अटल पेंशन योजना	258
➤ स्वस्थ वायु	258

➤ सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रूमाल	259
➤ COVID चटाई	259
➤ पराबैंगनी कीटाणुनाशक विकिरण	260
➤ टोडा जनजाति	260
➤ नमूना पंजीकरण प्रणाली	261
➤ स्फिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की	261
➤ राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र	262
➤ साल वन कछुआ	263
➤ सीओबीएस 6800 परीक्षण मशीन	263
➤ राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	264
➤ समर्थ	264
➤ प्रशामक देखभाल	265
➤ सचेत	266
➤ इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन-आधारित हाइड्रोजेल	266
➤ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस-2020	267
➤ दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना	268
➤ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन	268
➤ सिक्किम का 45वाँ स्थापना दिवस	269
➤ विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस	269
➤ प्रधानमंत्री ई-विद्या	270
➤ राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली	270
➤ क्विनिन नोंगलादेव	271
➤ गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र	271
➤ अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान	271
➤ राइट्स इश्यू	272
➤ डिसइंफेक्शन स्प्रेयर इकाइयाँ	272
➤ माइक्रो आरएनए	273
➤ आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना	273
➤ अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस	273
➤ ट्रोमलॉमीज टिवटरी	274
➤ चरण पादुका	274
➤ हंको	274
➤ लेस इनवेसिव सर्फैक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन	275
➤ पिनांगा अंडामैनेसिस	275
➤ ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व	275

➤ मध्यम इकाइयाँ	276
➤ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस	276
➤ मई चौथा आंदोलन	277
➤ सोनिक बूम	277
➤ अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस	277
➤ उमंग	278
➤ अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिये संयुक्त उपक्रम कंपनी	279
➤ रीस्टार्ट	280
➤ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार	280
➤ शाही लीची और जर्दालु आम	281
➤ विश्व कछुआ दिवस	281
➤ पुंटियस सैंक्टस	281
➤ खेलों को 'उद्योग' का दर्जा	282
➤ सिकाडा	282
➤ एडेनोवायरस COVID-19 टीका	283
➤ चंबा सुरंग	283
➤ जैव विविधता संरक्षण इंटरनशिप कार्यक्रम	284
➤ अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांज़िएंट एंटीना	284
➤ बेव क्यू	285
➤ वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद	285
➤ एफएआईटीएच परीक्षण	285
➤ खीर भवानी मेला	286
➤ स्पेक्ट्रन एवं एक्सॉन	286
➤ वीर सावरकर जयंती	287
➤ संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	287
➤ मध्यप्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का वित्तपोषण	288
➤ ऑपरेशन वॉर्प स्पीड	289
➤ मोंटेनेग्रो	289
➤ स्पेस एक्स का स्टारशिप एसएन4 प्रोटोटाइप	289
➤ इंटरहैमवे मिलिशिया	290
➤ मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल	290

विविध

292

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

मई दिवस: इतिहास और महत्त्व

चर्चा में क्यों ?

प्रत्येक वर्ष दुनिया भर के कई हिस्सों में 1 मई को मई दिवस (May Day) अथवा 'अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस' (International Workers' Day) के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जनसाधारण को नए समाज के निर्माण में श्रमिकों के योगदान और ऐतिहासिक श्रम आंदोलन का स्मरण कराता है।

मई दिवस का इतिहास

- सर्वप्रथम वर्ष 1889 में समाजवादी समूहों और ट्रेड यूनियनों के एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने शिकागो में हुई हे मार्केट (Haymarket, 1886) घटना को याद करते हुए श्रमिकों के समर्थन में 1 मई को 'मई दिवस' के रूप में नामित किया था।
- अमेरिका ने वर्ष 1894 में श्रमिक दिवस को एक अवकाश के रूप में मान्यता दी, जहाँ यह प्रत्येक वर्ष सितंबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। जल्द ही, कनाडा ने भी इस प्रथा को अपना लिया।
- वर्ष 1889 में समाजवादी और श्रमिक दलों द्वारा बनाई गई संस्था सेकंड इंटरनेशनल (Second International) ने घोषणा की कि अब से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- वर्ष 1904 में, एम्स्टर्डम (Amsterdam) में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्ग्रेस (International Socialist Congress) ने सभी सोशल डेमोक्रेटिक संगठनों और सभी देशों की ट्रेड यूनियनों को एक दिन में कार्य के 8 घंटे की प्रथा की कानूनी स्थापना के लिये एक मई को उत्साहपूर्वक प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
- अंततः वर्ष 1916 में अमेरिका ने वर्षों के विरोध और संघर्ष के पश्चात् आठ घंटे के कार्य समय को आधिकारिक पहचान देना शुरू किया।

हे मार्केट घटना

- 1 मई, 1886 को शिकागो में हड़ताल का रूप सबसे आक्रामक था। शिकागो उस समय जुझारू वामपंथी मजदूर आंदोलनों का केंद्र बन गया था।
- 1 मई को शिकागो में मजदूरों का एक विशाल सैलाब उमड़ा और संगठित मजदूर आंदोलन के आह्वान पर शहर के सारे औजार बंद कर दिये गए और मशीनें रुक गईं।
- मजदूर आंदोलन को कभी भी वर्ग-एकता के इतने शानदार और प्रभावी प्रदर्शन का एहसास नहीं हुआ था। इस आंदोलन ने अमेरिकी मजदूर वर्ग की लड़ाई के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया।
- हालाँकि इस दौरान शिकागो प्रशासन एवं मालिक चुप नहीं बैठे और मजदूरों को गिरफ्तारी शुरू हो गई। जिसके पश्चात् पुलिस और मजदूरों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई, जिसमें 4 नागरिकों और 7 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई।
- कई आंदोलनकारी, जो श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन का विरोध कर रहे थे और काम के घंटे कम करने और अधिक मजदूरी की मांग कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर रहे थे और आजीवन कारावास अथवा मौत की सजा दी गई।

मई दिवस- एक अवकाश से कहीं अधिक

- श्रम न केवल उत्पादन में, बल्कि अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों में भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स जैसे क्लासिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के मुख्य स्रोत के रूप में श्रम को प्रमुख स्थान दिया।
- इस प्रकार श्रमिक किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। श्रमिकों की इसी भूमिका को एक पहचान देने और श्रमिक आंदोलनों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के उद्देश्य से 'मई दिवस' अथवा 'अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस' मनाया जाता है।

- विश्व के अधिकांश देशों में मई दिवस को एक 'अवकाश' घोषित किया गया है, विदंबना यह है कि नई पीढ़ी 'मई दिवस' को केवल एक अवकाश के रूप में ही जानती है, लोगों के जहन में 'मई दिवस' और श्रमिकों की भूमिका धीरे-धीरे धूमिल होती जा रही है।

मई दिवस और काम के आठ घंटे

- मई दिवस का जन्म काम के घंटे कम करने के आंदोलन से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। काम के घंटे कम करने और मजदूरों को उनके बुनियादी अधिकार दिलाने से संबंधित इस दिवस का मजदूरों के लिये एक विशेष राजनीतिक महत्त्व है।
- जब अमेरिका में फैक्ट्री-व्यवस्था शुरू हुई, लगभग तभी यह संघर्ष भी सामने आया। हालाँकि अमेरिका में अधिक मजदूरी की मांग, शुरुआती हड़ताल और संघर्ष में सर्वाधिक प्रचलित थी, किंतु जब मजदूरों ने अपनी मांगों को सूचीबद्ध किया तो काम के घंटे कम करने का प्रश्न और संगठित होने के अधिकार का प्रश्न केंद्र में रहा।
- जैसे-जैसे शोषण बढ़ता गया, मजदूरों को अमानवीय रूप से लंबे काम के दिन और भी बोझिल महसूस होने लगे, इसके साथ ही काम के घंटों को कम करने की मांग भी और अधिक मजबूत होती गई।
- 19वीं सदी की शुरुआत में ही अमेरिका में मजदूरों ने 'सूर्योदय से सूर्यास्त' (Sunrise to Sunset) तक के काम के समय के विरोध में अपनी शिकायतें स्पष्ट कर दी थीं।
- ◆ ध्यातव्य है कि वर्ष 1806 में अमेरिका की सरकार ने कुछ हड़तालियों के नेताओं पर मुकदमे चलाए। इस मामले में यह बात सामने आई कि मजदूरों से तकरीबन 19 से 20 घंटे तक कार्य कराया जाता था।
- 19वीं सदी का दूसरा और तीसरा दशक काम के घंटे कम करने के लिये हड़तालों से भरा हुआ है। इसी दौर में कई औद्योगिक केंद्रों ने तो एक दिन में काम के घंटे 10 करने की मांग भी निश्चित कर दी थी।
- उल्लेखनीय है कि वह संघर्ष, जिससे 'मई दिवस' का जन्म हुआ, अमेरिका में वर्ष 1884 में 'काम के घंटे आठ करो' आंदोलन से ही शुरू हुआ था।

भारत में मजदूर दिवस

- भारत में मजदूर दिवस पहली बार चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में 1 मई, 1923 को आयोजित गया था। यह पहल सर्वप्रथम लेबर किसान पार्टी के प्रमुख सिंगारवेलर द्वारा की गई थी।
- लेबर किसान पार्टी के प्रमुख सिंगारवेलर ने इस अवसर को मनाने के लिये दो बैठकों का आयोजन किया। इनमें से एक ट्रिप्लिकेन बीच पर आयोजित की गई और दूसरी मद्रास उच्च न्यायालय के सामने समुद्र तट पर आयोजित की गई।
- इन बैठकों में सिंगारवेलर ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में मई दिवस या मजदूर दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा करनी चाहिये।
- मजदूर दिवस या मई दिवस को भारत में 'कामगार दिन' के रूप में भी जाना जाता है, मराठी में इसे 'कामगार दिवस' और तमिल में 'उझिपालार नाल' (Uzhaipalar Naal) कहा जाता है।
- भारत में वर्ष 1986 का बाल श्रम अधिनियम, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करना प्रबंधित कर दिया, बेहतर श्रम मानकों को प्राप्त करने और बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

निष्कर्ष

मजदूर दिवस एक विशेष अवसर है जब दुनिया भर में लोग मजदूर वर्ग की सच्ची भावना और मजदूर आंदोलन का जश्न मनाते हैं। यह वह दिन है दुनिया भर के कार्यकर्ता एकजुट होते हैं और अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं जो यह दर्शाता है कि वे समाज के मजदूर वर्ग के लिये सकारात्मक सुधार लाने हेतु किस प्रकार प्रभावी ढंग से संघर्ष कर सकते हैं। मौजूदा समय में संपूर्ण विश्व महामारी का सामना कर रहा है, बीते दिनों देश में ऐसी कई घटनाएँ सामने आई हैं, जिनमें देश के सामान्य वर्ग विशेष रूप से मजदूर वर्ग के अधिकारों का हनन देखा गया। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सरकार से महामारी के दौरान देश के संवेदनशील वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया था। आवश्यक है कि सरकार मजदूर वर्ग के मुद्दों को सुने और नीति निर्माण में मजदूर वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए।

‘मल्टी-सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट’ संबंधी मुद्दा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्रिटेन की ‘पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सोसाइटी’ (Paediatric Intensive Care Society-PICS) ने ‘मल्टी-सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट’ (Multi-system Inflammatory State) से पीड़ित बच्चों की संख्या में वृद्धि दर्ज की है।

प्रमुख बिंदु:

- कुछ डॉक्टरों का मत है कि ‘मल्टी-सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट’ COVID-19 से संबंधित हो सकता है। हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि ‘इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम’ COVID-19 से ही संबंधित है।
- कुछ डॉक्टरों का मत है कि यह बीमारी किसी संक्रमण के पश्चात् प्रतिरक्षा प्रणाली के अति उत्तेजित होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति है।
- उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के बच्चों में तेज बुखार और धमनियों में सूजन के मामले सामने आए हैं।
- ‘मल्टी-सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट’ (Multi-system Inflammatory State):
 - ◆ यह एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें रक्त वाहिकाओं में सूजन और निम्न रक्तचाप की समस्या पाई जाती है।
 - ◆ यह बीमारी पूरे शरीर को प्रभावित करने के साथ ही फेफड़ों और अन्य अंगों में तरल पदार्थ का निर्माण करती है।
 - ◆ लक्षण:
 - पेट और जठरांत्र से संबंधित समस्याएँ
 - हृदय संबंधी समस्याएँ
 - टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (Toxic Shock Syndrome) एवं कावासाकी (Kawasaki) रोग से संबंधित समस्याएँ
- टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (Toxic Shock Syndrome):
 - ◆ बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करने के पश्चात् हानिकारक विषाक्त पदार्थ स्रावित करते हैं जिससे शरीर की सामान्य प्रक्रिया बाधित होती है। इस परिस्थिति को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। समय रहते उपचार न किये जाने की स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है।
 - ◆ लक्षण:
 - सिरदर्द, खांसी, गले में खराश, दस्त, साँस लेने में कठिनाई, चक्कर आना।
- कावासाकी (Kawasaki) रोग:
 - ◆ कावासाकी बच्चों की रक्त वाहिकाओं में सूजन के कारण होने वाला एक गंभीर रोग है। इस रोग से पाँच साल से कम उम्र वाले बच्चे अत्यधिक प्रभावित होते हैं।
 - ◆ कावासाकी रोग हृदय को अत्यधिक प्रभावित करता है। हालाँकि इसके कारण होने वाली सूजन शरीर के कई अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करती है।
 - ◆ कावासाकी रोग से दिल का दौरा भी पड़ सकता है।
 - ◆ लक्षण:
 - तेज बुखार, गर्दन के लिम्फ नोड्स में सूजन, सूखे व फटे होंठ, जीभ का लाल होना।

‘पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सोसाइटी’ (Paediatric Intensive Care Society- PICS):

- पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी।
- पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सोसाइटी का उद्देश्य:
 - ◆ अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और संश्रयकारी अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण तथा शिक्षा को बढ़ावा देना।
 - ◆ विभिन्न चर्चाओं हेतु एक मंच प्रदान करना।
 - ◆ परिषद के माध्यम से जानकारी एकत्र करना।

COVID-19 के 'गणितीय और अभिकलनात्मक पहलुओं का अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड' (Science and Engineering Research Board- SERB) ने COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके 'गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं' के अध्ययन के लिये 'मैट्रिक्स योजना' (MATRICS Scheme) के तहत 11 परियोजनाओं (Projects) की मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

- SERB द्वारा इस योजना के तहत मंजूर किये गए अधिकांश अध्ययनों का उद्देश्य COVID-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना है।
- इसमें जनसंख्या की विविधता, गैर-लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटीन (Quarantine), सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक-आर्थिक कारक आदि शामिल हैं।
- इन अध्ययनों का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय परिस्थितियों का आकलन कर वर्तमान परिस्थितियों में COVID-19 के विषाणु की संक्रामकता की तीव्रता/मात्रा का एक गुणात्मक संकेतक प्रदान करना है।
- इस अध्ययन में COVID-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिये 'सर' SIR (Susceptible-Infected-Recovered) मॉडल के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है।
 - ◆ 'SIR' मॉडल महामारी विज्ञान में एक समूह में संक्रामक रोग के प्रसार के अध्ययन हेतु प्रयोग किया जाने वाला 'कंपार्टमेंटल मॉडल' (Compartmental Model) का एक उदाहरण है।
 - ◆ जहाँ S से आशय 'Susceptible' अर्थात अतिसंवेदनशील व्यक्तियों की संख्या, 'I' से आशय 'Infected' अर्थात संक्रमित व्यक्तियों की संख्या और 'R' (Recovered) ठीक हो चुके लोगों की संख्या को दर्शाता है।
- SERB को 'मैट्रिक्स योजना' के तहत अध्ययन के लिये देश के अनेक संस्थानों से बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से SERB द्वारा 11 को मंजूरी दे दी गई है।
- इनमें से 7 देश के विभिन्न IITs से व 4 अन्य अलग-अलग प्रतिष्ठित संस्थानों से संबंधित हैं।

उद्देश्य:

- इन अध्ययनों का उद्देश्य संक्रमित व्यक्ति के संपर्क की जानकारी के आधार पर अधिकतम संभावित संक्रमित लोगों या 'इंफेक्शन ट्री' (Infection Tree) की पहचान कर प्रशासन के प्रयासों में सहयोग प्रदान करना है।

लाभ:

- इस अध्ययन के तहत एक प्राचलिक अनुमान प्रक्रिया' (Parametric Prediction Process) के माध्यम से COVID-19 के प्रसार और इनकी रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी।
- साथही इस अध्ययन के आधार पर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से कई विषाणुओं के डीएनए (DeoxyriboNucleic Acid- DNA) के पैटर्न का अध्ययन कर COVID-19 के संभावित उपचार की खोज की जा सकेगी।
- 'मैट्रिक्स योजना' के तहत इन अध्ययनों के माध्यम से COVID-19 के प्रसार और उसके नियंत्रण के लिये आवश्यक दिशा-निर्देशों के निर्धारण में सहायता प्राप्त होगी।

'विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड'

(Science and Engineering Research Board- SERB):

- विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (SERB) भारत सरकार के 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के तहत एक संविधिक निकाय है।
- SERB की स्थापना 'विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (the Science and Engineering Research Board Act, 2008) के तहत की गई थी।

- भारत सरकार के 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' के सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- SERB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- SERB विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने, योजना बनाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है।

SERB द्वारा संचालित कुछ प्रमुख शोध कार्यक्रम व योजनाएँ:

- रामानुजन फेलोशिप (Ramanujan Fellowship)
- जे.सी. बोस नेशनल फेलोशिप (J.C. Bose National Fellowship)
- स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट (Start-up Research Grant- SRG)
- एसईआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार (SERB Women Excellence Award)

राष्ट्रपति चुनाव और जम्मू-कश्मीर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India- ECI) से एक RTI के माध्यम से पूछा गया कि क्या नवगठित जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिये निर्वाचक मंडल (Electoral College) का हिस्सा होगा अथवा नहीं।

प्रमुख बिंदु

- एक छात्र द्वारा दी गई इस RTI में राज्य और केंद्रशासित विधान सभाओं की सूची मांगी गई थी जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिये निर्वाचक मंडल का हिस्सा हैं।
- RTI में चुनाव आयोग से यह भी स्पष्ट करने के लिये भी कहा गया था कि क्या नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर निर्वाचक मंडल का हिस्सा है।
- मात्र एक पंक्ति में इस RTI का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि इस संदर्भ में जानकारी के लिये आवेदक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 को देखने के लिये कहा गया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

जम्मू-कश्मीर पर अस्पष्टता

- इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 में केवल दिल्ली और पुदुचेरी का उल्लेख किया गया है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे।
- इस प्रकार अनुच्छेद 54 में नवगठित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।
- वहीं अगस्त 2019 से अस्तित्व में आया जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम भी इस संदर्भ में कुछ निर्दिष्ट नहीं करता है कि जम्मू-कश्मीर की विधायिका राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर पाएगी अथवा नहीं।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 13 में उल्लेख किया गया है कि जम्मू और कश्मीर विधानमंडल के पास अपने पुदुचेरी विधानमंडल के समान ही शक्तियाँ होंगी।

संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता

- संविधान के अनुच्छेद 54 में उल्लेखित निर्वाचक मंडल (Electoral College) में नए सदस्यों को शामिल करने के लिये संसद में दो-तिहाई बहुमत और 50 प्रतिशत से अधिक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन (Ratification) के माध्यम से एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
- ◆ ध्यातव्य है कि वर्ष 1992 में 7 वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी को अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचक मंडल के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था।
- वर्ष 1992 से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 54 में केवल संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाएं ही शामिल थीं।
- आवश्यक है कि चुनाव आयोग नवगठित जम्मू-कश्मीर के संबंध में स्थिति को और अधिक स्पष्ट करे अर्थात् जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं और यदि शामिल किया जाएगा तो किस प्रकार।

राष्ट्रपति का चुनाव

- राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 में वर्णित एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर नहीं करती है, बल्कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चूंकि जनता राष्ट्रपति का चयन सीधे नहीं करती है, इसलिये इसे परोक्ष निर्वाचन कहा जाता है।
- भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष प्रकार से मतदान होता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम (Single Transferable Vote System) कहते हैं। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, किंतु वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है अर्थात् वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी और तीसरी कौन।
- इस प्रकार यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो पाता है, तो उम्मीदवार के खाते में वोट की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसलिये इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है।
- उल्लेखनीय है कि वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग-अलग होती है। इसे 'वेटेज' भी कहा जाता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का 'वेटेज' भी अलग-अलग होता है। यह 'वेटेज' राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है और यह 'वेटेज' जिस तरह तय किया जाता है, उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं।

भारतीय फोटो जर्नलिस्टों ने पुलित्जर पुरस्कार जीता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'कोलंबिया विश्वविद्यालय' द्वारा वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार (Pulitzer Prize) विजेताओं की घोषणा की गई।

मुख्य बिंदु:

- जम्मू और कश्मीर के 'एसोसिएटेड प्रेस' (Associated Press- AP) के तीन फोटोग्राफरों को फीचर फोटोग्राफी (Feature Photography) श्रेणी में पुरस्कार विजेता घोषित किया। जबकि अनुश्री फड़नवीस (Anushree Fadnavis) और अदनान आबिदी (Adnan Abidi) ने 'ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी' श्रेणी में पुरस्कार जीता है।
- एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर चन्नी आनंद (Channi Anand), मुख्तार खान (Mukhtar Khan) और डार यासीन (Dar Yasin) ने जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का का दर्जा वापिस लिये जाने के बाद कश्मीर में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों के बीच मीडिया कवरेज के लिये 'फीचर फोटोग्राफी' पुरस्कार जीता है।

पुलित्जर पुरस्कार (Pulitzer Prize):

- पृष्ठभूमि:
 - ◆ पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।
 - ◆ इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और 'पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड' द्वारा प्रशासित किया जाता है।

- 'पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड' का निर्माण कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों द्वारा होता है।
- ◆ यह पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। जोसेफ पुलित्जर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता स्कूल को शुरू करने तथा पुरस्कार की शुरुआत करने के लिये अपनी वसीयत से पैसा दिया था।
- पुरस्कार राशि:
 - ◆ प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र और 15,000 डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। 'सार्वजनिक सेवा श्रेणी' में पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है।
- पुरस्कार की श्रेणियाँ:
 - ◆ यह पुरस्कार कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है। जिसमें पत्रकारिता की 15 श्रेणियों और पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 7 श्रेणियाँ शामिल हैं।

पुलित्जर पुरस्कार (Pulitzer Prizes):

- पत्रकारिता में दिये गए अन्य पुरस्कार;

ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग	कोरियर-जर्नल का स्टाफ
खोजी रिपोर्टिंग	न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्रायन एम. रोसेन्थल
व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग	वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी
स्थानीय रिपोर्टिंग	बाल्टीमोर सन के कर्मचारी
नेशनल रिपोर्टिंग	सिएटल टाइम्स के कुछ पत्रकारों को
अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग	न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी
फीचर लेखन	न्यूयॉर्क के बेन ताउब
समीक्षा	न्यूयॉर्क टाइम्स के निकोल हन्नाह-जोन्स
आलोचना	लॉस एंजिल्स टाइम्स के क्रिस्टोफर नाइट
संपादकीय लेखन	फिलिस्तीन के जेफरी गेरिट, हेराल्ड प्रेस
संपादकीय कार्टूनिंग	बैरी ब्लिट, द न्यू यॉर्कर
ऑडियो रिपोर्टिंग	लॉस एंजिल्स टाइम्स, अमेरिकी लाइफ तथा वाइस न्यूज के कुछ कर्मकारियों
सार्वजनिक सेवा	एंकरेज डेली न्यूज

मच्छर जनित बीमारियों का प्रसार

चर्चा में क्यों ?

वैश्विक स्तर पर सभी सरकारों COVID-19 से निपटने में जुटी हुई हैं, लेकिन हाल ही में दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियाँ प्रमुख चिंता के रूप में उभर कर सामने आई हैं।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि 2 मई, 2020 तक मलेरिया के 16 मामले सामने आए हैं। दरअसल यह आँकड़ा पिछले पाँच वर्षों की तुलना में अत्यधिक है।
- ध्यातव्य है कि जनवरी-मई 2019 तक केवल मलेरिया के 2 ही मामले सामने आए थे जबकि पिछले पाँच वर्षों में मलेरिया के कारण एक भी मृत्यु नहीं हुई है।

नोट :

- 2 मई 2020 तक डेंगू के 13 और चिकनगुनिया के 10 मामले भी सामने आए हैं, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक डेंगू के 8 और चिकनगुनिया के 4 मामले सामने आए थे।
- स्वास्थ्य संबंधी अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में कुल डेंगू के मामलों में से लगभग 70% या तो राज्य के बाहर से हैं या जिन्हें अभी तक चिह्नित नहीं किया गया है।
- लगभग चिकनगुनिया के 65% और मलेरिया के 56% मामलों को भी अभी तक चिह्नित नहीं किया गया है।
- संक्रमित लोगों का पहचान बहुत जरूरी है साथ ही संक्रमित लोगों की पहचान करने की शुरुआत संबंधित राज्य से होना चाहिये।
- 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' (Ministry of Health and Family Welfare) ने पहले ही इस बीमारी को 'ध्यान देने योग्य रोग' (Notifiable Disease) की श्रेणी में घोषित किया है।

मलेरिया (Malaria):

- यह प्लाज़मोडियम (Plasmodium) परजीवियों के कारण होने वाला मच्छर जनित रोग है।
- यह प्लास्मोडियम परजीवी से संक्रमित मादा एनाफिलीज़ मच्छर (Anopheles Mosquitoes) के काटने से फैलता है।
- 5 परजीवी प्रजातियों के कारण मनुष्यों में मलेरिया होता है। साथ ही इनमें से 2 परजीवी प्रजातियाँ ('पी.फाल्सीपरम'-P. Falciparum एवं 'पी.वीवाक्स'-P Vivax) ज्यादा खतरनाक होती हैं।
- लक्षण:
 - ◆ मलेरिया के लक्षण हैं- बुखार, कंपन, पसीना आना, सिरदर्द, शरीर में दर्द, जी मचलना और उल्टी होना।
 - ◆ यदि 24 घंटों के भीतर संक्रमित मरीज़ का इलाज़ नहीं किया जाता है, तो 'पी.फाल्सीपरम' (P. Falciparum) मलेरिया का प्रभाव निरंतर बढ़ता जाता है। परिणामस्वरूप इस मलेरिया से अक्सर मृत्यु भी हो जाती है।

डेंगू (Dengue):

- डेंगू दुनिया के कई हिस्सों में तेज़ी से उभरती हुई वायरल बीमारी है।
- डेंगू के वायरस का मुख्य वाहक 'एडीज़ एजिप्टी' मच्छर (Aedes Aegypti Mosquito) है।
- मच्छर जनित वायरल संक्रमण जो चिकनगुनिया, यलो फीवर, ज़िका वायरस जैसी गंभीर बीमारी का कारण बनता है, कभी-कभी महामारी के रूप में घातक जटिलता की स्थिति पैदा करता है।
- वर्षा, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता और अनियोजित तेज़ी से शहरीकरण से डेंगू का प्रसार अत्यधिक होता है।

महामारी रोग अधिनियम: समग्र विश्लेषण

चर्चा में क्यों ?

बीते महीने केंद्र सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 (Epidemic Disease Act, 1897) में संशोधन करते हुए स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध घोषित किया था, जिससे लगभग 123 वर्ष पुराना यह अधिनियम एक बार पुनः चर्चा में आ गया है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने इसी वर्ष मार्च माह में COVID-19 के प्रकोप से लड़ने के लिये महामारी रोग अधिनियम, 1897 लागू किया था।
- औपनिवेशिक-युग का यह अधिनियम राज्य सरकारों को विशेष उपाय करने और महामारी के दौरान विशेष नियम निर्धारित करने का अधिकार देता है।
- इसके अतिरिक्त यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की अवज्ञा करने पर दिये जाने वाले दंड को परिभाषित करता है, साथ ही यह 'सद्भावना में' किये गए किसी भी कार्य के लिये सुरक्षा प्रदान करता है।

क्यों आवश्यक था अधिनियम ?

- उल्लेखनीय है कि भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद (Council of the Governor General of India) के सदस्य जे. वुडबर्न (J Woodburn) ने सर्वप्रथम 28 जनवरी, 1897 को 'ब्लैक डेथ' के नाम से प्रसिद्ध ब्यूबोनिक प्लेग (Bubonic Plague) के प्रकोप के दौरान महामारी रोग विधेयक को प्रस्तुत किया था।
- ◆ विश्लेषकों के अनुसार, जनसंख्या के निरंतर प्रवाह के कारण प्लेग महामारी तेजी से फैल रही थी और अनुमान के अनुसार, महामारी फैलने के दौरान प्रति सप्ताह लगभग 1900 लोगों की मौत हो रही थी।
- उस समय जे. वुडबर्न ने कहा था कि 'ब्यूबोनिक प्लेग जो कि बॉम्बे में काफी अधिक फैल चुका है और धीरे-धीरे देश के अन्य हिस्सों में फैल रहा है, इसलिये आवश्यक है कि सरकार जल्द-से-जल्द इस बीमारी से लड़ने के लिये कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, ताकि यह बीमारी देश के अन्य हिस्सों में न पहुँचे।
- विधेयक में कहा गया था कि नगरपालिका निकायों, छावनियों और अन्य स्थानीय सरकारों के पास इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिये शक्तियाँ तो थीं, किंतु वे सभी शक्तियाँ 'अपर्याप्त' थीं।
- उल्लेखनीय है कि भारत की उस समय की स्थिति से विश्व के कई अन्य देश भी चिंतित थे, रूस का अनुमान था कि इस बीमारी के कारण आगामी समय में संपूर्ण उपमहाद्वीप संक्रमित हो सकता है।
- इस विधेयक में भारतीय प्रांतों और स्थानीय सरकारों को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गईं, जिसमें ट्रेनों और समुद्री मार्गों के यात्रियों की जाँच करना भी शामिल था।
- विधेयक में कहा गया था कि इसमें कहा गया है कि मौजूदा कानून नगर निगम अधिकारियों के लिये 'भीड़भाड़ वाले घरों, उपेक्षित शौचालयों तथा झोपड़ियों और अस्वच्छ गौशालाओं तथा अस्तबलों' से संबंधित विभिन्न मामलों से निपटने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। कैसे पारित हुआ यह विधेयक ?
- इस विधेयक को जेम्स वेस्टलैंड (James Westland) की अध्यक्षता वाली एक प्रवर समिति को भेजा गया, जिसने अगले ही सप्ताह 4 फरवरी, 1897 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी दिन संक्षिप्त चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित कर दिया गया।
- यह विधेयक ब्यूबोनिक प्लेग (Bubonic Plague) के बढ़ते संक्रमण की चिंताओं के संदर्भ में पारित किया गया था, चूँकि बॉम्बे से काफी अधिक मात्रा में संक्रमित लोग देश के अन्य क्षेत्रों में जा रहे थे, जिससे प्लेग काफी तेजी से फैल रहा था।
- ◆ ध्यातव्य है कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार मुख्य रूप से भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता के लिये काफी चिंतित थी।
- विधेयक पर चर्चा करने वाले सदस्यों में रहीमतुला मुहम्मद सयानी (Rahimtula Muhammad Sayani) और दरभंगा के महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह (Lakshmeshwar Singh) ने कहा था कि इस विधेयक को काफी 'हड़बड़ी' में पारित किया जा रहा है।
- ◆ हालाँकि दरभंगा के महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह ने तत्कालीन स्थिति को 'मानव जाति के समक्ष मौजूद सर्वाधिक भयानक संकटों में से एक के रूप में वर्णित किया था।'

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- महामारी रोग अधिनियम में कुल चार खंड हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार, समय-समय पर संशोधित किया जाता है। अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार हैं:
- महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा (2) के अनुसार, जब यह निश्चित हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है, या होने की आशंका है तब राज्य सरकार यदि यह समझती है कि मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिये पर्याप्त नहीं हैं, तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिये आवश्यक समझे।
- राज्य सरकार बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा के लिये निम्नलिखित उपाय कर सकती हैं
 - ◆ यात्रा करने वाले व्यक्ति का निरीक्षण करना।
 - ◆ उन व्यक्तियों का, जिनके बारे में जाँच अधिकारी को यह शंका है कि वे किसी रोग से संक्रमित हैं, किसी अस्पताल अथवा अस्थायी आवास में अलगाव करना।
- इस अधिनियम की धारा 2A केंद्र सरकार को भारत छोड़ने वाले तथा भारत पहुँचाने वाले जहाजों का निरीक्षण करने का अधिकार देता है और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार को ऐसे जहाजों को बंद करने का अधिकार होता है।

- अधिनियम की धारा 3 में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दिये जाने वाले दंड के प्रावधान हैं। धारा 3 के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के समान सजा होगी।
- ◆ IPC की धारा 188 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सरकार के नियमों/अधिसूचना का उल्लंघन करता है तो उसे कम-से-कम 1 महीने और अधिकतम 6 महीने कैद और 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है।
- अधिनियम की धारा-4 सरकार, उसके कर्मचारियों और उसके अधिकारियों को 'सद्भाव में' किये गए किसी भी कार्य के लिये सुरक्षा प्रदान करता है।

अधिनियम की सीमाएँ

- ध्यातव्य है कि यह अधिनियम तकरीबन 123 वर्ष से अधिक पुराना है और इसे तत्कालीन सरकार द्वारा भारत के एक विशेष हिस्से बॉम्बे प्रेसीडेंसी के लिये अधिनियमित किया गया था, इसलिये कई आलोचकों का मत है कि यह मौजूदा भारतीय परिदृश्य के लिये पर्याप्त नहीं है।
- ◆ विदित हो कि ब्रिटिश काल के दौरान कई अवसरों पर यह भी देखा गया कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करने और सार्वजनिक सभाओं को रोकने के लिये इस अधिनियम का दुरुपयोग किया गया।
- महामारी रोग अधिनियम का उद्देश्य किसी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिये अधिक है जो पहले से ही फैल रही है, जबकि यह बीमारी को रोकने या मिटाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है।
- इस अधिनियम में महामारी या बीमारी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही इस अधिनियम में सरकार के लिये महामारी के समय लागू किये जाने वाले विभिन्न उपायों को लेकर कोई विशेष निर्देश नहीं दिये गए हैं।
- सरकार की ओर से टीके और दवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर भी यह अधिनियम कुछ विशेष प्रावधान नहीं करता है।

COVID-19 और महामारी रोग अधिनियम

- महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, असम और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी की है।
- इस अधिनियम के तहत कुछ प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी कई राज्य मुख्य रूप से महामारी के प्रसार को कम करने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इस अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं जो राज्य सरकारों को संकट के दौरान एक निर्दिष्ट तरीके से कार्य करने के लिये मार्गदर्शन कर सकें।
- यह अधिनियम एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) और संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना भी नहीं हुई थी। इस प्रकार यह अधिनियम इन संगठनों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करने में असमर्थ है।
- आवश्यक है कि मौजूदा COVID-19 संक्रमण के दौरान विधायिका को देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों और कठिनाइयों पर विचार करना चाहिये और उनके अनुसार एक नया तथा प्रभावी कानून का निर्माण करना चाहिये।

COVID-19 के कारण रक्त के थक्के जमने की समस्याएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व भर में कई चिकित्सकों ने COVID-19 से संक्रमित मरीजों में रक्त के थक्के जमने से जुड़ी समस्याओं के मामलों में वृद्धि देखी है, चिकित्सकों के अनुसार, यदि ऐसे मामलों में मरीज को जल्दी उपचार नहीं उपलब्ध कराया जाता तो यह जानलेवा भी हो सकता है।

मुख्य बिंदु:

- इस बीमारी में अलग-अलग मरीजों में पैरों पर मामूली त्वचा घाव, जिसे 'कोविड टो' (COVID Toe) भी कहा जाता है, से लेकर दिल के दौरे पड़ने और नसों में रक्त के थक्के जमने जैसे घातक मामले भी देखे गए हैं।

- ऐसे मामलों में सही समय पर इलाज न होने से श्वसन से जुड़ी समस्याओं के ठीक होने के कई दिनों या महीनों बाद मरीज में इस बीमारी के लक्षण प्रकट हो सकते हैं।

संक्रमणों में रक्त जमने के मामले:

- विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे संक्रमण के मामलों में थक्के जमाने के खतरों का बढ़ना असामान्य नहीं है।
- इससे पहले वर्ष 1918 की स्पैनिश फ्लू (Spanish Flu) की महामारी के दौरान भी मरीजों में रक्त के थक्के जमाने के मामले देखे गए थे, जिनसे बहुत ही जल्दी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती थी।
- इसके अतिरिक्त अन्य वायरस जैसे-एचआईवी (HIV), डेंगू (Dengue), इबोला (Ebola) आदि भी रक्त जमाने जैसे हानिकारक प्रभावों के लिये जाने जाते हैं।
- हालाँकि COVID-19 में थक्के जमाने की तीव्रता अन्य संक्रमणों की तुलना में कई गुना अधिक है।
- चिकित्सकों के अनुसार, कुछ मामलों में ऐसे रक्त के थक्के, मरीजों में गुर्दे को सहायता देने वाले 'आर्टीरियल कैथीटर्स' (Arterial Catheters) और फिल्टर्स (Filters) में बनते हैं, जिन्हें थ्रोम्बी (Thrombi) कहा जाता है। परंतु अधिक खतरनाक वे थक्के हैं जो फेफड़े में रक्त प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है।

प्रभाव:

- चिकित्सकों के अनुमान के अनुसार, रक्त के इन थक्कों का जमाना मरीजों के स्वास्थ्य में तीव्र गिरावट और ब्लड-ऑक्सीजन की कमी का प्रमुख कारण हो सकता है।
- फरवरी 2020 में चीन में मरीजों में रक्त के थक्के जमाने के मामले देखे गए थे परंतु इनकी गंभीरता के बारे में स्थिति अब और अधिक स्पष्ट हो गई है।
- इसके अतिरिक्त फ्रांस और नीदरलैंड में किये गए अध्ययनों में देखा गया कि COVID-19 से संक्रमित लगभग 30% मरीज, 'पॉल्मनरी इंबॉलिज्म' (Pulmonary Embolism) नामक बीमारी से ग्रस्त थे, जिसमें फेफड़े की धमनियों में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है।
- यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाता तो धमनियों में बड़े थक्कों से हृदय पर दबाव बढ़ सकता है और व्यक्ति को हृदय आघात भी हो सकता है।
- 3 में से एक मामले में सही समय पर इलाज न मिले पर इसके घातक परिणाम हो सकते हैं और 6 में से 1 व्यक्ति में इसके लक्षण पुनः वापस आ सकते हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इस महामारी के बाद प्रभावित फेफड़े और रक्त के थक्के जमाने से जुड़े मामलों में वृद्धि हो सकती है।
- शरीर के अन्य हिस्सों में रक्त के थक्के जमाने से अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे-दिल, गुर्दे, यकृत, आंत और अन्य ऊतकों आदि को क्षति हो सकती है।
- मरीजों में रक्त के थक्कों के जमाने की स्थिति में इसके परीक्षण के लिये डी-डाईमर ब्लड टेस्ट (D-Dimer Blood Test) का प्रयोग किया जाता है।

आगे की राह:

- विशेषज्ञों के अनुसार, जहाँ एक तरफ COVID-19 से संक्रमित मरीजों में ऐसी समस्याओं का पता चलना इस बीमारी को और अधिक जटिल बनाता है, परंतु साथ ही अधिक-से-अधिक जानकारी के पता होने से इस बीमारी का बेहतर तरीके से उपचार करना संभव हो सकेगा।
- ◆ उदाहरण के लिये: इटली में 'पॉल्मनरी इंबॉलिज्म' से एक मरीज की मृत्यु होने के बाद चिकित्सकों का ध्यान इस तरफ गया और इसके बाद कई अन्य मरीजों में इसके उपचार के प्रयास किये गए।
- COVID-19 के बारे में जैसे-जैसे अधिक जानकारी प्राप्त होगी चिकित्सकों को इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को उनके लक्षणों के आधार पर बेहतर और लक्षित उपचार उपलब्ध कराने में आसानी होगी।
- शीर्ष स्वास्थ्य संस्थाओं को COVID-19 के संबंध में दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों और जमीनी स्तर पर कार्यरत सहयोगियों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करनी चाहिये, जिससे शीघ्र ही इस बीमारी के लक्षणों की पहचान कर मरीजों को उचित सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनजर राज्य की औद्योगिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के एक उपाय के रूप में आगामी तीन वर्षों के लिये सभी व्यवसायों और उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि COVID-19 के प्रकोप के फलस्वरूप राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ काफी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और आगामी समय में इसका और अधिक प्रभाव दिख सकता है।
- ◆ इसका प्रमुख कारण यह है कि महामारी को देखते हुए लागू किये गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी उद्योग और व्यवसाय रुक गए हैं।
- राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार द्वारा लागू किये गए अध्यादेश के माध्यम से सभी प्रतिष्ठानों, कारखानों और व्यवसायों पर लागू होने वाले श्रम कानूनों से उन्हें छूट प्रदान की गई है।
- हालाँकि इस अवधि में भी राज्य में भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996; कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923; बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976; और मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 5 लागू होंगे।
- ◆ मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 5 में समय पर मजदूरी प्राप्त करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है।
- इसके अतिरिक्त श्रम कानूनों में बच्चों और महिलाओं से संबंधित प्रावधान अभी जारी रहेंगे।
- राज्य सरकार के अध्यादेश के अनुसार, तीन वर्षीय अवधि में अन्य सभी श्रम कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे, जिसमें औद्योगिक विवादों को निपटाने, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियन, अनुबंध श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से संबंधित कानून शामिल हैं।
- यह अध्यादेश राज्य में मौजूदा व्यवसायों तथा उद्योगों और राज्य में स्थापित होने वाले नए कारखानों दोनों पर लागू होगा।
- इस अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास उनकी मंजूरी के लिये भेजा गया है।

महत्त्व

- इस अध्यादेश का प्रमुख उद्देश्य व्यवसायों और उद्योगों को कुछ लचीलापन प्रदान करना है, ताकि उद्योगों और व्यवसायों में कार्य करने वाले श्रमिकों के रोजगार की रक्षा की जा सके और COVID-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आ रहे लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके।
- ◆ उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई प्रवासी श्रमिक केरल, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से वापस लौट रहे हैं और इन्हें रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकारों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बन गया है।
- राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पश्चात् सभी व्यावसायिक गतिविधियों के पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से बंद होने के कारण राज्य सरकारों के राजस्व में भारी कमी देखी जा रही है, जिसके कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा है और इससे उबरने के लिये राज्य को काफी अधिक समय की आवश्यकता है।
- ◆ इसके अतिरिक्त राजस्व में कमी के कारण सरकार के पास स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक-से-अधिक खर्च करने हेतु भी संसाधन की कमी है।
- इस संबंध में सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, राज्य में नए निवेश को प्रोत्साहित करने और नए औद्योगिक बुनियादी ढाँचे की स्थापना करने तथा मौजूदा उद्योगों और कारखानों को लाभ पहुँचाने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें राज्य में मौजूदा श्रम कानूनों से अस्थायी छूट प्रदान की जाए।

भारतीय संविधान और श्रम कानून

- भारतीय संविधान ने देश के श्रम कानूनों में बदलाव और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय संविधान के भाग III को श्रमिक कानूनों के लिये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध जैसे विषय शामिल हैं।

- भारतीय संविधान का भाग IV, जिसे 'राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व' के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य अपने नागरिकों के कल्याण की दिशा में कार्य करना है। उल्लेखनीय है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों को कानून के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है, किंतु यह भारत में श्रम कानूनों को बेहतर बनाने के लिये विधायिका को एक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- विदित हो कि चूँकि श्रम भारतीय संविधान के तहत एक समवर्ती सूची का विषय है, इसलिये राज्य अपने स्वयं के कानूनों को लागू तो कर सकते हैं, किंतु उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

आलोचना

- आलोचकों का मत है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय काफी चौंकाने वाला है और इससे राज्य श्रम कानूनों के मामले में तकरीबन 100 वर्ष पीछे चला जाएगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार का यह अध्यादेश राज्य में श्रमिकों के लिये गुलाम जैसी परिस्थितियों को जन्म देगा, जो कि स्पष्ट रूप से श्रमिकों के मानवाधिकार का उल्लंघन है।
- राज्य सरकार का यह अध्यादेश राज्य में कारखानों और उद्योगों मालिकों को आवश्यक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदंडों का पालन न करने के लिये प्रेरित करेगा, जिससे श्रमिकों के लिये कार्य की स्थिति और अधिक बहतर हो जाएगी।
- उत्तर प्रदेश के विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने राज्य सरकार के इस निर्णय को 'श्रमिक वर्ग पर गुलामी की स्थिति लागू करने के लिये एक क्रूर कदम' करार दिया है।
- ट्रेड यूनियनों के अनुसार, इसके पश्चात् अन्य राज्य सरकारें भी अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का तर्क देते हुए राज्य में विकास और अधिक निवेश आकर्षित करने के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार का अनुसरण करेंगी, जिससे देश भर में श्रमिकों के लिये कार्य की स्थिति काफी बहतर हो जाएगी।

आगे की राह

- श्रम न केवल उत्पादन में, बल्कि अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों में भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स जैसे क्लासिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के मुख्य स्रोत के रूप में श्रम को प्रमुख स्थान दिया।
- इस प्रकार श्रमिक किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य और केंद्र सरकार का प्रमुख दायित्व बन जाता है।
- यदि श्रम कानूनों में बाजार और श्रमिकों के जरूरी हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो ऐसे में उद्योगों का विकास काफी सीमित हो जाता है।
- अतः आवश्यक है कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसे उपाय करे, जिनसे अधिक-से-अधिक विकास किया जा सके और श्रमिकों के अधिकारों का हनन भी न हो।

प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development-MHRD) द्वारा 'प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना' (Prime Minister Research Fellows- PMRF) में संशोधन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- ध्यातव्य है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश में शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु 'प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना' की शुरुआत की गई थी।
- उल्लेखनीय है कि 'प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना' में संशोधन के पश्चात् किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय (आईआईएससी/ आईआईटी/ एनआईटी/ आईआईएसईआर/ आईआईआईटी के अलावा) के छात्र इस योजना के लिये पात्र होंगे, साथ ही पात्रता हेतु गेट (Graduate Aptitude Test in Engineering- GATE) परीक्षा में प्राप्त स्कोर को 750 से घटाकर 650 अंक कर दिया गया है।

- 'नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' (National Institutional Ranking Framework- NIRF) द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष 25 संस्थानों में शामिल NITs भी PMRF के अंतर्गत शामिल किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 'रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन' (Research And Innovation Division) नामक एक विभाग तैयार किया जा रहा है। इस विभाग के अध्यक्ष द्वारा MHRD के तहत आने वाले विभिन्न संस्थानों के अनुसंधान कार्य का समन्वय किया जाएगा।
- PMRF योजना हेतु पात्रता को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है:
 - ◆ डायरेक्ट एंट्री चैनल (Direct Entry Channel)
 - ◆ लेटरल एंट्री चैनल (Lateral Entry Channel)

डायरेक्ट एंट्री चैनल (Direct Entry Channel) हेतु पात्रता :

- उम्मीदवार इस योजना हेतु पात्र होगा यदि उसने मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय संस्थान/विश्वविद्यालय से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पूर्ववर्ती तीन वर्षों में स्नातक या परास्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली हो या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। इसके साथ ही स्नातक या परास्नातक में CGPA अंक 8.0 या उससे अधिक तथा GATE स्कोर 650 अंक या उससे अधिक होना चाहिये।
 - ◆ ऐसा उम्मीदवार जो GATE परीक्षा उत्तीर्ण कर PMRF के तहत आने वाले संस्थानों से M.Tech./MS में अध्ययनरत या पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, के प्रथम समेस्टर के कम-से-कम चार विषयों में CGPA अंक 8.0 या उससे अधिक होना चाहिये।
- उम्मीदवार इस योजना हेतु पात्र होगा यदि वह PMRF के तहत आने वाले किसी एक संस्थान में Ph.D हेतु चयनित हो।
- इसके साथ ही यदि PMRF के तहत आने वाले संस्थानों द्वारा Ph.D हेतु चयनित (साक्षात्कार के माध्यम से) विद्यार्थियों की सिफारिश की जाती है तो उस स्थिति में भी पात्रता मानी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिनके शोधकार्य किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित किये जा चुके हों या जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में भागीदारी की हो।

लेटरल एंट्री चैनल (Lateral Entry Channel) हेतु पात्रता :

- ऐसे उम्मीदवार जो परास्नातक के बाद Ph.D में 12 महीनों से अध्ययनरत हों या स्नातक के बाद Ph.D में 24 महीनों से अध्ययनरत हों, लेटरल एंट्री के लिये पात्र होंगे। इसके साथ-साथ Ph.D कार्यक्रम में कम-से-कम चार पाठ्यक्रमों में CGPA अंक 8.5 या इससे अधिक होनी चाहिये।
- PMRF के तहत आने वाले संस्थानों द्वारा उम्मीदवारों की सिफारिश की गई हो।
- ऐसे उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिनके शोधकार्य किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित किये जा चुके हों।

औद्योगिक आपदा और 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत'

चर्चा में क्यों ?

'विशाखापत्तनम गैस त्रासदी' मामले में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal) ने 19 वीं शताब्दी के ब्रिटिशकालीन 'सख्त दायित्व' (Strict Liability) के सिद्धांत के आधार पर 'एलजी पॉलिमर' कंपनी को प्रथम दृष्ट्या (Prima Facie) ज़िम्मेदार माना है।

प्रमुख बिंदु:

- 'सख्त दायित्व' के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1986 में निरर्थक (Redundant) बना दिया गया था।
- NGT ने 'एलजी पॉलिमर' कंपनी को 50 करोड़ की प्रारंभिक क्षतिपूर्ति राशि जमा करने के निर्देश के साथ ही एक 'तथ्य खोज समिति' (Fact-Finding Committee) का गठन किया है।

'सख्त दायित्व सिद्धांत' (Strict Liability Principle):

- इस सिद्धांत के अनुसार, एक औद्योगिक इकाई किसी आपदा के लिये उत्तरदायी नहीं होगी यदि औद्योगिक पदार्थों का रिसाव किसी दुर्घटना या 'प्रकृतिजन्य कार्य' (Act of God) के कारण हुआ है। ऐसे में इन औद्योगिक इकाइयों को कोई क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता नहीं है।

- इस सिद्धांत की उत्पत्ति ब्रिटिशकालीन वर्ष 1868 के 'रिलेंड्स बनाम फ्लेचर' (Rylands versus Fletcher) मामले से मानी जाती है। यह सिद्धांत किसी औद्योगिक आपदा के समय कंपनियों को आवश्यक दायित्व निभाने में कई प्रकार की छूट प्रदान करता है।
- 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' (Absolute Liability Principle):
- सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के 'ओलियम गैस रिसाव मामले' (Oleum Gas leak Case) में निर्णय दिया कि भारत जैसे विकासशील देश में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये 'सख्त दायित्व का सिद्धांत' (Strict Liability Principle) अपर्याप्त है और इसके स्थान पर 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' (Absolute Liability Principle) लागू किया जाना चाहिये।

'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' की आवश्यकता:

- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' वर्ष 1984 की 'भोपाल गैस त्रासदी' के बाद में दिया गया था जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिये कॉर्पोरेट इकाइयों को ज़िम्मेदार ठहराना चाहते थे।
- 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय यह तय करना चाहता था कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना होने पर कॉर्पोरेट को किसी प्रकार की छूट प्रदान न की जाए तथा इन इकाइयों से आवश्यक क्षतिपूर्ति राशि अवश्य वसूल की जाए। यहाँ 'निरपेक्ष' या पूर्ण (Absolute) का तात्पर्य है समाज के लिये ज़िम्मेदारी निभाने की बाध्यता है।
- 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' और 'अनुच्छेद 21':
- 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' अनुच्छेद 21 का हिस्सा है तथा इसे जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में माना गया है।

NGT अधिनियम तथा पूर्ण दायित्व का सिद्धांत:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1986 में 'ओलियम गैस रिसाव मामले' में प्रतिपादित किये गए 'पूर्ण दायित्व के सिद्धांत' को बाद में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal- NGT) अधिनियम- 2010 की धारा 17 में शामिल किया गया।
- NGT अधिनियम की धारा 17 के अनुसार यदि कोई औद्योगिक आपदा किसी दुर्घटना के कारण होती है तब भी अधिकरण 'बिना त्रुटि का सिद्धांत' (No Fault Principle) के आधार पर औद्योगिक इकाई पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का नकारात्मक पक्ष:

- यह अधिनियम किसी खतरनाक कारखाने में हुई दुर्घटना के लिये हमेशा उद्यम को ही उत्तरदायी ठहराता है, भले ही आपदा किसी दुर्घटना के कारण हुई हो तथा आपदा के पीछे उद्यम की कोई लापरवाही नहीं हो।

निष्कर्ष:

- औद्योगिक आपदाओं की जाँच के लिये स्पष्ट कार्यप्रणाली अपनानी चाहिये तथा एक 'सहायता राशि कोष' की स्थापना की जानी चाहिये जो औद्योगिक इकाइयों पर लगाए जाने वाले आवश्यक शुल्क से मिलकर बनी हो।

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन

चर्चा में क्यों ?

नवगठित जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की अपील को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्षेत्र विशिष्ट की 'विशेष परिस्थितियों' के मद्देनजर आवश्यक है कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं' और 'मानवाधिकारों' के मध्य यथोचित संतुलन स्थापित किया जाए।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि 'विदेशी ताकतों सीमाओं पर घुसपैठ करने और राष्ट्र की अखंडता को अस्थिर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिसके कारण मानवाधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।'
- इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस संबंध में सभी मुद्दों की जाँच करने के लिये एक 'विशेष समिति' का गठन करने का भी आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के कई संस्थानों ने प्रदेश में 4G इंटरनेट के अभाव में प्रभावी ढंग से कार्य करने में आ रही समस्याओं के मद्देनजर न्यायालय में याचिका दायर की थी।
- एक याचिकाकर्ता 'फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स' के अनुसार, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और मीडियाकर्मियों के लिये 4G इंटरनेट स्पीड के अभाव में सही ढंग से कार्य करना अपेक्षाकृत काफी मुश्किल हो रहा है।
- याचिकाकर्ता के अनुसार, जब इस संबंध में याचिका दायर की गई थी, तो प्रदेश में कोरोनावायरस (COVID-19) संक्रमण के मात्र 33 मामले थे, किंतु अब COVID-19 संक्रमण के मामले 700 से भी पार जा चुके हैं।
- 'फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स' के अनुसार, COVID-19 से संबंधित नवीनतम अपडेट प्राप्त करने और रोगियों को ऑनलाइन परामर्श देने में उच्च स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता होती है, किंतु 4G इंटरनेट के अभाव में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है।
- एक अन्य याचिकाकर्ता के रूप में 'J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन' ने कहा कि प्रदेश में 4G इंटरनेट पर प्रतिबंध के कारण बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा काफी हद तक प्रभावित हो रही है।
- याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के प्रतिबंधों से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार मामले में दिये गए तर्कशीलता और आनुपातिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है।

अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार

- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बीते वर्ष अगस्त माह में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और इसी के साथ राज्य का विभाजन दो केंद्रशासित क्षेत्रों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में कर दिया गया था।
- इसके पश्चात् जम्मू-कश्मीर में तकरीबन 5 महीनों तक इंटरनेट ब्लैक आउट देखा गया अर्थात् इस अवधि में जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की इंटरनेट तक पहुँच नहीं थी।
- अनुच्छेद 370 की समाप्ति के तकरीबन 5 महीने बाद अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिये 2G इंटरनेट को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया।
- इस मामले की सुनवाई में न्यायालय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट के अनिश्चितकालीन निलंबन 'की अनुमति नहीं है और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाते समय अनुच्छेद 19(2) के तहत आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है।

विशेष समिति का गठन

- जस्टिस एन. वी. रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी. आर. गवई की न्यायापीठ ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति के गठन का आदेश दिया, जो कि जम्मू-कश्मीर में 2G मोबाइल इंटरनेट के प्रतिबंध के विस्तार की जाँच करेगी।
- उल्लेखनीय है कि इस समिति में संचार विभाग के सचिव और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे।
- न्यायालय ने समिति से कहा कि वह याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गए विभिन्न तर्कों और उपलब्ध कराई गई विभिन्न सामग्रियों की जाँच करे।
- इसके अतिरिक्त समिति को याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक उपायों की समीक्षा करने का कार्य भी सौंपा गया है।
- ◆ उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया था कि उन क्षेत्रों में, जहाँ आवश्यक है, इंटरनेट पर प्रतिबंधों को सीमित कर दिया जाए और कुछ क्षेत्रों में परीक्षण के आधार पर उच्च स्पीड इंटरनेट (जैसे 3G और 4G) की अनुमति दी जाए।

COVID-19 से मुकाबले के लिये विश्व बैंक की आर्थिक सहायता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक (World Bank) ने COVID-19 महामारी से प्रभावित गरीब और संवेदनशील परिवारों को सामाजिक-आर्थिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने हेतु 1 बिलियन डॉलर के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- विश्व बैंक का यह वित्त पोषण मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होगा, पहले चरण के तहत वित्तीय वर्ष 2020 के लिये 750 मिलियन डॉलर का तात्कालिक आवंटन किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण के तहत 250 मिलियन डॉलर की दूसरी किश्त वित्तीय वर्ष 2021 के लिये उपलब्ध कराई जाएगी।
- ध्यातव्य है कि इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव और विश्व बैंक की ओर से भारत के निदेशक जुनैद अहमद द्वारा हस्ताक्षर किये गए।
- आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के अनुसार, मौजूदा और भविष्य के संकटों का सामना करने के लिये कमजोर और संवेदनशील वर्गों हेतु एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली काफी महत्वपूर्ण है।
- विश्व बैंक के वित्त पोषण का पहला चरण 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana-PMGKY) के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जाएगा।
 - ◆ पहले चरण के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfers-DBT) जैसे पहले से मौजूद राष्ट्रीय कार्यक्रमों का उपयोग करके आम लोगों को बड़े पैमाने पर नकद हस्तांतरण और खाद्य लाभ आदि प्रदान किये जाएंगे।
 - ◆ साथ ही इस चरण के तहत COVID-19 राहत प्रयासों में शामिल आवश्यक श्रमिकों के लिये मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा संवेदनशील समूहों, विशेष रूप से प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों को लाभांशित करने का कार्य भी किया जाएगा।
- वहीं दूसरे चरण में वित्त पोषण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के लिये किये जा रहे प्रोत्साहनों को और मजबूत किया जाएगा, जिससे आम लोगों और संवेदनशील वर्ग को लाभ प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।
- इस घोषणा के बाद COVID-19 से लड़ने के लिये विश्व बैंक द्वारा भारत को दी गई मदद की राशि 2 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई है। बीते महीने भी विश्व बैंक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिये 1 बिलियन डॉलर के समर्थन की घोषणा की गई थी।

क्यों महत्वपूर्ण है यह वित्त पोषण कार्यक्रम ?

- इस वित्त पोषण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण निवेश है क्योंकि आँकड़ों के अनुसार, भारत की लगभग आधी आबादी प्रतिदिन 3 डॉलर से भी कम कमाती है, जिसके कारण वे गरीबी रेखा के काफी करीब हैं।
- आँकड़ों के मुताबिक, भारत की 90 प्रतिशत से अधिक कार्यशील जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिन्हें अवकाश और सामाजिक बीमा जैसे कार्यस्थल आधारित सामाजिक सुरक्षा लाभ तक प्राप्त नहीं होते हैं।
- उल्लेखनीय है कि 9 मिलियन से अधिक प्रवासी मजदूर और कामगार, जो प्रत्येक वर्ष कार्य और एक अच्छे सामाजिक जीवन की तलाश में राज्य की सीमाओं को पार करते हैं, वे भी अधिक मौजूदा समय में गंभीर जोखिम का सामना कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय राज्यों में अधिकांश सहायता कार्यक्रमों का लाभ राज्य की सीमा के भीतर मौजूदा निवासियों को ही मिलते हैं।
- ध्यातव्य है कि COVID-19 महामारी के कारण दुनिया भर के विभिन्न देशों में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे उपायों को लागू करना अनिवार्य हो गया है।
 - ◆ जहाँ एक ओर इनके माध्यम से कोरोनावायरस के तीव्र प्रसार को रोका जा सका है, वहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की नौकरी पर देखने को मिला है।
- भारत भी इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं और भारत में भी ये प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले हैं। अतः मौजूदा समय में नकद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा संबंधी लाभ गरीबों और संवेदनशील वर्गों के लिये काफी महत्वपूर्ण हैं।

आगे की राह

- उल्लेखनीय है कि COVID-19 महामारी ने भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में मौजूद विभिन्न खामियों को उजागर किया है, ऐसे में आवश्यक है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में प्रयास करें।
- यह कार्यक्रम भारत सरकार के प्रयासों को एक अधिक समेकित वितरण मंच का निर्माण करने की दिशा में सहायता प्रदान करेगा, जिससे राज्य की सीमाओं के पार ग्रामीण और शहरी आबादी को लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

जम्मू-कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रोसीजर) रूल्स 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificates) जारी करने संबंधी नियम अधिसूचित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि अब प्रदेश में 'जम्मू-कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रोसीजर) रूल्स 2020' [J&K Grant of Domicile Certificate (Procedure) Rules 2020] के आधार पर ही अधिवास प्रमाणपत्र जारी किये जाएंगे।
- नियमों के तहत, अधिवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिये अधिकतम 15 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है, जिसके पश्चात् यदि प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदक को इस संबंध में अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क करने के अधिकार दिये गए हैं।
- इस संदर्भ में अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण के लिये बाध्यकारी होगा और अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को सात दिनों के भीतर लागू करना अनिवार्य होगा।
 - ◆ यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी को दंड के रूप में 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो कि उसके वेतन से लिया जाएगा।
- साथ ही अपीलीय प्राधिकरण के पास पुनरीक्षण शक्तियाँ (Revisional Powers) होंगी।
- अपीलीय प्राधिकरण या तो स्वतः संज्ञान लेकर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा किये गए आवेदन के माध्यम से किसी भी कार्यवाही की वैधता की जाँच कर सकते हैं और संदर्भ में उचित आदेश पारित कर सकते हैं।
- नियमों में एक प्रावधान है कि अधिवास प्रमाणपत्र देने के लिये आवेदन भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किये जा सकते हैं। वहीं सक्षम प्राधिकारी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिवास प्रमाणपत्र भी जारी कर सकते हैं।
- हालाँकि, जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी जिनके लिये स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (Permanent Resident Certificate-PRC) 31 अक्टूबर, 2019 से पूर्व जारी किये गए थे, वे केवल स्थायी निवासी प्रमाणपत्र के आधार पर अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें इस संबंध में किसी विशेष दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
- राज्य प्रशासन द्वारा जारी उक्त नियमों के माध्यम से अधिवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिये एक सरल समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने में मदद मिलेगी।

अधिवास प्रमाणपत्र संबंधी योग्यता

- ध्यातव्य है कि इसी वर्ष अप्रैल माह में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिये नए अधिवास नियम और प्रदेश में रोजगार के लिये पात्रता से संबंधित अधिसूचना जारी की थी।
- सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अधिवास (Domicile) की परिभाषा में उन लोगों को शामिल किया गया है जो जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में 15 वर्ष की अवधि से रह रहे हैं अथवा 7 वर्ष तक वहाँ अध्ययन किया है और जम्मू-कश्मीर स्थित शैक्षणिक संस्थान में 10वीं तथा 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए हैं।
- ध्यातव्य है कि 5 अगस्त से पूर्व, जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A प्रचलन में थे, तब जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य में सभी नौकरियाँ विशेष रूप से राज्य के स्थायी निवासियों के लिये आरक्षित थीं।

अनुच्छेद 370 और 35A

- 17 अक्टूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना तथा इसे एक 'अस्थायी प्रावधान' के रूप में जोड़ा गया था, जिसने जम्मू-कश्मीर को छूट दी थी, ताकि वह अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर सके।
- अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को यह सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य में लागू होने चाहिये।

- अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 से उपजा है और जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से लागू किया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान था, जबकि अनुच्छेद 35A ने राज्य के बाहर के लोगों को जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदने और स्थायी निवासियों के लिये नौकरी आरक्षण सुनिश्चित करने पर रोक लगा दी थी।

डेटा निगरानी और गोपनीयता

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्ट्री' (National Social Registry) का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकार सभी नागरिकों की विस्तृत जानकारी रखने/बनाने और उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में पेश किया गया व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा हेतु डेटा संरक्षण अधिनियम- 2019 भारत का पहला कानूनी ढाँचा है।
- कार्नेगी इंडिया (Carnegie India) द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, नया डेटा संरक्षण बिल ऐसी निगरानी को पूरी तरह से रोकने में कारगर साबित नहीं होगा।
- कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य आपात स्थितियों का हवाला देते हुए सरकार किसी भी राज्य एजेंसी को इस अधिनियम के दायरे से छूट दे सकती है।
- हालाँकि यह अधिनियम निजी कंपनियों और राज्य दोनों पर लागू होता है, लेकिन यह सरकार को छूट के माध्यम से व्यापक शक्ति प्रदान करता है। कार्नेगी इंडिया का तर्क है कि मौजूदा बिल का दुरुपयोग हो सकता है।
- इस अधिनियम की बुनियादी स्वरूप के तहत संग्रहकर्ता केवल उपयोगकर्ता की सहमति से ही डेटा को एकत्र और संसाधित कर सकता है।
- उपयोगकर्ता किसी भी समय सहमति समझौते को वापस ले सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सहमति समझौते डेटा गोपनीयता की रक्षा करते हैं ?
- कई अध्ययनों के अनुसार, अधिकांश उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोगों के लाइसेंस संबंधी समझौतों को सहमति देने से पहले नहीं पढ़ते हैं।
- वर्ष 2011 के आईबीएम के एक अध्ययन के अनुसार, कुछ उपयोगकर्ताओं ने समझौते संबंधी सहमति को पढ़ने के लिये केवल छह सेकंड व्यतीत किये हैं और मात्र 8% उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर इंस्टाल करने से पूर्व समझौते संबंधी सहमति को पढ़ते हैं।

हालिया घटना:

- आरोग्य सेतु एप को लेकर कई विशेषज्ञों ने निजता संबंधी चिंता जाहिर की है। हालाँकि केंद्र सरकार के अनुसार, किसी व्यक्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु लोगों का डेटा उनके फोन में लोकल स्टोरेज में ही सुरक्षित रखा जाएगा तथा इसका प्रयोग तभी होगा जब उपयोगकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएगा जिसकी COVID-19 की जाँच पॉजिटिव/सकारात्मक रही हो।
- विशेषज्ञों का पक्ष:
 - ◆ क्या डेटा एकत्र किया जाएगा, इसे कब तक संग्रहीत किया जाएगा और इसका उपयोग किन कार्यों में किया जाएगा, इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
 - ◆ सरकार ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही कि हालात सुधरने के बाद इस डेटा को नष्ट कर दिया जाएगा।
 - ◆ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिये एकत्रित किये जा रहे डेटा के प्रयोग में लाए जाने से निजता के अधिकार का हनन होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन होगा जिसमें निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है।
 - ◆ जिस तरह आधार नंबर एक सर्विलांस सिस्टम बन गया है और उसे हर चीज से जोड़ा जा रहा है वैसे ही कोरोना वायरस से जुड़े एप्लिकेशन में लोगों का डेटा लिया जा रहा है, जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी डेटा और निजी जानकारियाँ भी शामिल हैं। अभी यह सुनिश्चित नहीं है कि सरकार किस प्रकार और कब तक इस डेटा का उपयोग करेगी।

डेटा और उसका महत्व:

- सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रायः मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर और सर्च हिस्ट्री आदि के लिये डेटा शब्द का उपयोग किया जाता है।
- तकनीकी रूप से डेटा को किसी ऐसी जानकारी के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है।
- गौरतलब है कि यह जानकारी दस्तावेज़, चित्र, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या किसी अन्य प्रारूप में हो सकती है।
- अपने सबसे प्राथमिक स्तर पर कोई भी डेटा 1 और 0 का एक समूह होता है, जिसे बाइनरी डेटा के रूप में जाना जाता है, उदाहरण के लिये 011010101010।
- आज के समय में व्यक्तिगत जानकारी का यह भंडार मुनाफे का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है और विभिन्न कंपनियाँ अपने उपयोगकर्ताओं के अनुभव को सुखद बनाने के उद्देश्य से इसे संग्रहीत कर इसका प्रयोग कर रही हैं।
- सरकार एवं राजनीतिक दल भी नीति निर्माण एवं चुनावों में लाभ प्राप्त करने के लिये सूचनाओं के भंडार का उपयोग करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डेटा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
- हालाँकि यह काफी जोखिमपूर्ण भी होता है क्योंकि हमारे द्वारा दी गई सूचना एक आभासी पहचान निर्मित करती है जिसका प्रयोग हमें नुकसान पहुँचाने के लिये भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्ट्री (National Social Registry):

- राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्ट्री आधार से जुड़ा एक एकल डेटाबेस या एकीकृत डेटाबेस है।
- इसमें प्रत्येक नागरिक धर्म, जाति, आय, संपत्ति, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, रोज़गार, विकलांगता और पारिवारिक स्थिति के विवरण होंगे जिसको आधार संख्या का उपयोग करके तैयार किया जाएगा। यह वास्तविक समय में स्वतः अद्यतन हो जाएगा।

कोणार्क सूर्य मंदिर तथा सौर उर्जा

चर्चा में क्यों ?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौर उर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की ओर से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और विभिन्न ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों, जैसे- सौर वृक्ष (Solar Trees), सौर पेयजल कियोस्क (Solar Drinking Water Kiosks), बैटरी स्टोरेज सहित ऑफ ग्रिड सौर संयंत्रों (Off-grid Solar Power Plants With Battery Storage) की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
- इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (Odisha Renewable Energy Development Agency-OREDA) द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से कोणार्क शहर की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को भी पूरा किया जाएगा।

उद्देश्य:

- ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण ओडिशा के कोणार्क को 'सूर्य नगरी' के रूप में विकसित करना।
- सौर ऊर्जा के आधुनिक उपयोग, प्राचीन सूर्य मंदिर तथा सौर ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देना।

सौर वृक्ष (Solar Trees):

- सौर ऊर्जा 'नवीकरणीय ऊर्जा' उत्पादन का एक अच्छा माध्यम है। किंतु बड़े स्तर पर सौर पैनल स्थापित करने के लिये भूमि की अनुपलब्धता एक सबसे बड़ी बाधा होती है।

- सौर वृक्ष उपर्युक्त समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सौर वृक्ष सामान्य वृक्ष जैसे ही होते हैं जिसमें पत्तियों के रूप में सौर पैनल लगे होते हैं तथा इसकी शाखाएँ धातु की बनी होती हैं।
- सौर वृक्ष सामान्य सौर ऊर्जा संयंत्रों के सापेक्ष 100 गुना कम स्थान घेरता हैं किंतु इन संयंत्रों से उत्पादित मात्रा के समान ही ऊर्जा का उत्पादन करता है।
- उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (Central Mechanical Engineering Research Institute-CMERI) ने सौर वृक्ष का निर्माण किया है, यह सौर वृक्ष 4 वर्ग फीट स्थान घेरता है तथा 3 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन करता है।

ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली (Off-grid Solar systems):

- ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली किसी भी ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इस प्रणाली के साथ एक बैटरी जुड़ा होता है जो सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत को संचित करती है।
- दरअसल 'ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली' में सौर पैनल, बैटरी, चार्ज नियंत्रक, ग्रिड बॉक्स, इन्वर्टर, इत्यादि होता है।
- यह सौर प्रणाली उन क्षेत्रों के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है जहाँ पावर ग्रिड की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

कोणार्क सूर्य मंदिर (Konark Sun Temple):

- बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है।
- रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है और सात घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है।
- कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था।
- ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को (UNESCO) ने वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) इस मंदिर का संरक्षक है।

दवा अनुमोदन प्रक्रिया में तीव्रता की आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दवा की अनुमोदन प्रक्रिया (Approval Process) को सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से गठित समिति की एक बैठक बुलाई है।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर देश में नई दवा के अनुमोदन की सुधार प्रक्रिया में तेजी लाना अनिवार्य हो गया है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में COVID-19 संक्रमण का आँकड़ा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिये रेमेडिसिविर (Remdesivir) और फेवीपिरवीर (Favipiravir) जैसी दवाओं की तत्काल आवश्यकता है।
- ऐसे में देश में क्लीनिकल ट्रायल की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ नई दवाओं के विपणन अनुमोदन (Marketing Approval) में भी तेजी लाने की आवश्यकता है।

काफी लंबी है विपणन अनुमोदन की प्रक्रिया

- वर्तमान में भारत में किसी भी नई दवा के अनुमोदन (Approval) की सामान्य समय सीमा लगभग छह से नौ महीने की है, यहाँ तक कि उन दवाओं के लिये भी इतना ही समय लगता है जिन्हें किसी अन्य देश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।
- दवा के क्लीनिकल ट्रायल की सफलता के बाद दवा निर्माता सभी प्रासंगिक डेटा के साथ नियामक एजेंसियों के समक्ष विपणन अनुमोदन के लिये आवेदन करता है।

- किसी दवा के क्लीनिकल ट्रायल में ही अनुमानतः 3 वर्ष से 10 वर्ष का समय लगता है, हालाँकि मौजूदा महामारी को देखते हुए इस समयावधि को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- ये नियामक एजेंसियाँ सभी देशों में दवाओं के विनियमन हेतु एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं। यही एजेंसियाँ किसी दवा के विपणन का अनुमोदन देती हैं और यही एजेंसियाँ संदेह अथवा विवाद की स्थिति में दवाओं के विपणन अनुमोदन को रद्द करती हैं।
- भारत में यह कार्य केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation- CDSCO) द्वारा संपन्न किया जाता है।

समाधान

- प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी दवा निर्माता कंपनी को अपना प्रस्ताव एक विषय विशेषज्ञ समिति (Subject Expert Committee- SEC) के समक्ष समीक्षा के लिये प्रस्तुत करना होता है।
- विदित है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) ने हाल ही में एक प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका, यूरोपीय देशों और कनाडा तथा जापान जैसे देशों द्वारा पहले ही अनुमोदित दवाओं को CDSCO द्वारा SEC के समक्ष प्रस्तुत किये बिना ही मंजूरी दी जानी चाहिये।
- इसके अतिरिक्त 'ऑर्फन ड्रग' (Orphan Drugs) को इस प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। 'ऑर्फन ड्रग' वे दवाएँ होती हैं, जिनका निर्माण काफी दुर्लभ रोगों के इलाज के लिये किया जाता है, और बिना सरकारी सहायता के इन दवाओं का निर्माण दवा निर्माता के लिये नुकसानदायक हो सकता है।

क्लीनिकल ट्रायल का अर्थ

- क्लीनिकल ट्रायल (नैदानिक परीक्षण) का अभिप्राय ऐसे शोध या अध्ययन से होता है, जिनका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कोई चिकित्सकीय प्रणाली, दवा या कोई चिकित्सकीय उपकरण मनुष्य के लिये सुरक्षित और प्रभावी है अथवा नहीं।
- इन शोधों का उद्देश्य अनुसंधान होता है, अतः इनके लिये सख्त वैज्ञानिक मानकों का पालन किया जाता है।
- ऐसे परीक्षणों की शुरुआत आमतौर पर एक नए विचार या प्रयोग से होती है और उसके आशाजनक पाए जाने पर परीक्षण पशु पर किया जाता है।
- पशु पर क्लीनिकल परीक्षण का उद्देश्य यह जानना होता है कि कोई दवा या चिकित्सा पद्धति जीवित शरीर पर क्या प्रभाव छोड़ती है अथवा वह हानिकारक तो नहीं है।
- हालाँकि जो परीक्षण प्रयोगशाला में अथवा जानवरों पर सकारात्मक परिणाम देते हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि वे मनुष्यों पर भी वही परिणाम दें। अतः इनका मनुष्यों पर भी परीक्षण आवश्यक है।
- पशुओं और मनुष्यों पर किये जाने वाले क्लीनिकल ट्रायल सदैव से ही संपूर्ण विश्व में विवाद का विषय रहे हैं।
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation- CDSCO) भारतीय दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के लिये एक राष्ट्रीय विनियामक निकाय है।
- CDSCO को दवाओं के अनुमोदन, क्लीनिकल परीक्षणों के संचालन, दवाओं के मानक तैयार करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य दवा नियंत्रण संगठनों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने जैसे कार्य सौंपे गए हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

चुनावी भ्रष्टाचार का मुद्दा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य के शिक्षा व कानून मंत्री भूपेन्द्र सिंह चूड़ास्मा (Bhupendrasinh Chudasama) की विधानसभा सदस्यता व उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- भूपेन्द्र सिंह चूड़ास्मा गुजरात की धौलका विधानसभा (Dholka constituency) से अपने प्रतिद्वंदी से मात्र 327 मतों से विजयी हुए थे।
- धौलका विधानसभा क्षेत्र से चूड़ास्मा के प्रतिद्वंदी अश्विन राठौड़ ने गुजरात उच्च न्यायालय में चूड़ास्मा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी ने अवैध तरीके से 429 पोस्टल बैलेट को निरस्त कर दिया था। जिससे चुनाव का परिणाम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था।

गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय

- गुजरात उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि रिटर्निंग अधिकारी के अनुसार, चुनाव के दौरान कुल 1356 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए जिनमें मतों की गिनती के समय 429 पोस्टल बैलेट को निरस्त कर दिया गया था।
- न्यायालय ने कहा कि साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह पाया गया कि निरस्त करने से पहले 429 पोस्टल बैलेट को न तो किसी उम्मीदवार को दिखाया गया, न याचिकाकर्ता को और न ही चुनाव पर्यवेक्षक को दिखाया गया।
- साक्ष्यों में यह भी पाया गया कि रिटर्निंग अधिकारी ने अंतिम परिणाम की गणना करते समय फॉर्म-20 पर भी 429 पोस्टल बैलेट को रद्द करने संबंधी कार्य को नहीं दर्शाया था।

पोस्टल बैलेट

- ऐसा व्यक्ति किसी शासकीय सेवा में कार्यरत होने के कारण अथवा दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिक होने के कारण मतदान केंद्र तक पहुँचने में असमर्थ हैं। उन लोगों को डाकपत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना ही पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) कहलाता है।
- रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निरस्त किये गए पोस्टल बैलेट (429) की संख्या जीत के अंतर (327) से अधिक होने के कारण निश्चित रूप से यह सिद्ध होता है कि रिटर्निंग अधिकारी के निर्णय से चुनाव की शुचितता व परिणाम प्रभावित हुआ।
- उपरोक्त कारणों के आधार पर गुजरात उच्च न्यायालय ने चूड़ास्मा का निर्वाचन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (घ) (iv) के तहत शून्य घोषित कर दिया।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

- चुनावों का वास्तविक आयोजन कराने संबंधी सभी मामले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (People's Representative Act), 1951 के प्रावधानों के तहत आते हैं।
- इस कानून की धारा 169 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1961 बनाए हैं।
- इस कानून और नियमों में सभी चरणों में चुनाव आयोजित कराने, चुनाव कराने की अधिसूचना के मुद्दे, नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जाँच, उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना, चुनाव कराना, मतगणना और घोषित परिणाम के आधार पर सदनों के गठन के लिये विस्तृत प्रावधान किये गए हैं।

COVID-19 के कारण टीकाकरण में बाधा

चर्चा में क्यों ?

‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ (World Health Organization-WHO) और ‘संयुक्त राष्ट्र बाल कोष’ (United Nations Children's Fund-UNICEF) की रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 से उत्पन्न समस्याओं के कारण एक वर्ष से कम आयु के लगभग 80 मिलियन बच्चों का जीवन जोखिम में है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण खसरा (Measles), पोलियो (Polio) और हैजा (Cholera) सहित अन्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, खसरा, पोलियो, हैजा जैसे रोगों के उन्मूलन हेतु दशकों से चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न होने से आने वाले दिनों में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- अप्रैल, 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य सहयोगी संगठनों ने COVID-19 के मद्देनजर अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिये पोलियो अभियान को रोकने हेतु सुझाव दिये थे।
- दरअसल पोलियो जैसे अभियानों में लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं जिसके कारण इन अभियानों में COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु 'सोशल डिस्टेंसिंग' (Social Distancing) नियम का उल्लंघन होगा।
- हाल ही में जारी एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, 65 से अधिक देशों में मार्च और अप्रैल के दौरान खसरा, पोलियो, हैजा जैसे रोगों के उन्मूलन हेतु टीकाकरण कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था या आंशिक रूप से चलाया जा रहा था।
- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 के दौरान सुरक्षित रूप से टीकाकरण सेवाएँ बहाल करने के संबंध में एक दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।
- UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक देशों में लॉकडाउन तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी के कारण वैक्सिन के वितरण में विलंब हुआ है।

अफ्रीकी देशों की स्थिति:

- उल्लेखनीय है कि अफ्रीका में एक दर्जन से अधिक देशों ने इस वर्ष पोलियो के प्रसार की सूचना दी है।
- रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि 38 देशों में चलाए जा रहे पोलियो संबंधित 46 अभियानों को रोक दिया गया है। साथ ही 27 देशों में खसरा अभियान को भी रोका गया है।
- ध्यातव्य है कि अफ्रीका के 40 से अधिक देशों ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है, हालाँकि कुछ देशों ने कार्गो और आपातकालीन परिवहन की अनुमति दी है।

भारत की स्थिति:

- यदि किसी देश में लगातार तीन वर्षों तक एक भी पोलियो का मामला नहीं आता, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन उसे 'पोलियो मुक्त देश' घोषित कर देता है।
- भारत में पोलियो का अंतिम मामला जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया था। जिसके पश्चात् लगातार नजर रखी गई है।
- इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को वर्ष 2014 में 'पोलियो मुक्त देश' घोषित कर दिया।
- भले ही भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, परंतु भारत के पड़ोसी देशों में अभी भी यह एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जिसका स्पष्ट प्रभाव भारत पर देखने को मिल सकता है।

मेरा पानी मेरी विरासत' योजना

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के किसानों द्वारा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई 'मेरा पानी मेरी विरासत' (Mera Pani Meri Virasat) योजना के विरुद्ध 'ट्रेक्टर मार्च' निकाला गया। किसानों द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को 'किसान बचाओ-खेती बचाओ' (Kisan Bachao-Kheti Bachao) अभियान नाम दिया गया है।

'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना (Mera Pani Meri Virasat) Scheme

- हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से 'मेरा पानी मेरी विरासत' (Mera Pani Meri Virasat) योजना की शुरुआत की गई है।
 - ◆ इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पानी की अधिक खपत वाले धान के स्थान पर ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करेगी जिनके लिये कम पानी की आवश्यकता होती है।
 - ◆ योजना के तहत, आगामी खरीफ सीजन के दौरान धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों की बुवाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति एकड़ 7,000 रुपए भी दिये प्रदान किये जाएंगे।

योजना में शामिल क्षेत्र:

- इस योजना में रतिया, सीवन, गुहला, पिपली, शाहाबाद, बाबैन, इस्माइलाबाद और सिरसा सहित आठ ब्लॉक शामिल हैं।
- ◆ ये आठ ब्लॉक धान समृद्ध क्षेत्रों में शामिल है जहाँ भूजल स्तर की गहराई 40 मीटर से अधिक है।
- वर्ष 2019 में इन आठ ब्लॉकों द्वारा कुल 2,06,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती की गई थी।
- वर्ष 2020 में सरकार का लक्ष्य इन ब्लॉकों के 50% धान क्षेत्र (1,03,000 हेक्टेयर) में धान को मक्का, कपास, बाजरा और दलहन सहित वैकल्पिक फसलों के साथ प्रतिस्थापित करना है।

किसानों द्वारा योजना के विरोध के कारण:

- विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों का मत है कि राज्य सरकार को यह तय करने का निर्णय किसानों पर छोड़ देना चाहिये कि वे अपने खेत में कौन-सी फसल फसल उगाएँ।
- इसके अलावा किसानों का तर्क यह भी है कि मक्का जैसी वैकल्पिक फसल बोने के लिये ब्लॉक के अधिकांश हिस्सों की मिट्टी/मृदा और जलवायु अनुकूल स्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं।
- इसके अलावा, सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी पर्याप्त नहीं है।

आरोग्य सेतु एप अब ओपन सोर्स**चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'आरोग्य सेतु एप' को उपयोगकर्ताओं को 'ओपन-सोर्स' (Open-Source) के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'आरोग्य सेतु एप' का एंड्रॉयड संस्करण पहले से उपलब्ध है जबकि आईओएस (iPhone Operating System- iOS) संस्करण अगले दो सप्ताह में जारी किया जाएगा तथा सर्वर कोड बाद में जारी किया जाएगा।
- सरकार के अनुसार, आरोग्य सेतु एप के 98% उपयोगकर्ता एंड्रॉयड फोन का उपयोग करते हैं।

आरोग्य सेतु एप:

- आरोग्य सेतु एप को 'सार्वजनिक-निजी साझेदारी' (Public-Private Partnership- PPP) के जरिये तैयार एवं गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया है।
- इस एप का मुख्य उद्देश्य COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है।
- एक बार स्मार्टफोन में इन्स्टॉल होने के पश्चात् यह एप नजदीक के किसी फोन में आरोग्य सेतु के इन्स्टॉल होने की पहचान कर सकता है।

ओपन सोर्स का अर्थ:

- ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डेवलपर्स द्वारा; जिसने सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है, सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड (वह कोड जिससे प्रोग्राम बनता है) को एक लाइसेंस के साथ सभी के लिये सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाता है।
- जिसमें अन्य सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तथा एप उपयोगकर्ता आवश्यक सुधार कर सकते हैं।

ओपन सोर्स का महत्त्व:

- अप्रैल, 2020 में जब से आरोग्य सेतु एप को लॉन्च किया गया है, तब से उपयोगकर्ता की गोपनीयता एवं सुरक्षा संबंधी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ओपन सोर्स के निर्माण से पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
- एप के माध्यम से यदि उपयोगकर्ता यह जानना चाहता है कि वह COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया है या नहीं, इसके लिये एप्लिकेशन, ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा का उपयोग करता है। अतः कई डेवलपर्स और शोधकर्ता एप के ट्रेसिंग एप्लिकेशन हटाने की मांग कर रहे थे।

- भारत सरकार ने आरोग्य सेतु एप के एंड्रॉइड संस्करण को ओपन सोर्स बना दिया है, जिसका अर्थ है कि डेवलपर्स एप के स्रोत कोड का निरीक्षण करने तथा आवश्यक संशोधन करने में सक्षम होंगे।
- सार्वजनिक डोमेन में स्रोत कोड जारी करने से मजबूत और सुरक्षित प्रौद्योगिकी का निर्माण करने में सहायता मिलेगी।

ओपन सोर्स निर्माण की दिशा में कदम:

- ओपन सोर्स के विकास को 'राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र' (National Informatics Centre- NIC) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। सभी कोड सुझावों को समीक्षा के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।
- भारत सरकार ने 'आरोग्य सेतु एप' को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिये डेवलपर्स से एप की कमियों तथा कोड सुधार में मदद करने का अनुरोध किया है।
- सरकार ने आरोग्य सेतु की सुरक्षा का परीक्षण करने के उद्देश्य से 'बग बाउंटी कार्यक्रम' (Bug Bounty Programme) शुरू किया है।

बग बाउंटी कार्यक्रम (Bug Bounty Programme):

- 'बग बाउंटी कार्यक्रम' का उद्देश्य भारतीय डेवलपर्स समुदाय को एप की सुरक्षा खामियों को खोजने के लिये प्रोत्साहित करना है। विजेताओं को 1 लाख रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा।
- कार्यक्रम का आयोजन MyGov टीम द्वारा किया गया है, जो सरकार के डिजिटल कार्यक्रमों को नागरिकों तक एप के माध्यम से पहुँचाने का काम देखती है।
- आरोग्य सेतु एप में सुधार का सुझाव देने के लिये अतिरिक्त 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।

आगे की राह:

- 114 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किये जा रहे उत्पाद का स्रोत कोड जारी करना चुनौतीपूर्ण है, तथापि स्रोत कोड को विकसित करना और बनाए रखना 'टीम अरोग्य सेतु' और डेवलपर्स की जिम्मेदारी है।

भारतीय श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation-ILO) ने भारत में श्रम कानूनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में राज्यों को स्पष्ट संदेश देने का आग्रह किया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि हाल ही में देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संघों ने पत्र के माध्यम से देश में श्रम कानूनों के निलंबन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के समक्ष उठाया था और साथ ही इस विषय पर ILO के हस्तक्षेप की मांग की थी।
- ILO की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कुछ अन्य राज्यों ने आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति का हवाला देते हुए आगामी 2-3 वर्षों के लिये बड़ी संख्या में श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है।

श्रम कानूनों का अर्थ और भारत में श्रम कानून

- श्रम कानूनों का अभिप्राय कानून के उस खंड से होता है, जो रोजगार, पारिश्रमिक, कार्य की शर्तों, श्रम संघों और औद्योगिक संबंधों जैसे मामलों पर लागू होते हैं।
- श्रमिक, समाज के विशिष्ट समूह होते हैं। इस कारण श्रमिकों के लिये बनाए गए विधान, सामाजिक विधान की एक अलग श्रेणी में आते हैं।
- 'श्रम' भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची (Concurrent List) का एक विषय है। राज्य विधानमंडल श्रम कानूनों को लागू कर सकते हैं, किंतु उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
- अनुमान के अनुसार, देश में श्रम से संबंधित 200 से अधिक राज्य कानून हैं और 50 केंद्रीय कानून हैं, हालाँकि इसके बावजूद देश में 'श्रम कानूनों' की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है।

- सामान्य तौर पर भारतीय श्रम कानूनों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है- (1) कार्य स्थिति से संबंधित श्रम कानून (2) मजदूरी और पारिश्रमिक से संबंधित श्रम कानून (3) सामाजिक सुरक्षा से संबंधित श्रम कानून (4) रोजगार सुरक्षा एवं औद्योगिक संबंध से संबंधित श्रम कानून।

भारतीय श्रम कानूनों की आलोचना

- विशेषज्ञ भारतीय श्रम कानूनों को आमतौर पर 'अनम्य' (Inflexible) के रूप में परिभाषित करते हैं।
 - ◆ उदाहरण के लिये कुछ आलोचक तर्क देते हैं कि भारतीय श्रम कानूनों के कारण ही कुछ कंपनियाँ (जिनमें 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं) नए श्रमिकों को रोजगार देने से हिचकिचाती हैं, क्योंकि फिर उन्हें श्रमिकों को काम से हटाने के लिये सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- आँकड़े दर्शाते हैं कि श्रम कानूनों की 'अनम्यता' के कारण ही देश के संगठित क्षेत्र में भी औपचारिक अनुबंध के बिना श्रमिकों को रोजगार देने की संस्कृति बढ़ती जा रही है।
 - ◆ इसके कारण एक ओर तो संगठन के विकास में बाधा आती है तो दूसरी श्रमिकों को भी रोजगार सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है।
- श्रम कानूनों की आलोचना करते हुए यह भी तर्क दिया जाता है कि देश में इस प्रकार के कानूनों की संख्या काफी अधिक है, जिसके कारण अक्सर अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होती है और इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- इस प्रकार यदि भारत में श्रम कानूनों की संख्या कम होगी और उन्हें आसानी से लागू किया जा सकेगा, तो कंपनियाँ बाजार के अनुरूप विस्तार कर सकेंगी और औपचारिक अनुबंध करने में सक्षम होंगी, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

श्रम कानूनों में हुए हालिया परिवर्तन

- COVID-19 महामारी के बीच, उत्पादन और मांग में कमी होने के कारण देश के अधिकांश उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिये अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना काफी चुनौतीपूर्ण बन गया है।
- उद्योगों की इस तनावपूर्ण स्थिति को संबोधित करने के लिये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कुछ अन्य राज्यों ने अपने-अपने श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव किये हैं और उन्हें कुछ समय के लिये निलंबित कर दिया है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिये कुछ प्रमुख श्रम कानूनों को छोड़कर लगभग 35 श्रम कानूनों के प्रावधानों से व्यवसायों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
 - ◆ हालाँकि, बंधुआ मजदूरी, बच्चों व महिलाओं के नियोजन संबंधित श्रम अधिनियम और वेतन संदाय अधिनियम से संबंधित कानूनों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भी अगले 1000 दिनों के लिये कई श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है।
- मध्यप्रदेश द्वारा किये गए बदलावों के अनुसार, नियोक्ता अपने कर्मचारियों की सहमति से कारखानों में कार्य की अवधि 8 से 12 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। सप्ताह में ओवरटाइम की अवधि अधिकतम 72 घंटे तक सुनिश्चित की जाएगी।
- वहीं श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में नियोक्ता को दंड से भी छूट प्रदान की गई है।

श्रम कानूनों में बदलाव की आलोचना

- विभिन्न श्रम संघों ने उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश सरकारों द्वारा लिये गए निर्णय की आलोचना की है और चेतावनी दी है कि यदि इन निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है तो श्रम कानूनों के मामले में भारत तकरीबन 100 वर्ष पीछे चला जाएगा।
- विभिन्न विशेषज्ञों ने राज्य सरकारों के इन निर्णयों को श्रमिकों के 'शोषण हेतु एक सक्षम वातावरण निर्मित करने' के कदम के रूप में परिभाषित किया है।
- श्रम कानूनों का निलंबन राज्यों में श्रमिकों के लिये गुलाम जैसी परिस्थितियों को जन्म देगा, जो कि स्पष्ट रूप से श्रमिकों के मानवाधिकार का उल्लंघन है।
- विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने राज्य सरकार के इस निर्णय को 'श्रमिक वर्ग पर गुलामी की स्थिति लागू करने के लिये एक क्रूर कदम' करार दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और श्रम कानून

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का आधार त्रिपक्षीय सिद्धांत है, जिसके तहत संगठन के भीतर आयोजित होने वाली वार्ताओं में सरकारों, श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और सदस्य राष्ट्रों के नियोक्ताओं को एक मंच पर लाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे- महामंदी आदि में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

‘नेशनल करियर सर्विस’ (National Career Service- NCS) और ‘टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईओएन’ (Tata Consultancy Services ION) की संयुक्त पहल से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिये निःशुल्क ऑनलाइन ‘करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम’ (Career Skills Training) शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि ‘करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम’ द्वारा उम्मीदवारों के व्यक्तित्व का विकास तथा वर्तमान में उद्योगों में कौशल की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘नेशनल करियर सर्विस’ पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
- ‘नेशनल करियर सर्विस’ पोर्टल पर रोजगार संबंधी सभी सेवाएँ जैसे कि रोजगार की खोज, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास, प्रशिक्षण, इंटरनेट, आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी।
- ‘नेशनल करियर सर्विस’ पोर्टल पर लगभग 1 करोड़ सक्रिय नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार और लगभग 54 हजार नियोक्ता पंजीकृत हैं। साथ ही पोर्टल के माध्यम से लगभग 73 लाख नियुक्तियाँ की गई हैं।
- देशभर में 1000 रोजगार कार्यालयों (जिनमें 200 मॉडल करियर केंद्र) को ‘नेशनल करियर सर्विस’ पोर्टल से जोड़ा गया है।
- नौकरी खोजने वालों के लिये ‘नेशनल करियर सर्विस’ पोर्टल के मुख्य पेज पर ही ‘घर से काम करने वाली नौकरियाँ (Work from Home Jobs) और ‘ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम’ का एक विशेष लिंक भी बनाया गया है।
- इस पोर्टल पर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिये वीडियो प्रोफाइल बनाने की भी सुविधा प्रदान की गई है। इस वीडियो प्रोफाइल क्लिप के माध्यम से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार नियोक्ताओं को अपनी कार्यक्षमता दिखा सकते हैं।

अन्य पहल:

- इस निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा COVID-19 के कारण लागू लॉकडाउन से श्रम बाजार में उत्पन्न चुनौतियों को कम करने हेतु अन्य पहल भी किये गए हैं जैसे-
 - ◆ नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और नियोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करने के लिये ऑनलाइन नौकरी मेलों का आयोजन किया गया जहाँ नौकरियाँ प्रकाशित करने से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक की पूर्ण प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जा सकेगी।
 - ◆ लॉकडाउन की अवधि के दौरान अब तक 76 ऑनलाइन नौकरी मेलों का आयोजन किया जा चुका है।

निष्कर्ष:

- 'करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम' के माध्यम से रोजगार सृजन में वृद्धि होगी साथ ही यह कार्यक्रम नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को वर्तमान में उद्योगों की मांग को समझने में मददगार साबित होगा। आज जहाँ रोजगार के सीमित अवसर दिख रहे हैं वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल तकनीक के विस्तार ने चुनौतियाँ और भी बढ़ा दी हैं, इन चुनौतियों से निपटने में यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हो सकता है।

नेशनल करियर सर्विस (National Career Service- NCS):

- 20 जुलाई, 2015 को 'नेशनल करियर सर्विस' की शुरुआत की गई थी। यह एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना (Five Year Mission Mode Project) है।
- यह पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) के अधीन है।
- नेशनल करियर सर्विस भारत के नागरिकों को रोजगार और कैरियर संबंधी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
- यह पोर्टल नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और नियोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में कार्य करता है।



आर्थिक घटनाक्रम

वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर COVID- 19 महामारी का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' (International Energy Agency- IEA) ने वैश्विक ऊर्जा मांग और CO₂ उत्सर्जन पर 'वन्स-इन-ए-सेंचुरी क्राइसिस' (Once-in-a-Century Crisis) नामक रिपोर्ट जारी की है।

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, लॉकडाउन के कारण प्रति सप्ताह ऊर्जा की मांग में औसतन 25% तक गिरावट देखी जा रही है।
- भारत में लॉकडाउन के परिणामस्वरूप ऊर्जा मांग में 30% से अधिक की कमी देखी गई।
- वर्ष 2020 में COVID- 19 महामारी के कारण वैश्विक ऊर्जा की मांग में वर्ष 2008 के वित्तीय संकट की तुलना में सात गुना अधिक तक कमी देखी जा सकती है।

वैश्विक ईंधन मांग पर प्रभाव:

- तेल की मांग:
 - ◆ वर्ष 2020 में तेल की कीमतों में औसतन 9% या इससे अधिक की गिरावट हुई है तथा तेल की खपत वर्ष 2012 के स्तर पर पहुँच सकती है।
- कोयले की मांग:
 - ◆ कोयले की मांग में 8% तक की कमी हो सकती है, क्योंकि बिजली की मांग में लगभग 5% कमी देखी जा सकती है।
- गैस की मांग:
 - ◆ बिजली और औद्योगिक कार्यों में गैस की मांग कम होने से वर्ष 2020 की पहली तिमाही की तुलना में आने वाली तिमाही में और अधिक गिरावट देखी जा सकती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा मांग:
 - ◆ परिचालन लागत कम होने तथा बिजली की आसान पहुँच को लॉकडाउन के दौरान तरजीह देने के कारण नवीकरणीय ऊर्जा मांग बढ़ने की उम्मीद है।

COVID-19 का CO₂ उत्सर्जन पर प्रभाव:

- द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से पहली बार वर्ष 2020 में CO₂ उत्सर्जन में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। क्योंकि वर्ष 2020 की पहली तिमाही में कार्बन-गहन ईंधन की मांग में बहुत अधिक गिरावट देखी गई है।
- वैश्विक CO₂ उत्सर्जन में, वैश्विक ऊर्जा मांग की तुलना में अधिक गिरावट हुई। वर्ष 2020 की पहली तिमाही में कार्बन उत्सर्जन वर्ष 2019 की तुलना में पाँच प्रतिशत कम रहा।

भारत की ऊर्जा मांग:

- भारत की ऊर्जा मांग में 30% से अधिक की कमी देखी है। तथा लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर, प्रति सप्ताह के साथ ऊर्जा मांग में 0.6% की गिरावट हो सकती है।

ऊर्जा मांग में कमी के निहितार्थ:

- ऊर्जा उद्योग:
 - ◆ ऊर्जा उद्योग की मूल्य श्रृंखलाएँ (Value Chains) वित्तीय रूप से प्रभावित हो सकती हैं। अधिकांश ऊर्जा कंपनियों के राजस्व में कमी देखी जा सकती है क्योंकि एक तरफ तो ऊर्जा उत्पादों यथा- तेल, गैस, कोयला और बिजली आदि की मांग में कमी हुई है दूसरी तरफ इन उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है।
- ऊर्जा सुरक्षा:
 - ◆ तेल की आपूर्ति और मांग में व्यापक बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाले आर्थिक और वित्तीय व्यवधान के कारण उद्योगों की उत्पादन क्षमता में बहुत कमी आ सकती है तथा इससे देशों की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगी।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA):

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) एक स्वायत्त संगठन है जिसके वर्तमान में 30 सदस्य देश तथा 8 सहयोगी देश हैं। इसकी स्थापना (वर्ष 1974 में) वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी

मिशन:

- सभी के लिये भविष्य में सुरक्षित और स्थायी ऊर्जा की उपलब्धता हो।

सदस्यता:

- IEA की सदस्यता के लिये उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य होना आवश्यक है। इसके अलावा देश को अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है।
- भारत को वर्तमान में सहयोगी सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है।
- 'वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक' (World Energy Outlook- WEO) रिपोर्ट 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' द्वारा जारी की जाती है।

आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'आयुष मंत्रालय' (Ministry of Ayush) तथा 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय' (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) द्वारा आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु 'आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम' (Ayush Entrepreneurship Development Programme) की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- ध्यातव्य है कि भारत की आयुष प्रथाएँ भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने में मददगार साबित हो सकती हैं क्योंकि उपचार के ये वैकल्पिक तरीके भारत में सदियों से प्रचलित हैं।
- गौरतलब है कि 'आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम' के माध्यम से इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- इस कार्यक्रम के तहत भारतीय आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग एवं सिद्ध पद्धतियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही उद्यमियों को विदेशों में क्लीनिक/आउटलेट खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि आयुष क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।
- वैश्विक स्तर पर आयुर्वेदिक उपचार और योग की बढ़ती मांग को देखते हुए इस कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार तथा योग ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- प्रशिक्षित योग विशेषज्ञों/प्रशिक्षकों की मदद से संस्थानों में आयुर्वेदिक उपचार और योग संबंधित पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
- आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आयुष मंत्रालय एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना बनाई गई है। हाल ही में दोनों मंत्रालयों ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये हैं।

- आयुष के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
 - ◆ अहमदाबाद, हुबली, त्रिशूर, सोलन, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कन्नूर, करनाल, कोलकाता एवं नागपुर।
- आयुष क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु अधिकारियों द्वारा आयुष क्लस्टरों की पहचान एवं मूल्यांकन कर उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाओं से जोड़ा जाएगा:
 - ◆ खरीद और विपणन सहायता योजना
 - ◆ उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम
 - ◆ पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिये कोष की योजना/स्फूर्ति योजना
 - ◆ क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
 - ◆ हब एंड स्पोक मॉडल

कार्यक्रम के लाभ:

- भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ ही साथ आयुष क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
- आयुष क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- रोजगार में वृद्धि होगी।
- वन/ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास होगा।

आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush):

- 9 नवंबर, 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी।
- इसके पहले यह भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (Indian System of Medicine and Homeopathy- ISMH) विभाग के रूप में जाना जाता था, जिसे मार्च 1995 में स्थापित किया गया था।
- वर्ष 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष) रखा गया।
- आयुष मंत्रालय का उद्देश्य आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में 6.5% की गिरावट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, मार्च 2020 में अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख क्षेत्रों में 6.5% की गिरावट (उत्पादन में) दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि मार्च 2020 में इस्पात, विद्युत, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कच्चा तेल तथा रिफाइनरी और पेट्रोलियम उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। हालाँकि कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- ◆ ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आठ प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि दर 0.6% थी, जबकि फरवरी 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि दर 5.5% हो गई थी।
- देशभर में लॉकडाउन की वजह से वस्तुओं का आवागमन प्रभावित होने के साथ ही वस्तुओं की मांग में कमी भी दर्ज की गई है जिसके कारण उत्पादन में कमी आई है।
- उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान विद्युत और इस्पात उत्पादन को छूट प्रदान करने के बावजूद इन क्षेत्रों में गिरावट आई है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production- IIP) में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र की हिस्सेदारी 40.27% है। अतः इन क्षेत्रों में दर्ज की गई गिरावट का असर IIP के आँकड़ों पर भी पड़ना निश्चित है।

- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 'डी.के. श्रीवास्तव' (D.K. Srivastava) के अनुसार, राज्य और केंद्र दोनों सरकारें प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट के कारण कर राजस्व में आई कमी की प्रतिपूर्ति पूंजीगत व्यय में कटौती से कर सकती हैं।

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure):

- जमीन, भवन, मशीनरी, उपकरण, साथ ही शेरों में निवेश जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च की गई धनराशि को पूंजीगत व्यय कहते हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP):

- यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों जैसे- खनिज, खनन, विद्युत, विनिर्माण आदि के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है।
- इसे 'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- IIP एक समग्र संकेतक है जो प्रमुख क्षेत्रों (Core Sectors) उत्पादन एवं उपयोग का आँकड़ा उपलब्ध कराता है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में IIP का आधार वर्ष 2004-05 से परिवर्तित कर वर्ष 2011-2012 कर दिया गया।
- महत्त्व:
 - ◆ IIP का उपयोग वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा नीति-निर्माण के लिये किया जाता है।
 - ◆ IIP त्रैमासिक और अग्रिम जीडीपी अनुमानों की गणना हेतु बेहद प्रासंगिक है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry) के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल आठ प्रमुख क्षेत्रों की भागीदारी निम्नलिखित हैं:

रिफाइनरी उत्पाद (Refinery Products)	28.04%
विद्युत (Electricity)	19.85%
इस्पात (Steel)	17.92%
कोयला (Coal)	10.33%
कच्चा तेल (Crude Oil)	8.98%
प्राकृतिक गैस (Natural Gas)	6.88%
सीमेंट (Cement)	5.37%
उर्वरक (Fertilizers)	2.63%

चीन की डिजिटल मुद्रा

चर्चा में क्यों ?

कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी और वैश्विक वित्तीय संकट के बीच चीन आने वाले समय में विश्व की पहली डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस डिजिटल मुद्रा या डिजिटल युआन को आधिकारिक तौर पर डिजिटल मुद्रा/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (Digital Currency/ Electronic Payment-DC/EP) परियोजना के रूप में जाना जा रहा है।
- चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (People's Bank of China-PBC) के अनुसार, चीन की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का अनुसंधान और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, और चीन के चार शहरों (शेन्झेन, सुज़हौ, चेंगदू और शिंजियांग) में इसका परीक्षण किया जा रहा है।

डिजिटल मुद्रा/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (DC/EP)

- रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन का केंद्रीय बैंक वर्ष 2014 से ही अपनी डिजिटल मुद्रा पर अनुसंधान कर रहा है।
- चीन की यह डिजिटल मुद्रा काफी हद तक बिटकॉइन (Bitcoin) और फेसबुक की डिजिटल मुद्रा लिब्रा (Libra) के समान ही है।
- अन्य डिजिटल मुद्राओं की तरह चीन की इस नई मुद्रा को भी डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet) में संग्रहित किया जा सकेगा।
- चीन की नई डिजिटल मुद्रा और वर्तमान में प्रचलित अन्य डिजिटल मुद्राओं में सबसे प्रमुख अंतर यह है कि चीन की मुद्रा चीन की सरकार और उसके केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित की जाएगी, किंतु मौजूदा डिजिटल मुद्राओं को किसी भी बैंक अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है।
- विदित हो कि चीन ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही अपनी मुद्रा को लेकर कोई विशेष विवरण जारी किया है।

निजी डिजिटल मुद्रा के पक्ष में नहीं है चीन

- चीन सदैव से ही निजी डिजिटल मुद्रा का विरोधी रहा है, विशेषकर जब फेसबुक ने अपनी डिजिटल मुद्रा लिब्रा (Libra) की घोषणा की थी तो चीन के अधिकारियों ने इसे स्वीकृति नहीं दी थी। चीन ने डिजिटल मुद्रा को चीन की संप्रभुता और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये खतरा बताया है।
- चीन का मत है कि डिजिटल मुद्राओं को केवल सरकारों या केंद्रीय बैंकों द्वारा ही प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाना चाहिये।

चीन की डिजिटल मुद्रा का महत्त्व

- विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल मुद्रा से संबंधित इस परियोजना का लक्ष्य ऐसे समय में चीन की अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है जब नई-नई भुगतान प्रणालियाँ प्रचलित हो रही हैं और अर्थव्यवस्था में अवैध धन के प्रवाहित होने की संभावना काफी बढ़ गई है।
- इसके अतिरिक्त चीन की यह डिजिटल मुद्रा दीर्घावधि में चीन की वित्तीय प्रणाली में लेनदेन की दक्षता को सुधारने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
- कई विश्लेषक चीन की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत को डॉलर के वर्चस्व का मुकाबला करने के लिये चीन के एक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे वैश्विक निवेशकों और व्यवसायियों को डॉलर के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में भुगतान करने का विकल्प प्राप्त होगा।
- ◆ चीन अपनी डिजिटल मुद्रा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अमेरिका के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा है, ध्यातव्य है कि दीर्घावधि में चीन की डिजिटल मुद्रा विभिन्न देशों के मध्य सीमा पार लेनदेन के लिये एक अलग निपटान तंत्र विकसित करेगी, जो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम कर सकता है

संबंधित चिंताएँ

- आलोचकों का तर्क है कि चूँकि इस प्रकार की डिजिटल मुद्रा को जारी करने वाले केंद्रीय बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, इसलिये यह आम लोगों की गोपनीयता पर एक गंभीर खतरा है।
- हालाँकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन के केंद्रीय बैंक ने आम लोगों को गोपनीयता प्रदान करने और अवैध लेनदेन पर शिकंजा कसने के मध्य संतुलन स्थापित करने का वादा किया है, किंतु ऐसा करना अपेक्षाकृत काफी चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है।

डिजिटल मुद्रा

- डिजिटल मुद्रा को समझने से पूर्व आवश्यक है कि हम मुद्रा के अर्थ को समझें।
- विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार, मुद्रा का अभिप्राय ऐसी वस्तु से होता है, जिसका प्रयोग जनसाधारण द्वारा वर्तमान तथा भविष्य के भुगतानों के लिये किया जाता है और इसे शासकीय मान्यता प्राप्त होती है।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिजिटल मुद्रा भुगतान की वह विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है और अमूर्त है अथवा डिजिटल मुद्रा, मुद्रा का वह रूप है जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है, न कि भौतिक रूप में।
- डिजिटल मुद्रा अमूर्त होती है और इनका लेनदेन या इनका स्वामित्व केवल इंटरनेट या निर्दिष्ट नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का उपयोग करके ही किया जा सकता है। डिजिटल मुद्रा के विपरीत भौतिक मुद्रा जैसे- बैंक नोट और सिक्के आदि मूर्त होते हैं और इनका लेन-देन केवल उनके धारकों द्वारा ही संभव है, जिनके पास उनका भौतिक स्वामित्व है।

ओपन बजट सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी ओपन बजट सर्वेक्षण (Open Budget Survey) के अनुसार, भारत बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी (International Budget Partnership-IBP) द्वारा किये गए इस सर्वेक्षण में भारत को केंद्रीय बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में 100 में से 49 अंक प्राप्त हुए हैं।
- बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में न्यूजीलैंड को सर्वाधिक 87 अंक प्राप्त हुए हैं और वह इस सर्वेक्षण में 117 देशों में सबसे ऊपर है।
- वहीं सर्वेक्षण में पाकिस्तान को 28 अंक, बांग्लादेश को 36 अंक, चीन को 19 अंक, श्रीलंका को 47 अंक, म्यांमार को 28 अंक और नेपाल को 41 अंक प्राप्त हुए हैं।
- ◆ इस प्रकार भारत को केंद्रीय बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में अपने सभी पड़ोसी देशों से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं।
- सर्वेक्षण के अनुसार, चीन के अपवाद के अतिरिक्त अन्य बड़े विकासशील देशों को भारत की तुलना में पारदर्शिता के लिये काफी अधिक अंक प्राप्त हुए हैं।

सर्वेक्षण में भारत की स्थिति

- यदि इस वैश्विक द्विवार्षिक सर्वेक्षण में भारत के प्रदर्शन की बीते वर्षों से तुलना की जाए, तो पिछले कुछ वर्षों में भारत की स्थिति में काफी ठहराव रहा है।
- ◆ वर्ष 2015 में भारत को केंद्रीय बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले 46 अंक और 2017 में 48 अंक प्राप्त हुए थे। इस प्रकार भारत की स्थिति बीते कुछ वर्षों में एक जैसी रही है और इसमें कुछ विशेष सुधार नहीं हुआ है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी प्रकाशित करने की दिशा में अच्छा कार्य किया है जिसने भारत को कई अन्य देशों से अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद की है।
- हालाँकि, सर्वेक्षण में पाया गया कि प्री-बजट स्टेटमेंट (Pre-Budget Statement) की अनुपस्थिति और 2018-19 में छमाही समीक्षा (Mid-Year Review) नहीं करने के कारण भारत के अंकों में गिरावट आई है।

ओपन बजट सर्वे (Open Budget Survey)

- 117 देशों के इस सर्वेक्षण में कई प्रामाणिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना योग्य संकेतकों के आधार पर 0-100 के पैमाने पर विभिन्न देशों में बजट पारदर्शिता का स्तर निर्धारित किया जाता है।
- इस सर्वेक्षण में प्रत्येक देश की केंद्र या संघीय सरकार के प्रमुख बजट दस्तावेजों की उपलब्धता का मूल्यांकन किया जाता है और यह आकलन किया जाता है कि क्या ये समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक किये जाते हैं अथवा ये व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं या नहीं।

सर्वेक्षण में भारत के लिये सुझाव

- सर्वेक्षण के अनुसार, भारत को बजट प्राथमिकता निर्धारण में आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि आम लोगों के मुद्दों को और अधिक बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सके।
- सर्वेक्षण रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार को एक प्री-बजट स्टेटमेंट भी प्रकाशित करना चाहिये जिसकी विधायकों और जनता द्वारा वार्षिक बजट पेश होने से पूर्व व्यापक जाँच की जा सकती है।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि आम जनता द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित किये गए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण और जवाबदेह तरीके से किया जाए, केंद्रीय बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

बीसीजी वैक्सीन के प्रयोग पर WHO की चिंता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organisation- WHO) महानिदेशक और कुछ अन्य विशेषज्ञों ने COVID-19 से बचाव हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को बीसीजी वैक्सीन (BCG Vaccine) देने से पहले वैक्सीन पर चल रहे 'यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण' (Randomized Controlled Trial- RCT) के परिणामों के आने का इंतजार करने का सुझाव दिया है।

मुख्य बिंदु:

- गौरतलब है कि 28 मार्च, 2020 को 'medRxiv' नामक ऑनलाइन मेडिकल वेबसाइट पर प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 'सार्वभौमिक बीसीजी टीकाकरण' (Universal BCG Vaccination) वाले देशों में COVID-19 संक्रमण और यहाँ तक मृत्युदर भी 'गैर-सार्वभौमिक बीसीजी टीकाकरण' वाले देशों की तुलना में काफी कम थी।
- हालाँकि अभी इस अध्ययन की वैधता की समीक्षा की जानी बाकी है और अभी यह किसी वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया गया है।
- 30 अप्रैल, 2020 को 'लैसेंट' (Lancet) नामक एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से WHO महानिदेशक और कुछ अन्य विशेषज्ञों ने COVID-19 से बचाव हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को बीसीजी वैक्सीन देने से पहले COVID-19 के संदर्भ में इसकी सुरक्षा और प्रभाव को जाँचने हेतु इस वैक्सीन पर चल रहे RCT परीक्षण के परिणामों के आने का इंतजार करने का सुझाव दिया है।
- हालाँकि इस लेख में विशेषज्ञों ने यह संभावना व्यक्त की है कि बीसीजी वैक्सीन, जो भविष्य के संक्रमणों के लिये जन्मजात/प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाती है, संभवतः कोरोनावायरस संक्रमण की तीव्रता, शरीर पर COVID-19 के प्रभावों को कम करने और इस बीमारी से जल्दी ठीक होने में सहायक हो सकती है।
- वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों और COVID-19 की गंभीरता को कम करने में बीसीजी वैक्सीन की भूमिका के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षणों का संचालन किया जा रहा है।

बड़े पैमाने पर बीसीजी वैक्सीन में उपयोग को रोकने के कारण:

- RCT परीक्षण के परिणामों के आने तक बीसीजी वैक्सीन के उपयोग को बढ़ावा न दिये जाने के लिये विशेषज्ञों ने निम्नलिखित कारण बताए हैं:
 1. विशेषज्ञों के अनुसार, COVID-19 संक्रमण के कम मामलों वाले देशों में इसे सार्वभौमिक बीसीजी टीकाकरण से जोड़कर प्रस्तुत करने वाले आँकड़े व्यक्तिगत संख्या की बजाय आबादी के आधार पर लिये गए हैं।
 2. जन्म के समय हुए बीसीजी टीकाकरण के लाभकारी प्रभावों से दशकों बाद COVID-19 की गंभीरता को कम करने की संभावना बहुत ही कम है।
 3. यदि यह वैक्सीन सभी मरीजों में COVID-19 के खिलाफ प्रभावी नहीं होती तो टीकाकरण लोगों में झूठी/काल्पनिक सुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है जो इस महामारी के समय काफी खतरनाक हो सकती है।
 4. बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के बड़े पैमाने पर वैक्सीन के प्रयोग से पहले से ही कम वैक्सीन की आपूर्ति और अधिक प्रभावित हो सकती है, जिससे तपेदिक की अधिकता वाले देशों में बच्चों के टीकाकरण में चुनौती उत्पन्न हो सकती है।

बीसीजी वैक्सीन:

- बीसीजी अर्थात् 'बैसिल कैल्मेट-गुएरिन' (Bacille Calmette-Guérin'-BCG) वैक्सीन के आविष्कार का श्रेय दो फ्राँसीसी वैज्ञानिकों अल्बर्ट कैल्मेट (Albert Calmette) और 'कैमिल गुएरिन'(Camille Guérin) को जाता है।
- बीसीजी वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण वर्ष 1921 में शुरू हुआ।
- बहुत से विकसित देशों के तपेदिक मुक्त होने के कारण इन देशों में नियमित रूप से बच्चों को बीसीजी वैक्सीन का टीका नहीं दिया जाता। परंतु विकासशील देशों में, जहाँ तपेदिक का प्रसार आज भी जारी है, यह वैक्सीन बड़े पैमाने पर प्रयोग की जाती है।
- बीसीजी वैक्सीन तपेदिक रोग में कुछ सीमित सुरक्षा प्रदान करती है, हालाँकि यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को संक्रमण स्थापित करने से नहीं रोक सकती परंतु शिशुओं और छोटे बच्चों में तपेदिक के गंभीर मामलों को रोकने में सहायता करती है।

- हालाँकि बीसीजी वैक्सीन के सुरक्षात्मक प्रभावों के लाभ तपेदिक के अतिरिक्त कुछ अन्य रोगों के संदर्भ में भी देखने को मिले हैं।
- उदाहरण के लिये जब वर्ष 1927 में स्वीडन के उत्तरी प्रांत में इस वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया गया तो एक चिकित्सक ने पाया कि जन्म के समय बीसीजी वैक्सीन प्राप्त करने वाले बच्चों की मृत्युदर, गैर-टीकाकरण वाले बच्चों की तुलना में एक -तिहाई (□) थी।
- साथ ही 1940-50 के दशक के दौरान अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम (UK) में बच्चों और किशोरों में इस वैक्सीन के नियंत्रित परीक्षण के दौरान बीसीजी के कारण तपेदिक के अतिरिक्त अन्य गैर-दुर्घटना से जुड़ी मौतों में 25% की गिरावट देखी गई।
- कुछ वर्षों पहले पश्चिमी अफ्रीका में हुए परीक्षणों में देखा गया कि बीसीजी टीकाकरण से बच्चों में सेप्सिस (Sepsis) और श्वसन संक्रमण (Respiratory Infection) के मामलों में कमी हुई जिससे जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में मृत्युदर में 40% तक की गिरावट देखी गई।

बीसीजी वैक्सीन के सकारात्मक परिणाम का कारण:

- विशेषज्ञों के अनुसार, प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में सामान्य अवधारणा यह है कि अनुकूल प्रतिरक्षा के विपरीत जन्मजात प्रतिरक्षा स्थिर रहती है और किसी बड़ी हुई कार्यात्मक स्थिति के अनुरूप इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- यह देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति को बीसीजी वैक्सीन दी जाती है तो यह जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ हिस्सों का निर्माण करने वाले 'मोनोसाइट्स' (Monocytes) नामक कोशिकाओं को रिप्रोग्राम (Reprogram) कर प्रतिरक्षा क्षमता में वृद्धि करती है।
- इसके कारण इन मोनोसाइट्स में कई तरह के रोगजनकों के समक्ष प्रतिक्रिया में वृद्धि देखी गई, इस प्रक्रिया में 'साइटोकाइंस' (Cytokines) नामक रसायन का उत्सर्जन होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को हानिकारक रोगाणुओं से लड़ने के लिये प्रेरित करते हैं।

आगे की राह:

- हालाँकि अलग-अलग-रोगों के मामले में बीसीजी वैक्सीन के कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं परंतु वर्तमान में बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के इसके प्रयोग को बढ़ावा नहीं न दिया जाना चाहिये।
- विश्व के कई विकासशील देशों की ही तरह भारत भी अभी तक तपेदिक को समाप्त करने में सफल नहीं रहा है, अतः बड़े पैमाने पर बीसीजी वैक्सीन की कमी से यह समस्या और भी बढ़ सकती है।
- COVID-19 के मामले में बीसीजी के साथ ही पहले से उपस्थित अन्य संभावित दवाओं पर शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिये जिससे शीघ्र ही इस बीमारी का इलाज संभव हो सके।

'लघु वनोत्पाद' की खरीद

चर्चा में क्यों:

हाल ही में केंद्र सरकार ने COVID-19 के मद्देनजर राज्य सरकारों को लघु वनोत्पाद (Minor Forest Produce) की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है।

लघु वनोत्पाद (Minor Forest Produce-MFP):

- जनजातीय लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत गैर-काष्ठ वनोत्पाद है, जिसे सामान्यतः लघु वनोत्पाद कहा जाता है। इसमें पौधीय मूल के सभी गैर-काष्ठ उत्पाद जैसे- बाँस, बेंत, चारा, पत्तियाँ, गम, वेक्स, डार्ड, रेजिन और कई प्रकार के खाद्य जैसे मेवे, जंगली फल, शहद, लाख, रेशम आदि शामिल हैं।
- ये लघु वनोत्पाद जंगलों में या जंगलों के नजदीक रहने वाले लोगों को जीविका और नकद आय दोनों उपलब्ध कराते हैं। ये उनके खाद्य, फल, दवा और अन्य उपभोग वस्तुओं का एक बड़ा भाग है और बिक्री से उन्हें नकद आय भी प्रदान करता है।
- वन अधिकांश अधिनियम, 2011 पर राष्ट्रीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, वनवासियों के लिये लघु वनोत्पाद का आर्थिक और सामाजिक महत्व है क्योंकि अनुमानतः 100 मिलियन लोग अपनी आजीविका का स्रोत लघु वनोत्पाद के संग्रह और विपणन से प्राप्त करते हैं।
- वनों में रहने वाले लगभग 100 मिलियन लोग खाद्य, आश्रय, औषधि और नकद आय के लिये लघु वन उत्पादों पर निर्भर हैं। जनजातीय लोग अपनी वार्षिक आय का 20-40% लघु वनोत्पाद से प्राप्त करते हैं जिस पर वे अपने समय का एक बड़ा भाग खर्च करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि 10 राज्यों में लघु वनोत्पाद की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिये अब तक कुल 20.30 करोड़ रुपए की खरीद की जा चुकी है।
- उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) द्वारा 1 मई, 2020 को 49 उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices-MSP) में संशोधन की घोषणा की गई है।
 - ◆ इसके माध्यम से आदिवासियों की आय बढ़ेगी साथ ही उनको उद्यमशीलता हेतु प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
- राज्यों ने वन धन केंद्रों को बाजारों से लघु वनोत्पाद की खरीद हेतु 'प्राथमिक खरीद एजेंट' के रूप में नियुक्त किया है।
 - ◆ वर्तमान में वन धन केंद्रों ने 1.11 करोड़ रुपए के 31.35 टन लघु वनोत्पाद की खरीद की है।
 - ◆ ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री वन धन कार्यक्रम के अंतर्गत 3.6 करोड़ जनजातीय लाभार्थियों हेतु 21 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में 1126 वन धन विकास केंद्रों (Van Dhan Vikas Kendra- VDK) को स्वीकृति दी गई है।
- गिलॉय, महुआ के फूलों, हिल ग्रास और लाक के मूल्य में सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है, जबकि साल के बीज, बहेदा और हरड़ में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की पहल:

- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) ने लघु वनोत्पाद की खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये एक वन धन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड (Van Dhan Monit Dashboard) तैयार किया है। यह डैशबोर्ड "ट्राइफेड ई-संपर्क सेतु" (TRIFED E- Sampark Setu) का हिस्सा है।
 - ◆ इस डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य स्तर पर लघु वनोत्पादों की खरीद प्रक्रिया की सूचना दी जाएगी।
 - ◆ प्रत्येक पंचायत और वन धन केंद्र से ई-मेल या मोबाइल के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाएगा।
 - ◆ TRIFED ने इस डैशबोर्ड के माध्यम से 10 लाख गाँवों, जिलों और राज्य स्तर के भागीदारों, एजेंसियों तथा स्वयं सहायता समूह (Self-help Group-SHG) को जोड़ने का प्रस्ताव किया है।

विदेशी मुद्रा भंडार**चर्चा में क्यों ?**

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 479.45 बिलियन डॉलर (113 मिलियन डॉलर की कमी) हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (Foreign Currency Assets- FCAs) घटकर 441.56 बिलियन डॉलर (321 मिलियन डॉलर की कमी) हो गई है।
- स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) में 221 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के कारण अब यह 32.901 बिलियन डॉलर हो गया है।
- विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights) घटकर 1.42 बिलियन डॉलर (6 मिलियन डॉलर की कमी) हो गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) में आरक्षित निधि घटकर 3.57 बिलियन डॉलर (8 मिलियन डॉलर की गिरावट) हो गई है।
- ध्यातव्य है कि 6, मार्च 2020 तक विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर 487.23 बिलियन डॉलर पर था।
- वर्ष 2019-20 के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 62 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी।

विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves):

- किसी देश/अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा संपत्ति/भंडार कहलाती है।

- किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्व शामिल होते हैं-
 - ◆ विदेशी परिसंपत्तियाँ (विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में)
 - ◆ स्वर्ण भंडार
 - ◆ IMF के पास रिज़र्व कोष (Reserve Trench)
 - ◆ विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDR)

विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights- SDRs):

- विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था।
- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है।
- SDR का मूल्य, बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। इस बास्केट में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर (Dollar), यूरोप का यूरो (Euro), चीन की मुद्रा रेंमिन्बी (Renminbi), जापानी येन (Yen), ब्रिटेन का पाउंड (Pound)।

सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर मुंबई स्थित सीकेपी सहकारी बैंक (CKP Co-operative Bank) के लाइसेंस को रद्द कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- RBI के अनुसार, महाराष्ट्र के सहकारी समिति पंजीयक (Registrar of Co-operative Societies) से भी सीकेपी सहकारी बैंक के मामले को निपटाने और एक लिक्विडेटर (Liquidator) नियुक्त करने का आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।
 - ◆ किसी कंपनी या बैंक से संबंधित मामलों के निपटाना हेतु नियुक्त किये गए व्यक्ति को लिक्विडेटर (Liquidator) कहते हैं।
- लिक्विडेशन (Liquidation) पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation- DICGC) से 5 लाख रुपए की सीमा तक उसकी जमा राशि के पुनर्भुगतान का हकदार होगा।
 - ◆ वित्तीय क्षेत्र में लिक्विडेशन (Liquidation) का अभिप्राय किसी एक व्यवसाय को समाप्त करने और दावेदारों को संपत्ति वितरित करने की प्रक्रिया से होता है।

कारण

- सीकेपी सहकारी बैंक (CKP Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द करते हुए RBI ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति अभी काफी चिंताजनक और अस्थिर है।
- इसके अतिरिक्त किसी अन्य बैंक के साथ सीकेपी सहकारी बैंक के विलय के लिये कोई ठोस पुनरुद्धार योजना या प्रस्ताव भी नहीं आया है।
- RBI के अनुसार, सीकेपी सहकारी बैंक न्यूनतम पूंजी (Minimum Capital) और न्यूनतम संचय (Minimum Reserves) जैसी आवश्यकताओं के अतिरिक्त यह 9 प्रतिशत की न्यूनतम नियामक पूंजी (Regulatory Capital) की आवश्यकता को भी पूरा नहीं करता है।
- सीकेपी सहकारी बैंक अपने वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

सीकेपी सहकारी बैंक (CKP Co-operative Bank)

- सीकेपी सहकारी बैंक (CKP Co-operative Bank) मुंबई का एक सहकारी बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई के माटुंगा (Matunga) में स्थित है।
 - ◆ बैंक की मुंबई और ठाणे में कुल 8 शाखाएँ हैं।

- ध्यातव्य है कि बैंक का घाटा बढ़ने और नेट वर्थ (Net worth) में बड़ी गिरावट आने के कारण बैंक के लेन-देन पर वर्ष 2014 में प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके पश्चात् कई बार बैंक का घाटा कम करने का प्रयत्न किया गया, किंतु बैंक की स्थिति में सुधार नहीं आया है।

न्यूनतम पूंजी (Minimum Capital)

- न्यूनतम पूंजी (Minimum Capital) एक अवधारणा है जिसका उपयोग कंपनी कानूनों और बैंकिंग विनियमनों में यह निर्धारित करने के लिये किया जाता है कि संगठन को न्यूनतम आवश्यकता के रूप में कितनी संपत्ति रखनी चाहिये।

नियामक पूंजी (Regulatory Capital)

- पूंजी-पर्याप्तता (Capital Adequacy) का अभिप्राय पूंजी के उस वैधानिक न्यूनतम भंडार से होता है जो एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के पास किसी भी समय उपलब्ध होना अनिवार्य है।

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम

(Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC)

- जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम वर्ष 1978 में जमा बीमा निगम (Deposit Insurance Corporation-DIC) तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Credit Guarantee Corporation of India-CGCI) के विलय के बाद अस्तित्व में आया था।
- यह भारत में बैंकों के लिये जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में शराब की भूमिका

चर्चा में क्यों ?

दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री पर 70 प्रतिशत 'विशेष कोरोना शुल्क' (Special Corona Fee) लगाने की घोषणा की है, जिससे राजधानी में शराब की कीमतों में काफी वृद्धि हो जाएगी। ध्यातव्य है कि संपूर्ण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है, जिसके कारण शराब की दुकानों के बाहर काफी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) जैसी अवधारणाओं को पूर्णतः विफल बना रहा है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में शराब की भूमिका

- विदित हो कि शराब पर लगाया गया दिल्ली सरकार का 'विशेष कोरोना शुल्क' (Special Corona Fee), राज्यों की अर्थव्यवस्था में शराब के महत्त्व को रेखांकित करता है।
- शराब का निर्माण और बिक्री राज्य सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है और शराब की दुकानों को खोलने का कार्य ऐसे समय में किया जा रहा है जब सभी राज्य लॉकडाउन के कारण होने वाले व्यवधान के मद्देनजर राजस्व प्राप्त करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
- गुजरात और बिहार, जहाँ शराब निषेध है, के अतिरिक्त सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी राजस्व में शराब का काफी योगदान है।
- सामान्यतः राज्य शराब के निर्माण और बिक्री पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगाया जाता है। कुछ राज्य जैसे- तमिलनाडु शराब पर मूल्य वर्द्धित कर (Value Added Tax-VAT) भी लगाते हैं।
- राज्य आयात की जाने वाली विदेशी शराब पर विशेष शुल्क भी लेते हैं, जिसमें परिवहन शुल्क; लेबल एवं ब्रांड पंजीकरण शुल्क आदि शामिल हैं।

- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने आवारा पशुओं के रखरखाव जैसे विशेष उद्देश्यों के लिये धन एकत्र करने हेतु भी 'शराब पर विशेष शुल्क' (Special Duty on Liquor) लगाया है।
- बीते वर्ष सितंबर में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामने आया था कि अधिकांश राज्यों के कुल कर राजस्व का तकरीबन 10-15 प्रतिशत हिस्सा शराब पर लगने वाले राज्य उत्पाद शुल्क से आता है।
- ◆ यही कारण है कि राज्यों ने सदैव शराब को वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) के दायरे से बाहर रखा है।

शराब से राज्य सरकारों की कमाई ?

- RBI की रिपोर्ट दर्शाती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 29 राज्यों और दिल्ली तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों ने शराब पर राज्य द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क से संयुक्त रूप से 1,75,501.42 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट रखा था, जो कि अपने आप में काफी बड़ी संख्या है।
- ◆ यह संख्या वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एकत्र किये गए 1,50,657.95 करोड़ रुपए से 16 प्रतिशत अधिक है।
- RBI के अनुसार, राज्यों ने वर्ष 2018-19 में शराब पर उत्पाद शुल्क से प्रति माह औसतन लगभग 12,500 करोड़ रुपए एकत्र किये और वर्ष 2019-20 में प्रति माह औसतन लगभग 15,000 करोड़ रुपए एकत्र किये, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रति माह औसतन 15,000 करोड़ रुपए के पार जा सकता है।
- ◆ हालाँकि यह अनुमान COVID-19 महामारी से पूर्व का है।

उत्तर प्रदेश को मिला सर्वाधिक राजस्व

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के आँकड़ों के अनुसार, शराब पर उत्पाद शुल्क से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाले पाँच राज्यों में उत्तर प्रदेश (25,100 करोड़ रुपए), कर्नाटक (19,750 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (15,343.08 करोड़ रुपए), पश्चिम बंगाल (10,554.36 करोड़ रुपए) और तेलंगाना (10,313.68 करोड़ रुपए) शामिल थे।
- ◆ उत्तर प्रदेश को शराब पर उत्पाद शुल्क से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि राज्य शराब के निर्माण एवं बिक्री पर केवल उत्पाद शुल्क वसूलता है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु जैसे राज्यों के विपरीत, शराब की बिक्री पर अलग से VAT एकत्र नहीं किया जाता है, इसलिये इन राज्यों (जैसे तमिलनाडु) में शराब से प्राप्त राजस्व का आँकड़ा काफी कम है, क्योंकि VAT तथा अन्य विशेष कर से संबंधित आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।
- विदित हो कि बिहार और गुजरात में शराब के कारण प्राप्त होने वाला राजस्व शून्य है, क्योंकि इन राज्यों पर शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

राज्य के राजस्व के अन्य स्रोत

- राज्य के राजस्व को आमतौर पर दो श्रेणियों में बाँटा जाता है- कर राजस्व और गैर-कर राजस्व। कर राजस्व को आगे दो और श्रेणियों में बाँटा गया है- राज्य का अपना कर राजस्व और केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा।
- राज्यों के अपने कर राजस्व के तीन प्रमुख स्रोत होते हैं-
 - ◆ आय पर लगने वाला कर: कृषि आय पर कर, व्यवसायों की आय पर कर और रोजगार की आय पर कर।
 - ◆ संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर: भू-राजस्व, टिकट और पंजीकरण शुल्क और संपत्ति कर।
 - ◆ वस्तुओं और सेवाओं पर कर: बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, बिक्री कर पर अधिभार, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर और राज्य GST।
- RBI की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-20 में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में राज्य GST की हिस्सेदारी सबसे अधिक (43.5 प्रतिशत) थी, उसके पश्चात् बिक्री कर (23.5 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (12.5 प्रतिशत) और संपत्ति तथा पूंजी लेनदेन पर कर (11.3 प्रतिशत) आदि शामिल हैं।

द सरस कलेक्शन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (Government e Marketplace- GeM) पोर्टल पर 'द सरस कलेक्शन' (The Saras Collection) डैशबोर्ड की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि 'द सरस कलेक्शन' डैशबोर्ड पर ग्रामीण स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित दैनिक उपयोग की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 'द सरस कलेक्शन' का उद्देश्य ग्रामीण स्व-सहायता समूहों (Self-help Groups SHGs) के लिये बाजार उपलब्ध कराना है।
- पहले चरण में 11 राज्यों के 913 SHG विक्रेताओं को पंजीकृत कर उनके 442 उत्पादों को पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि GeM ने दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन [Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)] के साथ मिलकर एपीआई (Application Program Interface-API) आधारित एक एकीकरण तंत्र विकसित किया है।
- इस एकीकरण तंत्र की मदद से अल्पवधि में ही अत्यधिक SHG को पंजीकृत किया जा सकेगा।
- 'द सरस कलेक्शन' को सबसे पहले बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में शुरू किया गया है।
- SHG को अपने उत्पाद सरकारी खरीदारों को बेचने में सक्षम बनाने हेतु सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापक तौर पर इस पहल को बढ़ावा दिया जाएगा।

'द सरस कलेक्शन' की विशेषताएँ:

- 'द सरस कलेक्शन' के तहत SHG विक्रेता अपने उत्पादों को निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे:
 - ◆ हस्तशिल्प
 - ◆ हथकरघा और वस्त्र
 - ◆ कार्यालयों में उपयोग हेतु वस्तुएँ
 - ◆ किराने का सामान और चैंद्री
 - ◆ व्यक्तिगत देखभाल और साफ-सफाई हेतु उत्पाद
- 'द सरस कलेक्शन' हेतु राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों के लिये GeM द्वारा डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा।
- इस डैशबोर्ड की मदद से पदाधिकारी वास्तविक समय में SHG द्वारा अपलोड किये गए उत्पाद और बेचे गए उत्पाद से संबंधित संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

उत्पादों को अपलोड करने हेतु SHGs की सहायता:

- GeM स्व-सहायता समूहों और SRLM के कर्मचारियों के लिये मातृभाषा में ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों का विकास करेगा।
- GeM स्व-सहायता समूहों और अधिकारियों के लिये ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करेगा साथ ही वीडियो, ई-पुस्तक, मैनुअल और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के भंडार का विकास करेगा।

'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (Government e Marketplace-GeM):

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के तहत वर्ष 2016 में की गई थी। इस प्लेटफॉर्म पर सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है।
- इसे नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के तकनीकी समर्थन के साथ आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा विकसित किया गया है।

- GeM पूरी तरह से पेपरलेस, कैशलेस और ई-मार्केट प्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है।

विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

आईएचएस मार्केट इंडिया (IHS Markit India) द्वारा जारी मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' (Purchasing Manager's Index- PMI) में गिरावट दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक अप्रैल 2020 में 27.4 दर्ज किया गया है, जबकि मार्च 2020 में यह 51.8 अंक पर था।
- ध्यातव्य है कि पिछले 32 महीनों से विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी।
- हालिया विनिर्माण सूचकांक इस क्षेत्र में 15 वर्ष पहले शुरू किये गए संग्रहण का अब तक का न्यूनतम स्तर है।
- ध्यातव्य है कि अर्थशास्त्रियों और वैश्विक रेटिंग फर्मों के अनुसार, आर्थिक विकास दर 1% के स्तर से भी नीचे जा सकती है।
- क्रय प्रबंधक सूचकांक हेतु आवश्यक आँकड़ों को दुनिया भर के 40 से अधिक अर्थशास्त्रियों द्वारा संकलित किया जाता है।
- आईएचएस मार्केट इंडिया दुनिया भर के प्रमुख उद्योगों और बाजारों के लिये सूचना तथा उनकी स्थिति का विश्लेषण करता है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक में गिरावट के कारण:

- COVID-19 के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन की वजह से अप्रैल 2020 में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
- आईएचएस मार्केट इंडिया द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
- मांग में कमी के कारण व्यापार में गिरावट को देखते हुए विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को अपने कर्मचारियों की संख्या में भी कमी करनी पड़ी है।
- देशभर में लॉकडाउन से फैक्ट्री को बाजार से प्राप्त होने वाले नए कॉन्ट्रैक्ट (उत्पाद निर्माण से संबंधित), फैक्ट्री में निर्मित कुल उत्पाद, इत्यादि की संख्या में भारी कमी आई है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Manager's Index- PMI):

- PMI विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। यह एक सर्वेक्षण-आधारित प्रणाली है।
- PMI की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों हेतु अलग-अलग की जाती है जिसके पश्चात् एक समग्र सूचकांक का तैयार किया जाता है।
- PMI को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है।
- 50 से ऊपर का आँकड़ा व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का आँकड़ा संकुचन (गिरावट) को प्रदर्शित करता है।

सरफेसी अधिनियम के तहत सहकारी बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि सरफेसी अधिनियम (Sarfaesi Act) अर्थात् 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटररेस्ट एक्ट' (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act), 2002 सहकारी बैंकों पर भी लागू होगा।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व वर्ष 2013 में गुजरात उच्च न्यायालय ने सहकारी संस्थाओं को वित्तीय संस्थानों के रूप में शामिल करने के लिये बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए निर्णय दिया था कि सहकारी बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण की वसूली नहीं कर सकते हैं।
- ◆ गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण के साथ सहमति व्यक्त की थी जिन्होंने तर्क दिया था कि सरफेसी अधिनियम राज्य कानून के तहत गठित सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होना चाहिये, क्योंकि वे गुजरात सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 (Gujarat Cooperative Societies Act, 1961) के तहत आते हैं, अतः वे इसी अधिनियम के तहत ऋण वसूली कर सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 2(1)(C) में दी गई 'बैंक' की परिभाषा के तहत सहकारी बैंक भी आते हैं। अतः अधिनियम की धारा (13) के तहत निर्धारित की गई वसूली प्रक्रिया सहकारी बैंकों पर भी लागू होती है।
- इस निर्णय के माध्यम से राज्य और बहु-राज्य सहकारी बैंकिंग समितियाँ अब अपना बकाया वसूलने के लिये परिसंपत्तियों को ज़ब्त और बेच सकती हैं।
- उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सहकारी बैंकों को अपनी बकाया राशि की वसूली के लिये दीवानी न्यायालय (Civil Court) के पास जाना पड़ता था। अब सरफेसी अधिनियम में दिये गए प्रावधानों का प्रयोग कर सहकारी बैंकों द्वारा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप बिना वसूली की जा सकती है।

उद्देश्य

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सहकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम के तहत लाने का उद्देश्य दीवानी अदालत अथवा न्यायाधिकरण में मामले के निपटान में होने वाली देरी को कम करना है।

पृष्ठभूमि

- न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ का यह फैसला ऐसे मामले के संदर्भ में आया है जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 2(C) में संशोधन और सहकारी बैंकों को ऐसे संस्थानों में शामिल किया गया था जो ऋण वसूली के लिये इस अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

सहकारी बैंक

- सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर-शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं।
- सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ जैसे- ऋण देना, पैसे जमा करना और बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं।
- उल्लेखनीय है कि सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध कराना होता है।
- सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं।
- ये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किये जाते हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ बैंकिंग कानून अधिनियम, 1965 के तहत आते हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 (Sarfaesi Act, 2002)

- सरफेसी अधिनियम (Sarfaesi Act) अर्थात् 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटेरेस्ट एक्ट' (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act), 2002 वित्तीय संस्थानों को भिन्न-भिन्न तरीकों से संपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है।

- ◆ अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि इस अधिनियम को अलग-अलग प्रक्रियाओं और तंत्रों के माध्यम से गैर-निष्पादनकारी संपत्ति (NPA) या खराब संपत्ति की समस्या को हल करने के लिये तैयार किया गया है।
- इस अधिनियम के प्रावधान विभिन्न संस्थानों को अपनी खराब संपत्ति की समस्या के प्रबंधन हेतु निर्देश और शक्तियाँ प्रदान करते हैं।
- सरकार ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunals-DRTs) को पुनः जीवंत करने और नए दिवालियापन कानून (Bankruptcy Law) के तहत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये 'एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों' (Asset Reconstruction Companies-ARCs) को सशक्त बनाने हेतु अगस्त 2016 में सरफेसी अधिनियम में संशोधन भी किया है।

COVID- 19 महामारी और बीमा दावा

चर्चा में क्यों ?

जिन कंपनियों को COVID- 19 महामारी के तहत लगाए गए लॉकडाउन के कारण व्यावसायिक नुकसान का सामना करना पड़ा है, उन कंपनियों द्वारा किये गए बीमा अनुबंधों के कुछ प्रावधानों/क्लॉज को लेकर विवाद होने की संभावना है।

मुख्य बिंदु:

- अनेक कंपनियों द्वारा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण होने वाली हानि को कवर करने के लिये बीमा पॉलिसियाँ ली गई थीं, किंतु इस बात को लेकर विवाद हो रहा है कि क्या COVID-19 महामारी को भी इन बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किया गया है।
- परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट इकाइयों को 'स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी' (Standard Fire and Special Perils Policy), जिसे सामान्यतः 'प्रॉपर्टी पॉलिसी' (Property Policy) के नाम से जाना जाता है, के तहत कोई बीमा क्लेम (Insurance Claim) नहीं मिलेगा।

कॉर्पोरेट इकाइयों की बीमा पॉलिसी:

- सामान्यतः किसी कॉर्पोरेट इकाई द्वारा दो प्रकार की बीमा पॉलिसी ली जाती है:
 - ◆ संपत्ति क्षति पॉलिसी (Material Damage Policy):
 - यह पॉलिसी आग, बाढ़ या मशीन त्रुटि के कारण संपत्ति का नुकसान को कवर करती है।
 - ◆ व्यवसाय व्यवधान पॉलिसी (Business interruption policy):
 - जब व्यवसाय में हानि 'संपत्ति क्षति नीति' (Property Damage Policy) के तहत उल्लिखित क्लॉज के कारण हुई हो।
- प्रॉपर्टी पॉलिसी संबंधी प्रावधान:
 - बीमा कंपनियों की नीतियों में लॉकडाउन के कारण कॉर्पोरेट को होने वाले नुकसान संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।
 - 'प्रॉपर्टी पॉलिसी' के तहत यदि किसी क्षति या आग के कारण बीमित संयंत्र या कार्यालय बंद हो जाता है, तो कंपनी नुकसान की भरपाई का दावा करने की पात्र होगी।
 - यदि कोई इकाई लगातार 30 दिनों तक बंद रहती है तो पॉलिसी कवर लैप्स (Lapse) हो जाएगा।

पॉलिसी लैप्स में राहत:

- राहत के रूप में वर्तमान 30 दिनों की अवधि में राहत दी गई है तथा बीमा कंपनियों द्वारा उन कॉर्पोरेट्स को भी मुआवजा दिया जाएगा जो एक महीने से अधिक समय से बंद है।
- इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट इकाइयाँ बीमा मुआवजे का दावा कर सकती हैं यदि आग या किसी अन्य नुकसान के कारण संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, भले ही 3 मई की अवधि के दौरान कारखाना या इकाई चालू न हो।
- फोर्स मेजर (Force Majeure):
 - फोर्स मेजर या 'एक्ट ऑफ गॉड' (Act of God) से आशय ऐसी असाधारण घटनाओं और परिस्थितियों से है, जो मानव नियंत्रण से परे हों। ज़्यादातर बीमाकर्ता फोर्स मेजर क्लॉज उपयोग अपनी बीमा पॉलिसियों में करती है।

- 'फोर्स मेजर क्लॉज' बीमा पॉलिसी में शामिल दोनों पक्षों को अनुबंध के दायित्व या बाध्यताओं से मुक्त करता है। 'फोर्स मेजर' से संबंधित नियम 'भारतीय संविदा अधिनियम, 1872' (Indian Contract Act, 1872) के तहत निर्धारित किये गए हैं।

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

(Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI):

- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त सांविधिक एजेंसी है जिसका कार्य भारत में बीमा और पुनः बीमा करने वाले उद्योगों का नियमन करना और उन्हें बढ़ावा देना है।
- इसे बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था।

'सामान्य बीमा परिषद' (General Insurance Council):

- 'भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण' द्वारा वर्ष 2001 में बीमा अधिनियम, 1938 (Insurance Act, 1938) की धारा 64C के तहत 'सामान्य बीमा परिषद' (General Insurance Council) का गठन किया गया है।
- यह IRDAI और गैर-जीवन बीमा उद्योग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। यह सरकार तथा उद्योग के बीच के मुद्दों में समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है।

बीमा के संबंध में FDI नीति:

- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) ने बीमा बिचौलियों को 100% FDI की अनुमति देने के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) नीति में संशोधन किया है।
- जिसमें बीमा ब्रोकिंग, बीमा कंपनियाँ, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर और लॉस असेसमेंट शामिल हैं।
- ◆ उल्लेखनीय है कि बीमा बिचौलिये वे एजेंट होते हैं जो बीमा कंपनियों और ग्राहकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर लॉकडाउन का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

COVID-19 की महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों के कारण देश के 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम' (Micro- Small and Medium Enterprises- MSMEs) सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। देश में अधिकांश MSME पहले से ही तरलता की कमी से जूझ रहे थे परंतु लॉकडाउन के कारण व्यापार प्रभावित होने से इनकी समस्या और अधिक बढ़ गई है।

मुख्य बिंदु:

- MSME क्षेत्र के लगभग 99.5% उद्यम 'सूक्ष्म' (Micro) श्रेणी में आते हैं।
- वर्तमान में भारत के विभिन्न भागों में स्थित अनेक MSME लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं।
- सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी MSMEs का प्रत्यक्ष बैंकिंग क्षेत्र की पहुँच से दूर रहना इस क्षेत्र के संकट का एक बड़ा कारण है।

MSMEs का निर्धारण:

- MSMEs का विनियमन 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act), 2006 के तहत किया जाता है।
- MSMEs का निर्धारण उद्यम शुरू करने और मशीनरी में लगे आर्थिक निवेश के आधार पर किया जाता है, हालाँकि इस प्रक्रिया में निवेश के संबंध में विश्वसनीय और सटीक आँकड़े न मिल पाने के कारण इसकी आलोचना भी होती रही है।
- फरवरी 2018 में केंद्र सरकार द्वारा MSME के श्रेणी निर्धारण हेतु मानक को 'निवेश' से बदलकर 'वार्षिक कारोबार' करने का निर्णय लिया गया था, हालाँकि इस परिवर्तन को अभी प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया गया है।

- सरकार द्वारा प्रस्तावित नई परिभाषा के अनुसार, 5 करोड़ रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाले MSME को 'सूक्ष्म' उद्यम की श्रेणी में, 5-75 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार वाले MSME को 'लघु' उद्यम की श्रेणी में और 75-250 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार वाले MSME को 'मध्यम' उद्यम की श्रेणी में रखा गया है।

भारत में MSMEs की स्थिति:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के आँकड़ों के अनुसार, MSME के तहत भारत में लगभग 6.34 उद्यम सक्रिय हैं, इनमें से अधिकांश (लगभग 51%) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
- वर्तमान में MSMEs लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं हालाँकि इनमें से अधिकांश (लगभग 55%) रोजगार शहरी क्षेत्रों में स्थित MSME द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
- वर्तमान में MSMEs के तहत लगभग 99.5% उद्यम 'सूक्ष्म' श्रेणी के हैं, सूक्ष्म उद्यमों से आशय सामान्यतः उन छोटे उद्यमों से है जिनका संचालन एक व्यक्ति (महिला अथवा पुरुष) द्वारा अपने घर से किया जाता है।
- देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 'सूक्ष्म उद्यमों' की संख्या समान है परंतु 'लघु और मध्यम' श्रेणी (कुल MSMEs का लगभग 0.5%) के अधिकांश उद्यम शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जो लगभग 5 करोड़ कामगारों के लिये रोजगार उपलब्ध कराते हैं।

समाज के विभिन्न वर्गों तक MSMEs की पहुँच:

- वर्तमान में देश में MSME क्षेत्र के 66% उद्यम समाज के निचले वर्ग से जुड़े लोगों द्वारा संचालित किये जाते हैं।
- इनमें से 12.5% अनुसूचित जाति, 4.1% अनुसूचित जनजाति और 49.7% अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं।
- सभी श्रेणियों के MSMEs के कर्मचारियों में लगभग 80% पुरुष और मात्र 20% ही महिलाएँ हैं।
- भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो देश के केवल 7 राज्यों में ही लगभग 50% MSMEs स्थित हैं।
- इनमें उत्तर प्रदेश (14%), पश्चिम बंगाल (14%), तमिलनाडु (8%), महाराष्ट्र (8%), कर्नाटक (6%), बिहार (5%) और आंध्र प्रदेश (5%) हैं।

MSMEs की मुख्य चुनौतियाँ:

- आँकड़ों का अभाव:
 - देश में सक्रिय MSMEs सामान्यतः बहुत ही छोटे स्तर पर कार्य करते हैं, जिसके कारण इनमें से अधिकांश का किसी प्रकार का पंजीकरण नहीं कराया गया है।
 - अधिकांश MSMEs, वस्तु और सेवा कर (GST) की पहुँच से बाहर है और वे किसी प्रकार का खाता बनाने, कर देने या अन्य नियमों का पालन करने आदि में भी अधिक सक्रिय नहीं हैं।
 - इस प्रक्रिया में उनकी कुछ बचत तो होती है परंतु संकट की स्थिति में किसी ठोस आँकड़े के अभाव में ऐसे उद्यमों को सहायता पहुँचा पाना सरकार के लिये भी एक चुनौती बन जाती है।
 - उदाहरण के लिये वर्तमान आर्थिक संकट के बीच कुछ विकसित देशों में सरकारों ने छोटे उद्यमों में मजदूरी सब्सिडी और अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया है, परंतु यह इसलिये संभव हो सका क्योंकि वहाँ छोटे उद्यमों के बारे में भी विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध थे।
- आर्थिक चुनौतियाँ:
 - MSME क्षेत्र में वित्तपोषण की कमी इस क्षेत्र के लिये सबसे सबसे बड़ी चुनौती है, वर्ष 2018 में जारी 'अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम' (International Finance Corporation- IFC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, MSME क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा MSMEs की कुल आवश्यकता का एक-तिहाई (लगभग 11 लाख करोड़ रुपए) से कम ही ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
 - अर्थात् MSMEs को अधिकांश ऋण अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है, यही कारण है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा MSME क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के प्रयासों के परिणाम बहुत ही सीमित होते हैं।
 - भुगतान में बिलंब होना MSMEs के लिये दूसरी बड़ी चुनौती है चाहे वह खरीदारों से हो (जिसमें सरकारी संस्थान भी शामिल हैं) या GST रिफंड आदि के तहत मिलने वाली राशि।

MSMEs पर COVID-19 का प्रभाव:

- विशेषज्ञों के अनुसार, COVID-19 महामारी के पहले से ही MSMEs की आय में गिरावट और अन्य कई समस्याओं से जूझ रहे थे, परंतु लॉकडाउन के बाद कई उद्यमों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न उठने लगे हैं।
- हाल ही में जारी एक सर्वे में 'लघु और मध्यम' श्रेणी के केवल 7% उद्यमों ने माना कि वे वर्तमान में उपलब्ध पूंजी के माध्यम से तीन महीने से अधिक तक कारोबार बंद होने की स्थिति में भी उद्यम को बचाए रखने में सक्षम होंगे।
- साथ ही अधिकांश श्रमिकों के पलायन के कारण इन उद्यमों को पुनः शुरू कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी।

आगे की राह:

- RBI द्वारा MSME क्षेत्र में तरलता की कमी को दूर करने के कई प्रयास किये गए हैं, परंतु संरचनात्मक जटिलताओं (प्रत्यक्ष बैंकिंग प्रणाली से न जुड़ा होना, आँकड़ों का आभाव) के कारण इसके सीमित प्रभाव दिखाई दिये हैं।
- सरकार कर में कटौती, रिफंड प्रक्रिया में तेजी के साथ विभिन्न योजनाओं (जैसे- पीएम किसान, जन धन योजना आदि) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तरलता और MSME उत्पादों की मांग में वृद्धि कर MSMEs को सहायता पहुँचा सकती है।
- MSMEs को दिया गया अधिकांश ऋण संपत्ति (Property) के मूल्य पर आधारित होता है परंतु वर्तमान में COVID-19 महामारी के कारण संपत्तियों के मूल्यों में भारी गिरावट हुई है, जो नए ऋण जारी होने में एक बाधा बन गया है।
- ऐसे में यदि सरकार की तरफ से MSME ऋण के लिये एक 'क्रेडिट गारंटी' (Credit Guarantee) जारी की जाती है तो यह MSMEs के लिये काफी मददगार साबित हो सकती है।

एकीकृत मृदा पोषक तत्त्व प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्त्व प्रबंधन (Integrated Soil Nutrient Management) के लिये मिशन मोड जागरूकता अभियान (Mission Mode Awareness Campaigns) के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिये मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आवाहन किया गया है।
- मिशन के लिये जारी दिशा-निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card-SHC) की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।
- वर्ष 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गाँवों के किसानों को जागरूक करने पर होगा।
- कृषि में शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, इत्यादि के द्वारा ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।
- इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत समुचित कौशल संवर्द्धन के द्वारा रोजगार सृजन सुनिश्चित करने पर बल दिया जायेगा।
- 'कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग' (The Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare) द्वारा सुरक्षित पौष्टिक भोजन के लिये भारतीय प्राकृत कृषि पद्धति सहित उर्वरकों के जैविक परीक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये मिट्टी के परीक्षण के आधार पर एक व्यापक अभियान पंचायत राज, ग्रामीण विकास और पेयजल तथा स्वच्छता विभागों (Departments of Panchayat Raj, Rural Development and Drinking Water and Sanitation) के साथ मिलकर चलाया जाएगा।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) :

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई।
- इस योजना के तहत हर 2 वर्ष के अंतराल पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जाते हैं।
- ये कार्ड किसानों को मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार के लिये आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा के साथ-साथ किसानों को मिट्टी की पोषक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में:

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड में छः फसलों के लिये उर्वरकों की दो श्रेणियाँ निर्धारित की गई है जिसमें जैविक खाद भी शामिल है।
 - किसान इस कार्ड को मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी प्रिंट कर सकते हैं/ प्राप्त कर सकते हैं।
 - सुविधा की दृष्टि से मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल में किसान का डाटा दो चक्रीय रूपों तथा 21 भाषाओं में विद्यमान है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की उपलब्धियाँ:
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council- NPC) के अनुसार, योजना के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा मिला है।
 - कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 8-10% की कमी देखी गई है।
 - कार्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग करने के कारण फसलों की उपज में 5-6% की वृद्धि हुई है।
 - योजना के पहले चक्र (वर्ष 2015-17) में 10.74 करोड़ तथा दूसरे चक्र (2017-19) में 9.33 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किये गए हैं। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में अब तक सवा दो करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

खाद्य बनाम ईंधन

चर्चा में क्यों ?

'केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री' (Union Minister of Petroleum and Natural Gas) की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति' (National Biofuel Coordination Committee- NBCC) ने 'भारतीय खाद्य निगम' (Food Corporation of India- FCI) के पास उपलब्ध 'अधिशेष' चावल का इथेनॉल निर्माण में उपयोग करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह निर्णय अल्कोहल-आधारित हैंड-सेनिटाइज़र बनाने और पेट्रोल के साथ इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने को दृष्टिगत रखकर लिया गया है।
- हालाँकि इस निर्णय से लोगों की खाद्य सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

'राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति' (National Biofuel Coordination Committee- NBCC):

- NBCC में 'केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री'; जो समिति की अध्यक्षता करता है, के अलावा 14 अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- समिति 'जैव ईंधन कार्यक्रम' के कार्यान्वयन एवं प्रभावी निगरानी की दिशा में समन्वय तथा आवश्यक निर्णय लेने का कार्य करती है।

जैव ईंधन नीति और खाद्य सुरक्षा:

- भारत के नीति निर्माता जैव ईंधन के उत्पादन में खाद्य अनाज के उपयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों के बारे प्रारंभ से ही चिंतित थे।
- 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति' (National Policy on Biofuels), 2009 में खाद्य बनाम ईंधन के बीच संभावित संघर्ष से बचने के लिये केवल गैर-खाद्य संसाधनों का जैव ईंधन सामग्री के रूप में उपयोग करने का प्रावधान किया।

- वर्ष 2018 में सरकार ने वर्ष 2009 की जैव ईंधन नीति को संशोधित किया। 'जैव ईंधन पर नई राष्ट्रीय नीति' में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल का 20% तथा डीजल में 5% के सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया।
- इसमें दूसरी पीढ़ी की जैव-रिफाइनरियों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने तथा जैव ईंधन सामग्री के रूप में अवशिष्ट खाद्य पदार्थों के उपभोग की अनुमति प्रदान की गई।
- नवीन जैव ईंधन नीति के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा समर्थन दिये जाने पर अतिरिक्त खाद्यान उत्पादन का उपयोग एथनॉल उत्पादन किया जा सकता है।

भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ:

- भारत उन देशों में शामिल है जहाँ तीव्र गरीबी, भुखमरी और कुपोषण की स्थिति है। 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक' (Global Hunger Index)- 2019 के अनुसार, 117 देशों में भारत 102 वें स्थान पर रहा है।
- 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (National Family Health Survey- 4 NFHS-4) के अनुसार, पाँच वर्ष से कम उम्र के 38.4% फीसदी बच्चें 'बौने' (Stunted- उम्र के अनुसार लंबाई कम), जबकि 21% बच्चे 'वेस्टेड' (Wasted: लंबाई के अनुसार कम वजन) हैं। वास्तव में 'वेस्टेड' दर NFHS-3 में 19.8% से बढ़कर NFHS-4 में 21% हो गई है।

संभावित चुनौतियाँ:

- सरकार द्वारा अतिरिक्त खाद्यान उत्पादन का जैव ईंधन सामग्री के रूप में उपयोग करने का निर्णय मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष 'सामान्य मानसून रहने के पूर्वानुमान' को दृष्टिगत रखकर लिया गया है। परंतु यदि मानसून पूर्वानुमान गलत साबित होता है तो इसके खाद्य सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- ऐसा माना जाता है कि प्रतिवर्ष FCI बफर स्टॉक का बहुत बड़ा भाग खराब हो जाता है, तथा इसे जैव ईंधन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिये जैव ईंधन नीति- 2018, में अवशिष्ट अन्न संबंधी प्रावधान जोड़ा गया था परंतु वास्तविकता कुछ अलग है।
- पिछले पाँच वर्षों में FCI द्वारा जारी कुल अनाज में केवल 0.01% से 0.04% अनाज खराब हुआ है। इतनी कम मात्रा में क्षतिग्रस्त अनाज से शायद ही कोई इथेनॉल बनाया जा सके।

आगे की राह:

- जब COVID- 19 महामारी के चलते राष्ट्रीय आय में भारी गिरावट, बेरोजगारी में वृद्धि, और आपूर्ति श्रंखला में बाधा उत्पन्न होने से खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की संभावना है ऐसे समय में खाद्य सुरक्षा और खाद्य मूल्य स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- इथेनॉल का उत्पादन अन्य सामग्रियों जैसे गन्ना उत्पादों से किया जाना चाहिये तथा अतिरिक्त अनाज को राहत पैकेज के रूप में प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध कराना चाहिये।

राजकोषीय घाटा लक्ष्य और COVID- 19

चर्चा में क्यों ?

हाल ही 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (Reserve Bank of India- RBI) गवर्नर ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिये इंटरव्यू में बताया कि सरकार, COVID- 19 महामारी के चलते वित्त वर्ष 2021 में अपने 'राजकोषीय घाटा' (Fiscal Deficit) लक्ष्य को पूरा करने में चूक कर सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- सरकार ने समाज से सुभेद्य वर्गों की आर्थिक सहायता के लिये राहत पैकेज की घोषणा की है तथा इसके लिये सकल घरेलू उत्पाद (Gross domestic product- GDP) का 0.8% खर्च करने के प्रति प्रतिबद्धता है।
- सरकार ने व्यय को संतुलित रखने के लिये कर्मचारियों के महँगाई भत्ते पर रोक लगाई है परंतु फिर भी 'राजकोषीय घाटा' बजट में निर्धारित सीमा को पार कर सकता है।

- सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के लिये राजकोषीय घाटे को 3.8% (संशोधित अनुमान) और वित्त वर्ष 2021 के लिये इसे 3.5% (बजटीय अनुमान) निर्धारित किया है।
- केंद्रीय बजट में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management- FRBM) अधिनियम की धारा 4 (3) के अनुरूप, राजकोषीय लक्ष्यों से 50 आधार अंकों का विचलन निर्धारित किया है।

‘राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन’ अधिनियम:

(Fiscal Responsibility and Budget Management- FRBM)

- FRBM अधिनियम को अगस्त 2003 में लागू किया गया तथा अधिनियम को लागू करने के नियमों को जुलाई 2004 में अधिसूचित किया गया था।
- FRBM का उद्देश्य केंद्र सरकार को राजकोषीय प्रबंधन तथा दीर्घकालिक वृहद-आर्थिक स्थिरता में अंतर-पीढ़ीगत समता (Intergenerational equity) सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार बनाना है।
- अधिनियम केंद्र सरकार के ऋण तथा राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा को निर्धारित करता है।
- इसने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित कर दिया।
- वर्ष 2004 में 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्यों ने अपने स्वयं के 'वित्तीय उत्तरदायित्व विधान' (Financial Responsibility Legislation) को लागू किया है, जो राज्यों के ऊपर भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product- GSDP) के 3% बजटीय घाटे की सीमा निर्धारित करता है।
- यह केंद्र सरकार के राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने तथा मध्यम अवधि के ढाँचे (Medium-Term Framework) में राजकोषीय नीति के संचालन को भी अनिवार्य करता है।
 - ◆ केंद्र सरकार द्वारा बजट के साथ 'मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य' (Medium Term Fiscal Policy Statement) पेश किया जाता है, जो तीन वर्ष के लिये वार्षिक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को निर्दिष्ट करता है।

FRBM एक्ट के तहत छूट:

एस्केप क्लॉज़ (Escape Clause) का प्रावधान:

- FRBM अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत, केंद्र सरकार कुछ आधारों का हवाला देते हुए वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार किया जा सकता है।
 - राष्ट्रीय सुरक्षा या युद्ध
 - राष्ट्रीय आपदा
 - कृषि के पतन
 - संरचनात्मक सुधार
 - किसी तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट (पिछले चार तिमाहियों के औसत से कम से कम तीन प्रतिशत अंकों की कमी)
- FRBM शर्तों में पूर्व में दी गई छूट:
- वर्ष 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट से बचाव के लिये केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों का सहारा लिया। इसके चलते राजकोषीय घाटा 2.7% के अनुमानित लक्ष्य से बढ़कर 6.2% हो गया।

FPIs के बहिर्वाह में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

कोरोनावायरस महामारी और उसके आर्थिक प्रभावों के बीच अप्रैल, 2020 में 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश' (Foreign Portfolio Investment-FPI) के बहिर्वाह (Outflows) की गति में काफी कमी आई है, जो कि मार्च माह के 1,18,203 करोड़ रुपए से अप्रैल माह में 14,858 करोड़ रुपए पर पहुँच गया है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि अप्रैल में पूंजी बाजार से 14,858 करोड़ रुपए का शुद्ध निधि बहिर्वाह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि मार्च माह में जब देश में कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत हुई थी और देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तब पूंजी बाजार से शुद्ध निधि बहिर्वाह काफी अधिक था।
- सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (Central Depository Services Limited-CDSL) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल माह में इक्विटी बाजार (Equities Market) से तकरीबन 6,883 करोड़ रुपए का बहिर्वाह हुआ, जो कि मार्च माह में 61,972 करोड़ रुपए था।
- वहीं ऋण बाजार (Debt Market) से अप्रैल माह में तकरीबन 12,551 करोड़ रुपए का बहिर्वाह हुआ, जो कि मार्च माह में 60,375 करोड़ रुपए था।
- FPIs के बहिर्वाह में तेजी से गिरावट के कारण इक्विटी बाजारों (Equity Markets) को काफी राहत प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अप्रैल माह में सेंसेक्स (Sensex) में भी 14.4 प्रतिशत की तेजी देखी गई है।

इक्विटी बाजार और ऋण बाजार

- इक्विटी बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ कंपनियों के अंशों (Shares) और स्टॉक्स (Stocks) का कारोबार होता है। इक्विटी बाजार अथवा शेयर बाजार अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यह कंपनियों को पूंजी तक पहुँच प्रदान करता है और निवेशकों को लाभ प्राप्त करना का अवसर प्रदान करता है।
- ऋण बाजार वह बाजार होता है, जहाँ ऋण विलेखों (Debt Instruments) का कारोबार होता है। ऋण विलेख वे परिसंपत्तियाँ होती हैं जिसमें धारक को एक निश्चित भुगतान की आवश्यकता होती है, सामान्यतः ब्याज के साथ।

कारण

- विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज (Green and Orange) जोन्स में लॉकडाउन प्रतिबंधों में काफी हद तक ढील देने की घोषणा की है और साथ ही रेड जोन (Red Zones) में कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है, जिससे देश की आर्थिक गतिविधियों में कुछ तेजी आई। सरकार के इन निर्णयों का प्रभाव FPIs के बहिर्वाह पर भी देखने को मिला है।
- भारत में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ आर्थिक अनिश्चितता भी बढ़ती जा रही है, हालाँकि दुनिया भर के अधिकांश देश COVID-19 के लिये वैक्सीन विकसित करने में लगे हुए हैं, जिसमें कुछ देशों को प्रगति भी मिली है, इसलिये निवेशकों के मध्य कुछ विश्वास पैदा हुआ है।
- अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूत करने के लिये सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा समय-समय पर घोषित किये गए उपायों ने भी निवेशकों के मध्य विश्वास पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment- FPI)

- FPI किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है, जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बॉण्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है।
- FPI के तहत निवेशक शेयर के लाभांश या ऋण पर मिलने वाले ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं।
- FPI में निवेशक 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' के विपरीत कंपनी के प्रबंधन (उत्पादन, विपणन आदि) में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है।

कैलाश मानसरोवर के लिये नवीन सड़क मार्ग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय 'रक्षा मंत्री' (Defence Minister) ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रे (Lipulekh Pass) से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये एक नवीन मार्ग है।

प्रमुख बिंदु:

- इस 80 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण 'चाइना स्टडी ग्रुप' (China Study Group- CSG) के निर्देशों के अनुसार किया गया है।
- यह सड़क परियोजना 'भारत-चीन बॉर्डर रोड' (Indo-China Border Road- ICBR) द्वारा वित्त पोषित है।

कैलाश पर्वत:

- कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में अवस्थित है जो उत्तराखंड की सीमा से 100 किमी. से भी कम दूरी पर है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन तथा बोन (Bon: तिब्बत का धर्म जो स्वयं की बौद्ध धर्म से अलग मानते हैं) धर्मों में पवित्र माना जाता है।
- हिंदुओं में कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के निवास के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदुओं द्वारा इसे पृथ्वी का केंद्र तथा स्वर्ग की अभिव्यक्ति माना जाता है।

लिपुलेख दर्रा:

- लिपुलेख दर्रा 17,000 फीट की ऊँचाई पर भारत, चीन और नेपाल के त्रि-जंक्शन के करीब उत्तराखंड में अवस्थित है। नवीन लिपुलेख सड़क मार्ग:
- इस सड़क मार्ग का निर्माण 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control- LAC) के करीब उत्तराखंड में किया गया है। यह सड़क काली नदी; जो भारत-नेपाल सीमा का निर्माण करती है, के साथ संरेखित है।
- इस सड़क का निर्माण होने से 'सीमा सड़क संगठन' (Border Roads Organisation- BRO) द्वारा किया गया है। यह सड़क धारचूला (Dharchula) को लिपुलेख (चीन सीमा पर) को जोड़ती है।
- इस सड़क परियोजना को 'सुरक्षा पर कैबिनेट समिति' (Cabinet Committee on Security- CCS) द्वारा वर्ष 2005 में मंजूरी दी गई थी तथा इसे वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना था।
- वर्ष 2018 में इस परियोजना की कुल लागत 439.40 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी।

लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा:

- कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये इस नवीन मार्ग में दूरी को निम्नलिखित परिवहन माध्यमों तथा मार्गों से तय किया जाएगा।
 - ◆ दिल्ली से पिथौरागढ़ तक की 490 किमी. की दूरी सड़क मार्ग से;
 - ◆ पिथौरागढ़ से घाटिबगढ़ (Ghatiabgarh) तक 130 किमी. सड़क मार्ग से;
 - ◆ घाटिबगढ़ से लिपुलेख दर्रा (चीन सीमा तक) तक 79 किमी. पैदल मार्ग से;
 - ◆ चीन की सीमा में 5 किमी. की दूरी पैदल मार्ग से तथा उसके बाद 97 किमी. की दूरी सड़क मार्ग से तय की जाती है।
 - ◆ 43 किमी. लंबाई की पैदल परिक्रमा सड़क द्वारा तय की जाती है।

नवीन मार्ग का महत्त्व:

- प्रथम, नवीन मार्ग की लंबाई कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये उपलब्ध अन्य मार्गों की तुलना में लगभग पाँचवें हिस्से के बराबर है। अतः नवीन मार्ग लंबाई में सबसे छोटा तथा यात्रा खर्च के अनुसार सबसे सस्ता है।
- द्वितीय, नवीन मार्ग की संपूर्ण दूरी पैदल या वाहनों से तय की जाएगी तथा इसमें कोई हवाई यात्रा शामिल नहीं है।
- तृतीय, इस इस मार्ग से की जाने वाली यात्रा मार्ग का लगभग 84% हिस्सा भारत में है, केवल 16% हिस्सा ही चीन में है। जबकि अन्य मार्गों का लगभग 80% हिस्सा चीन में स्थित है।
- चतुर्थ, लिपुलेख दर्रे पर चीनी सीमा में 5 किमी के मार्ग को छोड़कर लगभग संपूर्ण यात्रा अब वाहनों द्वारा की जा सकेगी।

कैलाश मानसरोवर यात्रा के अन्य मार्ग:

- वर्तमान में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये दो अन्य मार्ग; सिक्किम मार्ग और दूसरा काठमांडू मार्ग, हैं।

- सिक्किम मार्ग:
 - ◆ सिक्किम मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये सर्वप्रथम दिल्ली से 1115 किमी. दूर स्थित बागडोगरा (पश्चिम बंगाल) के लिये उड़ान भरी जाती है, उसके बाद 1665 किमी. की दूरी सड़क द्वारा तय की जाती है। 43 किमी. पैदल परिक्रमा पैदल चलकर तय की जाती है।
- काठमांडू मार्ग:
 - ◆ सर्वप्रथम दिल्ली से 1150 किमी. दूरी पर स्थित काठमांडू के लिये की उड़ान भरी जाती है तथा उसके बाद 1940 किमी. की दूरी सड़क मार्ग से (या दो हवाई उड़ानों एवं हेलीकाप्टर से) तथा 43 किमी. की परिक्रमा पैदल चलकर तय की जाती है।

गेहूँ की खरीद में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) के अनुसार, देश में सभी प्रमुख खरीद वाले राज्यों (Procuring States) में गेहूँ की खरीद तेजी से हो रही है।

प्रमुख बिंदु

- 26 अप्रैल, 2020 तक केंद्रीय पूल के लिये कुल 88.61 लाख मीट्रिक टन (Lakh Metric Tonnes-LMT) गेहूँ की खरीद हो चुकी है।
- इसमें 48.27 LMT के साथ सबसे अधिक योगदान पंजाब का रहा है, जिसके पश्चात् 19.07 LMT के साथ हरियाणा का स्थान है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि खरीद की मौजूदा गति में वर्तमान सत्र में 400 LMT का लक्ष्य काफी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
- खपत वाले राज्यों में कई प्रमुख अनलॉडिंग केंद्रों के हॉटस्पॉट और नियंत्रण क्षेत्र घोषित होने के कारण कई प्रकार के प्रतिबंधों के बावजूद इस अवधि के दौरान 53.47 LMT खाद्यान्न की अनलॉडिंग की गई है।
- ऐसा अनुमान है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दिये जाने के साथ आने वाले दिनों में अनलॉडिंग की मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) के अंतर्गत 3 महीने (अप्रैल से जून) के लिये प्रति व्यक्ति मुफ्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरण की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और लक्षद्वीप पहले ही अपने 3 महीने के पूरे कोटे को प्राप्त कर चुके हैं।

COVID-19 संबंधी नियमों का पालन

- मंत्रालय के अनुसार, COVID-19 के प्रसार के खतरे को देखते हुए मंडियों में पर्याप्त सावधानी और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के साथ ही खरीद की जा रही है।
- साथ ही सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं कि किसानों को इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

भारतीय खाद्य निगम की भूमिका

- ध्यातव्य है कि रेलवे और भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) भी इस विषय पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 27 मार्च, 2020 तक भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिये खाद्यान्नों की जरूरत को पूरा करने हेतु कुल 2,087 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 58.44 LMT खाद्यान्न भेजा गया है।
- FCI ने जरूरतों को पूरा करने के लिये सभी राज्यों में पर्याप्त भंडार की व्यवस्था कर ली है। पश्चिम बंगाल के मामले में 3 महीने के लिये जरूरी लगभग 9 LMT के अतिरिक्त आवंटन की योजना पहले ही तैयार कर ली गई है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में इतनी कम अवधि में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 4 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से पश्चिम बंगाल के विभिन्न राज्यों में ट्रेनों के माध्यम से चावल भेजे जाएंगे।

भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI)

- भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) 'उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- FCI एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया।
- इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana)

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब परिवारों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत भारत के लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों (भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या) को शामिल किया गया है।
- इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 3 महीनों के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है।
- उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये 3 महीनों के दौरान क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक परिवार को मुफ्त में 1 किलो दाल भी प्रदान की जा रही है।

राजस्थान में टिड्डियों का हमला

चर्चा में क्यों:

फसलों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली रेगिस्तानी टिड्डियों (Locusts) का बढ़ता समूह राजस्थान के किसानों के लिये चिंता का विषय बना हुआ है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि टिड्डी चेतावनी संगठन (Locust Warning Organization- LWO) ने राजस्थान के जैसलमेर और श्री गंगानगर जिलों में रेगिस्तानी टिड्डियों (Desert Locust) की आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की है।
- आमतौर पर भारत में टिड्डियाँ केवल जुलाई-अक्टूबर के दौरान देखी जाती हैं परंतु अप्रैल माह में इन्हें देखा जाना एक चिंता का विषय है।
- LWO के अनुसार, टिड्डियों को अप्रैल के शुरूआती दिनों में पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के फाजिल्का जिला में देखा गया था। लेकिन उस समय इनकी संख्या काफी कम थी।
- इन टिड्डियों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण मई और अक्टूबर 2018 में आए मेकुनु और लुबान नामक चक्रवाती तूफान हैं, जिनके कारण दक्षिणी अरब प्रायद्वीप के बड़े रेगिस्तानी इलाके झीलों में तब्दील हो गए थे। अतः इस घटना के कारण भारी मात्रा में टिड्डियों का प्रजनन हुआ।

टिड्डी (Locusts):

- मुख्यतः टिड्डी एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है जो विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं।
- टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियाँ सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती हैं।
- आमतौर पर जुलाई-अक्टूबर के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होती हैं।
- अच्छी बारिश और परिस्थितियाँ अनुकूल होने की स्थिति में ये तेजी से प्रजनन करती हैं। उल्लेखनीय है कि मात्र तीन महीनों की अवधि में इनकी संख्या 20 गुना तक बढ़ सकती है।

भारत में टिड्डी:

- भारत में टिड्डियों की निम्नलिखित चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं :
 - ◆ रेगिस्तानी टिड्डी (Desert Locust)
 - ◆ प्रवासी टिड्डी (Migratory Locust)
 - ◆ बॉम्बे टिड्डी (Bombay Locust)
 - ◆ ट्री टिड्डी (Tree Locust)

रेगिस्तानी टिड्डी (Desert Locust):

- रेगिस्तानी टिड्डीयों को दुनिया के सभी प्रवासी कीट प्रजातियों में सबसे खतरनाक माना जाता है। इससे लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और आर्थिक विकास पर खतरा उत्पन्न होता है।
- ये व्यवहार बदलने की अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से अलग होते हैं और लंबी दूरी तक पलायन करने के लिये बड़े-बड़े झुंडों का निर्माण करते हैं।
- सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। साथ ही 40-80 मिलियन टिड्डीयाँ 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समायोजित हो सकते हैं।
- एक अकेली रेगिस्तानी मादा टिड्डी 90-80 दिन के जीवन चक्र के दौरान 60-80 अंडे देती है।

टिड्डी चेतावनी संगठन (Locust Warning Organization-LWO):

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) के वनस्पति संरक्षण, संग्रह एवं संग्रह निदेशालय (Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage) के अधीन आने वाला टिड्डी चेतावनी संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डीयों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिये जिम्मेदार है।
- इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है।

स्वर्ण भंडार में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) में 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.01 टन (40.45 टन की वृद्धि) हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वर्ण भंडार 612.56 टन था।
- स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि के कारण वर्तमान में इसका कुल मूल्य बढ़कर 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि मार्च 2019 तक इसका मूल्य 23.07 बिलियन डॉलर था।
- ध्यातव्य है कि कुल स्वर्ण भंडार में से 360.71 टन सोना 'बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट' में आरक्षित है।
- उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 तक कुल विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) में सोना बढ़कर 6.40% (मूल्य के संदर्भ में) हो गया है, जबकि मार्च 2019 तक यह 5.59% था।
- दरअसल अक्टूबर 2019-फरवरी 2020 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि दर्ज की गई थी, परंतु मार्च 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 477.81 बिलियन डॉलर हो गया है।
- मार्च 2020 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 477.81 बिलियन डॉलर में से 263.4 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में तथा 147.5 बिलियन डॉलर अन्य केंद्रीय बैंक में आरक्षित किया गया है।

वैश्विक स्तर पर स्वर्ण भंडार की स्थिति:

- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (World Gold Council) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, जनवरी-मार्च 2020 के दौरान स्वर्ण भंडार में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। विभिन्न देशों के स्वर्ण भंडार में वृद्धि निम्नलिखित है-
 - ◆ संयुक्त अरब अमीरात का केंद्रीय बैंक (7 टन)
 - ◆ भारत (6.8 टन)

- ◆ कजाखस्तान (2.8 टन)
 - ◆ उज़्बेकिस्तान (2.2 टन)।
 - जनवरी-मार्च 2020 के बीच तुर्की के स्वर्ण भंडार में 72.7 टन (तुर्की के कुल स्वर्ण भंडार का 29%) की वृद्धि दर्ज की गई है।
 - उल्लेखनीय है कि श्रीलंका का केंद्रीय बैंक जनवरी-मार्च 2020 में सोने का सबसे बड़ा विक्रेता था, जिसका स्वर्ण भंडार 12.9 टन से घटकर 6.7 टन हो गया है। साथ ही इस तिमाही में जर्मनी और तजाकिस्तान ने क्रमशः 2.3 टन तथा 2.1 टन सोने की बिक्री की थी।
- विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves):
- किसी देश/अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा संपत्ति/भंडार कहलाती है।
 - किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्व शामिल होते हैं-
 - ◆ विदेशी परिसंपत्तियाँ (विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में)
 - ◆ स्वर्ण भंडार
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) के पास रिज़र्व कोष (Reserve Trench)
 - ◆ विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDR)

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (World Gold Council):

- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादकों का एक गैर-लाभकारी संघ है।
- इसका मुख्यालय लंदन में है।
- यह स्वर्ण उद्योग के लिये एक बाज़ार विकास संगठन है, जिसमें 25 सदस्य और कई स्वर्ण खनन कंपनियाँ भी शामिल हैं।
- WGC की स्थापना विपणन, अनुसंधान और लॉबिंग के माध्यम से सोने के उपयोग तथा मांग को बढ़ावा देने के लिये की गई थी।

गुजरात कृषि उपज बाज़ार (संशोधन) अध्यादेश, 2020

चर्चा में क्यों ?

गुजरात में राज्य-संचालित कृषि उपज बाज़ार समितियों (Agricultural Produce Market Committees-APMCs) के 'एकाधिकार' को समाप्त करते हुए राज्य सरकार ने गुजरात कृषि उपज बाज़ार (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि इस अध्यादेश के माध्यम से निजी संस्थाओं को अपनी बाज़ार समितियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त होगी, जो किसानों को उनकी उपज के लिये सर्वोत्तम संभव पारिश्रमिक पेश कर सकेंगी।
- गुजरात सरकार का यह अध्यादेश बाज़ार समितियों के अधिकार क्षेत्र को उनकी भौतिक सीमाओं तक सीमित करता है।
- अब तक एक विशेष तालुका के किसानों को अपनी उपज को अपने संबंधित APMCs को ही बेचना पड़ता था। यहाँ तक कि व्यापारी भी अपने स्वयं के तालुकों तक ही सीमित थे। APMCs द्वारा अपने क्षेत्राधिकार और उससे बाहर होने वाले सभी लेन-देन पर उपकर लगाया जाता था
- गत वित्तीय वर्ष में गुजरात के 24 APMCs ने मिलकर 35,000 करोड़ रुपए का लेनदेन किया और लेनदेन पर उपकर (0.5 प्रतिशत लेनदेन) के रूप में 350 करोड़ रुपए कमाए थे।
 - ◆ विश्लेषण के अनुसार, उपकर के माध्यम से अर्जित किया गया अधिकांश लाभ ऐसे लेन-देनों से प्राप्त हुआ था, जो APMCs की भौतिक सीमा से बाहर किये गए थे।
- नए नियमों के अनुसार, अब APMCs केवल उन लेन-देनों पर उपकर लगा सकती हैं जो उनकी सीमाओं के भीतर होते हैं।
- नियमों के अनुसार, किसी भी निजी संस्था के स्वामित्व वाले कोल्ड स्टोरेज या गोदाम को निजी बाज़ार में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि मौजूदा APMCs के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और किसानों को सर्वोत्तम मूल्य प्रदान कर सकते हैं।

- इस अध्यादेश के तहत व्यापारियों को एक 'एकीकृत एकल व्यापार लाइसेंस' (Unified Single Trading Licence) भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से वे राज्य में कहीं भी व्यापारिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।

महत्त्व

- उल्लेखनीय है कि कई किसान निकायों ने राज्य के इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि इससे किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के आधार पर उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- अध्यादेश के माध्यम से जो आमूलचूल परिवर्तन किये गए हैं, वे न केवल APMCs को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाएंगे, बल्कि राज्य संचालित APMCs के एकाधिकार को समाप्त करके एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे।
- अब किसानों को केवल एक विशेष APMCs को अपना माल बेचने के लिये बाध्य नहीं होना पड़ेगा, जिससे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
- यह अध्यादेश राज्य में APMCs के एकाधिकार को समाप्त कर देगा जो एक संघ बनाकर यह तय करते थे कि किसानों को उपज की क्या कीमतें प्रदान की जाए।

कृषि उपज बाजार समिति (Agricultural Produce Market Committees-APMCs)

- कृषि उपज बाजार समिति (Agricultural Produce Market Committees-APMCs) एक राज्य सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक बाजार समिति होती है, जिसे कुछ अधिसूचित कृषि, बागवानी अथवा पशुधन उत्पादों में व्यापार के संबंध में गठित किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के तहत कृषि विपणन राज्य सूची का विषय है। इसीलिये कृषि बाजार अधिकांशतः राज्य APMC अधिनियमों के तहत स्थापित और विनियमित किये जाते हैं। इसीलिये कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने कानून अधिनियमित किये हुए हैं।
- APMCs के प्रमुख कार्य
 - ◆ मूल्य निर्धारण प्रणाली और बाजार क्षेत्र में होने वाले लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना;
 - ◆ यह सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान उसी दिन प्राप्त हो;
 - ◆ कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना;
 - ◆ बिक्री के लिये बाजार क्षेत्र में लाए गए कृषि उपज और उनकी दरों पर से संबंधित आँकड़ों को सार्वजनिक करना;
 - ◆ कृषि बाजारों के प्रबंधन में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

आगे की राह

- उल्लेखनीय है कि छोटे APMCs को अनुचित प्रतिस्पर्द्धा से बचाना इस संबंध में एक बड़ा मुद्दा, जिससे इस अध्यादेश में संबोधित नहीं किया गया है, हालाँकि सरकार आगामी दिनों में एक ऐसा नियम लाने की योजना बना रही है जो मौजूदा APMCs के पाँच किलोमीटर के दायरे में एक निजी बाजार की स्थापना की अनुमति नहीं देगा।
- राज्य सरकार का यह निर्णय एक परिवर्तनकारी कदम है, हालाँकि इससे राज्य के APMCs के राजस्व पर काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि APMCs अपने राजस्व का एक विशिष्ट हिस्सा उनकी भौतिक सीमा से बाहर होने वाले लेनदेनों पर उपकर लगाकर प्राप्त करती हैं।
- आवश्यक है कि इस निर्णय को पूर्ण रूप से लागू करने से पूर्व राज्य संचालित APMCs को विश्वास में लिया जाए और उनके विभिन्न मुद्दों को हल किया जाए।

'भारतीय बैंक संघ' द्वारा 'बैंड बैंक' की सिफारिश

चर्चा में क्यों ?

हाल में 'भारतीय बैंक संघ' (Indian Banks' Association- IBA) ने वित्त मंत्रालय को 'सशक्त पैनल' की अनुशंसाओं के आधार पर 'बैंड बैंक' का निर्माण करने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु:

- 'बैड बैंक' के निर्माण के बाद बैंकों के 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के 'बैड लोन' 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' (Asset Reconstruction Company) को स्थानांतरित करने की संभावना है।
- सरकार 'बैड बैंक' (Bad Bank) में लगभग 9,000-10,000 करोड़ रुपये के योगदान के साथ 50% तक पूँजी निवेश कर सकती है।

बैड बैंक की अवधारणा:

- 'बैड बैंक' एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- जब किसी बैंक की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिये धारण कर लेता है।

सशक्त पैनल (Sashakt Panel):

- जुलाई, 2018 में सुनील मेहता की अध्यक्षता में दबावपूर्ण परिसंपत्तियों (Stressed Assets) के समाधान के लिये सुझाव दिये थे। सुनील मेहता जो वर्तमान में 'प्रोजेक्ट सशक्त' (Project Sashakt) के भी अध्यक्ष हैं। अतः 'सुनील मेहता' समिति को 'सशक्त पैनल' (Sashakt Panel) के रूप में भी जाना जाता है। पैनल ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को हल करने के लिये 'पाँच-आयामी दृष्टिकोण' का प्रस्ताव दिया था।
- पैनल ने सिफारिश की थी कि ARC के तहत बड़े बैड लोन का समाधान किया जा सकता है।

IBA की सिफारिश:

- 'भारतीय बैंक संघ' (IBA) जो कि एक दबाव समूह है, ने 'प्रोजेक्ट सशक्त' की सिफारिशों को आधार बनाकर तीन संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है:
- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' (Asset Reconstruction Company- ARC):
 - ◆ ARC एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट को स्वच्छ और संतुलित रखने में उनकी सहायता करने के लिये उनसे 'गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों' (Non-Performing Assets- NPA) या खराब ऋण खरीदती है। दूसरे शब्दों में ARC बैंकों से खराब ऋण खरीदने के कारोबार में कार्यरत वित्तीय संस्थान हैं।

परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company- AMC):

- AMC परिसंपत्तियों का प्रबंधन, जिसमें प्रबंधन का अधिग्रहण या परिसंपत्तियों के पुनर्गठन जैसे कार्य करेगी। 500 करोड़ रुपए से अधिक के फँसे ऋण के लिये AMC की स्थापना की जाएगी। AMC बैंकों द्वारा NPA घोषित किये हुए ऋण को खरीदेगा जिससे इस कर्ज का भार बैंकों पर नहीं पड़ेगा।
- यह कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। AMC सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के निवेशकों से धन जुटाएगी।

वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund- AIF):

- परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी' (AMC) को AIF के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।
- IBA ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बैड लोन की प्राप्ति के लिये एक स्वतंत्र ARC के गठन की सिफारिश की है।

भारत में NPAs की स्थिति:

- CARE रेटिंग एजेंसी के विश्लेषण के अनुसार, दिसंबर 2018 में वाणिज्यिक बैंकों की 'सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति' दिसंबर 2018 में 9.7 ट्रिलियन रुपए से घटकर 9 ट्रिलियन हो गई है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी अभी भी अधिक बनी हुई है। दिसंबर, 2019 के अनुसार, इनकी हिस्सेदारी 7.2 ट्रिलियन रुपए है।

ई-नाम पोर्टल पर मंडियों की संख्या में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) ने 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 177 नई मंडियों को कृषि उत्पाद के विपणन हेतु 'ई-नाम' (e-NAM) पोर्टल से जोड़ा है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि 'ई-नाम' से जुड़ने वाली मंडियों की संख्या बढ़कर 962 (पहले इनकी संख्या 785) हो गई है।
- 'ई-नाम' पोर्टल से जोड़ी गई मंडियाँ इस प्रकार हैं- गुजरात (17), हरियाणा (26), जम्मू और कश्मीर (1), केरल (5), महाराष्ट्र (54), ओडिशा (15), पंजाब (17), राजस्थान (25), तमिलनाडु (13) और पश्चिम बंगाल (1)।
- ध्यातव्य है कि इससे पहले 'ई-नाम' पोर्टल से 17 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों की 785 मंडियों को जोड़ा गया था। इन मंडियों से 1.66 करोड़ किसान, 1.30 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट जुड़े थे।
- 9 मई 2020 तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक कीमत के बाँस और नारियल जैसे उत्पादों का कारोबार किया गया है।
- ध्यातव्य है कि 2 अप्रैल 2020 को COVID-19 के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन के दौरान मंडियों से भीड़भाड़ कम करने हेतु ई-नाम पोर्टल में संशोधन कर एफपीओ ट्रेड मॉड्यूल (FPO Trade Module), लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल (Logistics Module) और ईएनडब्ल्यूआर (eNWR) आधारित भंडारण मॉड्यूल की शुरुआत की गई थी।
- 2 अप्रैल 2020 से अब तक 'ई-नाम' पोर्टल पर 15 राज्यों के 82 एफपीओ ने 12048 क्विंटल (2.22 करोड़ रुपये के) जिंसों का कारोबार किया है।
- 'ई-नाम' पोर्टल के साथ 9 लॉजिस्टिक्स सर्विस एग्रीगेटर्स ने साझेदारी की है जिसमें 2,31,300 ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो परिवहन सेवा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 11,37,700 ट्रकों को उपलब्ध करा रहे हैं।

ई-नाम पोर्टल में संशोधन:

- ई-नाम में गोदामों से व्यापार की सुविधा हेतु वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल:
 - ◆ वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (Warehousing Development and Regulatory Authority- WDRA) से पंजीकृत वेयरहाउस में भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा से सीमांत किसान अपने उत्पादों को सीधे WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस से कर सकेंगे। WDRA से पंजीकृत गोदामों में किसान अपने उत्पाद को रख सकेंगे।
- किसान उत्पादक संगठन ट्रेडिंग मॉड्यूल:
 - ◆ 'किसान उत्पादक संगठन ट्रेडिंग मॉड्यूल' लॉन्च किया गया है ताकि किसान उत्पादक संगठन अपने संग्रह केंद्रों से उत्पाद और गुणवत्ता मानकों की तस्वीर अपलोड कर खरीददारों को बोली लगाने में मदद कर सकें।
- लॉजिस्टिक मॉड्यूल:
 - ◆ वर्तमान में ई-नाम पोर्टल व्यापारियों को व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टर्स की जानकारी प्रदान करता है। लेकिन व्यापारियों द्वारा लॉजिस्टिक की ज़रूरत के मद्देनजर एक बड़ा लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को विकल्प प्रदान करेगा। लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक कृषि उत्पाद को शीघ्रता से पहुँचाया जा सकेगा।

ई-नाम' (eNAM):

- केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में ई-नाम (eNAM) नामक पोर्टल की शुरुआत की गई थी।
- ई-नाम एक पैन इंडिया ई-व्यापार प्लेटफॉर्म है। कृषि उत्पादों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का सृजन करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है।
- इसके तहत किसान अपने नज़दीकी बाज़ार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं तथा व्यापारी कहीं से भी उनके उत्पाद के लिये मूल्य चुका सकते हैं।

- इसके परिणामस्वरूप व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी होगी।
- इसके माध्यम से मूल्यों का निर्धारण भली-भाँति किया जा सकता है तथा किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होगा।
- ई-नाम पोर्टल पर वर्तमान में, खाद्यान्न, तिलहन, रेशे, सब्जियों और फलों सहित 150 वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है। साथ ही इस पर 1,005 से अधिक 'किसान उत्पादक संगठन' पंजीकृत हैं।

फसलों पर तपेदिक रोधी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग पर रोक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति' (Central Insecticides Board and Registration Committee- CIBRC) के तहत कार्यरत पंजीकरण समिति (Registration Committee- RC) ने फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन (Streptomycin) और टेट्रासाइक्लिन (Tetracycline) एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने का सुझाव दिया है।

मुख्य बिंदु:

- पंजीकरण समिति के सुझावों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में जीवाणु रोग नियंत्रण के अन्य विकल्प उपलब्ध हैं वहाँ फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को तात्कालिक रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।
- जबकि जिन क्षेत्रों में जीवाणु रोग नियंत्रण के अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं वहाँ वर्ष 2022 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रयोग को कम किया जाना चाहिये।
- ◆ परंतु तब तक (वर्ष 2022 के अंत तक) निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए इन एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
- ◆ समिति की अंतिम रिपोर्ट में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट (9%) और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड (1%) के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग के सुझाव को स्वीकृति दी गई है।

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति

(Central Insecticides Board and Registration Committee- CIBRC):

- CIBRC की स्थापना 'कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय' (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) द्वारा वर्ष 1970 में की गई थी।
- CIBRC की स्थापना का उद्देश्य मनुष्यों, पशुओं और कीटनाशकों से जुड़े अन्य खतरों को देखते हुए देश में कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करना था।
- देश में कीटनाशकों का विनियमन 'कीटनाशक अधिनियम, 1968' और 'कीटनाशक नियम, 1971' के तहत विनियमित किया जाता है।

चुनौतियाँ:

- कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग:
 - ◆ यद्यपि CIBRC द्वारा मात्र 8 फसलों में स्ट्रेप्टोमाइसिन के उपयोग की अनुमति दी गई है परंतु नियमों की अनदेखी करते हुए इसका प्रयोग अन्य फसलों में भी किया जाता है।
 - ◆ विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment- CSE) द्वारा पिछले कुछ वर्षों से फसलों पर महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जाता रहा है।
 - ◆ नवंबर, 2019 में विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह (World Antibiotic Awareness Week- WAAW) के समय CSE ने महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के संदर्भ में विस्तृत आँकड़े उपलब्ध कराए थे।
 - ◆ इस अध्ययन में देखा गया कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कृषि फार्मों पर नियमित रूप से स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन (90:10 के अनुपात में) के मिश्रण का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है।

प्रतिजैविक प्रतिरोध:

- विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि में बड़ी मात्रा में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से प्रतिजैविक प्रतिरोध (Antibiotic Resistance) का संकट उत्पन्न हो सकता है।
- इस मत के अनुसार, एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा संपर्क में आने से व्यक्ति में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी क्षमता का विकास हो सकता है, जिससे किसी बीमारी के उपचार हेतु व्यक्ति को सामान्य एंटीबायोटिक देने से बीमारी पर इसका कोई लाभ नहीं होगा।

मनुष्यों में स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग:

- CSE के अनुसार, पहले से तपेदिक (Tuberculosis -TB) का इलाज करा चुके मरीजों के मामले में स्ट्रेप्टोमाइसिन एक महत्वपूर्ण दवा का कम करती है। भारत में TB से ग्रस्त लोगों में ऐसे मरीजों की संख्या 10% है।
- साथ ही इसका प्रयोग मल्टी ड्रग-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (MDR-TB) के मरीजों और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस (TB Meningitis or Brain TB) के मामलों में भी किया जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को मनुष्यों के लिये एक महत्वपूर्ण दवा के रूप में माना है।

समाधान:

- पंजीकरण समिति के अनुसार, फसलों में लगने वाले रोगों को 'एकीकृत कीट प्रबंधन' (Integrated Pest Management) या ऐसी ही अन्य प्रक्रियाओं को अपना कर नियंत्रित किया जा सकता है।

'एकीकृत कीट प्रबंधन' (Integrated Pest Management- IPM):

- IPM एक पारिस्थितिकी तंत्र आधारित (Ecosystem-Based) रणनीति है, जिसमें लंबे समय के लिये कीटों की रोकथाम और उनके हनिकारक प्रभावों पर नियंत्रण पर ध्यान रखते हुए कुछ तकनीकों का समायोजन किया जाता है।
 - ◆ इनमें जैविक नियंत्रण, पारिस्थितिकी बदलाव, अलग-अलग प्रजातियों के प्रतिरोधकों का प्रयोग आदि शामिल है।
- इस प्रक्रिया में पौधों, हानिकारक कीटों, जैविक परिस्थिति आदि का विस्तृत अध्ययन कर कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है।
- इसके तहत कीटनाशकों के प्रयोग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस प्रक्रिया में मनुष्यों, पशुओं और प्रकृति को कम-से-कम क्षति हो।
- पंजीकरण समिति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) से CSE के सुझावों के अनुरूप बेहतर और सुरक्षित विकल्पों पर शोध की शुरुआत करने का आग्रह किया है।

कृषि से संबंधित राहत उपायों की घोषणा**चर्चा में क्यों ?**

वित्त मंत्री ने COVID-19 महामारी आर्थिक पैकेज के रूप में कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के लिये कृषि अवसंरचना को मजबूत करने तथा कृषि शासन संबंधी सुधारों के लिये अहम उपायों की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई, 2020 को भारत की जीडीपी के 10% के बराबर, 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। इसी दिशा में वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधारों संबंधी आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई।
- कृषि संबंधी आर्थिक पैकेज में मुख्यतः 11 उपायों की घोषणा की गई है, जिसमें से 8 उपाय कृषि बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने से संबंधित है जबकि 3 उपाय प्रशासनिक एवं शासन संबंधी सुधारों से संबंधित हैं।

फार्म-गेट अवसंरचना (Farm-Gate Infrastructure):

- किसानों के लिये कृषि द्वार (फार्म-गेट) अवसंरचना के विकास के लिये 1 लाख करोड़ रुपये का 'कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष' के निर्माण की घोषणा की गई।

- फार्म-गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्ट-अप आदि) पर मौजूद 'कृषि आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं' के वित्तपोषण के लिये 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों (Micro Food Enterprises- MFE) का औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश:

- MFE को औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश की दिशा में 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ 'वैश्विक पहुँच वाली वोकल फॉर लोकल' (Vocal for Local with Global Outreach) योजना शुरू की जाएगी। इससे ऐसे उद्यमियों को फायदा होगा जिनको खाद्य मानकों को हासिल करने, ब्रांड खड़ा करने और विपणन के लिये तकनीकी उन्नयन की जरूरत है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana- PMMSY):
- 'समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यन और जलकृषि' (Marine, Inland fisheries and Aquaculture) के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिये 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' शुरू की जाएगी। योजना के लिये 20,000 हजार करोड़ रुपए योगदान की घोषणा की गई।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Program):

- 'खुरपका मुंहपका रोग' (Foot and Mouth Disease- FMD) और ब्रुसेल्लोसिस के लिये 'राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम' 13,343 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को आगे और अधिक आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास कोष

(Animal Husbandry Infrastructure Development Fund):

- डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यांकन एवं पशुचारा आधारित आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का 'पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास कोष' स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने वाली इकाइयों को इस कोष के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
औषधीय या हर्बल खेती को प्रोत्साहन (Promotion of Herbal Cultivation):
- अगले दो वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से हर्बल खेती के तहत 10,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। औषधीय पौधों के लिये क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- 'राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड' (National Medicinal Plants Board) गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में 'औषधि गलियारा' विकसित कर औषधीय पौधे लगाएगा।

मधुमक्खी पालन संबंधी पहल (Beekeeping Initiatives):

- 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि के माध्यम से मधुमक्खी पालन क्षेत्र में अनेक योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा।

'टॉप' टू 'टोटल' (TOP to TOTAL):

- 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय' (Ministry of Food Processing Industries-MOFPI) द्वारा संचालित 'ऑपरेशन ग्रीन्स'; जो वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू (Tomatoes, Onions and Potatoes-TOP) को कवर करता है, को सभी फलों एवं सब्जियों तक विस्तृत किया जाएगा।
- योजना के माध्यम से फसलों के परिवहन तथा भंडारण पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना को अगले 6 महीनों के लिये प्रायोगिक रूप में शुरू किया जाएगा तथा बाद में इसे आगे बढ़ाया एवं विस्तारित किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में शासन एवं प्रशासन संबंधी सुधार:

- 'आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन' (Amendment in Essential Commodities Act):
 - ◆ सरकार द्वारा 'आवश्यक वस्तु अधिनियम'-1955 में संशोधन किया जाएगा। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे- राष्ट्रीय आपदा, कीमती मंत्र अत्यधिक वृद्धि, अकाल आदि की स्थिति में भंडारण की सीमा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा भंडारण सीमा संबंधी नियम 'मूल्य श्रृंखला इकाइयों' के भागीदारों पर लागू नहीं होगा।

- कृषि विपणन सुधार (Agricultural Marketing Reform):
 - ◆ किसान को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिये पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने; निर्बाध अंतरराज्यीय व्यापार; कृषि उत्पादों की ई-ट्रेडिंग के लिये एक रूपरेखा बनाने की दिशा में केंद्रीय विपणन कानून का निर्माण किया जाएगा।
- कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन (Agricultural Yield Pricing and Quality Assurance):
 - ◆ सरकार किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से कृषि समूहों, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाने के लिये एक सुविधाजनक कानूनी संरचना का निर्माण करेगी।

निष्कर्ष:

- COVID-19 महामारी के तहत घोषित आर्थिक पैकेज में कृषि संबंधी उन सुधारों को शामिल किया गया है जिनकी मांग लगातार की जा रही थी। सुधारों के बाद किसान अपना उत्पाद न केवल किसानों को अपितु किसी को और किसी भी स्थान पर बेच सकता है।
- आर्थिक पैकेज न केवल कृषि अवसंरचना में सुधार करने में मदद करेगा अपितु व्यापारी तथा कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को देश के भीतर कृषि-उपज की किसी भी मात्रा को स्वतंत्र रूप से खरीद, स्टॉक और स्थानांतरित करने में सक्षम बनाएगा।

नकद लाभ हस्तांतरण में JAM की भूमिका

चर्चा में क्यों ?

हाल में COVID-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा सुभेद्य वर्गों को आर्थिक सहायता राशि 'जन धन योजना' (Jan Dhan Yojana) के तहत खोले गए बैंक खातों के माध्यम से प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु:

- जनधन-आधार-मोबाइल (Jandhan-Aadhaar-Mobile- JAM) अर्थात JAM ट्रिनिटी भारत की एक महत्वाकांक्षी अवसंरचना है।
- आर्थिक सर्वेक्षण- 2015 में JAM को 'हर आँसू से आँसू पोंछने' (Wiping Every Tear from Every Eye) वाली योजना के रूप में वर्णित किया है।

JAM (जैम) क्या है ?

- जन-धन, आधार और मोबाइल नंबर को संयुक्त रूप से JAM कहा जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और बिना किसी बाधा के डिजिटल भुगतान तंत्र का विकास करना है।

JAM के फायदे:

- JAM ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है तथा इससे गरीब लोग भी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर पा रहे हैं।
- सरकार को सब्सिडी का बोझ घटाने और लीकेज खत्म होने से राहत मिल रही है। वह जरूरतमंदों तक संसाधनों को तेजी से एवं सुरक्षित तरीके से पहुँचा पा रही है।

JAM के अर्थ में अस्पष्टता:

- वास्तव में JAM का क्या मतलब है, इसमें व्यावहारिक दृष्टि से अस्पष्टता है।
- JAM के वर्ष 2015 के मूल सूत्र में, JAM ट्रिनिटी के दो संभावित प्रकारों का उल्लेख किया गया था:
 - ◆ मोबाइल बैंकिंग आधारित;
 - ◆ पोस्ट ऑफिस भुगतान आधारित;
- दूसरे विकल्प अर्थात 'पोस्ट ऑफिस आधारित भुगतान' प्रणाली में बहुत कम वृद्धि देखी गई है क्योंकि इसमें शायद निजी लाभ की पर्याप्त गुंजाइश नहीं थी।

- इसलिये 'आधार-सक्षम मोबाइल बैंकिंग सेवाओं' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। भुगतान आधारित बैंकिंग अवसंरचना का लगातार बना रहना:
- जनवरी 2017 में 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तनकारी संस्थान' (National Institution for Transforming India- NITI) आयोग ने अनुमान लगाया कि मोबाइल बैंकिंग के अलावा अन्य सभी नकद धन हस्तांतरण के तरीके निकट भविष्य में शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे तथा सभी क्रेडिट कार्ड, एटीएम मशीन, पीओएस मशीन पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएगी।

JAM ट्रिनिटी को लेकर विवाद क्यों ?

- वर्तमान में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि यदि सरकार सभी को नकद हस्तांतरण करना चाहती है तो वह आधार आधारित JAM ट्रिनिटी के अलावा अन्य कौन-सा विकल्प हो सकता है।
- COVID-19 महामारी के दौरान जब गरीबों को नकद हस्तांतरण करने का समय आया तो JAM बहुत कम उपयोग में आया।
- गरीब लोग अभी भी मोबाइल आधारित बैंकिंग सेवाओं का बहुत कम लाभ ले पाते हैं वे अभी भी पुरानी पोस्ट-ऑफिस आधारित सेवाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त करते हैं।
- लोग लॉकडाउन के दौरान भी लोग लाभ प्राप्त करने के लिये लंबी कतारों में 'सामाजिक दूरी' नियमों की लगातार अवहेलना करते नजर आए।

JAM ट्रिनिटी में प्रमुख त्रुटियाँ:

जन-धन योजना में अपारदर्शिता:

- प्रथम, जन-धन योजना के बैंक खातों की तुलना में मनरेगा के तहत जॉब-कार्ड की सूची कहीं अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित है।
- जब वर्ष 2014-15 में जन-धन योजना के तहत बैंक खातों के एक लक्ष्य को पूरा करने के लिये व्यापक पैमाने पर बैंक खाते खोले गए।
- इस दौरान बैंकों द्वारा सभी बैंकिंग मानदंड की सही से जाँच नहीं की गई, जैसे:
 - ◆ बिना सहमति के खाते खोलना;
 - ◆ डुप्लिकेट खातों की संख्या में वृद्धि,
 - ◆ आधार नंबर को बिना सुरक्षा उपायों के उपयोग करना।
- बाद में JDY खातों (मार्च, 2017 में 40% से जनवरी, 2020 में 19% तक) की एक बड़ी संख्या 'निष्क्रिय' हो गई क्योंकि ग्राहक या तो इन खातों का प्रयोग करने में असमर्थ थे या अनिच्छुक थे।
- अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने JDY के खातों का आज भी परिचालन हो रहा है ताकि इसका पता लग सके कि इन खातों के माध्यम से किया गया धन हस्तांतरण सही समय में प्राप्तकर्ता तक पहुँच जाएगा।

जन-धन योजना के तहत महिला खातों संबंधी समस्या:

- महिलाओं के JDY खातों में नकद हस्तांतरण में उनकी बड़ी संख्या के अपवर्जन की संभावना है।
- येल यूनिवर्सिटी द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, केवल आधे से कम गरीब वयस्क महिलाओं के पास एक JDY खाता है।
- मनरेगा तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रमों के माध्यम से अपवर्जन त्रुटियों को कम किया जा सकता है।

नगरीय-ग्रामीण लाभार्थी संबंधी समस्या:

- JDY दृष्टिकोण में अन्य त्रुटियाँ भी हो सकती हैं। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड ग्रामीण श्रमिकों के लिये हैं जबकि JDY खाते सभी के लिये हैं।
- JDY लाभार्थी मनरेगा लाभार्थियों की तुलना में बेहतर आर्थिक स्थिति में होते हैं।
- JDY खाते गरीब और गैर-गरीब परिवारों दोनों को समान रूप से शामिल करते हैं।

निष्कर्ष:

डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने व 'डिजिटल डिवाइड' को दूर करने के लिये इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल साक्षरता एक-दूसरे पर परस्पर निर्भर है, अतः डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ-साथ डिजिटल कौशल प्रदान करने पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इससे दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले गरीब लोग भी JAM ट्रिनिटी जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

COVID-19 के कारण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'केंद्रीय व्यापार और उद्यम मंत्रालय' (Ministry of Commerce and Industry) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, COVID-19 और इसके नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन से वैश्विक व्यापार के प्रभावित होने के कारण अप्रैल (वर्ष 2020) माह में भारत में वस्तुओं के निर्यात और आयात में भारी गिरावट देखने को मिली है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय व्यापार और उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल माह में भारत से होने वाली वस्तुओं के निर्यात में 60.3% की गिरावट देखी गई, साथ ही इस दौरान अन्य देशों से होने वाले आयात में भी 58.7% की कमी हुई है।
- अप्रैल माह में देश के व्यापार में आई इस गिरावट के कारण 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया गया। इससे पूर्व मार्च 2020 में भी भारतीय वस्तुओं के निर्यात में 34.6% और आयात में 28.7% की गिरावट देखी गई थी।
- अप्रैल माह में भारत से निर्यात होने वाले 30 प्रमुख उत्पादों में मात्र दो उत्पादों-लौह अयस्क (17.5%) और दवाइयों (0.25%) के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली थी परंतु इस दौरान सभी प्रमुख उत्पादों के आयात में वृद्धि नकारात्मक ही रही।
- अप्रैल माह में मुख्य रूप से सोने, कीमती पत्थरों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और कोयला आदि के आयात में भारी गिरावट देखने को मिली।

वैश्विक व्यापार में गिरावट:

- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के अनुमान के अनुसार, COVID-19 महामारी और इसके नियंत्रण हेतु विश्व के कई देशों में लागू लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार में 13%-32% की गिरावट देखी जा सकती है।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (The Asian Development Bank- ADB) के अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में दक्षिण एशिया की जीडीपी में 142 बिलियन से 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.9-6%) की गिरावट देखी जा सकती है।
- ADB के अनुमान के अनुसार, दक्षिण एशिया की जीडीपी में आई इस गिरावट का मुख्य कारण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में COVID-19 के नियंत्रण हेतु लागू सख्त लॉकडाउन है।

भारतीय व्यापार में आई गिरावट का कारण:

- विशेषज्ञों के अनुसार, COVID-19 के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से स्थानीय बाजारों में उत्पादों की खपत में कमी आई है साथ ही वैश्विक स्तर पर उत्पादों और सेवाओं की मांग में गिरावट से भारतीय निर्यात को गंभीर क्षति हुई है।
- विश्व बैंक (World Bank) द्वारा हाल ही में जारी 'दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस' (South Asia Economic Focus) रिपोर्ट में भारतीय सेवा क्षेत्र में भी भारी अंतर्राष्ट्रीय गिरावट का अनुमान लगाया था।
- वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई अनिश्चितता से वैश्विक स्तर पर उद्यमों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई है।

गिरावट का प्रभाव:

- सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (Center For Monitoring Indian Economy- CMIE) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, मई के पहले सप्ताह तक भारत की बेरोज़गारी दर में 27% की वृद्धि देखी गई थी।
- CMIE के सर्वे के अनुसार, अप्रैल माह में लगभग 121.5 मिलियन लोगों को अपना रोज़गार गँवाना पड़ा था।
- WTO से जुड़े अर्थशास्त्रियों के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक व्यापार में आई यह गिरावट वर्ष 2008-09 की आर्थिक मंदी से भी गंभीर हो सकती है।
- हालाँकि सरकार ने हाल ही में उद्यमों को वित्तीय सहायता के साथ आने वाले दिनों में लॉकडाउन में ढील देने की बात कही है परंतु विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार के प्रयासों के बाद भी मई माह में वस्तुओं के आयात और निर्यात गिरावट बनी रहेगी।

आगे की राह:

- विशेषज्ञों के अनुसार, हाल ही में दवा और खाद्य जैसी 'अतिआवश्यक' वस्तुओं के व्यापार को पुनः शुरू किया गया है परंतु स्थितियों को सामान्य होने में समय लग सकता है।
- भारत में इंजीनियरिंग क्षेत्र की अधिकांश निर्यात इकाइयाँ 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम' (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME) श्रेणी की हैं और वर्तमान में ऐसी कंपनियों के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है।
- अतः सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों को तरलता में सहायता के साथ ही अन्य सहयोग जैसे-विद्युत् और पानी के शुल्क में माफी तथा श्रमिकों का वेतन देने में भी सहायता प्रदान करनी चाहिये।
- साथ ही सरकार को शीघ्र ही ऐसी कंपनियों की सभी बकाया राशि और रिफंड जारी करने चाहिये जिससे निर्यातकों को इस आपदा से निपटने में सहायता प्राप्त हो सके।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में चौथे आर्थिक पैकेज की घोषणा**चर्चा में क्यों ?**

वित्त मंत्री ने COVID-19 महामारी आर्थिक पैकेज के रूप में आठ प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों से संबंधित अहम उपायों की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई, 2020 को भारत की जीडीपी के 10% के बराबर, 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। इसी दिशा में वित्त मंत्री द्वारा 'चतुर्थ आर्थिक पैकेज' की घोषणा की गई।
- पैकेज के रूप में घोषित नीतिगत उपायों को 'विकास के नवीन क्षितिज' (New Horizons of Growth) की प्राप्ति के रूप में प्रारंभ किया जाएगा।
- आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है

कोयला क्षेत्र (Coal Sector):

- कोयले के आयात में कमी करने तथा कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- निजी क्षेत्र की भूमिका:
 - ◆ सरकार कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा, पारदर्शिता एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में निम्नलिखित सुधारों को लागू करेगी।
 - ◆ 'राजस्व साझाकरण मॉडल' पर आधारित नवीन सुधारों को लागू किया जाए।
 - ◆ निवेशकों के प्रवेश संबंधी मानदंडों को अधिक उदार बनाया जाएगा।
- कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन संबंधी सुधार:
 - ◆ आंशिक रूप से उत्पादन किये जा चुके कोयला-ब्लॉक के लिये अन्वेषण-सह-उत्पादन प्रणाली को लागू किया जाएगा।
 - ◆ यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्तमान समय में कोयला ब्लॉक की नीलामी कोयले के 'पूर्ण खनन' के लिये की जाती है परंतु अब आंशिक रूप से खनन किये जा चुके कोयला ब्लॉक की भी नीलामी की जा सकेगी। इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि होगी।
- कोयला क्षेत्र में विविध अवसर:
 - ◆ राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण/द्रवीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
 - ◆ इससे पर्यावरणीय अवनयन में कमी आएगी तथा भारत को 'गैस आधारित अर्थव्यवस्था' बनने में मदद करेगा।
 - ◆ कोयला क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।

कोयला क्षेत्र में उदारवादी शासन:

- कोल इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण वाली कोयला खदानों के 'कोल बेड मीथेन' (CBM) निष्कर्षण अधिकारों की नीलामी की जाएगी।

खनिज क्षेत्र में अन्य सुधार:

- 'व्यवसाय करने में सुगमता' (Ease of Doing Business) की दिशा में 'खनन योजना सरलीकरण' (Mining Plan Simplification) जैसे उपायों को लागू किया जाएगा।
- एक समग्र अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन प्रणाली को लागू किया जाएगा।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता:

- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये 'मेक इन इंडिया' पहल पर बल दिया जाएगा।
- 'आयुध निर्माणी बोर्ड' (Ordnance Factory Board) का निगमीकरण किया जाएगा ताकि आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार हो सके।
- स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में FDI निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी।
- समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया और तेजी से निर्णय लेने की दिशा में 'परियोजना प्रबंधन इकाई' (Project Management Unit-PMU) तथा सामान्य कर्मचारी गुणात्मक आवश्यकताएँ (General Staff Qualitative Requirements- GSQRs) आदि की शुरुआत की जाएगी।

नागर विमानन (Civil Aviation):

- 'भारतीय वायु अंतरिक्ष क्षेत्र' (Indian Air Space) के अधिक उपयोग की दिशा में प्रतिबंधों को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान में अधिक कुशलता आ सके।
- 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' (Public-Private Partnership-PPP) के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा।
- 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण' (Airports Authority of India- AAI) द्वारा तीन चरणों में बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी निवेश को आमंत्रित किया जाएगा।
- भारत विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (Maintenance, Repair and Overhaul- MRO) के रूप में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है।
- MRO के अनुकूल परिस्थितिकी के निर्माण के लिये कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- रक्षा क्षेत्र तथा सिविल MRO के बीच अभिसरण बढ़ाने पर बल देना चाहिये ताकि 'व्यापक आर्थिक स्तर' (Economies of Scale) पर उत्पादन किया जा सके।

विद्युत क्षेत्र की शुल्क नीति में सुधार:

- निम्नलिखित सुधारों के साथ एक नवीन टैरिफ नीति जारी की जाएगी, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकार, उद्योग को बढ़ावा देने तथा सेक्टर की स्थिरता संबंधी प्रावधान शामिल होंगे।
- केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली विभागों/इकाइयों का निजीकरण किया जाएगा।

सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure):

- सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिये 'व्यवहार्यता अंतराल अनुदान' (Viability Gap Funding- VGF) योजना को प्रयुक्त किया जाएगा।
- VGF के रूप में कुल परियोजना लागत की 30% तक की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जा सकेगी।
- इसमें कुल 8100 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा।

अंतरिक्ष गतिविधि:

- निजी क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने के लिये निजी क्षेत्र को इसरो की सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
- भविष्य की इसरो की योजनाएँ जैसे- ग्रहों की खोज, बाहरी अंतरिक्ष यात्रा आदि में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति होगी।

परमाणु ऊर्जा (Atomic Energy):

- चिकित्सकीय उपयोग के समस्थानिकों के उत्पादन के लिये PPP मोड में अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। ताकि कैंसर और अन्य बीमारियों की सस्ती उपचार प्रणाली उपलब्ध हो सके।
- खाद्य संरक्षण को बढ़ाने में विकिरण आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। किसानों की सहायता के लिये PPP मोड में सुविधा केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
- अनुसंधान सुविधाओं और तकनीक-उद्यमियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिये प्रौद्योगिकी विकास सह इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

अमेरिका-चीन व्यापार समझौता**चर्चा में क्यों ?**

अमेरिका तथा चीन के मध्य वर्ष 2020 के शुरुआत में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जिससे दोनों देशों के मध्य चल रहे व्यापार युद्ध पर विराम लगाता है परंतु इस सौदे से अन्य व्यापारिक साझेदारों की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि यह समझौता अमेरिका को चीनी बाजारों तक पहुँच में वरीयता देता है।

प्रमुख बिंदु:

- एक अध्ययन के अनुसार, अमेरिका-चीन व्यापार समझौता 'व्यापार युद्ध' की तुलना में बेहतर है, हालाँकि यह समझौता दुनिया के बाकी देशों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।
- एक अध्ययन में अमेरिका-चीन व्यापार समझौते तथा अमेरिका का चीन के अलावा अन्य देशों के साथ किये गए 'अधिमानी व्यापार समझौतों' (Preferential Trade Agreements- PTAs) का कैरोलिन फ्रायंड और उनके सह-लेखक (Caroline Freund and her co-authors) द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

अधिमानी व्यापार व्यवस्था (Preferential Trade Arrangements):

- 'विश्व व्यापार संगठन में' अधिमानी व्यापार व्यवस्था' एकतरफा प्रदान की जाने वाली व्यापार प्राथमिकताएँ हैं। उनमें 'सामान्यीकृत अधिमानी प्रणाली' (Generalized System of Preferences) (जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों से आयात को प्राथमिकता देते हैं), साथ ही अन्य गैर-पारस्परिक अधिमान्य योजनाओं को 'विश्व व्यापार संगठन' की 'सामान्य परिषद' द्वारा छूट प्रदान की गई है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- अध्ययन में अमेरिकी बाजार तक पहुँच में मदद करने वाली व्यापारिक संधियों तथा इन संधियों की अनुपस्थिति में बाजार तक पहुँच संबंधी विषयों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया।
- यदि चीन, अमेरिका के 'अधिमान्य व्यापार व्यवस्था' के माध्यम से अपने आयात लक्ष्य को पूरा करता है, तो दोनों देशों पर सकारात्मक प्रभाव होगा।
- परंतु यदि चीन टैरिफ में कमी या आयात सब्सिडी जैसे भेदभावपूर्ण उपायों का समर्थन करता है, तो इससे चीन तथा अमेरिका आयात करने वाले अन्य देशों को नुकसान हो सकता है।

क्या है मामला ?

- अमेरिका और चीन के मध्य लंबे समय से चल रहा व्यापार युद्ध के बाद वर्ष 2020 के प्रारंभिक महीनों में, दोनों देशों द्वारा व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया था।

- इस क्रम में पहला सुव्यवस्थित प्रयास तब दिखाई दिया जब अमेरिका ने चीन के 160 अरब डॉलर के सामानों पर शुल्क लगाने के विचार को कुछ समय के लिये टाल दिया।
- हालाँकि मौजूदा समय में दोनों देशों के मध्य प्रतिद्वंद्विता व्यापार से कहीं आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि विश्व की दो बड़ी शक्तियों के मध्य संघर्ष का विश्व के विभिन्न देशों पर किस प्रकार का प्रभाव होगा और विशेष तौर पर भारत के लिये इसके क्या मायने हैं?

व्यापार समझौते के संभावित परिणाम:

- व्यापार समझौता विश्व स्तर पर फायदेमंद होगा या नहीं यह इस पर निर्भर करता है कि चीन इसे कैसे लागू करता है। वर्ष 2019 के 'ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस डेटाबेस' के आँकड़ों के आधार पर किये गए विश्लेषण के अनुसार, तीन संभावित परिणाम देखने को मिल सकते हैं:
- यदि टैरिफ और आयात सब्सिडी अपरिवर्तित रहे:
 - ◆ ऐसी स्थिति में केवल अमेरिका लाभ की स्थिति में होगा तथा अमेरिका के निर्यात में, वर्ष 2021 में 3% की वृद्धि देखी जा सकती है।
 - ◆ ऐसे में चीन तथा दुनिया के बाकी देशों के निर्यात में क्रमशः 0.4% एवं 0.16% की कमी देखी जा सकती है।
- यदि टैरिफ में वृद्धि की जाती है:
 - ◆ ऐसी स्थिति में अमेरिकी निर्यात में 5% की वृद्धि जबकि चीन के निर्यात में 4% की वृद्धि होती है। जबकि शेष दुनिया के वास्तविक आय में 0.2% कमी देखी जा सकती है।
- यदि चीन सभी देशों के लिये टैरिफ में कमी करता है:
 - ◆ ऐसी स्थिति में वैश्विक आय में 0.6% तथा चीन की आय में .5% की वृद्धि देखी जा सकती है।

निष्कर्ष:

- संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है क्योंकि इससे देश के निर्यात में लगभग 3.5% की तेजी आ सकती है।
- अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध का लाभ कई देशों को मिल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, फिलीपींस, पाकिस्तान और वियतनाम प्रमुख हैं। इस लाभों के होते हुए भी 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

चर्चा में क्यों?

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-banking financial companies- NBFCs) ने 15 मई, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) से अनुरोध किया कि वह COVID-19 महामारी के कारण अपेक्षित नुकसान हेतु अतिरिक्त प्रावधान करने के लिये अपने रिज़र्व से निकासी की अनुमति दें।

प्रमुख बिंदु:

- संपत्ति एवं ऋण-वित्तपोषण NBFC का एक प्रतिनिधि निकाय 'वित्त उद्योग विकास परिषद' (Finance Industry Development Council- FIDC) ने बताया है कि सामान्य तौर पर 'चूक की संभावना' (Probability of Default- PD) और 'चूक से हुए नुकसान' (Loss Given Default-LGD) के अनुसार गणना किये गए प्रावधान अधिक होने से NBFC को अपने रिज़र्व से निकासी करने और अतिरिक्त 'अपेक्षित क्रेडिट घाटे' (Expected Credit Losses- ECL) की आवश्यकता को समायोजित करने की अनुमति देने के लिये निवेदन किया है।

अपेक्षित क्रेडिट घाटा (Expected Credit Losses- ECL):

- यह एक वित्तीय साधन के अपेक्षित समय पर क्रेडिट घाटे की संभावना-भारित अनुमान को दर्शाता है।

चूक की संभावना (Probability of Default-PD):

- 'चूक की संभावना' एक वित्तीय शब्द है जो किसी विशेष समय में क्षितिज पर चूक की संभावना का वर्णन करता है। यह संभावना का अनुमान लगता है कि एक उधारकर्ता अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होगा।

चूक से हुए नुकसान (Loss Given Default-LGD):

- LGD वह राशि है जो एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान खो देता है इसे जब कोई उधारकर्ता ऋण पर चूक करता है तो डिफॉल्ट के समय कुल जोखिम के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को 'भारतीय लेखा मानकों' (Indian Accounting Standards- IndAS) का अनुपालन करना आवश्यक है।
- 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) ने NBFCs को सलाह दी है कि COVID-19 के कारण उधारकर्ताओं या देनदारों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ PD और LGD के रूप में पोर्टफोलियो गुणवत्ता पर COVID-19 के प्रभाव को मापने के लिये और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिये विवेकपूर्ण नियामक कार्रवाई आवश्यक है।
- ECL माप और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में लागू IndAs मानदंडों के अनुसार, NBFC को ICAI के सलाहकार के संदर्भ में अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता है जो निश्चित रूप से संबंधित NBFC की लाभप्रदता एवं कुल मूल्य को गंभीर नुकसान पहुँचाएगा।
- इस क्षेत्र (NBFCs) ने RBI से मानक संपत्ति के संबंध में ECL के अनुसार किए गए किसी भी प्रावधान की अनुमति देने पर विचार करने के लिये कहा है।
- गौरतलब है कि NBFC बैंकिंग प्रणाली से बाहर उपभोक्ताओं की विविध वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए देश के समावेशी विकास में तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिये सबसे उपयुक्त नवोन्मेषी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में प्रायः NBFC अग्रणी भूमिका निभाते हैं।
- ◆ म्यूचुअल फंड और NBFC क्षेत्र दृढ़ता से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड ही वाणिज्यिक पत्र (Commercial paper) और ऋण-पत्र (Debentures) के माध्यम से NBFC का सबसे बड़ा वित्त प्रदाता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की पाँचवीं किश्त

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश में COVID-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत राहत पैकेज की पाँचवीं किश्त की घोषणा की है। सरकार के द्वारा जारी इस पैकेज में निजी क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बढ़ती मांग को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की पाँचवीं और अंतिम किश्त में मनरेगा ('महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम') के बजट परिव्यय में 65% की वृद्धि की गई है।
- साथ ही राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद पर राज्यों की ऋण लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है।
- केंद्र सरकार की नई नीति के तहत निजी कंपनियों को सभी क्षेत्रों में अनुमति दी गई है जबकि सार्वजनिक कंपनियों/उद्यमों को रणनीतिक क्षेत्रों के लिये सीमित रखा गया है।
- इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट उद्यमों को 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड' (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) और कंपनी अधिनियम (Company Act) में भी कुछ परिवर्तनों के माध्यम से राहत दी गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार:

- COVID-19 और इसके नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन से औद्योगिक गतिविधियों के बंद होने के कारण पिछले कुछ दिनों में देश में शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन देखने को मिला है।

- ऐसे में आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी करने की घोषणा की है।
- वर्ष 2006 में 200 जिलों से शुरू किये गए मनरेगा कार्यक्रम के तहत हाल के वर्षों में वर्ष 2010-11 (5.5 करोड़ परिवार) के बाद पुनः रोजगार की मांग में काफी वृद्धि देखने को मिली है। (2018-19 में 5.27 करोड़ और 2019-20 में 5.47 करोड़)
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में मई, 2020 में मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में 40-50% की वृद्धि देखी गई है।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत औसत दैनिक मजदूरी को 182 बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया था।

संशोधित ऋण सीमा:

- केंद्र सरकार ने वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए राज्यों को उनके राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product- GSDP) पर ऋण लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है।
- सरकार के इस फैसले के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को 4.28 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जा सकेगी।
- हालाँकि राज्यों को बढ़ी हुई ऋण सीमा का लाभ लेने के लिये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा।

संशोधित ऋण सीमा की शर्तें:

- केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ऋण सीमा में से मात्र 0.5% ही बिना किसी शर्त के जारी किया जा सकता है, जबकि बाकी 1.5% के लिये राज्यों को कुछ अनिवार्य शर्तों का पालन करना होगा।
- इस संशोधित सीमा के तहत GSDP पर मिलने वाले 1% ऋण को कुछ शर्तों के आधार पर 0.25% की चार किशतों में जारी किया जाएगा।
- ये चार किशतें राज्य सरकारों को राशन वितरण प्रणाली में सुधार (एक देश, एक राशन कार्ड), स्थानीय निकायों में सुधार, विद्युत वितरण प्रणाली और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) की दिशा में आवश्यक सुधारों के लिये दी जाएंगी।
- शेष 0.5% ऋण की अनुमति के लिये उपरोक्त चार लक्ष्यों में से तीन लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक होगा।

निजी क्षेत्र को बढ़ावा:

- केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार, सरकार द्वारा प्रस्तावित नई नीति के तहत रणनीतिक क्षेत्रों के साथ ही सभी औद्योगिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिये खोल दिया जाएगा।
- इस नई नीति के तहत ऐसे रणनीतिक क्षेत्रों की सूची जारी की जाएगी जहाँ निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ कम-से-कम एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी/उपक्रम (Public Sector Undertakings- PSUs) की उपस्थिति आवश्यक होगी।
- सरकार की योजना के तहत अन्य सभी क्षेत्रों में व्यवहारिकता के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रस्तावित योजना के तहत सामान्यतः रणनीतिक क्षेत्रों में PSUs की अधिकतम संख्या चार ही होगी बाकी अन्य कंपनियों के लिये निजीकरण, विलय आदि के विकल्प खुले होंगे।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में भी केंद्रीय वित्तमंत्री ने गैर-वित्तीय सार्वजनिक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को 51% से कम करने की बात कही थी।

अन्य आर्थिक सुधार:

- सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशी शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया है।
- केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार, COVID-19 से जुड़े ऋण को इनसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं माना जाएगा और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अगले एक वर्ष के लिये दिवालियापन से जुड़ी कोई कार्रवाई नहीं शुरू की जाएगी।
- 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' (Micro, Small & Medium Enterprises- MSME) की इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने की न्यूनतम सीमा बढ़ा कर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रस्तावित सुधार:

- केंद्रीय वित्तमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों हेतु 'स्वास्थ्य और देखभाल केंद्रों' के सरकारी खर्च में वृद्धि और हर जिले में संक्रामक रोगों के लिये विशेष अस्पताल तथा ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की बात कही।
- हालाँकि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों के संदर्भ में किसी वित्तीय परिव्यय की जानकारी नहीं दी गई है।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी योजनाएँ:

- COVID-19 और लॉकडाउन के कारण हो रहे अकादमिक नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 'पीएम ई-विद्या' (PM e-Vidya) योजना की घोषणा की जाएगी।
- इस योजना के तहत छात्रों को विभिन्न माध्यमों के जरिये शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही कक्षा 1 से 12 के लिये अलग-अलग टीवी चैनलों की शुरुआत भी की जाएगी।
- इससे पहले केंद्र सरकार ने इस माह के अंत तक देश में शीर्ष के 100 विश्वविद्यालयों के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं को चालू किये जाने की योजना की घोषणा की थी।

लाभ:

- केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के लिये प्रस्तावित राशि में वृद्धि के निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की चुनौती को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।
- COVID-19 के कारण अगले कुछ महीनों तक रोजगार के अवसरों में कमी बनी रह सकती है, ऐसे में मनरेगा के तहत श्रमिकों की दैनिक आय में वृद्धि से इस योजना से जुड़े परिवारों को आर्थिक मदद पहुँचाई जा सकेगी।
- COVID-19 और लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारों की आय और जीडीपी में भारी गिरावट का अनुमान है, ऐसे में ऋण सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% करने से राज्य सरकारों को वर्तमान आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद प्रदान की जा सकेगी।
- लॉकडाउन का प्रभाव अन्य क्षेत्रों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिला है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों के छात्र इंटरनेट के माध्यम से कुछ सीमा तक अपनी शिक्षा जारी रखने में सफल रहे थे परंतु ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों के लिये यह एक चुनौती थी, ऐसे में PM e-Vidya योजना के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी।

चुनौतियाँ:

- विशेषज्ञों के अनुसार, ऋण सीमा में वृद्धि के साथ रखी गई अनिवार्य शर्तों के कारण राज्य सरकारें इसके तहत अधिक धन नहीं निकलना चाहेंगी और राज्य सरकारों को महँगी दरों पर बाजार से धन जुटाना पड़ेगा। अतः इन योजनाओं में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच और विचार-विमर्श किया जाना चाहिये था।
- वर्तमान में वैश्विक मंदी जैसी स्थितियों के बीच PSUs के विलय या निजीकरण से सरकार को अधिक खरीददार नहीं मिलेंगे और प्रतिस्पन्द के अभाव में निजीकरण से अपेक्षित धन नहीं प्राप्त हो सकेगा।

बिजली वितरण कंपनियाँ और आर्थिक पैकेज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी के बीच 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिये 90 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में की गई आधिकारिक घोषणा के अनुसार, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (Power Finance Corporation) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (Rural Electrification Corporation) संयुक्त रूप से बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को तरलता प्रदान करने के लिये 90 हजार करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेंगे।

- बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा इस राशि का प्रयोग बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ अपना बकाया चुकाने के लिये किया जाएगा।

इस निर्णय की आवश्यकता ?

- ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार का यह निर्णय अधिकांश राज्य डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह क्षमता को देखते हुए लिया गया है।
- वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान न करने के कारण बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) गंभीर तनाव का सामना कर रही हैं, ऐसी स्थिति में इन कंपनियों को सहायता प्रदान करना काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

विद्युत क्षेत्र की समस्याएँ

- विद्युत क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को समझने के लिये सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि विद्युत क्षेत्र किस प्रकार कार्य करता है-
 - ◆ विद्युत क्षेत्र की कार्यप्रणाली को मुख्यतः 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहले चरण में सर्वप्रथम बिजली थर्मल, हाइड्रो या नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये ऊर्जा संयंत्र या तो NTPC लिमिटेड और NHPC लिमिटेड जैसी सार्वजनिक कंपनियों द्वारा संचालित किये जाते हैं अथवा टाटा पावर और अडानी पावर जैसी निजी कंपनियों द्वारा संचालित किये जाते हैं।
 - ◆ दूसरे चरण में उत्पन्न बिजली एक जटिल ट्रांसमिशन ग्रिड प्रणाली से गुजरती है जिसमें बिजली सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनें शामिल होती हैं जो बिजली उत्पादकों और अंतिम उपभोक्ताओं को जोड़ती हैं। इस चरण में बड़े पैमाने पर राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों का वर्चस्व रहता है, जो ट्रांसमिशन ग्रिड प्रणाली का संचालन करती हैं। पूरी ट्रांसमिशन ग्रिड प्रणाली में हजारों मील लंबी हाई-वोल्टेज बिजली लाइन और लाखों मील लंबी लो-वोल्टेज बिजली लाइनें शामिल होती हैं जो पूरे देश में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लाखों बिजली संयंत्रों से जोड़ती हैं।
 - ◆ विद्युत क्षेत्र की कार्यप्रणाली के तीसरे चरण में बिजली को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) शामिल होती हैं, जो कि बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों द्वारा संचालित होती हैं। हालाँकि, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे शहरों में, निजी संस्थाएँ भी वितरण व्यवसाय का कार्य करती हैं।
- दरअसल बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) बिजली खरीद समझौतों (Power Purchase Agreements-PPAs) के माध्यम से बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदती हैं और फिर उपभोक्ताओं (वितरण के क्षेत्र में) को इसकी आपूर्ति करती हैं।
- वर्तमान में विद्युत क्षेत्र के साथ प्रमुख समस्या राज्य डिस्कॉम की निरंतर खराब वित्तीय स्थिति है, जिसके कारण बिजली वितरण कंपनियों की आपूर्ति के लिये बिजली खरीदने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है। नतीजतन, यह उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

इस निर्णय का महत्व

- विश्लेषकों का मत है कि बिजली वितरण कंपनियों को 90 हजार रुपए का राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय भारतीय विद्युत क्षेत्र में तरलता के दबाव को कम करेगा और इससे उपभोक्ताओं के लिये निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही इस राशि का उपयोग डिस्कॉम द्वारा बिजली उत्पादन कंपनियों को अपने बकाए का भुगतान करने के लिये किया जाएगा, जिससे बिजली उत्पादन कंपनियाँ अधिकाधिक उत्पादन कर सकेंगी और बिजली वितरण की निरंतरता सुनिश्चित हो सकेगी।
- केंद्र सरकार का यह वित्तपोषण डिस्कॉम को अपने बुनियादी ढाँचे तथा राजस्व संग्रह दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा।
- यह विद्युत क्षेत्र में नकदी प्रवाह के चक्र को फिर से शुरू करने में मदद करेगा, जो कि वर्तमान में लगभग पूरी तरह से रुक गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है।

निष्कर्ष

- विद्युत क्षेत्र में नकदी प्रवाह के चक्र को पुनः शुरू करने से इस क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा, जिससे COVID-19 के कारण प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।
- हालाँकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा घोषित उक्त उपाय निश्चित रूप से अल्पकालिक उपाय है और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिरता अभी भी चिंता का एक बड़ा विषय बनी हुई है।

- सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को COVID-19 जनित मंदी से बाहर निकालने के लिये तमाम प्रयास किये जा रहे हैं, आवश्यक है कि सरकार इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर भी ध्यान दे और जहाँ तक संभव हो सके नीति निर्माण में विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व भी शामिल किया जाए।

ब्याज दर और आर्थिक वृद्धि दर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (International Monetary Fund- IMF) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, ब्याज भुगतान तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के बीच का अंतर किसी भी देश की राजकोषीय स्थिरता का आकलन करने की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।

प्रमुख बिंदु:

- 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' के अध्ययन के अनुसार, विगत वर्षों में 24 विकसित अर्थव्यवस्थाओं और 31 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्याज और विकास दर के बीच अंतर के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है।
- अध्ययन में नॉमिनल ब्याज दर तथा विकास दर के मध्य संबंध स्थापित करके किसी भी देश की दीर्घकालिक ऋण-स्थिरता को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

ऋण-GDP अनुपात (Debt-to-GDP Ratio):

- ऋण-GDP अनुपात किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ ऋण का अनुपात होता है। इस अनुपात का उपयोग किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिये किया जाता है। दूसरे शब्दों में ऋण-से-जीडीपी अनुपात किसी देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके वार्षिक आर्थिक उत्पादन से करता है।

अध्ययन का उद्देश्य:

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं का सरकारी ऋण बहुत अधिक है। वर्ष 1980 के बाद कई देशों में जीडीपी के सापेक्ष ऋण के बाद से तेजी से वृद्धि हुई है। जबकि इसी समय में ब्याज दरों में गिरावट आई है, जिसमें वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान उधार की लागत में काफी कमी देखी गई।
- यह पत्र इन मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करता है तथा तर्क देता है कि देश के सतत ऋण स्तर का निर्धारण करने वाला महत्वपूर्ण कारक 'नॉमिनल ब्याज दर' तथा विकास दर के बीच का अंतर है।

IMF अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रमुख निष्कर्ष निकाले गए हैं:

- प्रथम, लंबी अवधि के लिये ब्याज दर तथा जीडीपी में संबंध विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये एक जैसा रहा है।
- द्वितीय, वर्ष 1973 के तेल संकट और वर्ष 1990 के उदारीकरण के समय इन दो सेटों (ब्याज और विकास दर) का ऋण क्षमता पर कोई स्पष्ट प्रभाव नजर नहीं आया।
- तृतीय, दोनों सेटों के बीच अंतर में कमी आती है, तो सरकारें आमतौर पर एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती हैं और प्राथमिक घाटा में सीमित वृद्धि देखी जाती है।
- चतुर्थ, औसत ब्याज दरें एक संप्रभु देश के डिफ़ॉल्ट होने अथवा नई उधार लेने की भविष्यवाणी करने के लिये अपर्याप्त है।
- पाँचवा, सरकार के उधार में आमतौर पर वित्तीय संकट के समय वृद्धि देखने को मिलती है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से, दुनिया भर में सरकारी ऋणग्रस्तता बढ़ रही है।

अध्ययन का महत्व:

- नवीन मॉडल ब्याज दर और आर्थिक वृद्धि दर के मध्य संबंध को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा।
- किसी भी देश की ऋण चुकाने की क्षमता की गणना करने में नवीन मॉडल का उपयोग किया जा सकेगा।

भारत-बांग्लादेश 'अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 'अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल' (Protocol on Inland Water Transit and Trade- PIWT & T) के द्वितीय परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु:

- परिशिष्ट, 2020 पर भारत की तरफ से भारतीय उच्चायुक्त एवं बांग्लादेश की तरफ से सचिव (जहाजरानी) द्वारा 20 मई, 2020 को हस्ताक्षर किये गए।
- नवीन समझौते के बाद 'भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल' (Indo Bangladesh Protocol- IBP) के तहत परिवहन मार्गों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 हो गई है।
- IBP मार्गों पर अनेक नवीन अवस्थितियों को 'पोर्ट्स ऑफ कॉल' (Ports of Call) के रूप में जोड़ा जाएगा।

अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल:

- भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल दीर्घकालिक व्यापार सुनिश्चितता की दिशा में किया गया प्रोटोकॉल है। यह समझौता किसी तीसरे देश में भी माल परिवहन की अनुमति देता है।
- दोनों देशों के बीच 'अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल' पर 'भारत-बांग्लादेश व्यापार समझौते' (Trade Agreement between Bangladesh & India Protocol) प्रोटोकॉल के अनुच्छेद (viii) के अनुसार, हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस प्रोटोकॉल पर पहली बार वर्ष 1972 (बांग्लादेश की आजादी के तुरंत बाद) में हस्ताक्षर किये गए थे। अंतिम बार वर्ष 2015 में पाँच वर्षों के लिये नवीकरण किया गया था।
- समझौते का प्रत्येक पाँच वर्षों की अवधि के बाद स्वचालित रूप से नवीनीकरण किया जाता है।

प्रमुख पारगमन मार्ग:

- कोलकाता-चांदपुर-पांडु-सिलघाट-कोलकाता
- कोलकाता-चांदपुर-करीमगंज-कोलकाता
- सिलघाट-पांडु-अशुगंज-करीमगंज-पांडु-सिलघाट
- राजशाही-धूलियन-राजशाही।
- कोलकाता-चांदपुर-आशूगंज (जलमार्ग से)
- अखुरा-अगरतला (सड़क मार्ग से)

पोर्ट्स ऑफ कॉल:

- पोर्ट्स ऑफ कॉल अंतर्देशीय व्यापार में जहाजों को आने-जाने की सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
- वर्तमान में प्रोटोकॉल के तहत भारत और बांग्लादेश दोनों में 6-6 'पोर्ट्स ऑफ कॉल' हैं। नवीन समझौते के माध्यम से पाँच नवीन 'पोर्ट्स ऑफ कॉल' तथा दो 'विस्तारित पोर्ट्स ऑफ कॉल' जोड़े गए हैं जिससे प्रत्येक देश में इनकी संख्या बढ़ कर 11 हो गई है।

पारगमन मार्गों का महत्त्व:

- भारत में जोगीगोफा और बांग्लादेश में बहादुराबाद को नए 'पोर्ट्स ऑफ कॉल' के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह मेघालय, असम एवं भूटान को कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा। जोगीगोफा में एक 'मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क' बनाए जाने का प्रस्ताव है।
- नए पोर्ट्स ऑफ कॉल, भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (IBP) मार्गों पर कार्गो की लोडिंग एवं अनलोडिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। नवीन 'पोर्ट्स ऑफ कॉल' के निर्माण से इसके परिक्षेत्र के आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- संगठित तरीके से कार्गो पोतों की आवाजाही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय पारगमन कार्गो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं के लिये कोयला, फ्लाई ऐश आदि का परिवहन करते हैं।
- भारत से बांग्लादेश को फ्लाई ऐश का निर्यात मुख्यतः इन कार्गो के माध्यम से किया जाता है जो 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होता है।

निष्कर्ष:

- लगभग 638 अंतर्देशीय पोतों द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 4000 माल परिवहन यात्राएँ की जाती हैं। ऐसी उम्मीद की जाती है कि प्रोटोकॉल में किया गया संशोधन बेहतर विश्वसनीयता एवं लागत के दृष्टिकोण से बेहतर सिद्ध होगा तथा दोनों देशों के बीच व्यापार को और अधिक सुगम बनाएगा।

कंपनी अधिनियम में परिवर्तन**चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार COVID-19 राहत पैकेज के तहत देश में कारोबार की सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) के प्रावधानों को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर करेगी।

प्रमुख बिंदु

- कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिये 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की पाँचवीं और अंतिम किश्त के तहत उपायों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के लिये एक अध्यादेश लाया जाएगा।
- कानून विश्लेषक सरकार के इस कदम को कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी प्रावधानों से आपराधिक दंड को हटाने के लिये सरकार के एक बड़े प्रयास का हिस्सा मान रहे हैं। हालाँकि धोखाधड़ी और कपटपूर्ण व्यवहार से संबंधित प्रावधानों को अधिनियम में बरकरार रखा जाएगा। वित्त मंत्री की घोषणा
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि CSR रिपोर्टिंग में कमी, बोर्ड की रिपोर्ट में अपर्याप्तता, कंपनी की वार्षिक बैठक आयोजित करने में देरी समेत तमाम छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा।
- कंपनी अधिनियम के तहत कंपाउंडेबल अपराधों (Compoundable Offences) से संबंधित प्रावधानों की संख्या घटकर 31 तक सीमित कर दी गई है। घोषणा के अनुसार, इनमें से अधिकांश अपराधों का निपटारा अब कंपनी रजिस्ट्रार (Registrar of Companies) द्वारा किया जाएगा, जो कि पहले 'नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' (National Company Law Tribunals-NCTL) के दायरे में आते थे।
 - ◆ आमतौर पर, कंपाउंडेबल अपराध वे अपराध होते हैं जिन्हें निश्चित राशि का भुगतान करके निपटाया जा सकता है।
- कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) को इन अपराधों के लिये दंड निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है और कंपनियाँ RoC के निर्णयों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs-MCA) के क्षेत्रीय निदेशक (RD) के समक्ष चुनौती दे सकती हैं।
- यह कदम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCTL) के भार को कम करेगा, जिससे NCTL मुख्यतः दिवालियापन और अन्य उच्च प्राथमिकता वाले मामलों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।
- इसके अलावा कुल सात कंपाउंडेबल अपराधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

परिवर्तन के निहितार्थ

- वित्त मंत्री की इस घोषणा को व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 से किये जा रहे विभिन्न प्रयासों का हिस्सा माना जा सकता है।
 - ◆ उल्लेखनीय है कि सरकार के निरंतर प्रयासों और उपायों के परिणामस्वरूप विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' (Doing Business Report) में भारत अपनी रैंकिंग को बेहतर करते हुए वर्ष 2014 के 142वें पायदान से 2019 में 63वें पायदान पर पहुँच गया है।
 - ◆ इस रैंकिंग में भारत ने शीर्ष 50 देशों में रहने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिये सरकार द्वारा तमाम प्रयास किये जा रहे हैं।
- विश्लेषकों के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2014 में कंपनी अधिनियम में बड़े परिवर्तन करते हुए बेहतर अनुपालन के लिये कई सारे नियम लागू किये थे और साथ ही अधिनियम में कई दंडात्मक प्रावधान भी पेश किये गए थे।

- किंतु अब सरकार यह महसूस कर रही है कि देश में अनुपालन का स्तर सुधार गया है और अब व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने की आवश्यकता है इसीलिये अधिकांश अपराधिक प्रावधानों को शिथिल किया जा रहा है।
- बीते वर्ष केंद्र सरकार ने 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' (Corporate Social Responsibility- CSR) से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिये कारावास की सजा तय करते हुए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया था, किंतु उद्योग जगत की नकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया।

कंपनी अधिनियम से संबंधित तथ्य

- कंपनी अधिनियम, 2013 भारत में 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ था।
- यह अधिनियम भारत में कंपनियों के निर्माण से लेकर उनके समापन तक सभी स्थितियों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
- कंपनी अधिनियम के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' (NCTL) की स्थापना की गई है।
- उल्लेखनीय है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ने ही 'एक व्यक्ति कंपनी' (One Person Company) की अवधारणा की शुरुआत की।

आगे की राह

- विशेषज्ञों का मत है कि आगामी कुछ दिनों में वित्त मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि वह कंपनी अधिनियम में ऑडिट से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों को भी अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर करने के लिये उपाय कर सकता है।
- कंपनी लॉ कमेटी (Company Law Committee) ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कंपनी अधिनियम में संशोधन के आगामी चरणों में ऑडिट फर्मों के विस्थापन से संबंधित प्रावधानों को आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भारत के स्थान में अनवरत सुधार हो रहा है, जो कि स्पष्ट तौर पर भारत सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है।
- आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय नियमों के अनुपालन और नियमों को शिथिल करने संबंधी नीतियों के मध्य संतुलन स्थापित करे, ताकि देश में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाया जा सके।

कॉयर जियो टेक्सटाइल

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने 20 अप्रैल, 2020 को कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana- PMGSY) के तीसरे चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में 'कॉयर जियो-टेक्सटाइल्स' (Coir Geo Textiles) का उपयोग किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- 'कॉयर जियो टेक्सटाइल्स' एक प्रकार के पारगम्य कपड़े हैं जो प्राकृतिक रूप से मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, टूट-फूट, मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी हैं और किसी भी सूक्ष्मजीवी (माइक्रोबियल) हमले से मुक्त हैं।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (Union Ministry of Rural Development) की 'राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी' ने कहा है कि PMGSY-III के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये 'कॉयर जियो टेक्सटाइल्स' का उपयोग किया जाएगा। तकनीकी दिशा-निर्देश:
- सड़क निर्माण के लिये PMGSY की नई प्रौद्योगिकी आधारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सड़क निर्माण प्रस्तावों के प्रत्येक बैच की सड़कों की कुल लंबाई के 15% में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निर्माण किया जाना है।
- इसमें से 5% सड़कों का निर्माण 'इंडियन रोड्स कॉंग्रेस' (Indian Roads Congress- IRC) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाना है।
- ◆ IRC ने अब ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये 'कॉयर जियो टेक्सटाइल्स' को मान्यता दी है।

इंडियन रोड्स कॉन्ग्रेस (Indian Roads Congress- IRC):

- IRC देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है।
- इसकी स्थापना दिसंबर, 1934 में 'भारतीय सड़क विकास समिति' की सिफारिशों पर हुई थी जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित 'जयकर समिति' के रूप में जाना जाता है।
- इसका उद्देश्य भारत में सड़क विकास को बढ़ावा देना है।
- भारत सरकार ने वर्तमान दशक को 'समावेशी विकास के लिये नवाचार के दशक के रूप' में घोषित किया है और संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक (2011-2020) को 'सड़क सुरक्षा की कार्यवाई के दशक के रूप में' (Decade of Action for Road Safety 2011-2020) घोषित किया है।
- इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, PMGSY-III के तहत ग्रामीण सड़कों की 5% लंबाई का निर्माण 'कॉयर जियो टेक्सटाइल्स' का उपयोग करके किया जाएगा।

निर्माण कार्य एवं अनुमानित लागत:

- तदनुसार, कॉयर जियो-टेक्सटाइल्स का उपयोग करके आंध्र प्रदेश में 164 किलोमीटर, गुजरात में 151 किमी., केरल में 71 किमी., महाराष्ट्र में 328 किमी., ओडिशा में 470 किमी., तमिलनाडु में 369 किमी. और तेलंगाना में 121 किमी. सड़क का निर्माण किया जाएगा।
- इस प्रकार 7 राज्यों में 'कॉयर जियो टेक्सटाइल्स' का उपयोग करके 1674 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा जिसके लिये एक करोड़ वर्ग मीटर कॉयर जियो-टेक्सटाइल्स की आवश्यकता होगी। इसकी अनुमानित लागत 70 करोड़ रुपए है।

वस्तु एवं सेवा कर और छूट

चर्चा में क्यों ?

विभिन्न उद्योगों ने COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने हेतु वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) में छूट देने की मांग की है।

प्रमुख बिंदु:

- हालाँकि वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) का मानना है कि 'वस्तु एवं सेवा कर' में छूट देने से राज्य के वित्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उद्योगों को नुकसान होगा जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।
- ध्यातव्य है कि पूर्व में सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkins) पर 'वस्तु एवं सेवा कर' में छूट देने के कारण घरेलू उद्योगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था।
- हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment), मास्क (Mask) पर भी 'वस्तु एवं सेवा कर' में छूट देने से घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
- जीएसटी में छूट वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहित करेगी जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय वस्तुओं की तुलना में आयातित वस्तुएँ सस्ती हो जाएंगी तथा घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुँचेगा।
- 'वस्तु एवं सेवा कर' में छूट देने से इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit- ITC) प्रभावित होगा जिसके कारण विनिर्माण की लागत में वृद्धि और उपभोक्ताओं को उच्च लागत पर वस्तुएँ प्राप्त होंगी।
- देशभर में लॉकडाउन के मद्देनजर बहुत से विनिर्माता, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं ने अपने गोदामों में वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया है जिनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कई लाख करोड़ रुपए हैं। ऐसी हालत में 'वस्तु एवं सेवा कर' में छूट देने से उपभोक्ताओं के लिये वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी।
- 'वस्तु एवं सेवा कर' में छूट से कच्चा माल तथा उत्पादित वस्तुओं का खाता अलग-अलग तैयार करना आवश्यक होगा जिसके कारण विनिर्माताओं को एक अलग समस्या का सामना करना पड़ेगा।

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST):

- एक ऐतिहासिक कर बदलाव के रूप में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ है।
- केंद्र व राज्य दोनों स्तरीय अधिभारों को समेटते हुए GST सहकारी संघवाद को सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के द्वारा अनुच्छेद 366 में एक नया खंड (12A) जोड़ा गया, जिसके अनुसार, 'वस्तु एवं सेवा कर' का अर्थ है- मानव उपभोग के लिये मादक पेय पदार्थों की आपूर्ति पर लगने वाले कर को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला कर।

वस्तु एवं सेवा कर का स्वरूप:

- एक राज्य के भीतर होने वाले लेन-देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) कहा जाता है। CGST केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाता है।
- राज्यों द्वारा लगाए गए करों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) कहा जाता है। SGST कर को राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाता है।
- इसी प्रकार केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर-राज्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (IGST) लगाने और प्रशासित करने की व्यवस्था है।

बैंकों द्वारा ऋण भुगतान पर पुनः अधिस्थगन की मांग

चर्चा में क्यों:

हाल ही में देश में COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु लॉकडाउन को 31 मई, 2020 तक बढ़ाए जाने के बाद कई बैंकों ने एक बार पुनः ऋण भुगतान पर 90 दिनों का अतिरिक्त अधिस्थगन (Moratorium) लगाए जाने की मांग की है।

प्रमुख बिंदु:

- हाल ही में 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (Reserve Bank of India-RBI) के शीर्ष अधिकारियों और बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Financial Company- NBFC) के प्रमुखों की एक बैठक में ऋण भुगतान पर अस्थायी स्थगन को 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ाए जाने की मांग की गई है।
- कई बैंकों और NBFCs ने वर्तमान आर्थिक संकट से उबरने के लिये एक ऋण पुनर्गठन योजना (Loan Restructuring Scheme) लागू किये जाने की मांग की है।
- साथ ही बैंकों ने तनावग्रस्त संपत्तियों को 'गैर निष्पादित संपत्तियों' (Non-Performing Assets-NPA) के रूप में चिन्हित करने की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने की मांग की है।
- गौरतलब है कि COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए 27 मार्च, 2020 को RBI ने बैंकों द्वारा दिये गए ऋण के भुगतान पर 90 दिनों (1 मार्च से 31 मई तक) के अस्थायी स्थगन की घोषणा की थी।

ऋण भुगतान पर स्थगन की मांग का कारण:

- वर्तमान में देशभर में लागू लॉकडाउन के कारण देश के अधिकांश उद्योगों और व्यवसायों की आय में भारी गिरावट देखी गई है।
- हालाँकि हाल ही में सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों और यातायात को शुरू करने की अनुमति दी गई है परंतु लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने और बेरोज़गारी के बढ़ने से अधिकांश उद्योग मई माह में पूर्ण रूप से अपना उत्पादन नहीं शुरू कर सकेंगे।
- लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के कारण पहले से ही बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्तियों में वृद्धि देखी गई है।

चुनौतियाँ:

- लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद यदि RBI ऋण भुगतान में छूट को तीन माह के लिये आगे बढ़ाता है तो इसका अर्थ होगा कि कंपनियों को 31 अगस्त तक बैंकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा।

- परंतु इस छूट के साथ सितंबर माह में कंपनियों द्वारा अपनी देनदारी की पूरी राशि को एक साथ चुका पाने की संभावनाएँ भी बहुत कम हैं, ऐसी स्थिति में वर्तमान नियमों के तहत इन कंपनियों के खाते NPA की श्रेणी में आ जाएंगे।
- रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष में NPAs में 150-200 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि का अनुमान है।
- लॉकडाउन के कारण बैंकों द्वारा दिये गए ऋण पर वसूली और उनके निस्तारण में गिरावट आएगी, जिसके परिणामस्वरूप NPA के मामलों में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
- वर्तमान में बैंकों के लिये RBI द्वारा 7 जून, 2019 को जारी परिपत्र (June 7 Circular) के कड़े नियम भी एक बड़ी समस्या हैं, जिसके अनुसार बैंकों के लिये तनाव ग्रस्त परिसंपत्तियों की पहचान कर 30 दिनों के अंदर डिफॉल्ट की समीक्षा शुरू करना अनिवार्य है।

NPAs से निपटने हेतु RBI के दिशा-निर्देश:

- RBI के निर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी ऋण जो अतिदेय (Overdue) हों पर अभी NPA न हुए हो और उनके लिये अधिस्थगन की मंजूरी दी गई हो, के लिये बैंकों को 10% की प्रोविज़निंग की व्यवस्था करनी चाहिये।
- विशेषज्ञों के अनुसार, हालाँकि इन प्रयासों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नए NPAs की प्रोविज़निंग की जा सकती है परंतु ऋण भुगतान पर अधिस्थगन की अवधि के बाद परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का प्रबंधन बैंकों के लिये महत्वपूर्ण विषय होगा।

समाधान:

- वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए RBI द्वारा बैंकों को मौजूदा ऋणों के व्यापक पुनर्गठन और ऋण के संबंध में 90 दिन के मानक के पुनर्वर्गीकरण (Reclassification) हेतु कुछ छूट दी जानी चाहिये।
- विशेषज्ञों के अनुसार, RBI को यह स्पष्ट करना चाहिये कि कार्यशील पूंजी पर बढ़ा हुआ ऋण COVID से जुड़े ऋण (COVID Debt) की श्रेणी में आता है या नहीं।

निष्कर्ष: COVID-19 कारण देश में खुदरा क्षेत्र के साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी वित्तीय तरलता में काफी कमी आई है। RBI द्वारा मार्च 2020 में ऋण भुगतान पर अधिस्थगन की घोषणा के बाद बैंकों में इस छूट का लाभ लेने वालों में खुदरा क्षेत्र और कृषि ऋण जैसे छोटे ऋण धारकों की संख्या अधिक थी। विशेषज्ञों के अनुसार लॉकडाउन के बढ़ने और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र के ऋण भुगतान में गिरावट आएगी और वर्तमान के कड़े नियमों के कारण यह आर्थिक चुनौती और भी जटिल हो सकती है। अतः वर्तमान परिस्थिति में RBI को उद्योगों और बैंकिंग क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए ऋण भुगतान की बाध्यताओं और NPA से जुड़े नियमों में कुछ छूट देने पर विचार करना चाहिये।

अनुबंध कृषि

चर्चा में क्यों ?

ओडिशा सरकार द्वारा COVID-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु एक अध्यादेश लाया गया है। यह अध्यादेश निवेशकों और किसानों को अनुबंध कृषि (Contract Farming) की अनुमति देता है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि ओडिशा सरकार द्वारा अनुबंध कृषि हेतु एक 'कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज़' (Contract Farming and Services) समिति भी बनाई जाएगी।
- यह समिति सरकार को अनुबंध कृषि हेतु प्रचार करने और किसानों की दक्षता में सुधार लाने के लिये सुझाव देगी, साथ ही अनुबंध कृषि से संबंधित मुद्दों की समीक्षा भी करेगी।
- अध्यादेश का उद्देश्य किसानों और निवेशकों दोनों को पारस्परिक रूप से लाभ देना और कुशल अनुबंध कृषि प्रणाली विकसित करना है।
- निवेशकों द्वारा किसानों को दिया जाने वाला ऋण या अग्रिम धनराशि को उपज बेचकर चुकाया जा सकता है।
- इस अध्यादेश में भूमि अधिकार हस्तांतरण संबंधी प्रावधान प्रदत्त नहीं है।

- अनुबंध कृषि (Contract Farming):
 - ◆ अनुबंध कृषि खरीदार और किसानों के मध्य हुआ एक ऐसा समझौता है, जिसमें इसके तहत किये जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है।
 - ◆ इसमें कृषि उत्पादों और विपणन के लिये कुछ मानक स्थापित किये जाते हैं।
 - ◆ इसके तहत किसान किसी विशेष कृषि उत्पाद की उपयुक्त मात्रा खरीदारों को देने के लिये सहमति व्यक्त करते हैं और खरीदार उस उत्पाद को खरीदने के लिये अपनी स्वीकृति देता है।
- अनुबंध कृषि के लाभ:
 - ◆ यह छोटे स्तर के किसानों को प्रतिस्पर्द्धा बना देता है। इसमें आने वाली लागत को कम करने के लिये छोटे किसान तकनीकी, ऋण, विज्ञापन चैनलों और सूचना प्रणालियों की सहायता लेते हैं।
 - ◆ इस प्रकार उनके उत्पाद के लिये उन्हें आसानी से बाजार मिल जाता है, जिससे बाजार में जाकर किये जाने वाले लेन-देन और अनावश्यक खर्च कम हो जाता है।
 - ◆ अनुबंध कृषि से उपज की गुणवत्ता बनी रहती है।
 - ◆ कृषि प्रसंस्करण स्तरों के मामले में यह कृषि उत्पाद की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है और इसकी लागत भी कम होती है।
 - ◆ कृषि उत्पाद के लिये मूल्य का निर्धारण उत्पादक और फर्मों के मध्य वार्ता द्वारा किया जाता है।
 - ◆ किसान नियमों और शर्तों के तहत निर्धारित मूल्यों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रवेश करते हैं।
- अनुबंध कृषि की चुनौतियाँ:
 - ◆ अनुबंध कृषि की आलोचना प्रायः यह कहकर की जाती है कि यह फर्मों और बड़े किसानों के पक्ष में होती है और छोटे किसानों की क्षमता को नज़रअंदाज़ कर देती है।
 - ◆ इसके लिये किये गए समझौते प्रायः अनौपचारिक होते हैं, यहाँ तक कि लिखित अनुबंधों को भी अदालतों में लंबे समय तक खींचा जाता है।
 - ◆ इसमें खरीदार एक होता है, जबकि विक्रेता अनेक।
 - ◆ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, जो समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रतिकूल है।
 - ◆ अनुबंध कृषि में किसानों के समक्ष समय पर भुगतान की समस्या, कंपनियों और किसानों के बीच विवाद, किसानों का शोषण आदि जैसी चुनौतियाँ भी देखने को मिलती हैं।

आगे की राह:

- अनुबंध कृषि भी उन कई उपायों में से एक है, जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, किंतु किसानों को उनकी पैदावार का न्यायसंगत मूल्य दिलाने व कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने हेतु सरकार को अनुबंध कृषि जैसे तरीकों का सधे हुए कदमों से प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है।
- सरकार को किसानों के शोषण को रोकने हेतु विशेषज्ञों की मदद से निरंतर ज़मीनी स्तर पर अध्ययन करते रहना चाहिये जिससे किसानों के हित में मौजूदा कानून को संशोधित किया जा सके।
- अनुबंध कृषि को बढ़ावा देने हेतु आयातित तकनीक या मशीनों पर अत्यधिक छूट देने का प्रावधान किया जाना चाहिये।
- किसानों और कंपनियों से विवाद की स्थिति में शीघ्रता से मामलों का निपटारा किया जाना चाहिये।

कृषि-विपणन से जुड़े संरचनात्मक मुद्दे

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई, 2020 को भारत की जीडीपी के 10% के बराबर, 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। इसी दिशा में वित्त मंत्री द्वारा कृषि विपणन सुधारों की दिशा में एक केंद्रीय कानून लाने की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु:

- 'कृषि विपणन सुधार' (Agricultural Marketing Reform) की दिशा में किसान को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिये पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने; निर्बाध अंतर्राज्यीय व्यापार; कृषि उत्पादों की ई-ट्रेडिंग के लिये एक रूपरेखा बनाने की दिशा में केंद्रीय विपणन कानून का निर्माण किया जाएगा।
- नवीन केंद्रीय कानून के निर्माण के बाद मौजूदा राज्य कृषि विनियमन कानून समाप्त हो जाएंगे।

कृषि विपणन (Agricultural marketing):

- कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएँ सम्मिलित की जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने के दौरान करनी पड़ती हैं।

कृषि विपणन सुधारों की आवश्यकता:

- अनुभव से सीखने की आवश्यकता:
 - ◆ ये कानून किसान को स्थानीय 'कृषि उपज विपणन समिति' (Agricultural Produce Marketing Committee-APMC) द्वारा लाइसेंस प्राप्त खरीदार के अलावा किसी अन्य कृषि उत्पाद बेचने से रोकते हैं।
 - ◆ वर्तमान केंद्रीय कानून निर्माण का निर्णय दो दशकों से अधिक समय के बाद विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए असमान सुधारों के बाद उपजे असंतोष को ध्यान में रखकर लिया गया है।
 - ◆ नवीन कानून का निर्माण करते समय पुराने कृषि विपणन सुधारों से संबंधित अब तक प्राप्त अनुभव से सीखने की आवश्यकता है तथा कृषि क्षेत्र से जुड़ी वास्तविकताओं की पहचान करते हुए सुधारों को अपनाना चाहिये।
- संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता:
 - ◆ वर्तमान में किसानों को कृषि विपणन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे सिर्फ कृषि की एकाधिकारवादी प्रणाली में निहित नहीं है अपितु वे संरचनात्मक समस्याओं में निहित होती हैं। जो कृषि बाजारों से किसानों को जुड़ने में प्रमुख बाधा बनता है।
 - ◆ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में अभी भी पर्याप्त मंडियाँ नहीं हैं। इन मंडियों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे में बहुत कम निवेश किया गया है तथा मंडियों की अवसंरचना बहुत खराब स्थिति में है।
 - ◆ वर्ष 2017 की 'डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट' के अनुसार APMC के तहत मौजूदा 6,676 प्रमुख बाजारों तथा उप-बाजारों में बुनियादी अवसंरचना की कमी है तथा भारत में अभी भी 3,500 से अधिक अतिरिक्त थोक बाजारों की आवश्यकता है। 23,000 ग्रामीण आवधिक बाजार (या हाट) भी लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं।
 - ◆ इसलिये कृषि बाजारों के बुनियादी ढाँचे के लिये आवंटित राशि का उपयोग पूरी तरह से भौतिक विपणन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये किया जाना चाहिये।
- कृषि प्रतिस्पर्द्धा में भी वृद्धि:
 - ◆ एकाधिकारवादी समस्या का समाधान विनियामक हस्तक्षेप द्वारा किया जा सकता है परंतु किसानों को बाजारों जोड़ने की भी उतनी ही आवश्यकता है। अतः कृषि विपणन में सुधारों की दिशा में राज्यों को एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी।
 - ◆ APMC कानून के तहत किसानों को अपनी उपज केवल लाइसेंस प्राप्त APMC व्यापारियों को बेचने को मजबूर किया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश भारतीय किसान, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत कृषक अपनी उपज को बिचौलियों को गाँव में या विनियमित बाजार के बाहर स्थानीय बाजारों में बेचते हैं।
 - ◆ यह जरूरी नहीं है कि APMC अधिनियम के सभी प्रतिबंधों को हटाने के बाद भी बाजार में प्रतिस्पर्द्धा देखने को मिले।
 - ◆ प्रत्येक बाजार स्थान पर किसानों तथा व्यापारियों के मध्य संपर्क स्थापित करना चाहिये।

कृषि विपणन सुधारों में राज्यों द्वारा अपनाए गए मॉडल:

- बिहार राज्य में APMC अधिनियम के तहत सभी प्रतिबंधों को हटा देने के बावजूद राज्य में औपचारिक माध्यमों द्वारा बहुत कम खरीद देखने को मिली है। जब प्रतिबंधों को हटाने के बाद निगमों ने खरीद प्रक्रिया में प्रवेश किया तो निगमों द्वारा अधिकतर खरीद बड़े व्यापारियों से ही की गई जबकि किसानों से प्रत्यक्ष क्रय बहुत कम किया गया।

- मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने APMC कानूनों के निरसन के बजाय विनियामक उपायों को अपनाया है, तथा इसके परिणाम काफी अच्छे रहे हैं।
- इससे कृषि मंडियों के तुलनात्मक लाभ को बढ़ावा मिला है। सीमित विनियमन से सभी स्थानीय बाजारों में अनेक खरीदारों (Multi-Buyer) की उपलब्धता तथा बाजारों में व्यापक वस्तुओं (Multi-Commodity) की उपलब्धता संभव हो पाई तथा परिणाम सकारात्मक रहे।

आगे की राह:

- नवीन तकनीक आधारित कृषि विपणन प्रणाली सफल होगी यदि नवीन विपणन प्रणाली उत्पादकों को अधिक विपणन विकल्प उपलब्ध कराए तथा उत्पादकों से जुड़ी वास्तविक बाधाओं को दूर करने का प्रबंधन करे।
- ये विपणन प्रणालियाँ जमीनी स्तर पर किसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान यथा ऋण उपलब्धता, आगत आपूर्ति, भंडारण सुविधा, तथा परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने में सक्षम हो।

निष्कर्ष:

- कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है अतः कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिये विनियामक सुधार के लिये वर्तमान विनियमन संस्थाओं तथा कानूनों को बदलने के स्थान पर आवश्यक सुधार करने चाहिये। कृषि-व्यवसाय में 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम' (Micro-Small and Medium Enterprises- MSMEs) के प्रवेश के लिये आवश्यक उपाय अपनाने होंगे। हमें भारत के कृषि बाजारों की विविधता, गतिशीलता, उद्यमशीलता को मजबूत करना होगा।

GST पर आपदा उपकर

चर्चा में क्यों ?

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से निपटने के लिये केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) पर आपदा उपकर (Calamity Cess) लगाने पर विचार कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि वित्त मंत्री के समक्ष GST पर 5 प्रतिशत वाली स्लैब के अतिरिक्त अन्य सभी स्लैबों से अतिरिक्त धन जुटाने के लिये आपदा उपकर का प्रस्ताव रखा गया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A(4)(F) के अनुसार, GST परिषद किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान उपकर लागू करने की सिफारिश कर सकती है।
- इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्यों को GST का मुआवजा देने के लिये बाजार ऋण लेने पर भी विचार कर रही है। साथ ही मुआवजे की समय सीमा के विस्तार पर भी विचार कर रही है।

आलोचना

- हालाँकि विभिन्न विश्लेषक केंद्र सरकार के इस विचार को उचित नहीं मान रहे हैं, क्योंकि देश के उद्योग पहले से ही गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।
- इस प्रकार के उपकर से उपभोक्ताओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इन सभी विषयों पर विचार करने के लिये कुछ समय में GST परिषद की बैठक बुलाई जाएगी।
- ◆ GST परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक संस्था है और इसमें सभी राज्यों के वित्त/राजस्व और वित्त राज्य मंत्री शामिल होते हैं। यह GST से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें/सुझाव देती है।

केरल का उदाहरण

वर्ष 2018 में केरल में मानसून के समय आई बाढ़ के बाद वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये केरल सरकार ने अगस्त, 2019 में दो वर्ष की अवधि के लिये पहली बार आपदा राहत उपकर (Disaster Relief Cess) अधिरोपित करने की घोषणा की थी। इस प्रकार केरल वह एकमात्र राज्य है जिसने इस प्रकार का उपकर लागू किया है। उल्लेखनीय है कि GST परिषद की सिफारिशों के अनुसार ही, GST कानून में संशोधन किये गए थे और केरल सरकार को 1 प्रतिशत उपकर लगाने की अनुमति दी गई थी।

GST क्षतिपूर्ति

- 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद 1 जुलाई, 2017 से GST संपूर्ण देश में लागू हो गया। इसमें बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य स्तर पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर एक ही कर में विलीन हो गए।
- केंद्र ने GST के लागू होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक GST कार्यान्वयन के कारण कर राजस्व में आने वाली कमी के लिये राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का वादा किया था। केंद्र सरकार के इस वादे के चलते बड़ी संख्या में अनिच्छुक राज्य नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिये सहमत हो गए थे।
- GST अधिनियम के तहत वर्ष 2022 यानी GST कार्यान्वयन के बाद पहले पाँच वर्षों तक GST कर संग्रह में 14 प्रतिशत से कम वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) दर्शाने वाले राज्यों के लिये क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई है। केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक दो महीने में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

मधुमक्खी पालन और भारत

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation- NCDC) द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के अपने लक्ष्य के तहत सरकार मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दे रही है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिये 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अनुसार, भारत में वर्ष 2005-06 की तुलना में अब शहद उत्पादन 242 प्रतिशत बढ़ गया है, वहीं इसके निर्यात में 265 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- शहद के निर्यात में हो रही बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि मधुमक्खी पालन वर्ष 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कारक रहेगा।

भारत और मधुमक्खी पालन

- सामान्य शब्दों में मधुमक्खी पालन का अभिप्राय मधुमक्खियों को नियंत्रित करने और उन्हें संभालने की मानवीय गतिविधि से होता है।
- मधुमक्खी पालक वह व्यक्ति होता है जो शहद अथवा अन्य उत्पादों को एकत्रित करने के उद्देश्य से मधुमक्खियों को पालता है।
- नवीनतम आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत विश्व में शहद के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है, जबकि वर्ष 2017-18 में शहद उत्पादन के मामले में भारत 64.9 हजार टन शहद उत्पादन के साथ दुनिया में आठवें स्थान पर था।

मधुमक्खी पालन क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- कभी-कभी मधुमक्खी पालन क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रभावस्वरूप मधुमक्खियों के विनाश जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- ध्यातव्य है कि मधुमक्खी खाने वाले पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण सर्दियों में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में चले जाते हैं, जिसके कारण इन राज्यों के मधुमक्खी पालकों को नुकसान का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में सरकार के प्रयास

- राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (National Bee Board) ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन (National Beekeeping and Honey Mission-NBHM) के लिये मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण हेतु चार माड्यूल (Modules) बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से देश में 30 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
- ◆ राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन (NBHM) एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से 'मीठी क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के विकास और समग्र संवर्द्धन के लिये शुरू किया गया है

- साथ ही सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित की गई समिति की सिफारिशों का भी कार्यान्वयन कर रही है।
- सरकार ने 'मीठी क्रांति' (Sweet Revolution) के तहत 'हनी मिशन' (Honey Mission) की भी घोषणा की है, जिसके मुख्यतः चार भाग हैं और इससे किसानों को काफी लाभ प्राप्त होगा।
- ◆ 'मीठी क्रांति' (Sweet Revolution) को राज्य में शहद उत्पादन में वृद्धि पर जोर देने के लिये उठाए गए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है, जो किसानों की आय दोगुनी करने में एक प्रमुख योगदानकर्ता हो सकती है।
- मधुमक्खी पालन का कार्य करके गरीब व्यक्ति भी कम पूंजी में अधिक मुनाफा प्राप्त कर सके इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिये 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है।

मधुमक्खी पालन विकास समिति और उसकी सिफारिशें

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रो. देबरॉय की अध्यक्षता में मधुमक्खी पालन विकास समिति (Beekeeping Development Committee- BDC) का गठन किया गया था।
- BDC का उद्देश्य भारत में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के नए तौर तरीकों की पहचान करना था जिससे कृषि उत्पादकता, रोजगार सृजन और पोषण सुरक्षा बढ़ाने तथा जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिल सके।
- समिति की प्रमुख सिफारिशें-
 - ◆ मधुमक्खियों को कृषि उत्पाद के रूप में देखा जाना चाहिये तथा भूमिहीन मधुमक्खी पालकों को किसान का दर्जा दिया जाना चाहिये।
 - ◆ मधुमक्खियों की पसंद वाले पौधों को सही स्थानों पर लगाना चाहिये तथा ऐसे बागानों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाए।
 - ◆ मधुमक्खी पालकों को राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण और विकास की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
 - ◆ राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड को संस्थागत रूप दिया जाए तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत इसे शहद और परागण बोर्ड का नाम दिया जाए।
 - ◆ शहद सहित मधुमक्खियों से जुड़े अन्य उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के लिये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अवसंरचनाओं का विकास किया जाए।

शहरी क्षेत्रों में टिड्डियों का आगमन

चर्चा में क्यों ?

फसलों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली टिड्डियों का पिछले कुछ दिनों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र) के शहरी क्षेत्रों में देखा जाना चिंता का विषय है।

प्रमुख बिंदु:

- शहरी क्षेत्रों में टिड्डियों का आगमन:
- दरअसल 11 अप्रैल को भारत-पाकिस्तान सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में टिड्डियों को पहली बार देखा गया था।
- मई के शुरुआती दिनों में ही पाकिस्तान से होते हुए टिड्डियों का आगमन राजस्थान की तरफ होने लगा था
- मानसून से पहले आगमन होने की वजह से इनके मार्गों में सूखाग्रस्त क्षेत्र जहाँ भोजन व आश्रय न मिलने के कारण ये टिड्डियाँ हरी वनस्पति की तलाश में राजस्थान की तरफ बढ़ती गईं।
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation-FAO) के अनुसार, टिड्डियाँ भोजन की तलाश हेतु शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर रहीं हैं।

टिड्डी (Locusts):

- मुख्यतः टिड्डी एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है जो विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं।

- टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियाँ सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती हैं।
- सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। साथ ही 40-80 मिलियन टिड्डियाँ 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समायोजित हो सकती हैं।

टिड्डियों के पूर्वागमन के कारण:

- टिड्डियों के पूर्वागमन का प्रमुख कारण मई और अक्टूबर 2018 में आए मेकुनु और लुबान नामक चक्रवाती तूफान हैं, जिनके कारण दक्षिणी अरब प्रायद्वीप के बड़े रेगिस्तानी इलाके झीलों में तब्दील हो गए थे। अतः इस घटना के कारण भारी मात्रा में टिड्डियों का प्रजनन हुआ था।
- नवंबर 2019 में पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों ने भारी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुँचाया था साथ ही पूर्वी अफ्रीका में भारी वर्षा होने कारण इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई तत्पश्चात ये दक्षिणी ईरान और पाकिस्तान की तरफ चलती गई।

टिड्डियों का भारत में प्रभाव:

- वर्तमान में फसल के नुकसान होने की संभावना कम है क्योंकि किसानों ने अपनी रबी की फसल की कटाई पहले ही कर ली है। लेकिन महाराष्ट्र में टिड्डियों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर नारंगी उत्पादक काफी चिंतित हैं।
- टिड्डी चेतावनी संगठन (Locust Warning Organization-LWO) के अनुसार, भारत में बड़ी समस्या तब होगी जब टिड्डियों की प्रजनन संख्या में वृद्धि होगी।
- दरअसल एक मादा टिड्डी 3 महीने के जीवन चक्र के दौरान 80-90 अंडे देती है। साथ ही इनके प्रजनन में बाधा उत्पन्न न होने की स्थिति में एक समूह प्रति वर्ग किलोमीटर में 40-80 मिलियन टिड्डियों की संख्या हो सकती हैं।

टिड्डियों से बचाव हेतु किये गए प्रयास:

- टिड्डियों से बचाव हेतु वृक्षों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है।
- राजस्थान में 21,675 हेक्टेयर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है।
- भारत द्वारा ब्रिटेन को 60 विशेष कीटनाशक स्प्रेयर (मशीन) का ऑर्डर दिया गया है।
- ड्रोन से भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है।

भारत में टिड्डियाँ:

- भारत में टिड्डियों की निम्नलिखित चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं:- रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी, ट्री टिड्डी।
- आमतौर पर जुलाई-अक्टूबर के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होती हैं।
- वर्ष 1993 में राजस्थान में टिड्डियों ने सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुँचाया था।

टिड्डी चेतावनी संगठन (Locust Warning Organization-LWO):

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage) के अधीन आने वाला टिड्डी चेतावनी संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिये जिम्मेदार है।
- इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है।

रेपो रेट में कटौती

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने रेपो रेट (Repo Rate) में 0.4 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- RBI की घोषणा के साथ ही रेपो रेट अब 4.40 प्रतिशत से घटकर 4.0 प्रतिशत पर पहुँच गया है और रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) 3.35 प्रतिशत पर आ गया है।
- RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, बीते 2 महीने में लॉकडाउन के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधियाँ काफी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।' ज्ञात हो कि शीर्ष 6 औद्योगिक राज्यों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा रेड अथवा ऑरेंज जोन में है।
- उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष फरवरी माह से RBI ने नीतिगत रेपो दर में समग्र तौर पर 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है, जिसके कारण रेपो रेट 6.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक पहुँच गया है।
- इसके अतिरिक्त RBI ने ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को आवधिक ऋण (Term Loan) की किस्तों के निलंबन को आगामी तीन महीनों (1 जून, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक) तक बढ़ाने की अनुमति दी है।
- ◆ इससे उधारकर्ताओं, विशेष रूप से ऐसी कंपनियों, जिन्होंने उत्पादन को रोक दिया है और जो नकदी प्रवाह की समस्याओं का सामना कर रही हैं, को अपनी इकाइयों को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।

प्रभाव

- केंद्रीय बैंक की घोषणा के साथ ही ऋण EMI विशेष रूप से होम लोन (Home Loan) के सस्ता होने की उम्मीद है।
- विभिन्न आर्थिक संकेतक मार्च 2020 में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग कम होने का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं।
- ◆ ऐसे में RBI के इस निर्णय को मौजूदा आर्थिक स्थिति में मांग को बढ़ाने के लिये एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।
- आमतौर पर, जब भी केंद्रीय बैंक अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कटौती करता है, तो देश के विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक भी इसका पालन करते हुए अपने ग्राहकों के लिये अपनी उधार की दरों को कम करते हैं।
- इस संबंध में घोषणा करते हुए RBI ने कहा कि COVID-19 महामारी का सर्वाधिक प्रभाव घरेलू खपत पर देखने को मिला है। महामारी जनित लॉकडाउन के कारण मार्च माह में औद्योगिक उत्पादन 17 प्रतिशत कम हो गया, जबकि विनिर्माण गतिविधि 21 प्रतिशत तक गिर गई।
- RBI के इस नवीनतम कदम से विस्तारित लॉकडाउन के कारण व्यवसायों के समक्ष मौजूद आर्थिक चुनौतियों के कुछ कम होने की उम्मीद है।

आलोचना

- कई जानकारों का मानना है कि RBI द्वारा घोषित इस कटौती से केवल मौजूदा उधारकर्ताओं को ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों की स्थिति अच्छी न होने के कारण इस निर्णय का लाभ प्राप्त करने के लिये कोई विशेष प्रस्ताव बैंकों के समक्ष नहीं होगा।
- छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (Non-Banking Financial Companies-NBFCs) और छोटे निगम आवश्यक तरलता प्रदान करने के बावजूद तनावग्रस्त रह सकते हैं।
- वित्त विशेषज्ञों को उम्मीद है कि RBI के निर्णय से गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets) में काफी वृद्धि होगी, क्योंकि लगभग छह महीने तक ऋण न चुकाने से देश की ऋण संस्कृति (Credit Culture) पर भी असर पड़ेगा।

रेपो रेट

- जैसा कि हम जानते हैं कि बैंकों को अपने काम-काज के लिये अक्सर बड़ी रकम की जरूरत होती है।
- बैंक इसके लिये RBI से अल्पकालिक ऋण मांगते हैं और इस ऋण पर रिजर्व बैंक को उन्हें जिस दर से ब्याज देना पड़ता है, उसे ही रेपो रेट कहते हैं।

रिवर्स रेपो रेट

- यह रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है अर्थात् जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है। रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।

बैंक बोर्ड ब्यूरो

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो (Banks Board Bureau- BBB) द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस (New India Assurance- NIA) के महाप्रबंधक एस. एस. राजेश्वरी को दिल्ली स्थित ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी (Oriental Insurance Company- OIC) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- OIC के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक पद के लिये BBB द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की 5 बीमा कंपनियों के वरिष्ठ महाप्रबंधकों के साक्षात्कार लिये गए थे।
- यह पहली बार है कि OIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (Chairman and Managing Director- CMD) पद के लिये वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया है।
- गौरतलब है कि OIC के वर्तमान CMD 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण इस माह के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
- ऐसा दूसरी बार हुआ है कि BBB द्वारा किसी साक्षात्कार के दिन ही उसके परिणाम घोषित कर दिये गए हैं।
 - ◆ इससे पूर्व जनरल इश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (General Insurance Corporation) और एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Agriculture Insurance Company of India Limited- AIC) के CMD पदों के परिणाम साक्षात्कार के दिन ही घोषित कर दिये गए थे।

नियुक्ति की प्रक्रिया:

- साक्षात्कार के परिणामों के जारी होने के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा OIC के CMD की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
- केंद्रीय वित्तमंत्री की अनुमति के बाद आधिकारिक नियुक्ति पत्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के पास भेजा जाएगा, जहाँ से इसे प्रधानमंत्री की सहमति हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा।

नियुक्ति के प्रभाव:

- विशेषज्ञों के अनुसार, OIC के CMD की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तीन सामान्य बीमा कंपनियों {नेशनल इश्योरेंस कंपनी (National Insurance Company- NIC) और यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस और OIC) के विलय की योजना में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है।
- साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संकेत दिये हैं कि जल्द ही सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
 - ◆ ध्यातव्य है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लगभग दो वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र की चार बीमा कंपनियों के निदेशकों की नियुक्ति रोक दी थी। इसके कारण इन चार सार्वजनिक कंपनियों में अधिकांश निदेशकों के पद खाली हैं।

बैंक बोर्ड ब्यूरो (Banks Board Bureau- BBB):

- देश के बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिये वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन द्वारा एक्सिस बैंक के पूर्व अध्यक्ष 'पी. जे. नायक' की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
- पी. जे. नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर 28 फरवरी' 2016 को भारत सरकार ने ब्यूरो के गठन और इसकी संरचना की घोषणा की।
- भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने आधिकारिक रूप से 1, अप्रैल 2016 से कार्य करना प्रारंभ किया था।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

बैंक बोर्ड ब्यूरो के कार्य:

- BBB एक एक स्वायत्त संस्तुतिकर्ता संस्था के रूप में कार्य करती है।

बैंक बोर्ड ब्यूरो के प्रमुख कार्यों में से कुछ निम्नलिखित हैं-

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks- PSBs) और वित्तीय संस्थाओं (Financial Institution- FI) के निदेशक मंडल (पूर्णकालिक निदेशक और गैर- कार्यकारी अध्यक्ष) की नियुक्ति हेतु सरकार को सुझाव देना।
- PSBs/Fi और इनके अधिकारियों तथा निदेशक मंडल के कार्यनिष्पादन संबंधी डेटा का डेटा बैंक बनाना एवं इसे सरकार के साथ साझा करना।
- PSBs और Fi के प्रबंधकीय कर्मियों हेतु नीति और आचार संहिता बनाने तथा इसे लागू करने के संबंध में सरकार को परामर्श देना।
- बैंकों को व्यापार/कारोबार की रणनीति बनाने और पूँजी जुटाने की योजना में सहायता प्रदान करना, आदि।

गूगल के खिलाफ अविश्वास मामले में शिकायत

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (The Competition Commission of India- CCI) गूगल के खिलाफ एक शिकायत की जाँच कर रहा है, जिसके तहत गूगल पर आरोप लगाया गया है कि वह देश में अपने मोबाइल भुगतान एप को गलत तरीके से बढ़ावा देने के लिये बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गूगल अपने एप स्टोर (App Store) में 'गूगल पे एप' (Google Pay App) को अधिक प्रमुखता से दिखाता है, जो इसे अन्य प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के एप की तुलना में अनुचित बढ़त/लाभ प्रदान करता है।
- शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गूगल के इस व्यवहार से उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है।
- गूगल के खिलाफ यह शिकायत फरवरी 2020 में दायर की गई थी परंतु अभी तक CCI ने शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी है।
- CCI द्वारा गूगल को इस मामले के बारे में सूचित कर दिया गया है, हालाँकि गूगल ने अभी तक इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखा है।

गूगल पे (Google Pay):

- यह गूगल द्वारा निर्मित एक मोबाइल भुगतान एप (Mobile Payment App) है।
- यह एप उपभोक्ताओं को एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि भेजने और बिल जमा करने जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।
- भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार में इसका मुकाबला सॉफ्टबैंक समर्थित पेटीएम (PayTM) और वॉलमार्ट के फोनपे (PhonePe) जैसे एप से है।

जाँच की प्रक्रिया:

- वर्तमान में CCI के शीर्ष अधिकारियों द्वारा गूगल पर लगे इन आरोपों की समीक्षा की जा रही है, सामान्यतः ऐसे मामलों में दूसरे पक्ष (इस मामले में गूगल) को CCI के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिये बुलाया जाएगा और उसके पश्चात आगे की कर्वाइ की जाएगी।
- आरोपों की समीक्षा के बाद CCI इसकी व्यापक जाँच हेतु मामले को किसी जाँच इकाई को दे सकती है अथवा इसे रद्द भी किया जा सकता है।

गूगल पर अविश्वास के मामले:

- भारत में गूगल के खिलाफ अविश्वास का यह तीसरा बड़ा मामला है।
- वर्ष 2018 में CCI ने गूगल पर 'ऑनलाइन सर्च में पक्षपात' करने के मामले में 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।
- ◆ हालाँकि गूगल ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है जिसपर अभी फैसला आना बाकी है।
- पिछले वर्ष CCI ने गूगल पर एक अन्य मामले में जाँच प्रारंभ की थी, जिसके तहत लगाए गए आरोपों के अनुसार, गूगल मोबाइल निर्माता कंपनियों द्वारा एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (Android Mobile Operating System) के वैकल्पिक संस्करणों को चुनने की क्षमता को कम करने के लिये बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का प्रयोग करता है।

भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार:

- पिछले कुछ वर्षों में देश में मोबाइल और अन्य तकनीकी के विकास के साथ डिजिटल भुगतान में भारी वृद्धि देखने को मिली है।
- वर्ष 2019 में भारत का डिजिटल भुगतान बाजार लगभग 64.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2023 तक भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 20.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate-CAGR) की बढ़त के साथ लगभग 135.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।
- साथ ही इसी दौरान वैश्विक स्तर पर भी भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार की हिस्सेदारी 1.56% (वर्ष 2019) से बढ़कर 2.02% (वर्ष 2023) तक पहुँच जाएगी।
- सितंबर 2019 में गूगल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में गूगल के डिजिटल भुगतान एप पर सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 670 लाख प्रतिमाह तक पहुँच गई थी।

चुनौतियाँ:

- पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी विकास और इंटरनेट के विस्तार का प्रभाव अन्य क्षेत्रों के साथ मुद्रा विनिमय और बाजार पर भी देखने को मिला है।
- तकनीकी विकास जहाँ बाजारों को जोड़ने और व्यापार के नए अवसरों की खोज में सहायक रहा है, वहीं समय के साथ नियमों में अपेक्षित बदलाव और पारदर्शिता के अभाव में नियामकों की चुनौतियों में वृद्धि हुई है।
- वर्तमान में डिजिटल तकनीकी क्षेत्र की कंपनियाँ विदेशी निवेश का एक बड़ा स्रोत हैं ऐसे में नियमों में सख्ती से देश में विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाने वाला निवेश प्रभावित हो सकता है।

आगे की राह:

- इंटरनेट और ई-व्यापार से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए CCI द्वारा प्रस्तुत 'मार्केट स्टडी ऑन ई-कॉमर्स इन इंडिया' (Market Study on E-commerce in India) नामक रिपोर्ट में कंपनियों द्वारा पारदर्शिता को बढ़ाने और स्व-नियामक प्रावधानों में वृद्धि किये जाने पर बल दिया था।
- पक्षपात के मामलों में वृद्धि को देखते हुए 'राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलिय न्यायाधिकरण' (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT) द्वारा भी इस बात को दोहराया गया कि कि बड़ी कम्पनियाँ अपने हितों की रक्षा के लिये सकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा के नियमों की अनदेखी नहीं कर सकती हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (The Competition Commission of India- CCI):

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के कुल सदस्यों की संख्या 7 (एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य) निर्धारित की गई है।
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के कार्य:

- कानून और नियमों के सफल क्रियान्वयन तथा परस्पर समन्वय के माध्यम से सकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा और नवाचार को बढ़ावा देना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- उपभोगताओं, औद्योगिक क्षेत्र, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना।
- अपने कार्यों में व्यावसायिकता और पारदर्शिता रखना तथा न-जागरूकता को बढ़ावा देना।

सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार, देशभर में लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष (2020-21) में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अनुमान है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि रेटिंग एजेंसी 'क्रिसिल' (Crisil) और 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' (State Bank of India-SBI) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष (2020-21) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) में क्रमशः 5% (क्रिसिल) और 6.8% (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) की गिरावट होगी।
- 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 40% की गिरावट की आशंका है।
- उन राज्यों में भी आर्थिक गतिविधियाँ लंबे समय तक प्रभावित रह सकती हैं, जहाँ COVID-19 के मामले ज्यादा हैं।
- ध्यातव्य है कि भारत में मानसून के कारण केवल तीन बार वित्तीय वर्ष 1957-58, 1965-66 और 1979-80 में मंदी आई थी। इस दौरान खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। वर्तमान में 'सकल घरेलू उत्पाद' में कृषि का योगदान 17% है।
- लॉकडाउन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है बशर्ते मानसून साथ दे।

अन्य बिंदु:

- मार्च 2020 में औद्योगिक उत्पादन में 16%, अप्रैल 2020 के दौरान निर्यात में 60.3%, दूरसंचार क्षेत्र में नए ग्राहकों की संख्या में 35% और रेल के जरिये माल ढुलाई में 35% की गिरावट दर्ज की गई है।

क्रिसिल का अनुमान:

- मानसून सामान्य रहने की स्थिति में कृषि क्षेत्र में 2.5% की वृद्धि का अनुमान है।
- देशभर में लॉकडाउन के कारण गैर-कृषि जीडीपी में 6% की गिरावट का अनुमान है।
- अन्य देशों में लॉकडाउन लागू होने से भारत के निर्यात क्षेत्र प्रभावित होंगे।
- भारत में अगले तीन वित्तीय वर्षों तक 'सकल घरेलू उत्पाद' में वृद्धि दर 7-8% हासिल करना मुश्किल होगा।
- क्रिसिल के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 25% की गिरावट का अनुमान है।

फिच का अनुमान:

- फिच के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष (2020-21) में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का अनुमान है।
- ध्यातव्य है कि इससे पहले फिच ने वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 0.8% वृद्धि का अनुमान लगाया था।

गिरावट के कारण:

- देशभर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण आर्थिक गतिविधियाँ बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।
- दुनिया में काफी सख्त लॉकडाउनों में से एक भारत में लागू किया गया था।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह का प्रदर्शन सबसे खराब था।
- शिक्षा, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को प्रतिबंधित करना भी अर्थव्यवस्था की गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' को शून्य जोखिम-भार युक्त ऋण**चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) से सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित आर्थिक राहत पैकेज के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिये जाने वाले ऋण पर 'जोखिम-भार' (Risk Weight) लागू करने की अनिवार्यता से छूट देने का अनुरोध किया है।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 और देशभर में लागू लॉकडाउन के कारण औद्योगिक क्षेत्र को हुई क्षति को देखते हुए सरकार द्वारा MSME क्षेत्र के लिये 3 लाख करोड़ रुपये के ऋण की घोषणा की गई थी।
- MSME क्षेत्र को दिये जाने वाले इस ऋण पर 'गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन' (Guaranteed Emergency Credit Line- GECL) के रूप में 'राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (National Credit Guarantee Trustee Company Limited-NCGTC) द्वारा 100% गारंटी दी जाएगी।
- NCGTC द्वारा इस गारंटी के लिये कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- केंद्र सरकार के अनुसार, इस योजना के लिये 41,600 करोड़ रुपये के कोष का प्रबंध किया गया है।
- यह योजना 31 अक्टूबर, 2020 तक या योजना के तहत प्रस्तावित राशि के खत्म होने (जो भी पहले हो) तक लागू रहेगी।
- इस योजना के तहत दिये गए ऋण की अवधि 4 वर्ष की होगी साथ ही मूलधन पर एक वर्ष के अधिस्थगन प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत बैंकों द्वारा जारी किये गए ऋण पर 9.25% ब्याज और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFCs) द्वारा जारी ऋण पर 14% ब्याज लागू होगा।

राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड**(National Credit Guarantee Trustee Company Limited-NCGTC):**

- राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की स्थापना 28 मार्च, 2014 को 'कंपनी अधिनियम, 1956' के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- वर्तमान में NCGTC के तहत 5 क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का संचालन किया जाता है।
 - ◆ शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड योजना (Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans- CGFSEL)
 - ◆ कौशल विकास हेतु क्रेडिट गारंटी फंड योजना (Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development- CGFSD)
 - ◆ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर फैक्ट्रिंग (Credit Guarantee Fund Scheme for Factoring- CGFF)
 - ◆ सूक्ष्म इकाइयों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड (Credit Guarantee Fund for Micro Units- CGFMU)
 - ◆ स्टैंड अप इंडिया हेतु क्रेडिट गारंटी फंड (Credit Guarantee Fund for Stand Up India- CGFSI)

योजना का लाभ:

- यह योजना मूलरूप से MSME श्रेणी के उद्यमों के लिये शुरू किया गया है, परंतु अन्य छोटे कारोबारी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। अतः इस योजना के माध्यम से COVID-19 के कारण बाजार में उत्पन्न हुई तरलता को तात्कालिक रूप से कुछ सीमा तक दूर किया जा सकेगा।
- 'शून्य' जोखिम-भार का अर्थ है कि बैंकों को इस योजना के तहत दिये गए ऋण पर अतिरिक्त पूंजी अलग नहीं रखनी होगी। इससे बैंकों पर गैर-निष्पादित संपत्तियों (Non-Performing Assets- NPA) का दबाव कम होगा और बैंकों को अधिक-से-अधिक ऋण उपलब्ध करने के लिये प्रेरित किया जा सकेगा।
- पिछले सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख अधिकारियों की एक बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकों को बिना तीन 'C' {केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI), केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission- CVC) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India- CAG) के भय के पात्र लोगों को योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने को कहा है।

चुनौतियाँ:

- इस प्रकार के ऋण पर न्यूनतम 20% जोखिम भार लागू होगा क्योंकि यह ऋण प्रत्यक्ष रूप से सरकार की गारंटी के तहत नहीं जारी किये गए हैं।

आगे की राह:

- विशेषज्ञों के अनुसार, इस बात की अधिक संभावना है कि RBI द्वारा जोखिम भार की अनिवार्यताओं को हटा दिया जाएगा, जिससे यह योजना आसानी से लागू की जा सकेगी।
- COVID-19 के कारण देशभर में लागू लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभाव MSME श्रेणी के उद्यमों पर देखने को मिला है, अतः इस योजना के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करा कर औद्योगिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।

केंद्रीय पेट्रोसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET)**चर्चा में क्यों ?**

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) के तहत 'केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान' (Central Institute of Plastics Engineering & Technology- CIPET) का नाम परिवर्तित कर 'केंद्रीय पेट्रोसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान' (Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology- CIPET) कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- परिवर्तित नाम को तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1975 (तमिलनाडु अधिनियम 27, 1975) के तहत पंजीकृत किया गया है।
- 'केंद्रीय पेट्रोसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान' पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के विकास के लिये समर्पित होगा, जिसमें एकेडमिक्स, स्किलिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड रिसर्च इत्यादि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- CIPET का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा एवं अनुसंधान जैसे संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान देना रहा है।
- संस्थान कई वर्षों की विकास प्रक्रिया से गुजरते हुए प्लास्टिक के अभिनव प्रयोगों पर आधारित ऐसे समाधान विकसित करने के लिये उद्योगों के साथ जुड़ रहा है जो संसाधनों के इस्तेमाल के मामले में युक्तिसंगत होने के साथ ही आसानी से बिकने वाले भी हैं।

CIPET के बारे में

- केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET) की स्थापना वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) की मदद से चेन्नई में की गई।
- वर्तमान समय में यह भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है।
- इसका मुख्यालय गिण्डी, चेन्नई में है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा एवं अनुसंधान के संयुक्त प्रयासों द्वारा देश में प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना है।

पेट्रोसायन (Petrochemicals):

- पेट्रोसायन विभिन्न रासायनिक यौगिकों के हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किये जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से व्युत्पन्न होते हैं।
- कच्चे तेल के आसवन द्वारा उत्पादित विभिन्न अंशों में से पेट्रोलियम गैस, नेफ्था (Naphtha), केरोसिन और गैस तेल पेट्रोसायन उद्योग के लिये प्रमुख फीड स्टॉक हैं।
- प्राकृतिक गैस से प्राप्त ईथेन, प्रोपेन और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ पेट्रोसायन उद्योग में उपयोग किये जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण फीडस्टॉक हैं।

भारत में पेट्रोरसायन उद्योग:

पृष्ठभूमि:

- 1970 के दशक में, जैविक रसायनों की मांग में इतनी तेजी से वृद्धि हुई कि इस मांग को पूरा करना मुश्किल हो गया। उस समय पेट्रोलियम शोधन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ।
- इस उद्योग ने 1980 और 1990 के दशक में तेजी से वृद्धि दर्ज की।
- पेट्रोरसायन उद्योग में मुख्य रूप से सिंथेटिक फाइबर/यार्न, पॉलिमर, सिंथेटिक रबर (इलास्टोमर), सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट्स, परफार्मेंस प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग शामिल हैं।

पेट्रोरसायन उद्योग का विज़न:

पेट्रोरसायन क्षेत्र की परिकल्पना घरेलू पेट्रोरसायन उद्योग की संभावना को ध्यान में रखते हुए तथा उत्पादन और माँग में वैश्विक बदलाव द्वारा प्रदत्त विकास के अवसरों को देखते हुए की गई है। इसके दृष्टिकोण में प्रमुख रूप से शामिल हैं-

- पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी कीमतों के आधार पर मूल्यवर्द्धित, गुणवत्तायुक्त पेट्रोरसायन उत्पादों का विकास करना।
- सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ नए अनुप्रयोगों और उत्पादों का विकास करना।

महत्त्व:

- पेट्रोरसायन उद्योग आर्थिक विकास और विनिर्माण क्षेत्र के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेट्रोरसायन उद्योग में मूल्यवर्द्धित अन्य उद्योग क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।
- पेट्रोरसायन उत्पाद वस्त्र, आवास, निर्माण, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, घरेलू सामान, कृषि, बागवानी, सिंचाई, पैकेजिंग, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीकल आदि जैसे जीवन के लगभग हर क्षेत्र को कवर करते हैं।
- रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग संयुक्त रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जिसमें नमक से लेकर उपग्रह तक के 80,000 से अधिक उत्पाद शामिल हैं। ये उद्योग लगभग 2 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

भारतीय रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग के चालक

मजबूत आर्थिक विकास, दुनिया की दूसरी सर्वाधिक आबादी, शहरीकरण में तेजी और औद्योगिक माँग में भारी वृद्धि भारतीय रासायनिक और पेट्रोरसायन उद्योग के विकास के लिये प्रमुख चालक हैं।

आगे की राह

- भारत में प्लास्टिक की मांग में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के बीच 8.9% की औसत दर वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 तक यह मांग 24 मिलियन टन और वर्ष 2027-28 तक 35 मिलियन टन तक पहुँचने की उम्मीद है।
- संगठित और असंगठित क्षेत्र में लगभग 50,000 से अधिक प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं तथा प्रसंस्करण क्षमता प्रति वर्ष 45.1 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- यह प्रसंस्करण क्षमता 8.8% CAGR (Compound Annual Growth Rate) की दर से बढ़ रही है और प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता वर्ष 2022-23 तक 62.4 मिलियन टन एवं वर्ष 2027-28 तक 86 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिये 10 अरब डॉलर का निवेश किये जाने की उम्मीद है।

आर्बिट्रेज स्कीम

चर्चा में क्यों ?

अप्रैल माह में 6,587 करोड़ रुपए के शुद्ध अंतर्वाह (Net Inflows) के साथ आर्बिट्रेज स्कीम (Arbitrage Schemes) एक बार पुनः निवेशकों की पसंद बन गई है।

प्रमुख बिंदु

- इसका मुख्य कारण है कि निवेशक ऋण योजनाओं (Debt Schemes) के विकल्प की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्पलटन (Franklin Templeton) नामक निवेश प्रबंधन कंपनी के समापन (Wind-Up) के बाद ऋण योजनाओं (Debt Schemes) के प्रति निवेशकों की भावना काफी कमजोर हो गई है।
- ◆ हाल ही में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी संकट के कारण पैदा हुए तरलता संकट (Liquidity Crisis) के चलते फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने अपनी तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की छह ऋण योजनाओं को बंद करने का फैसला किया था।
- उल्लेखनीय है कि मार्च माह में इस श्रेणी में काफी बड़ी मात्रा में बहिर्वाह (Outflows) दर्ज किया था, जिसका मुख्य कारण था कि निवेशक वर्ष के अंत में अपनी तरलता संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये पैसे को निकाल रहे थे।
- ◆ आर्बिट्रिज श्रेणी में मार्च के दौरान 33,767 करोड़ रुपए का शुद्ध बहिर्वाह हुआ था।
- हालाँकि, अब बाजार स्थिर होने के साथ निवेशक अपने पैसे को निवेश करने और क्रेडिट या अन्य ऋण बाजार से संबंधित जोखिमों से बचने के लिये इस श्रेणी को ओर आकर्षित हो रहे हैं।

'आर्बिट्रिज' का अर्थ

- आर्बिट्रिज का अभिप्राय मूल्य अंतर पर विभिन्न प्लेटफार्मों से एक साथ परिसंपत्ति की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया से होता है।
- 'आर्बिट्रिज' की प्रक्रिया के दौरान, खरीदी और बेची गई अंतर्निहित परिसंपत्ति की मात्रा समान होनी अनिवार्य है।
- इस प्रक्रिया में व्यापार करने वाले व्यक्ति को केवल मूल्य अंतर के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है।
- उदाहरण के लिये मान लीजिये कि दिल्ली के बाजार में सोने का मूल्य 27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और मुंबई के बाजार में सोने का मूल्य 27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
- इस प्रकार एक व्यापारी दिल्ली में 10 ग्राम सोना खरीद कर उसे मुंबई में बेच सकता है और 500 रुपए का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- हालाँकि, यह व्यापार तभी लाभदायक होगा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत 500 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होगी, क्योंकि इससे अधिक होने पर व्यापारी को नुकसान होगा।

आर्बिट्रिज फंड

- आर्बिट्रिज फंड (Arbitrage Fund) एक प्रकार का म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) है।
- इसका प्रयोग अधिकांशतः उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो अस्थिर बाजारों से जोखिम उठाए बिना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।
- आर्बिट्रिज फंड, नकद बाजार (Cash Market) और वायदा बाजार (Futures Market) में शेयरों के बीच मूल्य के अंतर का फायदा उठाकर काम करते हैं।
- नकद बाजार में शेयर की कीमत क्रेता द्वारा चुकाई गई 'वर्तमान कीमत' होती है, जिसे स्पॉट प्राइस (Spot Price) भी कहा जाता है, जबकि वायदा बाजार में शेयर की कीमत भविष्य में किसी बिंदु पर चुकाई जाने वाली प्रत्याशित कीमत होती है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय' (Ministry of Road Transport & Highways) के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को मानसून के मौसम से पहले गड़्ढा मुक्त कर और यातायात योग्य बनाए रखने के लिये, 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' (National Highway Authority of India- NHAI) द्वारा अपने क्षेत्रीय अधिकारियों (Regional Officers-ROs) और परियोजना निदेशकों को दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- NHAI मुख्यालय अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर- डेटा लेक (Project Management Software- Data Lake) के माध्यम से इस पूरे कार्य की प्रगति की बारीकी से निगरानी करेगा।
- ◆ जहाँ मरम्मत संबंधी अन्य जानकारी के अलावा मरम्मत कार्यों से पहले और बाद की सभी तस्वीरें अपलोड की जाएंगी।

NHAI के बारे में

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अन्य छोटी परियोजनाओं सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (National Highways Development Project) का कार्य सौंपा गया है जिसमें 50,329 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन शामिल है।
- ◆ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर उन्नत, पुनर्व्यवस्थित और चौड़ा करने की एक परियोजना है।
- ◆ यह परियोजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी।
- NHAI का प्रमुख दृष्टिकोण वैश्विक मानकों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की व्यवस्था एवं अनुरक्षण के लिये राष्ट्र की आवश्यकता तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण नीतिगत ढाँचे के अंतर्गत अत्यंत समयबद्ध एवं लागत प्रभावी तरीके से प्रयोज्यता की आशाओं को पूरा करना और इस तरह लोगों की आर्थिक समृद्धि एवं उनके जीवन स्तर को समुन्नत करना है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में NHAI ने 3,979 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है।
- NHAI भारतमाला परियोजना के चरण- I के तहत लगभग 27,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये प्रतिबद्ध है।
- ◆ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- ◆ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की महत्वाकांक्षी 'भारतमाला परियोजना' के प्रथम चरण के तहत 5,35,000 करोड़ रुपये की लागत से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
- ◆ इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरीडोर, फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर, राष्ट्रीय कॉरीडोर, तटवर्ती सड़कों, बंदरगाह संपर्क सड़कों आदि का निर्माण किया जाएगा।
- ◆ इस कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक है। चरण-1 में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है।

NHAI के प्रमुख लक्ष्य:

- केंद्रीय सरकार द्वारा इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंध करना।
- इसके समुचित प्रबंध के लिये राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के प्रचालन को विनियमित, नियंत्रित करना और शुल्क संग्रहण करना।
- भारत तथा विदेशों में परामर्शी और निर्माण सेवाओं का विकास करना तथा राजमार्गों अथवा वहाँ अन्य सुविधाओं के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के संबंध में अनुसंधान करना।
- राजमार्गों से संबंधित मामलों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना।
- राजमार्गों के विकास हेतु राज्य सरकार के साथ आपसी सहमति से तथा शर्तों पर योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिये किसी भी राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करना।

राष्ट्रीय राजमार्ग:

- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) यात्रियों और वस्तुओं के अंतर-राज्यीय आवागमन के लिये देश की महत्वपूर्ण सड़कें हैं।
- ये सड़कें देश में लंबाई और चौड़ाई में आर-पार फैली हुई हैं तथा राष्ट्रीय एवं राज्यों की राजधानियों, प्रमुख पत्तनों, रेल जंक्शनों, सीमा से लगी हुई सड़कों तथा विदेशी राजमार्गों को जोड़ती हैं।
- राजमार्ग/एक्सप्रेस वे देश में सड़कों की कुल लंबाई का केवल लगभग 1.7% हैं और कुल सड़क यातायात 40% इन सड़कों के माध्यम से होता है।

GDP वृद्धि दर में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही अर्थात् जनवरी-मार्च माह में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत तक गिर गई है।

प्रमुख बिंदु

- वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी अनुमान (Estimate) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में GDP वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत के साथ 11 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ सकती है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष (2018-19) में 6.1 प्रतिशत थी।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी और अंतिम तिमाही की वृद्धि दर, बीती 44 तिमाहियों में सबसे कम है, किंतु यह अभी भी विभिन्न अर्थशास्त्रियों और रेटिंग विश्लेषकों द्वारा अनुमानित 2.2 प्रतिशत से अधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में GDP वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत, दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में GDP वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत और तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में GDP वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत रही थी।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation- GFCF) में (-) 2.8 प्रतिशत दर से नकारात्मक वृद्धि हुई।
- ◆ GFCF का आशय सरकारी और निजी क्षेत्र में स्थायी पूंजी पर किये जाने वाले शुद्ध पूंजी व्यय के आकलन से है। माना जाता है कि यदि किसी देश के GFCF में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है तो उस देश के आर्थिक विकास में भी तेजी से वृद्धि होगी। वहीं इसके विपरीत GFCF में गिरावट अर्थव्यवस्था के नीति निर्माताओं के लिये चिंताजनक विषय होता है।

वृद्धि दर में कमी के कारण

- वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही की वृद्धि दर से संबंधित आँकड़े स्पष्ट तौर पर 25 मार्च से शुरू हुए COVID-19 लॉकडाउन के पहले सप्ताह के प्रभाव को दर्शाते हैं।
- इस तिमाही के दौरान GDP वृद्धि दर में कमी के लिये विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में हुए तेज संकुचन को भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है।
- ◆ जहाँ विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) में (-) 1.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, वहीं निर्माण क्षेत्र (Construction Sector) में (-) 2.2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इनके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन भी काफी धीमा रहा।
- हालाँकि वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही के दौरान कृषि और सरकारी खर्च में क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई, जिन्होंने गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने का महत्वपूर्ण कार्य किया।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में COVID-19 का प्रभाव सीमित था, हालाँकि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया।

2020-21 में और भी खराब हो सकती है स्थिति

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में अर्थव्यवस्था की स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा।
- ◆ उल्लेखनीय है कि भारत में 25 मार्च को शुरू हुआ लॉकडाउन विश्व के कुछ सबसे कठोर लॉकडाउन में से एक है। लॉकडाउन के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के दौरान देश की लगभग सभी आर्थिक और गैर-आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से रुक गई थीं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसका प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 में GDP संबंधी आँकड़ों पर देखने को मिल सकता है।

- ◆ हालाँकि लॉकडाउन के चौथे चरण में आर्थिक गतिविधियाँ धीरे-धीरे पुनः शुरू हो रही हैं, किंतु देश में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के आँकड़े दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आशंका है कि आगामी दिनों लॉकडाउन के नियम और अधिक कठोर हो सकते हैं।
- आँकड़ों के अनुसार, आठ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन भी अप्रैल माह में रिकॉर्ड 38.1 प्रतिशत घट गया, जबकि देश का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.6 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जो कि मुख्यतः कम राजस्व प्राप्त के कारण है।
- अप्रैल माह में विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers' Index) 27.4 के निचले स्तर पर आ गया है, जो कि मार्च माह में 51.8 के स्तर पर था। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में 60 प्रतिशत की कमी आई है।

आगे की राह

- मौजूदा समय में संपूर्ण विश्व एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है और वैश्विक स्तर पर वायरस संक्रमण के आँकड़े 60 लाख के पार जा चुके हैं। वहीं इसके कारण 3 लाख से लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये विश्व के विभिन्न देशों में लॉकडाउन को एक उपाय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, विभिन्न देशों ने आंशिक अथवा पूर्ण लॉकडाउन लागू किया है।
- भारत समेत विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर इस लॉकडाउन का प्रभाव देखने को मिल रहा है, चूँकि आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से रुक गई हैं।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, संतुलित और तर्कसंगत निर्णय नहीं लेती है तो आगामी समय में स्थिति और भी खराब हो सकती है।

'7.75% बचत बॉण्ड, 2018' योजना की समाप्ति

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने 28 मई, 2020 से '7.75% बचत (कर योग्य) बॉण्ड, 2018' [7.75 per cent Savings (Taxable) Bonds, 2018] को जारी किये जाने पर रोक लगा दी है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में बैंकों द्वारा जमा राशि पर पर ब्याज की दरों में कटौती और सरकार के द्वारा कुछ अन्य छोटी बचत दरों में कटौती की गई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा 27 मई को की गई घोषणा के अनुसार 28 मई, 2020 के दिन के व्यापार के बाद '7.75% बचत (कर योग्य) बॉण्ड, 2018' की खरीद पर रोक लगा दी गई है।
- सरकार का यह निर्णय निवेशकों को बचत के एक और बेहतर विकल्प से वंचित कर देगा जिसमें उन्हें अन्य विकल्पों की तुलना में कर देने के बाद भी अपेक्षाकृत अधिक रिटर्न/लाभ मिलता था।

क्या है '7.75% बचत (कर योग्य) बॉण्ड, 2018' ?

- '7.75% बचत (कर योग्य) बॉण्ड' पहली बार 10 जनवरी, 2018 को निवासी नागरिकों/हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family-HUF) के लिये जारी किया गया था।
- इसके एक बॉण्ड का मूल्य 1,000 रुपए रखा गया था परंतु इसके तहत निवेश की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई थी।
- इस बॉण्ड पर जारी होने की तिथि से सात वर्ष का लॉक-इन पीरियड या निश्चित अवरोद्धता अवधि निर्धारित की गई थी हालाँकि 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के निवेशकों को निर्धारित अवधि से पहले ही अपने पैसे निकालने की छूट दी गई थी।
- इस बॉण्ड में निवेश द्वारा प्राप्त ब्याज पर 'आयकर अधिनियम, 1961' (Income Tax Act, 1961) के तहत कर लागू होता है।

सरकार के निर्णय का प्रभाव:

- सरकार के निर्णय के पश्चात् 28 मई, 2020 के बाद इस बॉण्ड में नए निवेश की अनुमति नहीं होगी परंतु 28 मई तक किये गए निवेश पर पूर्व की तरह 7.75% ब्याज का लाभ मिलता रहेगा।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इस बॉण्ड में किये गए अधिकांशतः निवेश 'उच्च निवल मालियत वाले व्यक्ति' (High networth individuals- HNI) द्वारा थे परंतु पिछले कुछ महीनों में बाजार में बढ़ी हुई अनिश्चितता के कारण इनकी मांग में वृद्धि हुई थी।
- वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लोगों ने अपनी पूंजी पर अधिक ब्याज के स्थान पर निवेश में पूंजी की सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता दी है।
- इसके अतिरिक्त पेंशनधारक या ऐसे लोग जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत कर देने से छूट प्राप्त है, उनके लिये यह बॉण्ड सुरक्षित निवेश का सबसे बेहतर विकल्प था।
- इस वर्ष सेंसेक्स में 10,000 अंकों की गिरावट और म्यूच्युअल फंड के मुनाफे में गिरावट के बाद निवेशकों (विशेषकर पेंशन धारकों) पर दबाव बढ़ा है।
- ◆ गौरतलब है कि हाल ही में फ्रैंकलिन टेम्पलटन (Franklin Templeton) नामक निवेश प्रबंधन कंपनी ने अपनी 6 क्रेडिट रिस्क योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है।

अन्य विकल्पों की तुलना में RBI बॉण्ड के लाभ:

- यह बॉण्ड 'आयकर अधिनियम' के तहत कर (Tax) की सीमा में आते हैं, अतः कर चुकाने के बाद निवेशकों को निम्नलिखित दरों पर ब्याज प्राप्त होगा-
 - ◆ 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाले लोगों को इस योजना के तहत 4.4% का ब्याज प्राप्त होगा।
 - ◆ 30% के आयकर की श्रेणी में आने वाले लोगों को कर चुकाने के बाद इस योजना के तहत 5.4% का रिटर्न प्राप्त होगा।
 - ◆ 10% आयकर श्रेणी में आने वाले लोगों को कर चुकाने के बाद इस योजना के तहत 6.975% का रिटर्न प्राप्त होगा।
- यदि इस बॉण्ड की तुलना वर्तमान में बाजार में उपलब्ध निवेश के अन्य विकल्पों से करें तो निवेशकों के लिये यह योजना अधिक लाभदायक एवं सुरक्षित थी।
- अप्रैल, 2020 में सरकार द्वारा कई अन्य बचत योजनाओं के ब्याज में कटौती की घोषणा की गई थी।
 - ◆ सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund- PPF) की ब्याज दरों को 7.9% से घटाकर 7.1% कर दिया गया था।
 - ◆ सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) पर मिलने वाले ब्याज को 8.4% से घटाकर 7.6% कर दिया गया।
- इसकी तुलना में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 3-5 वर्ष की सावधि जमा राशि पर 5.3% और 5-10 के निवेश पर 5.4% का रिटर्न दिया जाता है, ऐसे में 30% आयकर की श्रेणी वाले लोगों को इन योजनाओं पर क्रमशः 3.71% और 3.78% ही रिटर्न मिलेगा।

ब्याज दरों में कटौती का कारण:

- COVID-19 महामारी के कारण विश्व के अधिकांश देशों में औद्योगिक गतिविधियों और यातायात बाधित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखी गई है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, विश्व के अन्य देशों की ही तरह भारतीय जीडीपी में गिरावट के अनुमान के बाद RBI ने पहले 27 मार्च, 2020 को रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती के साथ 4.4% किया और 22 मई, 2020 को पुनः 40 बेसिस पॉइंट की कटौती के साथ इसे 4% कर दिया गया।
- इसके अतिरिक्त रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% कर दिया गया है।
 - ◆ ध्यातव्य है कि रेपो रेट में कटौती का अर्थ है कि बैंकों को RBI से लिये गए ऋण पर कम ब्याज देना होगा जबकि 'रिवर्स रेपो रेट' में कटौती से बैंकों द्वारा RBI में जमा धन पर पहले की अपेक्षा कम ब्याज मिलेगा।
- RBI द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती के कारण बैंक कम ब्याज दर पर अधिक पूंजी उधार ले सकेंगे, जिससे उद्योगों और आम जनता को कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
- जबकि रिवर्स रेपो रेट में की गई कटौती से बैंक अपनी पूंजी RBI में रखने की अपेक्षा बाजार में देने में ज्यादा इच्छुक होंगे, जिससे वर्तमान परिस्थिति में बाजार में तरलता की कमी को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी।

'रोज़गार सेतु' योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'रोज़गार सेतु' (Rozgar Setu) योजना की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार उन सभी कुशल श्रमिकों का सर्वेक्षण कर रही है जो महामारी से पूर्व किसी उद्योग में कार्यरत थे और महामारी के कारण राज्य में वापस लौटे हैं।
- ◆ इसके साथ ही श्रमिकों के कौशल की भी पहचान की जा रही है।
- रोज़गार की आवश्यकता वाले ऐसे श्रमिकों की पहचान करने के बाद सरकार कारखाने और कार्यशाला मालिकों तथा बुनियादी ढाँचे संबंधी विभिन्न परियोजनाओं की देख-रेख कर रहे ठेकेदारों से संपर्क करेगी।
- राज्य सरकार का प्रयास है कि मध्यप्रदेश में सभी कुशल श्रमिकों को एक मंच पर एकत्रित किया जाए और इसके पश्चात् इन्हें उन लोगों के साथ जोड़ा जाए जिन्हें इस कौशल की आवश्यकता है। इस प्रकार राज्य सरकार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगी ताकि दोनों को लाभ मिल सके और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सके।

महत्त्व

- राज्य सरकार का यह निर्णय मध्यप्रदेश के उद्योगों के लिये श्रमशक्ति (Manpower) की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के दौरान श्रमिकों को रोज़गार भी प्रदान करेगा।

प्रवासी संकट की चुनौती

- भारत में अंतर-राज्य प्रवासियों (Inter-State Migrants) का कोई आधिकारिक आँकड़ा नहीं है, किंतु वर्ष 2011 की जनगणना, NSSO के सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित अनुमानों के अनुसार, देश में कुल 65 मिलियन अंतर-राज्य प्रवासी हैं, जिनमें से 33 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक हैं।
- ध्यातव्य है कि देश भर में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रसार को रोकने के लिये केंद्र सरकार ने 25 मई को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी, इस लॉकडाउन के कारण देश भर में सभी आर्थिक और गैर-आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से रुक गई थीं।
- ऐसे समय में देश भर के प्रवासी श्रमिकों के लिये अपनी आजीविका चलाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है तथा वे सभी अपने-अपने गृह राज्य वापस लौट रहे हैं, जिसके कारण गृह राज्य पर दबाव और अधिक बढ़ गया है।
- एक अनुमान के अनुसार, मध्यप्रदेश में इस लॉकडाउन अवधि के दौरान लगभग 1 मिलियन प्रवासी श्रमिक वापस लौटेंगे, हालाँकि राज्य सरकार के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, अब तक 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को राज्य में वापस लाया जा चुका है।

निष्कर्ष

- इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती होगी, जिसे देखते हुए सरकार के मौजूदा कदम को एक सराहनीय प्रयास माना जा सकता है।

नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना

चर्चा में क्यों ?

'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने देश में नवीन 'राष्ट्रीय नंबरिंग योजना' (National Numbering Plan- NNP) शीघ्र लागू करने की सिफारिश की है ताकि प्रत्येक ग्राहक को 'विशिष्ट पहचान संख्या' (Uniquely Identifiable Number- UID) प्रदान की जा सके।

प्रमुख बिंदु:

- दूरसंचार विभाग, 'अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ' (International Telecommunication Union- ITU) के 'दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र' (Telecommunication Standardization Sector- ITU-T) अनुशंसाओं के आधार पर फिक्सड (लैंडलाइन) तथा मोबाइल नेटवर्क नंबरों का प्रबंधन करता है।
- नंबरिंग संसाधनों का प्रबंधन 'राष्ट्रीय नंबरिंग योजना' (National Numbering Plan) के तहत किया जाता है।

नवीन नंबरिंग योजना की आवश्यकता:

- TRAI का मानना है की हाल ही में टेलीकॉम सेवाओं में व्यापक विस्तार देखने को मिला है तथा टेलीकॉम कनेक्शनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिली है। इससे 'उपलब्ध नंबरिंग संसाधनों' (Availability of Numbering Resources); विशेषकर मोबाइल सेगमेंट में, इनकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है।
- वर्तमान में उपलब्ध नंबरिंग योजना को वर्ष 2003 में अपनाया गया था तथा ऐसा अनुमान था कि यह नंबरिंग प्रणाली वर्ष 2033 तक उपयुक्त रहेगी परंतु भारत में टेलीफोन ग्राहकों की कुल संख्या जनवरी, 2020 के अंत में 1,177.02 मिलियन थी।

टेली-घनत्व (Tele-Density):

- टेलीफोन घनत्व या टेलीडेंसिटी एक क्षेत्र के भीतर रहने वाले प्रत्येक सौ व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या है।
- जनवरी 2020 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में टेली-घनत्व 87.45% है।

TRAI द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें:

- यह सुनिश्चित करने के लिये कि दूरसंचार सेवाओं के सतत् विकास के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों, TRAI ने सरकार को 'राष्ट्रीय नंबरिंग योजना' की समीक्षा करने तथा आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने को कहा है।
- सरकार को नंबरिंग संसाधनों में किसी भी प्रकार के बदलाव से पूर्व निम्नलिखित तीन विकल्पों पर विचार करना चाहिये।
 - ◆ वर्तमान 10 अंकीय मोबाइल नंबर प्रणाली के स्थान पर 11-अंकीय मोबाइल नंबर प्रणाली को अपनाना।
 - ◆ ऑपरेटरों द्वारा बंद किये गए मोबाइल नंबरों को टेलिकॉम कंपनियों को पुनः आवंटित करना।
 - ◆ फिक्सड लाइन (लैंडलाइन) से कॉल करते समय मोबाइल नंबर के आगे '0' का प्रयोग करना। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्तमान समय में फिक्सड लाइन कनेक्शन से 'इंटर-सर्विस एरिया' में मोबाइल कॉल के लिये नंबर की शुरुआत में '0' लगाने की जरूरत पड़ती है।
- प्राधिकरण ने यह भी सिफारिश की है कि सभी मशीन-से-मशीन (M2M) कनेक्शन जो 10-अंकीय 'मोबाइल नंबरिंग श्रृंखला' का उपयोग करते हैं उन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा आवंटित 13-अंकीय नंबरिंग श्रृंखला में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिये। इनमें ऐसे सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिये जिनमें केवल डेटा में इस्तेमाल किया जा सके तथा कॉलिंग सुविधा न दी जाए।
- फिक्सड लाइन के साथ-साथ मोबाइल सेवाओं के लिये आवंटित किये जाने वाले नंबरिंग संसाधनों को प्रतिवर्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिये।
- 'राष्ट्रीय नंबरिंग आवंटन' को कुशल तथा पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिये 'नंबर प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर' का उपयोग किया जाना चाहिये ताकि 'नंबरिंग संसाधनों का आवंटन' स्वचालित तरीके से हो सके। आवश्यकता हो तो आवंटन कार्य दूरसंचार विभाग के समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में किया जा सकता है।

सुधारों में आने वाली संभावित बाधाएँ:

- 11 अंकों की प्रणाली को अपनाने से ग्राहकों को अतिरिक्त अंक डायल करने और फोन मेमोरी को अपडेट करने की आवश्यकता होगी।
- इसके कारण दूरसंचार कंपनियों को नंबर डायलिंग त्रुटियों, राजस्व की हानि आदि का सामना करना पड़ सकता है।
- टेलीफोन नंबर व्यक्तियों की डिजिटल पहचान से जुड़े होते हैं। वित्तीय बैंकिंग सेवाओं, ई-कॉमर्स, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं आदि में व्यक्तिगत पहचान के लिये टेलीफोन नंबर की आवश्यकता होती है। अतः इन सभी सेवाओं के डेटाबेस में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी।

आगे की राह:

- वर्तमान में उपलब्ध 10 अंकों आधारित मोबाइल नंबर के स्थान पर 11 अंकों के मोबाइल नंबर प्रणाली को अपनाने में अनेक समस्याओं का सामना पड़ सकता है। अतः 11 अंकों आधारित मोबाइल प्रणाली को तभी अपनाना चाहिये जब 10-अंकों की संख्या के साथ इस प्रणाली को जारी रखने के सभी प्रयास समाप्त हो जाएँ।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि**चर्चा में क्यों ?**

'उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग' (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) द्वारा जारी नवीनतम आकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment - FDI) में वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है जो वर्तमान में बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर हो गया है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले चार वर्षों के दौरान सबसे अधिक है। इस निवेश के परिणामस्वरूप रोजगार में सृजन होगा।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत में 247 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है-
 - ◆ सेवा (7.85 बिलियन डॉलर)
 - ◆ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (7.67 बिलियन डॉलर)
 - ◆ दूरसंचार (4.44 बिलियन डॉलर)
 - ◆ व्यापार (4.57 बिलियन डॉलर)
 - ◆ ऑटोमोबाइल (2.82 बिलियन डॉलर)
 - ◆ निर्माण (2 बिलियन डॉलर)
 - ◆ रसायन (1 बिलियन डॉलर)
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अधिकतम योगदान सिंगापुर का (14.67 बिलियन डॉलर) है। हालाँकि यह निवेश वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिंगापुर द्वारा किये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (16.22 बिलियन डॉलर) की तुलना में कम है।
- गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निम्नलिखित देशों का भी योगदान है-
 - ◆ मॉरीशस (8.24 बिलियन डॉलर)
 - ◆ नीदरलैंड (6.5 बिलियन डॉलर)
 - ◆ अमेरिका (4.22 बिलियन डॉलर)
 - ◆ केमेन द्वीप (3.7 बिलियन डॉलर)
 - ◆ जापान (3.22 बिलियन डॉलर)
 - ◆ फ्रांस (1.89 बिलियन डॉलर)।
- ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2018-1) के दौरान कुल 62 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था।
- वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 36 बिलियन डॉलर का था, जबकि वर्तमान में यह दोगुना हो गया है।

विदेशी निवेश (Foreign Investment):

- जब कोई देश विकासात्मक कार्यों के लिये अपने घरेलू स्रोत से संसाधनों को नहीं जुटा पाता है तो उसे देश के बाहर जाकर शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से संसाधनों को जुटाना पड़ता है।

- शेष विश्व से ये संसाधन या तो कर्ज (ऋण) के रूप में जुटाए जाते हैं या फिर निवेश के रूप में।
- कर्ज के रूप में जुटाए गए संसाधनों पर ब्याज देना पड़ता है, जबकि निवेश की स्थिति में हमें लाभ में भागीदारी प्रदान करनी होती है।
- विदेशी निवेश विकासात्मक कार्यों के लिये एक महत्वपूर्ण जरूरी है। विदेशी निवेश को निम्न दो रूपों में देखा जा सकता है-
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI):
 - ◆ यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाएँ जिससे कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके तो इस निवेश को 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' कहते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment- FPI):
 - ◆ यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएँ तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। FPI के अंतर्गत विदेशी संस्थाओं द्वारा खरीदे गए शेयर को विदेशी संस्थागत निवेश, जबकि विदेशी व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए शेयर को पत्रागत/अर्हता प्राप्त विदेशी निवेश कहते हैं।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में बेहतर माने जाते हैं क्योंकि FDI किसी देश की अर्थव्यवस्था को समुचित स्थिरता प्रदान करते हैं जबकि FPI निवेश अस्थिर प्रकृति के होते हैं और इनमें संकट की स्थिति में अर्थव्यवस्था से निकल जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:

- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दो अलग-अलग मार्गों के माध्यम से अनुमति दी जाती है- पहला, स्वचालित (Automatic) और दूसरा, सरकारी अनुमोदन के माध्यम से।
- स्वचालित मार्ग में विदेशी संस्थाओं को निवेश करने के लिये सरकार की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
- हालाँकि उन्हें निर्धारित समयावधि में निवेश की मात्रा के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करना होता है।
- विशिष्ट क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन के माध्यम से होता है।

The Vision

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

NAM संपर्क समूह शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल में COVID-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग की दिशा में 'गुट निरपेक्ष आंदोलन' (Non-Aligned Movement- NAM) समूह द्वारा 'NAM संपर्क समूह शिखर सम्मेलन' (NAM Contact Group Summit- NAM CGS) का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- इस 'आभासी सम्मेलन' की मेज़बानी अजरबैजान द्वारा की गई तथा सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और अन्य नेताओं ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार 'गुट निरपेक्ष आंदोलन' को संबोधित किया गया।
- वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NAM के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने NAM के शिखर सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में 'आतंकवाद' और 'फेक न्यूज' के मुद्दों को उठाया तथा इन दोनों मुद्दों को 'घातक वायरस' कहा।

सम्मेलन में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय:

- शिखर सम्मेलन में COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के महत्त्व को रेखांकित करते हुए एक घोषणा को अपनाया। सदस्य देशों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिये एक 'टास्क फोर्स' बनाने की घोषणा की गई।
- ◆ यह टास्क फोर्स COVID-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में एक 'कॉमन डेटाबेस' को स्थापित करेगा ताकि सदस्य देशों द्वारा महामारी से निपटने में महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं की पहचान की जा सके।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन:

पृष्ठभूमि:

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉश टीटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती से मानी जाती है। इन तीनों देशों द्वारा वर्ष 1956 में एक सफल बैठक आयोजित की गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रूमा द्वारा इस बैठक को जोरदार समर्थन दिया गया। ये पाँच नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता थे।
- पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन् 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। पहले गुटनिरपेक्ष-सम्मेलन में 25 सदस्य-देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। जिसमें वर्तमान में 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक देश तथा 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल हैं।

स्थापना के उद्देश्य:

- पाँचों संस्थापक देशों के बीच सहयोग स्थापित करना;
- शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे से अलग रहना;
- अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव-स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय तथा 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नवीन अफ्रीकी देशों का बतौर सदस्य शामिल होना।

शीतयुद्ध काल में गुटनिरपेक्ष की नीति और भारत के हित:

- गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जिससे उसका हित सधता हो न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का।
- अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों का कोई भी खेमा उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ जा सकता था।

NAM नीति की आलोचना:

- भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति 'सिद्धांतविहीन' है क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर प्रायः महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है।
- भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। भारत ने स्वयं वर्ष 1971 में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किये। जिसे कई देशों ने भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना।

NAM 2.0:

- NAM 2.0, 21 वीं सदी में भारत की विदेशी नीति के उन मूल सिद्धांतों की पहचान करती है जो देश को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और मूल्य प्रणाली को संरक्षित करते हुए विश्व मंच पर अग्रणी खिलाड़ी बनाती है।
- NAM की वर्तमान में प्रासंगिकता:
- गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विकासशील देशों को किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं।

अफगानिस्तान में COVID-19 मामलों में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन' (International Organisation for Migration-IOM) ने अफगानिस्तान में COVID-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता ज़ाहिर की है। IOM के अनुमान के अनुसार, अफगानिस्तान में COVID-19 संक्रमण की दर विश्व में सबसे अधिक हो सकती है।

मुख्य बिंदु:

- 5, मई 2020 तक अफगानिस्तान में COVID-19 संक्रमण के कुल 2,900 मामलों की पुष्टि की गई थी, जबकि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 90 बताई गई थी।
- IOM के अनुसार, अफगानिस्तान में COVID-19 के नियंत्रण हेतु किसी तात्कालिक प्रभावी प्रतिक्रिया के अभाव में देश की लगभग 80% तक की आबादी इस संक्रामक बीमारी की चपेट में आ सकती है।
- IOM के अनुसार, हाल ही में लगभग 50-70 लाख की आबादी वाले काबुल शहर में 500 लोगों से लिये गये अनियमित/यादृच्छिक नमूनों (Randomised Sample) में से लगभग 50% COVID-19 से संक्रमित पाए गए थे।
- COVID-19 महामारी के कारण हाल ही में पड़ोसी देशों पाकिस्तान और ईरान से लगभग 2,71,000 से अधिक अफगान नागरिकों के लौटने से अफगानिस्तान प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है।

कमज़ोर स्वास्थ्य व्यवस्था और COVID-19:

- पिछले तीन महीनों के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा के अभाव और गैर-सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित पहुँच न होने के कारण देश के लगभग 30% हिस्से में COVID-19 परीक्षण नहीं किये जा सके हैं।
- अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर COVID-19 परीक्षण करने की क्षमता का न होना भी एक बड़ी चुनौती है, जनवरी, 2020 में देश में स्थापित 8 परीक्षण केंद्रों में प्रत्येक पर एक दिन में मात्र 100-150 परीक्षण किये जा सकते हैं।
- अफगानिस्तान में COVID-19 टेस्टिंग किट और प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियनों की कमी के साथ गंभीर रूप से बीमार लोगों का उपचार करने के लिये आवश्यक संसाधन बहुत ही सीमित हैं।

- अफगानिस्तान में पुरुषों और महिलाओं के लिये अनुमानित जीवनकाल या जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) मात्र 50 वर्ष है, जिसमें से एक बड़ी आबादी पहले से ही तपेदिक, एचआईवी-एड्स (HIV-AIDS), कुपोषण, कैंसर और हृदय और फेफड़ों के रोग आदि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है।
- पर्यावरण प्रदूषण भी लोगों के गिरते स्वास्थ्य का एक बड़ा कारण रहा है।

COVID-19 के नियंत्रण में चुनौतियाँ:

- देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण आवाजाही पर प्रतिबंध और क्वारंटीन जैसे प्रयासों के परिणाम भी सीमित रहे हैं।
- देश की एक बड़ी आबादी बगैर रोजगार के कुछ दिनों से अधिक अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकती, ऐसे में दो सप्ताह के बाद ही रोजगार के लिये लोगों ने पुनः ईरान जाना प्रारंभ कर दिया।
- IOM के अनुसार, अफगानिस्तान में, जहाँ एक परिवार में औसतन 7 लोग रहते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रयासों की सफलता बहुत ही अव्यावहारिक है। साथ ही इनमें से अधिकांश परिवार बहुत ही छोटे, एक कमरों वाले बिना व्यवस्थित वायु-प्रबंधन के घरों में रहते हैं।
- देश में COVID-19 के संदर्भ में जागरूकता का अभाव इस बीमारी से लड़ने में एक बड़ी समस्या बन गई है, हाल ही में कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 60% लोगों को COVID-19 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

तालिबान समस्या और राजनीतिक अस्थिरता:

- वर्ष 1990 में तालिबान के उदय के साथ ही अफगानिस्तान में एक ऐसी अंतहीन अशांति की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है।
- 29 फरवरी, 2020 को तालिबान और अमेरिका के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, हालाँकि अभी तक इसके बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले हैं।
- अफगानिस्तान की आंतरिक राजनीति उस समय और अस्थिर हो गई जब मार्च 2020 में चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अलग-अलग समारोहों में राष्ट्रपति की शपथ ली और अपने को देश का वास्तविक राष्ट्रपति बताया था।
- वर्तमान में वैश्विक मंचों पर अशरफ गनी को ही राष्ट्रपति के रूप में मान्यता प्राप्त है परंतु इससे अफगानिस्तान की स्थानीय शांति एवं शासन व्यवस्था प्रभावित हुई है।
- विश्व बैंक (World Bank) के आँकड़ों के अनुसार, अफगानिस्तान में सेना और तालिबान के बीच संघर्ष के कारण वर्ष 2019 में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 3,69,700 (वर्ष 2018) से बढ़कर 400,000 (वर्ष 2019) तक पहुँच गई थी।
- वर्ष 2019 में अफगानिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर मात्र 2.9% रही थी, परंतु COVID-19 के कारण इसमें काफी गिरावट देखी जा सकती है।

COVID-19 नियंत्रण के प्रयास:

- IOM के अनुसार इन कठिन चुनौतियों के बावजूद भी अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) के सहयोग से स्वास्थ्य कर्मियों और मोबाइल स्वास्थ्य टीम आदि के द्वारा COVID-19 के नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है।
- यदि शारीरिक तापमान और अन्य जाँच में किसी व्यक्ति के COVID-19 संक्रमित होने की संभावना होती है तो उसे IOM की एम्बुलेंस से नजदीकी आइसोलेशन केंद्र (Isolation facility) पर भेज दिया जाता है। साथ ही यही प्रक्रिया 'प्रवासी पारगमन केंद्रों' (Migrant Transit Centres) पर भी अपनाई जा रही है।
- IOM द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और अन्य चिकित्सीय आपूर्ति मुहैया कराई जा रही है, साथ ही 'डिस्प्लेसमेंट ट्रैकिंग मैट्रिक्स' (Displacement Tracking Matrix) के माध्यम से 25 प्रांतों और लगभग 10,000 समुदायों में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

'डिस्प्लेसमेंट ट्रैकिंग मैट्रिक्स' (Displacement Tracking Matrix- DTM):

- 'डिस्प्लेसमेंट ट्रैकिंग मैट्रिक्स' DTM, किसी आबादी की गतिशीलता या विस्थापन की निगरानी के लिये प्रयोग की जाने वाली एक प्रणाली है।

- इसमें नियमित रूप से और एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत किसी समूह के विस्थापन के मार्ग, समूह के खतरों और आवश्यकताओं की जानकारी एकत्र कर उसकी समीक्षा की जाती है, जिससे नीति निर्माताओं या अन्य सहयोगियों द्वारा ऐसे समूहों को बेहतर और लक्षित सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
- इस प्रणाली की अवधारणा वर्ष 2004 में इराक में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (Internally displaced people- IDPs) की जानकारी जुटाने के लिये की गई थी।
- IOM अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित प्रवेश केंद्रों पर स्वास्थ्य मंत्रालय, WHO और 'संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त' (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) के साथ समन्वय में सहयोग प्रदान कर रहा है।
- IOM के अफगानिस्तान कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष ईरान से बिना पूरे प्रमाणिक कागजों के लौट रहे लाखों अफगानिस्तानियों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, वर्ष 2020 में अब तक IOM ने अपने ट्रांजिट केंद्रों के माध्यम से 30,000 से अधिक लोगों को सहायता उपलब्ध कराई गई है।
- IOM ने अफगानिस्तान में COVID-19 के विरुद्ध अपने प्रयासों को तेज करने के लिये सहयोगियों से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की है।

भारत द्वारा दी गई सहायता:

- COVID-19 से निपटने में 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन' (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) के देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिये मार्च 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री की पहल पर 'सार्क COVID- 19 आपातकालीन निधि' की स्थापना की गई थी।
- साथ ही भारत सरकार ने 12 अप्रैल, 2020 को अफगानिस्तान को 5,022 मीट्रिक टन गेहूँ (कुल प्रस्तावित 75000 टन) और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की 5,00,000 टैबलेट आदि सहयोग उपलब्ध कराया था।

भारत का स्थायी मिशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजनयिक (Diplomat) टी एस तिरुमूर्ति (T S Tirumurti) को संयुक्त राष्ट्र (The United Nations) में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र का स्थायी मिशन:

स्थायी मिशन वह राजनयिक मिशन है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधि को 'संयुक्त राष्ट्र का राजदूत' (UN Ambassador) भी कहा जाता है।

वियना सम्मेलन के अनुसार स्थायी मिशन:

वियना सम्मेलन का अनुच्छेद 1(7) जो कि सार्वभौमिक चरित्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है के अनुसार, एक स्थायी मिशन वह है जिसकी निश्चित विशेषताएँ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राज्य का प्रतिनिधित्व करता हो तथा जिसे अंतरराष्ट्रीय संगठन में सदस्य राज्यों द्वारा प्रतिनिधित्व के तौर पर भेजा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार स्थायी मिशन:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 257 (III) , के अनुसार, 3 दिसंबर 1948 को 'स्थायी मिशन' पद को इस प्रकार संबोधित किया-
 - ◆ ऐसे स्थायी मिशनों की उपस्थिति संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों की प्राप्ति में सहायक है।
 - ◆ इस प्रकार के मिशन विशेष रूप से, सदस्य राज्यों और सचिवालय के विभिन्न अंगों के सत्रों के बीच की अवधि में आवश्यक संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन:

- वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव जनरल (Under Secretary General) और सहायक महासचिव (Assistant Secretary General) के वरिष्ठ पदों पर आठ भारतीय नियुक्त हैं।
- संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर राजनेता अर्कोट रामासामी मुदलियार तथा स्वतंत्रता सेनानी हंसा मेहता, विजयलक्ष्मी पंडित और लक्ष्मी मेनन कार्य कर चुके हैं।
- हंसा मेहता और विजयलक्ष्मी पंडित भारतीय संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक थीं।

टी एस तिरुमूर्ति-

- ये वर्ष 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Service) के अधिकारी हैं।
- टी एस तिरुमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है।
- वर्तमान समय में ये विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर कार्यरत हैं।

संयुक्त राष्ट्र-

- संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार-पत्र के माध्यम से की गई थी।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा मानवधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ विश्व शांति स्थापित करने के लिये कार्य करना है।

ईरान की नई मुद्रा**चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में ईरान संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके अनुसार ईरानी मुद्रा रियाल (Rial) में चार स्लैब अर्थात चार शून्य तक की कटौती की जाएगी।

प्रमुख बिंदु :

- ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरानी मुद्रा रियाल के मूल्य में बड़ी गिरावट आई है।
- रियाल में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थात महंगाई की स्थिति ईरान में बनी हुई है।
- पारित विधेयक के अनुसार, ईरान की वर्तमान मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान (Toman) किया जाएगा।
- पारित विधेयक के अनुसार, एक तोमान की कीमत 10,000 रियाल के बराबर की गई है।
- हालाँकि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से पहले इसे ईरान के शीर्ष आध्यात्मिक नेता की नियुक्ति करने वाली लिपिक निकाय (Clerical Body) के अनुमोदन की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि:

- ईरानी मुद्रा से चार शून्य हटाने की बात वर्ष 2008 से चल रही थी।
- वर्ष 2018 में इस दिशा में प्रयास ओर तब तीव्र हो गए जब अमेरिका द्वारा ईरान को वर्ष 2015 में किये गए 'परमाणु समझौते' (Nuclear Deal) से बाहर निकालने का निर्णय लिया गया।
- इसके बाद अमेरिका द्वारा ईरान पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध आरोपित किये गए।
- इन प्रतिबंधों के चलते डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल में 60% की गिरावट देखी गई।
- ईरान की कमजोर मुद्रा तथा बढ़ती महंगाई के कारण वर्ष 2017 में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन भी किये गए।

ईरानी परमाणु कार्यक्रम:

- जुलाई 2015 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' (United Nations Security Council) के सदस्य देश - अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन तथा जर्मनी और European Union (EU) ने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया।
- इसमें सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य तथा जर्मनी को सम्मिलित रूप से FIVE+ONE COUNTRY कहा जाता है।

COVID-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank- AIIB) ने COVID-19 से निपटने हेतु 500 मिलियन डॉलर की 'COVID-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना' संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि इस 'COVID-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना' में विश्व बैंक ने भी 1.0 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान किया है।
- गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत भारत के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा।
- दरअसल इस सहायता के प्राथमिक लाभार्थी संक्रमित लोग, जोखिम वाली आबादी, चिकित्सा तथा परीक्षण केंद्रों (सार्वजनिक व निजी दोनों) के सेवाप्रदाता और भारत में COVID-19 से निपटने में संलग्न सार्वजनिक निकाय होंगे।
- इस परियोजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control- NCDC) के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) के अधीनस्थ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि 'एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक' द्वारा भारत को दी जाने वाली मदद अब तक की स्वास्थ्य संबंधी पहली सहायता है।

परियोजना का उद्देश्य:

- भारत को COVID-19 से उत्पन्न खतरों से निपटने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूती प्रदान करना।
- देश में COVID-19 के प्रसार को यथासंभव कम और सीमित करना।
- पीपीई, ऑक्सीजन डिलीवरी प्रणाली एवं दवाओं की खरीद की मात्रा को बढ़ाना और संक्रमित लोगों का पता लगाने की क्षमता में वृद्धि करना।
- COVID-19 एवं भविष्य की बीमारियों के प्रकोप से निपटने हेतु प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, रोकथाम एवं रोगी प्रबंधन कार्य हेतु सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण करना।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारतीय एवं अन्य वैश्विक संस्थानों में COVID-19 संबंधी अनुसंधान में सहयोग करना।
- AIIB और विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त इस धनराशि से भारत के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को मजबूत करना, संक्रामक रोग संबंधी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों को बेहतर बनाने और उच्च नियंत्रण/रोकथाम वाली जैव प्रयोगशालाओं में सुरक्षा स्तर 3 नेटवर्क का निर्माण करना।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में लगभग 75% नए संक्रामक रोग मानव और पशुओं के आपसी संपर्क से उत्पन्न होते हैं जिनमें एचआईवी/एड्स, इबोला और सार्स भी शामिल हैं। अतः यह धनराशि पशुओं से मानव को होने वाली मौजूदा एवं उभरती बीमारियों का पता लगाने की क्षमता व प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी।

- इस परियोजना से COVID-19 के व्यापक प्रकोप की स्थिति में संभावित नकारात्मक बाह्य कारकों से निपटने में भी मदद मिलेगी जिसमें स्वच्छता प्रथाओं, मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और कमजोर समुदायों के लिये मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक सेवाएँ मुहैया कराने पर व्यापक स्वास्थ्य जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाना भी शामिल है।

एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank- AIIB):

- एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिये एक मिशन के रूप में कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसने जनवरी 2016 में कार्य करना शुरू किया और वर्तमान में इसके 102 अनुमोदित सदस्य हैं।
- सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके AIIB लोगों, सेवाओं और बाजारों को बेहतर ढंग से जोड़ रहा है, जो समय के साथ अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे और बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे।

COVID-19 से निपटने हेतु ब्रिक्स (BRICS) का सहयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्रिक्स (BRICS) देशों के विदेश मंत्रियों की एक वीडियोकॉन्फ्रेंस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु उद्यमियों को ब्रिक्स समूह द्वारा सामूहिक सहयोग दिये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्य बिंदु:

- BRICS देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक का आयोजन रूस के विदेश मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था।
- भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि COVID-19 न सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये एक बड़ा खतरा है बल्कि इस महामारी से व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गंभीर क्षति हुई है।
- भारतीय विदेश मंत्री ने COVID-19 के कारण औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के लिये उद्यमों और विशेष कर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' (Micro, Small & Medium Enterprises- MSMEs) को BRICS समूह द्वारा सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- इस बैठक में COVID-19 के कारण अर्थव्यवस्था को हुई क्षति से BRICS देशों को उबारने के लिये 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- बैठक में केंद्रीय विदेश मंत्री ने COVID-19 महामारी से निपटने में वैश्विक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, इसके तहत उन्होंने भारत द्वारा विश्व के लगभग 85 देशों को इस संक्रमण की रोकथाम के लिये दवा उपलब्ध कराए जाने के बारे में जानकारी दी।
- इस बैठक में भारत और रूस के अतिरिक्त चीन, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था।

BRICS देश:

- वर्ष 2009 में BRIC देशों (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) के पहले शिखर सम्मेलन के आयोजन और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इस समूह में शामिल होने के बाद BRICS देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग में वृद्धि हुई है।
- BRICS समूह के देश विश्व के लगभग 26% भू-भाग और लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही समूह के देशों ने उत्पादन में वृद्धि, निवेश, व्यापार आदि के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2013 तक वैश्विक जीडीपी वृद्धि में BRICS देश की भागीदारी लगभग 27% थी।
- COVID-19 की महामारी से पहले विशेषज्ञों का अनुमान था कि वर्ष 2020 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में BRICS देशों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 50% हो जाएगी।
- हाल के वर्षों में समूह के देशों ने तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI), 5G और डिजिटल अर्थव्यवस्था ने समूह के देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है।

- नवंबर 2019 में ब्राजील में आयोजित BRICS के 11वें सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने अगले 10 वर्षों के लिये विकास के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर समूह के देशों द्वारा इनमें सहयोग बढ़ाए जाने पर जोर दिया था।
- BRICS सदस्य विश्व की सबसे तेज़ उभरती अर्थव्यवस्था होने के अलावा इन देशों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार, तकनीकी दक्षता, कुशल श्रमिक और बड़ा बाजार आर्थिक दृष्टि से समूह के लिये एक सकारात्मक भविष्य की तरफ संकेत करते हैं।

COVID-19 और BRICS देश:

- दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में COVID-19 संक्रमण के शुरूआती मामलों के मिलने के बाद से यह बीमारी पूरे विश्व में फैल चुकी है।
- वर्तमान में चीन इस महामारी से लगभग उबर चुका है, परंतु BRICS समूह के अन्य देश विशेष कर भारत, रूस और ब्राजील में इस महामारी से स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र को गंभीर क्षति हुई है।
- वर्तमान में COVID-19 की महामारी के बीच विश्व के बहुत से देशों में संरक्षणवादी दृष्टिकोण में वृद्धि देखी गई है, ऐसे में BRICS देशों द्वारा सामूहिक सहयोग को बढ़ावा मिलना एक सराहनीय पहल है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिये देश में तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों में स्टार्टअप (Startup) और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना बहुत ही आवश्यक है।
- COVID-19 की महामारी से बड़े आर्थिक स्रोत के अभाव और बाजार में मांग की कमी से स्टार्टअप और MSME कंपनियों को सबसे अधिक क्षति हुई है।
- BRICS समूह के सहयोग के माध्यम से इन कंपनियों को ऋण एवं सहयोग उपलब्ध करा कर अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायता मिलेगी।
- साथ ही BRICS जैसे मंच पर भारतीय विदेश मंत्री द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने की पहल से औद्योगिक क्षेत्र का मनोबल मजबूत होगा।

कैलाश मानसरोवर मार्ग और नेपाल का विरोध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेपाल ने भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी सड़क के उद्घाटन का विरोध करते हुए भारत से 'नेपाल के क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को न करने को कहा है।'

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में नेपाल के सत्तारूढ़ दल ने भारत पर नेपाल की संप्रभुता को कम करने का आरोप लगाया है। नेपाल के अनुसार, भारत द्वारा किया गया 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन पूर्ण रूप से 'एकतरफा कृत्य' है और यह दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी विवादों को हल करने पर बनी समझ के पूर्णतः विपरीत है।
- नेपाल के विरोध के पश्चात् भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह 80 किलोमीटर लंबी सड़क पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र में आती है। वहीं सीमा विवादों को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत नेपाल के साथ अपने घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के मद्देनजर कूटनीतिक स्तर पर सीमा मुद्दों को हल करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- ध्यातव्य है कि यह सड़क उत्तराखंड के धारचूला (Dharchula) को लिपुलेख दर्रे (Lipulekh Pass) से जोड़ती है। नेपाल का दावा है कि कालापानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किये बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है।

कैलाश मानसरोवर मार्ग

- हाल ही में भारतीय 'रक्षा मंत्री' (Defence Minister) ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रे (Lipulekh Pass) से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये एक नवीन मार्ग है।

- इस सड़क मार्ग का निर्माण 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control- LAC) के करीब उत्तराखंड में किया गया है।
- इस सड़क का निर्माण 'सीमा सड़क संगठन' (Border Roads Organisation- BRO) द्वारा किया गया है। यह सड़क धारचूला (Dharchula) को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है।
- यह मार्ग इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि इसकी लंबाई कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये उपलब्ध अन्य मार्गों की तुलना में लगभग पाँचवें हिस्से के बराबर है। अतः नवीन मार्ग लंबाई में सबसे छोटा तथा यात्रा खर्च के अनुसार सबसे सस्ता है।

विवाद

- लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के मध्य कालापानी क्षेत्र के पास एकदम पश्चिमी बिंदु है और भारत तथा नेपाल के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों ही इस क्षेत्र को अपने-अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानते हैं।
- भारत के अनुसार, यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है।
- नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई सुगौली संधि (Sugauli treaty) का जिक्र किया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, सुगौली संधि (वर्ष 1816) के तहत काली (महाकाली) नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिनमें लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura), कालापानी (Kalapani) और लिपुलेख (Lipulekh) शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग हैं।
- एंग्लो-नेपाली युद्ध (Anglo-Nepalese War) के पश्चात् वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। उल्लेखनीय है कि सुगौली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है।
- नेपाल सरकार के अनुसार, बीते वर्ष जम्मू-कश्मीर के विभाजन के पश्चात् भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नए मानचित्रों में भिन्नता से स्पष्ट था कि भारत द्वारा इस मानचित्रों में छेड़खानी की गई है।

आगे की राह

- नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह दो देशों के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि, दस्तावेजों, तथ्यों और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीतिक हल प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- वहीं भारत सरकार की ओर से भी कहा गया है कि भारत और नेपाल के पास सभी सीमा विवादों से निपटने के लिये एक स्थापित तंत्र है।
- विदेश मंत्रालय के अनुसार, नेपाल के साथ सीमा परिसीमन (Boundary Delineation) का कार्य जारी है। साथ ही भारत कूटनीतिक संवाद के माध्यम से बकाया सीमा मुद्दों को हल करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- आवश्यक है कि विभिन्न सीमा विवादों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर उन्हें कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाए।

पंचेन लामा की रिहाई की मांग

चर्चा में क्यों ?

अमेरिका ने चीन से तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें 'पंचेन लामा' (Panchen Lama) को छोड़ने का आग्रह किया है, जिन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा वर्ष 1995 में मात्र 6 वर्ष की उम्र में कैद कर लिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि वर्ष 1995 में दलाई लामा (Dalai Lama) द्वारा एक युवा तिब्बती लड़के गेदुन चोकेई न्यीमा (Gedhun Choekyi Nyima) को 11वें पंचेन लामा के रूप में चुना गया था।
- इस घोषणा के कुछ दिनों पश्चात् ही 11वें 'पंचेन लामा' समेत उनका पूरा परिवार रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और इसके पश्चात् उन्हें कभी नहीं देखा गया।

पृष्ठभूमि

- जैसा कि उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1995 में एक युवा तिब्बती लड़के को पंचेन लामा के रूप में चुना गया और इसके कुछ समय बाद वे रहस्यमय ढंग से गायब हो गए।

- दलाई लामा द्वारा नियुक्त पंचेन लामा के गायब होने के कुछ समय पश्चात् चीनी अधिकारियों द्वारा एक अन्य छह वर्षीय लड़के को आधिकारिक रूप से पंचेन लामा के रूप में नामित कर दिया गया।
- तिब्बती लोगों, दलाई लामा, संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न मानवाधिकार संगठनों द्वारा चीन सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा की गई और दलाई लामा द्वारा नामित छह वर्षीय पंचेन लामा को वर्ष 1995 के बाद कभी नहीं देखा गया।
- ◆ तिब्बती लोगों का मत है कि यदि 11वें पंचेन लामा अभी जीवित हैं तो वह विश्व के सबसे कम उम्र के राजनीतिक कैदी हैं।
- चीनी अधिकारियों द्वारा 11वें पंचेन लामा की नियुक्ति की निंदा करते हुए 14वें दलाई लामा ने इस कदम को अनुचित करार दिया था।

पंचेन लामा

- उल्लेखनीय है कि पंचेन लामा तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेताओं में से एक है और इनका स्थान तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा के पश्चात् आता है।
- 'पंचेन' शीर्षक का अर्थ महान विद्वान होता है, और इस शब्द का विकास संस्कृत के शब्द 'पंडित' (Pandita) और तिब्बती शब्द चेन-पो (Chen-Po) जिसका अर्थ है 'महान' से हुआ है।
- पंचेन लामा (Panchen Lama) वंशावली की शुरुआत वर्ष 1385 में हुई थी, जब सबसे पहले तिब्बती 'पंचेन लामा' ने जन्म लिया था, और तिब्बती बौद्ध पुनर्जन्म (अवतार) में विश्वास रखते हैं इसीलिये तिब्बती मान्यताओं के अनुसार, पंचेन लामा का निर्बाध पुनर्जन्म हो रहा है।
- परंपरागत रूप से ताशी लूनपो मठ (Tashi Lhunpo Monastery) के मठाधीशों को उनकी विद्वता के कारण पंचेन के रूप में जाना जाता था।
- 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा ने अपने शिक्षक और ताशी लूनपो मठ के तत्कालीन मठाधीश लोबसांग चोकेई ग्यालत्सेन (Lobsang Choekyi Gyaltzen) को पंचेन लामा के रूप में चुना और यह घोषणा की कि वे बार-बार एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेंगे तथा यह अटूट वंशावली इसी प्रकार चलती रहेगी।
- बौद्ध मान्यताओं में दलाई लामा की ही तरह 'पंचेन लामा' को भी बुद्ध का ही एक अवतार माना जाता है। पंचेन लामा को अमिताभ, यानी बुद्ध के असीम प्रकाश वाले दैवीय स्वरूप का अवतार माना जाता है। वहीं दलाई लामा उनके अवालोकीतेश्वरा स्वरूप का अवतार माना जाते हैं।
- ध्यातव्य है कि सदियों से दलाई लामा और पंचेन लामा के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध रहा है। दलाई लामा, पंचेन लामा के एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करते हैं और पंचेन लामा नए दलाई लामा की खोज में अनिवार्य भूमिका अदा करते हैं।

लामा

- लामा, बौद्ध धर्म का एक शीर्षक है जिसका अर्थ 'श्रेष्ठ' से है, इसे आधिकारिक तौर पर केवल कुछ चुनिंदा तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है, जो आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। अधिकांश लामाओं को विभिन्न अवतारों का पुनर्जन्म माना जाता है और पदानुक्रम में उनके स्थान इन पुनर्जन्म की पहचानों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

पंचेन लामा और चीन की चिंता

- चीन की चिंता की एक मुख्य वजह नए दलाई लामा के चुनाव को लेकर भी है। दरअसल, वर्तमान दलाई लामा (जो 14वें दलाई लामा हैं) की बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके उत्तराधिकारी के चयन की बात की जा रही है, हालाँकि दलाई लामा द्वारा अभी तक अपने उत्तराधिकारी के बारे में कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
- बौद्ध मान्यताओं के अनुसार, पंचेन लामा नए दलाई लामा की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
- दरअसल, इस संबंध में चीन की चिंता इस बात को लेकर है कि शायद दलाई लामा अपना उत्तराधिकारी भारत से और संभवतः अरुणाचल प्रदेश से ही चुनें, फलस्वरूप तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व एक नए व्यक्ति के हाथ आ जाएगा। चीन को खतरा है कि इससे आंदोलन को नया नेतृत्व मिल जाएगा जो भविष्य में उसके समक्ष मुश्किलें पैदा करेगा।
- इसीलिये चीन ने पहले ही आधिकारिक तौर पर पंचेन लामा की घोषणा कर दी है और ऐसी आशा है कि वह 15वें दलाई लामा की घोषणा भी इसी प्रकार करेगा।

73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा

चर्चा में क्यों ?

‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ (World Health Organization-WHO) की 73वीं दो दिवसीय (18-19 मई) वार्षिक ‘विश्व स्वास्थ्य सभा’ (World Health Assembly) का जिनेवा में आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि ‘विश्व स्वास्थ्य सभा’ में COVID-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जाँच हेतु मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया है।
- भारत ने ‘विश्व स्वास्थ्य सभा’ में COVID-19 से संबंधित जाँच हेतु यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन किया है।
- इन 62 देशों में बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और जापान जैसे देश शामिल हैं।
- इस मसौदा प्रस्ताव में ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ और ‘वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ’ (World Organization for Animal Health-OIE) को संयुक्त रूप से COVID-19 के स्रोतों का चिह्नित करना, मनुष्य COVID-19 के संपर्क में कैसे आया जैसे मुद्दों को वैज्ञानिक तरीके से जाँच करने का उल्लेख किया गया है।
- मसौदा प्रस्ताव में सभी देशों को COVID-19 से संबंधित सटीक और पर्याप्त रूप से विस्तृत सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साझा करने का उल्लेख है।
- ध्यातव्य है कि भारत ने मार्च 2020 में ही जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit) में ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकताओं का उल्लेख किया था।
- ध्यातव्य है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने COVID-19 महामारी से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर सवाल उठाया था। साथ ही अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली फंडिंग (Funding) पर भी रोक लगा दी थी।

मसौदा प्रस्ताव पेश करने के कारण:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने दायित्वों का निर्वाह करने में विफल रहा है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में चीन की सहायता से टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) को विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस के बारे में चीन के ‘दुष्प्रचार’ को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण संभवतः वायरस ने और अधिक गंभीर रूप धारण कर लिया है।

विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly):

- ‘विश्व स्वास्थ्य सभा’ सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बना है।
- प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम तीन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।
- इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में से चुना जाता है क्योंकि ये सदस्य राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का अधिमान्य प्रतिनिधित्व करते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी-कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है।

विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य:

- विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है।
- यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है एवं बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन करती है।
- यह WHO तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council) को रिपोर्ट करता है।
- संगठन के कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और इसे संचालित करना।

G-20 व्यापार और निवेश वर्चुअल मीटिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में G-20 देशों द्वारा COVID-19 महामारी के संदर्भ में तत्काल ठोस कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करने तथा दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित के संदर्भ में एक वर्चुअल व्यापार और निवेश मीटिंग का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- भारत ने इस मीटिंग में G-20 राष्ट्रों से आवश्यक दवाओं, उपचार और टीकों की सस्ती कीमतों पर पहुँच सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
- भारत ने इस बात पर भी बल दिया कि अत्यावश्यक दवाओं, उपचार, टीकों तथा स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की पहुँच को सीमा पार भी सुनिश्चित किये जाने के प्रयास करने चाहिये, ताकि ऐसे क्षेत्र जहाँ उनकी अत्यधिक आवश्यकता है, वहाँ ये सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें।

भारत के प्रयास:

- भारत द्वारा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' परंपरा का अनुसरण करते हुए बताया गया कि इस बीमारी से निपटने के लिये भारत 120 से अधिक देशों को बिना शर्त चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध करा रहा है।
- 120 से अधिक देशों में से 43 देशों को इस चिकित्सा आपूर्ति को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया है।
- भारत द्वारा COVID-19 महामारी के चलते 10 मिलियन यूएस डॉलर का COVID-19 इमरजेंसी फंड बनाया गया है।
- इस फंड का उपयोग पड़ोसी देशों को तत्काल चिकित्सा आपूर्ति, उपकरण और मानवीय सहायता देने के लिये किया जा रहा है।
- भारत द्वारा बताया गया कि डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते हुए चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता क्षमता को साझा किया जा रहा है।
- भारत द्वारा जानकारी दी गई कि COVID-19 के परीक्षण हेतु हर दिन लगभग 300,000 पीपीई (Personal Protective Equipment- PPE) का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है।

जी-20 राष्ट्र:

- यह 20 देशों का एक समूह है।
- इसकी स्थापना 26 सितंबर, 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों तथा संबंधित देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई थी।
- यह अपने सदस्यों देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिये प्रमुख मंच प्रदान करता है।
- इस समूह में शामिल देश हैं-
- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रूस, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम।

वेस्ट बैंक अधिग्रहण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो (Mike Pompeo) इजराइल की यात्रा पर गए, जहाँ उनकी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) से वेस्ट बैंक (West Bank) के अधिग्रहण को लेकर वार्ता हुई।

प्रमुख बिंदु

- पोम्पियो की इजराइल यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य ईरान से जुड़ी साझा चिंताओं, कोरोना वायरस के विरुद्ध सामूहिक सहयोग के साथ इजराइल और चीन की निकटता पर चर्चा की गई।

- इजराइल के नीति-नियंता नवंबर, 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले मध्यपूर्व के भू-भाग में भू-रणनीतिक बदलाव करना चाहते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन (Joe Biden) वेस्ट बैंक के अधिग्रहण को लेकर इजराइल के एकतरफा निर्णय के खिलाफ हैं।
- वेस्ट बैंक का इजराइल में अधिग्रहण राष्ट्रपति ट्रंप को आने वाले चुनाव में ईसाई मतदाताओं को लुभाने में सहायता कर सकता है, क्योंकि ईसाई समुदाय का यह मानना है कि ईश्वर ने यहूदियों को उनकी भूमि पर स्थापित करने का वचन दिया था, जिसे अब पूरा किया जाना चाहिये।

वेस्ट बैंक क्या है ?

- वेस्ट बैंक, इजराइल के पूर्व में इजराइल-जॉर्डन सीमा पर स्थित लगभग 6,555 वर्ग किमी. के भू-भाग में फैला है। जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित होने की वजह से इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है।
- वर्ष 1948 में हुए प्रथम अरब-इजराइल युद्ध में जॉर्डन ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया परंतु वर्ष 1967 में हुए तीसरे अरब-इजराइल युद्ध (छः दिवसीय युद्ध) में अरब देशों की हार के बाद इजराइल ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया।
- तभी से इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर इजराइल का अधिकार है तथा इजराइल ने वेस्ट बैंक में लगभग 130 स्थायी बस्तियाँ बसाई हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों में अनेकों छोटी-बड़ी बस्तियाँ स्थापित हुई हैं।

पृष्ठभूमि

- इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष का स्पष्ट प्रमाण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलता है। जब मध्य-पूर्व का क्षेत्र यहूदियों और अरब के बीच अपना वर्चस्व स्थापित करने का अखाड़ा बन गया।
- मध्य-पूर्व युद्ध 1967: इसे छह-दिवसीय युद्ध या तीसरे अरब-इजरायल युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। इजराइल ने युद्ध में वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में कई बस्तियाँ बनाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और शांति के लिये बाधा मानते हैं।
- ट्रंप द्वारा जनवरी 2020 में प्रस्तुत मध्य पूर्व योजना (सीमित राज्य का दर्जा) को फिलिस्तीन द्वारा नकार दिया गया और उनके द्वारा ओस्लो शांति समझौते के प्रमुख प्रावधानों से हटने की धमकी दी गई, जोकि 1990 के दशक में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हुए समझौतों की एक श्रृंखला है।

आलोचना

- इजराइल के द्वारा किया जाने वाला विलय व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर तनाव में वृद्धि करेगा क्योंकि यह मध्य-पूर्व युद्ध के बाद इजराइल द्वारा कब्जा की गई भूमि पर एक व्यवहार्य राज्य स्थापित करने की फिलिस्तीन की उम्मीदों को समाप्त कर देगा।
 - अरब लीग इस अधिग्रहण को युद्ध अपराध के रूप में देखता है।
 - यूरोपीय संघ ने इजराइल के इस प्रस्ताव को शांति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाला बताया है।
- भारत का रुख
- भारत ने आज़ादी के पश्चात् लंबे समय तक इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखे, जिससे यह स्पष्ट था कि भारत, फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता है, किंतु वर्ष 1992 में इजराइल से भारत के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने और अब यह रणनीतिक संबंध में परिवर्तित हो गए हैं तथा अपने उच्च स्तर पर हैं।
 - वर्ष 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था।
 - भारत पहला गैर-अरब देश था, जिसने वर्ष 1974 में फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान की थी। साथ ही भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में शामिल था।
 - भारत ने फिलिस्तीन से संबंधित कई प्रस्तावों का समर्थन किया है, जिनमें सितंबर 2015 में सदस्य राज्यों के ध्वज की तरह अन्य प्रेक्षक राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीनी ध्वज लगाने का भारत का समर्थन प्रमुख है।

- जून 2019 में भारत ने, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (United Nations Economic and Social Council- UN ECOSOC) में फिलिस्तीन के एक गैर-सरकारी संगठन को सलाहकार का दर्जा देने के विरोध में इजराइल के प्रस्ताव का समर्थन किया।
- भारत ने हमेशा से दोनों देशों के मध्य अपनी संतुलन की नीति को बरकरार रखा है।

फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट

चर्चा में क्यों ?

फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु कार्य करने वाली 'संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी' (United Nations Relief and Works Agency-UNRWA) ने COVID-19 संकट से उत्पन्न परिस्थितियों में अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिये भारत द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता की सराहना की है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) को शिक्षा एवं स्वास्थ्य समेत उसके विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं में समर्थन देने हेतु 2 मिलियन डॉलर प्रदान किये थे।
- भारत के इस योगदान से UNRWA को अपनी नकदी प्रवाह संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने UNRWA को दिये जाने वाले अपने वार्षिक योगदान को वर्ष 2016 में 1.25 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2019 में 5 मिलियन डॉलर तक कर दिया है।
- इसके अतिरिक्त भारत ने UNRWA को वर्ष 2020 के दौरान 5 मिलियन डॉलर देने का वचन दिया है, इस पूरे योगदान से भारत का UNRWA के सलाहकार आयोग का सदस्य बनने का मार्ग काफी आसान हो गया है।
- भारत का यह योगदान संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) को फंडिंग की कमी के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय संकट से निपटने में मदद करेगा, जिसके कारण एजेंसी फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने में भी असमर्थ है।
- ◆ इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधि ने UNRWA द्वारा किये गए सराहनीय कार्य और प्रयासों के प्रति प्रशंसा व्यक्त की।
- ध्यातव्य है कि विश्व में लगभग 5 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थी UNRWA द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं।
- वहीं, एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में प्रत्येक वर्ष 526,000 छात्रों को शिक्षित किया जाता है, जिनमें से आधी महिलाएँ होती हैं।
- इसी बीच, भारत फिलिस्तीनियों के लिये मेडिकल आपूर्ति की भी तैयारी कर रहा है ताकि उन्हें कोरोनावायरस से लड़ने में मदद प्रदान की जा सके।

कौन हैं फिलिस्तीनी शरणार्थी ?

- संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों को 'उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका निवास स्थान 1 जून, 1946 से 15 मई, 1948 की अवधि के दौरान फिलिस्तीन था और जिन्होंने वर्ष 1948 के संघर्ष के परिणामस्वरूप घर और आजीविका दोनों को खो दिया था।'
- UNRWA अपनी सेवाएँ मुख्यतः उन्ही लोगों को प्रदान करता है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थी की इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और जो संस्था के साथ पंजीकृत हैं तथा जिन्हें सहायता की आवश्यकता है।
- इस परिभाषा के तहत पंजीकरण के लिये फिलिस्तीन शरणार्थियों के वंशज भी पात्र हैं, जिसमें गोद लिये बच्चे भी शामिल हैं।
- UNRWA के आधिकारिक आँकड़े के अनुसार, पंजीकृत फिलिस्तीनी शरणार्थियों में से लगभग एक-तिहाई से अधिक लोग पूर्वी येरुशलम सहित जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में लगभग 58 मान्यता प्राप्त फिलिस्तीन शरणार्थी शिविरों में रहते हैं।

फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट

- उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट को समझने के लिये हमें सर्वप्रथम इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष को समझना होगा।
- अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटा लिया और अरब तथा यहूदियों के दावों का समाधान करने के लिये इस मुद्दे को नवनिर्मित संगठन संयुक्त राष्ट्र (UN) के विचारार्थ प्रस्तुत किया।
- संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिये एक विभाजन योजना (Partition Plan) प्रस्तुत की जिसे फिलिस्तीन में रह रहे अधिकांश यहूदियों ने स्वीकार कर लिया किंतु अरबों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट नहीं की।
- वर्ष 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी और इजराइल एक देश बन गया, इसके परिणामस्वरूप आस-पास के अरब राज्यों (इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया) ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।
- युद्ध के परिणामस्वरूप, फिलिस्तीनियों की एक बड़ी संख्या या तो पलायन कर गई या उन्हें इजराइल से बाहर जाने और इजराइल की सीमा के पास शरणार्थी शिविरों में बसने के लिये विवश किया गया और अंततः फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट का उदय हुआ।

इजराइल-फिलिस्तीन विवाद के वर्तमान कारण:

- येरूशलम पर अधिकार को लेकर दोनों देशों में संघर्ष होता रहा है। इजराइल के द्वारा वर्तमान में तेल अवीब से अपनी राजधानी येरूशलम स्थानांतरित करने का भी फिलिस्तीन द्वारा विरोध किया गया।
- शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर भी दोनों देशों में मतभिन्नता की स्थिति है। इजराइल इन्हें फिलिस्तीन में पुनर्स्थापित करना चाहता है और फिलिस्तीन इन्हें वास्तविक स्थानों पर पुनर्स्थापित करने की बात कहता है।
- फिलिस्तीन, इजराइल की प्रसारकारी नीतियों का भी लगातार विरोध कर रहा है।

आगे की राह

- फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिये चलाए जा रहे कार्यक्रमों हेतु वित्त की कमी सर्वविदित है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) वित्तपोषण की कमी का सामना कर रही है, जिसके कारण संस्था के परिचालन समेत विभिन्न कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं।
- भारत द्वारा इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) को दी गई फंडिंग, एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे एजेंसी अपने कार्यक्रमों का सुचारु संचालन सुनिश्चित कर सकेगी।
- आवश्यक है कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में देखते हुए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिये बेहतर नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण किया जाए और साथ ही इस विषय से संबंधित विभिन्न हितधारकों को भी नीति निर्माण में शामिल किया जाए।

COVID-19 वैक्सीन के विकास हेतु भारत और अमेरिका की संयुक्त पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत और अमेरिका द्वारा COVID-19 के परीक्षण और इस बीमारी की वैक्सीन के विकास पर शोध के लिये मिलकर कार्य करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- अमेरिकी दूतावास के अनुसार, भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक अनेक संक्रामक बीमारियों पर शोध, वैक्सीन के निर्माण और कम लागत में वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये मिलकर कार्य करते रहे हैं।
- COVID-19 की महामारी को देखते हुए 'वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम' (Vaccine Action Programme) के तहत भारत और अमेरिका COVID-19 संक्रमण की पहचान करने और इसकी वैक्सीन के निर्माण हेतु मिलकर कार्य करने पर विचार कर रहे हैं।

इंडो-यूएस वैक्सीन एक्शन प्लान (Indo-US Vaccine Action Programme-VAP):

- VAP एक द्विपक्षीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसके तहत नई और उन्नत वैक्सीन के विकास से जुड़ी अनेक गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी।
- VAP में यू.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (U.S. National Institutes of Health), भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Indian Department of Biotechnology-DBT) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) आदि के अधिकारी शामिल होते हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका और भारत के वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन, प्रतिरक्षाविज्ञानी अभिकर्मकों (Immunodiagnostic Reagents) आदि के विकास की दिशा में सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन किया जाता है।
- VAP के कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये एक 'संयुक्त कार्य समूह' (Joint Working Group- JWG) की स्थापना की गई है। JWG में दोनों देशों के वैज्ञानिक और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं।
- JWG के भारतीय सदस्य भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त एक 'सर्वोच्च समिति' (Apex Committee) के सदस्य होते हैं, यह समिति VAP के तहत प्रस्तावित भारतीय कार्यक्रमों की समीक्षा और उन्हें अनुमति प्रदान करने का कार्य करती है।

अन्य सहयोग:

- 200 वेंटिलेटर का सहयोग:
 - ◆ अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पिछले सप्ताह भारत को 200 वेंटिलेटर (Ventilator) दान किये जाने की घोषणा की गई थी, इसके तहत पहले चरण में 50 वेंटिलेटर शीघ्र ही भारत पहुँचने की उम्मीद है।
 - ◆ इन वेंटिलेटरों का खर्च वर्तमान में भारत के लिये घोषित 5.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के तहत यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (United States Agency for International Development-USAID) द्वारा वहन किया जाएगा।
- आर्थिक सहायता:
 - ◆ अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार की सहमति और सहयोग से COVID-19 की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिये 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
 - ◆ इसके तहत भारत सरकार की अनुमति के आधार पर प्रयोगशालाओं और शोध संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

चुनौतियाँ:

- CDC द्वारा भारतीय प्रयोगशालाओं और शोध संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराने की योजना विलंबित हो सकती है क्योंकि दिसंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CDC को एक 'वॉच लिस्ट' (Watch List) में रखा गया है।
 - ◆ ध्यातव्य है कि CDC द्वारा 'मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस रिसर्च' (Manipal Centre for Virus Research-MCVR) के साथ निपाह वायरस (Nipah Virus) पर एक शोध शुरू करने से पहले भारत सरकार की अनुमति न लेने के कारण यह कार्रवाई की गई थी।
- भारत में स्थित कोई भी गैर सरकारी संगठन (Non Governmental Organization-NGO) 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010' {Foreign Contribution Regulation Act (FCRA), 2010} के तहत पंजीकरण करा कर विदेशी अनुदान प्राप्त कर सकता है।
- परंतु यदि किसी विदेशी दाता (Foreign Donor) को 'वॉच लिस्ट' या 'पूर्व अनुमति' की सूची में रखा गया हो तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बगैर विदेशी दाता द्वारा सीधे धनराशि नहीं भेजी जा सकती है।
- हालाँकि CDC ने स्पष्ट किया है कि वह इस योजना के लिये भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त संस्थानों के साथ ही कार्य करेगी।

श्रीलंका ऋण संकट

चर्चा में क्यों ?

श्रीलंका अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के माध्यम से COVID-19 महामारी से जूझते हुए चीन द्वारा दिये गए ऋण को पूरा करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें से 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान इसी वर्ष किया जाना है।

प्रमुख बिंदु:

- श्रीलंका में COVID-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य तंत्र पर बढ़े दबाव के साथ ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट देखने को मिली है।
- श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्यात, पर्यटन और प्रवासी कामगारों द्वारा प्रेषित धन पर आधारित है।
- हाल ही में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती प्रदान करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा हस्तांतरण का प्रस्ताव किया था।
- श्रीलंका ने इससे पहले भी RBI से मुद्रा हस्तांतरण किया है परंतु इस वर्ष श्रीलंका को अपने ऋण को चुकाने के लिये विदेशी मुद्रा भंडार से बड़ी धनराशि खर्च करनी होगी, जो वर्ष 2019 में देश की जीडीपी का लगभग 42.6% है।

श्रीलंका ऋण संकट:

- COVID-19 महामारी से पहले ही श्रीलंका का बढ़ता ऋण देश के लिये एक बड़ी चुनौती बन गया था, इस महामारी से पहले ही श्रीलंका ने चीन और भारत से ऋण भुगतान पर अस्थायी स्थगन (Moratorium) की अपील की थी।
- श्रीलंका के पास वर्तमान में भारत का लगभग 960 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण बकाया है जबकि वर्ष 2018 तक श्रीलंका द्वारा चीन से लिया गया ऋण 5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था।
- विशेषज्ञों के अनुसार, श्रीलंका का ऋण संकट मूल रूप से चीन से ही संबंधित नहीं है बल्कि श्रीलंका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लिया गया भारी ऋण भी देश के लिये एक बड़ी समस्या है।
- वर्ष 2018 के आँकड़ों के अनुसार, श्रीलंका द्वारा वित्तीय बाजार से लिया गया ऋण बहुपक्षीय करदाताओं {विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) आदि} और द्विपक्षीय करदाताओं (चीन, जापान और भारत जैसे देश) से प्राप्त ऋण से बहुत अधिक था।
- विशेषज्ञों के अनुसार, ग्रीस और अर्जेंटीना जैसे देशों की तुलना में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति अभी ठीक है क्योंकि यह अपने मुद्रा भंडार, स्थानीय ऋण और नई मुद्रा छाप कर अपने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है।
- हालाँकि श्रीलंका द्वारा संप्रभु बॉण्ड (Sovereign Bond) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लिया गया ऋण एक बड़ी चिंता का विषय है।
 - ◆ श्रीलंका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संप्रभु बॉण्ड के माध्यम से लिये गए 1 बिलियन डॉलर के ऋण की अवधि अक्टूबर माह में पूरी हो जाएगी जो श्रीलंका के संकट को बढ़ा सकता है।

श्रीलंका द्वारा ऋण संकट से उबरने के प्रयास:

- हाल ही में श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के आर्थिक दबाव को स्वीकार करते हुए यह प्रस्ताव रखा कि इस संकट की स्थिति में 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन' यानी सार्क को लंदन क्लब (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में निजी करदाताओं का एक अनौपचारिक समूह) से बातचीत कर समाधान का प्रयास करना चाहिये।
- श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के अनुसार, वर्तमान ऋण के भुगतान के लिये कुछ दीर्घकालिक वित्तीय प्रबंध किये गए हैं, इन प्रयासों के माध्यम से श्रीलंका को मार्च 2020 में 500 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे और जल्दी ही 300 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद है।
- श्रीलंका के केंद्रीय बैंक द्वारा RBI के अलावा अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों के साथ भी मुद्रा हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के अंतिम चरण में है, साथ ही IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय करदाताओं के साथ समझौते के प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत और श्रीलंका:

- ऐतिहासिक रूप से भारत और श्रीलंका के बीच सकारात्मक संबंध रहे हैं और भारत ने पूर्व में कई अन्य मौकों पर श्रीलंका को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई है।
- वर्ष 2000 की मुक्त व्यापार संधि के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है।
- इस दौरान श्रीलंका को होने वाला भारतीय निर्यात 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2001) से बढ़कर 4495 मिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2018) तक पहुँच गया।
- हाल के वर्षों में रक्षा के क्षेत्र में भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है, दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति' और नौसैनिक अभ्यास 'स्लिनेक्स' (SLINEX) का आयोजन किया जाता है। साथ ही श्रीलंका की सेना के 60% से अधिक सदस्य अपने 'यंग ऑफिसर्स कोर्स' (Young Officers' Course), जूनियर और सीनियर कमांड कोर्स का प्रशिक्षण भारत से प्राप्त करते हैं।
- हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता की दृष्टि से भी भारत-श्रीलंका संबंधों का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है।
- हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका में बढ़ते चीनी निवेश और वर्ष 2019 में भारत द्वारा 'मताला एयरपोर्ट' संचालन के प्रस्ताव के रद्द होने से कुछ चिंताएँ बढ़ी हैं।

आगे की राह:

- हाल ही में विश्व बैंक और IMF द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 3% की गिरावट आने की संभावना है, अतः विदेशी ऋण को पूरा करने के साथ ही श्रीलंका सरकार को स्थानीय जरूरतों पर भी ध्यान देना होगा।
- विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में देश के ऋण में वृद्धि के साथ ही सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रश्न उठने लगे हैं, ऐसे में वर्तमान आर्थिक संकट से निपटने के साथ ही अब समय है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों में कुछ मूलभूत बदलाव लाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता भारत के लिये एक चिंता का विषय है साथ ही हाल के वर्षों में श्रीलंका की राजनीतिक अस्थिरता से भारत-श्रीलंका संबंधों में कुछ अनिश्चितताएँ दिखने लगी हैं, अतः भारत द्वारा श्रीलंका के वर्तमान आर्थिक संकट में संभावित सहायता के साथ ही दोनों देशों के संबंधों में मजबूती के लिये समन्वय और अन्य प्रयासों में वृद्धि की जानी चाहिये।

हॉन्गकॉन्ग संकट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन की संसद के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक मसौदा प्रस्तुत किया गया है, जो पहली बार चीन की सरकार को हॉन्गकॉन्ग के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का मसौदा तैयार करने तथा इस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (Special Administrative Region-SAR) में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अंगों (Organs) को संचालित करने की अनुमति देगा।

प्रमुख बिंदु

- चीन की सरकार ने इस मसौदे के माध्यम से हॉन्गकॉन्ग में लागू बेसिक लॉ (Basic Law) में 'सुधार' करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ध्यातव्य है कि यही बेसिक लॉ (Basic Law) अथवा लघु संविधान हॉन्गकॉन्ग और बीजिंग के मध्य संबंधों को परिभाषित करता है।
- चीन के इस नए मसौदे को हॉन्गकॉन्ग में असंतोष रोकने के लिये अब तक के सबसे व्यापक कदम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विश्लेषकों का मत है कि चीन की सरकार हॉन्गकॉन्ग विधायिका से परामर्श किये बिना ही इस मसौदे को लागू कर सकती है।

हॉन्गकॉन्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- वर्ष 1842 में चीन राजवंश के प्रथम अफीम युद्ध में पराजित होने के बाद चीन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हॉन्गकॉन्ग द्वीप सौंप दिया था, उसके बाद हॉन्गकॉन्ग का (एक अलग भू-भाग) अस्तित्व सामने आया।

- लगभग 6 दशक के दौरान चीन के लगभग 235 अन्य द्वीप भी ब्रिटेन के कब्जे में आ गए और हॉन्गकॉन्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गया।
- 20वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन हुआ जिनमें चीनी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी।
- बड़ी संख्या में प्रवासियों के आगमन ने हॉन्गकॉन्गके लिये एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में एक नई भूमिका निभाने में मदद की।
- चीन की अर्थव्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति के प्रभाव के कारण वर्तमान में हॉन्गकॉन्ग सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था के साथ-साथ दुनिया के सबसे बड़े बाजारों के लिये एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन गया है।
- वर्ष 1997 तक हॉन्गकॉन्ग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में रहा।

हॉन्गकॉन्ग का 'बेसिक लॉ'

- 1 जुलाई, 1997 को 'एक देश, दो व्यवस्था' (One Country, Two Systems) के सिद्धांत के तहत हॉन्गकॉन्ग को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (Special Administrative Region-SAR) घोषित कर दिया गया और हॉन्गकॉन्ग ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त हो गया।
- हॉन्गकॉन्ग को 'बेसिक लॉ' नामक एक लघु-संविधान द्वारा शासित किया जाता है, जो कि 'एक देश, दो प्रणाली' के सिद्धांत की पुष्टि करता है।
- ध्यातव्य है कि 'बेसिक लॉ' वर्ष 1984 के चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पत्र (Sino-British Joint Declaration) का ही परिणाम है, जिसके तहत चीन की सरकार द्वारा वर्ष 1997 से 50 वर्षों की अवधि के लिये हॉन्गकॉन्ग की उदार नीतियों, शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात की गई थी।
- हॉन्गकॉन्ग का 'बेसिक लॉ' अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की रक्षा करता है, जो कि चीन में मौजूद नहीं हैं। साथ ही हॉन्गकॉन्ग का 'बेसिक लॉ' इस क्षेत्र विशिष्ट की शासन की संरचना भी निर्धारित करता है।
- हालाँकि हॉन्गकॉन्ग के आंतरिक मामलों में चीन के कम्युनिस्ट शासन के हस्तक्षेप और उसकी दमनकारी नीतियों के चलते हॉन्गकॉन्ग में समय-समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं।

विरोध प्रदर्शन का लंबा इतिहास

- विरोध प्रदर्शन हॉन्गकॉन्ग की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। चीन को सौंपे जाने के बाद हॉन्गकॉन्ग में 'बेसिक लॉ' में दी गई स्वतंत्रता को बचाने के लिये पहला विरोध प्रदर्शन वर्ष 2003 में हुआ था, जो कि वर्ष 1997 के बाद सबसे बड़ा लोकतंत्र समर्थित आंदोलन था।
- वर्ष 2009 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ जिसके परिणामस्वरूप यह कानून वापस ले लिया गया। वर्ष 2014 में भी हॉन्गकॉन्ग में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध को 'अंब्रेला मूवमेंट' की संज्ञा दी जाती है।
 - ◆ दरअसल चीन की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा हॉन्गकॉन्ग की जनता को यह भरोसा दिलाया गया था कि वर्ष 2017 से हॉन्गकॉन्ग के नागरिक अपने मुख्य कार्यकारी का निर्वाचन स्वयं कर सकेंगे किंतु चीन ने सिर्फ उन्हीं लोगों को इस पद के लिये चुनाव लड़ने की अनुमति दी जिन्हें चीन की साम्यवादी पार्टी का समर्थन हासिल हो। इससे हॉन्गकॉन्ग के लोगों को अत्यधिक निराशा हुई।
 - ◆ परिणामस्वरूप लाखों लोगों ने 2 महीने से भी अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया।
- वर्ष 1997 में सत्ता हस्तांतरण के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन वर्ष 2019 में हुआ, जब महीनों तक हॉन्गकॉन्ग के हज़ारों लोगों ने प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून के विरुद्ध आंदोलन किया और कानून वापस लेने के बाद भी लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन जारी रखा।

प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

- हॉन्गकॉन्ग के 'बेसिक लॉ' की धारा 23 के अनुसार, हॉन्गकॉन्ग को 'किसी भी प्रकार के देशद्रोह, अलगाव, सरकार के विरुद्ध साजिश और राज्य के रहस्यों की चोरी जैसे कृत्यों को रोकने तथा विदेशी राजनीतिक संगठनों या निकायों को इस क्षेत्र विशिष्ट में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करने से रोकने एवं इस क्षेत्र विशिष्ट के राजनीतिक संगठनों या निकायों को विदेशी राजनीतिक संगठनों या निकायों के साथ संबंध स्थापित करने से रोकने के लिये जल्द-से-जल्द 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' लागू करना होगा।

- पहली बार जब वर्ष 2003 में हॉन्गकॉन्ग की सरकार ने यह कानून बनाने की कोशिश की थी, तो उस वर्ष यह शहर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा बन गया था।
- वर्ष 2003 के बाद एक बार पुनः इस कानून के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, चीन की सरकार 'बेसिक लॉ' के एनेक्स III (Annex III) का प्रयोग करके एक बार पुनः कानून के निर्माण का प्रयास कर सकती है।
- 'बेसिक लॉ' के अनुसार, चीन की सरकार हॉन्गकॉन्ग में तब तक कोई कानून लागू नहीं कर सकती है, जब तक कि वह कानून एनेक्स III नामक खंड में सूचीबद्ध नहीं किया गया हो। ध्यातव्य है कि इस खंड में पहले से ही कुछ कानून सूचीबद्ध हैं, जिनमें अधिकांश अविवादास्पद और विदेश नीति से संबंधित हैं।
- इन कानूनों को आसानी से राजाज्ञा (Decree) के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिसका अर्थ है कि उन्हें लागू करने के लिये हॉन्गकॉन्ग के प्रतिनिधियों से विमर्श की आवश्यकता नहीं होती है।

नए कानून का प्रभाव

- चीन का यह नया कानून चीन की सरकार को लक्षित करने वाली देशद्रोही गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा और साथ ही हॉन्गकॉन्ग के मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को प्रतिबंधित अथवा दंडित करेगा।
- आलोचकों का कहना है कि यह कदम हॉन्गकॉन्ग के 'एक देश, दो व्यवस्था' के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो कि हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्तता के लिये काफी महत्वपूर्ण है।
- विश्लेषकों ने उम्मीद जाहिर की है कि यदि यह कानून अस्तित्व में आता है तो हॉन्गकॉन्ग में बीते वर्ष हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं, ऐसे में चीन की सरकार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- यह कदम पूर्वी एशियाई व्यापारिक केंद्र के रूप में हॉन्गकॉन्ग की पहचान को प्रभावित कर सकता है, और साथ ही इस कानून से चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है, जो कि पहले से ही कोरोना वायरस (COVID-19) से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाने के आरोप का सामना कर रहा है।

चीन द्वारा सीमा उल्लंघन के मामलों में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 के बाद से चीन की तरफ से लद्दाख क्षेत्र में 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control- LAC) का उल्लंघन करने की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2020 के शुरुआती चार महीनों में चीन द्वारा 170 बार LAC का उल्लंघन किया गया है। जिनमें से 130 बार LAC उल्लंघन केवल लद्दाख क्षेत्र में किया गया है।
- जबकि वर्ष 2019 में इसी अवधि के दौरान लद्दाख में केवल 110 बार LAC का उल्लंघन किया गया था।

LAC उल्लंघन के 4 प्रमुख स्थान:

- 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा पर 80% LAC उल्लंघन के मामले केवल चार स्थानों पर दर्ज किये गए हैं जिनमें से तीन स्थान पश्चिमी LAC क्षेत्र के पूर्वी लद्दाख में स्थित हैं।
- पश्चिमी सीमा:
 - ◆ पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख और अक्साई-चिन क्षेत्र शामिल है।
 - ◆ पेंगोंग त्सो (Pangong Tso), ट्रिग हाइट्स (Trig Heights) और बर्ट्स (Burtse) में LAC उल्लंघन के दो-तिहाई मामले दर्ज किये गए हैं।
 - पेंगोंग त्सो 135 किलोमीटर लंबी झील है, जिसका एक तिहाई हिस्सा भारत द्वारा नियंत्रित है।

◆ डूमेचेले (Dumchele) के सामने स्थित डोलेटांगो क्षेत्र (Doletango area) में वर्ष 2019 में 54 LAC उल्लंघन के मामले देखने को मिले हैं।

● पूर्वी क्षेत्र:

◆ इसमें सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा को शामिल किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में सीमा उल्लंघन के अधिकतर मामले दिचू क्षेत्र/मदन कगार क्षेत्र (Dichu Area/Madan Ridge Area) में दर्ज किये गए हैं।

◆ पूर्वी सीमा पर सिक्किम के 'नाकु ला' (Naku La) क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कभी-कभी टकराव देखने को मिलता है।

● मध्य क्षेत्र:

◆ यह सीमा तिब्बत के साथ लगती है, इसमें अनेक लघु क्षेत्रों को लेकर विवाद है।

◆ मध्य क्षेत्र में सीमा उल्लंघन के अधिकतर मामले उत्तराखंड के बाराहोती (Barahoti) में दर्ज किये गए हैं।

गैलवान घाटी (Galwan Valley) क्षेत्र को लेकर विवाद:

● हाल ही में चीन की एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 'अक्साई चीन' के गैलवान घाटी (Galwan Valley) क्षेत्र में भारत ने रक्षा सुविधाओं का निर्माण किया है। यद्यपि भारत ने आधिकारिक रूप से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गैलवान नदी घाटी क्षेत्र में भी दोनों सेनाओं के बीच तनाव देखने को मिला है।

LAC पर सीमा उल्लंघन के मामले:

● वर्ष 2015 के बाद से तीन-चौथाई LAC उल्लंघन के मामले पश्चिमी क्षेत्र में जबकि पूर्वी क्षेत्र में कुल LAC उल्लंघन के केवल 1/5 मामले देखने को मिले हैं।

● पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतर मामले जमीनी सीमा उल्लंघन के देखने को मिले हैं जबकि पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश मामले हवाई सीमा उल्लंघन के दर्ज किये गए हैं।

● चीन द्वारा 'पेंगोंग त्सो' (Pangong Tso) झील क्षेत्र में वायु, भूमि तथा जल तीनों LAC सीमाओं का उल्लंघन किया गया है।

सीमा उल्लंघन के मामलों को सुलझाने का प्रयास:

● वर्ष 2017 में 'डोकलाम गतिरोध' (Doklam Standoff) के बाद से पूर्वी क्षेत्र में LAC उल्लंघन के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई।

● डोकलाम गतिरोध के तुरंत बाद सितंबर 2017 में 'शियामेन' (Xiamen) में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा मुलाकात की गई।

● वुहान में अप्रैल 2018 में प्रथम 'अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने सीमाओं के प्रबंधन की दिशा में 'विश्वास एवं आपसी समझ बनाने' की दिशा में रणनीतिक मार्गदर्शन जारी किया गया।

● भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की विश्केक और महाबलीपुरम में मुलाकातों के बावजूद वर्ष 2019 में 497 बार LAC का उल्लंघन किया गया।

सीमा उल्लंघन के मामलों में वृद्धि का कारण:

● अधिकारियों का तर्क है कि अधिकतर LAC उल्लंघन के मामले इसलिये होते हैं क्योंकि दोनों देशों की सेनाएँ LAC का अपनी-अपनी धारणाओं के अनुसार, निर्धारण करके इस क्षेत्र में गश्त करने की कोशिश करती हैं।

आगे की राह:

● चीन, भारतीय सीमा के उल्लंघन के कदम, एशिया में भारत की बढ़ती प्रभावी स्थिति को चुनौती देने के लिये उठाता है। बदली हुई परिस्थितियों में भारत के लिये यह जरूरी हो गया है कि वह अन्य एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक और सामरिक सहयोग बढ़ाकर चीन की चुनौतियों का मुकाबला करे।

अमेरिका की 'ओपन स्काई संधि' से अलग होने की चेतावनी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका को 'ओपन स्काई संधि' (Open Skies Treaty-OST) से अलग करने की चेतावनी दी है।

प्रमुख बिंदु:

- अमेरिकी राज्य सचिव के अनुसार, अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है।
- ध्यातव्य है कि यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जाँच के लिये निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है, हालाँकि निगरानी उड़ान शुरू करने से एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में अमेरिका ने पश्चिमी देशों और रूस के बीच हुई मध्यम दूरी परमाणु बल संधि (Intermediate-Range Nuclear Forces-INF Treaty) से स्वयं को अलग कर लिया था।
- हालाँकि रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक यह संधि (OST) अस्तित्व में है वे संधि में निर्धारित अपने अधिकारों और दायित्वों का पालन करते रहेंगे।

संधि से अलग होने का कारण:

- अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, अमेरिका और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं परंतु जब तक रूस इस संधि (OST) का सही से पालन नहीं करता हम इस संधि से बाहर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बात की भी संभावना है कि हम एक नई संधि स्थापित करें या इस संधि में कुछ संशोधन कर इसे पुनः लागू कर लिया जाए।
- ◆ हालाँकि वर्तमान में अमेरिका इस संधि से अलग होने की बात कर रहा है परंतु रूस की अपेक्षा अमेरिका ने ही इस संधि ज्यादा लाभ उठाया है।
- ◆ एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2002-16 के बीच अमेरिका ने रूस की सीमा में 196 निगरानी उड़ानें भरी जबकि इसी दौरान रूस के द्वारा अमेरिकी सीमा में केवल 71 निगरानी उड़ानों का संचालन किया गया।
- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के अधिकारियों ने भी रूस पर अपने कुछ क्षेत्रों में निगरानी उड़ान की अनुमति न देने का आरोप लगाया है।

प्रभाव:

- पिछले वर्ष INF संधि से अलग होने और वर्तमान में OST से अलग होने की चर्चा के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अमेरिका फरवरी 2021 में समाप्त हो रही 'नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि' का पुनः नवीनीकरण नहीं करना चाहेगा।
- अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसी वर्ष अमेरिकी कॉंग्रेस के समक्ष चीन की बढ़ती परमाणु शक्ति के संदर्भ में अपनी चिंता जाहिर की थी।
- ◆ अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि यदि चीन को शामिल किये बगैर 'नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि' {New Strategic Arms Reduction Treaty-(START)} ऐसे ही जारी रहती है तो चीन अपने परमाणु हथियारों को दो गुना कर सकता है।
- ◆ 'नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि' को फरवरी 2011 में रूस और अमेरिका के बीच लागू किया गया था। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों में परमाणु और गैर-परमाणु हथियारों के विस्तार पर अंकुश लगाना था।
- ◆ एक अन्य अमेरिकी रक्षा अधिकारी के अनुसार, 'नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि' में सत्यापन से संबंधित गंभीर कमियाँ थी और अमेरिका हथियार नियंत्रण की एक नई व्यवस्था स्थापित करने का इच्छुक है, जिसमें चीन को भी शामिल किया जा सके।
- हाल के कुछ वर्षों में रूस और यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष के मामलों में वृद्धि देखी गई है, ऐसे में यदि इस संधि को समाप्त किया जाता है तो इससे सुरक्षा की दृष्टि से यूरोप के कुछ देशों की चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

आगे की राह:

- OST संधि के माध्यम से न सिर्फ सदस्य देशों के बीच संवाद बढ़ाने और तनाव कम करने में सफलता प्राप्त हुई बल्कि शीत युद्ध के बाद वैश्विक शांति बनाए रखने में भी इस संधि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
 - हाल के बदलते वैश्विक परिवेश में इस संधि की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ी है, ऐसे में आवश्यकता है कि संधि से जुड़े अन्य देशों के सहयोग से रूस और अमेरिका के बीच आपसी मतभेद को दूर कर इस संधि को और अधिक मजबूत किया जाए।
- ‘ओपन स्काई संधि’ (Open Skies Treaty-OST):**
- इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध के शुरूआती वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहावर (Dwight Eisenhower) ने प्रस्तुत की थी।
 - सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ‘जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश’ (George H.W. Bush) के प्रशासन के दौरान मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी (Helsinki) में इस संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
 - यह संधि वर्ष 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति ‘जॉर्ज डब्ल्यू. बुश’ (George W. Bush) के प्रशासन के दौरान प्रभाव में आई थी।
 - इस संधि में 34 हस्ताक्षरकर्ता देशों (अमेरिका और रूस सहित) को संधि में शामिल अन्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जाँच के लिये गैर-हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है।
 - इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना है।
 - इस संधि के अनुसार, किसी सदस्य देश पर निगरानी विमानों की उड़ान हेतु संबंधित देश को (निगरानी उड़ान के इच्छुक देश द्वारा) कम-से-कम 72 घंटे पूर्व इसकी सूचना दी जानी अनिवार्य है।
 - संधि की शर्तों के तहत कोई भी सदस्य देश 96 घंटे से अधिक की निगरानी उड़ान की अनुमति देने के लिये बाध्य नहीं होगा।
 - भारत इस संधि में नहीं शामिल है।

सोमालिया-केन्या समुद्री विवाद**चर्चा में क्यों ?**

COVID-19 महामारी के मद्देनजर, सोमालिया तथा केन्या के बीच समुद्री सीमा विवाद पर 8 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' (International Court of Justice- ICJ) में होने वाली सुनवाई स्थगित किये जाने की संभावना है।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 महामारी के कारण सोमालिया के दो बड़े मामलों, प्रथम केन्या के साथ समुद्री सीमा विवाद तथा द्वितीय वहाँ होने वाले सामान्य चुनावों को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जा सकता है।
- विवादित समुद्री क्षेत्र में ऊर्जा की व्यापक संभावना होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी मामले में रूचि ले रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे ने सोमालिया के दावे का समर्थन किया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने केन्या के दावे का समर्थन किया है।

समुद्री विवाद का कारण:

- सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। विवाद का मूल कारण दोनों देशों द्वारा महाद्वीपीय शेल्फ के आधार पर सामुद्रिक सीमा का निर्धारण है।
- दोनों देशों के मध्य लगभग 1,00,000 वर्ग किमी. क्षेत्र को लेकर विवाद है। इस क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं।

विवाद समाधान के प्रयास:

- वर्ष 2009 में दोनों देशों द्वारा एक 'समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किया गया। जिसके तहत दोनों देश 'महाद्वीपीय शेल्फ सीमा पर आयोग' (Commission on the Limits of the Continental Shelf-CLCS) को अलग-अलग दावों की प्रस्तुतियाँ पेश करने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि दोनों देश एक-दूसरे के दावों का विरोध नहीं करेंगे।

- दोनों देशों ने CLCS की सिफारिशों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समझौता खोजने के प्रति भी प्रतिबद्धता जाहिर की है।
- लेकिन वर्ष 2014 में सोमालिया विवाद समाधान के लिये मामले को 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' (ICJ) में ले गया जहाँ अक्टूबर 2019 में ICJ द्वारा मामले में सुनवाई 8 जून, 2020 तक के लिये स्थगित कर दी गई।

महाद्वीपीय शेल्व की सीमा पर आयोग (CLCS):

- 'महाद्वीपीय शेल्व सीमा पर आयोग' (CLCS), का कार्य 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) के कार्यान्वयन में मदद करना है।
- यह समुद्री आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील से आगे के महाद्वीपीय शेल्व के आधार पर महाद्वीपीय सीमाओं को निर्धारित करने हेतु सिफारिश करता है।
- आयोग में भू विज्ञान, भू भौतिकी, जल विज्ञान आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले 21 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों का चुनाव कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों द्वारा किया जाता है। सदस्यों का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि वे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

महाद्वीपीय शेल्व और 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र':

- 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' (Exclusive Economic Zone-EEZ) का निर्धारण आधार रेखा से 200 नॉटिकल समुद्री मील तक किया जाता है परंतु महाद्वीपीय शेल्व की लंबाई इससे अधिक हो तो समुद्री सीमा का निर्धारण महाद्वीपीय शेल्व के अनुसार किया जाता है।
- ◆ EEZ बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है।

निष्कर्ष:

- CLCS का कार्य उन तटीय राज्यों द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक और तकनीकी आँकड़ों पर विचार करना है, जहाँ महाद्वीपीय शेल्व की लंबाई 200 नॉटिकल मील से अधिक होने पर देशों के मध्य समुद्री सीमा को लेकर विवाद है।
- CLCS को समुद्री सीमाओं के परिसीमन करते समय बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करना चाहिये तथा समुद्री सीमा विवादों में शामिल सभी पक्षों की दलीलों पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिये।

G-7 समिट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 46वें G-7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

मूल रूप से, G-7 शिखर सम्मेलन की वार्षिक बैठक 10-12 जून, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप डेविड (Camp David) में आयोजित होने वाली थी।

G-7 में शामिल देश:

- G-7 फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का एक समूह है।
- यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में हुआ था।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये यह समूह वार्षिक बैठक करता है।
- वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G-7 को 'G- 8' के रूप में जाना जाता था।
- वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को सदस्य के रूप में इस समूह से निष्कासित किये जाने के बाद समूह को फिर से G-7 कहा जाने लगा।

शिखर सम्मेलन में भागीदारी

- इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और समूह के सदस्यों द्वारा इसकी मेज़बानी बारी-बारी से की जाती है। मेज़बान देश न केवल G-7 की अध्यक्षता करता है, बल्कि उस वर्ष के कार्य-विषय/एजेंडा का भी निर्धारण करता है।
- मेज़बान देश द्वारा वैश्विक नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये विशेष आमंत्रण दिया जाता है। चीन, भारत, मेक्सिको और ब्राज़ील जैसे देशों ने विभिन्न अवसरों पर इसके शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है।
- G-7 के शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता है।

चुनौतियाँ

- आंतरिक रूप से G-7 में असहमति के कई उदाहरण हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का टकराव।
- आलोचकों का मत है कि G-7 की छोटी और अपेक्षाकृत समरूप सदस्यता सामूहिक निर्णयन को तो बढ़ावा देती है, लेकिन इसमें प्रायः उन निर्णयों को अंतिम परिणाम तक पहुँचाने की इच्छाशक्ति का अभाव होता है और साथ ही इसकी सदस्यता से महत्वपूर्ण उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को वंचित रखना इसकी एक बड़ी कमी है।
- G-20 (जो भारत, चीन, ब्राज़ील जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है) के उभार ने G-7 जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले समूह को चुनौती दी है।

भारत और G-7 समूह

- 45वें G-7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी फ्रांस ने अगस्त 2019 में नौवेल्ले-एक्विटेन के बियारित्ज़ (Biarritz in Nouvelle-Aquitaine) में की।
- फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले चार भागीदार देशों (ऑस्ट्रेलिया, चिली, भारत और दक्षिण अफ्रीका); पाँच अफ्रीकी भागीदारों (बुर्किना फासो, सेनेगल, रवांडा एवं दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकी संघ आयोग (AUC) के अध्यक्ष) तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया था।
- G-7 के शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति से प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का बढ़ता महत्व चिह्नित होता है।

आगे की राह

- G-7 को आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और विभिन्न देशों के बीच आंतरिक संघर्ष जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देना चाहिये।
- एक मंच के रूप में इसे गरीबी और बीमारियों के उन्मूलन जैसे वैश्विक चिंताओं के समाधान को प्रतिबिंबित करना चाहिये।

उइगर मानवाधिकार विधेयक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका के 'प्रतिनिधि सभा' (House of Representatives) ने 'उइगर मानवाधिकार विधेयक' (Uighur Human Rights Bill) को मंजूरी दी है। विधेयक में ट्रंप प्रशासन से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई है जिनके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है।

प्रमुख बिंदु:

- विधेयक के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति को चीन में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली अपराध की निंदा करनी होगी तथा शिनजियांग प्रांत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में शिविरों को बंद करने की अपील करनी होगी।
- यह विधेयक वरिष्ठ चीनी अधिकारियों; जिनमें शिनजियांग कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव आदि शामिल हैं, के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान करता है।

विधेयक में शामिल अन्य प्रावधान:

- इस विधेयक के अनुसार, अमेरिका के राज्य सचिव को शिनजियांग प्रांत में पुनः शिक्षा और जबरन श्रम शिविरों में रखे गए लोगों की संख्या की जानकारी देनी होगी।
- विधेयक, उन प्रौद्योगिकी को चीन को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाता है जो चेहरे तथा आवाज के आधार पर व्यक्तिगत पहचान और निगरानी करने में उपयोग किया जा सकता है।

उइगर मुस्लिम (Uighur Muslim):

- उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग प्रांत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक हैं।
- चीन के शिनजियांग प्रांत में इनकी जनसंख्या तकरीबन 40 प्रतिशत है।
- संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के विशेषज्ञों के अनुसार, कम से कम 1 मिलियन उइगर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को शिनजियांग प्रांत के शिविरों में नजरबंद रखा गया है।

चीन का पक्ष:

- चीनी सरकार ने लगातार दावा किया है कि वह शिनजियांग प्रांत के शिविरों में लोगों को 'स्वैच्छिक शिक्षा' और 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' प्रदान कर रहा है।
- चीन ने उइगरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार संबंधित घटनाओं से इनकार किया है। चीन के अनुसार, वह उइगरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को इस्लामी चरमपंथ तथा अलगाववाद से बाहर लाने के लिये उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहा है।

अमेरिका का पक्ष:

- अमेरिका का मानना है शिनजियांग में आधुनिक नजरबंदी के शिविर हैं जहाँ होलोकॉस्ट (बड़े स्तर पर नरसंहार) के बाद इतने बड़े स्तर पर लोगों का दमन किया जा रहा है।
- अनेक लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार, शिविरों को उच्च सुरक्षा वाली जेलों के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें कठोर अनुशासन, दंड की व्यवस्था है तथा इन शिविरों से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है।

भारत का हित:

- अनेक मुस्लिम बहुसंख्यक देशों का मानना है कि भारत, चीन की 'मुस्लिम अल्पसंख्यक नीति' का खुलकर विरोध नहीं करता है, क्योंकि भारत खुद कश्मीर जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कठोर नीति को बढ़ावा दे रहा है।
क्यों लाया गया उइगर मानवाधिकार विधेयक ?
- हाल ही में चीन की संसद के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पर मसौदा प्रस्तुत किया गया था, जो पहली बार चीन की सरकार को हॉन्गकॉन्ग के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का मसौदा तैयार करने तथा इस 'विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अंगों को संचालित करने की अनुमति देता है।
- चीन के इस मसौदे को प्रस्तुत करने के बाद अमेरिकी संसद द्वारा हांगकांग में सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन को समर्थन देने वाले कानून को पेश किया गया।
- अमेरिकी संसद में हॉन्गकॉन्ग प्रदर्शन के समर्थन देने वाले कानून को पेश करने के बाद चीन ने प्रतिक्रिया में कहा था कि अमेरिकी सैन्य जहाजों और विमानों को हॉन्गकॉन्ग जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी साथ ही अमेरिका के कई 'गैर-सरकारी संगठनों' के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा भी की गई।

आगे की राह:

- विधेयक पर अभी सीनेट के अनुमोदन की आवश्यकता है, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिये भेज जाएगा। जहाँ राष्ट्रपति ट्रंप विधेयक पर हस्ताक्षर अथवा वीटो कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति को 120 दिनों के भीतर ज़िम्मेदार अधिकारियों की सूची बनाकर, उन पर कार्यवाही करनी होगी।
- उइगर मानवाधिकार विधेयक बिल के पारित होने के बाद चीन और अधिक मजबूत प्रतिक्रिया कर सकता है जिससे अमेरिका और चीन के मध्य विवाद और अधिक गहरा सकता है।

मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्राज़ील के मार्कोस ट्रायजो (Marcos Troyjo) को 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (New Development Bank- NDB) के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

प्रमुख बिंदु:

- NDB के वर्तमान अध्यक्ष केवी कामथ (KV Kamath) का पाँच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला है।
- भारत के अनिल किशोर को NDB के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (New Development Bank- NDB):

- यह BRICS देशों द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
- ◆ BRICS दुनिया की पाँच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये एक संक्षिप्त शब्द (Abbreviation) है।
- वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन में 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई थी तथा वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा में 6वें BRICS शिखर सम्मेलन (6th BRICS Summit at Fortaleza) में स्थापित किया गया था।
- NDB की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन डॉलर थी।
- NDB का मुख्यालय शंघाई, चीन में है।

संगठनात्मक संरचना:

- NDB के वर्तमान संगठनात्मक ढाँचे में 1 अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष तथा अन्य कुछ कार्यकारी सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।

NDB में मताधिकार प्रणाली:

- विश्व बैंक में जहाँ पूंजी शेयर के आधार पर देशों को मताधिकार प्राप्त होता है, के विपरीत 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' में प्रत्येक भागीदार देश को वर्तमान में समान मताधिकार है तथा किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है।
- NDB में शेयरधारिता एवं मताधिकार:

देश	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता (कुल का %)	मताधिकार (कुल का %)
ब्राज़ील	100,000	20	20
रूस	100,000	20	20
भारत	100,000	20	20
चीन	100,000	20	20
दक्षिण अफ्रीका	100,000	20	20
असूचीबद्ध शेयर	500,000	-	-
कुल योग	1000,000	100	100

फोर्टालेज़ा घोषणा (Fortaleza Declaration):

- फोर्टालेज़ा घोषणा में शीर्ष नेताओं द्वारा NDB के माध्यम से BRICS देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। सभी BRICS देशों द्वारा इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि NDB वैश्विक विकास में, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के पूरक के रूप में कार्य करेगा।

NDB का मुख्य कार्य क्षेत्र:

- स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएँ;
- परिवहन आधारित बुनियादी ढाँचा;
- सिंचाई, जल संसाधन प्रबंधन और स्वच्छता;
- सतत नगरीय विकास;
- आर्थिक सहयोग और एकीकरण।

NBD द्वारा वित्तपोषित भारत के प्रमुख प्रोजेक्ट:

प्रोजेक्ट का नाम	ऋण / निवेश / देयता राशि	लक्ष्य क्षेत्र
'राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड' (NIIF)	100 मिलियन डॉलर	बहु-क्षेत्रक
मुंबई नगर परिवहन परियोजना	500 मिलियन डॉलर	नगरीय परिवहन
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की विकास परियोजना	300 मिलियन डॉलर	स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास
मणिपुर जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	312 मिलियन डॉलर	300 मिलियन डॉलर

NBD की सामान्य रणनीति (NBD's General Strategy):

- 30 जून 2017 को, न्यू डेवलपमेंट बैंक के 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' (BoG) द्वारा वर्ष 2017-2021 के लिये बैंक के सामान्य रणनीति दस्तावेज को मंजूरी दी गई।
- बैंक की सामान्य रणनीति यह बताती है कि NDB, बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के पूरक के रूप में, विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे तथा सतत विकास परियोजनाओं के लिये संसाधन जुटाने में कैसे भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष:

- NDB की स्थापना एक वैश्विक विकास वित्त संस्थान के रूप में हुई थी। आगे भविष्य में इसकी सदस्यता BRICS देशों के अलावा अन्य देशों तक विस्तारित की जाएगी। नवीन सदस्यों के NDB में शामिल होने से बैंक की वैश्विक पहुँच मजबूत होगी तथा क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा।

एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों:

हाल ही में 'एशियाई विकास बैंक' (Asian Development Bank- ADB) और भारत ने महाराष्ट्र में सड़कों के सुधार के लिये 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि ADB द्वारा प्रदत्त इस ऋण की मदद से महाराष्ट्र के 2 प्रमुख जिलों की सड़कों, 450 किलोमीटर के 11 राज्यमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय सड़कों, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जिला मुख्यालय, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की सड़कों में सुधार किया जाएगा।
- महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि सड़कों के डिजाइन, योजना और सड़क सुरक्षा पर कार्य करते समय उन्हें जलवायु परिवर्तन और आपदा के अनुकूल निर्मित किया जा सके।

उद्देश्य:

- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों में सुधार कर ग्रामीण लोगों को बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएँ उपलब्ध कराना।

- राज्य के प्रमुख शहरों और कस्बों तक बेहतर आवागमन का विस्तार करना जिससे विकास और आजीविका के अवसर में वृद्धि हो सके। उल्लेखनीय है कि ऐसे उपाय लोगों की आय में असमानता को कम करने में सहायक साबित हो सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के माध्यम से सड़क सुरक्षा हेतु एक रूप-रेखा तैयार करना। इस रूप-रेखा से सड़क दुर्घटना में कम आएगी।
- ADB द्वारा प्रदत्त इस ऋण का उद्देश्य सड़कों की रख-रखाव प्रणाली में सुधार भी करना है।
ADB के अन्य वित्तीय सहयोग:
- गौरतलब है कि पूर्व में एशियाई विकास बैंक द्वारा COVID-19 से निपटने हेतु भारत को 2.2 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया है।
- COVID-19 के मद्देनजर ADB ने भारत सहित विकासशील सदस्य देशों की आपातकालिक जरूरतों को पूरा करने हेतु लगभग 6.5 बिलियन डॉलर के प्रारंभिक पैकेज की घोषणा की है।

भारत और चीन के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत-चीन सीमा पर उत्पन्न गतिरोध के मद्देनजर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control- LAC) पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर पहली बार अमेरिका ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है।
- कुछ महीने पहले भी अमेरिका ने कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया था।
- भारत ने यह कहते हुए अपनी स्थिति साफ कर दी थी कि इस मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच 'व्यापार तथा COVID-19 की उत्पत्ति' जैसे मुद्दों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है।
- ◆ हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि यदि चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया जाता है तो चीन पर प्रतिबंध लगा जा सकता है।

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में भारत और चीन के बीच 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' पर तनाव की स्थिति है, जिनमें पेंगोंग त्सो (Pangong Tso), गैलवान घाटी (Galwan Valley), सिक्किम के 'नाकु ला' (Naku La) और डेमचोक (Demchok) शामिल हैं।
- चीन द्वारा सेना को युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने और देश की संप्रभुता का पूरी तरह से बचाव करने के आदेश के बाद से दोनों देशों के बीच 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' पर तनाव बढ़ गया था।
- चीन के इस रवैये के पश्चात् भारत ने लद्दाख, उत्तर सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।
- अब तक लद्दाख में भारतीय और चीनी सैन्य कमांडरों के बीच कम-से-कम छह दौर की वार्ता असफल हो चुकी हैं।

भारत का पक्ष:

- अमेरिका द्वारा दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हेतु की गई पेशकश को भारत ने तीसरा पक्ष करार देते हुए अस्वीकार किया है।
- भारत शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को हल करने के लिये उच्च स्तरीय बैठकें कर रहा है।

चीन का पक्ष:

- चीन ने साफ किया है कि दोनों देश द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से गतिरोध का समाधान करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि भारत के साथ सीमा पर स्थिति 'समग्र स्थिर और नियंत्रण' में है।

भारत-चीन का राजनीतिक संबंध:

- भारत ने 1 अप्रैल, 1950 को चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किये थे और इसी के साथ भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर-समाजवादी देश बन गया था।
- वर्ष 1962 में भारत और चीन के मध्य सीमा संघर्ष की शुरुआत दोनों देशों के संबंधों के लिये एक गहरा झटका था।
- वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की यात्रा ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वर्तमान संदर्भ में बात करें तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य समय-समय पर द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ-साथ अनौपचारिक सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि दोनों देश अपने दीर्घकालिक हितों को लेकर सजग हैं।

आगे की राह:

- दोनों देशों को सीमा पर उत्पन्न गतिरोध को द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से हल करना चाहिये क्योंकि सीमा संबंधी विवाद पर किसी तृतीय पक्ष की मध्यस्थता से संबंधों में कड़वाहट आने की संभावना होती है।

पश्तून क्षेत्र की भू-राजनीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अफगानिस्तान में अमेरिकी विशेष दूत (US Special Envoy for Afghanistan) द्वारा भारत से तालिबान के साथ राजनीतिक वार्ता करने का आह्वान किया तथा तालिबान ने भी भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने के संकेत दिये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभावी नियंत्रण वाले क्षेत्रों का विस्तार हुआ है।
- अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में अपनी सेनाओं में कमी करने की योजना की घोषणा तथा तालिबान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, तालिबान की भूमिका में लगातार वृद्धि हुई है।
- भारत को तालिबान से बातचीत के स्थान पर पश्तून क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी उपमहाद्वीप की भू-राजनीति को निर्धारित करने में यह प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

भारत की क्या भूमिका हो ?

- तालिबान के साथ भारत के जुड़ाव के संबंध में दो स्पष्ट विचारधाराएँ देखने को मिल रही हैं। एक वे जो तालिबान से भारत के जुड़ाव का समर्थन करते हैं, उनका मानना है कि भारत को दिल्ली-अफगान राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिये।
- जबकि तालिबान से भारत के जुड़ाव का विरोध करने वालों का मानना है कि भारत को तालिबान से संबंध स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- इसलिये तालिबान के साथ एक संवाद स्थापित करना एक सामरिक मुद्दा है। जिसमें संवाद के जुड़ी अनेक शर्तों का ध्यान रखना होगा।

पश्तून के महत्त्व को निर्धारित करने वाले मुद्दे:

- कई जातीय समूहों के बीच एकता का निर्माण करना
 - ◆ अफगानिस्तान में कई नृजातीय समूह हैं, अतः सभी के हितों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
 - ◆ अफगानिस्तान के बड़े अल्पसंख्यक समूहों में ताजिकों की (Tajiks) 27%, हज़ारा (Hazaras) 9% तथा उज़्बेकों (Uzbeks) की जनसंख्या 9% हैं।

- ◆ अपनी नृजातीय भिन्नता के कारण काबुल विगत चार दशकों से आंतरिक असंतुलन का सामना कर रहा है। इस प्रकार यदि काबुल में तालिबान प्रमुख राजनीतिक भूमिका निभाता है तो यह समस्या और तीव्र हो सकती है।
- तालिबान और अन्य अल्पसंख्यकों के बीच संबंध:
 - ◆ वर्ष 1990 के दशक के 'पश्तून स्वायत्त क्षेत्र' के गठन की मांग के दौरान तालिबान एक प्रमुख शक्ति था जिसने क्षेत्र के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का बहुत अधिक दमन किया।
 - ◆ पश्तून क्षेत्र में तालिबान अभी तक अन्य अल्पसंख्यकों का विश्वास नहीं जीत पाया है।
- अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका:
 - ◆ पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा के कारण अफगानिस्तान में आंतरिक संतुलन बनाने में बाधा आती है। पाकिस्तान, ब्रिटिश राज के समान अफगानिस्तान पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है।
 - ◆ लेकिन वर्तमान में पाकिस्तानी सेना के लिये अफगानिस्तान में प्रभुत्व स्थापित करना आसान कार्य नहीं है।

पाकिस्तान में पश्तून अल्पसंख्यकों की स्थिति:

- पश्तून की आबादी अफगानिस्तान में लगभग 15 मिलियन और पाकिस्तान में 35 मिलियन होने का अनुमान है।
- पाकिस्तान में पश्तून अलगाववादी आंदोलन लंबे समय तक प्रमुख शक्ति के रूप में प्रभावी रहा है तथा पाकिस्तान में पश्तून का मुद्दा फिर से एक अलग रूप में सामने आ सकता है।
- पाकिस्तान को इस बात का डर है कि तालिबान पश्तून राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे सकता है तथा इससे उसके हित प्रभावित हो सकते हैं।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि काबुल डूरंड रेखा को इस शर्त पर मान्यता प्रदान करने को सहमत हुआ था कि पहले इस्लामाबाद को अपने सीमा-क्षेत्र में रह रहे पश्तून लोगों को स्वायत्ता प्रदान करनी होगी।

पश्तूनिस्तान में भारत की भूमिका:

- भारत ने कूटनीतिक तरीके से बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान (Pashtunistan) तथा पूर्वी पाकिस्तान की भू-राजनीति का उपयोग पाकिस्तान को चुनौती देने में करता आया है।
- भारत डूरंड रेखा के चारों ओर एक सामरिक संतुलन को बनाकर क्षेत्र में शांति-व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है।

निष्कर्ष:

- अफगानिस्तान सीमाओं पर पाकिस्तान द्वारा व्यापक सैन्य और राजनीतिक निवेश के बावजूद पाकिस्तान की पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान नहीं हो पाया है। यदि अफगानिस्तान-पाकिस्तान के 'पश्तून आंदोलन' फिर से प्रभावी होता है तो इससे भारत के हित भी प्रभावित हो सकते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology-DST) के तहत नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन (National Council for Science & Technology Communication-NCSTC) ने COVID-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कार्यक्रम 'ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ' (Year of Awareness on Science & Health-YASH) की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम के तहत COVID-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिये आपातकालीन तैयारियों और आवश्यक कार्यों को संपन्न करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और मीडिया संस्थानों को शामिल करने की रणनीतियाँ तैयार की गई हैं।
- कार्यक्रम के तहत जोखिमों को संप्रेषित करने और जोखिम प्रबंधन के बारे में बताने के लिये प्रामाणिक वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य सूचनाओं के अनुवाद और उपयोग की भी योजना बनाई गई है।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान वैश्विक महामारी के परिदृश्य में चारों ओर चिंताएँ और चुनौतियाँ पैदा हो गई हैं, जिसके कारण वैज्ञानिक नवाचारों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है।

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की धारणाओं का आकलन करना, सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और जोखिम से संबंधित पारस्परिक संचार प्रक्रियाओं में भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन संचार गतिविधियों की मदद से सभी स्तरों पर जोखिम को कम करना भी है।
 - ◆ साथ ही कार्यक्रम के तहत सामुदायिक देखभाल के लिये लोगों के मध्य विज्ञान की सामान्य समझ को बढ़ाने और व्यक्तिगत स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग, वांछित सामूहिक व्यवहार को बनाए रखने आदि स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर जोर दिया जाएगा।
- इस कार्यक्रम में जोखिम के भय को कम करना, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना और जनता तथा समाज के बीच वैज्ञानिक संस्कृति के पोषण हेतु आवश्यक समझ के साथ-साथ विश्वास निर्माण के लिये सूचना प्रसार तंत्र विकसित करना भी शामिल है।
- यह कार्यक्रम परंपरा एवं स्वदेशी ज्ञान के साथ कार्य करने वाले लक्षित समूहों के बीच जोखिम को समझ को बेहतर करेगा।
- यह जोखिम और इससे संबंधित चुनौतियों, समाधानों और इस परिस्थिति से जूझने वाले लोगों में साहस तथा आत्मविश्वास पैदा करने के साथ ही लक्षित समूहों के व्यवहार में परिवर्तन लाएगा।
- साथ ही यह सामुदायिक नेताओं, डॉक्टरों, धार्मिक नेताओं के साथ कार्य संबंध को बेहतर करेगा। इसके अलावा यह गलत धारणाओं, गलत विश्वासों को स्पष्ट करने और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा विधिवत प्रमाणित ज्ञान के आधार पर प्रथाओं को पेश करने की क्षमता में सुधार लाएगा और आम लोगों के मध्य समाधान एवं सेवा प्रदाताओं की वैज्ञानिक दक्षता में भरोसा पैदा करेगा।

लाभ

- यह कार्यक्रम स्वास्थ्य के संबंध में जमीनी स्तर पर बेहतरी और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिये एक व्यापक एवं प्रभावी विज्ञान एवं स्वास्थ्य संचार प्रयास है।
- साथ ही यह बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन को बचाने और उसे बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह लोगों में आत्मविश्वास पैदा करेगा, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाएगी और उनके बीच स्वास्थ्य के प्रति सजगता को भी बढ़ावा देगा।

- इस कार्यक्रम से क्षमता निर्माण करने, सभी हितधारकों को शामिल करने और समुदायों में जागरूकता की भावना विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे लोगों को विश्लेषण के योग्य बनाया जा सकेगा, लोगों के व्यवहार में बदलाव आएगा और वे स्वास्थ्य सेवा एवं उससे संबंधित जोखिम के बारे में सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने में समर्थ होंगे।

मणिपुर के काले चावल तथा गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मणिपुर के चाक-हाओ (Chak-Hao) अर्थात काले चावल तथा गोरखपुर टेराकोटा को 'भौगोलिक संकेतक' (Geographical Indication- GI) का टैग दिया गया।

मुख्य बिंदु:

- चाक-हाओ को GI टैग प्रदान करने के लिये 'चाक-हाओ उत्पादक संघ' (Consortium of Producers of Chak-Hao) द्वारा आवेदन दायर किया गया था। जबकि गोरखपुर टेराकोटा के लिये आवेदन उत्तर प्रदेश के 'लक्ष्मी टेराकोटा मुर्तिकला केंद्र', द्वारा दायर किया गया था।
- GI रजिस्ट्री के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इन दोनों उत्पादों GI टैग देने की पुष्टि की है।

चाक-हाओ (Chak-Hao):

- चाक-हाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है।
- इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाक-हाओ की खीर बनाई जाती है।
- चाक-हाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है।
- चावल की इस किस्म में रेशेदार फाइबर की अधिकता होने के कारण इसे पकाने में चावल की सभी किस्मों से अधिक, लगभग 40-45 मिनट का समय लगता है।
- वर्तमान में मणिपुर के कुछ हिस्सों में चाक-हाओ की पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है। परंपरागत रूप से या तो बीजों को भिगोकर सीधे खेतों में बुवाई की जाती है या चावल की सामान्य कृषि के समान धान के खेतों में नर्सरी में उगाए गए चावल के पौधों की रोपाई की जाती है।

मणिपुर के अन्य GI टैग

भौगोलिक संकेत	प्रकार
शफी लांफी (Shaphee Lanphee)	टेक्सटाइल
वांग्खी फेई (Wangkhei Phee)	टेक्सटाइल
मोइरांग फेई (Moirang Phee)	टेक्सटाइल
कछई नींबू (Kachai Lemon)	कृषि

गोरखपुर टेराकोटा (Gorakhpur Terracotta):

- गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है जिसमें जहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊँट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियाँ बनाई जाती हैं।
- पूरा काम नग्न हाथों से किया जाता है तथा रंगने के लिये प्राकृतिक रंग का उपयोग करते हैं, जिसकी चमक लंबे समय तक रहती है। 1,000 से अधिक प्रकार के टेराकोटा के प्रकार यहाँ बनाए जाते हैं।

स्थिरवैद्युत कीटाणुशोधन प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों ?

‘वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद’ (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) की एक इकाई ‘केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन’, (Central scientific instruments organization-CSIO) चंडीगढ़ ने कीटाणुशोधन और स्वच्छता की एक नवीन तकनीक को विकसित किया है।

मुख्य बिंदु:

- ‘स्थिरवैद्युत कीटाणुशोधन मशीन’ (Electrostatic Disinfection Machine- EDM) को ‘स्थिरवैद्युत सिद्धांत’ (Electrostatic Principle) के आधार पर विकसित किया गया है।
- वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को COVID- 19 महामारी तथा अन्य रोगाणुओं के प्रसार को रोकने में बहुत अधिक प्रभावी पाया है।
- CSIR-CSIO ने व्यावसायीकरण तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये इस तकनीक को नागपुर की एक कंपनी को हस्तांतरित किया है।

स्थिरवैद्युत कीटाणुशोधन:

- स्थिरवैद्युत कीटाणुशोधन प्रक्रिया में आवेशित कणों का सतह पर छिड़काव किया जाता है।
- स्थिरवैद्युत कीटाणुशोधन छिड़काव प्रक्रिया में विशेष प्रकार के विलयन का उपयोग करता है जो स्प्रेयर (Spray) के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोड की मदद से हवा के साथ संयुक्त होकर विशेष प्रकार के परमाणुओं (Atoms) का निर्माण करता है।
- विलयन में धनात्मक आवेशित कण होते हैं अतः वे किसी भी सतह की ओर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं तथा सतह को साफ करते हैं।

EDM की कार्यप्रणाली:

- यह सूक्ष्मजीवों तथा वायरस को खत्म करने के लिये कीटाणुनाशक की 10-20 माइक्रोमीटर आकार की समान और बारीक बूंदों का उत्पादन करता है।
- बूंदों का आकार होने के कारण इन बूंदों का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे हानिकारक सूक्ष्मजीवों और कोरोना वायरस के साथ बूंदों का संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है तथा ये बूंदें वायरस को खत्म कर देती हैं।
- ◆ यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि किसी भी सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है।

EDM की विशिष्टता:

- यह मशीन पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत कम कीटाणुशोधन सामग्री का उपयोग करती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद मिलती है तथा पर्यावरण में रासायनिक अपशिष्ट की वृद्धि भी नहीं के बराबर होती है।

स्वच्छ भारत मिशन (Swasth Bharat Mission):

- यह तकनीक लोगों के जीवन शैली तथा आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी होने के कारण भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से प्रत्यक्षतः जुड़ी है।

असमान द्रव्यमान वाले दो ब्लैक होल का पहला विलय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO) में स्थित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं के द्वारा दो असमान-द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के विलय का पहली बार पता लगाया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह पहली ऐसी खोज है जिसमें असमान द्रव्यमान के दो ब्लैक होल शामिल हैं।
- इस घटना को GW190412 नाम दिया गया है। इस घटना का पता वर्ष 2019 में लगाया गया था।

- लगभग 5 वर्ष पहले LIGO स्थित गुरुत्वाकर्षण वेधशाला ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था।
- इन दोनों ब्लैक होल का द्रव्यमान क्रमशः 8 सौर द्रव्यमान (Solar Mass) और 30 सौर द्रव्यमान था।
 - ◆ सौर द्रव्यमान का तात्पर्य सूर्य के द्रव्यमान से है जो कि 2×10^{30} किलोग्राम होता है।
 - ◆ यह खगोल विज्ञान में द्रव्यमान की एक मानक इकाई है।
- दोनों ब्लैक होल के विलय की खोज लगभग 2.5 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर की गई।

खोज का महत्त्व:

- इससे कई और चीजों का पता लगाना संभव हो जाएगा। जैसे-
 - ◆ घटना से दूरी का अधिक सटीक निर्धारण।
 - ◆ अधिक द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की कोणीय गति, आदि सामान्य सापेक्षता की भविष्यवाणी के साथ सत्यापन:
- यह अवलोकन एक बार फिर आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि करता है, जो उच्च आवृत्तियों के हार्मोनिक्स (Harmonics) के अस्तित्व की भविष्यवाणी करता है।
 - ◆ सामान्य सापेक्षता, जिसे सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित गुरुत्वाकर्षण का ज्यामितीय सिद्धांत है।
- समान द्रव्यमान और असमान द्रव्यमान के द्विआधारी ब्लैक होल के मध्य अंतर:
 - गुरुत्वाकर्षण तरंगों का प्रमुख उत्सर्जन समान द्रव्यमान के द्विआधारी (Binary) ब्लैकहोल की कक्षीय आवृत्ति से दोगुना होता है और यह नगण्य है।
 - असमान द्रव्यमान वाले द्विआधारी ब्लैकहोल में उत्सर्जन एक आवृत्ति पर होता है जो कक्षीय आवृत्ति का तीन गुना होता है।
 - ◆ कक्षीय आवृत्ति, घूर्णन दर (Rotation Rate) का मापक होता है।
 - इसके अलावा, असमान ब्लैक होल के विलय में, अधिक बड़े ब्लैक होल का चक्रण (Spin) सिग्नल तरंग में अतिरिक्त सुविधाओं से निर्धारित किया जा सकता है।
 - ◆ भारी ब्लैक होल का चक्रण, द्विआधारी की गतिशीलता में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्ज़र्वेटरी (LIGO):

- LIGO दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित LIGO के दो व्यापक अलग-अलग इंटरफेरोमीटर हैं - एक हैनफोर्ड, वॉशिंगटन में और दूसरा लिविंग्स्टन, लुइसियाना में - जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिये संयुक्त रूप से संचालित होते हैं।
- इसके माध्यम से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में दिक्-काल आयाम में पदार्थों की गति को भी समझ पाते हैं, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान में सहायक होगा।
 - ◆ भविष्य में पृथ्वी से संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है।

ब्लैक होल (Black Hole):

- ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी भौतिकविद् जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक के मध्य में किया था।
- ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन नहीं होता।
- चूँकि इनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, अतः हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, वे अदृश्य होते हैं।
- हालाँकि विशेष उपकरणों से युक्त अंतरिक्ष टेलिस्कोप की मदद से ब्लैक होल की पहचान की जा सकती है।
 - ◆ ये उपकरण यह बताने में भी सक्षम हैं कि ब्लैक होल के निकट स्थित तारे अन्य प्रकार के तारों से किस प्रकार भिन्न व्यवहार करते हैं।

भारत में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

चर्चा में क्यों ?

'राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण' 2018 पर आधारित 'अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी तथा संकेतक' 2019-20 के अनुसार, अनुसंधान एवं विकास (Research and Development- R&D में भारत का सकल व्यय वर्ष 2008 से 2018 के बीच बढ़कर तीन गुना हो गया है।

मुख्य बिंदु:

- यह सर्वेक्षण 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology- DST) के तहत आने वाले 'राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली' (National Science and Technology Management Information- NSTMIS) के अंतर्गत किया गया है।

अनुसंधान और विकास पर व्यय:

- अनुसंधान और विकास में भारत का सकल व्यय वर्ष 2008 से 2018 के दौरान बढ़कर लगभग तीन गुना हो गया है।
- देश में अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय (Gross Expenditure on Research and Development- GERD) वित्तीय वर्ष 2007-08 के 39,437.77 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1,13,825.03 करोड़ रुपए हो गया है।
- भारत का प्रति व्यक्ति R&D व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 में 29.2 डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में बढ़कर 47.2 डॉलर हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ब्रिक्स देशों में भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) का 0.7% ही अनुसंधान और विकास पर व्यय किया, जबकि अन्य देशों में ब्राजील ने 1.3%, रूसी संघ ने 1.1%, चीन ने 2.1% और दक्षिण अफ्रीका ने 0.8% खर्च किया।

बाह्य (Extramural) अनुसंधान और विकास को समर्थन:

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' ने कुल बाह्य अनुसंधान और विकास के समर्थन में क्रमशः 63% का योगदान दिया।
- ◆ बाह्य (Extramural) अनुसंधान में किसी संस्थागत इकाई द्वारा इकाई की सीमा से बाहर किये गए सभी अनुसंधान एवं विकास व्यय शामिल होते हैं।
- सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रारंभ की गई कई पहलों के कारण बाहरी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
- देश में फैले अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों में लगभग 5.52 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं।

शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि:

- भारत में प्रति मिलियन आबादी पर शोधकर्ताओं की संख्या वर्ष 2000 में 110 बढ़कर वर्ष 2017 में 255 हो गई है।
- भारत में विज्ञान और अभियांत्रिकी (Science and Engineering) में पीएचडी प्राप्त करने वाले लोहों की संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रति शोधकर्ता भारत का अनुसंधान और विकास व्यय 185 रूस, इजराइल, हंगरी, स्पेन और ब्रिटेन से कहीं अधिक था।

वैज्ञानिक प्रकाशन में तीसरा स्थान:

- भारत वैज्ञानिक प्रकाशन वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गया है
- भारत में वैज्ञानिक प्रकाशन की वृद्धि दर क्रमशः 8.4% है जबकि विश्व का औसत क्रमशः 1.9% है।

पेटेंट फाइलिंग:

- विश्व में निवासी पेटेंट फाइलिंग गतिविधि के मामले में भारत 9 वें स्थान पर है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में कुल 47,854 पेटेंट दर्ज किये गए थे। जिसमें से 15,550 (32 प्रतिशत) पेटेंट भारतीयों द्वारा दायर किये गए थे।
- 'विश्व बौद्धिक संपदा संगठन' (World Intellectual Property Organization- WIPO) के अनुसार, भारत का पेटेंट कार्यालय विश्व के शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में 7 वें स्थान पर है।

एसएन 2010 केडी**चर्चा में क्यों ?**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology -DST) के अधीन नैनीताल स्थित स्वायत्त अनुसंधान संस्थान 'आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेज' (Aryabhata Research Institute of Observational Sciences- ARIES) के शोधकर्ताओं द्वारा पाया गया कि एक अत्यधिक चमकदार सुपरनोवा जिसे 'एसएन 2010 केडी' (SN 2010kd) नाम दिया गया, जिससे विस्फोट के दौरान पर्याप्त द्रव्यमान के साथ निकेल भी बाहर निकला है। ऐसा सामान्यतः सुपरनोवा के कोर विघटन के समय ही देखा जाता है।

सुपरनोवा:

- खगोलविदों के अनुसार जब एक तारा अपना जीवन चक्र समाप्त करते हुए अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है तो वह एक तीव्र विस्फोट के साथ समाप्त होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है।
- सुपरनोवा विस्फोट के दौरान काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है।
- यह ऊर्जा बड़े पैमाने पर तारे के कोर में हुए विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है जो कि सूर्य के द्रव्यमान से कई गुणा अधिक होती है।
- अत्यधिक चमकदार सुपरनोवा एसएन 2010 केडी में यह विस्फोट मानक/सामान्य सुपरनोवा की तुलना में 10 गुना अधिक अथवा कहीं अधिक ऊर्जा पैदा करने वाला है।

एसएन 2010 केडी (SN 2010kd):

- एसएन 2010 केडी लगभग 1.5 गीगा प्रकाश-वर्ष (1.5 Giga light-years) की दूरी पर स्थित है।
- इसकी खोज 14 नवंबर, 2010 में अमेरिका की 'रोटसे सुपरनोवा सत्यापन परियोजना' (ROTSE Supernova Verification Project) के तहत 'रोबोटिक ऑप्टिकल ट्रांसिएंट सर्च एक्सपेरिमेंट' (Robotic Optical Transient Search Experiment- ROTSE-IIIb) दूरबीन द्वारा की गई।
- यह सिंह नक्षत्र की तरफ एक बौनी आकाशगंगा (Dwarf Galaxy) में स्थित था।
- अत्यधिक चमकदार सुपरनोवा एसएन 2010 केडी से उत्सर्जित द्रव्यमान से पता चलता है कि इसका विकास सामान्य कोर-विघटन सुपरनोवा के अन्य संभावित अपने पूर्व के सुपरनोवा से अलग/भिन्न हो सकता है क्योंकि इसके द्वारा विस्फोट के लिये ज़िम्मेदार विभिन्न अंतर्निहित भौतिक तंत्र (Underlying Physical Mechanism) के कारण द्रव्यमान के साथ निकेल का भी उत्सर्जन किया गया।
- यह विस्फोट एक सामान्य सुपरनोवा के विस्फोट से काफी तीव्र था लेकिन यह अन्य सुपरनोवा के समान ही धीरे-धीरे शांत हुआ।

वैज्ञानिकों द्वारा अवलोकन:

- इस सुपरनोवा के लिये रोस्टे IIIबी एवं 1.04 मीटर सम्पूर्णानंद टेलीस्कोप से प्राप्त किये गए डेटा का लाइट-कर्व मॉडलिंग विश्लेषण किया गया साथ ही 8-10 मीटर श्रेणी के ऑप्टिकल दूरबीन का उपयोग करते हुए डेटा का स्पेक्ट्रल मॉडलिंग विश्लेषण किया।
- प्राप्त किये डेटा की तुलना एसएन 2010 केडी के आस-पास समान दूरी पर स्थित लगभग अन्य आधा दर्जन ज्ञात सुपरनोवा के साथ की गई।
- वैज्ञानिक निरीक्षण से पता चलता है कि घूर्णन और धक्कता जैसे मानदंड तारकीय विस्फोटों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इसके अलावा यह बात भी सामने आई कि पहले से ज्ञात सुपरनोवा की तुलना में एसएन 2010 केडी की मेज़बान आकाशगंगाओं में विभिन्न प्रकार के अन्य संभावित पूर्वज मौजूद रहे हैं।

आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेस-

- 20 अप्रैल, 1954 में नैनीताल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया।
- यह देश में खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान से संबंधित एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है।
- इस संस्थान द्वारा तीन दूरबीनों 104 सेमी, 130 सेमी और 3.6-mDOT की मेज़बानी की जाती है। इनके अलावा संस्थान के पास सौर अवलोकन के लिये समर्पित एक अन्य 15 सेमी. की दूरबीन भी है।

कश्मीरी केसर को GI टैग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कश्मीरी केसर को 'भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री' (Geographical Indications Registry) द्वारा 'भौगोलिक संकेतक' (Geographical Indication- GI) का टैग प्रदान किया गया।

मुख्य बिंदु:

- जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा कश्मीरी केसर को GI टैग प्रदान करने के लिये आवेदन दायर किया गया था।
- कश्मीरी केसर का सुगंधित मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, साथ ही इसमें औषधीय गुण होते हैं।

केसर कृषि का प्रारंभ:

- ऐसा माना जाता है कि केसर की खेती को कश्मीर में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशियाई प्रवासियों द्वारा शुरू किया गया था।
- प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को 'बहुकम (Bahukam) कहा गया है।

कश्मीरी केसर की विशेषताएँ:

- विश्व स्तर पर कश्मीर केसर को मसाले के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। केसर का पारंपरिक कश्मीरी व्यंजनों में प्रयोग किया जाता रहा है तथा यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।
- सौंदर्य प्रसाधन और औषधीय प्रयोजन में भी इसे काम में लिया जाता है।
- कश्मीरी केसर गहरा लाल रंग का, उच्च सुगंध युक्त, कड़वा स्वाद वाला होता है।

कृषि क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएँ:

- कश्मीरी केसर की खेती कश्मीर के कुछ क्षेत्रों; जिनमें पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर शामिल हैं, में की जाती है।
- यह दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जिसकी खेती समुद्र तल से 1,600 से 1,800 मीटर की ऊँचाई पर खेती की जाती है। विश्व में कश्मीरी केसर ही एक मात्र ऐसा केसर है जिसे इतनी ऊँचाई पर उगाया जाता है।
- केसर की खेती विशेष प्रकार की 'करेवा' (Karewa) मिट्टी में की जाती है।

करेवा (Karewa):

- करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोढ़ उपस्थित होते हैं।
 - यह जम्मू-कश्मीर में पीरपंजाल श्रेणियों की ढालों में 1,500 से 1,850 मीटर की ऊँचाई पर मिलते हैं।
- केसर के प्रकार:
- कश्मीरी केसर तीन प्रकार का होता है; लच्छा केसर (Lachha Saffron), मोंगरा केसर (Mongra Saffron) तथा गुच्छी केसर (Guchhi Saffron)।

आर्थिक महत्त्व:

- कश्मीरी केसर एक बहुत ही कीमती और महँगा उत्पाद है। ईरान केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत केसर उत्पाद में ईरान का करीबी प्रतियोगी है। GI टैग मिलने से कश्मीरी केसर को निर्यात बाज़ार में मदद मिलेगी।

जम्मू कश्मीर (संयुक्त) के अन्य GI टैग:

कश्मीरी पश्मीना:

- पश्मीना जो लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले बकरे से प्राप्त पश्म (Pashm; एक प्रकार का फाइबर) से निर्मित टेक्सटाइल है।
- कानी शॉल (Kani Shawls):
- हस्त निर्मित शॉल

कश्मीरी सोज़नी:

- हस्त निर्मित शॉल

एक-आयामी द्रव सिमुलेशन कोड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान (Indian Institute of Geomagnetism-IIG) के शोधकर्ताओं ने 'एक-आयामी द्रव सिमुलेशन कोड' (One Dimensional Fluid Simulation Code) विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह शोध कार्य 'फिज़िक्स ऑफ़ प्लाज़्माज़' (Physics of Plasmas) पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।
- यह सिमुलेशन कोड पृथ्वी के चुंबकीयमंडल में विद्युत क्षेत्र की संरचना तथा उसकी बनावट का अध्ययन करने में मदद प्रदान करेगा।
- दरअसल पृथ्वी का चुंबकीयमंडल एक ऐसा विशाल क्षेत्र है, जिससे सीमित संख्या में उपग्रह गुजरते हैं। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का अवलोकन सीमित तथा अलग-अलग है।
- गौरतलब है कि शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इस नए सिमुलेशन कोड की मदद से उपग्रह के चारों ओर प्लाज़्मा के निर्मित होने के पीछे के विज्ञान को अच्छी तरह से समझा जा सकता है।
- जब उपग्रह किसी एक पर्यवेक्षण क्षेत्र से दूसरे में प्रवेश करते हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान एक ऐसा विशाल अज्ञात क्षेत्र निर्मित होता है जिसका पर्यवेक्षण संभव नहीं होता है।
- इस अज्ञात क्षेत्र में प्लाज़्मा संबंधी प्रक्रियाओं और उनका संरचना विज्ञान तथा स्थान एवं समय के साथ उनमें आने वाले बदलावों को आदर्श रूप से केवल कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से समझा जा सकता है।
- यह अध्ययन भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों की योजना के लिये उपयोगी हो सकता है।
- यह अध्ययन निरंतर बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के मद्देनजर 'सटीक व नियंत्रित पर्यवेक्षण प्रयोगशालाओं' में भी मददगार साबित हो सकता है।

पृथ्वी के चुंबकीयमंडल क्षेत्र का निर्माण:

- पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में मौजूद प्लाज़्मा के जमाव का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाला प्लाज़्मा सौर पवन (Solar Wind) के रूप में पृथ्वी की ओर गति करता है।
- इस प्लाज़्मा की गति 300-1500 किमी/सेकंड के बीच होती है, जो अपने साथ सौर चुंबकीय क्षेत्र (Solar Magnetic Field) भी लाता है। इस सौर चुंबकीय क्षेत्र को अंतर-ग्रह चुंबकीय क्षेत्र या 'इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड' (Interplanetary Magnetic Field-IMF) कहा जाता है।
- पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा IMF की अंतर्क्रिया की वजह से पृथ्वी के चुंबकीयमंडल क्षेत्र का निर्माण होता है।

पृथ्वी के चुंबकीयमंडल की संरचना:

- बो शॉक (Bow shock):
- ◆ पृथ्वी का चुंबकीयमंडल क्षेत्र सौर पवन से टकराने के कारण 'बो शॉक' का निर्माण होता है।

- मैग्नेटोपॉज़ (Magnetopause):
 - ◆ यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर पवन के बीच की सीमा है।
- मैग्नेटोसिथ (Magnetosheath):
 - ◆ यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटोपॉज़ के बीच की सीमा है।
- नार्थर्न टेल लोब (Northern tail lobe):
 - ◆ नार्थर्न टेल लोब में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएँ पृथ्वी की ओर होती हैं।
- साउथर्न टेल लोब (Southern tail lobe):
 - ◆ साउथर्न टेल लोब में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएँ पृथ्वी से दूर होती हैं।
- प्लाज़्मास्फ़ेयर (Plasmasphere):
 - ◆ चुंबकीयमंडल के अंदर का वह क्षेत्र जो आयनमंडल से प्रवाहित होने वाली प्लाज़्मा को अवशोषित करता है।

भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान (Indian Institute of Geomagnetism-IIG):

- भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थित है।
- IIG का उद्देश्य भू-चुंबकत्व के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करना और वैश्विक स्तर पर भारत को एक मानक ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- IIG जियोमैग्नेटिज़्म और संबद्ध क्षेत्रों जैसे- सॉलिड अर्थ जियोमैग्नेटिज़्म/जियोफिज़िक्स, मैग्नेटोस्फीयर, स्पेस तथा एटमॉस्फेरिक साइंसेज़ आदि में बुनियादी अनुसंधानों का आयोजन करता है।

COVID-19 महामारी और स्वाइन फ्लू

चर्चा में क्यों ?

'राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र' (National Centre for Disease Control- NCDC) के आँकड़ों के अनुसार, COVID-19 महामारी के अधिकांश मामले उन राज्यों में देखने को मिले हैं जिनमें स्वाइन फ्लू (Swine Flu) या 'इन्फ्लुएंज़ा' (Influenza) के मामलों की दर भी पिछले कुछ वर्षों में उच्च रही है।

मुख्य बिंदु:

- ये आँकड़ें 'एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम' (Integrated Disease Surveillance Programme- IDSP) के भाग के रूप में एकत्रित किये गए हैं।
- COVID-19 महामारी के लगभग 70% मामले पाँच राज्यों - महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, और तमिलनाडु से संबंधित हैं।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

- वर्ष 2015 के बाद से स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंज़ा (Seasonal Influenza- H1N1) के अधिकतर मामले भी इन राज्यों में ही देखने को मिले हैं।
- वर्ष 2020 में स्वाइन फ्लू के 1,1132 मामले दर्ज किये गए हैं। हालाँकि 23 फरवरी के बाद के कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।

H1N1 और COVID-19 में समानता:

- H1N1 और COVID-19 दोनों रोगों के वायरस गैर-मानव अर्थात् जानवरों या पक्षियों को एक 'मेज़बान' (Host) के रूप में रूप में उपयोग करते हैं।
- दोनों फेफड़ों को प्रभावित करते हैं तथा फुफ्फुसीय संक्रमण का कारण बनते हैं, यद्यपि इनके फेफड़ों को प्रभावित करने की दर भिन्न-भिन्न होती है।

- दोनों का प्रसार संपर्क या संदूषित फोमाइट (Fomite) के माध्यम से होता है।
- संदूषित फोमाइट ऐसी वस्तुएँ या सामग्री होती हैं जिनसे संक्रमण की संभावना है, जैसे कपड़े, बर्तन और फर्नीचर आदि।

COVID- 19 और इन्फ्लुएंजा वायरस में अंतर:

- COVID- 19 के वायरस की तुलना में इन्फ्लुएंजा वायरस की 'माध्य ऊष्मायन अवधि' (संक्रमण से लक्षणों के प्रकट होने तक का समय) और 'शृंखला अंतराल' (क्रमिक मामलों के बीच का समय) छोटा होता है। अर्थात् इन्फ्लुएंजा का प्रसार, COVID-19 महामारी की तुलना में तेजी से होता है।
- स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामले में मृत्यु दर, COVID-19 महामारी की तुलना में उच्च होती है। स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा न केवल बच्चों अपितु युवा लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करता है जबकि COVID-19 महामारी से मुख्यतः 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग प्रभावित होते हैं। जबकि बच्चों पर COVID-19 का नगण्य प्रभाव देखा गया है।

अध्ययन के निहितार्थ:

- यह संभव है कि इन राज्यों में भविष्य में Sars-CoV2 वायरस, H1N1 का स्थान ले सकता है।
- ◆ SARS-CoV-2 उस वायरस का नाम है जिसके कारण कोई व्यक्ति COVID-19 से प्रभावित होता है।
- इन्फ्लुएंजा का चरम प्रकोप उत्तर भारत में गर्मियों के महीनों में जबकि दक्षिणी और पश्चिमी भारत में सर्दियों में देखने को मिलता है। अतः Sars-CoV2 वायरस अभी भी संक्रमण के चरण में है तथा भविष्य में इसकी चरम स्थिति देखने को मिल सकती है।
- उत्तर प्रदेश और बिहार भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से हैं तथा इन राज्यों की एक बड़ी जनसंख्या प्रवासियों के रूप में महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में रहती है, अतः ऐसी संभावना है कि COVID- 19 महामारी का प्रसार उच्च जनसंख्या वाले राज्यों में हो सकता है।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP):

- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया है।
- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Affairs) की एक पहल है।
- निगरानी प्रक्रिया में रोग कर आँकड़ों को तीन निर्दिष्ट किये गए रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार एकत्रित किया जाता है। अर्थात् 'S' (संदिग्ध), 'P' (अनुमानित) और 'L' (प्रयोगशाला में पुष्टि किये गए)।

IDSP के उद्देश्य:

- रोगों की प्रवृत्ति पर नजर रखने हेतु महामारी प्रवण रोगों के लिये विकेंद्रीकृत, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना तथा 'प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम' के माध्यम से शुरुआती चरण में प्रकोपों का पता लगाना एवं प्रतिक्रिया करना।

कार्यक्रम के घटक:

- केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी इकाइयों की स्थापना के माध्यम से रोग निगरानी गतिविधियों का एकीकरण एवं विकेंद्रीकरण करना।
- मानव संसाधन विकास हेतु रोग निगरानी के सिद्धांतों पर राज्य एवं जिला निगरानी अधिकारियों, रैपिड रिस्पांस टीम एवं अन्य मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण करवाना।
- आँकड़ों के संग्रह, एकीकरण, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिये सूचना व संचार तकनीक का उपयोग करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाना।
- जूनोटिक (Zoonotic) रोगों के लिये अंतर क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना।

DRDO ने विकसित किया 'यूवी ब्लास्टर'

चर्चा में क्यों ?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित एवं रसायन मुक्त कीटाणुशोधन (Disinfection) के लिये एक अल्ट्रा वॉयलेट डिसइंफेक्सन टॉवर (Ultra Violet Disinfection Tower) विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु

- 'यूवी ब्लास्टर' (UV blaster) नाम का यह उपकरण एक अल्ट्रा वॉयलेट (UV) आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर (Sanitizer) है, जिसे DRDO की दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित प्रयोगशाला 'लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर' (Laser Science & Technology Centre-LASTEC) द्वारा विकसित किया गया है।
- इस उपकरण में 360 डिग्री प्रकाश के लिये 254 LM वेवलेंथ पर 6 लैम्प हैं, जिसमें से प्रत्येक लैम्प की क्षमता 43 वाट यूवीसी (UVC) पावर है।
- इस उपकरण के माध्यम से 12x12 फुट आकार के एक कमरे को लगभग 10 मिनट और 400 वर्ग फुट के कमरे को 30 मिनट में कीटाणुमुक्त किया जा सकता है।
- अचानक कमरा खुलने या मानवीय दखल पर यह सैनिटाइजर बंद हो जाता है।

प्रयोग

- 'यूवी ब्लास्टर' को प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटरों और अन्य गैजेटों की सतह को कीटाणुमुक्त करने में प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हें रासायनिक विधियों से कीटाणु मुक्त नहीं किया जा सकता है।
- यह उत्पाद हवाई अड्डों, शॉपिंग माल, मेट्रो, होटलों, कारखानों, कार्यालयों आदि क्षेत्रों के लिये भी प्रभावी है, जहाँ लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा होती है।
- UV आधारित इस क्षेत्र सैनिटाइजर (Area Sanitiser) को वाईफाई (WiFi) का प्रयोग करते हुए लैपटॉप अथवा मोबाइल के माध्यम से दूरस्थ परिचालन (Remote Operation) के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।
- COVID-19 से लड़ने में DRDO की भूमिका
- डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (Defence Science Organisation-DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (Technical Development Establishment-TDEs) और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय (Directorate of Technical Development & Production-DTDP) के संयोजन के माध्यम से किया गया था।
- DRDO रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है।
- DRDO रक्षा प्रणालियों के डिजाइन एवं विकास के साथ-साथ तीनों रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व स्तर की हथियार प्रणाली एवं उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।
- सशस्त्र बल और DRDO समेत रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विंग्स देश में महामारी के प्रसार को रोकने का काफी प्रयास कर रहे हैं और अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार, विभिन्न प्रकार के उत्पादों को डिजाइन और विकसित कर रहे हैं।
- DRDO ने महामारी से निपटने के लिये कई उत्पाद विकसित किये हैं, जिनमें वेंटिलेटर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (Personal Protective Equipment-PPE) किट, बड़े क्षेत्रों को सैनिटाइज करने हेतु उपाय और COVID-19 परीक्षण के नमूने एकत्रित करने हेतु कियोस्क आदि शामिल हैं।
- DRDO ने एक 'मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी' (Mobile Virology Research and Diagnostics Laboratory- MVRL) भी विकसित की है जो कोरोनावायरस की जाँच और अन्य COVID-19 अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को गति प्रदान करेगी।
- ◆ यह मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च लैब COVID-19 के निदान और वायरस संकर्षण मां ड्रग स्क्रीनिंग हेतु प्लाज्मा थैरेपी, टीके के प्रति रोगियों की व्यापक प्रतिरक्षा प्रोफाइलिंग आदि में सहायक होगी।

साइलेंट हाइपोक्सिया

चर्चा में क्यों ?

COVID-19 से संक्रमित लोगों के इलाज में प्रयासरत दुनिया भर के चिकित्सक एक अजीब स्थिति का सामना कर रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार, COVID-19 से संक्रमित कुछ लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बावजूद श्वसन संबंधी समस्याएँ परिलक्षित नहीं हो रही हैं।

प्रमुख बिंदु:

- चिकित्सकों का मत है कि लोगों में श्वसन संबंधी समस्याओं का परिलक्षित न होना 'साइलेंट/हैप्पी हाइपोक्सिया' (Silent/Happy Hypoxia) को इंगित करता है।
- चिकित्सक और अन्वेषक डॉ. रिचर्ड लेविटन (Dr Richard Levitan) के अनुसार, COVID-19 से संक्रमित मरीजों में 'कोविड निमोनिया' की स्थिति 'साइलेंट/हैप्पी हाइपोक्सिया' के कारण उत्पन्न हो रही है।
- कई चिकित्सक अब 'कोविड निमोनिया' जैसी घातक स्थिति से बचने के साधन के रूप में इसकी शुरुआती पहचान की वकालत कर रहे हैं।

साइलेंट हाइपोक्सिया (Silent Hypoxia):

- 'साइलेंट/हैप्पी हाइपोक्सिया' रक्त में ऑक्सीजन की कमी का एक ऐसा स्वरूप है जिसकी पहचान नियमित हाइपोक्सिया की तुलना में कठिन है।
- COVID-19 से संक्रमित लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा 80% से कम होने के बावजूद भी उनको साँस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है।
- चिकित्सकों के अनुसार, आपातकालीन वार्डों में कई मरीजों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा 50% से भी कम है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की स्थिति में लोग अत्यधिक बीमार दिखने चाहिये परंतु साइलेंट हाइपोक्सिया के मामलों में ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि तीव्र श्वसन संकट जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती है।

ऐसी स्थिति क्यों ?

- 'द गार्जियन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, साइलेंट हाइपोक्सिया के पश्चात् लोगों में श्वसन संबंधी समस्याएँ ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण हो रही हैं। यह समस्या उस समय होती है जब फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करने में सक्षम नहीं होते हैं।
- डॉ. लेविटन के अनुसार, शुरुआती चरण में फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन तथा इसके निर्माण से बचाव में सक्षम प्रतीत होते हैं। इस प्रकार, रोगियों को श्वसन संबंधी समस्याएँ महसूस नहीं होती हैं।

हाइपोक्सिया (Hypoxia):

- हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है।
- सामान्यतः हाइपोक्सिया पूरे शरीर या शरीर के कुछ हिस्से को प्रभावित कर सकता है।
- अमेरिकी गैर-लाभकारी संगठन 'मायो क्लिनिक' के अनुसार, सामान्य तौर पर धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा 75-100 (mm Hg) तथा पल्स-ऑक्सीमीटर (Pulse-Oximeter) की माप 90-100% होता है।
- पल्स-ऑक्सीमीटर का 90% से कम होना चिंताजनक होता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति सुस्ती, भ्रम, मानसिक तौर पर अस्वस्थ महसूस करता है। पल्स-ऑक्सीमीटर की माप का स्तर 80% से कम होने से शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं।

पल्स-ऑक्सीमीटर (Pulse-Oximeter):

- यह एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है।
- इसे उँगलियों, नाक, कान अथवा पैरों की उँगलियों में क्लिप की तरह लगाया जाता है। इसमें लगे सेंसर रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह तथा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को पता लगाने में सक्षम होता है।
- डॉ. रिचर्ड लेविटन के अनुसार, साइलेंट हाइपोक्सिया की प्रारंभिक जाँच हेतु पल्स-ऑक्सीमीटर मददगार साबित हो सकता है।

कोविड निमोनिया (Covid Pneumonia):

- यह COVID-19 से संक्रमित लोगों के लिये एक ऐसी बीमारी है जो घातक साबित हो सकती है। कोविड निमोनिया के कारण फेफड़ों में ऑक्सीजन स्थानांतरित करने तथा सांस लेने की क्षमता प्रभावित होती है।
- जब कोई व्यक्ति पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाता तथा पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता है, तो निमोनिया से मृत्यु भी हो सकती है।
- क्योंकि यह वायरल है जो शरीर के छोटे अंगों के बजाय फेफड़ों को पूरी तरह से प्रभावित करता है।
- कोविड निमोनिया के गंभीर मामलों में ऑक्सीजन का पर्याप्त संचालन सुनिश्चित करने हेतु वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ती है।

'अतुल्य' माइक्रोवेव-स्ट्रेलाइज़र

चर्चा में क्यों ?

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) के तहत पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (Defence Institute of Advanced Technology) ने कोरोनावायरस (COVID-19) को विघटित अथवा समाप्त करने के लिये 'अतुल्य' (ATULYA) नाम से एक 'माइक्रोवेव-स्ट्रेलाइज़र' (Microwave Steriliser) तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह वायरस 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी ऊष्माप्यन (Differential Heating) द्वारा विघटित हो जाता है।
- यह उत्पाद एक किफायती उपाय है जिसे पोर्टेबल (Portable) या फिक्स्ड इंस्टोलेशन (Fixed Installations) किसी भी रूप में संचालित (Operate) किया जा सकता है।
- ध्यातव्य है कि मानव सुरक्षा की दृष्टि से इस उपकरण का परीक्षण किया गया है और इसे सुरक्षित पाया गया है।
- मंत्रालय के अनुसार, भिन्न-भिन्न वस्तुओं के आकार और ढाँचे के अनुरूप विघटन का समय 30 सेकेंड से एक मिनट तक रहता है। इस उपकरण का वजन लगभग तीन किलोग्राम है और इसका उपयोग केवल गैर-मेटैलिक (Non-Metallic) वस्तुओं के लिये किया जा सकता है।

DRDO और कोरोनावायरस

- ध्यातव्य है कि देश में कोरोनावायरस का प्रसार काफी तेजी से हो रहा है और संक्रमण का आँकड़ा दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, देश भर में कोरोनावायरस संक्रमण के कुल 52000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और इस वायरस के प्रभाव से तकरीबन 1700 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- हालाँकि इस वायरस का मुकाबला करने के लिये देश का प्रत्येक व्यक्ति और संस्थान अपनी-अपनी भूमिका अदा कर रहा है।
- इसी क्रम में सशस्त्र बल और DRDO समेत रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विंग्स भी देश में महामारी के प्रसार को रोकने का काफी प्रयास कर रहे हैं और अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार, विभिन्न प्रकार के उत्पादों को डिजाइन और विकसित कर रहे हैं।
- ◆ DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (Defence Science Organisation-DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (Technical Development Establishment-TDEs) और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय (Directorate of Technical Development & Production- DTDP) के संयोजन के माध्यम से की गई थी।
- ◆ DRDO रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत कार्य करता है।
- DRDO ने महामारी से निपटने के लिये कई उत्पाद विकसित किये हैं, जिनमें वेंटिलेटर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (Personal Protective Equipment-PPE) किट, बड़े क्षेत्रों को सैनिटाइज़ करने हेतु उपाय और COVID-19 परीक्षण के नमूने एकत्रित करने हेतु कियोस्क आदि शामिल हैं।

- हाल ही में DRDO ने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित एवं रसायन मुक्त कीटाणुशोधन (Disinfection) के लिये एक अल्ट्रा वॉयलेट डिसइंफेक्सन टॉवर (Ultra Violet Disinfection Tower) भी विकसित किया है।
- ◆ 'यूवी ब्लास्टर' (UV blaster) नाम का यह उपकरण एक अल्ट्रा वॉयलेट (UV) आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर (Sanitizer) है।

नैनोमैटिरियल्स आधारित सुपरकैपसिटर

चर्चा में क्यों:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-वाराणसी (Indian Institute of Technology-Varanasi) के शोधकर्ताओं (INSPIRE पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल) ने नैनोमैटिरियल्स आधारित सुपरकैपसिटर (Nanomaterials Based Supercapacitor) विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह शोधकार्य 'मैटिरियल्स रिसर्च एक्सप्रेस' (Materials Research Express) में प्रकाशित किया गया है।
- गौरतलब है कि नैनोमैटिरियल्स आधारित सुपरकैपेसिटर की मदद से उच्च ऊर्जा घनत्व और उच्च शक्ति घनत्व को प्राप्त किया जा सकता है।
- शोधकर्ताओं ने 100°C पर उच्च संधारित क्षमता वाले 'रिड्यूसड ग्राफेन ऑक्साइड' (Reduced Graphene Oxide rGO) को विकसित किया है।
- शोधकर्ताओं ने लौह-आधारित नैनोकैटलिस्ट के संश्लेषण हेतु एक नया दृष्टिकोण भी विकसित किया है, जिसका उपयोग कैबोन नैनोट्यूब के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये किया जा सकता है।

महत्त्व:

- तकनीकी प्रगति और बढ़ती आबादी से ऊर्जा की मांग में निरंतर बढ़ती मानव समाज के सामने एक गंभीर चुनौती है।
- उच्च ऊर्जा घनत्व वाले सुपरकैपसिटर से अत्यधिक समय तक बिना चार्ज किये एक सामान विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है।
- सुपरकैपसिटर की मदद से वाहनों की बैटरी को बिना चार्ज किये लंबी दूरी का सफर तय किया जा सकता है।

अन्य शोधकार्य:

- शोधकर्ताओं का एक समूह नैनोमैटिरियल्स के ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग पर भी कार्य कर रहा है।
- ◆ 'ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक' इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों का अध्ययन है जिसमें प्रकाश के स्रोत का पता लगाना और नियंत्रित करना शामिल है।
- शोधकर्ताओं द्वारा 'फोटोडिटेक्शन' (Photodetection) और 'सरफेस एनहांसड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी' (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy) के लिये कार्बन तथा धातु डाइकैल्कोजेनाइड्स अर्द्धचालक (Metal Dichalcogenides Semiconductors) के नैनोस्ट्रक्चर को भी विकसित किया जा रहा है।
- ◆ ट्रांज़ीशन मेटल डाइकैल्कोजेनाइड्स: यह मोनोलेयर्स MX₂ के पतले अर्द्धचालक के अणु के रूप में होते हैं जिसमें M एक ट्रांज़ीशन मेटल अणु (Mo, W, इत्यादि) और X एक चालकोजन (Chalcogen) अणु (S, Se, इत्यादि) है।
- ◆ फोटोडिटेक्शन: 'फोटोडिटेक्शन' एक ऑप्टिकल सिग्नल को दूसरे सिग्नल के रूप में परिवर्तित करता है। अधिकांश फोटोडिटेक्शन ऑप्टिकल सिग्नल को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करते हैं जिन्हें आगे संसाधित या संग्रहीत किया जा सकता है।
- इस शोधकार्य के माध्यम से उन्होंने दृश्यमान प्रकाश (Visible Light) का पता लगाने हेतु नैनोस्केल MoS₂ के विभिन्न आर्किटेक्चर के उत्कृष्ट फोटोडिटेक्शन के व्यवहार का भी पता लगाया है।
- सिग्नल कार्य हेतु 'अल्ट्राफास्ट डिटेक्टर' को विकसित करने हेतु यह शोधकार्य मददगार साबित हो सकता है।
- यह शोधकार्य 'फिज़िकल केमिस्ट्री लेटर्स' (Physical Chemistry Letters) में प्रकाशित किया गया है।

- 'सरफेस एनहांसड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी' पानी में मौजूद न्यूनतम सांद्रता वाले हानिकारक अणुओं का पता लगाने में मदद कर सकता है। इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (INSPIRE):
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology-DST) द्वारा शुरू किये गए INSPIRE कार्यक्रम के तहत विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों को अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत 13 दिसंबर, 2008 को की गई थी।
- INSPIRE कार्यक्रम के तीन घटक हैं -
 - ◆ विज्ञान में प्रतिभा के शुरुआती आकर्षण हेतु योजना
 - ◆ उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति
 - ◆ शोध कार्य हेतु अवसर

सोना-सिलिकॉन इंटरफेस आधारित फोटोडिटेक्टर

चर्चा में क्यों ?

'जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च' (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research-JNCASR) के वैज्ञानिकों द्वारा एक किफायती एवं ऊर्जा-कुशल 'वेफर-स्केल फोटोडिटेक्टर' (Wafer-scale Photodetector) (पतले टुकड़े पर आधारित) विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह शोधकार्य 'अमेरिकन केमिकल सोसाइटी' की 'एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स' (Applied Electronic Materials) पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
- उल्लेखनीय है कि 'वेफर-स्केल फोटोडिटेक्टर' को सुरक्षा अनुप्रयोगों हेतु सोना-सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।
 - ◆ सोना (Au)-सिलिकॉन (Si) इंटरफेस जो प्रकाश के प्रति उच्च संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए फोटोडिटेक्शन का कार्य करता है।
 - ◆ सोना (Au)-सिलिकॉन (Si) इंटरफेस को 'गैल्वेनिक डिपॉजिट' द्वारा तैयार किया जाता है।
 - ◆ गैल्वेनिक डिपॉजिट: यह धातुओं की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु एक तकनीक है जिसमें जल आधारित घोल (इलेक्ट्रोलाइट्स) का उपयोग कर धातुओं को आयन के रूप में जमा किया जाता है।
- एक नैनोस्ट्रक्चर Au फिल्म पी-टाइप सिलिसाइड (p-type Silicide) (धनात्मक चार्ज की अधिकता) के ऊपर जमा की गई जो एक चार्ज कलेक्टर के रूप में कार्य करता है।
- यह शोधकार्य उच्च प्रदर्शन वाले फोटोडिटेक्टर के लिये एक सरल और किफायती समाधान आधारित निर्माण विधि प्रदान करता है।
- इसकी प्रक्रिया काफी तेजी से होने के साथ ही किसी भी मध्यवर्ती क्षेत्र का डिटेक्टर बनाने में महज कुछ ही मिनट लगते हैं।

वेफर-स्केल फोटोडिटेक्टर की विशेषताएँ:

- यह अवांछित गतिविधि के संकेत के रूप में कमजोर बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाने में मदद कर सकता है।
- यह फोटोडिटेक्टर 40 माइक्रोसेकंड की त्वरित प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है और कम तीव्रता वाले प्रकाश का पता लगा सकता है।
- अल्ट्रावायलेट (Ultraviolet) से लेकर इन्फ्रारेड (Infrared) तक के लिये इस फोटोडिटेक्टर में एक व्यापक स्पेक्ट्रल रेंज है।
- इस फोटोडिटेक्टर की प्रतिक्रिया में 5% से कम भिन्नता वाले सक्रिय क्षेत्र में उत्कृष्ट एकरूपता दिखती है।
- घोल यानी विलयन आधारित तकनीक होने के कारण यह विधि काफी सस्ती और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये उपयुक्त है।

फोटोडिटेक्टर (Photodetectors):

- फोटोडिटेक्टर किसी भी ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मुख्य भाग है जो प्रकाश का पता लगा सकता है।

- फोटोडिटेक्टर बाहरी आकाशगंगा से विकिरण का पता लगाने के अलावा सुपरमार्केट में स्वचालित प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित करता है। साथ ही सुरक्षा से संबंधित अनुप्रयोगों में व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है।
- हालाँकि, बढ़ती सामग्री की लागत और जटिल विनिर्माण प्रक्रियाओं के कारण दैनिक अनुप्रयोगों के लिये उच्च प्रदर्शन वाले डिटेक्टर की कीमत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

जवाहरलाल नेहरु उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र

(Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research-JNCASR):

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) द्वारा JNCASR की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी।
- शोधकार्यों को नौ इकाइयों में विभाजित किया गया है, जैसे-रासायनिकी एवं पदार्थ भौतिकी, अभियांत्रिकी यांत्रिकी, आण्विक जैविकी एवं आनुवंशिकी, तंत्रिका विज्ञान, इत्यादि।

COVID-19 परीक्षण की नवीन तकनीक 'फेलुदा'

चर्चा में क्यों ?

'वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद' (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) के वैज्ञानिकों ने COVID-19 महामारी परीक्षण के लिये कम लागत वाली 'पेपर स्ट्रिप टेस्ट' (Paper Strip Test) तकनीक 'फेलुदा' (Feluda) को विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस जाँच विधि का नाम बंगाल के काल्पनिक जासूसी चरित्र 'फेलुदा' के नाम पर रखा गया है।
- यह तकनीक में भी प्रारंभिक क्रियाविधि 'रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन- पोलीमरेज चेन रिएक्शन' (Reverse Transcription- Polymerase Chain Reaction- RT-PCR) के समान है।

परीक्षण का नाम फेलुदा क्यों ?

- 'मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (MIT) और 'हार्वर्ड यूनिवर्सिटी' द्वारा विकसित की जा रही 'पेपर-स्ट्रिप टेस्ट' का नाम प्रसिद्ध (काल्पनिक) जासूस 'शेरलोक' (Sherlock) के नाम पर रखा गया है।
- भारतीय वैज्ञानिक इस तकनीक के भारतीय संस्करण को भारतीय नाम देना चाहते थे। वैज्ञानिकों ने भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा विकसित प्रसिद्ध जासूसी चरित्र 'फेलुदा' के नाम पर इस तकनीक का नाम रखा है।
- इस परीक्षण तकनीक का वैज्ञानिक नाम 'Fncas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एस' (Fncas9 Editor Linked Uniform Detection Assay) है जिसे संक्षेप में 'फेलुदा' (FELUDA) लिखा जाता है।

परीक्षण तकनीक की आवश्यकता:

- 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Medical Research) के अनुसार, भारत की 135 सरकारी और 56 निजी प्रयोगशालाएँ RT-PCR मशीनों से प्रति दिन केवल 18,000 परीक्षण कर सकती हैं। जबकि COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिक तेजी के साथ व्यापक परीक्षण की आवश्यकता है।

परीक्षण तकनीक की कार्यविधि:

- सर्वप्रथम रोगी की नाक से वायरस के 'राइबोन्यूक्लीक एसिड' (Ribonucleic Acid- RNA) के नमूने प्राप्त किये जाते हैं। इसके बाद RNA को आनुवंशिक सामग्री; जिसे पूरक DNA (Complementary DNA- cDNA) कहा जाता है, में परिवर्तित किया जाता है।

- फिर PCR मशीन द्वारा 'पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन' के माध्यम से cDNA में वृद्धि करके इसे Cas9 प्रोटीन के साथ मिलाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि 'इंस्टिट्यूट ऑफ़ जेनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी' (Institute of Genomics and Integrative Biology- IGIB) द्वारा Cas9 का विशिष्ट प्रोटीन FnCas9 विकसित किया गया है, जो अनुक्रम को निर्धारित करता है।
- अंत में इस मिश्रण को एक पेपर स्ट्रिप पर लगाया जाता है। यदि इस मिश्रण में COVID-19 DNA उपस्थित रहता है तो पेपर स्ट्रिप पर नियंत्रित या सामान्य रेखाओं के अलावा वायरस की रेखाएँ भी दिखाई देती हैं।
- यदि वायरल में RNA भी कम मात्रा में उपस्थित है, तो इस तकनीक द्वारा उसका भी पता लगा लिया जाता है।

तकनीक की परीक्षण का महत्त्व:

- तेज़ी से परीक्षण:
 - ◆ इस तकनीक के आधार पर परीक्षण का परिणाम 1.5 घंटे के भीतर ज्ञात कर लिया जाता है। अतः इस वायरस परीक्षण तकनीक के आधार पर बहुत तेज़ी से वायरस की जाँच की जा सकती है।
- आर्थिक लागत कम:
 - ◆ इस तकनीक से COVID-19 परीक्षण की लागत 500-700 रुपए के आसपास होने का अनुमान है जबकि RT-PCR परीक्षण तकनीक की लागत 4,500 रुपए है।
- परीक्षण की सटीकता:
 - ◆ इस परीक्षण तकनीक से यदि किसी COVID-19 पॉज़िटिव मरीज की जाँच की जाती है तो परीक्षण की सटीकता 100% है। जबकि सामान्य परीक्षण मामलों में 90% सटीकता है अर्थात् यदि 10 सामान्य लोगों का परीक्षण किया जाए तो उसमें से हो सकता है यह तकनीक किसी एक को पॉज़िटिव बताए।

निष्कर्ष:

- हालाँकि यह तकनीक मात्रात्मक दृष्टिकोण से अधिक कारगर है तथा व्यापक परीक्षण करने में मदद कर सकती है परंतु गुणात्मक परीक्षण की दृष्टि से RT-PCR तकनीक अधिक सटीक है।

रीस्टार्ट'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 12 मई, 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology-DST) के एक सांविधिक निकाय 'प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड' (Technology Development Board-TDB) तथा 'भारतीय उद्योग परिसंघ' (Confederation of Indian Industry-CII) के द्वारा 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' (National Technology Day) के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' के अवसर पर डिजिटल सम्मेलन 'रीबूट द इकॉनमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस' Rebooting the Economy through Science, Technology, and Research Translations'-RESTART) का आयोजन किया गया।
- सम्मेलन में COVID-19 महामारी के कारण पटरी से उतरी भारतीय, अर्थव्यवस्था को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से फिर से मजबूती प्रदान करने पर विचार किया गया।
- सम्मेलन में डिजिटल बी-2-बी लाउंज के माध्यम से उन कंपनियों की एक वर्चुअल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया जिनकी प्रौद्योगिकियों को 'प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड' द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है।
- सम्मेलन के दौरान देश में COVID 19 जैसी महामारी पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किये गए कार्यों की सराहना की गई।

- अत्यधिक कम समय में, इस संकट से बचने के लिये दवा की खोज के प्रयासों, टीके, नैदानिक उपकरण, और अन्य चिकित्सा उपकरणों, के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संरक्षित करने के तरीके इत्यादि में सर्वोत्तम चिकित्सा प्रगति और नवाचारों के तरीकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रकट किया गया है। जिनमें राष्ट्र परीक्षण किट, सुरक्षात्मक उपकरण, श्वसन उपकरण आदि शामिल हैं।
- सम्मेलन में COVID-19 से संबंधित प्रौद्योगिकी क्षमताओं के आकलन के लिये सरकार द्वारा गठित COVID-19 'टास्क फोर्स' के बारे में भी लोगों को बताया गया।
- सम्मेलन में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सराहना की गई। जिसके तहत वैज्ञानिक संस्थान और स्टार्टअप्स, COVID-19 परीक्षण, मास्क, सैनिटाइज़र, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और वेंटिलेटर विकसित करने के लिये एक साथ सामने आए हैं।
- 'ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप' (Global Economic Leadership) तथा 'ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस' (Global Innovation & Technology Alliance-GITA) प र आयोजित इस सत्र में कोविड-19 की चुनौती से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्त्व पर बल दिया गया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस:

- प्रत्येक वर्ष 11 मई को 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- 11 मई को 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' के रूप में मनाने का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह है कि 11 मई, 1998 को भारत ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करके एक बड़ी तकनीकी सफलता हासिल की थी।
- भारत के पहले स्वदेशी विमान "हंसा -3" का परीक्षण भी 11 मई के दिन ही बंगलूरु में किया गया था।
- भारत ने इसी दिन त्रिशूल मिसाइल का सफल फायरिंग परीक्षण भी किया।
- अतः वर्ष 1999 से इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

स्रोत: पीआईबी

मेलामाइन की जाँच हेतु नई तकनीक

चर्चा में क्यों ?

बंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (Indian Institute of Science-IISc) के शोधकर्ताओं ने दूध और डेयरी उत्पादों (Dairy Products) में मेलामाइन (Melamine) की उपस्थिति का पता लगाने के लिये कम लागत वाली एक तकनीक विकसित की है।

प्रमुख बिंदु

- मेलामाइन (Melamine) एक कार्बन आधारित रसायन होता है, जिसे दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट करने के लिये प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि दूध और डेयरी उत्पादों में मेलामाइन (Melamine) की मिलावट करने से गुर्दे संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं और गुर्दा पूर्णतः खराब भी हो सकता है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, वर्तमान में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिये उपयोग की जाने वाली तकनीकें काफी अधिक समय की मांग करती हैं और इनका प्रयोग करने के लिये सामान्यतः महंगे और परिष्कृत उपकरणों और उच्च प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है।
- उल्लेखनीय है कि IISc के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई तकनीक के माध्यम से पानी और दूध में मेलामाइन का पता लगाने की प्रक्रिया को काफी तेज़ किया जा सकता है।
- शोध के दौरान शोधकर्ताओं ने मेलामाइन की सांद्रता (Concentrations) की रेंज का पता लगाने के लिये नई तकनीक का प्रयोग किया और यह पाया कि यह तकनीक पानी और दूध में मेलामाइन के 0.1 भाग प्रति मिलियन (Parts Per Million-PPM) तक का पता लगाने में सक्षम है।

नोट :

- शोधकर्ताओं के अनुसार, इस शोध का परिणाम ज्ञात करने में उन्हें मात्र 4 मिनट का समय लगा।
- इस शोध के दौरान शोधकर्ताओं द्वारा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया गया जो कि कम लागत पर आसानी से उपलब्ध थे, जैसे नैनो कणों (Nanoparticles) को रोशन करने के लिये सामान्य यूवी एलईडी (UV LED) का प्रयोग किया गया, वहीं फ्लोरोसेंस (Fluorescence) का पता लगाने के लिये PIN फोटोडायोड (PIN Photodiode) का प्रयोग किया गया है।
- इस तकनीक में आसानी से लेड और पारा जैसे अन्य पदार्थों का पता लगाने के लिये परिवर्तन किये जा सकते हैं।
- शोधकर्ताओं का अनुमान है कि भविष्य में इस तकनीक को पर्यावरण और खाद्य गुणवत्ता परीक्षण के लिये एक स्क्रीनिंग उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

भारत में दूध उत्पादन

- उल्लेखनीय है कि भारत वर्षों से निरंतर विकास के साथ विश्व स्तर पर डेयरी उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता रहा है।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में भारत में तकरीबन 187 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया गया था।
- भारत में दूध उत्पादन की महत्ता का एक मुख्य कारण यह भी है कि दूध किसानों को काफी आसानी से नकदी उपलब्ध कराता है, जबकि फसलों के कारण किसानों को वर्ष में केवल 2-3 बार ही पैसा मिलते हैं।

मेलामाइन (Melamine)

- विदित है कि मेलामाइन (Melamine) एक कार्बन आधारित रसायन होता है जो आमतौर पर नाइट्रोजन से समृद्ध सफेद क्रिस्टल (White Crystals) के रूप में पाया जाता है।
- व्यापक तौर पर मेलामाइन (Melamine) का प्रयोग प्लास्टिक, गोंद, काउंटरटॉप्स (Countertops) और व्हाइटबोर्ड आदि बनाने के लिये किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि कई बार दूध के व्यापारी दूध की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से उसमें पानी मिला देते हैं, जिससे दूध में प्रोटीन की मात्रा काफी कम हो जाती है।
 - ◆ इस प्रोटीन की मात्रा को संतुलित करने के लिये दूध व्यापारियों द्वारा दूध में मेलामाइन मिलाया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में चीन से निर्यातित कुछ खाद्य पदार्थों में मेलामाइन पाया गया था, जिसके कारण अमेरिका में कई जानवरों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन खाद्य पदार्थों का प्रयोग जानवरों के भोजन बनाने हेतु किया गया था।

दिव्यांगजन/बुजुर्ग की सहायता हेतु प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों ?

‘साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट’ (Science for Equity Empowerment and Development) द्वारा COVID-19 से निपटने हेतु सहायक विभिन्न उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और तकनीकों को विकसित करने में संस्थानों की सहायता की जा रही है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि ‘साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट’ द्वारा ‘टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर डिसेबल्ड एंड एल्डर्ली’ (Technology Interventions for Disabled and Elderly-TIDE) कार्यक्रम के माध्यम से यह सहायता की जा रही है।
- ई-टूल (e-Tool):
 - ◆ ‘टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर डिसेबल्ड एंड एल्डर्ली’ कार्यक्रम के अंतर्गत राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज (Rajalakshmi Engineering College), चेन्नई ने COVID-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु ई-टूल (e-Tool) विकसित किया है।
 - ◆ ई-टूल के माध्यम से दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने हेतु शिक्षा, मनोरंजन के साथ-साथ स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से संबंधित जानकारी एवं जागरूकता प्रदान की जाएगी।

- ◆ यह ई-टूल व्यक्तियों को टैब और मोबाइल के माध्यम से किसी भी कार्य को सीखने (मनोरंजन के साथ) में सहायक साबित होगा। इस टूल को अन्य स्वदेशी भाषाओं में भी परिवर्तित किया जा सकता है
- ◆ ई-टूल के बीटा संस्करण का उपयोग 200 विशेष-दिव्यांग बच्चों द्वारा किया जा रहा है।
- सेंसर डिवाइस:
 - ◆ पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर (PSG College of Technology, Coimbatore) द्वारा एक पहनने वाला सेंसर डिवाइस विकसित किया गया है।
 - ◆ इस सेंसर डिवाइस की मदद से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड में होने की स्थिति में उनकी गतिविधियों पर दूर से ही नजर रखी जा सकती है।
 - ◆ यह उपकरण पूर्वानुमान भी बताता है और बुजुर्गों के स्वास्थ्य में गिरावट तथा कमजोरी के स्तर की भी जानकारी देता है।
 - ◆ इस उपकरण की कीमत थोक उत्पादन की स्थिति में 1,500 रुपए है।
- हाथ में पहना जा सकने वाला बैंड:
 - ◆ मोटर फंक्शन से पीड़ित बुजुर्गों हेतु रियल टाइम निगरानी और पुनर्वास निर्देशित प्रोटोकॉल के माध्यम से फीडबैक प्रक्रिया से युक्त एक बैंड विकसित किया गया है।
 - ◆ यह उपकरण के पुनर्वास के दौरान मांसपेशियों की शक्ति, लचीलापन और उनकी सहनशीलता में सुधार लाने की दिशा में उपयुक्त तथा मात्रात्मक परिणाम को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- भारत सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) को शामिल करते हुए इन उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने हेतु एक कार्य योजना की भी शुरुआत की गई है।
- टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर डिसेबल्ड एंड एल्डर्ली (Technology Interventions for Disabled and Elderly-TIDE):
 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) के अंतर्गत 'साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट' (Science for Equity Empowerment and Development) ने "टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर डिसेबल्ड एंड एल्डर्ली" नामक कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
 - इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
 - ◆ दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के सशक्तिकरण हेतु प्रौद्योगिकियों पर 'अनुसंधान और विकास' को बढ़ावा देना।
 - ◆ शैक्षणिक संस्थान, प्रतिष्ठित प्रयोगशाला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित स्वैच्छिक संगठन, इत्यादि को अनुसंधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
 - ◆ दिव्यांगजनों और बुजुर्गों का सामाजिक समावेशन करना।

पार्किंसंस रोग हेतु तकनीक

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद (Indian Institute of Technology- Indian School of Mines) और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद- भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, कोलकाता (Council of Scientific & Industrial Research- Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata) ने एक तकनीक विकसित की है जो पार्किंसंस रोग (Parkinson's disease) के अध्ययन में मददगार साबित हो सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- पार्किंसंस रोग (Parkinson's disease):
 - ◆ पार्किंसंस रोग एक ऐसी बीमारी है, जिसमें तंत्रिका तंत्र लगातार कमजोर होते जाते हैं। इस बीमारी का अब तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।

- ◆ सामान्यतः 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में पार्किंसंस रोग के लक्षण दिखते हैं किंतु यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है।
- ◆ लक्षण:
 - शरीर में कंपन, जकड़न, शिथिल गतिशीलता, झुककर चलना, याद्दाश्त संबंधी समस्याएँ और व्यवहार में बदलाव।
- पार्किंसंस रोग पर अध्ययन:
 - ◆ पार्किंसंस रोग से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क के मध्य (सब्सटेनटिया नाइग्रा- Substantia Nigra) भाग में अल्फा सिन्यूक्लिन (alpha synuclein- ASyn) नामक प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है।
 - ◆ दुनियाभर के शोधकर्ताओं का मत है कि अल्फा सिन्यूक्लिन नामक प्रोटीन का एकत्रीकरण पार्किंसंस रोग की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - ◆ दुनियाभर के कई शोधकर्ता पार्किंसंस रोग से संबंधित यह अध्ययन कर रहे हैं कि प्रोटीन कैसे एकत्रित होती है और किस प्रकार यह एकत्रीकरण न्यूरोनल कोशिकाओं को खत्म कर देता है।
 - ◆ अल्फा सिन्यूक्लिन नामक प्रोटीन (एकत्रीकरण) के अंतिम बिंदु पर छोटे पतले फाइबर या 'फाइब्रिल्स' (Fibrils) का निर्माण होता है
 - ◆ इस 'फाइब्रिल्स' में प्रोटीन की एक संरचना होती है जिसे क्रॉस बीटा फोल्ड (Cross Beta Fold) कहा जाता है।
 - ◆ फाइब्रिल्स का विस्तृत अध्ययन एक डाय थियोफ्लेविन टी (Dye Thioflavin T) की मदद से किया गया है। यह डाय क्रॉस-बीटा संरचना को जोड़ती है और प्रकाश उत्सर्जित करती है।
 - ◆ इन अध्ययनों की मदद से दवा विकसित की गई लेकिन ये दवाएँ नैदानिक परीक्षणों में सफल नहीं हो पाई।
 - ◆ इन विफलताओं ने शोधकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद उन्हें न केवल फ़िब्रिल्स को समझने की आवश्यकता है, बल्कि प्रोटीन एकत्रीकरण की प्रक्रिया से पूर्व उत्पन्न होने वाले विभिन्न मध्यवर्तियों को भी समझना आवश्यक है।
- भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई तकनीक:
 - ◆ भारतीय शोधकर्ताओं ने जेड-स्कैन (Z-scan) तकनीक विकसित की है। इस तकनीक का उपयोग करते हुए बायोमैटिरियल्स के असमान व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है।
 - ◆ शोधकर्ताओं ने पाया कि जेड-स्कैन तकनीक पार्किंसंस रोग पर अध्ययन में मददगार साबित हो सकती है।
 - ◆ यह तकनीक अल्फा सिन्यूक्लिन नामक प्रोटीन के एकत्रीकरण के शुरुआती और बाद के दोनों चरणों की निगरानी में मदद कर सकती है।
 - ◆ शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रोटीन में मोनोमेरिक स्थिति से लेकर फाइब्रिलर संरचना तक असमानता है। साथ ही शोधकर्ताओं ने इससे संबंधित तथ्य भी प्रस्तुत किये हैं-
 - प्रोटीन के अन्य अनुरूपों की तुलना में फाइब्रिल्स की विषमता की ताकत अत्यधिक होती है।
 - एकत्रीकरण के विभिन्न चरणों में एक विशिष्ट विषमता है जिसे इस तकनीक की सहायता से लक्षित किया जा सकता है।
 - लगभग 24 घंटों की देरी से बनाने वाले ऑल्लिगोमर्स जो विषमता में बदलाव के संकेत देते हैं।
- अल्फा सिन्यूक्लिन में सबसे खतरनाक देर से बनने वाले ऑल्लिगोमर्स को माना जाता है। अतः इस तकनीक की मदद से इस प्रोटीन पर आसानी से नज़र रखा जा सकता है जो दवा विकसित करने में कारगर साबित हो सकती है।

हल्का कार्बन फोम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, सीएसआईआर-एडवांस्ड मैटिरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, भोपाल (CSIR-Advanced Materials and Processes Research Institute, Bhopal) के वैज्ञानिकों (इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड के प्राप्तकर्ता सहित) ने एक तरह का 'हल्का कार्बन फोम (Lightweight Carbon Foam)' विकसित किया है।

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में, बड़े पैमाने पर ऊर्जा-भंडारण क्षेत्र में उच्च ऊर्जा घनत्व और लंबे चक्र जीवन के कारण लिथियम आयन (ली-आयन) बैटरी का प्रभुत्व है।
 - ◆ ऊर्जा घनत्व ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे किसी पदार्थ या प्रणाली के दिये गए द्रव्यमान में संग्रहीत किया जा सकता है, अर्थात यह ऊर्जा के भंडारण का एक उपाय है।
- हालाँकि, ली-आयन बैटरी के संबंध में सुरक्षा जोखिम, सीमित संसाधन आपूर्ति, उच्च लागत और रीसाइक्लिंग बुनियादी ढाँचे की कमी जैसे मुद्दे जुड़े हैं।
- परिणामस्वरूप, लेड-एसिड बैटरी अभी भी सबसे विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में से एक है।
 - ◆ लेड-एसिड बैटरी रिचार्जबल बैटरी के सबसे पुराने प्रकारों में से एक है, जिसका आविष्कार वर्ष 1859 में फ्राँसिसी भौतिक विज्ञानी गैस्टन प्लांट ने किया था।
 - ◆ हालाँकि, लेड-एसिड बैटरियाँ अधिक भार, जंग का लग जाना, खराब थर्मल स्थिरता और एक आयाम में इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रसार की समस्या से ग्रस्त हैं, जो अंततः ऊर्जा उत्पादन की शक्ति को प्रभावित करता है।
- उपरोक्त मुद्दों से निपटने के लिये साथ ही पर्यावरणीय चिंताओं देखते हुए, आर्थिक और उच्च ऊर्जा घनत्व के साथ एक वैकल्पिक बैटरी प्रणाली के विकास की आवश्यकता थी।
- इस प्रकार यह हल्का कार्बन फोम लेड एसिड बैटरी की जगह ले सकता है। लेड एसिड बैटरी काफी वजनी, विनाशन क्षमता और कम तापीय स्थायित्व वाली होती है।

प्रमुख बिंदु:

- विशेषताएँ:
 - ◆ विकसित हल्का कार्बन फोम का घनत्व बहुत कम और उच्च छिद्रिल (High Porosity) है।
 - ◆ यह कार्बन फोम किफायती और जल में अघुलनशील होगा।
 - ◆ यह फोम, लेड एसिड बैटरी में लेड-ग्रिड की जगह ले सकता है।
- उपयोग:
 - ◆ यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) में हीट सिंक्स (Heat Sinks), एयरोस्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस शिल्डिंग (Electromagnetic Interference Shielding), हाइड्रोजन भंडारण और लेड एसिड बैटरी एवं जल शुद्धिकरण प्रणाली के लिये इलेक्ट्रोड के रूप में भी उपयोगी हो सकता है।
 - ◆ इंसुलेशन फैलोशिप के तहत विकसित कार्बन फोम दूषित जल से आर्सेनिक, तेल और अन्य धातुओं को अलग करने में काफी किफायती भी होगा।
- लाभ:
 - ◆ कार्बन फोम बनाने में लगने वाला कच्चा माल आसानी से सभी जगह उपलब्ध है और इसे बनाने के लिये किसी महँगे उपकरण की भी जरूरत नहीं है।
 - ◆ यह कार्बन फोम गैर-विषाक्त तथा बनाने में आसान होता है।
 - ◆ यह फोम विनाशन अवरोधक है।
 - ◆ इसमें काफी सतही क्षेत्र के साथ बेहतरीन विद्युतीय और तापीय संवाहकता है।
 - ◆ ऐसी सामग्री का वैसे दूरस्थ इलाकों में बिना किसी खतरे की आशंका के उपयोग किया जा सकता है जहाँ बिजली आपूर्ति कम होती है।

क्वांटम डॉट्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) के तहत स्वायत्त संस्थान, 'अगरकर अनुसंधान संस्थान' (Agharkar Research Institute- ARI), पुणे के शोधकर्ताओं ने क्वांटम कुशल तथा जैव-अनुकूल क्वांटम डॉट्स (Quantum Dots- QDs) के संश्लेषण के लिये एक नई प्रक्रिया विकसित की है।

प्रमुख बिंदु

- शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इस नई प्रक्रिया को 'एडवांसेज इन कोलॉइड एंड इंटरफेस साइंस' (Advances in Colloid and Interface Science) नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है।
- इस प्रक्रिया का उपयोग विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम (Electromagnetic Spectrum) में दृश्य तरंगदैर्घ्य (Wavelength) का प्रयोग करते हुए कोशिकांगों (Cellular Organelles) तथा उनमें होने वाली गतिविधियों की तस्वीरें लेने में किया जाता है।
- प्रक्रिया में एक निरंतर प्रवाह शामिल है तथा एक सक्रिय माइक्रोरिएक्टर की सहायता से इस प्रवाह की निरंतरता को बनाए रखा जाता है।
- वर्तमान समय में जैव-प्रतिबिंबन (Bio Imaging) अनुप्रयोगों जैसे-कोशिकीय अंगों का दृश्य, कोशिकीय प्रक्रियाओं पर नज़र रखना इत्यादि पारंपरिक फ्लूरोफोर/फ्लोरोफोरे (Fluorophore) पर निर्भर है।
 - ◆ फ्लूरोफोर/फ्लोरोफोरे प्रतिदीप्त रासायनिक यौगिक हैं जो उत्तेजित होने पर फिर से प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं।
 - ◆ ये फ्लोरोफोरे फोटोब्लीचिंग से कमजोर या खराब हो जाते हैं, इनकी संकेत तीव्रता कम होती है और इनका अतिव्यापी वर्णक्रम/स्पेक्ट्रा इनके उपयोग (विशेष रूप से मल्टीस्पेक्ट्रल बायोइमेजिंग में) को सीमित करता है।
- क्वांटम दक्षता, प्रकाश और रासायनिक स्थिरता के संदर्भ में पारंपरिक फ्लोरोफोरे की तुलना में क्वांटम डॉट्स के विशेष लाभ हैं। साथ ही एक सरफेस कोटिंग द्वारा इनकी विषाक्तता से भी निपटा जा सकता है।
- यह मल्टीस्पेक्ट्रल बायोइमेजिंग के दौरान विभिन्न अंगों को लक्षित करते हुए विभिन्न जैव-सूचकों (Biomarker) के संयुग्मन की संभावना को बढ़ाता है।
 - ◆ जैवसूचक/बायोमार्कर प्रमुख आणविक या कोशिकीय घटनाएँ हैं जो किसी विशिष्ट पर्यावरणीय आवरण को स्वास्थ्य के लक्षणों से जोड़ती हैं।

क्वांटम डॉट्स (QDs)-

- क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित नैनोस्केल क्रिस्टल हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं।
- क्वांटम डॉट्स कृत्रिम नैनो संरचनाएँ हैं।
- जब पराबैंगनी प्रकाश इन अर्द्धचालक नैनो-कणों से टकराता है, तो इनके द्वारा विभिन्न रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है।
- एकल अणु के स्तर पर ये कोशिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम हैं तथा कैंसर जैसे रोगों के निदान और उपचार में सहायक हो सकते हैं।

संश्लेषित क्वांटम डॉट्स की विशेषता:

- संश्लेषित क्वांटम डॉट्स पर सिलिकॉन की कोटिंग कर उन्हें जैव-अनुकूल बनाया गया है।
- संश्लेषित क्वांटम डॉट्स द्वारा क्वांटम दक्षता और फोटोस्टेबिलिटी क्षमता को भी बढ़ाया गया है। साथ ही मल्टीस्पेक्ट्रल बायोइमेजिंग के लिये इनका उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

क्वांटम डॉट्स के अनुप्रयोग में समस्या :

- क्वांटम डॉट्स के संश्लेषण के दौरान इसके कुछ आवश्यक/महत्वपूर्ण गुणों को पुनः प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- वाणिज्य की दृष्टि से पारंपरिक फ्लोरोफोरे की तुलना में इसका प्रयोग उतना संभव नहीं है।

COVID-19 और अश्वगंधा

COVID-19 तथा अश्वगंधा और प्रोपोलिस से संबंधित विषय

चर्चा में क्यों ?

‘भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली’ (Indian Institutes Of Technology- Delhi) और ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी’ [National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)- Japan] द्वारा किये गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार, अश्वगंधा (Ashwagandha) और ‘प्रोपोलिस’ (Propolis) COVID-19 हेतु दवा में मददगार साबित हो सकते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इस शोधकार्य को ‘बायोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स’ (Biomolecular Structure and Dynamics) पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा।
- IIT दिल्ली और AIST के शोधकर्ताओं ने अश्वगंधा और प्रोपोलिस आधारित यौगिकों का उपयोग COVID-19 के एंजाइम को लक्षित करने के लिये किया है, जिसे ‘मेन प्रोटीज’ (Main Protease) या ‘एम्प्रो’ (Mpro) के रूप में जाना जाता है।
- वायरस के प्रतिलिपि निर्माण में ‘मेन प्रोटीज’ (Main Protease) या ‘एम्प्रो’ (Mpro) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, ‘विथानोन’ [Withanone (Wi-N)] और ‘कैफेसिक एसिड फेनेथाइल एस्टर’ (Caffeic Acid Phenethyl Ester-CAPE) एम्प्रो की पुनरावृत्ति को रोकने में सक्षम है।
 - ◆ ‘विथानोन’ [Withanone (Wi-N)] अश्वगंधा से प्राप्त एक प्राकृतिक यौगिक है।
 - ◆ ‘कैफेसिक एसिड फेनेथाइल एस्टर’ (Caffeic Acid Phenethyl Ester-CAPE) न्यूजीलैंड प्रोपोलिस का एक सक्रिय संघटक है।

अश्वगंधा (Ashwagandha):

- अश्वगंधा (वैज्ञानिक नाम- विथानिया सोमनीफेरा) एक औषधीय जड़ी बूटी है, जिसे प्रतिरक्षा बढ़ाने हेतु उपयोग में लाया जाता है।
- अश्वगंधा आम तौर पर एक चूर्ण के रूप में भी उपलब्ध होता है जिसे जल, घी या शहद के साथ मिश्रित किया जाता है।
- यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कार्य में बढ़ोतरी करने के साथ ही याददाश्त में भी सुधार करता है।
- यह स्वस्थ यौन और प्रजनन संतुलन को बढ़ावा देने हेतु प्रजनन प्रणाली में भी सुधार करता है।
- अश्वगंधा तनाव को भी दूर करने में मदद करता है।

प्रोपोलिस (Propolis):

- प्रोपोलिस एक प्राकृतिक राल का मिश्रण है जो मधुमक्खियों द्वारा पौधों या कलियों से एकत्रित किये गए पदार्थों से उत्पादित होता है।
- मधुमक्खियाँ मुख्य रूप से चिनार से प्रोपोलिस एकत्रित करती हैं।
- मधुमक्खियाँ अपने छत्ते के निर्माण और मरम्मत में भी प्रोपोलिस का उपयोग करती हैं।

भारत सरकार की कुछ अन्य पहलें:

- ध्यातव्य है कि भारत सरकार ने COVID-19 के मद्देनजर कुछ आयुर्वेदिक दवाओं पर नैदानिक शोध अध्ययनों को शुरू करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है।
- आयुष संजीवनी एप (AYUSH Sanjivani App):
 - ◆ ‘आयुष संजीवनी एप’ को आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MEITY) द्वारा विकसित किया गया है।
 - ◆ इस एप से लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशों एवं विभिन्न कदमों की स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ COVID-19 के उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारीयों जुटाने में मदद मिलेगी।

COVID-19 परीक्षण हेतु स्वदेशी RNA पृथक्करण किट का विकास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization- CDSCO) की अनुमति मिलने के बाद COVID-19 परीक्षण के दौरान लिये गए नमूनों से RNA पृथक्करण हेतु बड़े पैमाने पर 'अगाप्पे चित्रा मैग्ना' (Aggape Chitra Magna) नामक स्वदेशी किट के निर्माण की तैयारी की जा रही है।

प्रमुख बिंदु:

- इस किट का विकास तिरुवनंतपुरम स्थित 'श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी' (Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology- SCTIMST) द्वारा किया गया है।
- RNA पृथक्करण किट के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने हेतु अप्रैल 2020 में इसकी तकनीकी को 'अगाप्पे डायग्नोस्टिक्स' (Agappe Diagnostics) को हस्तांतरित कर दिया गया था।
- इस किट को COVID-19 RNA पृथक्करण हेतु 'राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान' (National Institute of Virology) द्वारा स्वतंत्र रूप से मंजूरी दी गई है।

कार्यप्रणाली:

- COVID-19 बीमारी SARS-COV-2 नामक विषाणु के संक्रमण से होती है, किसी भी व्यक्ति के SARS-COV-2 से संक्रमित होने की पुष्टि हेतु व्यक्ति के गले और नाक से लिये गए नमूनों में इस विषाणु के RNA की उपस्थिति का पता लगाना अति महत्वपूर्ण है।
- किसी व्यक्ति से लिये गए नमूनों को एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रयोगशाला तक ले जाया जाता है।
- इस किट में किसी नमूने से 'राइबोन्यूक्लिक एसिड' (Ribonucleic Acid- RNA) को अलग करने के लिये चुंबकीय नैनोकणों का उपयोग किया जाता है।
- ये नैनोकण RNA से जुड़ जाते हैं और इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाने पर अत्यधिक शुद्ध और केंद्रित RNA प्राप्त होता है।
- ध्यातव्य है कि SARS-COV-2 संक्रमण का सफल परीक्षण के लिये RNA की पर्याप्त मात्रा का होना आवश्यक है, अतः इस विधि के माध्यम से SARS-COV-2 संक्रमण की सफलता पूर्वक पहचान करने की संभावना बढ़ जाती है।

लाभ:

- लागत:
 - ◆ SCTIMST द्वारा विकसित एक किट की लागत मात्र 150 रुपए है जो वर्तमान में उपस्थित अन्य विकल्पों का लगभग आधा है।
 - ◆ एक अनुमान के अनुसार, भारत को अगले 6 महीनों में प्रतिमाह लगभग 8 लाख RNA पृथक्करण किट की आवश्यकता होगी, अतः इस किट के द्वारा कम लागत में अधिक-से-अधिक परीक्षण किये जा सकेंगे।
- तकनीकी दक्षता:
 - ◆ इस किट में प्रयोग किये जाने वाले चुंबकीय नैनोकण की तकनीक के माध्यम से बहुत ही आसानी से RNA को एक बिंदु पर एकत्र किया जा सकता है।
 - ◆ अतः यदि व्यक्ति से लिये गए नमूने को रखने और ले जाने में RNA का विघटन हो जाता है, तो उस स्थिति में भी इस तकनीकी के माध्यम से बहुत ही आसानी से RNA को एकत्र कर सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा सकता है।
- अन्य परीक्षणों में उपयोग:
 - ◆ इस किट का प्रयोग 'लूप-मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लिफिकेशन' (Loop-mediated isothermal amplification- LAMP) के अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिप्लेक्सन (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction-RT-PCR) टेस्ट में भी किया जा सकता है।

- ◆ वर्तमान में भारत में अधिकांश RNA पृथक्करण किट विदेशों से आयात की जाती है और ऐसे में देश में बड़े पैमाने पर RT-PCR टेस्ट संचालित करने में 'RNA पृथक्करण किट' की अनुपलब्धता एक बड़ी बाधा बनी रहती है।
- ◆ अतः देश में बड़े पैमाने पर स्वदेशी 'RNA पृथक्करण किट' के निर्माण से इस समस्या को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी।

आगे की राह:

- SCTIMST निदेशक के अनुसार, अगले कुछ ही दिनों में एक अन्य उत्पादक को जोड़कर इस किट के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जुलाई 2020 के अंत तक स्वदेशी किट से ही प्रतिदिन एक लाख टेस्ट किये जा सकें।
- आगे चलकर इस स्वदेशी किट के माध्यम से परीक्षण क्षमता को 8 लाख प्रतिदिन तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है, जिससे 'RNA पृथक्करण किट' के लिये आयात पर निर्भरता को समाप्त किया जा सके।
- विशेषज्ञों के अनुसार, औद्योगिकीकरण, शहरों की बढ़ती जनसंख्या और प्रकृति के अनियंत्रित दोहन के कारण भविष्य में अनेक प्रकार के संक्रामक रोगों में वृद्धि हो सकती है, ऐसे में COVID-19 परीक्षण हेतु स्वदेशी 'RNA पृथक्करण किट' का विकास भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये एक बड़ी सफलता है।
- देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी पर शोध और विकास को बढ़ावा देकर भविष्य में अन्य संक्रामक रोगों से निपटने में सहायता प्राप्त हो सकती है, साथ ही भविष्य में इसके माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों का भी लाभ उठाया जा सकेगा।

गेहूं की नवीन किस्म तथा फसल अवशिष्ट समस्या

चर्चा में क्यों ?

'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology) के एक स्वायत्तशासी संस्थान 'अगरकर अनुसंधान संस्थान' (Agharkar Research Institute- ARI) पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं में दो 'वैकल्पिक बौने जीनों' (Alternative Dwarfing Genes)- Rht14 एवं Rht18 की मैपिंग की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- जीन मैपिंग किसी जीन के स्थान तथा जीनों के बीच की दूरी की पहचान करने के तरीकों का वर्णन करता है।
- नवीन मैपिंग किये गए जीन गेहूं के बीजों के बेहतर नवांकुर (Seedling Vigour) तथा लंबी अवधि तक कोलोप्टाइल (Coleoptiles) के रूप में अर्थात् नवांकुरों की खरपतवारों से रक्षा करने के रूप में कार्य करते हैं।

बौना जीन (Dwarfing Genes) :

- बौने जीनों का उपयोग कई दशकों से पादप प्रजनन में किया जा रहा है। गेहूं और चावल की बौनी किस्मों के निर्माण से बौने जीन ने हरित क्रांति में बहुत योगदान दिया है। प्रारंभिक 'बौने जीन आधारित' बीज किस्मों को अर्द्ध-बौने जीन के रूप में भी जाना जाता है।
- यह DNA का एक भाग होता है जिसमें आवश्यक क्षारों का अनुक्रम DNA के समान ही होता है। जब इस प्रकार के जीनों को फसलों में अंतरण किया जाता है तो ये फसलें लंबाई में कम परंतु अधिक उत्पादन देने वाली होती हैं।

वैकल्पिक बौना जीन (Alternative Dwarfing Genes):

- हरित क्रांति के बाद से एकल स्रोत आधारित बौने जीन की किस्मों के उपयोग से फसलों से कई महत्वपूर्ण जीनों का क्षरण हो गया है, अतः अर्द्ध बौने जीन आधारित फसलों के स्थान पर नवीन बौने जीन आधारित फसलों की किस्मों के निर्माण की दिशा में वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं।

जेनेटिक मार्कर (Genetic Marker):

- जेनेटिक मार्कर एक गुणसूत्र पर स्थित निश्चित जीन अथवा DNA अनुक्रम को बताता है, जिसका उपयोग प्रजातियों की पहचान करने के लिये किया जा सकता है।

शोध कार्य:

- ARI के वैज्ञानिकों ने शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाने वाले डुरम (Durum) गेहूं में गुणसूत्र 6A पर 'बौने जीनों' की मैपिंग की है। गेहूं की अच्छी गुणवत्ता की किस्म को बौने जीन का उपयोग करके 'डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल' आधारित मार्कर (DNA-based Markers) विधि के आधार पर विकसित किया गया।
- DNA आधारित मार्कर तकनीक, गेहूं प्रजनकों (Breeders) को 'वैकल्पिक बौने जीन' के वाहक गेहूं किस्म का चयन करने में सहायता करेंगे।
- वैज्ञानिकों द्वारा DNA आधारित मार्करों का उपयोग कर इन जीनों को भारतीय गेहूं की किस्मों में अंतरण करने का प्रयास किया जा रहा है।

गेहूं की नवीन किस्म की विशेषताएँ:

- जीनों के अंतरण के आधार पर बनाई जाने वाली गेहूं की किस्म चावल के अवशिष्टों युक्त एवं शुष्क मृदा में भी बुवाई के लिये उपयुक्त होगी।
- इन वैकल्पिक बौने जीनों का प्रयोग कर विकसित गेहूं की किस्म के निर्माण से चावल के फसल अवशेष को जलाने को आवश्यकता नहीं होगी।
- ◆ यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि गेहूं की फसल की बुवाई से पूर्व किसानों द्वारा चावल के अवशेषों को जलाया जाता है, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है।
- इन गेहूं के बीजों की बुवाई अधिक गहराई तक की जा सकती है ताकि शुष्क मृदा में भी ये फसल अवशिष्ट नमी का उपयोग कर सके।

क्यों थी शोध की आवश्यकता:

- वर्तमान में गेहूं की केवल अर्द्ध बौनी (Semi-Dwarf Wheat) किस्में उपलब्ध हैं। गेहूं की इन किस्मों का निर्माण हरित क्रांति के दौरान किया गया था।
- इन अर्द्ध बौनी गेहूं की किस्मों में Rht1 युग्म विकल्प (Allele) (किसी दिये गए जीन का भिन्न रूप) होते हैं, जो केवल उच्च उर्वरता वाली तथा सिंचित भूमि में ही अधिकतम उपज देती हैं।
- इन फसलों की कोलोप्टाइल क्षमता (नवांकुरों की खरपतवारों से रक्षा) कम होती है। इस कारण गेहूं की ये अर्द्ध बौनी किस्में शुष्क वातावरण में गहरी बुवाई स्थितियों के अधिक अनुकूल नहीं हैं।

शोध का महत्त्व:

- नवीन गेहूं के उपयोग से बहुमूल्य जल संसाधनों की बचत होगी और किसानों के लिये खेती की लागत कम हो जाएगी। गेहूं की इन किस्मों को शुष्क-मृदा में भी उगाया जा सकता है।

आगे की राह:

- चावल फसल के अवशेषों को जलाना पर्यावरण, मृदा तथा मानव स्वास्थ्य सभी के लिये काफी नुकसानदायक है। इसलिये गेहूं सुधार कार्यक्रमों में विकल्प बौना जीनों को शामिल किये जाने की आवश्यकता है।
- भारतीय गेहूं किस्मों में Rht1 के केवल दो ड्वार्फिंग एलेल की ही प्रधानता है, इसलिये भारत में उगाए जाने वाले गेहूं में बौने जीनों के आनुवंशिक आधार को और अधिक विविधीकृत करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- गेहूं की 'बौने जीन' आधारित किस्म के निर्माण से फसल अवशिष्ट जलाने की समस्या का समाधान संभव है यदि नवीन गेहूं की किस्मों को किसानों को कम आर्थिक लागत के साथ उपलब्ध कराया जाए।

वस्त्र समिति

चर्चा में क्यों ?

वस्त्र समिति, मुंबई भी अब स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य COVID-19 योद्धाओं के लिये आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment-PPE) के परीक्षण और प्रमाणन का कार्य करेगी।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र समिति (Textiles Committee) को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का परीक्षण करने और उसे प्रमाणित करने के लिये 9वीं अनुमोदित प्रयोगशाला के रूप में शामिल किया है।
- वस्त्र समिति, मुंबई के अतिरिक्त अन्य आठ प्रयोगशालाएँ निम्न प्रकार हैं: (1) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (The South India Textile Research Association- SITRA), कोयंबटूर, तमिलनाडु (2) DRDO- परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान, (DRDO-Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences) नई दिल्ली (3) हैवी व्हीकल फैक्ट्री, (Heavy Vehicle Factory) अवाडी, चेन्नई (4) स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, (Small Arms Factory) कानपुर, उत्तर प्रदेश, (5) आयुध कारखाना, (Ordnance Factory) कानपुर, उत्तर प्रदेश (6) आयुध कारखाना (Ordnance Factory), मुरादनगर, उत्तर प्रदेश (7) आयुध कारखाना, (Ordnance Factory) अंबरनाथ, महाराष्ट्र और (8) मेटल एंड स्टील फैक्ट्री, (Metal & Steel Factory) ईशापोर, पश्चिम बंगाल।
- उक्त सभी प्रयोगशालाओं को 'नेशनल एक्कीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़' (National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories- NABL) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

महत्त्व

- ध्यातव्य है मौजूदा समय में विभिन्न चुनौतियों के अतिरिक्त भारत को प्रतिष्ठित घरेलू विनिर्माताओं की अनुपलब्धता और चीन से उपकरणों का आयात करने में होने वाली लगातार देरी जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
- इसके अतिरिक्त दुनिया भर में ऐसे उपकरणों की तेज़ी से बढ़ती मांग के कारण चीन की अवसरवादी कंपनियों द्वारा कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके कारण सरकार को इन उपकरणों के लिये अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है।
- ऐसे में इन चुनौतियों का घरेलू समाधान करना आवश्यक है। वस्त्र समिति के अधीन मुंबई में मान्यता प्राप्त PPE जाँच सुविधा शुरू करने से सरकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) निर्माताओं को अपने उत्पाद की गुणवत्ता की समयबद्ध जाँच का आश्वासन मिलेगा।

वस्त्र समिति (Textiles Committee)

- वस्त्र समिति (Textiles Committee) की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, जो कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है।
- वस्त्र समिति का मुख्य कार्य वस्त्रों तथा वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, किंतु वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 की धारा 4 के वस्त्र समिति को निम्नलिखित कार्य भी सौंपे गए हैं-
 - ◆ वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक अनुसंधान करना और इस कार्य हेतु अन्य लोगों को प्रोत्साहित करना;
 - ◆ वस्त्रों, वस्त्र मशीनरी तथा पैकिंग सामग्री के लिये मानक विनिर्देश स्थापित करना;
 - ◆ वस्त्रों तथा वस्त्र मशीनरी के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएँ स्थापित करना;
 - ◆ वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देना;
 - ◆ विषय से संबंधित आँकड़े जुटाना;
 - ◆ केंद्र सरकार को वस्त्रों तथा वस्त्र मशीनरी आदि से संबंधित विषयों पर परामर्श देना।
- वस्त्र समिति का मुख्यालय मुंबई में है। प्रमुख वस्त्र विनिर्माता/निर्यात केंद्रों पर इसके 29 अन्य कार्यालय हैं।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) और भारत

- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) एक प्रकार का चिकित्सीय उपकरण होता है, जिसे आमतौर पर मेडिकल पेशेवरों द्वारा प्रयोग किया जाता है।
- यह न केवल डॉक्टरों, नर्सों जैसे चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा करता है, बल्कि घातक बीमारी के प्रसार को रोकने में भी मदद करता है।
- अब तक हुए अनुसंधानों के अनुसार, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के प्रसार को कम करने में काफी मददगार साबित हुआ है।
- ध्यातव्य है कि भारत थोड़े ही समय में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है।
- COVID-19 संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक PPE के उत्पादन में चीन विश्व का अग्रणी देश बना हुआ है।

अल्जाइमर रोग और ट्रोजन हॉर्स

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी (Indian Institute of Technology, Guwahati- IITG) के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित 'ट्रोजन हॉर्स' (Trojan Horse) विधि अल्जाइमर रोग संबंधी स्मृति ह्रास को रोकने में मददगार साबित हो सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि 'ट्रोजन हॉर्स' विधि (ट्रोजन पेप्टाइड्स का उपयोग) की मदद से मस्तिष्क में न्यूरोटॉक्सिक मॉलिक्यूल (Neurotoxic Molecules) के संचय को रोका जा सकता है।
- ट्रोजन पेप्टाइड्स (Trojan Peptides) का उपयोग एक कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के रूप में किया जाता है जो मस्तिष्क में 'एमीलॉइड प्लेक्स' (Amyloid Plaques) के एकत्रीकरण को रोकता है।
- मस्तिष्क में एमीलॉइड-बीटा पेप्टाइड्स (Amyloid-beta Peptides) के संचय के कारण अल्जाइमर रोग होता है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, बाहरी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर एमीलॉइड-बीटा पेप्टाइड्स के संचय को रोका जा सकता है जिसके कारण अल्जाइमर रोग से पीड़ित होने की संभावना कम हो जाती है।
- एमीलॉइड-बीटा पेप्टाइड्स 'एमीलॉइड प्लेक्स' के ही समान होता है जो एक निश्चित अवधि के बाद धमनियों को अवरुद्ध कर रक्त की आपूर्ति को प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप एमीलॉइड-बीटा पेप्टाइड्स (Amyloid Beta Peptides) के संचय से अल्जाइमर रोग होता है। इससे हृदय संबंधी रोग भी उत्पन्न होते हैं।

कार्यप्रणाली:

- ट्रोजन पेप्टाइड शरीर में मौजूद पेप्टाइड की तरह ही होता है किंतु जब यह शरीर में मौजूद अन्य पेप्टाइड्स के साथ मिश्रित होता है, तो इसका कार्य एकत्रीकरण के विपरीत हो जाता है।
- ट्रोजन पेप्टाइड के इंजेक्शन के माध्यम से तंत्रिका कोशिकाओं के नष्ट होने की दर को 17-35% तक कम किया जा सकता है। इस विधि से अल्जाइमर रोग को लगभग 10 वर्ष तक रोका जा सकता है।

अल्जाइमर रोग

- अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (Neurological Disorder) है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है।
- इसके कारण रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, स्वभाव में लगातार परिवर्तन होता रहता है, आदि।
- प्रारंभ में ये लक्षण कम मात्रा में होते हैं लेकिन समय रहते इसका उपचार न कराया जाए तो यह गंभीर और असाध्य हो जाता है।

- 55-60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में अल्जाइमर, डिमेंशिया (dementia) का प्रमुख कारण है। डिमेंशिया रोग मानसिक रोगों का एक समूह होता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता घट जाती है।
- यह रोग मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की टैंगल्स (Tangles) नामक प्रोटीन निर्माण के कारण होता है।
- उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका खतरा और बढ़ जाता है लेकिन कभी-कभी दुर्लभ आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण इसके लक्षण 30 वर्ष की आयु के लोगों में भी देखने को मिल जाते हैं।
- अल्जाइमर एक असाध्य रोग है क्योंकि इसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएँ मृत हो जाती हैं, जो पुनः जीवित नहीं हो सकती हैं।
- यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अनुसार, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अल्जाइमर होने का खतरा दोगुना होता है।
- अल्जाइमर रोग का इलाज भारत के लिये महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद भारत इस रोग से सबसे ज्यादा पीड़ित है।

क्वांटम एंटेगलमेंट

चर्चा में क्यों ?

‘सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस’ (Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Sciences) के शोधकर्ताओं ने ‘क्या इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म एंटेगलमेंट अवस्था में है’ का पता लगाने हेतु एक प्रोटोकॉल विकसित किया है। एंटेगलमेंट अवस्था क्वांटम सूचना प्रसंस्करण के कार्यों में मददगार साबित हो सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- क्वांटम एंटेगलमेंट (Quantum Entanglement)
 - ◆ क्वांटम यांत्रिकी की कई विशेषताओं में से एक क्वांटम एंटेगलमेंट है जो ‘क्वांटम टेलीपोर्टेशन को संभव बनाता है।
 - ◆ क्वांटम एंटेगलमेंट एक भौतिक घटना है। यह घटना तब होती है जब कणों का युग्म या कणों का समूह इस तरह से उत्पन्न या मिलते हैं कि प्रत्येक कणों की क्वांटम अवस्था को स्वतंत्र रूप से दूसरों कण की अवस्था के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।
 - ◆ इनटैंगल अवस्था कई क्वांटम सूचना प्रसंस्करण कार्यों और क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल हेतु महत्वपूर्ण संसाधन हैं।
- आवश्यकता क्यों ?
 - ◆ एंटेगलमेंट की अवस्था बहुत ही नाजुक होती है साथ ही वातावरण के माध्यम से फोटॉनों के आवागमन के दौरान एंटेगलमेंट आसानी से खो जाते हैं।
 - ◆ एंटेगलमेंट को संसाधन के रूप में उपयोग करने हेतु यह जानना बेहद आवश्यक है कि क्या फोटॉन का युग्म इनटैंगल होता है।
 - ◆ एंटेगलमेंट की अवस्था को जाँच करने हेतु उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है लेकिन ऐसे उपकरणों को हैकरों द्वारा हैक किया जा सकता है।
 - ◆ डिवाइस इंडिपेंडेंट सेल्फ टेस्टिंग (Device Independent Self Testing DIST) एक ऐसी विधि है, जिसके उपयोग से ऐसी संभावना को दूर किया जा सकता है।
 - ◆ DIST विधि के माध्यम से एंटेगलमेंट में दो फोटॉनों की अज्ञात क्वांटम अवस्था को सत्यापित किया जा सकता है।

शोधकार्य:

- उल्लेखनीय है कि यह प्रोटोकॉल ‘फिजिकल रिव्यू’ (Physical Review) में प्रकाशित किया गया है।
- बीजिंग कम्प्यूटेशनल साइंस रिसर्च सेंटर (Computational Science Research Centre) के एक समूह और क्वांटम सूचना की प्रमुख प्रयोगशाला- हेफेई के सहयोग द्वारा प्रयोगात्मक रूप से कार्यान्वित किया गया है।
- प्रयोग में एक ऑल-ऑप्टिकल संरचना का उपयोग किया गया है, जिसमें ‘बीटा बेरियम बोरेट’ (Beta Barium Borate- BBO) क्रिस्टल पर लेजर प्रकाश की मदद से एंटेगलमेंट प्रोटॉन का युग्म बनाया गया है।
- शोधकर्ताओं ने फोटॉन के युग्म की एंटेगलमेंट अवस्था को सत्यापित करने हेतु बॉब (Bob) को पक्ष तथा ऐलिस (Alice) को विपक्ष के रूप में उपयोग किया है।

- शोधकर्ताओं के द्वारा प्रयोग के दौरान एक फोटॉन ऐलिस (नीचे बाएँ) की तरफ गया जबकि दूसरा फोटॉन बॉब (ऊपर से दाएँ) की तरफ गया।
- शोधकर्ताओं ने फोटॉन का पता लगाने से पहले बीम-स्प्लिटर्स (Beam Splitters), फेज-शिफ्टर्स (Phase Shifters) और क्वांटम गेट ऑपरेशंस (Quantum Gate Operations) का उपयोग करते हुए कई ऑप्टिकल प्रयोग किये।
- शोधकर्ताओं ने न केवल एंटैंगलमेंट की अवस्था को सत्यापित किया बल्कि न्यूनतम त्रुटि के साथ फोटॉन युग्म के एंटैंगलमेंट की परिमाण को भी निर्धारित किया है।

प्रवासियों की वास्तविक समय ऑनलाइन निगरानी

चर्चा में क्यों ?

'इंडिया ऑब्ज़र्वेटरी' (India Observatory) जो कि एक ओपन-सोर्स डेटाबेस के रूप में कार्य करती है, ने एक 'भौगोलिक सूचना तंत्र' (Geographic Information System- GIS) आधारित डैशबोर्ड का निर्माण किया है जो प्रवासियों की आवाजाही को दर्शाने में सक्षम है।

प्रमुख बिंदु:

- इस मंच का निर्माण गैर-लाभकारी संगठन 'वन पारिस्थितिक सुरक्षा' (Forest Ecological Security- FES) आनंद, गुजरात के सहयोग से किया गया है, जिसे 'CoAST इंडिया' (Collaboration/Covid Action Support Group) कहा जाता है।
- यह मंच 55 संगठनों के माध्यम से जमीनी स्तर पर; विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।

वेब आधारित भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS):

- वेब आधारित भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) में वेब तथा अन्य परिसंचालनों का उपयोग कर स्थानिक जानकारी का अनुप्रयोग, सूचनाओं को संसाधित एवं प्रसारित किया जाता है।
- यह उपयोगकर्ताओं को आँकड़ों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं परिणामों को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक प्रसारित करने में मदद करता है तथा नीति निर्माताओं के लिये उपयुक्त आँकड़ों को उपलब्ध कराने में मदद करता है।

प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में प्रयुक्त GIS में बदलाव :

- वन पारिस्थितिक सुरक्षा (FES) संगठन मुख्यतः वनों, जल निकायों, संरक्षण आदि पारिस्थितिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। जो 'उपग्रह आधारित निगरानी' के माध्यम से इनकी निगरानी करता है।
- पारिस्थितिक निगरानी के लिये 1,800 से अधिक मापदंडों का उपयोग किया जाता है। FES द्वारा इसी प्रणाली में आवश्यक बदलाव करके प्रवासियों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग (Real Time Tracking) की जाएगी।

उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवासी श्रमिकों का कौशल मानचित्र:

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 मई, 2020 को लॉकडाउन के दौरान राज्य में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिये कौशल मानचित्र को जारी किया गया।
- कौशल आधारित मानचित्र का उपयोग करके सरकार इन श्रमिकों को इनके कौशल और अनुभव के अनुसार राज्य में रोजगार प्रदान करेगी तथा इसके लिये एक प्रवासी आयोग का गठन करेगी।

प्रवासी GIS डैशबोर्ड के मुख्य तत्त्व:

- प्रवासियों को डैशबोर्ड पर वास्तविक समय निगरानी के लिये चार प्रकार के तत्त्वों की जानकारी होना आवश्यक है:
 - ◆ प्रवासियों और समाज के सुभेद्य लोगों के स्थान की जानकारी;
 - ◆ उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान;

- ◆ मार्गों में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता,
- ◆ गैर-सरकारी संगठन तथा नागरिक समाज संगठन को जोड़ना।

प्रवासी मानचित्रण की कार्यप्रणाली:

- COVID-19 महामारी के व्यापक प्रसार के बाद 'रैपिड कम्युनिटी रिस्पॉन्स COVID' (Rapid Community Response to Covid- RCRC) नामक एक समूह का गठन किया गया तथा प्रवासियों की निगरानी की लिये डैशबोर्ड का निर्माण किया गया।
- लोगों की आवाजाही, भोजन की आवश्यकता, वित्तीय सहायता, चिकित्सा देखभाल आदि की नियमित सूचना डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है तथा सूचनाओं को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
- 15 अप्रैल को प्रवासियों की आवाजाही को दर्शाने वाले 'प्रवासी मानचित्र' (Migrant Map) कार्य कर रहा है।
- आँकड़ों का डैशबोर्ड पर मानचित्रण करने के लिये संकटग्रस्त लोगों द्वारा की जाने वाली फोन कॉल का उपयोग किया गया।
- प्रवास से संबंधित आँकड़ों को सरकारों और छोटे स्थानीय नागरिक समूहों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि प्रवासियों को वास्तविक समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
- 'प्रवासी मानचित्र' के माध्यम से, वास्तविक समय प्राप्त प्रवास संबंधी स्थानिक आँकड़ों की क्षेत्र में उपलब्ध प्रशासनिक सुविधाओं यथा परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाओं, वायु परिवहन आदि से मेल किया जाता है तथा आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाया जाता है।

GIS प्रणाली में ओपन-सोर्स डेटा का महत्त्व:

- ओपन-सोर्स डेटा का महामारी प्रबंधन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व है क्योंकि ये आँकड़े स्थानीय रूप से उपलब्ध होते हैं तथा इन आँकड़ों की प्राप्ति के लिये किसी बड़े संगठन या सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
- भू-स्थानिक आँकड़ों की सरकार, नागरिक समाज और उद्योग सभी के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। हालाँकि वर्तमान समय में भारत में 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' या 'भारतीय सर्वेक्षण' के पास उपलब्ध आँकड़ों को 'रणनीतिक' दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जाता है तथा ये आँकड़े बड़े पैमाने पर जनता के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं।

निष्कर्ष:

- वेब आधारित GIS, स्थानीय सूचना के प्रसार एवं उनकी विशिष्टताओं एवं सम्बद्ध कार्यों के लिये उपयोगी है। प्राकृतिक अनुसंधान स्थानिक आँकड़ों के प्रदर्शन हेतु भारत में अनेक महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग विकसित किये हैं। पारंपरिक रूप में स्थानिक आँकड़ों को GIS आँकड़ों के प्रसार के लिये तैयार किया जाता है।

कांगड़ा चाय

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस (21 मई) के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित 'हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान' (Institute of Himalayan Bioresource Technology- IHBT) में आयोजित सेमिनार में वैज्ञानिकों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि कांगड़ा चाय (Kangra Tea) में ऐसे गुण विद्यमान हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी रूप से लड़ने में सक्षम हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (The Indian Council of Medical Research- ICMR) द्वारा COVID-19 से लड़ने के लिये संशोधित प्रोटोकॉल में प्रतिरोधक क्षमता में सुधार और उपचार के लिये हाइड्रोक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine- HCQ) के स्थान पर HIV-रोधी दवा के उपयोग को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- कांगड़ा चाय के बारे में ही यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस चाय में मौजूद रसायन प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और कोरोना वायरस संक्रमण को अवरुद्ध करने में HIV-रोधी दवाओं की तुलना में अधिक कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (IHBT):

- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा सितंबर, 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संपूर्ण भारत में CSIR की मौजूदगी में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी कॉम्प्लेक्सों और 5 यूनिटों के सक्रिय नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है।

कांगड़ा चाय:

- कांगड़ा भारत के सबसे छोटे चाय क्षेत्रों में से एक है। कांगड़ा चाय हरी और काली दोनों प्रकार की होती है।
- काली कांगड़ा चाय स्वाद में मीठी होती है जबकि हरी चाय का स्वाद सुगंधित लकड़ी के समान होता है।
- इसका निर्यात पेशावर के रास्ते काबुल और मध्य एशिया में किया जाता है।
- कांगड़ा चाय को पंजीकृत भौगोलिक संकेतक (GI) प्राप्त है।

कांगड़ा चाय पर वैज्ञानिक प्रयोग:

- वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर-आधारित मॉडल का उपयोग करते हुए जैविक रूप से सक्रिय 65 रसायनों/पॉलीफेनोल्स का परीक्षण किया गया।
- ये पॉलीफेनोल्स (Polyphenols), COVID-19 से ग्रस्त मरीजों के इलाज के लिये स्वीकृत HIV रोधी दवाओं की तुलना में अधिक कुशलता एवं व्यावसायिक रूप से एक विशिष्ट वायरल प्रोटीन को बांध सकते हैं।
- परीक्षण में देखा गया कि ये रसायन उन वायरल प्रोटीनों की गतिविधि को अवरुद्ध करने में सक्षम है, जो मानव कोशिकाओं में वायरस को पनपने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराते है।

कांगड़ा चाय द्वारा निर्मित अन्य उत्पाद:

- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) से संबद्ध 'हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान' द्वारा अपने प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ मिलकर चाय आधारित प्राकृतिक सुगंधित तेलों से युक्त अल्कोहल हेंड सैनिटाइजर का उत्पादन व आपूर्ति भी की जा रही है।
- IHBT द्वारा चाय के अर्क का उपयोग कर हर्बल साबुन भी बनाया गया है। शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि यह साबुन प्रभावी रूप से फफूंदरोधी, जीवाणुरोधी व विषाणुरोधी गुणों से युक्त है।

प्रतिरक्षा बढ़ाने हेतु फंगल पाउडर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में असम राज्य के 'बोडोलैंड विश्वविद्यालय'(Bodoland University) के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर (Fungal Powder) तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- इस पाउडर को एक दुर्लभ परजीवी कवक जिसे 'सुपर मशरूम' के नाम से जाना जाता है से प्राप्त किया गया।
- इस 'सुपर मशरूम' को 'कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस' (Cordyceps militaris) के नाम से जाना जाता है।
- 'सुपर मशरूम' को -800C तापमान पर हिमशुष्कन (Lyophilisation) प्रक्रिया द्वारा इस फफूंद पाउडर को प्राप्त किया गया।

हिमशुष्कन/लियोफिलाइजेशन (Lyophilisation):

- हिमशुष्कन किसी दिये गए उत्पाद से जल या अन्य विलायकों को हटाने की प्रक्रिया है जिसे क्रायोडिसिकेशन भी कहा जाता है।
- इस क्रिया में एक जमे हुए उत्पाद को बर्फ तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है।

कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस

- वैज्ञानिक नाम: Cordyceps militaris
 - ◆ जगत (Kingdom)- कवक

- ◆ संघ (Division) - एस्कोमाइकोटा
- ◆ वर्ग (Class): सोर्डियारोमाइसेस
- ◆ गण (Order): हाइपोक्रील्स
- ◆ कुल (Family): कॉर्डिसिपिटैसिया
- ◆ वंश (Genus): कॉर्डिसेप्स
- विश्व में कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस की 400 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- कॉर्डिसेप्स फफूंद परजीवी के रूप में कीटों के लार्वा पर उपस्थित होता है।
- इसे सुपर मशरूम के रूप में जाना जाता है।
- इसमें एंटी-एजिंग, एंटी-वायरल, ऊर्जा और प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले गुण विद्यमान होते हैं।
- प्राकृतिक रूप में कॉर्डिसेप्स को प्राप्त करना कठिन है और सूख जाने पर इसकी कीमत कम-से-कम 8 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है।

अन्य शोध कार्य:

- फंगल पाउडर के अलावा, बोडोलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा एक झिल्ली मास्क (Membrane Mask) भी विकसित किया है जिसकी कीमत 4 रुपए प्रति यूनिट से कम है।
- इसके अलावा हर्बल और अल्कोहल-आधारित सैनिटाइजर, लेजर , एक कम लागत वाले फिजिकल-कम-केमिकल सैनिटाइजेशन बॉक्स तथा एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (Personal Protective Equipment- PPE) किट भी विकसित की गई है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान' संबंधी मुद्दा

चर्चा में क्यों ?

बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान (Bannerghatta Biological Park) ने 'एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम' (Animal Adoption Programme) के तहत नागरिकों को एक वर्ष के लिये उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने हेतु नागरिकों को कुछ धनराशि अदा करनी होगी।
- ◆ भारतीय कोबरा (Indian Cobra) तथा एशियाई हाथी (Asiatic Elephant) को गोद लेने हेतु प्रति वर्ष क्रमशः 2 हजार तथा 1.75 लाख रुपए देना होगा।
- ◆ बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान से किंग कोबरा, जंगली बिल्ली, असमिया लंगूर, काला हिरन, सांभर इत्यादि को एक वर्ष के लिये गोद लिया जा सकता है।
- ◆ उद्यान के अनुसार, वर्तमान में 21 हाथी इंटरनेट के माध्यम से गोद लेने हेतु उपलब्ध हैं।
- उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये उपहार देने का भी प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिये, उद्यान में निःशुल्क प्रवेश, प्रमाणपत्र, 3 वर्ष के लिये उद्यान के महत्त्वपूर्ण सम्मलेनों में निःशुल्क प्रवेश, इत्यादि।
- 'एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम' के अनुसार, उद्यान के वन्य जीवों के भरण-पोषण, चिकित्सीय देखभाल खर्चों में शामिल होने का एक अवसर है जिसमें भाग लेने वाले लोगों हेतु 'आयकर अधिनियम' की धारा 80जी (दान से संबंधित) के तहत कर में छूट देने का प्रावधान भी है।
- इस पहल से लोगों को वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूक करने के साथ ही वन्य जीवों के विभिन्न व्यवहारों से अवगत कराया जा सकेगा।
- यह पहल वन्यजीवों के उत्तरजीविता संबंधी कारकों को चिह्नित करने, वन्यजीवों के विभिन्न आवास स्थलों की पहचान करने में मदद करेगी।

भारतीय कोबरा (Indian Cobra):

- इसका वैज्ञानिक नाम 'नाजा नाजा' (Naja naja) है।
- यह भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाया जाता है।
- यह साँप आमतौर पर खुले जंगल के किनारों, खेतों और गाँवों के आसपास के क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं।

बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान (Bannerghatta Biological Park):

- कर्नाटक के बंगलूरु में स्थित बन्नेरघट्टा उद्यान की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी जिसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- वर्ष 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया जिसे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहीं स्थापित किया गया था।
- यह उद्यान जंगली बिल्लियों, भारतीय तेंदुओं, बाघ, चीतों एवं हाथियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है।

लद्दाख हिमालय की नदियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी' (Wadia Institute of Himalayan Geology- WIHG) के वैज्ञानिकों द्वारा लद्दाख हिमालय क्षेत्र की नदियों में होने वाले 35000 वर्ष पुराने नदियों के कटाव/क्षरण (River Erosion) का अध्ययन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- अध्ययन के दौरान, उन चौड़ी घाटियों एवं हॉटस्पॉट की पहचान की गई जो बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं।
- अध्ययन में बताया गया कि किस तरह, शुष्क लद्दाख हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियों द्वारा विभिन्न जलवायु परिवर्तनों के बाद भी स्वयं को लंबे समय तक संचालित किया है।
- वैज्ञानिकों द्वारा नदियों के पानी एवं गाद/अवसाद/तलछट के मार्ग पर भी विचार किया गया जो एक महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि वर्तमान समय में बुनियादी ढाँचे एवं स्मार्ट शहरों को विकसित करते समय इन सभी बातों पर जोर दिया जा रहा है।
- अध्ययन में हिमालय से निकलने वाली नदियों की पहचान कर इन नदियों के अपवाह क्षेत्रों में उन स्थानों को चिह्नित किया गया जो सर्वाधिक क्षरित होने के साथ-साथ गाद/तलछट से भर रहे हैं।
- अधिकांश तलछट/गाद उच्च हिमालयी क्रिस्टलाइन से प्राप्त किये गए हैं जो ज़ास्कर के उद्गम क्षेत्र (Headwater Region) में स्थित हैं।
- नदी के ऊपरी और निचले जलग्रहणों क्षेत्रों के बीच भू-आकृति अवरोध की उपस्थिति के बावजूद इन तलछट के क्षरण के लिये जिम्मेदार प्रमुख कारणों में पहला कारण था- डीग्लेसिएशन यानी अहिमाच्छादन तथा दूसरा, उद्गम स्थल में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा।
- शोध में बताया गया कि, ऊपरी ज़ास्कर में 48 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैली पदम घाटी (Valley of Padam) की भू-आकृतियों यथा- घाटी के किनारों, जलोढ़ पंखों इत्यादि में विशाल मात्रा में अवसाद संग्रहित है।
- जहाँ वर्तमान में, 0.96±0.10 घन किमी. तलछट घाटी के किनारों में संग्रहीत है और पिछले 32 हजार वर्षों से 2.29±0.11 घन किमी. तलछट पदम घाटी से नदियों द्वारा अपवाहित किया जा चुका है।

लद्दाख हिमालय:

- लद्दाख हिमालय, ग्रेटर हिमालय पर्वतमाला और काराकोरम पर्वतमाला के बीच एक अत्यधिक ऊँचाई पर स्थित रेगिस्तान (High Altitude Desert) का निर्माण करता है।
- लद्दाख हिमालय से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ शामिल हैं।
- ज़ास्कर नदी ऊपरी सिंधु अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, जो अत्यधिक विकृत ज़ास्कर श्रेणियों के माध्यम से लंबवत बहती है।
- ज़ास्कर नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ डोडा (Doda) और त्सरापलिंगती चु (Tsrappingti Chu) हैं, जो ऊपरी घाटी में पदम गाँव में मिलती हैं। इनके मिलने के बाद ही ज़ास्कर नदी का निर्माण होता है।

महत्त्व:

- इस शोध के द्वारा परिवर्ती जलवायु क्षेत्र में भू-आकृतिक विकास को समझने में मदद मिलेगी।
- यह अध्ययन उन समस्याओं का समाधान करने में मददगार साबित होगा जो नदी-जनित क्षरण और तलछट जमाव से संबंधित है। ये नदी के मैदानों और डेल्टाओं को बनाने वाले मुख्य कारक भी हैं और जो विकसित सभ्यताओं के लिये एक उर्वरक भूमि प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजी'

(Wadia Institute of Himalayan Geology- WIHG)

- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजी, 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of the Science & Technology) के अंतर्गत हिमालय के भू-विज्ञान (Geology of the Himalaya) के अध्ययन से संबंधित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1968 में उत्तराखंड, देहरादून में की गई।
- यह हिमालय के भू-आवेग संबंधी विकास के संबंध में नई अवधारणाओं और मॉडलों के विकास के लिये अनुसंधान कार्यों को संपन्न करता है।
- हिमालयी भू-विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले देश के विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान गतिविधियों हेतु समन्वय स्थापित करना।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने असम राज्य सरकार को 'अफ्रीकन स्वाइन फीवर' (African Swine Fever- ASF) से प्रभावित सूअरों का इलाज करने की सलाह दी है।

मुख्य बिंदु:

- ASF पूर्वी असम में नवंबर-दिसंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे चीन के इलाकों में रिपोर्ट किया गया था। ASF के कारण भारत में अप्रैल के मध्य में सूअरों की मौत होना शुरू हो गई थी तथा अब तक लगभग 2,500 सूअरों की मौत हो चुकी है।
- असम में ASF के कारण स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है क्योंकि असम में किसानों द्वारा सूअरों का पालन किया जाता है तथा इस क्षेत्र के किसानों के पास 20 लाख से अधिक सूअर हैं।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर (African Swine Fever):

- ASF घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल (Haemorrhagic Viral) बीमारी है।
- यह एसफेरिविरीडे (Asfarviridae) परिवार के DNA वायरस के कारण होता है। हालाँकि ASF और 'क्लासिकल स्वाइन फीवर' (Classical Swine Fever- CSF) के लक्षण समान हो सकते हैं लेकिन ASF तथा CSF के वायरस बिल्कुल भिन्न प्रकार के तथा दूसरे से असंबंधित है।

DNA वायरस:

- DNA वायरस में DNA जीनोम होते हैं तथा ये मेजबान (Host) में DNA पॉलिमेरेज की प्रक्रिया द्वारा वृद्धि करते हैं।
 - ◆ DNA पॉलिमेरेज एक विशेष प्रकार का प्रोटीन अणु होता है, जिसे एंजाइम कहा जाता है, यह एकल-स्ट्रैंड DNA श्रृंखला में पूरक क्षारों को जोड़ने का काम करता है।
- इस वायरस को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:
 - ◆ एकल-स्ट्रैंड DNA वायरस (Single-Strand DNA Viruses) जैसे- परवो वायरस (Parvo Viruses)
 - ◆ द्वि-स्ट्रैंड DNA वायरस (Double-Strand DNA Viruses)
 - ◆ डबल-स्ट्रैंड DNA वायरस को तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है:
 - छोटे आकार वाले DNA जीनोम जैसे कि पॉलीओमा वायरस; (Polyomaviruses) और पेपिलोमा वायरस (Papilloma viruses)
 - मध्यम आकार के DNA जीनोम जैसे कि एडेनो वायरस (Adenoviruses);
 - बड़े आकार के DNA जीनोम;

- ASF महामारी का संचरण और प्रसार प्रक्रिया जटिल है तथा ASF का संचरण निम्न प्रकार का हो सकता है:
 - ◆ प्रत्यक्ष संक्रमण; घरेलू या जंगली सूअरों के साथ संपर्क में आने पर।
 - ◆ अप्रत्यक्ष संपर्क; यथा दूषित सामग्री के उपयोग करने से जैसे कि खाद्य अपशिष्ट, कचरा आदि के माध्यम से।
 - ◆ संदूषित फाइटाइट्स (Fomites) या जैविक जीवाणुओं के माध्यम से।
 - संदूषित फाइटाइट्स ऐसी वस्तुएँ या सामग्री होती हैं जिनसे संक्रमण की संभावना है, जैसे कपड़े, बर्तन और फर्नीचर आदि।

ASF और मानव स्वास्थ्य:

- ASF मानव स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि इसका मानव में इसका प्रसार नहीं होता है।

नैदानिक संकेत (Clinical Signs):

- ASF बीमारी के लक्षण तथा मृत्यु दर वायरस की क्षमता तथा सुअर की प्रजातियों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
- ASF के लक्षणों में उच्च बुखार का आना, अवसाद, भूख में कमी होना, त्वचा में रक्तस्राव (कान, पेट और पैरों पर आदि की त्वचा का लाल होना), गर्भपात होना आदि हैं।
- रोकथाम और नियंत्रण:
 - वर्तमान में ASF के लिये कोई अनुमोदित टीका नहीं है।
- भौगोलिक वितरण (Geographical Distribution):
 - ASF एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जंगली और घरेलू सूअरों में मौजूद है।

ASF तथा CSF में समानता और अंतर:

	ASF	CSF	दोनों में
वायरस	बड़े DNA वायरस	छोटे RNA वायरस	-
संचरण	-	-	दोनों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से संचरण एवं प्रसार
निवारक एवं नियंत्रण मानक	कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं	प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध	-

‘नदी प्रबंधन का भविष्य’ पर आइडियाथॉन का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ‘जल शक्ति मंत्रालय’ (Ministry of Jal Shakti) के ‘राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन’ (National Mission for Clean Ganga- NMCG) और ‘नगरीय मामलों पर राष्ट्रीय संस्थान’ (National Institute of Urban Affairs- NIUA) द्वारा ‘नदी प्रबंधन का भविष्य’ (Future of River Management) विषय पर ‘आइडियाथॉन वेबिनार’ का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु:

- इस अंतर्राष्ट्रीय ‘वेबिनार’ में विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- आइडियाथॉन (IDEAthon) में COVID-19 महामारी के तहत लगाए गए लॉकडाउन तथा नदी प्रबंधन पर इसके प्रभाव से सीखी गई बातों पर मंथन किया गया।

आइडियाथॉन (IDEAthon):

- आइडियाथॉन में विशेषज्ञ आपस में किसी माध्यम (यथा डिजिटल) से जुड़कर आपस में विचार-विमर्श करके किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं।

लॉकडाउन का नदियों पर सकारात्मक प्रभाव:

- COVID-19 महामारी ने जहाँ एक तरफ विश्व के सभी देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है वहीं इस महामारी के कुछ सकारात्मक परिणाम भी नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार का दिखाई देना।
- भारत में पिछले कुछ सप्ताह में गंगा और यमुना नदी की जल गुणवत्ता में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। गंगा डॉल्फिन को गंगा नदी के कई हिस्सों में देखा जाने लगा है।
- वेनिस की नहरों के प्रदूषण स्तर में काफी गिरावट देखी गई है तथा इटली के जल मार्गों में नेविगेशन बंद होने के कारण डॉल्फिन इन जलमार्गों में वापस लौट आई हैं।

आइडियाथॉन आयोजन का उद्देश्य:

- आइडियाथॉन वेबीनार के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों का हल निकालने की कोशिश की गई:
 - ◆ लॉकडाउन के दौरान नदी गुणवत्ता में देखे गए सुधार को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए ?
 - ◆ नदियों के प्रबंधन में सामाजिक दृष्टिकोण का लाभ कैसे उठाया जा सकता है ?
 - ◆ COVID-19 महामारी से नदी प्रबंधन की दिशा में क्या-क्या सीखा जा सकता है ?
 - ◆ नदी संकट की स्थिति में किस अनुक्रिया तंत्र की आवश्यकता है ?

बेहतर नदी प्रबंधन:

- बेहतर नगर नियोजन मॉडल:
 - ◆ नगरीय नियोजन के नवीन मापदंडों को अपनाने की आवश्यकता है। नगरीय नियोजन को केवल भूमि नियोजन पर आधारित नहीं होना चाहिये अपितु इसे मानवीय नियोजन तथा पारिस्थितिकी नियोजन पर आधारित होना चाहिये।
- लोगों के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता:
 - ◆ नदियों के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी आवश्यक है। 'नागरिक सहभागिता कार्यक्रमों' को इस प्रकार तैयार करना चाहिये ताकि लोगों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो सके।
- बेहतर कचरा प्रबंधन:
 - ◆ नदियों में फेंके जाने वाले ठोस कचरे की समस्या को समाप्त करने के लिये उद्योगों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से होने वाले बहिस्त्राव को रोकने के साथ ही सीवेज उत्पादों का प्रशोधन करना अनिवार्य होना चाहिये।
- बहु आयामी दृष्टिकोण:
 - ◆ नदी बेसिन प्रबंधन की दिशा में बहु-हितधारकों के मध्य 'एकीकृत सूचना प्रणालियों' की आवश्यकता है।
 - ◆ नदी प्रबंधन योजना को बहु-स्तरीय, बहु-क्षेत्रीय या क्रॉस-लेवल वर्किंग ग्रुप पर आधारित होना चाहिये।
- वाटर गवर्नेंस (Water Governance):
 - ◆ 'गुड वाटर गवर्नेंस' के लिये सरकार के अलावा सभी समुदायों, समाजों, गैर सरकारी संगठनों, कार्रवाई समूहों, स्टार्टअप तथा व्यक्तिगत प्रयासों को भी एकीकृत करना होगा।
- पारिस्थितिक मूल्यांकन:
 - ◆ 'पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं' का आर्थिक मूल्यांकन किया जाना चाहिये ताकि प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

गंगा नदी के प्रबंधन से जुड़ी प्रमुख पहल:

- स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन (NMCG):
 - ◆ NMCG को 12 अगस्त, 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (Society Registration Act), 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
 - ◆ इसका कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (जल शक्ति मंत्रालय) के अंतर्गत किया जाता है।

- गंगा क्वेस्ट पुरस्कार (Ganga Quest Awards):
 - ◆ यह गंगा नदी पर पहली राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज़ है। गंगा नदी के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रसार के लिये एक महीने तक ऑनलाइन क्विज़ आयोजित की गई।
- अर्थ-गंगा परियोजना:
 - ◆ प्रधानमंत्री ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही 'नमामि गंगे' परियोजना को 'अर्थ-गंगा' जैसे एक सतत विकास मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया था।
 - ◆ सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बांध, जैविक खेती को बढ़ावा, मत्स्य पालन, औषध वृक्षारोपण, पर्यटन, परिवहन आदि 'अर्थ गंगा' के कुछ प्रमाणिक मॉडल हैं।

निष्कर्ष:

- आइडियाथॉन में विभिन्न विशेषज्ञों की भागीदारी से प्राप्त जानकारी का उपयोग विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में सहयोग करने तथा भविष्य में नदियों के बेहतर प्रबंधन में किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के लिये ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय बिजली एवं नवीन तथा नवीकरणीय राज्य मंत्री ने 'वर्ष 2018-19 के लिये ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव' (Impact of energy efficiency measures for the year 2018-19) नामक रिपोर्ट जारी की है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय बिजली एवं नवीन तथा नवीकरणीय राज्य मंत्री ने 6 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'वर्ष 2018-19 के लिये ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव' नामक रिपोर्ट जारी की है।
- केंद्रीय राज्य मंत्री के अनुसार, भारत अपनी ऊर्जा दक्षता पहलों के माध्यम से वर्ष 2005 की तुलना में अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता में 20% की कमी करने में सफल रहा है।
- ध्यातव्य है कि भारत ने COP-21 में वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता में वर्ष 2005 की तुलना में 33 से 35 प्रतिशत की कमी लाने का संकल्प लिया था।
- यह रिपोर्ट विशेषज्ञ एजेंसी 'प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स लिमिटेड' (Pricewaterhouse Coopers) द्वारा तैयार की गई है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) की 21वीं बैठक या COP-21:
- दिसंबर 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC)' के अंतर्गत शीर्ष निकाय 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज' (COP) के 21वें सत्र में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से 'पेरिस समझौते' पर हस्ताक्षर किये थे।
- इस समझौते में देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (Intended nationally determined contributions-INDC) के तहत स्वेच्छा से अपने योगदान की घोषणा की थी।
- इसके तहत भारत ने वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 33-35 प्रतिशत तक कम करने का संकल्प लिया था।
- साथ ही वर्ष 2030 तक वैश्विक सहयोग के माध्यम से कुल ऊर्जा आवश्यकता के लगभग 40% हिस्से की आपूर्ति हेतु गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन संसाधनों की स्थापना का संकल्प लिया गया था।

'ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव':

- इस रिपोर्ट में जारी आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत अपनी विभिन्न ऊर्जा दक्षता योजनाओं के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 113.16 बिलियन यूनिट विद्युत् ऊर्जा की बचत करने में सफल रहा है।

- यह ऊर्जा बचत भारत की कुल विद्युत् ऊर्जा खपत के 9.39% के बराबर है।
- ऊर्जा खपत क्षेत्रों (Energy Consuming Sectors) में की गई यह बचत (इलेक्ट्रिकल एवं थर्मल) 16.54 मिलियन टन खनिज तेल के बराबर (Million Tonne of Oil Equivalent- Mtoe) है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 की कुल ऊर्जा खपत (लगभग 581.60 Mtoe) का 2.84% है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान की गई कुल ऊर्जा (आपूर्ति+मांग) बचत 23.73 Mtoe रही, जो कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 2.69% है।
- इन आँकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न ऊर्जा दक्षता योजनाओं के परिणामस्वरूप लगभग 89,122 करोड़ रुपयों की बचत करने में सफलता प्राप्त हुई है, जबकि पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017-18) में यह बचत 53,627 करोड़ रुपए थी।
- साथ ही इन प्रयासों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन में 151.74 मिलियन टन की कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन में की गई कटौती 108 मिलियन टन (CO₂) थी।

रिपोर्ट का उद्देश्य:

- वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष भारत सरकार के 'ऊर्जा दक्षता ब्यूरो' (Bureau of Energy Efficiency- BEE) द्वारा विभिन्न ऊर्जा दक्षता योजनाओं के परिणामस्वरूप हुई वास्तविक ऊर्जा खपत और अनुमानित ऊर्जा खपत (यदि इन योजनाओं को लागू न किया गया होता तो) के तुलनात्मक अध्ययन हेतु तीसरे पक्ष के रूप में एक विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त किया जाता है।
- इस अध्ययन का उद्देश्य ऊर्जा बचत और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन के संदर्भ में देश में संचालित प्रमुख ऊर्जा योजनाओं के प्रदर्शन और उनके प्रभावों का मूल्यांकन करना है।
- इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू विभिन्न योजनाओं के प्रभावों का आकलन किया गया। साथ ही वर्तमान में योजनाओं के फलस्वरूप प्राप्त बेहतर आँकड़ों और इन योजनाओं के लागू न होने की स्थिति में (यदि इन योजनाओं को लागू न किया गया होता तब) ऊर्जा खपत एवं CO₂ उत्सर्जन की मात्रा की तुलनात्मक समीक्षा की गई है।
- इस वर्ष के अध्ययन में निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है:
 1. उजाला योजना
 2. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (Standards & Labelling Programme)
 3. प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना {Perform, Achieve and Trade (PAT) Scheme}
 4. म्युनिस्पल डिमांड साइड मैनेजमेंट कार्यक्रम {Municipal Demand Side Management (MuDSM) programme} आदि
- निष्कर्ष: भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में विकास के साथ-साथ ऊर्जा की मांग में तीव्र वृद्धि होना स्वाभाविक है। साथ ही सरकार के लिये जनता तथा औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। भारत सदैव पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहा है, हाल के वर्षों में BS-6 ईंधन, सौर ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों जैसे विकल्पों को अपना कर तथा पर्यावरण संरक्षण की नीतियों से भारत ने अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सफलता प्राप्त की है।

भारत में रासायनिक आपदा और सुरक्षा उपाय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित 'एलजी पॉलिमर कारखाने' में 'स्टाइरीन गैस' (Styrene Gas) का रिसाव होने से कम-से-कम 11 लोगों की मौत हो गई।

प्रमुख बिंदु:

- इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1961 में की गई, जिसमें पॉलीस्टीरेन (Polystyrene) तथा प्लास्टिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है।
- इस दुर्घटना से कारखाने के आसपास के पाँच गाँवों के लगभग 2,000 से अधिक निवासी प्रभावित हुए हैं।

स्टाइरीन (Styrene):

- यह एक ज्वलनशील तरल है, जिसका उपयोग पॉलीस्टीरिन प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबर और लैटेक्स के निर्माण में किया जाता है।
- 'यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन' द्वारा चलाई गई वेबसाइट 'टॉक्स टाउन' के अनुसार, स्टाइरीन वाहन तथा सिगरेट के धुएँ तथा फलों एवं सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है।

स्टाइरीन के संपर्क में आने पर प्रभाव:

- स्टाइलिन के अल्पकालिक संपर्क से श्वसन संबंधी समस्या, आंखों में जलन, श्लेष्मा झिल्ली में जलन और जठरांत्र संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- जबकि दीर्घकालिक संपर्क होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है तथा कुछ मामलों में कैंसर भी हो सकता है।

प्रमुख लक्षण:

- स्टाइरीन से उत्पन्न होने वाले लक्षणों में सिरदर्द होना, सुनने में कमी आना, थकान महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आदि शामिल हैं।

रासायनिक आपदा (Chemical Disaster):

- रासायनिक आपदा से तात्पर्य उन दुर्घटनाओं से है जब मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले खतरनाक रासायनिक पदार्थ का वातावरण में मुक्त हो जाए।

रासायनिक आपदाओं के संभावित कारण:

- प्रक्रिया और सुरक्षा प्रणालियों की विफलता;
 - ◆ मानवीय त्रुटियाँ
 - ◆ तकनीकी त्रुटियाँ
 - ◆ प्रबंधन संबंधी त्रुटियाँ
- प्राकृतिक आपदा जनित दुर्घटना;
- खतरनाक अपशिष्टों के परिवहन वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त होना;
- लोगों की अशांति के दौरान कारखानों में तोड़-फोड़;

भोपाल गैस त्रासदी तक रासायनिक आपदा संबंधी कानून:

- भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के समय तक 'भारतीय दंड संहिता' (Indian Penal Code- IPC) रासायनिक घटनाओं के लिये जिम्मेदार लोगों की आपराधिक देयता को निर्दिष्ट करने वाला एकमात्र प्रासंगिक कानून था। रासायनिक आपदा संबंधित प्रावधानों को धारा 304A में शामिल किया गया।
 - ◆ यह धारा लापरवाही के कारण लोगों की मौत से संबंधित है तथा इस धारा के तहत अपराधी को अधिकतम दो वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया जाता है।
- वर्ष 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद भोपाल गैस त्रासदी के आरोपों को पुनः निर्धारित किया गया। निर्णय के अनुसार, इस प्रकार बात के कोई प्रमाण नहीं है जो यह दिखा सके कि आरोपी को दुर्घटना का पूर्वानुमान था कि गैस रिसाव होगी।

भोपाल गैस त्रासदी के बाद के प्रमुख कानून:

- भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद सरकार ने पर्यावरण को विनियमित करने तथा सुरक्षा उपायों एवं दंडों को निर्दिष्ट करने संबंधी कई कानूनों को पारित किया। इनमें से कुछ निम्नलिखित थे:
 - भोपाल गैस रिसाव (दावों का निपटान) अधिनियम (Bhopal Gas Leak (Processing of Claims) Act)- 1985:
 - ◆ यह अधिनियम केंद्र सरकार को भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े या उससे जुड़े दावों को सुरक्षित रखने की शक्तियाँ प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे दावों का तेजी तथा न्यायसंगत तरीके से निपटान करने का प्रावधान किया गया।

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environment Protection Act)- 1986:
 - ◆ यह अधिनियम केंद्र सरकार को औद्योगिक इकाइयों के लिये पर्यावरण सुधार के उपाय अपनाने, मानकों को निर्धारित करने तथा निरीक्षण करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम (Public Liability Insurance Act)- 1991:
 - ◆ यह अधिनियम खतरनाक पदार्थों से निपटान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिये है।
- राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्रधिकरण अधिनियम (National Environment Appellate Authority Act)- 1997:
 - ◆ इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्रधिकरण (National Environment Appellate Authority-NEAA), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अपनाए गए सुरक्षा उपायों के अधीन उन क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यों के प्रतिबंधों के बारे में अपील सुन सकता है।
- 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) अधिनियम- 2010:
 - ◆ पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिये एक NGT की स्थापना की गई, जो औद्योगिक गतिविधियों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश देने का कार्य करता है।

भारत में रासायनिक आपदा की स्थिति:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority-NDMA) के अनुसार, हाल के दिनों में देश में 130 से अधिक प्रमुख रासायनिक दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिसमें 259 लोगों की मौतें हुई हैं तथा 560 से अधिक लोगों को बहुत अधिक शारीरिक नुकसान हुआ है।
- देश के 301 जिलों में फैली 1861 से अधिक प्रमुख रासायनिक खतरों वाली इकाइयाँ हैं। इसके अलावा हजारों पंजीकृत एवं खतरनाक कारखाने तथा असंगठित क्षेत्र हैं।

निष्कर्ष:

- NDMA द्वारा जारी दिशा-निर्देश रासायनिक आपदाओं से निपटने हेतु विभिन्न स्तरों के कार्मिकों से सक्रिय, भागीदारी, बहुविषयक एवं बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की माँग करते हैं। अतः इस दिशा में NDMA के साथ-साथ राज्य सरकारों तथा सभी हितधारकों को मिलकर रासायनिक आपदा प्रबंधन की दिशा में कार्य करना चाहिये।

काराकोरम रेंज में ग्लेशियरों पर मौसमी प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology- DST) के स्वायत्त संस्थान 'वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी' (Wadia Institute of Himalayan Geology- WIHG)- देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियरों का अध्ययन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- अध्ययन के अनुसार, हाल ही में काराकोरम श्रेणी के 220 अधिक ग्लेशियरों में 'ग्लेशियल सर्ज' (Glacial surges) की घटना देखने को मिली।
- अध्ययन के अनुसार, ग्रीष्मकाल में पिघले हुए जल के प्रणालीगत प्रवाह (Channelised Flow) के कारण गर्मियों में 'ग्लेशियल सर्ज' में वृद्धि रुक जाती है।

ग्लेशियर:

- पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं।

ग्लेशियल सर्ज (Glacial surges):

- 'ग्लेशियल सर्ज' एक अल्पकालिक घटना है जिसमें ग्लेशियर की लंबाई तथा आयतन में वृद्धि देखने को मिलती है।
- इस प्रकार ग्लेशियर सर्ज की घटना हिमालय के अधिकांश ग्लेशियरों; जिनके आयतन तथा लंबाई में कमी देखी गई है, के विपरीत घटना है। इन ग्लेशियर की गति सामान्य से 100 गुना अधिक तक देखने को मिलती है।

ग्लेशियल सर्ज (Glacial surges) की चक्रियता:

- ग्लेशियर सर्ज अर्थात ग्लेशियरों के आगे बढ़ने की क्रिया एक स्थिर गति से न होकर चक्रिय प्रवाह के रूप में होती है।
- इस तरह के ग्लेशियरों के चक्रिय दोलन को सामान्यतः दो चरणों में वर्गीकृत किया गया है:
- सक्रिय (वृद्धि) चरण (Active Phase):
 - ◆ इसमें ग्लेशियरों का तीव्र प्रवाह होता है तथा यह कुछ महीनों से कुछ वर्ष तक हो सकता है।
- निष्क्रिय चरण (Quiescent Phase):
 - ◆ यह धीमी प्रक्रिया है तथा कई वर्षों तक कार्य करती है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- पूर्व में ऐसा माना जाता था कि ग्लेशियर की गति का निर्धारण ग्लेशियर की भौतिक विशेषताओं यथा- मोटाई, आकार तथा उस क्षेत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है जहाँ ये ग्लेशियर पाए जाते हैं।
- वर्तमान में वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ग्लेशियरों की गति को न केवल उनकी भौतिक विशेषताओं से अपितु ये बाह्य कारकों से भी प्रभावित होती है।
- इन बाह्य कारकों में वर्षा की मात्रा और पिघला हुआ जल प्रमुख भूमिका निभाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इन दोनों कारकों में वैश्विक तापन के कारण वृद्धि होती है।

'ग्लेशियर सर्ज' चिंता विषय क्यों ?

- ये ग्लेशियर काराकोरम के कुल हिमाच्छादित क्षेत्र के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'ग्लेशियल सर्ज' की घटना से इन क्षेत्रों के गांवों, सड़कों और पुलों का विनाश हो सकता है।
- इससे 'झीलों में विस्फोट' की घटना देखने को मिल सकती है जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि देखी जा सकती है।

अध्ययन का महत्त्व:

- अध्ययन ग्लेशियरों के व्यवहार को समझने तथा बेहतर आपदा प्रबंधन योजना बनाने में मदद करेगा। इसके लिये 'ग्लेशियर सर्ज' की लगातार निगरानी की जानी चाहिये।

काराकोरम श्रेणी:

- काराकोरम और पीर पंजाल श्रेणी हिमालय श्रेणी के उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण में स्थित है। काराकोरम श्रेणी का एक बड़ा हिस्सा भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है।
- काराकोरम की लंबाई लगभग 500 किमी. है तथा इसमें पृथ्वी की कई शीर्ष चोटियाँ स्थित हैं। K2; जिसकी ऊँचाई 8,611 मीटर है तथा जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है।
- हिंदू-कुश श्रेणी जो काराकोरम श्रेणी का ही विस्तार माना जाता है अफगानिस्तान में स्थित है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद काराकोरम में सबसे अधिक ग्लेशियर हैं। सियाचिन ग्लेशियर और बिआफो (Biafo) ग्लेशियर; जो दुनिया के क्रमशः दूसरे और तीसरे बड़े ग्लेशियर हैं, इस सीमा में स्थित हैं।

भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर सिक्किम के नाकु ला (Naku La) सेक्टर तथा लद्दाख सेक्टर में भारत-चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमना-सामना (Face off) देखने को मिला।

प्रमुख बिंदु:

- नाकु ला उत्तरी सिक्किम में 5,000 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर स्थित एक दर्रा है।
- यह आमना-सामना (फेस-ऑफ) अस्थायी तथा लघु अवधि के लिये था, जिसे 'स्टैंड-ऑफ' नहीं माना जा सकता है।
- दोनों देशों की सेनाओं के बीच आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला जिसमें दोनों तरफ सैनिकों को शारीरिक चोटें आई हैं। हालाँकि बाद में बातचीत से मामले को सुलझा लिया गया।

फेस-ऑफ और स्टैंड-ऑफ:

- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जब दो देशों के मध्य सीमा विवाद अनसुलझे होते हैं तो वहाँ 'फेस-ऑफ' की घटनाएँ प्रायः देखने को मिलती हैं। जिन्हे दोनों देशों की सेनाओं द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार, हल कर लिया जाता है। परंतु स्टैंड-ऑफ को 'सामान्य स्थापित प्रोटोकॉल' के माध्यम से हल करना मुश्किल होता है।
- भारत और चीन के मध्य यह फेस-ऑफ 'डोकलाम स्टैंड-ऑफ' के तीन वर्ष बाद देखने को मिला है।

भारत-चीन सीमा विवाद का कारण:

- वर्ष 1962 तक हिमालय को आक्रमणकारियों के खिलाफ एक 'प्राकृतिक बाधा' माना जाता था। लेकिन वर्ष 1962 के चीनी आक्रमण ने इस अवधारणा को समाप्त कर दिया।
- दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण सामान्यतः निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाता है:
 1. आवंटन (Allocation):
 - किसी प्राकृतिक (पर्वत, नदी आदि) या कृत्रिम आधार (यथा देशान्तर) के आधार पर सीमा निर्धारण करना;
 2. परिसीमन (Delimitation):
 - परिसीमन का अर्थ है दो देशों के मध्य संपर्क क्षेत्रों को अलग करने वाले बिंदुओं तथा रेखाओं का निर्धारण करना;
 3. सीमांकन (Demarcation):
 - सीमांकन सीमा को चिह्नित करने की वैध प्रक्रिया है। सीमांकन में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत सीमा की जमीन पर विस्तृत अवस्थिति का निर्धारण किया जाता है।

हिमालय जलविभाजक को भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा के आधार के रूप में माना जा सकता है। परंतु भारत-चीन सीमा निर्धारण में उपर्युक्त 3 चरणों में से द्वितीय तथा तृतीय चरण को पूरा नहीं किया गया है। अतः यह स्थिति दोनों देशों के मध्य विवाद को जन्म देती है।

भारत-चीन सीमा विवाद:

- चीन-भारत सीमा विवाद 3,488 किलोमीटर लंबी 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control- LAC) को लेकर है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है।
- दोनों पक्षों के बीच विवाद समाधान के लिये कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत-चीन के मध्य प्रमुख विवादित क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

पश्चिमी क्षेत्र:

- लद्दाख:
- ◆ जम्मू-कश्मीर (संयुक्त राज्य) के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर तथा पूर्व की भारत-चीन सीमा को लेकर विवाद है।

- अक्साई-चिन:
 - ◆ यह क्षेत्र श्योक नदी के पूर्व तथा कश्मीर के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित है।
- मध्य क्षेत्र:
 - ◆ यह सीमा तिब्बत के साथ-साथ लगती है, इसमें अनेक लघु क्षेत्रों को लेकर विवाद है।
- पूर्वी क्षेत्र:
 - ◆ सिक्किम:
 - ◆ सिक्किम में भारत-चीन सीमा की लंबाई 225 किमी. की सीमा है, तथा इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण दर्रे अवस्थित हैं।
 - भूटान सीमा:
 - ◆ भूटान की तिब्बत के साथ सीमा पूरी तरह से स्थापित तथा ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त है।
 - अरुणाचल प्रदेश (NEFA):
 - ◆ इस क्षेत्र में भारत-चीन सीमा; पूर्वी भूटान से भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोणीय जंक्शन पर तालु दर्रे तक है, 1140 किमी. की है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है।

आगे की राह:

- चीन, भारतीय सीमा के उल्लंघन के कदम, एशिया में भारत की बढ़ती प्रभावी स्थिति को चुनौती देने के लिये उठाता है। बदली हुई परिस्थितियों में भारत के लिये यह जरूरी हो गया है कि वह अन्य एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक और सामरिक सहयोग बढ़ाकर चीन की चुनौतियों का मुकाबला करे।

फ्लाई ऐश का सुंदरवन की पारिस्थितिकी पर प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण विशेषज्ञों एवं मत्स्य संगठनों ने हुगली नदी में फ्लाई ऐश से भरे बर्गों (एक प्रकार की नौका) के डूबने की हालिया घटनाओं को 'सुंदरवन की पारिस्थितिकी' के लिये एक गंभीर खतरे के रूप में चिह्नित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- फ्लाई ऐश से भरी नौकाओं के डूबने की घटनाओं में से एक हुगली नदी पर तथा दूसरी मुरी गंगा (Muri Ganga) नदी; जो सागर द्वीप के पास हुगली से मिलती है, पर हुई है।
- लगभग 100 बांग्लादेशी नौकाएँ जिनमें प्रत्येक का वजन 600-800 टन होता है, नियमित रूप से भारतीय जल-मार्गों से गुजरते हैं।
- इन नौकाओं के माध्यम से भारत के तापीय ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश को बांग्लादेश में ले जाया जाता है जहाँ फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उत्पादन में किया जाता है।

मुरी गंगा (Muri Ganga):

- मुरी गंगा हुगली नदी की एक सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल के बहती है। यह सागर द्वीप (Sagar Island) को काकद्वीप (Kakdwip) से जोड़ती है।

हुगली नदी (Hugli River):

- हुगली, गंगा नदी की एक वितरिका है। हुगली नदी कलकत्ता से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में गंगा से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

सागर द्वीप (Sagar Island):

- हुगली नदी और मुरी गंगा तथा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह द्वीप उच्च ज्वार के समय समुद्री लहरों से प्रभावित रहता है।

फ्लाई ऐश (Fly Ash):

- फ्लाई ऐश (Fly Ash) प्रायः कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषक है, जिसका वर्तमान में कई आर्थिक गतिविधियों जैसे- सीमेंट निर्माण, ईंट निर्माण, सड़क निर्माण आदि में प्रयोग किया जाता है।

फ्लाई ऐश का पारिस्थितिकी पर प्रभाव:

- फ्लाई ऐश में मौजूद विभिन्न विषैले तत्वों के मिश्रण के कारण नदी प्रदूषित हो रही है तथा ये प्रदूषक मत्स्य उत्पादन तथा उपभोग को प्रभावित कर सकता है।
- फ्लाई ऐश के कारण न केवल मत्स्यन अपितु मेंग्रोव क्षेत्र की पारिस्थितिकी भी प्रभावित हो सकती हैं।
- जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर फ्लाई ऐश धीरे-धीरे बाहर निकलकर नदी के तल में जमा हो जाती है।
- फ्लाई ऐश में उपस्थित प्रदूषक जैसे- सीसा, क्रोमियम, मैंगनीशियम, जस्ता, आर्सेनिक आदि पानी में मिल जाते हैं। ये प्रदूषक जलीय वनस्पतियों एवं जीवों को नुकसान पहुँचाते हैं।

परिवहन का नियमन:

- 'भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण' (Inland Waterways Authority of India- IWAI) सीमा-पार जलयानों की आवाजाही को नियंत्रित करता है।

आगे की राह:

- बांग्लादेश में फ्लाई ऐश ले जाने वाले अधिकांश जहाज काफी पुराने हैं तथा इतनी लंबी यात्रा के लिये उपयुक्त नहीं है। अतः सरकार को सुंदरवन से गुजरने वाले इन जहाजों पर रोक लगाई जानी चाहिये।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):

- अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना 27 अक्टूबर, 1986 को की गई।
- IWAI जहाजरानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- यह जहाजरानी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण का कार्य करता है।
- वर्ष 2018 में IWAI ने कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु समर्पित पोर्टल 'फोकल' (Forum of Cargo Owners and Logistics Operators-FOCAL) लॉन्च किया था जो जहाजों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है।

एटालिन जलविद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों ?

अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जलविद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee-FAC) के अध्यक्ष और सदस्यों को एक पत्र के माध्यम से अवगत किया कि क्यों एटालिन जलविद्युत परियोजना को रद्द किया जाना चाहिये।
- पर्यावरण कार्यकर्ताओं का पत्र के माध्यम से तर्क:
 - ◆ एटालिन जलविद्युत परियोजना को मंजूरी देते वक्त वन संरक्षण और संबंधित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की गई है। इस तरह किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पर्यावरण/वन/वन्यजीवों/मनुष्यों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा साथ ही इस प्रभाव की क्षतिपूर्ति को कभी कम नहीं किया जा सकता है।

- ◆ इस पत्र में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वन और वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु पूर्व में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया है।
- ◆ FAC निरंतर वन, वन्यजीवों और जैव विविधता हॉटस्पॉट में दुर्लभ पुष्प और जीव-जंतु प्रजातियों की अनदेखी कर रहा है।
- ◆ इस पत्र में एटालिन जलविद्युत परियोजना पर पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट मंन भी खामियों का उल्लेख किया है
- ◆ 23 अप्रैल को वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee- FAC) ने इन क्षेत्रों में लगभग 270,000 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी है।
- FAC उप समिति का तर्क है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) द्वारा किये गए अध्ययन के आधार पर उपयोगकर्ता एजेंसी (निजी फर्म) को वन्यजीव संरक्षण योजना का वित्तीय परिव्यय को वन विभाग में जमा करने पर ही परियोजना को अनुमति दी जा सकती है।

एटालिन जलविद्युत परियोजना के विरोध के कारण:

- इस परियोजना से कुल 18 गाँवों के निवासी प्रभावित होंगे।
- इसके तहत लगभग 2,70,000 पेड़ों की कटाई होगी और विश्व स्तर पर लुप्तप्राय 6 स्तनधारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- इस क्षेत्र में पक्षियों की 680 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो भारत में पाई जाने वाली कुल पक्षियों की प्रजातियों (Avian Species) का लगभग 56% हैं।
- यह परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव-भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा यह पुरापाषाणकालीन, इंडो-चाइनीज और इंडो-मलयन जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के संधि-स्थल पर स्थित होगी।
- स्थानीय निवासियों के अनुसार, दिबांग क्षेत्र में प्रस्तावित 'दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना' और 'एटालिन जल विद्युत परियोजना' दोनों एक साथ एक बहुत बड़े क्षेत्र को जलमग्न कर देंगी।
- पर्यावरणविदों एवं स्थानीय निवासियों का मत है कि परियोजना की वजह से विकृत पारिस्थितिकी को कृत्रिम वृक्षारोपण की सहायता से यथास्थिति में नहीं लाया जा सकता है।
- इडू मिशमी समुदाय (Idu Mishmi Community) के लोग चारागाह भूमि, वनों और वन्यजीवों को होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित हैं।

वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee-FAC):

- वन सलाहकार समिति औद्योगिक गतिविधियों के लिये वनों में पेड़ों की कटाई की अनुमति पर निर्णय लेती है।
- FAC केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MOEF&CC) के अंतर्गत कार्यरत है, जिसमें केंद्र के वानिकी विभाग के स्वतंत्र विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation):
- प्रतिपूरक वनीकरण का आशय आधुनिकीकरण तथा विकास के लिये काटे गए वनों के स्थान पर नए वनों को लगाने से है। अर्थात् उद्योगों द्वारा वनों के नुकसान की प्रति पूर्ति हेतु वैकल्पिक भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) द्वारा वर्ष 2019-20 के 'अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग' परिणाम प्रकाशित किये गए।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि 6 शहरों को 5 स्टार, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है।
- अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दिया गया।
- स्टार रेटिंग मूल्यांकन हेतु 1435 शहरों ने आवेदन किया था जिनका मूल्यांकन कर 141 शहरों को स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित किया गया है।
- स्टार रेटिंग संबंधी नियमों को समग्र रूप से तैयार किया गया है जिसमें नालियों और जल निकायों की सफाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट इत्यादि जैसे घटक शामिल हैं। गौरतलब है कि ये घटक किसी शहर को अपशिष्ट मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- COVID-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु स्वच्छता और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी अत्यधिक महत्त्व दिया गया है।
- स्टार रेटिंग को तीन चरणों की मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है।
 - ◆ प्रथम चरण- शहरी स्थानीय निकाय एक विशेष समय-सीमा के तहत स्टार रेटिंग संबंधी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
 - ◆ द्वितीय चरण- मंत्रालय द्वारा चयनित और नियुक्त तृतीय पक्ष एजेंसी से मूल्यांकन कराया जाता है।
 - ◆ तृतीय चरण- क्षेत्र में जाकर एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक द्वारा इन्हें सत्यापित किया जाता है।
- अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग हेतु एक संशोधित प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया है।
- इस नए संशोधित प्रोटोकॉल में 'वार्ड-वाइज जिओ-मैपिंग' (Ward-wise Geo-mapping), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी करना तथा 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कई क्षेत्रों में विभाजित कर रेटिंग की जाएगी।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने तथा कम-से-कम प्रत्येक शहर को 3 स्टार रेटिंग में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ध्यातव्य है कि जनवरी 2018 में शहरों को अपशिष्ट मुक्त बनाने, शहरों के तंत्र को संस्थागत रूप देने और स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु शहरों को प्रेरित करने को ध्यान में रखते हुए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था।

स्टार-रेटिंग प्रोटोकॉल का लक्ष्य:

- सभी शहरों को अपशिष्ट मुक्त बनाना, ताकि किसी भी सार्वजनिक, वाणिज्यिक या आवासीय स्थानों पर (कूड़े के डिब्बे या स्थानांतरण स्टेशनों को छोड़कर) किसी भी प्रकार का कूड़ा-अपशिष्ट न मिलने पाए।
- अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- सभी प्रकार के अपशिष्ट को उपचारित करना।
- सभी शहरों को वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और निर्माण गतिविधियों संबंधी अपशिष्ट का प्रबंधन करने योग्य बनाना।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की अन्य पहलें:

- COVID-19 के मद्देनजर मंत्रालय ने सभी राज्यों को सार्वजनिक स्थानों की विशेष सफाई करने के साथ ही संक्रमण को रोकने हेतु एकांतवास में रखे गए लोगों के घरों से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण और निपटान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- बेहद लोकप्रिय नागरिक शिकायत निवारण मंच, स्वच्छता एप (Swachhata App) को भी संशोधित किया गया है।
- मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों के लिये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य जाँच और नियमित मजदूरी के भुगतान के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- लगभग 50 लाख विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) की मदद हेतु माइक्रो-क्रेडिट की भी सुविधा शुरू की जा रही है।
- विनिर्माण उद्योग में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों को मदद हेतु 'अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स' (Affordable Rental Housing Complexes- AHRCs) लॉन्च किया जाएगा।

वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट

चर्चा में क्यों ?

'अंतर्राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावरण अनुसंधान केंद्र' संगठन (Center for International Climate and Environmental Research- CICERO) नार्वे द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है।

प्रमुख केंद्र:

- CICERO द्वारा COVID-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के 'कार्बन उत्सर्जन' पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।
- शोध के अनुसार, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वर्ष 2020 में 4.2-7.5% कमी होने का अनुमान है।
- अगर कार्बन उत्सर्जन में होने वाले गिरावट का सापेक्ष रूप से अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार की उत्सर्जन गिरावट द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व में हुई थी।

कार्बन उत्सर्जन में कमी के कारण:

- विश्व में अनेक देशों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण वैश्विक परिवहन को काफी हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसके कारण वैश्विक ऊर्जा मांग में गिरावट देखी गई है। यद्यपि घरेलू बिजली की मांग में वृद्धि हुई है परंतु वाणिज्यिक मांग में गिरावट आई है।

वैश्विक ऊर्जा मांग में कमी:

- वर्ष 2020 में तेल की कीमतों में औसतन 9% या इससे अधिक की गिरावट हुई है। कोयले की मांग में भी 8% तक की कमी हो सकती है, क्योंकि बिजली की मांग में लगभग 5% कमी देखी जा सकती है। बिजली और औद्योगिक कार्यों में गैस की मांग कम होने से वर्ष 2020 की पहली तिमाही की तुलना में आने वाली तिमाही में और अधिक गिरावट देखी जा सकती है।

उत्सर्जन का कमी का संचयी प्रभाव:

- कार्बन उत्सर्जन में आई गिरावट का मतलब यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन की दर धीमी हो गई है या यह उत्सर्जन गिरावट वैश्विक प्रयासों का परिणाम है। यदि उत्सर्जन में 5% तक की भी गिरावट आती है तो इसका जलवायु परिवर्तन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक 'संचयी समस्या' (Cumulative Problem) है।
- वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 5% की गिरावट का वैश्विक तापन पर केवल 0.001°C तापमान कमी के बराबर प्रभाव रहता है। 'वन्स-इन-ए-सेंचुरी क्राइसिस'

(once-in-a-century crisis) रिपोर्ट:

- वैश्विक ऊर्जा मांग पर महामारी के प्रभाव का पहले भी विश्लेषण किया गया है। 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' (International Energy Agency- IEA) ने 'वन्स-इन-ए-सेंचुरी क्राइसिस' (once-in-a-century crisis) रिपोर्ट में CO2 उत्सर्जन पर महामारी के प्रभाव का विश्लेषण किया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 की पहली तिमाही में कार्बन-गहन ईंधन की मांग में बड़ी गिरावट हुई है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कार्बन उत्सर्जन में 5% की कमी दर्ज की गई है।

अधिकतम कार्बन उत्सर्जन कमी वाले क्षेत्र:

- कार्बन उत्सर्जन में उन क्षेत्रों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई जिन क्षेत्रों में महामारी का प्रभाव सबसे अधिक रहा है। उदाहरणतः चीन और यूरोप में उत्सर्जन में 8% की गिरावट जबकि अमेरिका में 9% की गिरावट दर्ज की गई है।
- पूर्ण लॉकडाउन वाले देशों में प्रति सप्ताह ऊर्जा की मांग में औसतन 25% की गिरावट हो रही है, जबकि आंशिक लॉकडाउन में प्रति सप्ताह लगभग 18% की गिरावट दर्ज की गई है।

भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी:

- भारत में लॉकडाउन के परिणामस्वरूप ऊर्जा मांग में 30% से अधिक की कमी देखी गई तथा लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर प्रति सप्ताह के साथ ऊर्जा मांग में 0.6% की गिरावट हुई है।

वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र तथा कार्बन उत्सर्जन:

- 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' द्वारा जारी 'वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट' (Global Energy & CO2 Status Report) के अनुसार:
 - ◆ संयुक्त राज्य अमेरिका 14% के योगदान के साथ विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिये जिम्मेदार देश है।
 - ◆ हाल ही में हुई ऊर्जा मांग में वृद्धि में लगभग 70% योगदान चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना' (NAPCC) को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। इस कार्ययोजना में मुख्यतः 8 मिशन शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने वर्ष 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। ISA के प्रमुख उद्देश्यों में वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिये लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना शामिल है।
- पेरिस समझौते के अंतर्गत 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (Nationally Determined Contribution- NDC) की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था जिसमें प्रत्येक राष्ट्र से यह अपेक्षा की गई है कि वह ऐच्छिक तौर पर अपने लिये उत्सर्जन के लक्ष्यों का निर्धारण करे।

आगे की राह:

- वर्तमान COVID-19 महामारी के कारण होने वाली कार्बन उत्सर्जन में कमी अल्पकालिक है। दीर्घकालिक रूप से संचयी जलवायु परिवर्तन पर इसका बहुत कम प्रभाव होगा, अतः दीर्घकालिक रणनीतियों के निर्माण की आवश्यकता है।
- महामारी से आवश्यक सीख लेते हुए वैश्विक ऊर्जा संसाधनों के विकल्पों पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया जाना चाहिये।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा समाधान पर चर्चा करते हुए विश्व में विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिये।

अंडमान-दुर्लभ ताड़ का संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

दक्षिणी अंडमान द्वीप के दुर्लभ ताड़/पाम को 'जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट' (Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute- JNTBGRI) की मदद से पलोदे (Palode) (केरल) में उगाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- पिन्गा अंडमानेंसिस (Pinanga andamanensis) जिसे एक समय विलुप्त प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया था। यह एरेका ताड़ (Areca Palm) से संबंधित है। दक्षिण अंडमान के 'माउंट हैरियट नेशनल पार्क' के एक छोटे क्षेत्र में 600 पौधे पाए जाते हैं।
- भारतीय मुख्य भूमि पर 'अंडमान द्वीप के दुर्लभ ताड़' के जर्मप्लाज़्म का संरक्षण किया जाएगा ताकि प्राकृतिक आपदा के समय यदि अंडमान द्वीप से यह नष्ट भी हो जाए तो इसका निरंतर अस्तित्व सुनिश्चित हो सके।

पिन्गा अंडमानेंसिस (Pinanga andamanensis):

- 'पिन्गा अंडमानेंसिस' 'चरम लुप्तप्राय प्रजाति' (Critically Endangered Species) है, जो अंडमान द्वीप समूह के स्थानिक लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है।

- सर्वप्रथम वर्ष 1934 में 'इतालवी वनस्पतिशास्त्री' ओडोराडो बेस्करी द्वारा इसे वर्णित किया गया था।
- वर्ष 1992 में इसे विलुप्त मान लिया गया था।

ताड़ के पेड़ का नाम पिनांग क्यों ?

- यह नाम 'पेनांग' से लिया गया है, जो मलेशिया का एक राज्य है। पिनांग का मूल 'पुलाऊ पिनांग' (Pulau Pinang) में है, जिसका अर्थ है 'अरेका नट पाम का द्वीप' (Island of the Areca Nut Palm)।
- जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ:

स्व-स्थानिक संरक्षण (In Situ Conservation):

- इस प्रकार के संरक्षण के अंतर्गत पौधों एवं प्राणियों को उनके प्राकृतिक वास स्थान अथवा सुरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। संरक्षित क्षेत्र भूमि या समुद्र के वे क्षेत्र होते हैं जो संरक्षण के लिये समर्पित हैं तथा जैव विविधता को बनाए रखते हैं।

गैर-स्थानिक संरक्षण (Ex Situ Conservation):

- गैर-स्थानिक संरक्षण विधि में वनस्पति या जीन को मूल वातावरण से अलग स्थान पर संरक्षित किया जाता है।
- इसमें चिड़ियाघर, उद्यान, नर्सरी, जीन पूल आदि में पूर्ण नियंत्रित स्थितियों में प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है।

गैर-स्थानिक संरक्षण की विधियाँ:

- गैर-स्थानिक संरक्षण रणनीतियों में निम्नलिखित विधियाँ शामिल हैं
 - ◆ वनस्पति उद्यान (Botanical Garden)
 - ◆ प्राणी उद्यान (Zoological Garden)
 - ◆ जीन, पराग, बीज आदि का संरक्षण (Conservation of Gene, Pollen, Seed etc.)
 - ◆ टिशू कल्चर (Tissue Culture)
 - ◆ डीएनए बैंक (DNA bank)

जीन बैंक:

- आनुवांशिक संसाधनों का गैर-स्थानिक संरक्षण जीन बैंकों एवं बीज बैंकों द्वारा किया जाता है। 'राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो' (The National Bureau of Plant Genetic Resources, NBPGR), नई दिल्ली फसल के पौधों के जीन पूल तथा उगाई जाने वाली किस्मों के बीजों को संरक्षित रखता है।
- 'राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो' (The National Bureau of Animal Genetic Resources) करनाल (हरियाणा), पालतू पशुओं के आनुवांशिक पदार्थ का रखरखाव करता है।
- राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (The National Bureau of Fish Genetic Resources), लखनऊ मत्स्यन के संरक्षण के लिये समर्पित है।

गैर-स्थानिक संरक्षण का महत्त्व:

- यह प्रजातियों को लंबा जीवनकाल तथा प्रजनन गतिविधि के लिये स्थान प्रदान करता है।
- संरक्षण प्रणालियों में आनुवांशिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।
- जीवों की प्रजातियों को फिर से वन में स्थानापन्न किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन और गैर-स्थानिक संरक्षण:

- वर्तमान में सभी पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य हैं, और विशेष रूप से समुद्र तटीय वनों में गिरावट आ सकती है। जलवायु परिवर्तन मॉडलों के अनुसार, वैश्विक प्रजातियों तथा उनके आवासों के वितरण में तीव्र तथा व्यापक बदलाव हो सकता है।
- हालांकि जलवायु परिवर्तन में वृद्धि, निवास स्थान का विखंडन कारण प्रजातियों की अनुकूलन क्षमता कम हो जाती है। अतः प्रजातियों के संरक्षण में मानव की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

गैर-स्थानिक प्रजातीय संरक्षण की सीमाएँ:

- चिड़ियाघर में जानवरों का व्यवहार बड़ी संख्या में लोगों के लगातार भ्रमण पर आने से प्रभावित हो सकता है।
- यद्यपि गैर-स्थानिक संरक्षण विधियाँ यद्यपि कुछ प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिये लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के दौरान जीवों को प्रजनन तथा पुनर्स्थापन के दौरान ठीक से प्रबंधित नहीं होने पर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

- जैव विविधता मानव अस्तित्व तथा प्राकृतिक प्रणालियों के अस्तित्व के लिये बेहद आवश्यक है, हालाँकि जैव-विविधता को सर्वाधिक नुकसान मानवजनित गतिविधियों के कारण हुआ है। अतः जैव-विविधता संरक्षण की दिशा में स्व-स्थानिक और गैर-स्थानिक दोनों तरीकों से संरक्षण की आवश्यकता होती है।

प्रमुख पर्यावरण आदेश: हड्डा रोड़ी में प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जसबीर सिंह की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति ने सतलज नदी के पास पंजाब के लुधियाना में हड्डा रोड़ी (Hadda Roddi) में प्रदूषण पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal- NGT) को अपनी रिपोर्ट पेश की।

प्रमुख बिंदु:

- इस समिति ने 13 फरवरी, 2020 को पंजाब के लधोवाल गाँव में शव निपटान स्थल का दौरा किया और निरीक्षण करने पर पाया कि हड्डा रोड़ी स्थल में लुधियाना एवं उसके आसपास के इलाकों से प्रतिदिन लगभग 40-50 मृत पशुओं को लाया जाता है।
- पैनल ने कहा कि लगभग 5.5 एकड़ जमीन पर मृत जानवरों को काटा जाता है और उनके कुछ हिस्सों जैसे- हड्डियाँ, खाल (त्वचा), गोबर, आंत आदि को अलग किया जाता है।
- इन सभी गतिविधियों को सामान्य तरीके से किया जाता है। इसके बाद विनिर्माण इकाइयों द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिये खाल, हड्डियाँ एवं आंत को बाजार में बेचा जाता है।
- इससे आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण फैल रहा है तथा गहन निरीक्षण करने पर सतलज के किनारे अपशिष्ट जल में मृत जानवरों के कुछ अंग पाए गए।
- समिति ने शव निस्तारण संयंत्रों के मालिकों के साथ भी चर्चा की तो बताया गया कि उनके पास वर्तमान स्थान पर मृत जानवरों को संसाधित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि आधुनिक एवं वैज्ञानिक शव निपटान संयंत्र लुधियाना के 'नूरपुर बेट' में है जो दूर भी है और अभी तक चालू भी नहीं हुआ है।
- समिति का विचार था कि सतलज के तट पर पर्यावरणीय खतरे को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थानों पर इन गतिविधियों को बंद करने की आवश्यकता है।
 - ◆ लुधियाना नगर निगम को आधुनिक एवं वैज्ञानिक शवों के निस्तारण संयंत्र को तुरंत पूरा करना चाहिये और इसके लिये पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत पहले ही अनापत्ति प्रमाणपत्र दे देना चाहिये था।
 - ◆ समिति ने सिफारिश की कि यदि नगर निगम (लुधियाना) 31 अगस्त, 2020 तक नूरपुर बेट में वैज्ञानिक शव निपटान संयंत्र को चालू करने में विफल रहता है तो संयंत्र के चालू होने तक प्रति माह एक लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उस पर लगाई जानी चाहिये।
- निगरानी समिति की इस रिपोर्ट को 10 मई, 2020 को सार्वजनिक किया गया था।

सतलज नदी:

- सतलज नदी उन पाँच नदियों में से सबसे लंबी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती हैं।

- सतलज नदी को 'सतद्री' के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है।
- इसका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के 80 किमी. दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है।
- सिंधु की तरह यह तिब्बत-हिमाचल प्रदेश सीमा पर शिपकी-ला दर्रे तक एक उत्तर-पश्चिमी मार्ग को अपनाती है। यह शिवालिक श्रंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है।
- पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह 'नैना देवी धार' में एक गॉर्ज का निर्माण करती है जहाँ प्रसिद्ध भाखड़ा बाँध का निर्माण किया गया है।
- रूपनगर (रोपड़) में मैदान में प्रवेश करने के बाद यह पश्चिम की ओर मुड़ती है और हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी में मिल जाती है।
- फिरोज़पुर के पास से लेकर फाजिल्का तक यह भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 120 किलोमीटर तक सीमा बनाती है।
- अपनी आगे की यात्रा के दौरान यह रावी, चिनाब और झेलम नदियों के साथ सामूहिक जलधारा के रूप में मिठानकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी में मिल जाती है।

पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों का संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 21 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिमी घाटों से संबंधित 'पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र' (Ecologically Sensitive Area- ESA) की अधिसूचना से जुड़े मामलों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिये छह राज्यों अर्थात् केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

प्रमुख बिंदु:

- इस क्षेत्र के सतत एवं समावेशी विकास को बरकरार रखते हुए पश्चिमी घाटों की जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये भारत सरकार ने डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया था।
- इस समिति ने सिफारिश की थी कि छह राज्यों- केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में आने वाले भौगोलिक क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।

पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area- ESA):

- यह संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्र होता है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) द्वारा ESAs को अधिसूचित किया जाता है।
- इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों को शामिल करने वाले संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

किसी क्षेत्र को ESA घोषित करने का उद्देश्य:

- कुछ प्रकार के 'शाँक अब्जाबर्न' बनाने के इरादे से इन क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों का प्रबंधन एवं नियमन करना।
- अत्यधिक संरक्षित एवं अपेक्षाकृत कम संरक्षित क्षेत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र (Transition Zone) प्रदान करने के लिये।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 (2) (v) जो उद्योगों के संचालन को प्रतिबंधित करता है या कुछ क्षेत्रों में किये जाने वाली प्रक्रियाओं या उद्योगों को संचालित करने हेतु कुछ सुरक्षा उपायों को बनाए रखने के लिये प्रतिबंधित करता है, को प्रभावी करने के लिये। गाडगिल समिति ने क्या कहा ?
- इसने पारिस्थितिक प्रबंधन के उद्देश्यों के लिये पश्चिमी घाट की सीमाओं को परिभाषित किया। यह सीमा कुल क्षेत्र का 1,29,037 वर्ग किमी. था, जो उत्तर से दक्षिण तक 1.490 किमी. में विस्तृत है।

- इसने प्रस्तावित किया कि इस पूरे क्षेत्र को 'पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र' (ESA) के रूप में नामित किया जाए।
- साथ ही इस क्षेत्र के भीतर छोटे क्षेत्रों को उनकी मौजूदा स्थिति और खतरे की प्रकृति के आधार पर पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ) को I, II या III के रूप में पहचाना जाना था।
- इस समिति ने इस क्षेत्र को लगभग 2,200 ग्रिड में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें से 75% ESZ-I या II के तहत या वन्यजीव अभयारण्य या प्राकृतिक उद्यानों के माध्यम से पहले से ही संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं।
- इसके अलावा समिति ने इस क्षेत्र में इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये एक पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण बनाए जाने का प्रस्ताव भी दिया।

बाद में कस्तूरीरंगन समिति का गठन क्यों किया गया ?

- गाडगिल समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2011 में प्रस्तुत की थी जिसकी सिफारिशों से छह राज्यों- केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में से कोई भी सहमत नहीं था।
- तब सरकार ने आगे की दिशा तय करने के लिये कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया, जिसने अप्रैल, 2013 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।
- कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट गडगिल रिपोर्ट द्वारा सुझाए गए पश्चिमी घाट के 64% क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के अंतर्गत लाने के बजाय सिर्फ 37% क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाने की बात करती है।

कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशें:

- खनन, उत्खनन और रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- किसी नई ताप विद्युत परियोजना की अनुमति न दी जाए किंतु प्रतिबंधों के साथ पनबिजली परियोजनाओं की अनुमति दी जाए।
- नए प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- 20,000 वर्ग मीटर तक के भवन एवं निर्माण परियोजनाओं की अनुमति दी जा सकती है किंतु टाउनशिप पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगाने की बात कही गई है।
- अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ 'वनों के डायवर्जन' (Forest Diversion) की अनुमति दी जा सकती है।

पश्चिमी घाट का महत्त्व:

- पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला है।
- पश्चिमी घाट, भारत के सबसे ज्यादा वर्षण क्षेत्रों में से एक है साथ ही यह भारतीय प्रायद्वीप की जलवायु को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी करता है।
- प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। इसलिये दक्षिण भारत का संपूर्ण अपवाह तंत्र पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है।
- पश्चिमी घाट भारतीय जैव विविधता के सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट में से एक है, साथ ही यह कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों को भी समावेशित करता है।
- यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है।

पूर्वी घाट:

- पूर्वी घाट की असंबद्ध पहाड़ी श्रृंखलाएँ ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई हैं जो कि अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदहारण हैं।
- यहाँ 450 से अधिक स्थानिक पौधों की प्रजातियाँ विद्यमान होने के बावजूद भी यह क्षेत्र भारत के सर्वाधिक दोहन किये गए और निम्नीकृत पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है।

वनाग्नि संबंधी चिंता: समग्र विश्लेषण

चर्चा में क्यों ?

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के बीच उत्तराखंड बीते कुछ दिनों से जंगलों में लगी भीषण आग का सामना कर रहा है, जिसके कारण उत्तराखंड सरकार के लिये परिस्थितियाँ काफी चुनौतीपूर्ण हो गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- नवीनतम आँकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2020 की शुरुआत से अब तक उत्तराखंड में वनाग्नि की कुल 46 घटनाएँ दर्ज की जा चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की तकरीबन 51.34 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है।
- राज्य में वनाग्नि की अधिकांश (तकरीबन 21) घटनाएँ केवल कुमाऊँ क्षेत्र में दर्ज की गईं, जिसके कारण यह क्षेत्र वनाग्नि के कारण सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।
- वहीं गढ़वाल क्षेत्र में वनाग्नि की 16 घटनाएँ हुईं और राज्य के आरक्षित वन क्षेत्र (Reserve Forest Area) में वनाग्नि की कुल 9 घटनाएँ दर्ज की गईं।
- अनुमान के अनुसार, इस वर्ष वनाग्नि की घटनाओं के कारण राज्य के वन विभाग को तकरीबन 1.32 लाख रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा।
- वहीं इस वर्ष राज्य में अब तक वनाग्नि के कारण 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई।
- भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड के जंगलों में जून 2018 से नवंबर 2019 के मध्य वनाग्नि की कुल 16 हजार घटनाएँ देखी गईं।

वनाग्नि एक वैश्विक चिंता के रूप में

- बीते वर्ष सितंबर माह में शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की भीषण वनाग्नि ने देश में काफी बड़े पैमाने पर विनाश किया था, जिसके कारण लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि का नुकसान हो गया था।
- ब्राजील स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च (National Institute for Space Research-INPE) के आँकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2019 में ब्राजील के अमेज़न वनों (Amazon Forests) ने कुल 74,155 बार आग का सामना किया था। साथ ही यह भी सामने आया था कि अमेज़न वन में आग लगने की घटना वर्ष 2019 में वर्ष 2018 से 85 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।
- दुनिया भर में वनाग्नि की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं और भारत भी इन घटनाओं से खुद को बचा नहीं पाया है। भारत में भी प्रतिवर्ष देश के अलग-अलग हिस्सों में कई वनाग्नि की घटनाएँ देखने को मिलती हैं।

वनाग्नि के कारण

- भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में वनाग्नि के अलग-अलग कारण होते हैं, जिसमें प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ मानवीय कारण भी शामिल हैं।
- आकाशीय बिजली (Lightning) वनाग्नि के प्राकृतिक कारणों में सबसे प्रमुख है, जिसके कारण पेड़ों में आग लगती है और धीरे-धीरे आग पूरे जंगल में फैल जाती है। इसके अतिरिक्त उच्च वायुमंडलीय तापमान और कम आर्द्रता वनाग्नि के लिये अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती हैं।
- वहीं विश्व भर में देखे जानी वाली वनाग्नि की अधिकांश घटनाएँ मानव निर्मित होती हैं। वनाग्नि के मानव निर्मित कारकों में कृषि हेतु नए खेत तैयार करने के लिये वन क्षेत्र की सफाई, वन क्षेत्र के निकट जलती हुई सिगरेट या कोई अन्य ज्वलनशील वस्तु छोड़ देना आदि शामिल हैं।
 - ◆ ब्राजील के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के अनुसार, अमेज़न वर्षा वनों में दर्ज की जाने वाली 99 प्रतिशत आग की घटनाएँ मानवीय हस्तक्षेप के कारण या आकस्मिक रूप से या किसी विशेष उद्देश्य से होती हैं।
 - ◆ भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की रिपोर्ट भी दर्शाती है कि भारत में भी वनाग्नि की तकरीबन 95 प्रतिशत घटनाएँ मानवीय कारणों से प्रेरित होती हैं।
- उच्च तापमान, हवा की गति और दिशा तथा मिट्टी एवं वातावरण में नमी आदि कारक वनाग्नि को और अधिक भीषण रूप धारण करने में मदद करते हैं।

वनाग्नि के प्रभाव

- जंगलों में लगने वाली आग के कारण उस क्षेत्र विशिष्ट की प्राकृतिक संपदा और संसाधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
- वनाग्नि के कारण जानवरों के रहने का स्थान नष्ट हो जाता है, जिसके कारण नए स्थान की खोज में वे शहरों की ओर जाते हैं और शहरों की संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं।
- अमेज़न जैसे बड़े जंगलों में वनाग्नि के कारण जैव विविधता और पौधों तथा जानवरों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है।
- जंगलों में लगने वाली आग न केवल जंगलों को तबाह करती है, बल्कि इसके कारण मानवीय जीवन और मानवीय संपत्ति को भी काफी नुकसान होता है।
- वनाग्नि के प्रभावस्वरूप वनों की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों में भारी कमी देखने को मिलती है, जिन्हें वापस प्राप्त करने में काफी लंबा समय लगता है।
- चूँकि वनाग्नि की अधिकांश घटनाएँ काफी व्यापक पैमाने पर होती हैं, इसलिये इनके कारण आस-पास के तापमान में काफी वृद्धि होती है।

वनाग्नि का सकारात्मक पक्ष

- विश्लेषकों का मत है कि वनाग्नि जंगलों में पाई जाने वाली कई प्रजातियों निष्क्रिय बीजों को पुनर्जीवित करने में मदद करती है।
- कई अध्ययनों में सामने आया है कि वनाग्नि के कारण जंगलों में पाई जाने वाली अधिकांश आक्रामक प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिये कुछ समय पूर्व कर्नाटक में आदिवासी समुदायों ने प्रचलित 'कूड़े में लगाई जाने वाली आग' की परंपरा का बहिष्कार कर दिया था, जिसके कारण क्षेत्र विशिष्ट में लैंटाना (Lantana) प्रजाति की वनस्पति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने वहाँ के स्थानिक पौधों का अतिक्रमण कर लिया था।

निष्कर्ष

- समय के साथ वनाग्नि से संबंधित घटनाएँ वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चिंता का रूप धारण करती जा रही हैं, भारत में भी लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं ने नीति निर्माताओं को पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और वन्य जीवों तथा वन्य संपदा के संरक्षण की दिशा में विमर्श करने हेतु विवश किया है। आवश्यक है कि देश में वनाग्नि प्रबंधन के लिये विभिन्न नवीन विचारों की खोज की जाए, इस संबंध में वनाग्नि प्रबंधन को लेकर विभिन्न देशों द्वारा अपनाए जा रहे मॉडल की समीक्षा की जा सकती है और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित किया जा सकता है।

पंजाब में फसल अवशिष्ट दहन में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब में गेहूँ की फसल कटाई के साथ फसल अवशिष्ट दहन की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- सरकारी आँकड़ों के अनुसार, पंजाब में 15 अप्रैल से 24 मई के बीच फसल अवशिष्ट दहन की कुल 13,026 घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जबकि वर्ष 2019 तथा वर्ष 2018 में इसी दौरान ऐसी घटनाओं की संख्या क्रमशः 10,476 तथा 11,236 थी।
- 'पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' के अनुसार, फसल दहन की सबसे अधिक घटनाएँ मोगा जिले में, जबकि अमृतसर दूसरे स्थान पर है।

पराली तथा कृषि अवशिष्ट दहन:

- पराली, धान की फसल कटने के बाद बचा बाकी हिस्सा होता है, जिसकी जड़ें जमीन में होती हैं। किसान धान पकने के बाद फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं क्योंकि वही काम का होता है बाकी किसान के लिये बेकार होता है। उन्हें अगली फसल बोने के लिये खेत खाली करने होते हैं इसके लिये सूखी पराली का दहन कर दिया जाता है।
- हाल ही में रबी फसल की कटाई के बाद गेहूँ के अवशिष्ट दहन में वृद्धि देखी गई है।

फसल अवशिष्टों की जलाने से नुकसान:

- गेहूं के अवशिष्टों की जलाने से पर्यावरण को प्रदूषित होता है वायु की गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, विश्व में होने वाली हर आठ मौतों में से एक वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 65 लाख लोगों की मृत्यु होती है।
- अवशिष्ट दहन से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है।
- वायु गुणवत्ता में गिरावट होने से लोगों की श्वसन क्रिया प्रभावित होती है।
- COVID-19 महामारी से पीड़ित रोगियों की रिकवरी दर प्रभावित हो सकती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, जिन लोगों द्वारा प्रतिबंध का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन किसानों के खिलाफ भी पुलिस द्वारा मामले दर्ज किये जा रहे हैं, जो गेहूं के भूसे को जला रहे हैं।
- फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध तथा उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई को 'वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम', (Air Prevention and Control of Pollution Act)- 1981 के तहत विनियमित किया जाता है।
- राज्य में 3,141 फसल अवशिष्ट दहन घटनाओं की पहचान की गई है, जिसमें अपराधियों के खिलाफ 39, 27,500 रुपए के चालान जारी किये गए हैं तथा 322 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पराली दहन नियंत्रित करने की दिशा में पहल:

- जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिये 'राष्ट्रीय अनुकूलन कोष' के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों में जलवायु सुदृढ़ता निर्माण पर एक 'क्षेत्रीय परियोजना' को स्वीकृति प्रदान की है।
- पराली की समस्या का हल खोजने के लिये भारत एक 'स्वीडिश तकनीक' का परीक्षण कर रहा है जो धान के फसल अवशेष को 'जैव-कोयला' (Bio-coal) में परिवर्तित कर सकती है।
- 'हैप्पी सीडर' (Turbo Happy Seeder-THS) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हैप्पी सीडर (Turbo Happy Seeder-THS) ट्रैक्टर के साथ लगाई जाने वाली एक प्रकार की मशीन होती है जो फसल के अवशेषों को उनकी जड़ समेत उखाड़ फेंकती है।
- 'फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिये कृषि में यंत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय क्षेत्रक योजना' के तहत किसानों को स्व-स्थाने (In-situ) फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनों को खरीदने के लिये 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही स्व-स्थाने (In-situ) फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों (Custom Hiring Center) की स्थापना के लिये परियोजना लागत की 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष:

- अधिक मशीनीकरण, पशुधन में कमी, कम्पोस्ट बनाने हेतु दीर्घ-अवधि आवश्यकता तथा अवशेषों का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होने के कारण खेतों में फसलों के अवशेष जलाए जा रहे हैं। यह न केवल ग्लोबल वार्मिंग के लिये बल्कि वायु की गुणवत्ता, मिट्टी की सेहत और मानव स्वास्थ्य के लिये भी बेहद दुष्प्रभावी है।

विश्व डुगोंग दिवस

चर्चा में क्यों ?

प्रतिवर्ष 28 मई को 'विश्व डुगोंग दिवस' मनाया जाता है। डुगोंग; जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, को भारतीय जल क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- दुगोंग को वर्तमान में समुद्री कछुए (Sea Turtles), समुद्री घोड़े (Sea Horse), समुद्री खीरे (Cucumbers) के समान संकट का सामना करना पड रहा है।
- दुगोंग को भारत में 'वन्य (जीवन) संरक्षण अधिनियम' (Wild Life Protection Act)- 1972 की अनुसूची (I) के तहत संरक्षित किया गया है।

दुगोंग का भारत में वितरण:

- वर्ष 2013 में 'भारतीय प्राणी सर्वेक्षण' (Zoological Survey of India- ZSI) द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय तटीय क्षेत्र में केवल 250 दुगोंग बचे थे।
- भारत में ये केवल मन्नार की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- दुगोंग एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी है जो अपने जीवन के लिये पूरी तरह समुद्र पर निर्भर रहता है। यह कुल 37 देशों; जिनमें उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय तटीय और द्वीपीय देश शामिल हैं, में पाया जाता है।
- दुगोंग, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यदि दुगोंग की संख्या में कमी होती है तो संपूर्ण खाद्य श्रृंखलाएँ इससे प्रभावित होंगी।

दुगोंग के समक्ष चुनौतियाँ:

- दुगोंग स्तनधारी समुद्री प्रजाति है। मादा दुगोंग एक शिशु को 12-14 महीने के गर्भ धारण के बाद जन्म देती है तथा प्रत्येक शिशु के मध्य 3-7 वर्षों का न्यूनतम अंतराल होता है। अर्थात् इसकी संख्या में बहुत धीमी गति से वृद्धि होती है।
- दुगोंग अपने भोजन के लिये मुख्यतः समुद्री घास पर निर्भर रहता है तथा एक दिन में 40 किलोग्राम तक समुद्री घास खा लेता है। समुद्री वाहनों के कारण समुद्री घास में लगातार कमी हो रही है, जो दुगोंग की घटती संख्या के पीछे सबसे प्रमुख कारण है।
- तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान में मछुआरों द्वारा दुगोंग का मांस 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता था तथा लोगों का मानना था कि इस मांस का सेवन करने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है।
- वर्तमान में निम्नलिखित मानव गतिविधियों के कारण दुगोंग को संकट का सामना करना पड रहा है:
 - ◆ आवास का विनाश;
 - ◆ व्यापक जल प्रदूषण;
 - ◆ बड़े पैमाने पर मत्स्यन गतिविधियाँ;
 - ◆ जहाजों की आवाजाही;
 - ◆ अवैध शिकार में लगातार वृद्धि का होना;
 - ◆ अनियोजित पर्यटन।

संरक्षण के प्रयास:

- 'भारतीय वन्यजीव संस्थान' (Wildlife Institute of India- WII) के जागरूकता अभियान के बाद से दुगोंग के शिकार में कमी देखी गई है।
- WII द्वारा तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान के समुद्र तटीय गाँवों में स्थानीय मछुआरों के बीच दुगोंग संरक्षण के लिये जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- 15-22 फरवरी, 2020 तक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 'वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण' (Conservation of Migratory Species of Wild Animals-CMS) की शीर्ष निर्णय निर्मात्री निकाय 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' (Conference of the Parties- COP) के 13वें सत्र का आयोजन किया गया।
- भारत सरकार वर्ष 1983 से CMS का हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत ने साइबेरियन क्रेन (वर्ष 1998), मरीन टर्टल (वर्ष 2007), दुगोंग (वर्ष 2008) और रैप्टर (वर्ष 2016) के संरक्षण और प्रबंधन पर CMS के साथ गैर- बाध्यकारी कानूनी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।

आगे की राह:

- ऑस्ट्रेलिया में उचित संरक्षण के कारण डुगोंग की संख्या 85,000 से अधिक हो गई है। अतः केवल उचित संरक्षण उपायों के माध्यम से ही डुगोंग को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है।

केरल में चारु मुसेल का प्रसार**चर्चा में क्यों ?**

मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिकी तटों पर पाए जाने वाले आक्रमणशील 'चारु मुसेल' (Charru Mussel) का केरल में बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि इस प्रजाति के पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के साक्ष्य मौजूद नहीं हैं लेकिन फ्लोरिडा में इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा संयंत्र प्रणाली को प्रभावित कर आर्थिक नुकसान पहुँचाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- एक हालिया सर्वेक्षण में कडिनमकुलम, परावुर, एडवा-नादायरा, अष्टमुडी, कायमकुलम इत्यादि स्थानों पर चारु मुसेल काफी अधिक संख्या में पाए गए हैं।
- कोल्लम जिले में स्थित अष्टमुडी झील चारु मुसेल से अत्यधिक प्रभावित है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में इनकी संख्या 11384 है।
- वर्ष 2018-2019 के बीच अष्टमुडी झील में चारु मुसेल की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी।
- 'एक्वेटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज़' (Aquatic Biology and Fisheries) पत्रिका में प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार, वर्ष 2017 में चक्रवात ओखी (Ockhi) के कारण चारु मुसेल का तेजी से प्रसार हुआ है।
- संभावना यह भी जताई जा रही है कि चारु मुसेल समुद्री जहाजों से चिपक कर भारतीय तटों पर आए हैं।

चारु मुसेल (Charru Mussel):

- चारु मुसेल को 'मायटेला चरुअना' (Mytella Charruana) के रूप में भी जाना जाता है।
- चारु मुसेल छोटे और पतले कवच का होता है जिसकी कवच की सतह पर पसलियाँ नहीं होती हैं।
- कवच का बाहरी हिस्सा हल्के हरे तथा काले रंग का होता है, जबकि कवच की आंतरिक सतह बैंगनी रंग की होती है।
- आमतौर पर इसकी लंबाई 20-25 mm होती है, जबकि अब तक इसकी अधिकतम लंबाई 48.7 mm दर्ज की गई है।
- वर्ष 1986 में पहली बार फ्लोरिडा में पाए गए चारु मुसेल वर्तमान में मध्य फ्लोरिडा से मध्य जॉर्जिया के तटों तक पाए जाते हैं।
- यह अत्यधिक खारे जल में रह सकते हैं परंतु कम तापमान में इनकी सहनशीलता सीमित होती है।

अष्टमुडी झील (Ashtamudi Lake):

- 'अष्टमुडी झील' केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। इसका आकार आठ-भुजाओं वाला है।
- झील का पारिस्थितिक तंत्र अनूठा है और यह भारत के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्रों में से एक है। यह झील रामसर (Ramsar) स्थल भी है।
- अष्टमुडी झील केरल की दूसरी सबसे बड़ी एस्चुरीन प्रणाली (Estuarine System) है। 'एस्चुरीन प्रणाली' नदी का वह जलमग्न मुहाना होती है जहाँ स्थल से आने वाले जल और सागरीय खारे जल का मिलन होता है तथा ज्वारीय लहरें क्रियाशील रहती हैं।

आगे की राह:

- अष्टमुडी झील में लगभग 3000 लोग मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में चारु मुसेल की संख्या में वृद्धि की वजह से लोगों के सामने जीवन-यापन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः इस गंभीर समस्या का समाधान शीघ्रता से किया जाना चाहिये।
- भारत के अन्य भागों में 'चारु मुसेल' की उपस्थिति की पहचान शीघ्रता से की जानी चाहिये।
- एक समिति का गठन कर समग्र आर्थिक नुकसान और जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिये।
- समुद्री आक्रमक प्रजातियों पर अध्ययन को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को जागरूक किया जाना चाहिये।

ज्वारनदमुख-पंक मैदान पारिस्थितिकी

चर्चा में क्यों ?

वन विभाग ने 'जीएमआर एनर्जी लिमिटेड' (GMR Energy Limited) को कुंभाभिषेकम (Kumbabhishekham) पंक मैदान में तलकर्षण/निकर्षण (Dredging) गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- पंक मैदान/मडफ्लैट (Mudflat) तथा मेंग्रोव के विनाश के कारण लुप्तप्राय 'ग्रेट नॉट' (Great knot) तथा 'भारतीय स्किमर' (Indian Skimmers); जो एक प्रकार के जलीय पक्षी हैं, के आवास क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है।
- 'GMR एनर्जी लिमिटेड' द्वारा कुंभाभिषेकम (काकीनाड़ा) साइट पर मडफ्लैट के सामने एक तटबंध बनाया गया है।
- मौजूदा तटबंधों को हटाने के लिये GMR एनर्जी लिमिटेड द्वारा तलकर्षण/निकर्षण किया जा रहा था।
- तटबंधों से निकले अवसादों के कारण 'मेंग्रोव वनों' में अवसादों में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे मेंग्रोव वनों की पारिस्थितिकी प्रभावित हो रही है।

ज्वारनदमुख-पंक मैदान पारिस्थितिकी:

- ज्वारनदमुख/एश्चुअरी नदी तट के किनारे स्थित महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र होता है जहाँ नदी, समुद्र से मिलती है।
- इन क्षेत्रों में न केवल लवणीय तथा मृदु जल का मिश्रण होता है अपितु नदी एवं समुद्र के तलछटों का भी मिश्रण होता है। इन तलछटों का एश्चुअरी के मुख पर पंक मैदान/मडफ्लैट के रूप में जमाव होता है। ये मडफ्लैट कई किलोमीटर तक तट के साथ विस्तृत होते हैं।
- सामान्यतः ज्वारनदमुख-पंक मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, मेंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र के निकट स्थित होते हैं।

महत्त्व:

- विभिन्न प्रकार के पक्षी, मत्स्य, अकशेरुकी जीवों के लिये आवास स्थल प्रदान करना;
- व्यावसायिक मत्स्यन के लिये प्रजनन आधार के रूप में;
- तट-रेखा को स्थिर रखना; और
- जल का शुद्धिकरण।

पारिस्थितिकी को चुनौतियाँ:

- नदियों के जरिये खतरनाक 'अजैव-निम्नीकरणीय' रासायनिक अपशिष्ट जैसे भारी धातु एवं कीटनाशक तलछट में जमा हो सकते हैं। ये अपशिष्ट बड़ी मात्रा में अकशेरुकी जीवों के माध्यम से खाद्य जाल में प्रवेश कर सकते हैं।
- ज्वारनदमुख-पंक मैदान बंदरगाहों, औद्योगिक परिसरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और मानव बस्तियों के लिये महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान होते हैं। अतः मानवीय गतिविधियों के कारण क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुँचती है।

कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया गया अभियान:

- तटबंधों के कारण तात्कालिक रूप से क्षेत्र की स्थलाकृति तथा मृदा की लवणता प्रभावित होती है। ड्रेजिंग के कारण कुंभाभिषेकम मडफ्लैट का लगातार विनाश हो रहा है, अतः पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा ड्रेजिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
- कार्यकर्ताओं ने इस मामले में राज्य सरकार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment and Forests and Climate Change) के हस्तक्षेप की मांग की है।

आगे की राह:

- तटीय व सागरीय संरक्षण व जैव-विविधता संबंधी नीतियों की कानूनी समीक्षा की जानी चाहिये। इस तरह की समीक्षा अतीत के क्रियान्वयन, वर्तमान मुद्दों और सुधार की दिशा में पहल पर ध्यान देने वाली होनी चाहिये।
- समुदाय आधारित प्रबंधन प्रणालियों को अपनाया चाहिये। इससे स्थानीय समुदायों में संसाधनों के प्रति जागरूकता आएगी तथा वे विवेकशील दोहन की ओर अग्रसर होंगे।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

दामोदर घाटी कमान क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 'विश्व बैंक' के मध्य पश्चिम बंगाल के 'दामोदर घाटी कमान क्षेत्र' (Damodar Valley Command Area- DVCA) में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिये 145 मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के पाँच जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।
- परियोजना की कुल लागत 413.8 मिलियन डॉलर है। जिसमें से 145 मिलियन डॉलर
- 'विश्व बैंक' द्वारा, 145 मिलियन डॉलर 'एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक' (Asian Infrastructure Investment Bank- AIIB) और 123.8 मिलियन डॉलर का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है।
- विश्व बैंक द्वारा दिया जा रहा ऋण, 6 वर्ष की 'अनुग्रह अवधि' (Grace Period) और 23.5 वर्षों की 'परिपक्वता अवधि' (Maturity Period) के लिये है।

दामोदर नदी:

- दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है।
- नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधा पश्चिम बंगाल में है।
- बोकारो, बराकर और कोनार इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं।

दामोदर नदी के प्रबंधन की आवश्यकता:

- दामोदर नदी को बंगाल का शोक (Sorrow of Bengal) कहा जाता था।
- इस नदी के कारण अपवाह क्षेत्र में निश्चित अंतराल के बाद बाढ़ देखने को मिलती थी जबकि मामूली बाढ़ का अनुभव प्रतिवर्ष होता था।
- दामोदर नदी द्वारा लाए गए अवसाद के कारण हुगली नदी में अवसादन की समस्या पैदा होती थी तथा कोलकाता बंदरगाह भी इससे प्रभावित होता था।

दामोदर घाटी परियोजना:

- अमेरिका की 'टेनेसी घाटी प्राधिकरण' (Tennessee Valley Authority- TVA) के आधार पर 'दामोदर घाटी परियोजना' के तहत वर्ष 1948 में 'दामोदर घाटी निगम' (Damodar Valley Corporation- DVC) की स्थापना की गई थी।
- मूल परियोजना में सात प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना था। लेकिन DVC द्वारा केवल चार बांधों (तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत) का निर्माण किया।

परियोजना से लाभ:

- दामोदर घाटी परियोजना इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। परियोजना से मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
 - ◆ झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण;
 - ◆ 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई की सुविधा;

- ◆ विभिन्न बांध स्थलों पर पनबिजली का उत्पादन;
- ◆ मृदा अपरदन को रोकना;
- ◆ क्षेत्र में औद्योगिक आधार की मजबूती प्रदान की;
- ◆ मत्स्यन तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना;
- ◆ मलेरिया जैसी मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण;

परियोजना से उत्पन्न समस्याएँ:

- दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण करना था परंतु अभी तक इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया गया है।
- क्षेत्र में वनों की कटाई तथा बांध क्षेत्रों में वनों के डूबने के वन क्षेत्र में लगातार कमी हुई है। वनीकरण की कमी के कारण जलाशयों में गाद की समस्या बढ़ गई है।
- DVC के तहत स्थापित बांधों से पनबिजली का उत्पादन तापीय विद्युत उत्पादन की तुलना में कम है क्योंकि बाढ़-नियंत्रण बांधों को हर साल मानसून से पहले बाढ़ तथा भारी मात्रा में अवसादों के कारण संयंत्रों को बंद करना पड़ता है।

विश्व बैंक के साथ किये गए नवीन अनुबंध का महत्त्व:

- DVC की स्थापना को 60 वर्ष से अधिक समय हो गया है, तथा इसे फिर से आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है। नवीन प्रोजेक्ट के माध्यम से DVC बुनियादी संरचना को सुधारने में मदद मिलेगी।
- निचला दामोदर घाटी क्षेत्र काफी समय से बाढ़ प्रभावित रहने वाला क्षेत्र है। यहाँ औसतन 33,500 हेक्टेयर फसल क्षेत्र और 461,000 लोग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अतः नवीन प्रोजेक्ट बाढ़ के नियंत्रण में मदद करेगा।

निष्कर्ष:

- DVC 'एकीकृत क्षेत्रीय विकास' (Integrated Regional Development) योजना का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। बेहतर प्रबंधन और दूरदर्शिता के साथ इसकी दक्षता में सुधार किया जा सकता है। दामोदर घाटी कमान क्षेत्र (DVCA) पर हस्ताक्षरित नवीन अनुबंध से दामोदर घाटी क्षेत्र का कायाकल्प करने में मदद मिलेगी।

ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान 'अम्फान'

चर्चा में क्यों ?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) के अनुसार, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान 'अम्फान' (Amphan) आगामी कुछ समय में 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान' (Extremely Severe Cyclonic Storm) का रूप ले सकता है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, तटीय ओडिशा में 18 मई, 2020 शाम से अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
- पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भी 19 मई, 2020 को अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मछुआरों को 18 से 21 मई तक पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के समुद्री तटों से दूर रहने की सलाह दी है और जो लोग अभी समुद्र में हैं, उन्हें 17 मई तक वापस लौटने के लिये कहा गया है।
- मौसम विभाग की चेतावनी को मुख्यतः तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है (1) येलो वॉर्निंग (Yellow Warning) (2) ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) (3) रेड अलर्ट (Red Alert)
 - ◆ 'येलो वॉर्निंग' (Yellow Warning) अथवा 'साईक्लोन अलर्ट' (Cyclone Alert) तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व जारी की जाती है।

- ◆ 'ऑरेंज अलर्ट' (Orange Alert) अथवा 'साईक्लोन वॉर्निंग' (Cyclone Warning) तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम-से-कम 24 घंटे पूर्व जारी किया जाता है।
- ◆ 'रेड अलर्ट' (Red Alert) चक्रवात के लैंडफॉल (Landfall) के पश्चात् चक्रवात की गति की संभावित दिशा और भूभागीय क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम की संभावना को दर्शाता है।
- मौसम विभाग द्वारा ओडिशा और बंगाल के लिये 'येलो वॉर्निंग' (Yellow Warning) अथवा 'साईक्लोन अलर्ट' (Cyclone Alert) जारी किया गया है।
- ध्यातव्य है कि इस संदर्भ में ओडिशा में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (National Disaster Response Force-NDRF) की 17 टीमें तैनात की गई हैं। बीते वर्ष चक्रवाती तूफान फानी (Cyclonic storm Fani) द्वारा प्रभावित ओडिशा में लगभग 11 लाख लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों से स्थानांतरित करने की व्यवस्था की गई है।
- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (National Crisis Management Committee- NCMC) ने भी इस चक्रवात की तैयारियों की समीक्षा करते हुए पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा को तत्काल सहायता का निर्देश दिया है।
- ◆ ध्यातव्य है कि चक्रवात से संबंधित तैयारियों की समीक्षा के लिये कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में NCMC की बैठक हुई।

चक्रवात और भारत

- चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आँधी को कहा जाता है। दोनों गोलार्द्धों के चक्रवाती तूफानों में अंतर यह है कि उत्तरी गोलार्द्ध में ये चक्रवात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में (Counter-Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा (Clockwise) में चलते हैं।
- ◆ उत्तरी गोलार्द्ध में इसे हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है।
- ध्यातव्य है कि भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही अधिकांश तूफानों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है।
- उष्ण-कटिबंधीय चक्रवात अपने निम्नदाब के कारण ऊँची सागरीय लहरों का निर्माण करते हैं और इन चक्रवातों का मुख्य प्रभाव तटीय भागों में पाया जाता है।

चक्रवातों के नामकरण का विषय

- विदित हो कि चक्रवातों के नामकरण का विषय सदैव से ही काफी महत्वपूर्ण रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र के आठ देश (बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाइलैंड) एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं।
- चक्रवातों के नामकरण के कारण चक्रवात को आसानी से पहचाना जा सकता है और इससे बचाव अभियानों में भी मदद मिलती है। किसी नाम का दोहराव नहीं किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि मौजूदा चक्रवाती तूफान 'अम्फान' (Amphan) का नामकरण थाइलैंड द्वारा किया गया था।
- वर्ष 1900 के मध्य चक्रवाती तूफान से होने वाले खतरे के बारे में लोगों को समय रहते सतर्क करने के लिये इसके नामकरण की शुरुआत हुई थी।

हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (International Centre for Integrated Mountain Development- ICIMOD) द्वारा हिंदू-कुश हिमालय (Hindu Kush Himalaya-HKH) क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित अध्ययन के अनुसार, इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की संख्या में वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु

- हालाँकि यही अध्ययन दर्शाता है कि हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र वर्ष 2060 तक अपने वर्तमान ग्लेशियर क्षेत्र का आधा हिस्सा खो देगा, जिसकी अवधि पहले वर्ष 2070 आंकी गई थी।
- विश्लेषकों के अनुसार, ग्लेशियरों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण ग्लेशियरों का विखंडन (Fragmentation) है, सामान्य शब्दों में कहें तो बड़े ग्लेशियर छोटे-छोटे ग्लेशियरों में बँट रहे हैं।
- अध्ययन में वैश्विक तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को ग्लेशियरों के विखंडन (Fragmentation) का मुख्य कारण बताया गया है।
- आकलन के अनुसार, पूर्वी हिमालय के ग्लेशियर मध्य तथा पश्चिमी हिमालय के ग्लेशियरों की तुलना में तेजी से सिकुड़ गए हैं, हालाँकि यह एक स्वाभाविक क्रिया है क्योंकि जब सतह क्षेत्र अथवा सूर्य के संपर्क में आने वाली सतह में वृद्धि होती है, तो खंडित और छोटे ग्लेशियर बड़े ग्लेशियरों की तुलना में तेजी से सिकुड़ते हैं।
- ICIMOD ने इस स्थिति को काफी खतरनाक स्थिति के रूप में परिभाषित किया है।

हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र और इसका महत्त्व

- हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र को विश्व का तीसरा ध्रुव (Third Pole) माना जाता है तथा यह जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत सुभेद्य है।
 - ◆ पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ डेटा एकत्र करना कठिन है।
- हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, किर्गिजस्तान, मंगोलिया, म्याँमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक फैला है।
- विभिन्न देशों में लगभग 3,500 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को एशिया का 'वाटर टॉवर' (Water Tower) भी कहा जाता है।
- एक अनुमान के अनुसार, हिंदू-कुश हिमालय (Hindu Kush Himalaya-HKH) क्षेत्र में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों (North and South Poles) के पश्चात् बर्फ का सबसे अधिक भंडार है।
- उल्लेखनीय है कि नदियों के लिये जल का एक बड़ा स्रोत होने के नाते ये ग्लेशियर दुनिया भर में एक तिहाई आबादी के लिये जीवन रेखा हैं।
- इस अध्ययन में हिंदू-कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र को एशिया तथा विश्व के लिये एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण संपत्ति की संज्ञा दी गई है। यह जल, ऊर्जा, कार्बन भंडार और साथ ही समृद्ध जैव विविधता का प्रमुख स्रोत है।
 - ◆ उदाहरण के लिये विश्व के 200 करोड़ से अधिक लोगों अपनी जल संबंध आवश्यकता के लिये हिंदू-कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र से शुरू होने वाली नदियों पर निर्भर हैं और इन नदियों में 500 गीगावाट की जल विद्युत क्षमता है।

उत्तराखंड एक स्वर्ग' वेबिनार

चर्चा में क्यों ?

16 अप्रैल, 2020 को 'वेबिनार' (Webinar) श्रृंखला 'देखो अपना देश' (Dekho Apna Desh) के तहत 20वें वेबिनार 'उत्तराखंड एक स्वर्ग' (Uttarakhand Simply Heaven) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- इस वेबिनार में 'उत्तराखंड' के 2 क्षेत्रों केदारखंड (गढ़वाल क्षेत्र) और मनु खंड (कुमाऊँ क्षेत्र) में पर्यटन की संभावनाओं को उजागर किया गया।
- इसके साथ ही वेबिनार में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जैसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को भी विशेष तौर पर दर्शाया गया।
- वेबिनार में देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आदि के महत्त्व को भी उजागर किया गया।

वेबिनार (WEBINAR):

- वेब कॉन्फ्रेंसिंग शब्द का उपयोग विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के लिये किया जाता है। इसमें वेब कास्ट, वेबिनार (वेब सेमिनार) एवं पीयर-लेवल वेब मीटिंग शामिल हैं। इसे इंटरनेट प्रौद्योगिकियों द्वारा संभव बनाया गया है और इसमें एक प्रेषक से कई रिसीवरों तक संचार एवं बहु स्तरीय संचार के लिये वास्तविक समय बिंदु की अनुमति प्रदान की गई है।
- 'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला:
- भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल, 2020 से 'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला ('DEKHO APNA DESH' WEBINAR SERIES) शुरू की है।
- वेबिनार का उद्देश्य भारत के गंतव्य स्थलों की जानकारी देना है।
- 'देखो अपना देश' श्रृंखला सत्रों का संचालन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग की सक्रिय मदद से किया जाता है।
- इस वेबिनार श्रृंखला के अगले सत्र का शीर्षक 'फोटोवाल्किंग भोपाल' (Photowalking Bhopal) है।
- वेबिनार (WEBINAR) का आयोजन क्यों?
- COVID-19 महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि घरेलू स्तर पर या सीमा पार से कोई आवागमन नहीं हो पा रहा है।

वेबिनार (WEBINAR) का महत्त्व:

- प्रौद्योगिकी के कारण, स्थानों और गंतव्यों तक आभासी रूप से पहुँचना और बाद के दिनों के लिये अपनी यात्रा की योजना बनाना संभव है।
- वर्तमान COVID-19 महामारी के समय में मानव संपर्क को बनाए रखने में प्रौद्योगिकी काम आ रही है।

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान:

- नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उच्च-तुंगता वाले पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है।
- नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के दूसरे सबसे ऊँचे पर्वत नंदा देवी के 7,817 मीटर शिखर क्षेत्र में विस्तृत है।
- फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में अल्पाइन फूलों तथा सुंदर घास के मैदान पाए जाते हैं।
- दोनों पार्कों में वनस्पतियों एवं जीवों की उच्च विविधता और घनत्व पाया जाता है, जिनमें हिम तेंदुए, हिमालयी कस्तूरी मृग तथा पौधों की प्रजातियों सहित अनेक संकटापन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

ऊपरी गंगा नदी तंत्र में संगम:

- अलकनंदा और भागीरथ:
 - ◆ गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों में महाखड्डों का निर्माण करते हुए गुजरती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है।
- देवप्रयाग:
 - ◆ देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है।
- विष्णुप्रयाग:
 - ◆ अलकनंदा नदी धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है।
- कर्णप्रयाग:
 - ◆ अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है।
- रूद्रप्रयाग:
 - ◆ जबकि मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा से रूद्रप्रयाग में मिलती है।
 - ◆ गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है।

उष्ण महासागर और सुपर साइक्लोन

चर्चा में क्यों ?

'भारत मौसम विज्ञान विभाग' (India Meteorological Department- IMD) के अनुसार, चक्रवाती तूफान 'अम्फान' (Amphan) बंगाल की खाड़ी का सामान्य से अधिक तापमान के कारण 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान' (Extremely Severe Cyclonic Storm) का रूप ले सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- वैज्ञानिकों के अनुसार, सुपर साइक्लोन के निर्माण में बंगाल की खाड़ी का सामान्य से अधिक तापमान रहने में 'लॉकडाउन' ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 'सुपर साइक्लोन अम्फान' जो पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है, वर्ष 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद से बंगाल की खाड़ी में आया सबसे तेज चक्रवात है।

सुपर साइक्लोन:

- तूफान जिनका निर्माण बहुत तेजी से होता है और जिनकी वायु की गति 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान' की वायु गति से बहुत अधिक हो जाती है, वे सुपर साइक्लोन माने जाते हैं।

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात:

- उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं।

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निर्माण की अनुकूल स्थितियाँ:

- इनकी उत्पत्ति व विकास के लिये निम्नलिखित अनुकूल स्थितियाँ हैं:
 - ◆ बृहत् समुद्री सतह;
 - ◆ समुद्री सतह का तापमान 27° सेल्सियस से अधिक हो;
 - ◆ कोरिआलिस बल का उपस्थित होना;
 - ◆ लंबवत पवनों की गति में अंतर कम होना;
 - ◆ कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण होना;
 - ◆ समुद्री तल तंत्र पर उपरी अपसरण।

चक्रवात में ऊर्जा की आपूर्ति:

- चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊँचे कपासी स्तरी मेघों से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र को घेरे होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति चक्रवातों को अधिक प्रबल करती है।

महासागरीय तापमान में वृद्धि:

- महासागर वातावरण में उत्सर्जित अतिरिक्त ऊष्मा के लगभग 90% से अधिक भाग को अवशोषित करते हैं।
- महासागरीय तापन और वायुमंडल से उत्सर्जित गैस की मात्रा के बीच मजबूत संबंध पाया जाता है। जैसे-जैसे महासागर गर्म होता है, इससे चक्रवात निर्माण की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है।

बंगाल की खाड़ी के तापमान में वृद्धि:

- चक्रवात उष्ण महासागरों तथा इससे उत्पन्न उष्ण नदी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
- वर्ष 2020 के ग्रीष्मकाल में बंगाल की खाड़ी का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है क्योंकि जीवाश्म ईंधन के लगातार उत्सर्जन के कारण महासागरों के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है।

- मई माह के प्रथम दो सप्ताह में यहाँ समुद्री सतह का तापमान 32-34°C दर्ज किया है। इसने चक्रवात निर्माण के लिये आदर्श स्थितियों का निर्माण किया है।

लॉकडाउन का प्रभाव (Lockdown Impact):

- महासागरों के तापमान में देखी गई वृद्धि, लॉकडाउन से भी संबंधित हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान 'कणकीय पदार्थों' (Particulate Matter) के उत्सर्जन में कमी देखी गई है, जिससे 'एरोसॉल' को मात्रा में भी कमी आई है। 'ब्लैक कार्बन' सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं तथा सतही तापमान में कमी करते हैं। अर्थात् प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी के कारण महासागरों के तापमान में वृद्धि हुई है।
- इंडो-गंगेटिक मैदानों से ये प्रदूषक 'बंगाल की खाड़ी' में पहुँचते हैं तथा बंगाल की खाड़ी में बादल निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में कम बादल निर्माण तथा अधिक तापमान ने चक्रवात निर्माण को प्रभावित किया है।

आगे की राह:

- 'जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल' (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) रिपोर्ट के अनुसार, 1.5°C से 2°C के बीच के बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के स्तर के परिणामस्वरूप अधिकांश भूमि और महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि हो सकती है, कई क्षेत्रों में भारी वर्षा तथा कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- महासागरों के तापमान में वृद्धि होने से संपूर्ण जलवायु तंत्र प्रभावित होता है, अतः सभी देशों को महासागरों के संरक्षण तथा आपदा प्रबंधन पर विशेष पहल करने की आवश्यकता है।

भारत-नेपाल के बीच सुस्ता क्षेत्र विवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के कालापानी (Kalapani) लिंपियाधुरा (Limpiyadhura) और लिपुलेख (Lipulekh) को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है।

प्रमुख बिंदु:

- 'विदेश मंत्रालय' (Ministry of External Affairs- MEA) ने नेपाल के नवीन राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से 'कृत्रिम' तथा भारत के लिये अस्वीकार्य बताया है।
- 2 नवंबर, 2019 को भारत ने एक नवीन मानचित्र प्रकाशित किया था यह जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाता है। इसी मानचित्र में कालापानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है।

सुस्ता क्षेत्र (Susta Territorial):

- उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिलों के पास अवस्थित 'सुस्ता क्षेत्र' को भी नेपाल द्वारा अपने नवीन मानचित्र में शामिल किया गया है।
- नेपाल का दावा है कि भारत ने इस क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है तथा भारत को इस क्षेत्र को तुरंत खाली करना देना चाहिये।
- तीस्ता क्षेत्र बिहार में 'वाल्मीकि टाइगर रिजर्व' की उत्तरी सीमा पर अवस्थित एक गाँव है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत अर्द्ध-सैनिक पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल की एक इकाई इस क्षेत्र में तैनात है।
- सुस्ता क्षेत्र में 265 से अधिक परिवार निवास करते हैं तथा खुद को नेपाल से संबंधित मानते हैं।

विवाद का कारण:

- विवाद का मूल कारण गंडक नदी के बदलते मार्ग को माना जाता है। गंडक नदी नेपाल और बिहार (भारत) के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के रूप में जाना जाता है।
- नेपाल का मानना है कि पूर्व में सुस्ता क्षेत्र गंडक नदी के दाएँ किनारे अवस्थित था, जो नेपाल का हिस्सा था। लेकिन समय के साथ नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र वर्तमान में गंडक के बाएँ किनारे पर अवस्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र को भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

उत्तराखंड (भारत)-नेपाल सीमा पर विवाद:

- नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, सुगौली संधि (वर्ष 1816) के तहत काली (महाकाली) नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिनमें लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura), कालापानी (Kalapani) और लिपुलेख (Lipulekh) शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग हैं। भारत के अनुसार, यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है।

मुद्दे पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण:

- अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, किसी नदी के मार्ग में परिवर्तन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नदी के मार्ग में बदलाव के स्वरूप के आधार पर किया जाता है अर्थात् नदी मार्ग में आकस्मिक बदलाव (Avulsion) हो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपरिवर्तित रहती है, यदि नदी मार्ग में बदलाव धीरे-धीरे हो (Accretion) तो सीमा उसके अनुसार परिवर्तित होती है।

आगे की राह:

- दोनों देशों को मौजूदा संधियों के दायरे में एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवाद समाधान की दिशा में विचार-विमर्श किया जाना चाहिये।
- भारत को नेपाल के साथ सीमा विवादों को कूटनीतिक संवाद के माध्यम से विवादों का अंतर्राष्ट्रीयकरण किये बिना सुलझाने का प्रयास करना चाहिये।

उत्तर भारत में ग्रीष्म लहर

चर्चा में क्यों ?

उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का तीव्र प्रकोप देखने को मिल रहा है और राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के कुछ जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया है, जो कि सामान्य तापमान से 5 डिग्री अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में राजस्थान के चुरू (Churu) में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
- गर्मी के तीव्र प्रकोप को देखते हुए राज्य व जिला प्रशासन ने आम लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है।
- तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, जिससे इन क्षेत्रों में ग्रीष्म लहर (Heat Wave) की स्थिति पैदा हो गई है।
- मौसम विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में व्याप्त शुष्क उत्तर-पूर्वी हवाएँ इन क्षेत्र में तीव्र गर्मी का एक प्रमुख कारण हैं।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के लिये ग्रीष्म लहर (Heat Wave) की गंभीर स्थिति में प्रयोग किया जाने वाला 'रेड अलर्ट' (Red Alert) जारी किया है।
- IMD के अनुसार, दोपहर 1 से शाम 5 बजे के दौरान लोगों को सावधानी बरतने तथा घर से बाहर न निकलने के लिये 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है, क्योंकि इस दौरान गर्मी की तीव्रता सबसे अधिक होती है।
- गौरतलब है कि IMD किसी भी मौसम की गंभीरता के आधार पर इस प्रकार की चेतावनी जारी करता है, इसमें 'ग्रीन अलर्ट', 'येलो अलर्ट', 'ऑरेंज अलर्ट' और 'रेड अलर्ट' आदि शामिल हैं।

प्रभाव

- ग्रीष्म लहर (Heat Wave) की चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई है जब कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये लागू किये गए लॉकडाउन के बीच देश भर में लाखों प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों में वापस जा रहे हैं।
- ऐसे में इन मजदूरों के लिये अपने गृह राज्य तक का रास्ता तय करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। भीषण गर्मी के अलावा मजदूरों को आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority-NDMA) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत के 23 राज्यों में 73 ग्रीष्म लहर (Heat Wave) देखी गई थी, जिसमें तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था और इसके प्रभाव से लगभग 10 लोगों की मृत्यु हुई हो गई थी।

ग्रीष्म लहर (Heat Wave) का अर्थ ?

- विभिन्न देशों में उनके तापमान के आधार पर ग्रीष्म लहर (Heat Wave) को वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि एक ही अक्षांश पर तापमान में भिन्नता पाई जाती है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization-WMO) ने वर्ष 2016 में प्रकाशित अपने दिशा-निर्देशों में तापमान और मानवीय गतिविधियों जैसे कुछ कारकों को ग्रीष्म लहर की तीव्रता के मानक आधार के रूप में चिह्नित किया था।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान को ग्रीष्म लहर के मानक के रूप में निर्धारित किया है।
- जहाँ सामान्य तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है वहाँ 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर सामान्य तथा 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ने पर गंभीर ग्रीष्म लहर की घटनाएँ होती हैं।
- जहाँ सामान्य तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है वहाँ पर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाने पर सामान्य ग्रीष्म लहर और 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ने पर गंभीर ग्रीष्म लहर की घटनाएँ होती हैं।

नील नदी पर 'ग्रैंड रेनेसां डैम' विवाद

चर्चा में क्यों ?

इथियोपिया द्वारा नील नदी पर एक 'मेगा जल विद्युत परियोजना' का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा-मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य 'जल-युद्ध' की संभावना को बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- अफ्रीका की सबसे लंबी 'नील नदी' के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है।
- वर्ष 2020 के अंत में इथियोपिया और मिस्र नील नदी पर जलविद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं।

नील नदी:

- नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 4,132 मील (6,650 किलोमीटर) है। नदी के अपवाह बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 1,293,000 वर्ग मील (3,349,000 वर्ग किलोमीटर) है।
- नील नदी बेसिन तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, सूडान और मिस्र में विस्तृत है।
- नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियाँ- व्हाइट नील और ब्लू नील हैं। व्हाइट नील नदी का उद्गम मध्य अफ्रीका के 'महान अफ्रीकी झील' (African Great Lakes) क्षेत्र से होता है जबकि ब्लू नील का उद्गम इथियोपिया की 'लेक टाना' से होता है।

नदी विवाद का कारण:

- व्हाइट नील नदी मुख्यतः युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र से होकर बहती है। जबकि ब्लू नील नदी का अपवाह बेसिन पूर्वी अफ्रीका के देशों यथा- इथियोपिया तथा सूडान आदि में विस्तृत है।
- ब्लू नील नदी जो नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, इथियोपिया से होकर बहती है। इथियोपिया द्वारा वर्ष 2011 में ब्लू नील नदी पर बांध निर्माण का कार्य शुरू किया गया था जिस पर मिस्र द्वारा आपत्ति जताई गई थी।

- इथियोपिया द्वारा नील नदी पर बनाया जा रहा 'ग्रैंड रेनेसां डैम' (Grand Renaissance Dam) अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा।
- सूडान ने भी इस परियोजना पर आपत्ति दर्ज करवाई है।
- आवश्यक जल स्रोत के रूप में अफ्रीका में नील नदी का बहुत अधिक महत्त्व है, अतः वर्तमान नदी विवाद दोनों राष्ट्रों (इथियोपिया और मिस्र) के बीच पूर्ण संघर्ष में भी बदल सकता है। अतः अमेरिका ने इस नदी विवाद में मध्यस्थता करने के लिये कदम बढ़ाया है।

ग्रैंड रेनेसां डैम (Grand Renaissance Dam):

- यह अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है जिसका नील नदी पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।
- बांध का निर्माण इथियोपिया के तराई क्षेत्रों में ब्लू नील नदी पर किया गया है।
क्यों है संघर्ष की संभावना ?
- नील नदी पर इथियोपिया द्वारा बनाई जा रही मेगा परियोजना के कारण, इथियोपिया नील नदी के जल को नियंत्रित कर सकता है। यह मिस्र के लिये चिंता का विषय है क्योंकि मिस्र नील नदी के अनुप्रवाह में स्थित है।
- मिस्र ने परियोजना पर आपत्ति जताई है तथा इस परियोजना के लिये एक लंबी समयावधि प्रस्तावित की है ताकि नील नदी के जल स्तर में अचानक तीव्र कमी देखने को न मिले।
- पिछले चार वर्षों में मिस्र, इथियोपिया और सूडान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया जा रहा है परंतु तीनों देश किसी समझौते तक पहुँचने में असमर्थ रहे हैं।

इथियोपिया के लिये बांध का महत्त्व:

- इथियोपिया का मानना है कि बाँध निर्माण से लगभग 6,000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा सकेगी। इथियोपिया की 65% आबादी वर्तमान में विद्युत की कमी का सामना कर रही है। बांध निर्माण से देश के विनिर्माण उद्योग की मदद मिलेगी तथा पड़ोसी देशों को विद्युत की आपूर्ति करने से राजस्व में वृद्धि की संभावना है।

नदी जल विवाद की वर्तमान स्थिति:

- हाल ही में मिस्र ने इथियोपिया और सूडान के साथ फिर से वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। मिस्र का मानना है कि वह किसी भी समझौते पर सहमति बनाते समय इथियोपिया और सूडान के हितों को भी ध्यान में रखेगा।
- इथियोपिया का मानना है कि उसे बांध को जल से भरने के लिये मिस्र की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मिस्र ने 1 मई को 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' को लिखा कि बांध निर्माण से मिस्र के आम नागरिकों की खाद्य एवं जल सुरक्षा तथा आजीविका प्रभावित होगी। मिस्र ने यह भी कहा कि इस बांध निर्माण के कारण दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष भी हो सकता है।

आगे की राह:

- अमेरिका के नदी जल विवाद पर मध्यस्था करने पर सहमति जताई है। अतः अफ्रीकी देशों को चाहिये की वे अमेरिका के नेतृत्व में या बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं सभी हितधारक देशों को एक साथ मिलकर मामले को सुलझाने का प्रयास कर करना चाहिये। इसके लिये 'नील बेसिन पहल' जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग किया जा सकता है।

दक्षिण अटलांटिक विसंगति

चर्चा में क्यों ?

'यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी' (European Space Agency- ESA) के 'स्वॉर्म' (Swarm) उपग्रहों द्वारा प्राप्त आँकड़ों के अध्ययन से दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर 'चुंबकीय विसंगति' (Magnetic Anomaly) का पता चला है। चुंबकीय विसंगति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्थानिक भिन्नता को बताता है।

प्रमुख बिंदु:

- चुंबकीय विसंगति को 'दक्षिण अटलांटिक विसंगति' (South Atlantic Anomaly- SAA) के रूप में भी जाना जाता है।
- 'दक्षिण अटलांटिक विसंगति' का विस्तार दक्षिण अमेरिका से दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका तक है।
- वर्ष 1970 के बाद से चुंबकीय विसंगति के आकार में लगातार वृद्धि देखी गई है तथा यह 20 किमी. प्रतिवर्ष की गति से पश्चिम की ओर बढ़ रही है।

दक्षिण अटलांटिक विसंगति (South Atlantic Anomaly- SAA):

- 'दक्षिण अटलांटिक विसंगति' अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच के क्षेत्र में पृथ्वी के भू-चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार को संदर्भित करता है।
- दक्षिण अटलांटिक विसंगति पृथ्वी के निकटस्थ उस क्षेत्र को बताता है जहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, सामान्य चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कमजोर पाया गया है।

दक्षिण अटलांटिक विसंगति का कारण:

- दक्षिण अटलांटिक विसंगति (SAA) एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी की 'वान एलन रेडियेशन बेल्ट' (Van Allen Radiation Belt) पृथ्वी की सतह के निकटतम आ जाती है।
- दक्षिण अटलांटिक विसंगति क्षेत्र में 'वान एलन रेडियेशन बेल्ट' की ऊँचाई सामान्य से 200 किमी. तक कम हो गई है। इससे इस क्षेत्र में ऊर्जावान कणों का प्रवाह बढ़ जाता है।

वान एलन रेडिएशन बेल्ट (Van Allen Radiation Belt):

- किसी भी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ग्रह के चारों तरफ आवेशित एवं ऊर्जावान कणों की एक 'रेडिएशन बेल्ट' (Radiation Belt) पाई जाती है।
- 'वान एलन रेडिएशन बेल्ट' पृथ्वी के चारों ओर विकिरण बेल्ट को संदर्भित करता है।
- इन बेल्टों की खोज वर्ष 1958 में डॉ. जेम्स वान एलन तथा उनकी टीम द्वारा की गई थी। डॉ. जेम्स वान एलन के नाम पर ही पृथ्वी के रेडिएशन बेल्ट को 'वान एलन रेडिएशन बेल्ट' कहा जाता है।
- बृहस्पति, शनि जैसे ग्रहों के भी समान रेडिएशन बेल्ट पाई जाती है।
- ये बेल्ट पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के आंतरिक भाग में पाई जाती है।

वान एलन रेडिएशन बेल्ट का निर्माण:

- ऐसा माना जाता है कि रेडिएशन बेल्ट के मुख्य घटकों का निर्माण सौर पवन तथा कॉस्मिक विकिरणों से होता है। पृथ्वी के दो रेडिएशन बेल्ट हैं। एक 'आंतरिक वान एलन रेडिएशन बेल्ट' और दूसरा 'बाहरी रेडिएशन बेल्ट'।
- आंतरिक रेडिएशन बेल्ट:
 - ◆ आंतरिक बेल्ट पृथ्वी की सतह से 1000 किमी. से 6000 किमी. की ऊँचाई तक विस्तृत है।
 - ◆ आंतरिक बेल्ट में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों का एक संयोजन होता है।
- बाह्य रेडिएशन बेल्ट:
 - ◆ बाह्य बेल्ट पृथ्वी सतह से 15,000 किमी. से 25,000 किमी. तक विस्तृत है।
 - ◆ बाह्य विकिरण बेल्ट में मुख्यतः ऊर्जावान तथा आवेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।

चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने का कारण:

- विगत 200 वर्षों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में औसतन 9% की कमी हुई है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सबसे अधिक कमी SAA क्षेत्र में देखने को मिली है।
- विगत 50 वर्षों में SAA के क्षेत्र में विस्तार हुआ है तथा यह लगातार पश्चिम की ओर बढ़ गया है।

SAA का प्रभाव:

- 'मैग्नेटिक शील्ड' (Magnetic Shield) चुंबकीय ध्रुव के स्थान को निर्धारित करने में मदद करता है। SAA प्रभाव के कारण पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- 'मैग्नेटिक शील्ड' (Magnetic Shield) अवांछित विकिरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः SAA के कारण चुंबकीय विकिरण प्रभाव में वृद्धि हो सकती है।
- यह वैश्विक उपग्रह एवं दूरसंचार प्रणाली को प्रभावित कर सकता है, स्मार्टफोन में मैपिंग एवं नेविगेशन प्रणाली भी इससे प्रभावित हो सकती है।
- SAA के कारण पक्षियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रभावित हो सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पक्षी तथा जानवरों का मौसमी प्रवास पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल में परिवर्तन से प्रभावित होता है।

निष्कर्ष:

- दक्षिण अटलांटिक विसंगति के बारे में भी वैज्ञानिक समझ अपर्याप्त है, अतः भविष्य में इसका क्या प्रभाव होगा यह अभी अज्ञात है, लेकिन विभिन्न शोधों के अनुसार भविष्य में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। इसलिये संचार व्यवस्था में आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिये ताकि संचार व्यवस्था विकरण प्रभावों से न्यूनतम प्रभावित हो।

दृष्टि
The Vision

सामाजिक मुद्दे

गोल कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिये फेसबुक के साथ मिलकर 'गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स' (Going Online As Leaders-GOAL) कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- GOAL कार्यक्रम के द्वारा आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान की जाएगी।
- डिजिटल रूप से सक्षम यह कार्यक्रम आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं का पता लगाने के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की परिकल्पना पर आधारित है, जो उनके व्यक्तिगत विकास में मदद करने के साथ-साथ उनके समाज के सर्वांगीण उत्थान में भी योगदान देगा।
- डिजिटल कौशल (Digital Skilling) और प्रौद्योगिकी (Technology), जनजातीय समुदाय को समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ने में मददगार साबित होगी।
- जनजातीय उद्यमिता का विकास होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आदिवासी युवाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाएगा।
- इस कार्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिससे आदिवासी युवाओं और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में यथा- बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, आदिवासी कला एवं संस्कृति आदि में डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दीर्घकालिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त हो सके।
- यह कार्यक्रम आदिवासी महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़कर उनके सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में सक्षम बनाने की दिशा में GOAL कार्यक्रम मददगार साबित होगा।

गोल कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:

- कार्यक्रम के तहत चयनित 5,000 युवा जनजातीय उद्यमियों, पेशेवरों, कारीगरों और कलाकारों को डिजिटल-कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को 'मेंटिस' (Mentees) कहा जाएगा तथा इन्हें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा जिन्हे 'मेंटर्स'(Mentors) कहा जाएगा।
- इसमें 2 'मेंटिस' पर 1 'मेंटर्स' को नियुक्त किया जाएगा।
- कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के युवाओं को अपने गुरुओं/शिक्षकों के साथ अपनी आकांक्षाओं, सपनों और प्रतिभा को साकार करने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सक्षम बनाना है।
- चयनित 5,000 'मेंटिस' नौ महीने या 36 सप्ताह तक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें 28 सप्ताह के मेंटरशिप कार्यक्रम के बाद आठ सप्ताह की इंटरशिप भी शामिल होगी।
- इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस तीन मुख्य क्षेत्रों पर होगा, जिसमें शामिल है -
 - ◆ डिजिटल साक्षरता
 - ◆ जीवन कौशल, नेतृत्व, उद्यमशीलता, और कृषि
 - ◆ कला और संस्कृति, हस्तशिल्प वस्त्र, स्वास्थ्य, पोषण
- इस कार्यक्रम को अन्य सरकारी योजनाओं जैसे- मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, जन धन योजना, कौशल भारत, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अन्य के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया:

- इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल “goal.tribal.gov.in” पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- ‘गोल’ कार्यक्रम के लिये आवेदन प्रक्रिया 4 मई, 2020 से 3 जुलाई, 2020 की मध्यरात्रि तक जारी रहेगी।
- ‘मेंटर’ के तौर पर पंजीकरण के लिये, उद्योग और शिक्षा-जगत के अग्रणी विषय-विशेषज्ञों को goal.tribal.gov.in पोर्टल पर आमंत्रित किया गया है।

GOAL प्रथम चरण:

गोल का प्रथम चरण फेसबुक द्वारा वर्ष 2019 में फरवरी से अक्टूबर, 2019 तक 5 राज्यों में 100 ‘मेंटिस’ और 25 मेंटर्स के साथ पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर संचालित किया गया था।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने और फसल की सही कीमत प्राप्त करने में मदद करने के लिये ‘राजीव गांधी किसान न्याय’ (Rajiv Gandhi Kisan Nyay) योजना शुरू करने की योजना बना रही है।

योजना संबंधी प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत राज्य के लगभग 19 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा।
- औपचारिक तौर पर इस योजना का शुभारंभ 21 मई, 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाएगा।
- किसानों को फसलों की खेती के लिये प्रोत्साहित करने के लिये इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना आदि की फसल के लिये 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में दी जाएगी।
- इस योजना के तहत 18,34,834 किसानों को धान की फसल के लिये पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- राज्य सरकार ने इस योजना के लिये बजट में राज्य सरकार द्वारा कुल 5,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के किसानों के लिये ‘न्यूनतम आय उपलब्धता’ सुनिश्चित करना है।
- इस योजना का कार्यान्वयन मुख्य तौर पर फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने हेतु किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य प्रयास

- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 18 लाख किसानों के लिये 8,800 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था।
- इसके अतिरिक्त राज्य में किसानों के लिये कृषि भूमि अधिग्रहण के मूल्य का चार गुना मुआवजा और सिंचाई कर में माफी जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं।
- लॉकडाउन अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काफी मात्रा में रोजगार का सृजन किया है, जिससे राज्य के 23 लाख ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ।
- वहीं राज्य सरकार ने वनोपज पर निर्भर लोगों के लिये भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। विदित हो कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ की कुल वन उपज का 98 प्रतिशत हिस्सा है।
 - ◆ इसी तथ्य के मद्देनजर राज्य सरकार ने वनोपज पर निर्भर लोगों को 649 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ का लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है और राज्य की तकरीबन 31 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदायों की है।
 - ◆ राज्य में लाखों परिवारों के लिये वन उपज आय का प्रमुख स्रोत है।

- आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार ने सही कीमत पर वन उपज की खरीद सुनिश्चित की है, जिससे आदिवासियों को काफी लाभ प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वन उपज की संख्या 7 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है।

आगे की राह

- मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ समेत भारत के सभी राज्यों में कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के कुल 93 मामले सामने आए हैं।
- ध्यातव्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा COVID-19 से सर्वाधिक प्रभावित और संवेदनशील वर्ग के लिये विभिन्न सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं।
- आवश्यक है कि देश के अन्य हिस्सों में भी छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए कमजोर और संवेदनशील वर्ग को ध्यान में रखकर नीति निर्माण के कार्य को संपन्न किया जाए।

स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस-बी के लिये टीकाकरण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लूएंजा (Seasonal Influenza- H1N1) का मुकाबला करने के लिये हरियाणा सरकार ने राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि जहाँ एक ओर कोरोनावायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं मानसून के स्वाइन फ्लू (H1N1) की संभावना ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है।
- इसी चुनौती को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित 3 कार्यक्रम शुरू किये हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिये H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis-B) नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल हैं।
- H1N1 टीकाकरण अभियान के तहत राज्य भर में लगभग 13,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को H1N1 से बचाव के लिये टीका लगाया जाएगा।
- सरकार ने इस संबंध में जिस वैक्सीन का उपयोग करने की योजना बनाई है, वह एकल खुराक वैक्सीन है और एक वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 22 जिलों में पहले से ही मुफ्त H1N1 परीक्षण, निदान और उपचार सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- वहीं हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis-B) नियंत्रण कार्यक्रम के पहले चरण में राज्य के कारागारों में नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और कैदियों को कवर किया जाएगा।

कार्यक्रम की आवश्यकता

- आँकड़ों के अनुसार, भारत में 2016 के बाद से अब तक लगभग 85,000 लोग H1N1 वायरस से संक्रमित हुए हैं और बीते कुछ वर्षों में इस वायरस के कारण 4,900 लोगों की मृत्यु हुई है।
- इस वायरस पर किये गए विभिन्न शोधों से ज्ञात होता है कि भारत में इस वायरस का प्रकोप एक वर्ष में मुख्यतः 2 बार दिखाई देता है, पहला जनवरी माह से मार्च माह के दौरान और दूसरा मानसून के पश्चात् अगस्त माह से अक्टूबर माह के दौरान।
- कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के तीव्र प्रसार को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आते हैं और उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
- WHO के वर्ष 2018 के आँकड़ों के अनुसार, हेपेटाइटिस से प्रत्येक वर्ष दक्षिण-पूर्व एशिया में लगभग 3,50,000 लोगों की मौत होती है। यह संख्या मलेरिया और HIV द्वारा संयुक्त रूप से होने वाली मौतों से भी अधिक है।

स्वाइन फ्लू

- स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है।
- H1N1 संक्रमण को स्वाइन फ्लू कहा जाता है, क्योंकि अतीत में यह उन्हीं लोगों को होता था जो सूअरों के सीधे संपर्क में आते थे।
- H1N1 की तीन श्रेणियाँ हैं - A, B और C
- A और B श्रेणियों को घरेलू देखभाल की आवश्यकता होती है, जबकि श्रेणी C में तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने और चिकित्सा की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके लक्षण और परिणाम बेहद गंभीर होते हैं और इससे मृत्यु भी हो सकती है।
- H1N1 संक्रमण किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है।

हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis-B)

- यह एक वायरल संक्रमण (Viral Infection) है जो लीवर की बीमारी का कारण बन सकता है।
- यह वायरस जन्म और प्रसव के दौरान माँ से बच्चे में फैल सकता है। इसके अतिरिक्त यह रक्त अथवा शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने के कारण भी फैलता है।
- यह लीवर कैंसर (Liver cancer) का प्राथमिक कारण है।
- वैक्सीन द्वारा हेपेटाइटिस-बी की रोकथाम की जा सकती है जो कि एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है।

गिलोय की बिक्री में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

गिलोय (Giloy) और अन्य उत्पादों का विपणन करने वाली 'आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था' (Adivasi Ekatmik Samajik Sanstha) ने हाल के दिनों में काफी प्रगति दर्ज की है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि कातकारी समुदाय (Katkari Community) के एक समूह ने 'आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था' के जरिये कातकारी जनजातियों के विभिन्न कार्यों को सुगम बनाने का कार्य आरंभ किया है।
- समूह द्वारा स्थानीय बाजारों में गिलोय (Giloy) को बेचने का उद्यम आरंभ किया गया है। इस उद्यम से अधिक-से-अधिक जनजातीय समूह इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) के भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana- PMVDY) के तहत इस संस्था को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के कारण भी गिलोय की मांग में तेजी दर्ज की गई है।
- गिलोय की मांग को बढ़ावा देने हेतु एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसके माध्यम से लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी 'गिलोय' की बिक्री की जा रही है।
- गिलोय और अन्य वन्य उत्पाद हेतु 'बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजों' की स्थापना करने के लिये इस स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups- SHGs) को प्रशिक्षित करने की योजना है।
- बैकवर्ड लिंकेजों में जनजातियों को 'गिलोय से संबंधित कार्य को कैसे किया जाए' के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा तथा उन्हें इसके पौधरोपण का तरीका भी सिखाया जाएगा।
- फारवर्ड लिंकेजों में जनजातियों को विभिन्न उत्पादों को बनाने हेतु गिलोय को संसाधित करने की विधि का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें।

गिलोय (Giloy):

- आयुर्वेद में गिलोय 'गुडूची' नाम से विख्यात है। जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है।

- गिलोय विभिन्न प्रकार के बुखारों (वायरल बुखार, मलेरिया आदि) तथा मधुमेह रोग के उपचार हेतु उपयोग में लाया जाता है।
- पाउडर या क्रीम के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है।

उद्देश्य:

- समूह का उद्देश्य गिलोय को केवल स्थानीय बाजारों तथा फार्मा कंपनियों तक सीमित न रख कर डी-मार्ट जैसे बड़े रिटेल चेनों की सहायता से इसको दूर दराज के बाजारों तक भी ले जाना है।
- 'आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था' द्वारा किये गए प्रयासों के तहत उत्पाद हेतु बाजार का विस्तार करने के साथ ही अन्य वन उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु प्रयास भी शामिल हैं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs):

- आदिवासी समूहों में PVTGs अत्यधिक कमजोर हैं। वर्ष 1973 में डेबर आयोग (Dhebar Commission) ने आदिम जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups-PTGs) को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया था।
- वर्ष 2006 में भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कर दिया था।
- गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा 75 जनजातीय समूहों को 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में ऐसे 75 समूहों की पहचान कर उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह' की कुछ बुनियादी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
 - ◆ इनमें अधिकतर समरूपता पाई जाती है।
 - ◆ इनका शारीरिक कद अपेक्षाकृत अलग होता है।
 - ◆ इनकी कोई लिखित भाषा नहीं होती है।

कोविड-19 के खिलाफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में फ्रांस के एक अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों पर किये एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि COVID-19 के हल्के लक्षणों वाले लगभग सभी चिकित्सकों तथा नर्सों में ऐसे एंटीबॉडी का विकास हुआ है जो उन्हें इस वायरस से पुनः संक्रमित होने से बचा सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- यह अध्ययन 'मेडरिक्सिव' (Medrxiv) जोकि स्वास्थ्य विषयों में संबंधित एक इंटरनेट साइट है, पर प्रकाशित किया गया है।
- अध्ययन के अनुसार, COVID-19 के हल्के लक्षणों की शुरुआत के बाद लगभग 13 दिनों में अस्पताल के लगभग सभी कर्मचारियों में नोवेल कोरोना वायरस को निष्प्रभावी करने में सक्षम एंटीबॉडी विकसित हुए।
- इस अध्ययन में शामिल स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स (Strasbourg University Hospitals) के 91% व्यक्तियों में तटस्थ/निष्प्रभावकारी/न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पाए गए।
 - ◆ किसी भी संक्रमण के बाद, मेज़बान (Host) को न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का उत्पादन करने में कुछ समय लगता है।
 - ◆ ये एक प्रकार के एंटीबॉडी हैं जो एक संक्रामक एजेंट (उदाहरण के लिये, वायरस) द्वारा किसी कोशिका को संक्रमित करने या उसके जैविक प्रभाव को बाधित करने से रोकने में सक्षम होते हैं।
 - ◆ एंटीबॉडी एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो शरीर में बाह्य पदार्थ, जिसे एंटीजन कहते हैं, की उपस्थिति के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होता है।

- इस अध्ययन से यह बात भी सामने आई कि रोगियों को वायरस के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा (Protective Immunity) मिल सकती है।

सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा (Protective immunity):

- यह संक्रामक रोग के खिलाफ सुरक्षा विकसित करने की स्थिति है जो टीकाकरण, पूर्व में हुए संक्रमण या अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त होती है।
- कई साक्ष्यों से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की उपस्थिति COVID-19 संक्रमण के लिये सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा से संबंधित हो सकती है।
- गंभीर बीमारियों वाले रोगियों में एंटीबॉडी टिटर आमतौर पर अधिक होते हैं। लेकिन अध्ययन में पाया गया कि अधिक गंभीर बीमारी (जैसे- पुरुष, शरीर का अत्यधिक वजन, और उच्च रक्तचाप) से जुड़े कारकों वाले व्यक्तियों में अन्य की तुलना में एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने के लिये उच्च टिटर (आवश्यक मात्रा) होने की संभावना अधिक थी।

एंटीबॉडी टिटर (Antibody titres):

- एंटीबॉडी टिटर एक माप/परीक्षण है जो किसी जीव के रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी की मात्रा को प्रदर्शित करता है। एंटीबॉडी की मात्रा और विविधता शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित है।
- एलिसा एंटीबॉडी टिटर के निर्धारण का एक सामान्य साधन है।

आगे की राह

- वर्तमान में, कोरोनावायरस बीमारी के लिये कोई विशिष्ट उपचार या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे इस अध्ययन के निष्कर्ष द्वारा वैज्ञानिकों को COVID-19 को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, COVID-19 रोगियों में विशिष्ट एंटीबॉडी की लाभकारी या हानिकारक भूमिका को चिह्नित करने के लिये भविष्य में और अधिक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है।

प्रवासी श्रमिक: चुनौती और संभावना

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) ने गृह मंत्रालय समेत रेलवे बोर्ड और बिहार तथा गुजरात सरकार को 'श्रमिक स्पेशल ट्रेनों' में यात्रा कर रहे कुछ प्रवासी श्रमिकों की कथित मौत और भोजन तथा पानी के अनुचित प्रबंधन को लेकर नोटिस जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने नोटिस में 'श्रमिक स्पेशल ट्रेनों' के देर से शुरू होने के साथ-साथ उनके अपने गंतव्य स्थान तक कई दिनों में पहुँचने जैसी बातों का उल्लेख किया है।
- NHRC ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रवासी मजदूर लंबी अवधि और पीने के पानी तथा भोजन की व्यवस्था के अभाव में अपनी यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि बीते कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनसे 'श्रमिक स्पेशल ट्रेनों' की छवि धूमिल हुई है। उदाहरण के लिये देश के कई क्षेत्रों में कथित तौर पर भूख के कारण 'श्रमिक स्पेशल ट्रेनों' में लोगों की मौत की खबरें सामने आए हैं।
 - ◆ एक अन्य घटना में एक 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिये 9 दिनों का समय लगा।
- मानवाधिकार आयोग का मानना है कि यदि इस प्रकार की घटनाएँ सत्य हैं तो इनसे देश के भीतर काफी व्यापक स्तर पर श्रमिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

श्रमिक स्पेशल ट्रेन

- केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर लागू किये गए देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए 1 मई (मजदूर दिवस) को देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे श्रमिकों को अपने गृह राज्यों तक वापस पहुँचाने के लिये 'श्रमिक स्पेशल ट्रेनों' की शुरुआत की थी।

- इस प्रकार की पहली विशेष ट्रेन हैदराबाद से हटिया, झारखंड के लिये रवाना की गई थी।
- रेल मंत्रालय के अनुसार, 28 मई, 2020 तक देश भर के विभिन्न राज्यों से 3736 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनें चलाई गई हैं और इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को उनके गृह राज्य तक पहुँचाया गया है।
- प्रवासी श्रमिक- एक बार पुनः चर्चा में
- कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण लागू किये गए देशव्यापी लॉकडाउन ने बीते कुछ दिनों में भारत के उस वर्ग विशिष्ट को एक बार पुनः चर्चा में ला दिया है, जो कार्य और आजीविका की तलाश में अपने गृह राज्य से बाहर रहते हैं।
- हालाँकि देश में अंतर-राज्य प्रवासियों (Inter-State Migrants) का कोई आधिकारिक आँकड़ा नहीं है, किंतु वर्ष 2011 की जनगणना, NSSO के सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान के अनुसार, देश में कुल 65 मिलियन अंतर-राज्य प्रवासी हैं, जिसमें से 33 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक हैं।
- सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2019 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत के बड़े शहरों में 29 प्रतिशत आबादी दैनिक वेतनभोगी है।
 - ◆ यह उन्ही लोगों की संख्या है जो अपने गृह राज्य वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि दैनिक वेतनभोगी होने के कारण मौजूदा लॉकडाउन के कारण इनकी आजीविका के सभी साधन बंद हो गए हैं और ऐसे में इन लोगों के लिये बड़े शहरों में रहना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- अनुमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश और बिहार में देश के कुल अंतर-राज्य प्रवासियों का क्रमशः 25 प्रतिशत और 14 प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद राजस्थान (6 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (5 प्रतिशत) का स्थान है। इसका अर्थ है कि तकरीबन 4-6 मिलियन लोग उत्तर प्रदेश में और 1.8-2.8 मिलियन बिहार में वापस लौटेंगे।

प्रवासियों की आजीविका

- वर्ष 2017 से वर्ष 2019 के मध्य CSDS द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 22 प्रतिशत प्रवासियों की मासिक घरेलू आय 2,000 रुपए है।
- वहीं 32 प्रतिशत प्रवासियों की आय 2,000 रुपए से 5,000 रुपए के मध्य, 25 प्रतिशत प्रवासियों की आय 5000 रुपए से 10000 रुपए के मध्य, 13 प्रतिशत प्रवासियों की आय 10000 रुपए से 20000 रुपए के मध्य और केवल 8 प्रतिशत प्रवासियों की आय 20000 से अधिक है।

अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका

- भारत में रह रहे लाखों प्रवासी कामगार हैं जो मुख्य रूप से निर्माण उद्योग, घरेलू सहायक और सड़क विक्रेताओं (Street Vendors) के रूप में कार्य करते हैं। अनुमान के अनुसार, तकरीबन एक तिहाई प्रवासी निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- अधिकांश प्रवासी श्रमिक निर्माण क्षेत्र, ईट निर्माण उद्योग, खनन और उल्खनन उद्योग, होटल तथा रेस्तरां आदि में कार्यरत हैं।
- विदित हो कि ये सभी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, और देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उल्लेखनीय योगदान देते हैं।
- देश में अधिकांश प्रवासी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसके कारण इनके संबंध में किसी भी प्रकार के आधिकारिक आँकड़े का अभाव है।

प्रवासी मजदूरों की समस्या

- भारत जैसे विशाल देश में अभी तक प्रवासी समुदाय के आकार और महत्त्व को सही ढंग से पहचाना नहीं जा सका है। इस समुदाय के संबंध में आधिकारिक आँकड़े का अभाव इनके विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आया है।
- अधिकांश शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों को पीने के पानी, बिजली, सुरक्षित घरों जैसी सुविधाओं के अभाव में प्रवासी मजदूरों को छोटी और गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है, जिसके कारण उनके लिये सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सामाजिक मानकों का पालन करना काफी मुश्किल होता है।
- दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में प्रवासी श्रमिकों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य ही नहीं मिल पाता है और यदि कार्य मिलता भी है तो काफी कम वेतन पर, जिससे वे शोषण के प्रति भी काफी संवेदनशील होते हैं।

- रोजगार की अस्थायी प्रकृति के कारण प्रवासी मजदूरों को अक्सर अपराधी के रूप में देखा जाता है और सोशल मीडिया ने इस मानसिकता को और अधिक बढ़ावा दिया है।

आगे की राह

- सर्वप्रथम आवश्यक है कि प्रवासियों को भी भारतीय समाज के एक विशिष्ट हिस्से के रूप में मान्यता दी जाए और नीति निर्माण के समय प्रवासियों के मुद्दों पर भी विचार किया जाए।
- उन प्रतिबंधों को शिथिल किया जाना चाहिये जो प्रवासियों को उनके गंतव्य शहरों में राशन जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने से रोकते हैं।
- प्रवासी मजदूरों के लिये देश के हर राज्य में मनरेगा, उज्वला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिये।



कला एवं संस्कृति

पुरंदर दास: कर्नाटक संगीत के पिता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'पुरातत्व, विरासत एवं संग्रहालय विभाग' (Department of Archeology, Heritage and Museum) ने कर्नाटक के तीर्थहल्ली (Thirthahalli) तालुका के अरगा ग्राम पंचायत के केशवपुरा में अनुसंधान कार्य शुरू करने का निर्णय लिया।

- इस शोध का उद्देश्य पुरंदर दास के जन्मस्थान के बारे में स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य का पता लगाना है। जिन्हें 'कर्नाटक संगीत के पिता' के रूप में सम्मानित किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- पुरंदर दास के जन्मस्थान से संबंधित रहस्य को सुलझाने के लिये राज्य सरकार ने कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया था।
- इस समिति में आर.के. पद्मनाभ (संगीत विशेषज्ञ), लीलादेवी आर. प्रसाद (कन्नड़ एवं संस्कृति के पूर्व मंत्री), कन्नड़ भक्ति साहित्य के विशेषज्ञ ए. वी. नवादा, वीरन्ना राजूर, अरालूमाल्लिंगे पार्थसारथी और शिवानंद विरक्थमत्त को नामित किया गया था।
- इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे (पुरंदर दास के जन्मस्थान से संबंधित) पर और शोध करने की सिफारिश की थी।

पुरंदर दास (Purandara Dasa):

- पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था। कर्नाटक संगीत में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से 'संगीत पितामह' के रूप में जाना जाता है।
- वे भगवान कृष्ण के महान भक्त, वैष्णव कवि, संत एवं समाज सुधारक थे।
- वह द्वैत दार्शनिक संत व्यासतीर्थ के शिष्य थे और कनकदास के समकालीन थे। उनके गुरु व्यासतीर्थ ने एक गीत: दसरेंदर पुरंदर दारासराय, में पुरंदर दास की महिमा का बखान किया है।
- ◆ कनकदास (1509-1609) कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार, कवि, दार्शनिक और संत थे। उन्हें कर्नाटक संगीत के लिये कन्नड़ भाषा में रचित रचनाएँ 'कीर्तनास' (Keertanas) और 'ऊगाभोग' (Ugabhoga) के लिये जाना जाता है।
- वह एक संगीतकार, गायक और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत (कर्नाटक संगीत) के मुख्य संस्थापकों में से एक थे।
- हरिदास परंपरा (भगवान हरि या भगवान कृष्ण का सेवक) की शुरुआत करने से पहले पुरंदर दास एक अमीर व्यापारी थे और उन्हें 'श्रीनिवास नायक' कहा जाता था।
- इतिहासकार बताते हैं कि पुरंदर दास का जन्म मलनाड में हुआ था और उनको मिली 'नायक' की उपाधि का श्रेय विजयनगर साम्राज्य को जाता है क्योंकि विजयनगर शासन के दौरान 'नायक' की उपाधि मलनाड के धनी व्यापारियों सहित स्थानीय प्रभावशाली लोगों को दी गई थी।

जन्मस्थान से संबंधित मुद्दा:

- जैसा कि 'पुरंदरा विट्टला' उनकी रचनाओं का नाम था जिसके कारण यह व्यापक रूप से माना जाता था कि इस रहस्यवादी कवि का जन्म महाराष्ट्र के पुरंदरगढ़ में हुआ था।
- हालाँकि मलनाड में कई लोगों ने दावा किया कि वह इस क्षेत्र (मलनाड) से हैं।
- इतिहासकारों के अनुसार, विजयनगर शासन के दौरान मलनाड में अरगा एक मुख्य व्यावसायिक केंद्र था जिसका संबंध कवि पुरंदर दास से था।

- ◆ केशवपुरा के आसपास के क्षेत्रों के नामों (वर्धेपुरा, विट्टलनागुंडी, दसानागड्डे) का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया था कि ये स्थान वैष्णव परंपरा से प्रभावित व्यापारी समुदाय से संबंधित था।
- ◆ पुरंदर दास की रचनाओं में प्रयोग किये गए कई शब्दों का उपयोग मलनाडवासी अपने उस समय के दैनिक जीवन में करते थे।
- पुरंदर दास के जन्मस्थान के बारे में रहस्य को सुलझाने के लिये कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी को एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया था।

कर्नाटक संगीत:

- कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली है। यह संगीत अधिकांशतः भक्ति संगीत के रूप में होता है और इसके अंतर्गत अधिकतर रचनाएँ हिन्दू देवी-देवताओं को संबोधित होती हैं। तमिल भाषा में कर्नाटक का आशय प्राचीन, पारंपरिक और शुद्ध से है। कर्नाटक संगीत की मुख्य विधाएँ निम्नलिखित हैं-
- अलंकारम्- सप्तक के स्वरों की स्वरावलियों को अलंकारम् कहते हैं। इनका प्रयोग संगीत अभ्यास के लिये किया जाता है।
- लक्षणगीतम्- यह गीत का एक प्रकार है जिसमें राग का शास्त्रीय वर्णन किया जाता है। पुरंदरदास के लक्षणगीत कर्नाटक में गाए जाते हैं।
- स्वराजाति- यह प्रारंभिक संगीत शिक्षण का अंग है। इसमें केवल स्वरों को ताल तथा राग में बाँटा जाता है। इसमें गीत अथवा कविता नहीं होते हैं।
- आलापनम्- आकार में स्वरों का उच्चारण आलापनम् कहलाता है। इसमें कृति का स्वरूप व्यक्त होता है। इसके साथ ताल-वाद्य का प्रयोग नहीं किया जाता है।
- कलाकृति, पल्लवी- कलाकृति में गायक को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूर्ण अवसर मिलता है। द्रुत कलाकृति और मध्यम कलाकृति इसके दो प्रकार हैं। पल्लवी में गायक को राग और ताल चुनने की छूट होती है।
- तिल्लाना- तिल्लाना में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें लय की प्रधानता होती है। इसमें प्रयुक्त निरर्थक शब्दों को 'चोल्लुक्केट्टू' कहते हैं।
- पद्म, जवाली- ये गायन शैलियाँ उत्तर भारतीय संगीत की विधाएँ- ठुमरी, टप्पा, गीत आदि से मिलती-जुलती हैं। ये शैलियाँ सुगम संगीत के अंतर्गत आती हैं। इन्हें मध्य लय में गाया जाता है। पद्म श्रृंगार प्रधान तथा जवाली अलंकार व चमत्कार प्रधान होती है।
- भजनम्- यह गायन शैली भक्ति भावना से परिपूर्ण होती है। इसमें जयदेव और त्यागराज आदि संत कवियों की पदावलियाँ गाई जाती हैं।
- रागमालिका- इसमें रागों के नामों की कवितावली होती है। जहाँ-जहाँ जिस राग का नाम आता है, वहाँ उसी राग के स्वरों का प्रयोग होता है, जिससे रागों की एक माला सी बन जाती है।

हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत:

- भारतीय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के रूप में दो अलग-अलग उप-प्रणालियों का उदय हुआ।
- ये दोनों शब्द पहली बार हरिपाल की 'संगीता सुधाकर' (Sangeeta Sudhakara) में उभरे जो 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी।

समानताएँ:

- दोनों ही शैलियों में शुद्ध तथा विकृत कुल 12 स्वर लगते हैं। दोनों शैलियों में शुद्ध तथा विकृत स्वरों से थाट या मेल की उत्पत्ति होती है।
- जन्य-जनक का सिद्धांत दोनों ही स्वीकार करते हैं। दोनों ने संगीत में सुर-ताल के महत्त्व को स्वीकार किया है।
- दोनों के गायन में अलाप तथा तान का प्रयोग होता है।

विषमताएँ:

- कर्नाटक संगीत समरूप भारतीय परंपरा का जबकि हिंदुस्तानी संगीत एक विषम भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है।
- हिंदुस्तानी संगीत में लगनऊ, जयपुर, किराना, आगरा आदि जैसे विभिन्न घराने हैं वहीं कर्नाटक संगीत में इस तरह के घराने नहीं मिलते हैं।

आंतरिक सुरक्षा

ब्रू शरणार्थी संकट और समझौते का विरोध

चर्चा में क्यों ?

त्रिपुरा के कुछ समूहों ने उत्तर त्रिपुरा जिले के कंचनपुर उपखंड में विस्थापित ब्रू जनजाति के लोगों को स्थाई रूप से बसाने के निर्णय पर आपत्ति जताई जताते हुए उन्हें त्रिपुरा से बाहर करने की मांग की है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में क्षेत्र के दो प्रमुख संगठनों नागरिक सुरक्षा मंच (Nagarik Suraksha Mancha) और मिजो कन्वेंशन (Mizo Convention) ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कंचनपुर उपखंड में विस्थापितों को स्थाई रूप से बसाने का विरोध किया गया है।
- ◆ नागरिक सुरक्षा मंच वर्ष 1947 में विभाजन के पश्चात् पूर्वी-पाकिस्तान से विस्थापित बंगालियों का प्रतिनिधित्व करता है और मिजो कन्वेंशन उत्तरी त्रिपुरा की जामपुई पहाड़ी में रहने वाली मिजो आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
- ध्यातव्य है कि लगभग 40,000 से अधिक ब्रू जनजाति के लोग उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर और पनीसागर उपखंडों में रह रहे थे। हालाँकि 30 नवंबर, 2019 तक प्रत्यावर्तन (Repatriation) के नौ चरणों के बाद लगभग 7,000 ब्रू शरणार्थी मिजोरम लौट गए, किंतु शेष ब्रू शरणार्थी अभी भी त्रिपुरा में मौजूद हैं।
- 16 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार ने ब्रू शरणार्थी संकट (Bru Refugee Crisis) को सदैव के लिये समाप्त करने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार तथा ब्रू जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ एक चतुर्पक्षीय समझौता किया, जिसमें मिजोरम वापस न जाने वाले ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाने की बात की गई थी।

संगठनों की मांग

- संगठनों द्वारा दिये गए ज्ञापन के अनुसार, कंचनपुर उपखंड में ब्रू जनजाति के लोगों के आगमन के बाद से इस क्षेत्र विशिष्ट में असामाजिक गतिविधियों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण इस उपखंड में उनकी स्थाई बसावट उनकी चिंता का विषय है।
- संगठनों के अनुसार, यदि सरकार अपनी पुनर्वास योजना के साथ आगे बढ़ती है तो उपखंड में लॉकडाउन खत्म होते ही अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया जाएगा।
- हालाँकि, दोनों संगठनों ने स्पष्ट किया कि उन्हें त्रिपुरा के 22 अन्य उपखंडों में ब्रू लोगों के पुनर्वास पर कोई आपत्ति नहीं है।
- संगठन का कहना है कि वे केवल कंचनपुर उपखंड के तहत पाँच स्थानों पर बड़ी संख्या में ब्रू लोगों को बसाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि और वन संसाधनों की कमी है।

कैसे उत्पन्न हुआ ब्रू शरणार्थी संकट ?

- ध्यातव्य है कि मिजो समुदाय के लोग ब्रू जनजाति के लोगों को बाहरी अथवा विदेशी मानते हैं, उनका मानना है कि ब्रू जनजाति के लोगों उनके क्षेत्र में आकर अवैध रूप से बस गए हैं। इन दोनों समुदायों के बीच संघर्ष का पुराना इतिहास रहा है।
- वर्ष 1995 में मिजोरम राज्य में ब्रू समुदाय द्वारा स्वायत्त जिला परिषद की मांग और चुनावों में भागीदारी से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों पर ब्रू और मिजो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।
- ◆ इस तनावपूर्ण स्थिति के पश्चात् 'यंग मिजो एसोसिएशन' (Young Mizo Association) और 'मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (Mizo Students' Association) जैसे संगठनों ने यह मांग की कि ब्रू लोगों के नाम राज्य की मतदाता सूची से हटाए जाए क्योंकि वे मूल रूप से मिजोरम के निवासी नहीं हैं।

- इसके पश्चात् ब्रू समुदाय द्वारा समर्थित उग्रवादी समूह 'ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट' (Bru National Liberation Front-BNFL) तथा एक राजनीतिक संगठन 'ब्रू नेशनल यूनियन' (Bru National Union-BNU) के नेतृत्व में वर्ष 1997 में मिजो जनजातियों के समूह से हिंसक नृजातीय संघर्ष शुरू हुआ।
- ◆ हिंसा तब और अधिक तेज हो गई जब ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट (Bru National Liberation Front) के सदस्यों ने एक मिजो अधिकारी की हत्या कर दी।
- इस घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच दंगे भड़क गए और अल्पसंख्यक होने के कारण ब्रू समुदाय को मिजोरम में अपना घर-बार छोड़कर त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में आश्रय लेना पड़ा।

ब्रू समुदाय के लिये चतुर्पक्षीय समझौता

- इसी वर्ष 16 जनवरी को केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू प्रतिनिधियों के मध्य ब्रू शरणार्थियों को लेकर एक चतुर्पक्षीय समझौता किया गया, जिसमें त्रिपुरा में रह रहे शेष ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाने की बात की गई थी।
- केंद्र सरकार ने इस संबंध में 600 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी।
- इस समझौते के तहत विस्थापित ब्रू परिवारों के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गई है-
 - ◆ वे सभी ब्रू परिवार जो त्रिपुरा में ही बसना चाहते हैं, उनके लिये त्रिपुरा में स्थाई तौर पर रहने की व्यवस्था के साथ उन्हें त्रिपुरा राज्य के नागरिकों के सभी अधिकार दिये जाएंगे। और ये लोग केंद्र सरकार व त्रिपुरा राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
 - ◆ समझौते के तहत विस्थापित परिवारों को 1200 वर्ग फीट (40X30 फीट) का आवासीय प्लॉट दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विस्थापित परिवार को घर बनाने के लिये 1.5 लाख रुपए की नकद सहायता भी जाएगी।
 - ◆ पुनर्वास सहायता के रूप में परिवारों को दो वर्षों तक प्रतिमाह 5 हजार रुपए और निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।
 - ◆ त्रिपुरा राज्य सरकार विस्थापित परिवारों के बैंक खाते, आधार कार्ड, जाति व निवास प्रमाण पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र आदि जरूरी प्रमाण-पत्रों की व्यवस्था करेगी।

ब्रू जनजाति

- ब्रू या रेयांग (Bru or Reang) समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम तथा असम में रहते हैं।
- ब्रू जनजाति के लोग पूर्वोत्तर के कई राज्यों में रहते हैं परंतु इस समुदाय की सबसे बड़ी आबादी मिजोरम के मामित और कोलासिब जिलों में पाई जाती है। इस समुदाय के अंतर्गत लगभग 12 उपजातियाँ शामिल हैं।
- इस समुदाय के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं।

आगे की राह

- ब्रू शरणार्थी संकट को हल करने हेतु विभिन्न पक्षों ने कई प्रयास किये हैं। केंद्र सरकार द्वारा किया गया यह चतुर्पक्षीय समझौता भी इन्हीं प्रयासों में से एक है।
- हालाँकि इस समझौते की एक कमी यह है कि इसमें कंचनपुर उपखंड में रहने वाली अन्य जनजातियों (ब्रू के अतिरिक्त) को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण समझौते के विरुद्ध विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं।
- आवश्यक है कि सरकार इस समझौते पर एक बार पुनः विचार करे और इसमें विभिन्न संगठनों द्वारा की जा रही मांगों को भी शामिल किया जाए।

UNICEF की 'लॉस्ट एट होम' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

'संयुक्त राष्ट्र बाल कोष' (United Nations Children's Fund- UNICEF) द्वारा प्रकाशित 'लॉस्ट एट होम' (Lost at Home) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है।

मुख्य बिंदु:

- विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। जिनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।
- वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है।

आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (Internally displaced persons- IDPs):

- "व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह हैं जो सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव से बचने के लिये अपना आवास छोड़ने या देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर पलायन करने को बाध्य होते हैं। "
- यहाँ आंतरिक विस्थापन की परिभाषा में 'अनैच्छिक' चरित्र तथा 'अंतर्राष्ट्रीय सीमा' महत्वपूर्ण तत्त्व है।

प्राकृतिक आपदा और विस्थापन:

- रिपोर्ट में कहा गया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की तुलना में अधिक है। वर्ष 2019 में लगभग 10 मिलियन लोगों का पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दर्ज 9.5 मिलियन लोगों का दक्षिण एशिया में विस्थापन हुआ।
- भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश, और चीन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले शीर्ष देश हैं, इन देशों में वैश्विक आपदा-प्रेरित विस्थापन का लगभग 69% योगदान है।
- भारत में वर्ष 2019 में कुल 5,037,000 लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ जिनमें से 5,018,000 लोगों का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है।

संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापन:

- वर्ष 2019 तक लगभग 46 मिलियन लोगों का आंतरिक विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण हुआ था।
- वर्ष 2019 में संघर्ष और हिंसा के कारण सर्वाधिक लगभग 19 मिलियन बच्चों का आंतरिक रूप से विस्थापित देखने को मिला।
- संघर्ष के कारण बच्चों का आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (Middle East and North Africa- MENA) तथा उप-सहारा अफ्रीका में हुआ है।
- इस प्रकार के विस्थापन के दो स्पष्ट क्षेत्र हैं - मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका।
- वर्ष 2019 में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों में से हर चौथा व्यक्ति संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित हुआ।
- भारत में 19,000 लोगों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण दर्ज किया गया।

COVID- 19 महामारी और बच्चों का विस्थापन:

- COVID-19 महामारी ने बच्चों की सुभेद्यता को और अधिक बढ़ा दिया है। विस्थापन राहत शिविरों में सामान्यतः भीड़भाड़ होती है तथा इनमें पर्याप्त स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिये 'शारीरिक दूरी' बनाए रखना हमेशा संभव नहीं है, अतः इन राहत शिविरों में बच्चों की महामारी के प्रति सुभेद्यता अधिक होती है।

आंतरिक विस्थापन और आवश्यक पहल:

- रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न देशों की सरकारों, नागरिक समाज, कंपनियों, मानवीय अभिकर्ताओं को आंतरिक विस्थापन, हिंसा, शोषण तथा बच्चों से विशिष्ट रूप से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिये एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिये।
- आंतरिक रूप से विस्थापन पर 'उच्च-स्तरीय पैनल' के तहत सरकारों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिये ताकि आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चों और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में इस पैनल द्वारा आवश्यक जाँच की जानी चाहिये।
- विस्थापित लोगों से संबंधित आँकड़ों की समय पर तथा सुलभ तरीके से पहुँच के अलावा उम्र और लिंग के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में पदों की समाप्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (Military Engineering Service-MES) में 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि सरकार ने यह निर्णय लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकातकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया है।
- ◆ इस समिति ने युद्ध क्षमता को बढ़ाने और सशस्त्र बलों के खर्च को संतुलित करने के उपाय सुझाए थे।
- रक्षा मंत्री ने शेकातकर समिति की सिफारिशों के आधार पर सेना में सामान्य एवं औद्योगिक क्षेत्र के रिक्त पड़े 13157 पदों में सैन्य इंजीनियरों के 9304 पदों को खत्म करने की अनुमति दी है।
- समिति द्वारा की गई एक अनुशंसा सिविलियन श्रम बल को इस प्रकार पुनर्संचित करने की थी जिससे कि MES का कार्य आंशिक रूप से विभागीय रूप से तैनात कर्मचारियों द्वारा किया जाए और अन्य कार्यों को आउटसोर्स करा दिया जाए।

महत्त्व

- रक्षा मंत्री के इस निर्णय का उद्देश्य मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) को एक प्रभावी कार्यबल के साथ-साथ एक प्रभावी संगठन बनाना था, जो कुशल और लागत प्रभावी तरीके से नवीन परिदृश्य में जटिल मुद्दों को संभालने में सक्षम हो सके।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यदि शेकातकर समिति की सिफारिशों को आगामी पाँच वर्षों में सही ढंग से लागू किया जाता है तो इसके माध्यम से देश के रक्षा व्यय में तकरीबन 25000 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है।

शेकातकर समिति और उनकी सिफारिशें

- 11 सदस्यीय शेकातकर समिति का गठन पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा वर्ष 2016 में किया गया था और इस समिति ने दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- शेकातकर समिति की रिपोर्ट, जो कि मौजूदा समय में सेना में हो रहे सुधारों के सैद्धांतिक मार्गदर्शन का कार्य कर रही है, को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है क्योंकि इस रिपोर्ट में सशस्त्र बलों के परिचालन संबंधी पहलुओं को भी शामिल किया गया है और जिनका खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।
- इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षमता को बढ़ाने और सशस्त्र बलों के खर्च को संतुलित करने के उपाय को सुझाना था।
- समिति द्वारा अनुशंसित उपायों में शामिल हैं:
 - ◆ शेकातकर समिति ने सिफारिश की थी कि भविष्य के खतरों और चुनौतियों के मद्देनजर भारत का रक्षा बजट GDP के 2.5 से 3 प्रतिशत के मध्य होना चाहिये।
 - ◆ समिति ने मध्य-स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये एक संयुक्त सेवा युद्ध महाविद्यालय (Joint Services War College) की स्थापना का भी सुझाव दिया था, हालाँकि मौजूदा महाविद्यालय (महू, सिकंदराबाद और गोवा) युवा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना जारी रखेंगे।
 - ◆ पुणे स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल (Military Intelligence School) को त्रि-सेवा इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (Tri-service Intelligence Training Establishment) में बदल दिया जाए।
 - ◆ इस रिपोर्ट में शांत स्थानों में सैन्य फार्म (Military Farms) और सेना के डाकघरों को बंद करने का भी आह्वान किया, जो पहले से लागू की गई सिफारिशों में से है।
 - ◆ राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps-NCC) की कार्यक्षमता में सुधार किया जाना चाहिये।
- उल्लेखनीय है कि अगस्त 2017 में तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय सेना से संबंधित 65 सिफारिशों के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी।

मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (Military Engineering Service-MES)

- मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (Military Engineering Service-MES) भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सरकारी रक्षा अवसंरचना विकास एजेंसियों में से एक है।
- ◆ यह भारत में सबसे बड़ी निर्माण और रखरखाव एजेंसियों में से एक है, जिसका कुल वार्षिक बजट लगभग 13,000 करोड़ रुपये है।
- MES मुख्य रूप से भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय आयुध कारखानों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय तटरक्षक बल समेत भारतीय सशस्त्र बलों के लिये इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य में कार्यरत है।

टूर ऑफ ड्यूटी

चर्चा में क्यों ?

भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को तीन साल के लिये सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस विचाराधीन प्रस्ताव को 'टूर ऑफ ड्यूटी'(Tour of Duty) से संबोधित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।
- इस प्रस्ताव के अनुसार, नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी।
- प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणामस्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी तथा इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिये किया जा सकेगा।
- सेना के वेतन और पेंशन बिल में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो बजट आवंटन का 60% है।
- पिछले पाँच वर्षों में, रक्षा बजट में 68% वृद्धि, रक्षा वेतन में 75% की वृद्धि तथा रक्षा पेंशन में 146% की वृद्धि हुई है।
- 'टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य युवाओं को एक 'इंटरनशिप/अस्थायी अनुभव' (Internship/Temporary Experience) प्रदान करना है। इसके लिये 'टूर ऑफ ड्यूटी' की रैंक या फिर किसी अन्य अधिकारी रैंक के लिये किसी आकर्षक विच्छेद पैकेज (Attractive Severance Packages), पुनर्वास पाठ्यक्रम (Resettlement Courses), पेशेवर नकदी प्रशिक्षण अवकाश (Professional Encashment Training Leave), पूर्व सैनिकों की स्थिति (Ex-Servicemen Status) तथा पूर्व-सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme-ECHS) इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी।

'शार्ट सर्विस कमीशन' तथा 'टूर ऑफ ड्यूटी' में तुलना:

- शार्ट सर्विस कमीशन (Short Service Commission- SSC) के द्वारा सेना में आने पर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिये सेवा प्रदान करनी होती है जबकि टूर ऑफ ड्यूटी में यह अवधि 3 वर्ष के लिये होगी।
- विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि, 'टूर ऑफ ड्यूटी' के एक अधिकारी के लिये तीन साल की अवधि के लिये प्री-कमीशन प्रशिक्षण, वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी, प्रस्तावित विच्छेद पैकेज, छुट्टी का भुगतान और अन्य लागतों की संचयी अनुमानित लागत लगभग 5.12 करोड़ रुपये है जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के अधिकारी पर संचयी अनुमानित लागत 83 6.83 करोड़ रुपये है।
- शॉर्ट सर्विस कमीशन में समग्र लागत ओर अधिक हो जाती है क्योंकि, शॉर्ट सर्विस कमीशन के 50-60% अधिकारी स्थायी आयोग का चयन करते हैं तथा 54 वर्षों तक सेवा में रहते हैं जो बाद में पेंशन का भी लाभ प्राप्त करते हैं।
- 'टूर ऑफ ड्यूटी' के द्वारा चयनित लोगों के लिये इसी तरह की लागत 80-85 लाख रुपये आकलित की गई है।

प्रस्ताव के लाभ:

- यह योजना उन लोगों को एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी जो सेना में पूर्ण कैरियर नहीं चाहते लेकिन वर्दी की इच्छा रखते हैं।
- 'टूर ऑफ ड्यूटी' में चयनित उम्मीदवार को अपने उन साथियों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होगा जिन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपना कैरियर शुरू किया था।
- तीन वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र में वापसी करने पर उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक वेतन दिया जाएगा।
- सेना को उम्मीद है कि 'टूर ऑफ ड्यूटी' के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों के युवाओं को सेना में आकर्षित किया जा सकेगा।
- प्रस्ताव में इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिये कई कदम उठाए गए हैं जैसे- तीन वर्ष तक कर-मुक्त आय और अधिकारियों को तीन वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर लगभग एकमुश्त 5-6 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे और साथ ही अन्य रैंक के लिये 2-3 लाख रुपए प्रदान किये जायेंगे।
- प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके माध्यम से राष्ट्र और कॉर्पोरेट्स जगत दोनों को प्रशिक्षित, अनुशासित, आत्मविश्वासी, मेहनती और प्रतिबद्ध पुरुषों और महिलाओं से लाभान्वित होने की संभावना है।

डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना**चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में घरेलू रक्षा क्षेत्र तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय द्वारा बुनियादी ढाँचे को अत्याधुनिक एवं उन्नत करने के लिये 400 करोड़ रुपए की रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (Defence Testing Infrastructure Scheme-DTIS) को मंजूरी प्रदान की गई है।

योजना के प्रमुख बिंदु:

- डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की अवधि पाँच वर्षों के लिये होगी।
- योजना में निजी उद्योगों की साझेदारी के साथ 6- 8 नई परीक्षण सुविधाएँ (Test Facilities) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
- परियोजना लागत का कुल 75% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जबकि अन्य 25% का वहन 'विशेष प्रयोजन वाहन' (Special Purpose Vehicle-SPV) के द्वारा किया जाएगा, जिसके घटक भारतीय निजी संस्थाएँ एवं राज्य सरकारें होंगी।

विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)-

- यह एक प्रायोजक कंपनी होती है जो प्रारंभिक पूंजी और संपत्ति प्रदान करती है
- तकनीकी रूप से SPV एक लिमिटेड कंपनी होती है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया जाता है।
- इसका स्वामित्व सार्वजनिक, निजी या संयुक्त हो सकता है।
- योजना के तहत एसपीवी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
- इस योजना के तहत विशेष प्रयोजन वाहन को यह अधिकार होगा कि वह स्व-स्थायी तरीके से उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करके तथा योजना के अंतर्गत शामिल सभी परिसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करे।
- इस योजना के तहत परीक्षण किये गए उपकरण/प्रणाली को उपयुक्त मान्यता के अनुसार प्रमाणिकता प्रदान की जाएगी।

परियोजना का महत्त्व:

- सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को गति मिलेगी ।
- स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, फलस्वरूप सैन्य उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता कम होगी।
- परियोजना आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

अवैध ड्रग्स आपूर्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय' (United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) ने 'सिंथेटिक ड्रग्स इन ईस्ट एंड साउथईस्ट एशिया' (Synthetic Drugs in East and Southeast Asia) पर रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, लॉकडाउन के कारण अवैध ड्रग्स की बरामदगी में भले ही कमी आई है परंतु इसकी आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, महामारी से निपटने हेतु सरकारों की प्राथमिकताओं और संसाधनों में बदलाव कर ड्रग के रोकथाम और उपचार कार्यक्रमों को मजबूत करने के प्रयास से नुकसान हो सकता है।
- रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि आगामी महीनों में ड्रग्स की बरामदगी, कीमत और ड्रग्स से संबंधित गिरफ्तारी या मृत्यु के मामले में आने वाले उतार-चढ़ाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से COVID-19 महामारी से संबंधित नहीं होंगे।
- ड्रग्स की आपूर्ति में कमी को सक्रिय संगठित अपराध समूहों द्वारा त्वरित रूप से पूरा करने के कारण कुछ तस्करी मार्गों पर जोखिम का स्तर बढ़ गया है।
- 'संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय' के अनुसार, चिंता का मुख्य कारण सिंथेटिक दवा मेथम्फेटामाइन (Methamphetamine) है। वैश्वीकृत आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकताओं के बिना मेथम्फेटामाइन का निर्माण, तस्करी और आपूर्ति की जाती है।

भारत के संदर्भ में:

- वर्ष 2019 में भारत में 'एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलैंट्स' (Amphetamine-type Stimulants- ATS) की बरामदगी अत्यधिक हुई थी जिसके निम्नलिखित कारण हैं:-
 - ◆ गोल्डन ट्रायंगल से लेकर बांग्लादेश और भारत के कुछ क्षेत्रों में मेथम्फेटामाइन की तस्करी में वृद्धि।
 - ◆ गोल्डन ट्रायंगल वह क्षेत्र है जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएँ रुक और मेकांग नदियों (Mekong River) के संगम पर मिलती हैं।
 - ◆ यह दक्षिण-पूर्व एशिया का मुख्य अफीम उत्पादक क्षेत्र तथा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नशीले पदार्थों की आपूर्ति हेतु सबसे पुराने मार्गों में से एक है।

चुनौतियाँ:

- निचले मेकांग क्षेत्र की सीमाओं पर भी तस्करी कई तरह से की जाती है जिसके कारण इन क्षेत्रों में तस्करी रोकना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- सीमाओं और व्यापार को बंद करने के कारण कंटेनरीकृत तस्करी, कोरियर और बॉडी-पैकिंग के तरीके कम हो गए हैं। हालाँकि पदार्थों की तस्करी में कमी आने की स्थिति में तस्करी कई अन्य तरीकों को अपना सकते हैं।
- गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण सीमित है जिसके कारण पदार्थों की तस्करी भारी मात्रा में होती है।
- लॉकडाउन के कारण ड्रग्स की खरीद-बिक्री करने वालों की आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः इस प्रभाव के कारण अपराध में वृद्धि होने की संभावना भी बढ़ गई है।

आगे की राह:

- अवैध मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिये भारत लगातार प्रयासरत है लेकिन जमीनी स्तर पर इस तरह की तस्करी को रोकने हेतु सख्त नीतियों की आवश्यकता है।
- देश की सीमाओं से पार उन देशों में भी प्रयास किये जाने की जरूरत है जहाँ अवैध मादक पदार्थों का उत्पादन होता है।

चर्चा में

लायंस क्लब इंटरनेशनल Lions Clubs International

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (Union Minister of Health and Family Welfare) ने 29 अप्रैल, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश में मौजूद 'लायंस क्लब इंटरनेशनल' (Lions Clubs International) के सदस्यों के साथ संवाद किया।

मुख्य बिंदु:

- इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में लायंस क्लब के सदस्यों विशेष रूप से पीएम केयर्स अंशदान, अस्पतालों के लिये उपकरणों, सैनिटाइजर्स, खाद्य पदार्थों, पीपीई किट और एन-95 मास्कों आदि के माध्यम से सराहनीय योगदान के लिये आभार प्रकट किया।

लायंस क्लब इंटरनेशनल (Lions Clubs International):

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-राजनीतिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1917 में मेल्विन जोन्स (Melvin Jones) द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस (Illinois) प्रांत के शिकागो शहर में की गई थी।

उद्देश्य:

- इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
 - ◆ वैश्विक समुदाय के बीच समझ की भावना पैदा करना एवं उसको बढ़ावा देना।
 - ◆ अच्छी सरकार एवं अच्छी नागरिकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना।
 - ◆ समुदाय के नागरिकों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक कल्याण में सक्रिय रुचि लेने के लिये बढ़ावा देना।
 - ◆ जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिये एक मंच प्रदान करना हालाँकि क्लब सदस्यों द्वारा पक्षपात पूर्ण राजनीति एवं सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस नहीं की जाएगी।
 - ◆ व्यक्तिगत वित्तीय पुरस्कार के बिना अपने समुदाय की सेवा करने के लिये और वाणिज्य, उद्योग, व्यवसायों, सार्वजनिक कार्यों एवं निजी प्रयासों में उच्च नैतिक मानकों को बढ़ावा देने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करना।
- इसका आदर्श वाक्य 'वी सर्व' (We Serve) है।
- इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस (Illinois) प्रांत के 'ओक ब्रुक' (Oak Brook) में है।

मैट्रिक्स योजना MATRICS Scheme

30 अप्रैल, 2020 को 'विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड' (Science & Engineering Research Board- SERB) ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिये 'गणितीय मॉडलिंग एवं कम्प्यूटेशनल' पहलुओं का अध्ययन करने के लिये 'मैट्रिक्स योजना' (MATRICS Scheme) के तहत 11 प्रोजेक्ट के लिये धन की मंजूरी प्रदान की।

मुख्य बिंदु:

- इन अध्ययनों में से अधिकांश बेसिक 'अतिसंवेदनशील-संक्रमित-स्वास्थ्य प्राप्ति मॉडल' (Susceptible-Infected-Recovered Models) को संशोधित करके COVID-19 से संबंधित विभिन्न कारकों के लिये गणितीय/सिमुलेशन मॉडल को प्रस्तावित करने का प्रयास करेंगे।

- ऐसे कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं-
 - ◆ जनसंख्या की विषमता
 - ◆ स्पर्शोन्मुख (Asymptomatic) जनसंख्या की भूमिका
 - ◆ प्रवसन एवं क्वारंटाइन
 - ◆ सामाजिक दूरी एवं लॉकडाउन का प्रभाव
 - ◆ सामाजिक-आर्थिक कारक
 - ये अध्ययन मुख्य रूप से COVID-19 के संदर्भ में भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से किया जाएगा और बुनियादी पुनरुत्पादक संख्या (Basic Reproduction Number) जो रोग की संक्रामकता की डिग्री का गुणात्मक संकेतक है, का अनुमान प्रदान करेगा।
 - ◆ अध्ययन से उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग करके भविष्य की महामारी का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी और संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने एवं प्रबंधन में सहायता मिल सकेगी।
- मैट्रिक्स योजना (MATRICS Scheme):
- भारत सरकार के 'विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड' (Science & Engineering Research Board- SERB) द्वारा वर्ष 2017 में मैट्रिक्स योजना (MATRICS Scheme) की शुरुआत की गई थी।

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य गणितीय विज्ञान में अच्छी साख वाले सक्रिय शोधकर्ताओं को निश्चित अनुदान सहायता प्रदान करना है।

अन्य मुख्य बिंदु:

- मैट्रिक्स योजना का पूर्ण रूप 'MATHEMATICAL RESEARCH IMPACT-CENTRIC SUPPORT SCHEME' है।
- नोट:
- 'विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड' (SERB), भारत सरकार के 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology- DST) के तहत एक सांविधिक निकाय है।

जन औषधि सुगम Jan Aushadhi Sugam

COVID-19 के महेनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण जन औषधि सुगम (Jan Aushadhi Sugam) मोबाइल एप नागरिकों को अपने निकटतम 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJAK) का पता लगाने और सस्ती जेनेरिक दवा की उपलब्धता में सहायक बन रहा है।

मुख्य बिंदु:

- लगभग 325000 से अधिक लोग इसके द्वारा प्रदान किये गए लाभों को प्राप्त करने के लिये जन औषधि सुगम मोबाइल एप का उपयोग कर रहे हैं।
- उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाने हेतु डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिये 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' (PradhanMantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana- PMBJP) के लिये इस मोबाइल एप्लिकेशन (जन औषधि सुगम) को 'भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो' (Bureau of Pharma PSUs of India - BPPI) द्वारा विकसित किया गया है। जो भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आता है।
- यह एप आम लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा जिसके आधार पर-
 - ◆ वे अपने आसपास के जन औषधि केंद्र का पता लगा सकते हैं।
 - ◆ जन औषधि केंद्र तक पहुँचने के लिये गूगल मानचित्र का सहारा ले सकते हैं।
 - ◆ जेनेरिक एवं ब्रांडेड दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) एवं समग्र बचत के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं।
- वर्तमान में देश के 726 जिलों में 6300 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (PMJAK) कार्य कर रहे हैं।

नोट :

इम्युनिटी पासपोर्ट Immunity Passport

हाल ही में कुछ देशों ने इम्युनिटी पासपोर्ट (Immunity Passport) या एक प्रकार का प्रमाण पत्र जो यह बताता है कि व्यक्ति में COVID-19 के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, जारी करने पर विचार करना शुरू कर दिया है।

- हालाँकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने 'इम्युनिटी पासपोर्ट' जैसे विचार को लेकर चेतावनी दी है।

क्या होता है 'इम्युनिटी पासपोर्ट' ?

- 'इम्युनिटी पासपोर्ट' या 'रिस्क-फ्री-सर्टिफिकेट' (Risk-Free-Certificate) उन लोगों को जारी किया जाएगा जो COVID-19 से ठीक हो चुके हैं। उन्हें ये इस आधार पर जारी किए जाने की योजना है कि COVID-19 से ठीक हो चुके लोगों में एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुके हैं और वे पुनः संक्रमित होने से सुरक्षित हैं इसलिये वे यात्रा करने या काम पर वापस लौटने में समर्थ हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई चेतावनी:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि राष्ट्रों को 'इम्युनिटी पासपोर्ट' या 'रिस्क-फ्री-सर्टिफिकेट' पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि जिन लोगों में संक्रमण से ठीक होने के बाद एंटीबॉडीज विकसित हो गए हैं उन्हें दोबारा संक्रमण नहीं होगा और वे COVID-19 से सुरक्षित हैं।

'इम्युनिटी पासपोर्ट' की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

- COVID-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियाँ बाधित होने से कई राष्ट्रों की आर्थिक वृद्धि दर निगेटिव जोन में जाने की संभावना जताई जा रही है।
- ◆ अतः आर्थिक गतिविधियों को पुनः सुचारु रूप से चलाने के लिये विश्व के कई राष्ट्र इम्युनिटी पासपोर्ट जैसी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं।

महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस Statehood day of Maharashtra and Gujarat

1 मई, 2020 को भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को उनके राज्य दिवस (1 मई) पर बधाई दी।

मुख्य बिंदु:

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (The States Reorganisation Act, 1956) के तहत भाषाई आधार पर भारत संघ के भीतर राज्यों के लिये सीमाओं को परिभाषित किया गया था। परिणामस्वरूप 1 नवंबर, 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।
- ◆ इस अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का गठन मराठी, गुजराती, कच्छी (Kutchi) एवं कोंकणी भाषी लोगों के लिये किया गया था।
- वर्ष 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के आधार पर दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी।

महागुजरात सम्मेलन (Mahagujarat Conference):

- वर्ष 1937 में, कराची में हुई 'गुजरात साहित्य सभा' की एक बैठक के दौरान लेखक एवं स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल मुंशी द्वारा 'महागुजरात की अवधारणा' का सुझाव दिया गया था।
- वर्ष 1947 में आजादी मिलने के बाद वर्ष 1948 में एक प्रशासनिक निकाय के तहत संपूर्ण गुजराती भाषा बोलने वाली आबादी को एकीकृत करने के लिये एक 'महागुजरात सम्मेलन' (Mahagujarat Conference) हुआ।

संयुक्त महाराष्ट्र समिति (Sanyukta Maharashtra Samiti):

- संयुक्त महाराष्ट्र समिति चाहती थी कि बॉम्बे राज्य को दो राज्यों (एक राज्य गुजराती एवं कच्छी भाषी लोगों के लिये और दूसरा राज्य मराठी एवं कोंकणी भाषी लोगों के लिये) में विभाजित किया जाए।
- वर्ष 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रांत का हिस्सा थे। वर्ष 1960 में बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 द्वारा द्विभाषी राज्य बंबई को दो पृथक राज्यों (महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिये और गुजरात, गुजराती भाषी लोगों के लिये) में विभक्त किया गया।
- 1 मई, 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। भारतीय संविधान के तहत 'गुजरात' भारतीय संघ का 15वाँ राज्य बना।

किसान सभा एप Kisan Sabha App

हाल ही में देश के दूरदराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला एवं माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिये नई दिल्ली स्थित सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) ने किसान सभा एप (Kisan Sabha App) विकसित किया है।

लक्ष्य:

- इसका लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती एवं समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना तथा बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके उनको सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु:

- यह निकटतम मंडियों में उपज मूल्यों की तुलना करके तथा सस्ती कीमत पर मालवाहक वाहन की बुकिंग करके फसलों की उचित मूल्य दर प्रदान करने में मदद करेगा जिससे किसानों को अधिकतम लाभ मिल सकेगा।
- यह पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टों, सेवा प्रदाताओं (जैसे- कीटनाशकों/उर्वरक/डीलरों, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम मालिक), मंडी डीलरों, ग्राहकों (जैसे- बड़े खुदरा दुकानों, ऑनलाइन स्टोर, संस्थागत खरीदारों) और अन्य संबंधित संस्थाओं को समय पर प्रभावी समाधान के लिये आपस में जोड़ता है।
- किसान सभा में किसानों/मंडी डीलरों/ट्रांसपोर्टों/मंडी बोर्ड के सदस्यों/सेवा प्रदाताओं/उपभोक्ताओं के लिये 6 प्रमुख मॉड्यूल हैं।

अन्य सुविधाएँ:

- यह पोर्टल कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिये एकल स्टॉप के रूप में कार्य करता है क्योंकि वे किसान जिन्हें फसलों की बेहतर कीमत की आवश्यकता है या मंडी डीलर जो अधिक किसानों एवं ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं, उन सबके लिये मददगार साबित होगा।
- यह उन लोगों के लिये भी एक मंच प्रदान करता है जो सीधे किसानों से उनकी उपज खरीदना चाहते हैं।
- यह एप कोल्ड स्टोरज या गोदाम कारोबार से जुड़े लोगों के लिये भी उपयोगी साबित होगा।

सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI):

- सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) वर्ष 1952 में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला है।
- यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) के एक घटक के रूप में सड़कों एवं रनवे के डिजाइन, निर्माण तथा रखरखाव, मेगा एवं मध्यम शहरों के यातायात और परिवहन की योजनाओं आदि पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को पूरा करता है।

डेमो-2 मिशन Demo-2 Mission

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) और स्पेस एक्स कंपनी (SpaceX) ने कहा है कि COVID-19 जैसी स्थिति के बावजूद 27 मई, 2020 को डेमो-2 मिशन (Demo-2 Mission) के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने हेतु लॉन्च किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- इस मिशन में फाल्कन-9 (Falcon-9) रॉकेट का उपयोग किया जायेगा। इसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिये भेजा जाएगा।
- इस मिशन को स्पेस एक्स (SpaceX) द्वारा लॉन्च किया जायेगा। यह एलन मस्क स्पेस कंपनी (Elon Musk Space Company) का पहला कू लॉन्च है।
- बेहनकेन (Behnken) और हर्ले (Hurley) जिन्हें 'डेमो -2' मिशन के लिये प्रशिक्षित किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) पर पहुँचकर एक से चार महीने तक वहाँ रहेंगे।
- अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाले नासा के इस मिशन को 'वाणिज्यिक कू कार्यक्रम' (Commercial Crew Programme) नाम दिया गया है।

डेमो-1 मिशन (Demo-1 Mission):

- नासा के डेमो-1 मिशन को स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। डेमो-1 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च की जाने वाली पहली नान-कू (मानवरहित) परीक्षण उड़ान थी।
- वर्तमान में स्पेस एक्स (SpaceX) और बोईंग (Boeing) कंपनी नासा के अंतरिक्ष टैक्सी प्रदाता हैं।

वाणिज्यिक कू कार्यक्रम' (Commercial Crew Programme):

- 'वाणिज्यिक कू कार्यक्रम' को संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। और इसका प्रशासनिक कार्यान्वयन नासा की देखरेख में हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत निजी विक्रेता अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने के लिये कू वाहनों का संचालन करेंगे।

हिज्बुल्लाह Hezbollah

हाल ही में जर्मनी ने ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह (Hezbollah) गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

मुख्य बिंदु:

- हिज्बुल्लाह लेबनान का एक उग्रवादी राजनीतिक शिया मुस्लिम समूह है।
- हिज्बुल्लाह जिसका अरबी भाषा में नाम 'पार्टी ऑफ गॉड' (Party of God) है, की स्थापना वर्ष 1982 में प्रथम इजरायल-लेबनान युद्ध के बाद की गई थी।
- वर्तमान में इस समूह के सीरिया एवं ईरान के साथ राजनीतिक तथा सैन्य संबंध हैं और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया है।
- हिज्बुल्लाह की राजनीतिक शाखा लेबनान की राजनीति में प्रगाढ़ रूप से शामिल है। हिज्बुल्लाह पश्चिम देशों एवं इजरायल का विरोध करता है और लेबनान में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिये प्रयासरत है जो ईरानी मॉडल पर आधारित है।
- यह मुख्य रूप से दक्षिणी बेरूत, दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी (Bekaa Valley) के शिया बहुल क्षेत्रों में विस्तृत है।
- इस समूह की स्थापना में वर्ष 1979 में हुई ईरानी इस्लामिक क्रांति ने अहम भूमिका निभाई थी और वर्ष 1982 में लेबनान पर इजरायल द्वारा आक्रमण के दौरान इसे ईरान से सैन्य सहायता मिली थी।
- वर्तमान में हिज्बुल्लाह लेबनान की संसद में कई प्रतिनिधियों के साथ एक राजनीतिक शक्ति बना हुआ है और इसे अभी भी लेबनान की शिया आबादी के साथ-साथ सीरिया एवं ईरान का समर्थन प्राप्त है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस World Press Freedom Day

प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 3 मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' (World Press Freedom Day) मनाया जाता है।

थीम:

- इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम 'Journalism Without Fear or Favour' है।

मुख्य विषय:

- इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मुख्य विषय हैं:
 - ◆ महिला एवं पुरुष पत्रकारों व मीडिया कर्मियों की सुरक्षा (Safety of Women and Men Journalists and Media Workers)
 - ◆ राजनीतिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र तथा व्यावसायिक पत्रकारिता (Independent and Professional Journalism free from Political and Commercial Influence)
 - ◆ मीडिया के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता (Gender Equality in All Aspect of the Media)

उद्देश्य:

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्त्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है।

मुख्य बिंदु:

- यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी।
- तब से प्रत्येक वर्ष 3 मई (विंडहोक (Windhoek) घोषणा की वर्षगांठ) को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीदरलैंड को मेज़बान देश के रूप में चुना गया है।
- ◆ यूनेस्को और नीदरलैंड ने हेग स्थित विश्व मंच पर 22-24 अप्रैल, 2020 तक 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन' आयोजित करने की योजना बनाई थी किंतु COVID-19 के कारण इसे बढ़ाकर 18-20 अक्टूबर, 2020 निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2020 में जारी 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' (World Press Freedom Index-2020) में भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर पहुँच गया है, जबकि बीते वर्ष भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था।
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (RSF) द्वारा जारी किया जाता है। RSF द्वारा जारी 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' का प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था।

गंतव्य-सरिस्का टाइगर रिज़र्व Destination- Sariska Tiger Reserve

1 मई, 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 'देखो अपना देश' श्रृंखला के अंतर्गत 'गंतव्य-सरिस्का टाइगर रिज़र्व' (Destination-Sariska Tiger Reserve) शीर्षक से 13वीं वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु:

- सरिस्का टाइगर रिज़र्व, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है जो दिल्ली से 250 किमी. दक्षिण-पश्चिम और जयपुर से 110 किमी. उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- ◆ यह 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घास के मैदानों, शुष्क पर्णपाती वनों, चट्टानी परिदृश्यों में ढका हुआ है।
- सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में गढ़-राजोर के मध्यकालीन मंदिरों के खंडहर हैं जो 10वीं एवं 11वीं शताब्दी के हैं। इसके कुछ मुख्य आकर्षण केंद्रों में से कांकवारी (Kankwari) किला (जिसे 17वीं शताब्दी में राजपूत महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था) और 10वीं शताब्दी के नीलकंठ मंदिरों के खंडहर हैं।
- ◆ नीलकंठ महादेव 300 से अधिक हिंदू एवं जैन मंदिरों का खंडहर है जिसका निर्माण 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था।

- सरिस्का को वर्ष 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था तथा वर्ष 1979 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया।
 - यहाँ आभानेरी में निखुम्भा राजवंश (Nikhumbha Dynasty) द्वारा निर्मित 'चाँद बावड़ी' (Chand Baoli) 3500 सीढ़ियों वाली विशाल आकार की बावड़ी है जो विश्व की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है।
 - सरिस्का भारत में पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बसाया गया है और वर्तमान में इस रिजर्व में लगभग 20 बाघ हैं।
- गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना एवं उनको बढ़ावा देना है।

ठीकरी पहरा Thikri Pehra

COVID-19 संक्रमण को रोकने के लिये पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में ठीकरी पहरा (Thikri Pehra) का उपयोग किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing) प्रथा है।
- ◆ इसके तहत गाँव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गाँव में रात के वक्त पहरा दिया जाता है जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गाँव में प्रवेश न कर सके।
- ◆ COVID-19 के मद्देनजर इसका प्रयोग ग्रामीण लोग गाँव में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये कर रहे हैं।
- यह परंपरा दो दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है।
- दो दशक पहले आतंकवादी गतिविधियों के दौरान ठीकरी पहरा के तहत ग्रामीण समुदायों ने अपने गाँवों की रखवाली की।
- जब पंजाब में कुख्यात 'काला कच्छा गिरोह' (Kala Kachcha Gang) के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हुई तब ग्रामीण समुदाय ने गाँव की सुरक्षा के लिये ठीकरी पहरे का प्रयोग किया।
- ◆ काला कच्छा गिरोह पंजाब का एक संगठित आपराधिक गिरोह था। इसके सदस्य लुटेरे एवं डकैत होते थे जो अपने शरीर पर चिकनाई के रूप में तेल या ग्रीस लगाते थे।

जैमिनी रॉय JAMINI ROY

2 मई, 2020 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (National Gallery of Modern Art) ने अग्रणी कलाकार जैमिनी रॉय (JAMINI ROY) को उनकी 133वीं जयंती वर्ष पर आभासी माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्य बिंदु:

- जैमिनी रॉय का जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में 11 अप्रैल, 1887 को हुआ था। वे 20वीं सदी में भारतीय कला के सबसे उल्लेखनीय आधुनिकतावादी भारतीय चित्रकार थे।
- वे अबनींद्र नाथ टैगोर (Abanindranath Tagore) के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे।
- वे पश्चिमी पद्धति की तकनीक में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित पहले भारतीय चित्रकार थे किंतु उन्होंने बंगाल की स्थानीय लोक कलाओं (कालीघाट चित्रकला पद्धति) से संबंधित विषय-वस्तु का अपनी कला में समावेश किया और कीमती कैनवास एवं ऑयल पेंटस को छोड़कर सस्ती सामग्रियों का इस्तेमाल शुरू किया।
- ◆ कालीघाट चित्रकला या कालीघाट पट एक कला रूप है जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कलकत्ता (कोलकाता) के प्रसिद्ध कालीघाट के काली मंदिर के आसपास विकसित हुई। इस चित्रकला का अभ्यास 'पटुआ' नामक कलाकार किया करते थे।
- ◆ स्थानीय विषय-वस्तु को प्रमुखता देने के कारण जैमिनी राय स्वयं को 'पटुआ' कहलाना ज्यादा पसंद करते थे।
- उन्होंने अपनी चित्रकला में रामायण, महाभारत एवं कृष्ण लीला के दृश्यों, गाँव के सामान्य स्त्री-पुरुष के चित्रण आदि को प्रमुखता दी।

पुरस्कार:

- वर्ष 1934 - तत्कालीन वायसराय द्वारा स्वर्ण पदक
- वर्ष 1954 - भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण
- वर्ष 1955 - ललित कला अकादमी फेलोशिप (ललित कला अकादमी द्वारा प्रदत्त फाइन आर्ट्स में सर्वोच्च सम्मान)

श्रम गहन कार्यक्रम Labour Intensive Programme

4 मई, 2020 को झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिये रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से तीन श्रम गहन कार्यक्रमों ('बिरसा हरित ग्राम योजना' (Birsa Harit Gram Yojana -BHGY), 'नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना' (Neelambar Pitambar JAL Samridhi Yojana-NPJSY) और 'वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना' (Veer Sahid Poto Ho Khel Vikas Scheme-VSPHKVS)) की शुरुआत की।

मुख्य बिंदु:

- COVID-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से झारखंड वापस लौट रहे छह लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के लिये तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये इन तीनों योजनाओं को 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (MNREGA) के साथ जोड़कर तैयार किया गया है।
- ग्रामीण आबादी को रोजगार देने के अलावा ये सभी योजनाएँ सतत् विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए झारखंड में नई संपत्ति के सृजन के लिये तैयार की गई हैं।
- 'सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी' (Centre for Monitoring Indian Economy- CIME) के आँकड़ों के अनुसार, झारखंड की बेरोजगारी दर 47.1% है जो राष्ट्रीय औसत (23.5%) से लगभग दोगुना है।

बिरसा हरित ग्राम योजना (Birsa Harit Gram Yojana- BHGY)

- इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु दो लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी परती भूमि का उपयोग करना है।
- इसके तहत लगभग पाँच लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिये जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की ज़िम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा।
- इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में पाँच करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है।
- इस योजना से प्रत्येक परिवार को तीन वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50000 रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।

नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना**(Neelambar Pitambar JAL Samridhi Yojana- NPJSY):**

- इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिये कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना है।
- इस योजना के तहत झारखंड के पलामू जैसे बारहमासी पानी की समस्याओं का सामना करने वाले जिलों को सबसे अधिक लाभ होगा।
- राज्य सरकार ने कहा कि इसके माध्यम से लगभग 5 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि की सिंचाई की जा सकती है।

वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना**(Veer Sahid Poto Ho Khel Vikas Scheme-VSPHKVS):**

- इस योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति (खेल आधारित अवसंरचना) निर्माण के लिये ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है।
- इस योजना के तहत झारखंड की सभी 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किये जाने की योजना है।

अतुल्य: माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र Atulya: Microwave Steriliser

हाल ही में 'डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी' ने COVID-19 वायरस को विघटित करने के लिये 'अतुल्य' नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र विकसित किया है।

- COVID-19 वायरस 56-60 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा में अतुल्य के 'डिफरेंसियल हीटिंग' (Differential Heating) से विघटित हो जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- COVID-19 के लिये अतुल्य एक लागत प्रभावी समाधान है जिसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टालेशन में संचालित किया जा सकता है।
 - इस प्रणाली का मानव/प्रचालक सुरक्षा के लिये परीक्षण किया गया है एवं इसे सुरक्षित पाया गया है।
 - भिन्न-भिन्न वस्तुओं के आकार एवं ढाँचे के अनुसार, स्टेरिलाइजेशन का समय 30 सेकेंड से एक मिनट तक रहता है।
 - ◆ स्टेरिलाइजेशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो सभी जैविक रूपों जैसे- कवक, बैक्टीरिया, वायरस, बीजाणु एवं अन्य जैविक एजेंटों को समाप्त करता है, मारता है या निष्क्रिय करता है।
 - इसका वजन लगभग तीन किलोग्राम है और इसका उपयोग केवल अधात्विक (Non-Metallic) वस्तुओं के लिये किया जा सकता है।
- नोट:
- पुणे स्थित 'डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी' (DIAT), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) द्वारा समर्थित एक डीमड यूनिवर्सिटी है।

ई-कोवसेंस eCovSens

हाल ही में हैदराबाद स्थित 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनीमल बायोटेक्नोलॉजी' (NIAB) ने एक बायोसेंसर ई-कोवसेंस (eCovSens) विकसित किया है जो लार के नमूनों में COVID-19 का पता लगा सकता है।

मुख्य बिंदु:

- वर्तमान में विश्व भर में विषाक्त पदार्थों, मादक द्रव्यों का पता लगाने के लिये बायोसेंसर का उपयोग किया जाता है। वहीं संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिये भी इसका उपयोग एक विश्वसनीय उपकरण के तौर पर किया जाता है।
- यह उपकरण लार के नमूने के सिर्फ 20 माइक्रोलीटर (Microlitre) का उपयोग करके 10-30 सेकेंडों के भीतर परिणाम देता है।

कार्यप्रणाली:

- इस उपकरण में एक कार्बन इलेक्ट्रोड एवं कोरोनावायरस एंटीबॉडी होते हैं।
- ये एंटीबॉडी वायरस की बाहरी परत पर पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन (Spike Protein) के साथ बंधन बनाने में सक्षम होते हैं।
- प्रतिजन एवं एंटीबॉडी द्वारा बंधन बनाने पर एक विद्युत संकेत उत्पन्न होता है। जिससे संक्रमण का पता लगाया जा सकता है।

कोरोना किलर 100 Corona Killer 100

हाल ही में एक भारतीय फर्म 'गरुड एयरोस्पेस' (Garuda Aerospace) ने एक यूएवी (Unmanned Aerial Vehicle) 'कोरोना किलर 100' (Corona Killer 100- CK 100) विकसित किया है जो COVID-19 जैसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों को विसंक्रमित करने में मदद करेगा।

मुख्य बिंदु:

- 'कोरोना किलर 100' एक प्रकार का ड्रोन है जिसका प्रयोग 450 फीट तक की इमारतों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिये किया जा सकता है।

- COVID-19 जैसी स्थिति में ड्रोन संचालन उन श्रमिकों जो COVID-19 के संभावित वाहक बन सकते हैं, द्वारा पारंपरिक छिड़काव की तुलना में अधिक तेज एवं सुरक्षित है।
- इसके अलावा ड्रोन ऊँचाई तक भी पहुँच सकते हैं जो पारंपरिक छिड़काव के माध्यम से संभव नहीं हैं।
- ऐसे ड्रोन पहले ही चंडीगढ़ एवं वाराणसी में क्षेत्रों को कीटाणुरहित करने के लिये तैनात किये जा चुके हैं।
- यह 'कोरोना किलर 100' (सैनटाइजेशन ड्रोन) जो वर्तमान में 26 शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्ष 2016 में नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा शीर्ष 10 सामाजिक-आर्थिक नवाचारों में से एक के रूप में चुना गया था।
- ये ड्रोन ऑटोपायलट प्रौद्योगिकी, उन्नत उड़ान नियंत्रक प्रणाली तथा ईंधन कुशल मोटर्स से सुसज्जित हैं। जिससे ये दिन में 12 घंटे सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
- इस ड्रोन की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:
 - ◆ 15-20 लीटर की पेलोड क्षमता।
 - ◆ 40-45 मिनट की उड़ान अवधि।
 - ◆ अधिकतम 450 फीट ऊँचाई वाली इमारतों तक पहुँचने की क्षमता।
- प्रत्येक ड्रोन दिन में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है।

गरुड़ एयरोस्पेस (Garuda Aerospace):

- ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस ने कृषि सर्वेक्षण, टोही एवं निगरानी जैसी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिये पिछले 4 वर्षों में कई सरकारी आदेशों को निष्पादित किया है।
- यदि बड़े पैमाने पर कीटाणुमुक्त अभियान शुरू किया जाता है तो इसके लिये गरुड़ एयरोस्पेस ने एक अद्वितीय 'ड्रोन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म' भी बनाया है जो विभिन्न सहयोगी कंपनियों से 16,000 से अधिक ड्रोनों की आपूर्ति कर सकता है।

बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट Bay of Bengal Boundary Layer Experiment

हाल ही में बेंगलुरु स्थित 'भारतीय विज्ञान संस्थान' (Indian Institute of Science) एवं यूके स्थित 'यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया' (University of East Anglia) की एक टीम ने 'बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट' (Bay of Bengal Boundary Layer Experiment- BoBBLE) के तहत मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों एवं मौसम संबंधी अन्य पूर्वानुमानों की सटीक भविष्यवाणी के लिये एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है।

मुख्य बिंदु:

- BoBBLE, भारत एवं यूके की एक संयुक्त परियोजना है।
- इस परियोजना का उद्देश्य मानसून प्रणाली पर बंगाल की खाड़ी में समुद्री प्रक्रियाओं के प्रभाव की जाँच करना है।
- इस परियोजना को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) एवं ब्रिटेन के 'प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद' (Natural Environment Research Council) द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
- बंगाल की खाड़ी 'दक्षिण एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून प्रणाली' को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है।
- विशेष रूप से दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान निम्न है जिससे समुद्री वातावरण के साथ-साथ मानसून भी प्रभावित होता है।
- दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी की तुलना में दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी अधिक ठंडी है। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में अधिक लवणता होने से वर्षा की संभावना कम होती है और यह ग्रीष्मकालीन मानसूनी धाराओं (Summer Monsoon Current- SMC) से प्रभावित होती है।
- इस परियोजना के तहत बंगाल की खाड़ी में होने वाले बदलावों का अवलोकन करने के लिये दो जहाज, छह महासागरीय ग्लाइडर्स एवं आठ नावों को तैनात किया जाएगा।

- ये दोनों जहाज बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण-पूर्व में स्थापित किये जायेंगे जिससे इस क्षेत्र में हवाओं एवं समुद्री धाराओं के पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण मार्गों का पता लगाते हुए, समुद्री तापमान, लवणता एवं धाराओं का अवलोकन करेंगे।

द लांग मार्च 5बी The Long March 5B

5 मई, 2020 को चीन ने हैनान (Hainan) प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट 'द लांग मार्च 5बी' (The Long March 5B) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु:

- यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है।
- वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का 50वाँ स्थापना दिवस

50th Foundation Day of Department of Science & Technology

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने 3 मई, 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी स्वायत्त संस्थानों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) के अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों से S&T गतिविधियों तथा COVID-19 प्रकोप से निपटने के लिये उठाए गए प्रयासों के संबंध में चर्चा की।

मुख्य बिंदु:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology-S&T) के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मई 1971 में स्थापित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology-DST) देश में S&T गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और प्रचार के लिये एक नोडल विभाग की भूमिका निभाता है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- DST के प्रयासों के कारण भारत विज्ञान आधारित पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशनों की संख्या के मामले में चीन और अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुँच गया है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर COVID-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड 'COVID कथा' भी लॉन्च की गई।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण Central Administrative Tribunal

हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) ने कहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal- CAT) की जम्मू एवं कश्मीर खंडपीठ केंद्र सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों की सुनवाई करेगी।

- गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चंडीगढ़ खंडपीठ इन मामलों की सुनवाई करती थी।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323-A के तहत की गई थी।
- ◆ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323-A संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र व राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों संबंधी विवादों को सुलझाने के लिये प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है।

- ◆ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323-A का अनुसरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है।
- वर्ष 2006 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करके इसके सदस्यों की हैसियत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बराबर कर दी गई है।
- अधिकरण किसी भी मामले को तय करने के संदर्भ में 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' का पालन करता है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की कानूनी प्रक्रियाओं के तहत बाध्य नहीं है।

संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम

Revised National Tuberculosis Control Programme

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) द्वारा प्रकाशित एक पेपर में चिंता व्यक्त की गई है कि COVID-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत में नए टीबी के मामलों की साप्ताहिक पहचान में लगभग 75% कमी आई है।

मुख्य बिंदु:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रकाशित पेपर का शीर्षक '2020 में वैश्विक स्तर पर टीबी से होने वाली मौतों पर COVID-19 महामारी का पूर्वनिर्धारित प्रभाव' है।
- ◆ इस पेपर में बताया गया है कि 22 मार्च के बाद तीन हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किये गए टीबी मामलों की संख्या साप्ताहिक तौर पर औसतन 11,367 थी जबकि लॉकडाउन से पहले दर्ज किये गए मामलों की संख्या औसतन 45,875 साप्ताहिक थी।
- ◆ गौरतलब है कि ये आँकड़े देश भर में 'केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' के 'संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम' (Revised National Tuberculosis Control Programme- RNTCP) के अंतर्गत बनाए गए एक पोर्टल निक्षय (NIKSHAY) पर दर्ज किये गए टीबी के मामलों पर आधारित हैं।

संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP):

- 26 मार्च, 1997 को 'संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम' (RNTCP) को डॉट्स प्रणाली के साथ शुरू किया गया।
- इस कार्यक्रम के तहत प्रतिमाह 1 लाख से भी अधिक रोगियों को इलाज कर, अब तक करीब 15.75 लाख से अधिक लोगों को इस रोग से बचाया जा सका है।
- वर्तमान में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सप्ताह में तीन दिन दी जाने वाली खुराक के स्थान पर इसे प्रतिदिन देना निर्धारित किया गया है जिसका लक्ष्य टीबी रोगियों को इथैन ब्यूटॉल की प्रतिदिन एक निश्चित खुराक देकर इस रोग पर नियंत्रण पाना है।

निक्षय (NIKSHAY):

- निक्षय (Nikshay) एक वेब-आधारित पोर्टल है जिसका उपयोग प्राधिकारी वर्ग RNTCP से जुड़े फंड, उपचार के परिणाम और स्वास्थ्य प्रदाताओं को ट्रैक करने के लिये करते हैं।
- यह राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और देश भर में पंजीकृत निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

विश्व अस्थमा दिवस 2020 World Asthma Day 2020

विश्व अस्थमा दिवस (World Asthma Day) प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई, 2020 को मनाया गया।

थीम:

- इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस-2020 की थीम 'Enough Asthma Deaths' है।

उद्देश्य:

- इसका मूल उद्देश्य विश्व भर में अस्थमा की बीमारी एवं देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 1998 में पहली बार 'ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा' (GINA) ने इसका आयोजन बार्सिलोना (स्पेन) में हुई 'प्रथम विश्व अस्थमा बैठक' के बाद किया था। हालाँकि COVID-19 के कारण इस वर्ष वैश्विक स्तर पर इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व में लगभग 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं।
- 'ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा' (GINA):
- इसे वर्ष 1993 में अस्थमा के लिये वैश्विक पहल के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ' (National Institutes of Health), 'नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट' (National Heart, Lung and Blood Institute- NHLBI) के सहयोग से शुरू किया गया था।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (National Institutes of Health-NIH):

- यह बायोमेडिकल एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राथमिक एजेंसी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय मेरीलैंड (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है।

नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट**(National Heart, Lung and Blood Institute- NHLBI):**

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बेथेसडा (Bethesda) में स्थित 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ' (NIH) के तहत तीसरा सबसे बड़ा संस्थान है।
- इसका गठन वर्ष 1948 में किया गया था।
- इसे निम्नलिखित मुद्दों से निपटने के लिये प्रति वर्ष वित्तीय आवंटन करने का कार्य सौंपा गया है:
 - ◆ रोग का विकास एवं प्रगति
 - ◆ रोग का निदान
 - ◆ रोग-चिकित्सा
 - ◆ रोग प्रतिरक्षण
 - ◆ अमेरिकी जनसंख्या के बीच स्वास्थ्य देखभाल संबंधी विषमताओं में कमी लाना।
 - ◆ अमेरिकी चिकित्सा प्रणाली को उन्नत बनाना।
- यह विश्व भर में फैले हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अस्थमा से संबंधित चिकित्सकीय दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

अस्थमा क्या है ?

- अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है, जिसके कारण रोगी को सांस लेने में समस्या होती है। यह गैर-संचारी रोगों में से एक है।
- इस बीमारी के दौरान श्वसनमार्ग में सूजन से सीने में जकड़न, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।
- ये लक्षण आवृत्ति एवं गंभीरता (frequency and severity) में भिन्न होते हैं। जब लक्षण नियंत्रण में नहीं होते हैं तो साँस लेना मुश्किल हो सकता है।

- वर्तमान में यह बीमारी बच्चों में सबसे अधिक देखने को मिलती है।
- अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है किंतु अगर सही समय पर सही इलाज के साथ इसका प्रबंधन किया जाए तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

भारत में अस्थमा की स्थिति:

- भारत में लगभग 6% बच्चे और 2% वयस्क अस्थमा से प्रभावित हैं।

अर्कटिका-एम Arktika-M

हाल ही में रूस की 'लावोस्किन एयरोस्पेस कंपनी' (Lavochkin Aerospace Company) के जनरल डायरेक्टर ने जानकारी दी है कि रूस इस वर्ष के अंत में आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिये अपना पहला 'अर्कटिका-एम' (Arktika-M) नामक उपग्रह लॉन्च करेगा।

मुख्य बिंदु:

- पहला अर्कटिका-एम अंतरिक्ष यान जो वर्तमान में रेडियो-इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण से गुजर रहा है, को वर्ष 2020 के अंत तक तथा दूसरा अर्कटिका-एम उपग्रह जो अभी शुरूआती विकास के चरण में है, का प्रक्षेपण वर्ष 2023 में किया जायेगा।
- इस उपग्रह को फ्रीगैट बूस्टर (Fregat Booster) के साथ सोयुज-2.1बी (Soyuz-2.1b) रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा।

महत्त्व:

- रूस का उत्तरी क्षेत्र आर्कटिक महासागर के साथ हजारों किमी. तक विस्तृत है और अपने उत्तरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की कोशिश करते हुए रूस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- अर्कटिका-एम एक रिमोट-सेंसिंग एवं आपातकालीन संचार उपग्रह है। यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने में मदद करेगा।
- इस डेटा की मदद से मौसम वैज्ञानिकों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान की सटीकता तथा वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में मदद मिलेगी।

सुरक्षित दादा-दादी एवं नाना-नानी अभियान

Surakshit Dada-Dadi & Nana-Nani Abhiyan

'पीरामल फाउंडेशन' (Piramal Foundation) के सहयोग से नीति आयोग (Niti Aayog) ने 5 मई, 2020 को COVID-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये 'सुरक्षित दादा-दादी एवं नाना-नानी अभियान' प्रारंभ किया।

उद्देश्य:

- इस अभियान का उद्देश्य COVID-19 महामारी के मद्देनजर निवारक उपायों एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन सहित वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

मुख्य बिंदु:

- इस अभियान के तहत असम, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश के 25 आकाँक्षी जिलों में 2.9 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सम्मिलित किया जायेगा।
- यह अभियान वरिष्ठ नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन, सेवाओं तक पहुँच, COVID-19 लक्षणों की शुरूआती पहचान एवं ट्रैकिंग पर केंद्रित है।

नोट:

- 'पीरामल फाउंडेशन' (Piramal Foundation), 'पीरामल समूह' (Piramal Group) की लोकोपकारी शाखा है। 'पीरामल समूह' एक विविध वैश्विक व्यापार समूह है।

बिष्णु सेंद्रा पर्व BISHNU SENDRA PARVA

झारखंड के 'दलमा वन्यजीव अभयारण्य' (Dalma Wildlife Sanctuary-DWS) के वन अधिकारियों ने बताया कि 4 मई, 2020 को पहली बार ऐतिहासिक रूप से 'बिष्णु सेंद्रा पर्व' (BISHNU SENDRA PARVA) के अवसर पर झारखंड में एक भी शिकार नहीं किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- 'बिष्णु सेंद्रा पर्व' झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक शिकार उत्सव है।
- इस वर्ष आदिवासियों ने अपने घरों में ही रहकर सदियों पुराने इस पर्व का जश्न मनाया क्योंकि COVID-19 के कारण झारखंड राज्य में लॉकडाउन शुरू है।
- ◆ गौरतलब है कि लॉकडाउन जारी रहने के कारण कई आदिवासी शिकारी इस पर्व के अवसर पर जानवरों का शिकार करने के लिये जंगलों तक नहीं पहुँच पाए।

दलमा वन्यजीव अभयारण्य (Dalma Wildlife Sanctuary):

- दलमा वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड राज्य में दलमा पहाड़ियों की श्रंखलाओं पर स्थित है।
- यह अभयारण्य जमशेदपुर से लगभग 13 किलोमीटर और रांची शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है।
- यह झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि एवं सरायकेला-खरसावां जिलों में लगभग 195 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- इस अभयारण्य का उद्घाटन वर्ष 1975 में संजय गांधी द्वारा किया गया था।
- इस अभयारण्य के प्राकृतिक आवास में भारतीय हाथी, भौंकने वाले हिरण, स्लोथ बीयर (Sloth Bear) एवं साहिल जैसे जंगली जानवर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं।
- इस अभयारण्य की दलमा पहाड़ी के ऊपर भगवान शिव का एक मंदिर अवस्थित है जहाँ शिवरात्रि के दिन प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। यह मंदिर पर्यटक आकर्षण का प्रमुख केंद्र है।

वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु**Vande Bharat Mission and Operation Samudra Setu**

हाल ही में भारत सरकार ने COVID-19 के मद्देनजर लॉकडाउन जैसी स्थिति के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) और ऑपरेशन समुद्र सेतु (Operation Samudra Setu) प्रारंभ किया है।

वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission):

- इस मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे लगभग 15000 भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया जाएगा।
- इसके लिये भारत सरकार द्वारा 7-13 मई तक 64 हवाई उड़ानों का संचालन किया जाएगा।
- इस मिशन के तहत विदेश से लगभग 2000 लोग रोजाना भारत वापस आयेंगे।
- वर्ष 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से 1.7 लाख लोगों के निकासी ऑपरेशन के बाद यह मिशन अब तक का सबसे बड़ा निकासी ऑपरेशन हो सकता है।

ऑपरेशन समुद्र सेतु (Operation Samudra Setu):

- भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये 'ऑपरेशन समुद्र सेतु' (Operation Samudra Setu) लॉन्च किया है।
- इस निकासी अभियान के प्रथम चरण में भारतीय नौसैनिक पोत जलशवा (Jalashwa) एवं मगर (Magar) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- ◆ INS जलशवा, नौसेना का सबसे बड़ा एम्फिबियस प्लेटफॉर्म है और यह विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के अंतर्गत आता है।
- ◆ INS मगर, भारतीय नौसेना में 'मगर श्रेणी' के एम्फिबियस युद्धपोतों में एक प्रमुख जहाज है।
- इस ऑपरेशन के तहत 08 मई, 2020 को शुरू हो रही पहली यात्रा के दौरान लगभग 1000 लोगों को वापस लाने की योजना बनाई गई है।

फ्लाइटनाउ-इंटरनेट ऑफ ड्रोन प्लेटफॉर्म

FlytNow- Internet of Drones (IoD) platform

हाल ही में एक ड्रोन ऑटोमेशन कंपनी 'फ्लाइटबेस' (FlytBase) ने 'फ्लाइटनाउ-इंटरनेट ऑफ ड्रोन प्लेटफॉर्म' (FlytNow-Internet of Drones (IoD) platform) विकसित किया है जो क्लाउड-आधारित व्यावसायिक अनुप्रयोगों के साथ ड्रोन के 'इंटेलेजेंट फ्लीट्स' के सहज एकीकरण की अनुमति देता है।

प्रमुख बिंदु:

- 'इंटरनेट ऑफ ड्रोन (IoD) प्लेटफॉर्म' पुलिस अधिकारियों को कई ड्रोन के माध्यम से उनके नियंत्रण कक्ष में 'मल्टी-वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग' की सुविधा प्रदान करता है।
 - इस प्रकार यह प्लेटफॉर्म पुलिस विभाग को स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है तथा उन्हें आपात स्थितियों हेतु त्वरित प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है।
 - COVID-19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति में भी फ्लाइटनाउ ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के लिये सक्षम बनाया है।
 - वर्तमान में इसका उपयोग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्रप्रदेश सहित कई राज्यों की पुलिस द्वारा किया जा रहा है।
- 'फ्लाइटबेस' (FlytBase):
- 'फ्लाइटबेस' (FlytBase) पुणे स्थित एक स्टार्ट-अप है जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

बुद्ध पूर्णिमा Buddha Purnima

7 मई को देशभर में बुद्ध पूर्णिमा (Buddha Purnima) मनाई गई।

प्रमुख बिंदु:

- इस बार देशभर में बुद्ध पूर्णिमा 7 मई, 2020 को मनाई गई। बुद्ध पूर्णिमा का दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार, वैशाख (अप्रैल या मई) महीने की पूर्णिमा (पूर्ण चंद्र) को संदर्भित करता है।
- बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाई जाती है।
- बुद्ध पूर्णिमा को दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में वेसाक (Vesak) के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, मृत्यु और साथ ही आत्मज्ञान की याद दिलाता है।

गौतम बुद्ध:

- गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुंबिनी नामक स्थान पर हुआ था जो भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित है।
- इनकी जन्मदात्री मायादेवी थी जबकि मायादेवी की मृत्यु के बाद इनका लालन-पालन सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था।
- इनके पिता शाक्य गण के प्रमुख थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
- इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था।
- सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है।
- गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ के प्रथम गुरु वैशाली के आलारकलाम थे जिन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के दूसरे गुरु राजगीर के रुद्रकरामपुत्र थे।
- 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोधगया के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
- ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ (ऋषिपत्तनम्) में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्रप्रवर्तन कहा गया।
- गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा 'पाली' में दिये।
- 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा (देवरिया, उत्तरप्रदेश) में गौतम बुद्ध ने देह त्याग दिया जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है।
- बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान हैं किंतु सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांतों को ही मानते हैं। गौरतलब है कि बुद्ध पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष मई महीने में मनाई जाती है किंतु दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एवं उनका महापरिनिर्वाण भी मई के महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था

नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य Netravali wildlife sanctuary

6 मई, 2020 को गोवा के मुख्यमंत्री ने नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य (Netravali Wildlife Sanctuary) में पहली बार 'ब्लैक पैंथर' (Black Panther) की उपस्थिति के बारे में बताते हुए उसकी एक तस्वीर ट्वीट की।

प्रमुख बिंदु:

- नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी गोवा के सुंगुम तालुका में काली नदी के बेसिन में स्थित है।
- नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर में 'भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य' और दक्षिण में 'कोटिगाओ वन्यजीव अभयारण्य' स्थित है।
- यह अभयारण्य लगभग 211 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है।
- नेत्रावली या नेतुरली (Neturli), जुआरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका उद्गम इस अभयारण्य में होता है।
- इस वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख आकर्षण में ब्लैक पैंथर (Black Panther), विशालकाय गिलहरी (Giant Squirrel), स्लेंडर लोरिस (Slender Loris), ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स (Great Pied Hornbills) आदि शामिल हैं।

ब्लैक पैंथर (Black Panther):

- 'ब्लैक पैंथर' किसी भी पैंथरा (Panthera), विशेष रूप से एशिया एवं अफ्रीका में तेंदुए तथा अमेरिका में जगुआर का मेलानिस्टिक (Melanistic) रूप है।
 - ◆ पैंथरा, फेलिडे (Felidae) परिवार के अंतर्गत एक वर्ग है जिसे वर्ष 1816 में लॉरेंज ओकेन (Lorenz Oken) ने नामित एवं वर्णित किया था जिन्होंने इस समूह में सभी चित्तीदार बिल्लियों को रखा था।
 - ◆ मेलानिस्टिक (Melanistic) शब्द काले वर्णक को संदर्भित करता है। यह त्वचा या बालों में गहरे रंग के पिगमेंट मेलानिन (Melanin) की वृद्धि के कारण होता है।

आयुष संजीवनी एप AYUSH Sanjivani App

07 मई, 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (Union Health & Family Welfare Minister) ने 'आयुष संजीवनी एप' और 'दो आयुष आधारित वैज्ञानिक अध्ययन' शुरू किये।

आयुष संजीवनी एप:

- 'आयुष संजीवनी एप' को आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MEITY) द्वारा विकसित किया गया है।
- इस एप से लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशों एवं विभिन्न कदमों की स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ COVID-19 के उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारियाँ जुटाने में मदद मिलेगी।
- इस एप को देश के 50 लाख लोगों तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दो आयुष आधारित वैज्ञानिक अध्ययन:

1. रोग निरोधक के रूप में और COVID-19 के मानक उपचार में आयुर्वेद के उपयोग पर सहयोगात्मक नैदानिकी अनुसंधान अध्ययन: यह 'भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Medical Research's- ICMR) के तकनीक सहयोग से 'वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद' (Council of Scientific & Industrial Research- CSIR) के माध्यम से आयुष मंत्रालय, 'केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' और 'केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय' की संयुक्त पहल होगी।
 - ◆ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission- UGC) के वाइस चैयरमैन डा. भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता वाली 'इंटरडिसिप्लिनरी आयुषआरएंडडी टास्क फोर्स' (Interdisciplinary AYUSH R&D Task Force) ने अश्वगंधा, यशतीमधु, गुदुची-पीपली और एक पॉलि हर्बल फॉर्मूलेशन (आयुष-64) जैसी चार विभिन्न औषधियों के अध्ययन के लिये देश के विभिन्न संगठनों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की समीक्षा एवं परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से COVID-19 पॉज़िटिव मामलों में रोग निरोधक अध्ययन एवं मानक उपचार के लिये नैदानिकी प्रोटोकॉल तैयार किये गए हैं। इसमें निम्नलिखित दो शामिल हैं:
 - ◆ COVID-19 महामारी के दौरान ज्यादा जोखिम वाले मामलों में SARS-COV-2 के उपचार के लिये अश्वगंधा।
 - ◆ 'निम्न से मध्यम' COVID-19 के उपचार के लिये सहायक 'उपचार के मानक' के रूप में आयुर्वेद के प्रभावों का अनुसंधानमूलक परीक्षण करना।
2. उच्च जोखिम वाली आबादी में COVID-19 संक्रमण की रोकथाम के लिये आयुष आधारित रोगप्रतिरोधी प्रभावों पर पारंपरिक अध्ययन: इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्यों में COVID-19 के लिये आयुष हस्तक्षेपों की निवारक क्षमता का आकलन एवं भारी जोखिम वाली आबादी में जीवन की गुणवत्ता में सुधार का आकलन करना शामिल है।

सुंदरबन Sunderban

हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग (West Bengal Forest Department) ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 96 तक पहुँच गई है।

प्रमुख बिंदु:

सुंदरबन मैंग्रोव वन 2,585 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें 'सुंदरबन टाइगर रिजर्व' (Sundarban Tiger Reserve) और दक्षिण 24 परगना डिविज़न शामिल हैं।

24 परगना (दक्षिण) डिविज़न में 23 बाघ जबकि 'सुंदरबन टाइगर रिजर्व' के चार डिविज़नों में 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया।

सुंदरबन:

- सुंदरबन, पश्चिम बंगाल के उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकासखंडों में फैला हुआ है।
- यह भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ दलदलीय वन क्षेत्र है। यह यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है।

- भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को वर्ष 1987 में यूनेस्को (UNESCO) का विश्व धरोहर स्थल (World Heritage site) घोषित किया गया।
- यह 9,630 वर्ग किलोमीटर में फैला गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा का हिस्सा है। इस क्षेत्र में 104 द्वीप हैं।
- यहाँ जीव-जंतुओं की लगभग 2,487 प्रजातियाँ हैं। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रसिद्ध 'रॉयल बंगाल टाइगर' यहाँ की जलीय परिस्थितियों के अनुकूल है। यह 'रॉयल बंगाल टाइगर' तैर भी सकता है।
- अन्य वन्यजीव प्रजातियाँ: छोटे पंख वाले एशियाई ऊदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, नेवला और रीसस बंदर।

हेलिकॉप्टर मनी Helicopter Money

हाल ही में COVID-19 के कारण प्रभावित हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारु रूप से गति देने के लिये 'हेलिकॉप्टर मनी' (Helicopter Money) जैसी अवधारणा चर्चा के केंद्र बिंदु में है।

प्रमुख बिंदु:

- यह (हेलिकॉप्टर मनी) एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को फिर से गति देना होता है।
- इसमें बड़ी धनराशि का मुद्रण किया जाता है और फिर इसे जनता में वितरित किया जाता है। जिससे अर्थव्यवस्था में माँग-आपूर्ति के मध्य एक संतुलन कायम होता है परिणामतः अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाती है।
- 'हेलिकॉप्टर मनी' की अवधारणा अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन (Milton Friedman) द्वारा दी गई है।
- यह मूल रूप से 'एक हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसा गिराने' को दर्शाता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने इस शब्द (हेलिकाप्टर मनी) का इस्तेमाल 'एक संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनः ट्रैक पर लाने के लिये अप्रत्याशित रूप से धन की डंपिंग' करने के लिये किया था।
- ◆ इस तरह की नीति के तहत केंद्रीय बैंक 'सरकार के माध्यम से धन की आपूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और माँग एवं मुद्रास्फीति को बढ़ाने के उद्देश्य से जनसंख्या में नई नकदी वितरित करता है।'

रवींद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती 159th Jayanti of Rabindranath Tagore

07 मई, 2020 को देशभर में रवींद्रनाथ टैगोर (Rabindranath Tagore) की 159वीं जयंती मनाई गई।

प्रमुख बिंदु:

- रवींद्रनाथ टैगोर (रोबिंद्रोनाथ ठाकुर) का जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता (अब कोलकाता) में 07 मई, 1861 को हुआ था।
- रवींद्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता देवेन्द्रनाथ टैगोर के पुत्र थे।
 - ◆ ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी के बंगाल में एक नया धार्मिक संप्रदाय था जिसने हिंदू धर्म के अंतिम अद्वैतवादी दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था।
 - ◆ ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय (भारतीय पुनर्जागरण के जनक) ने की थी।
 - ◆ राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर ने संभाली जो वर्ष 1842 में इसमें सम्मिलित हुए थे।
- रवींद्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ (Dwijendranath) एक दार्शनिक एवं कवि थे जबकि एक अन्य भाई सत्येंद्रनाथ पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें आल यूरोपियन-इंडियन सिविल सर्विस के लिये नियुक्त किया गया था।
- रवींद्रनाथ टैगोर को अन्य नामों भानु सिंह ठाकुर (भोनिता), गुरुदेव, कबीगुरु और बिस्वाकाबी के नाम से भी जाना जाता था। रवींद्रनाथ टैगोर एक नीतिज्ञ, कवि, संगीतकार, कलाकार एवं आयुर्वेद-शोधकर्ता भी थे।

- उन्होंने बंगाली साहित्य एवं संगीत के साथ-साथ 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकतावाद के साथ भारतीय कला का पुनरुत्थान किया।
- रवींद्रनाथ टैगोर के गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की 'ठुमरी शैली' से प्रभावित थे।

नोबेल पुरस्कार:

- रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्यरचना गीतांजलि के लिये वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले गैर-यूरोपीय थे। उनकी संवेदनशील एवं बेहतरीन कविता के लिये यह पुरस्कार दिया गया था।
- गीतांजलि की लोकप्रियता के कारण इसका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी आदि भाषाओं में अनुवाद किया गया।
- रवींद्रनाथ टैगोर की अन्य कृतियों में काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर आज भी लोकप्रिय कहानियाँ हैं।
- दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता:
- रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत (जन गण मन) और बांग्लादेश (आमार सोनार बांग्ला) का राष्ट्रगान लिखा है। वह ऐसा करने वाले एकमात्र कवि हैं।

भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में भूमिका:

- रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने गैर-भावुक और दूरदर्शी तरीके से समय-समय पर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में हिस्सा लिया और वे आधुनिक भारत के राजनीतिक पिता महात्मा गांधी के मित्र थे।
- ◆ किंतु रवींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रवाद तथा मानवता को लेकर वैचारिक मतभेद था। जहाँ महात्मा गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्त्व देते थे।
- ◆ रवींद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को 'महात्मा' की उपाधि दी थी।
- 16 अक्टूबर, 1905 को कोलकाता में रवींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षा बंधन उत्सव मनाया गया जिसने 'बंग-भंग आंदोलन' का मार्ग प्रशस्त किया। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया।
- वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रवींद्रनाथ टैगोर को 'नाइट हुड' की उपाधि दी थी किंतु 13 अप्रैल, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अपनी 'नाइट हुड' की उपाधि लौटा दी।
- ◆ गौरतलब है कि 'नाइट हुड' की उपाधि मिलने के बाद नाम के साथ 'सर' लगाया जाता है।
- 7 अगस्त 1947 को कलकत्ता में रवींद्रनाथ टैगोर का देहांत हो गया।
- एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार के रूप में तथा भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में रवींद्रनाथ टैगोर की अहम भूमिका रही है।

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस World Migratory Bird Day

इस वर्ष 9 मई को विश्व भर में 'विश्व प्रवासी पक्षी दिवस' (World Migratory Bird Day- WMBD) मनाया गया।

थीम:

- इस वर्ष 'विश्व प्रवासी पक्षी दिवस' का थीम 'पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं' (Birds Connect Our World) है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के खतरों (पारिस्थितिक महत्त्व एवं संरक्षण) के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता से वैश्विक जागरूकता उत्पन्न करना है।

प्रमुख बिंदु:

- इसे संयुक्त राष्ट्र की दो संधियों ['वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन' (Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals- CMS)] एवं 'अफ्रीकन-यूरोशियन वॉटरबर्ड एग्रीमेंट' (AEWA) और एक गैर-लाभकारी संगठन (एनवायरमेंट फॉर द अमेरिका-EFTA) के बीच एक सहयोगात्मक साझेदारी द्वारा मनाया जाता है।

अफ्रीकन-यूरोशियन वॉटरबर्ड एग्रीमेंट (AEWA):

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों के तत्वावधान में विकसित की गई है।
- इस संधि पर वर्ष 1996 में नीदरलैंड के हेग में हस्ताक्षर किये गए थे।
- पहली बार 'विश्व प्रवासी पक्षी दिवस' को वर्ष 2006 में मनाया गया था। यह दिवस वर्ष में दो बार (मई एवं अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को) मनाया जाता है।

नीला नदी की खोज Exploring River Nila

9 मई, 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) द्वारा आयोजित 'नीला नदी की खोज' (Exploring River Nila) शीर्षक पर 'देखो अपना देश' वेबिनार की 17वीं श्रंखला का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- इस श्रंखला में केरल में भरतपुञ्जा के रूप में विख्यात नदी निलासो (Nilaaalso) के तटीय क्षेत्रों के शहरों एवं गाँवों को प्रदर्शित किया गया।

भरतपुञ्जा नदी:

- भरतपुञ्जा केरल में पेरियार नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है।
- इसका उद्गम तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है।
- इसकी कुल लंबाई लगभग 250 किलोमीटर है। जहाँ तमिलनाडु राज्य में इसकी लंबाई 41 किलोमीटर वहीं केरल राज्य में लंबाई लगभग 209 किलोमीटर है।
- इस श्रंखला में वहाँ के स्थानीय भोजन, त्योहारों, कलाकृतियों, परंपराओं, प्रकृतिक संरक्षण, परितृश्य, विरासत तथा स्थानीय समुदाय के बारे में भी बताया गया है।
- इस वेबिनार में जिन स्थानों को प्रदर्शित किया गया है वे केरल के पलक्कड़, त्रिसूर एवं मलप्पुरम जिलों में स्थित हैं।

मिशन सागर MISSION SAGAR

10 मई, 2020 को COVID-19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरीशस, सेशल्स, मेडागास्कर एवं कोमोरोस देशों को सहायता पहुँचाने के लिये 'मिशन सागर' (MISSION SAGAR) प्रारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज 'केसरी' को हिन्द महासागरीय देशों में खाद्य वस्तुएँ, COVID-19 से संबंधित दवाएँ, विशेष आयुर्वेदिक दवाएँ एवं चिकित्सा सहायता दलों के साथ भेजा गया है।
- यह अभियान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय के साथ शुरू किया गया है।
- यह मिशन प्रधानमंत्री की 'सागर' (Security and Growth for All in the Region -SAGAR) पहल के अनुरूप है जो भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्त्व को रेखांकित करता है एवं मौजूदा संबंधों को और मजबूत करता है।

काला हिरण Blackbuck

हाल ही में महाराष्ट्र के गोंदिया शहर में दीवार से टकराने के कारण 'काला हिरण' (Blackbuck) की मौत हो गई।

प्रमुख बिंदु:

- काला हिरण (Blackbuck) जिसे 'भारतीय मृग' के रूप में भी जाना जाता है यह भारत के अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल एवं पाकिस्तान में भी पाया जाने वाला एक मृग है। इसे बांग्लादेश से विलुप्त घोषित किया जा चुका है।

- यह आंध्रप्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा का राजकीय पशु है।
- यह उन घास के मैदान एवं कम घने जंगलों में निवास करता है जहाँ जल की नियमित उपलब्धता होती है।
- यह मध्य एवं पश्चिमी भारत (मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं ओडिशा) और दक्षिणी भारत (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु) में पाया जाता है।
- राजस्थान का बिश्नोई समुदाय विश्व भर में 'काले हिरण' एवं चिंकारा के संरक्षण के लिये किये गए प्रयासों के लिये जाना जाता है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-I के तहत भारत में काला हिरण (Blackbuck) का शिकार निषिद्ध है।
- इसे 'अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ' (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की रेड लिस्ट में 'संकटमुक्त' (Least Concern) श्रेणी में रखा गया है।

गोपाल कृष्ण गोखले की 154वीं जयंती

154th Birth Anniversary of Gopal Krishna Gokhale

09 मई, 2020 को देशभर में स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले (Gopal Krishna Gokhale) की 154वीं जयंती मनाई गई।

प्रमुख बिंदु:

- गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता एवं समाज सुधारक थे।
- गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई, 1866 को महाराष्ट्र (तब बंबई प्रेसीडेंसी का हिस्सा) के रत्नागिरी जिले में हुआ था।
- गोखले ने वर्ष 1884 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक किया। अंग्रेजी शिक्षा ने उन्हें पश्चिमी राजनीतिक विचारों से अवगत कराया परिणामतः वे 'जॉन स्टुअर्ट मिल' और एडमंड बर्क जैसे सिद्धांतकारों के महान प्रशंसक बन गए।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका:

- गोखले वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के सदस्य बने और एक प्रमुख समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे के प्रभाव में आए।
- वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के बनारस अधिवेशन के लिये गोखले को अध्यक्ष पद के लिये चुना गया था यह वह समय था जब लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 'नरमपंथियों' और 'अतिवादियों' के समूह के बीच मतभेद पैदा हो गए। और वर्ष 1907 में कॉन्ग्रेस सूरत अधिवेशन में दोनों गुट अलग हो गए।
- वर्ष 1899-1902 के दौरान वह बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य थे और वर्ष 1902-1915 तक 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' में कार्य किया।
- गोखले ने वर्ष 1909 के 'मार्ले-मिंटो सुधार' को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती भाषा में एक पुस्तक 'धर्मात्मा गोखले' लिखी।

शिक्षा एवं समाज सुधारक के रूप में:

- उन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिये वर्ष 1905 में 'सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी' की स्थापना की।
- वह महादेव गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई 'सार्वजनिक सभा पत्रिका' से भी जुड़े थे।
- वर्ष 1908 में गोखले ने 'रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ़ इकोनॉमिक्स' की स्थापना की।
- उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 'द हितवाद' शुरू किया।
- गोखले की विचारधारा सामाजिक सशक्तीकरण, शिक्षा के विस्तार, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिये प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी तरीकों के इस्तेमाल को खारिज करने पर आधारित थी।

29वाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 29th National Technology Day

भारत ने 11 मई, 2020 को अपना 29वाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (National Technology Day) मनाया।

- इस दिवस को पहली बार 11 मई, 1999 को मनाया गया था।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण करना है।

प्रमुख बिंदु:

- इस दिवस को शुरु कराने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका थी।
- प्रत्येक वर्ष इस दिन को 'टेक्नोलॉजी डवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया' (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय) भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिये व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित करने के रूप में मनाता है।
- इस वर्ष का मुख्य फोकस 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को रिबूट करना' है।

महत्त्व:

- यह वह दिन है जब भारत ने 11 मई, 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।
- ◆ भारत ने पोखरण-2 जिसे 'ऑपरेशन शक्ति' (Operation Shakti) भी कहा जाता है, नामक ऑपरेशन में 'शक्ति-1 परमाणु मिसाइल' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।
- ◆ यह मई 1974 में पोखरण-I के 'ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा' के बाद दूसरा परीक्षण था।

अटल पेंशन योजना Atal Pension Yojana

भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना 'अटल पेंशन योजना' (Atal Pension Yojana) ने सफल कार्यान्वयन के पाँच वर्ष पूरे कर लिये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इस योजना की शुरुआत 9 मई, 2015 को की गई थी। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है।
- अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
- इस योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है, यह योजना भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चुनौतियों के समाधान के लिये अभी भी प्रासंगिक है।
- इस योजना को पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया गया है जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना से जुड़ने वालों में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात 57:43 का है।
- इस योजना को 'पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण' (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) द्वारा प्रशासित या संचालित किया जाता है।

स्वस्थ वायु SwasthVayu

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) की 'नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरी' ने महज 36 दिन के रिकार्ड समय में COVID-19 से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिये एक 'नान-इनवेसिव बीपैप (बाई लेवल पॉजिटिव एयर वे प्रेशर-BiPAP) वेंटिलेटर' 'स्वस्थ वायु' (SwasthVayu) विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक वेंटिलेटर मशीन है जो गंभीर रूप से असमर्थ रोगी द्वारा सांस लेने वाली हवा को फेफड़ों के अंदर एवं बाहर ले जाने के लिये 'यांत्रिक वेंटिलेशन' प्रदान करती है।

- 'नान-इनवेसिव बीपैप (बाई लेवल पॉजिटिव एयर वे प्रेशर- BiPAP) वेंटीलेटर' एक माइक्रोकंट्रोलर आधारित सटीक 'क्लोज-लूप एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम' (Closed-Loop Adaptive Control System) है।
- इसमें 'अत्यधिक कुशल पार्टिकुलेट एयर फिल्टर' (HEPA) तथा '3D प्रिंटेड मैनीफोल्ड एंड कपलर' का उपयोग किया गया है।

महत्त्व:

- इस वेंटीलेटर मशीन का सबसे अधिक लाभ यह है कि इसके इस्तेमाल के लिये किसी स्पेशल नर्सिंग की आवश्यकता नहीं है और इसे किसी वार्ड, अस्थायी अस्पताल या डिस्पेंसरी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है साथ ही नर्सिंग स्टाफ को इसके लिये प्रशिक्षित करने की भी जरूरत नहीं है।
- इसे स्वदेशी उपकरण एवं तकनीक से तैयार किया गया है। इसे 'राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories-NABL) की मान्यता प्राप्त एजेंसियों ने प्रमाणित किया है।

सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रूमाल Sohrai Khovar Painting and Telia Rumal

12 मई, 2020 को झारखंड की 'सोहराई खोवर पेंटिंग' (Sohrai Khovar Painting) और तेलंगाना के 'तेलिया रूमाल' (Telia Rumal) को 'भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री' (Geographical Indications Registry) द्वारा 'भौगोलिक संकेतक' (जीआई) टैग दिया गया।

प्रमुख बिंदु:

- ◆ 'सोहराई खोवर पेंटिंग' झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी-समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है।
 - यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रचलित है। हालाँकि हाल के वर्षों में इसके प्रचार-प्रसार के कारण इसे झारखंड के अन्य हिस्सों में भी निर्मित किया जा रहा है।
 - इसे परंपरागत रूप से मिट्टी के घरों की दीवारों पर चित्रित किया जाता था किंतु अब इसे अन्य सतहों पर भी चित्रित किया जाता है।
 - इस चित्रकला में लाइनों, बिंदुओं, जानवरों के चित्रों एवं पेड़-पौधों को प्रमुख स्थान दिया जाता है जो अक्सर 'धार्मिक प्रतिमा-विधा' (Religious Iconography) का प्रतिनिधित्व करती है।
- ◆ 'तेलिया रूमाल' को सूती कपड़े में जटिल हस्तनिर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसमें तीन विशेष रंगों (लाल, काले व सफेद) में विभिन्न प्रकार के डिजाइन एवं रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है।
 - आजादी मिलने से पहले हैदराबाद के निजाम के दरबार में कार्य करने वाले अधिकारी चितुकी तेलिया रूमाल (Chituki Telia Rumal) को प्रमुख प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में पहनते थे।
 - तेलिया रूमाल को राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी चढ़ाया जाता है।

COVID चटाई COVID Mat

हाल ही में केरल सरकार ने बताया कि रोगजनकों (जैसे- वायरस, बैक्टीरिया आदि) को घरों, कार्यालयों, दुकानों एवं संस्थानों में प्रवेश करने से रोकने के लिये 'केरल स्टेट कोइर कॉरपोरेशन' (Kerala State Coir Corporation) जल्द ही 'COVID चटाई' (COVID Mat) लॉन्च करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- 'केरल स्टेट कोइर कॉरपोरेशन' ने इस चटाई के तीन मॉडल पेश किये हैं जिन्हें 'श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी' द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

- ◆ 'COVID चटाई' को तैयार करने के लिये रबर या प्लास्टिक से बने होल्डिंग ट्रे में फाइबर मैट/बीसी20 मैट को लगाया जाएगा और कीटाणुनाशक को संतृप्त होने तक चटाई पर डाला जाएगा।
- जब कोई व्यक्ति नंगे पैर या जूता पहने हुए चटाई पर कदम रखेगा तो कीटाणुनाशक उसे साफ कर देगा। 'COVID चटाई' पर पानी एवं कीटाणुनाशक को प्रत्येक तीन दिन में बदलना होगा।
- इस चटाई के विकास में 'राष्ट्रीय कोइर अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान' (National Coir Research and Management Institute) 'केरल स्टेट कोइर कॉरपोरेशन' की मदद कर रहा है।

राष्ट्रीय कोइर अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान'

(National Coir Research and Management Institute- NCRMI):

- NCRMI एक ऐसा संगठन है जो कोइर (नारियल रेशे) के पारंपरिक क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की खोज कर रहा है।
- इसे वर्ष 1994 में केरल के कोइर क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये C-DOCT नाम से स्थापित किया गया था।
- यह त्रावणकोर-कोचीन साहित्यिक वैज्ञानिक एवं धर्मार्थ सोसायटी अधिनियम, 1956 (Travancore-Cochin Literary Scientific and Charitable Societies Act 1956) के तहत पंजीकृत है।

पराबैंगनी कीटाणुनाशक विकिरण Ultraviolet Germicidal Irradiation

वैज्ञानिकों ने स्कूलों, रेस्त्रां एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में कोरोनावायरस का पता लगाने के लिये 'पराबैंगनी कीटाणुनाशक विकिरण' (Ultraviolet Germicidal Irradiation-UVGI) के उपयोग का अध्ययन कर रहे हैं।

- इस प्रक्रिया के माध्यम से पराबैंगनी किरणें वायरस के संचरण को रोकने तथा दूषित सार्वजनिक स्थानों को कीटाणुरहित करने में सक्षम होगी।

प्रमुख बिंदु:

- पराबैंगनी किरणों में दृश्य प्रकाश की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य होता है इसलिए ये नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती हैं।
- पराबैंगनी विकिरण स्पेक्ट्रम को UV-A, UV-B एवं UV-C किरणों में विभाजित किया जा सकता है। इस स्पेक्ट्रम में UV-C किरणें सबसे अधिक हानिकारक हैं और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली जाती हैं।
- मानव शरीर के लिये UV-A और UV-B दोनों किरणें हानिकारक हैं किंतु UV-B किरणों के संपर्क में रहने वाले जीवों में डीएनए एवं सेलुलर क्षति हो सकती है।
- ◆ इसके संपर्क में आने से कोशिकाओं को नुकसान पहुँचता है जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है।
- UVGI दूषित स्थानों, हवा और पानी में रोगजनकों को नष्ट करने के लिये पराबैंगनी प्रकाश के 'विनाशकारी गुणों' का उपयोग करता है।

टोडा जनजाति Toda Tribe

COVID-19 के मद्देनजर नीलगिरी क्षेत्र के टोडा (Toda) कारीगर, लोगों को संक्रमण से बचाने के लिये मास्क बनाने में अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- टोडा जनजाति (Toda Tribe) दक्षिणी भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है।
- टोडा भाषा का संबंध द्रविड़ियन भाषा परिवार है किंतु यह द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे असामान्य एवं अलग है।
- ये लोग तीन से सात सदस्यों के समूह में छोटे घरों वाली बस्तियों में रहते हैं।
- इनकी आजीविका डेयरी उत्पाद, बेंत एवं बाँस आदि के पारंपरिक व्यापार पर निर्भर है।

टोडा कढ़ाई (Toda Embroidery):

- टोडा भाषा में इस कढ़ाई को 'पोहर' (Pohor) कहा जाता है। जबकि पारंपरिक टोडा पोशाक एक विशिष्ट शॉल है जिसे 'पुटकुली' (Putukuli) कहा जाता है।
 - यह एक भव्य परिधान माना जाता है इसे केवल विशेष अवसरों के लिये पहना जाता है जैसे- मंदिर, त्योहारों एवं अंत में कफन के रूप में।
 - यह कढ़ाई टोडा महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और इसमें रूखे सफेद सूती कपड़े पर ज्यामितीय डिजाइनों में विशिष्ट लाल एवं काले (कभी-कभी नीले) धागे का प्रयोग होता है।
- इसे भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली Sample Registration System

10 मई, 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India) द्वारा 'नमूना पंजीकरण प्रणाली' (Sample Registration System) बुलेटिन जारी किया गया है। यह वर्ष 2018 के लिये राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के एकत्रित आँकड़ों पर आधारित है।

राष्ट्रीय जन्म दर (National Birth Rate):

- वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर (National Birth Rate) 20 थी जबकि वर्ष 1971 में यह 36.9 थी।
- ◆ गौरतलब है कि जन्म दर को प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मे बच्चों की कुल संख्या से दर्शाया जाता है।
- जन्म दर के संदर्भ में बिहार (26.2) पहले पायदान पर बना हुआ है जबकि अंडमान एवं निकोबार (11.2) सबसे निचले पायदान पर है।
- ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय जन्म दर के संदर्भ में ग्रामीण-शहरी अंतर भी कम हुआ है। हालाँकि पिछले चार दशकों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर लगातार बढ़ी है।
- पिछले दशक में जन्म दर में लगभग 11 फीसदी की गिरावट (जो वर्ष 2009 में 22.5 से वर्ष 2018 में 20.0 थी) आई है।

मृत्यु दर (Death Rate):

- वर्ष 1971 में मृत्यु दर 14.9 थी जबकि वर्ष 2018 में यह 6.2 थी।
- ◆ गौरतलब है कि मृत्यु दर को प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु की कुल संख्या से दर्शाया जाता है।
- भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मृत्यु दर सबसे अधिक है जबकि दिल्ली में सबसे कम है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर में कमी आई है।
- पिछले एक दशक में अखिल भारतीय स्तर पर मृत्यु दर 7.3 से घटकर 6.2 रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरावट 7.8 से 6.7 और शहरी क्षेत्रों में 5.8 से 5.1 हुई है।

शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate):

- वर्ष 2018 में शिशु मृत्यु दर 32 है जबकि वर्ष 1971 में यह 129 थी।
- ◆ गौरतलब है कि शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु है। जिसे प्रति 1000 जन्म पर एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल संख्या से दर्शाया जाता है।
- देश में शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति मध्य प्रदेश (48) की है जबकि सबसे अच्छी स्थिति नागालैंड (4) की है।
- पिछले 10 वर्षों में शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 32% की गिरावट दर्ज की गई है।
- अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर पिछले एक दशक में 50 से घटकर 32 हो गई है।

स्परुलिना ग्राउंडनट चिक्की Spirulina Groundnut Chikki

हाल ही में मैसूर स्थित 'केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान' (Central Food Technological Research Institute- CFTRI) ने 'स्परुलिना ग्राउंडनट चिक्की' (Spirulina Groundnut Chikki) विकसित की है जो COVID-19 महामारी के समय लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान कर सकती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक स्रैक है जो अच्छे सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है।
- चिक्की को तैयार करने के लिये स्परुलिना के साथ-साथ स्वादिष्ट एवं पौष्टिक मूंगफली का उपयोग किया गया है जो विटामिन ए, β -कैरोटीन एवं आसानी से पचने वाले एल्गल प्रोटीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है।
- CFTRI के अन्य पौष्टिक स्रैक्स जैसे- 'न्यूट्री मैंगो फ्रूट बार' और 'इलायची फ्लेवर पेयजल' भी प्रवासी मजदूरों को खाद्य पदार्थों के रूप में दिये जाने के लिये तैयार किया है।
 - ◆ 'न्यूट्री मैंगो फ्रूट बार' मनुष्य शरीर की प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने के लिये कार्बोहाइड्रेट, कैरोटीन, विटामिन C एवं जस्ते जैसे खनिज-पदार्थों से समृद्ध है।
 - ◆ 'इलायची फ्लेवर पेयजल' में पारंपरिक जड़ी बूटियों के साथ प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण सम्मिलित हैं।

स्परुलिना (Spirulina):

- स्परुलिना एक ऐसा जीव है जो ताजे एवं खारे जल दोनों में बढ़ता है।
- यह एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है जो एकल-कोशिका वाले रोगाणुओं का एक परिवार है जिसे अक्सर 'नीले-हरे शैवाल' के रूप में जाना जाता है।
- इसका उपयोग आहार पूरक या भोजन के रूप में किया जाता है। इसे जलीय कृषि, मछलीघर और मुर्गीपालन उद्योगों में एक भोजन के पूरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
- सामान्य पौधों की तरह साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है।

राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र National Centre for Polar and Ocean Research

गोवा स्थित 'राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र' (National Centre for Polar and Ocean Research- NCAOR) COVID-19 महामारी से निपटने में अपना योगदान दे रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- NCPOR के वैज्ञानिकों एवं रिसर्च स्कॉलर्स ने COVID-19 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को मानते हुए उचित सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए विभिन्न प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक कार्य किये हैं।
- NCPOR के वैज्ञानिक/अनुसंधान विद्वान विभिन्न शोध क्षेत्र से संबंधित शोध पत्रों को पढ़ने के लिये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि का उपयोग कर सकते हैं जिससे आगामी दिनों में अच्छी संख्या में शोध प्रकाशनों की उम्मीद जताई जा रही है।

राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र**(National Centre for Polar and Ocean Research- NCAOR):**

- 'राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र' (NCPOR) का गठन एक स्वायत्तशासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में किया गया था।
- यह केंद्र गोवा में स्थित है।
- यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह ध्रुवीय एवं दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिये जिम्मेदार संस्थान है।
- इसको अंटार्कटिका में भारत के स्थायी स्टेशन (मैत्री एवं भारती) के रखरखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिये नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है।

साल वन कछुआ Sal Forest Tortoise

देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) के पारिस्थितिकीविदों द्वारा किये गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 'साल वन कछुओं' (Sal Forest Tortoise) का 90% से अधिक वितरण वर्तमान संरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के बाहर मौजूद है।

प्रमुख बिंदु:

- इस अध्ययन में बांग्लादेश, भूटान एवं नेपाल के साथ भारत के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है।
- अध्ययन में पाया गया कि पूर्वोत्तर भारत में संरक्षित क्षेत्रों (जैसे- भंडार, अभयारण्य आदि) में 'साल वन कछुओं' का प्रतिनिधित्व कम-से-कम है।
- इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि इन प्रजातियों के अनुमानित वितरण का 29% उच्च घटना वाले वनाग्नि क्षेत्रों के अंतर्गत आता है।
 - ◆ यह प्रजाति पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि वाले क्षेत्रों में निवास करती है।
 - ◆ इस क्षेत्र के वनों में आग लगने से न केवल इनकी मौत हो सकती है बल्कि इनकी बस्तियों को भी नुकसान हो सकता है।
- IUCN के अनुसार, आने वाले 90 वर्षों में इन प्रजातियों की आबादी लगभग 80% तक गिर सकती है।

साल वन कछुआ (Sal Forest Tortoise):

- इसे 'Elongated Tortoise' एवं 'Yellow Tortoise' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह दक्षिण-पूर्व एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है।
- इसका शिकार भोजन, अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार तथा स्थानीय उपयोग जैसे- सजावटी मुखौटे के लिये किया जाता है।
- चीन में इस कछुए के खोल को पीसकर बनाया गया मिश्रण एक कामोत्तेजक के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है।
- इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-IV में रखा गया है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त'(Critically Endangered) श्रेणी में रखा गया है।

सीओबीएएस 6800 परीक्षण मशीन COBAS 6800 Testing Machine

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (Union Minister of Health & Family Welfare) ने 14 मई, 2020 को 'राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र' (National Centre for Disease Control) का दौरा किया और 'सीओबीएएस 6800 परीक्षण मशीन' (COBAS 6800 Testing Machine) राष्ट्र को समर्पित की।

प्रमुख बिंदु:

- यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा COVID-19 मामलों के परीक्षण के लिये खरीदा गया है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है।
- 'सीओबीएएस 6800 परीक्षण मशीन' 24 घंटों में लगभग 1200 नमूनों का सटीक परीक्षण कर सकेगी। यह परीक्षण प्रक्रिया में कमी लाने के साथ जाँच क्षमता में व्यापक वृद्धि करेगी।
- 'सीओबीएएस 6800' में रोबोटिक्स तकनीकी का प्रयोग किया गया है जो संदूषण की संभावना को कम करता है तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में संक्रमण के जोखिम को न्यूनतम करता है क्योंकि इसे सीमित मानव हस्तक्षेपों के साथ दूर से संचालित किया जा सकता है।
 - ◆ चूँकि मशीन को परीक्षण के लिये न्यूनतम 'बायोसेफ्टी लेवल टू प्लस' (BSL2+) नियंत्रण स्तर की आवश्यकता होती है इसलिए इसे किसी भी विशेष सुरक्षा के साथ ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- 'COBAS 6800' अन्य रोगजनकों जैसे- वायरल हेपेटाइटिस B&C, HIV, MTB (रिफैम्पिसिन एवं आइसोनियाजाइड रेसिस्टेंस), पैपिलोमा, CMV, क्लैमाइडिया, नैसरेईया आदि का पता भी लगा सकती है।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

National Institute of Pharmaceutical Education and Research

हाल ही में देशभर के विभिन्न 'राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान' (National Institute of Pharmaceutical Education and Research- NIPER) ने COVID-19 से संबंधित विभिन्न शोधकार्य संपन्न किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 'राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान' (National Institute of Pharmaceutical Education and Research- NIPER) द्वारा COVID-19 से संबंधित बड़ी संख्या में बहुआयामी शोध प्रस्ताव अनुमोदन के लिये संबंधित एजेंसियों को प्रस्तुत किये गए हैं।
- इन प्रस्तावों के प्रमुख विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं-
 - ◆ NIPER, मोहाली द्वारा एंटीवायरल एजेंट को लक्षित करने वाले प्रोटीज का डिजाइन।
 - ◆ NIPER, (मोहाली एवं रायबरेली) द्वारा 'खाद्य एवं औषधि प्रशासन' (Food and Drug Administration- FDA) से अनुमोदित दवा-डेटाबेस का उपयोग करके कम्प्यूटेशनल रूप से निर्देशित दवा-पुनर्प्रयोजन।
 - ◆ NIPER, मोहाली द्वारा रेमेड्सविर के ड्रग रूपांतरण के लिये प्रो-ड्रग का विश्लेषण।
 - ◆ NIPER, हैदराबाद द्वारा बीमार रोगियों के लिये सहायक चिकित्सा आधारित नाक स्प्रे (Nasal Spray)।
 - ◆ NIPER, हैदराबाद द्वारा COVID-19 के मरीजों के लिये क्वॉंटम-डॉट एवं चालकता आधारित बायो-सेंसर विकसित करना।
 - ◆ COVID-19 के कारण पड़ने वाले दिल के दौरों को नियंत्रित करने के लिये एक विशेष अध्ययन।
- इसके साथ ही NIPER, रायबरेली ने पारंपरिक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली जड़ी बूटियों का उपयोग करके 'नए इम्युनो-बूस्टर फॉर्मूलेशन' के विकास में आईआईटी एवं अन्य औद्योगिक साझेदार के साथ एक मेगा परियोजना शुरू की है।
- NIPER, कोलकाता CSIR-CECRI एवं एक निजी निर्माता के सहयोग से कम लागत वाला एक स्वदेशी एवं प्रभावी आईसीयू वेंटीलेटर तैयार करने पर काम कर रहा है।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

(National Institute of Pharmaceutical Education and Research- NIPER):

- NIPER, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधीन राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान है। ऐसे सात संस्थान (अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, मोहाली एवं रायबरेली) में कार्य कर रहे हैं।
- NIPER, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में पहला राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, जिसका उद्देश्य फार्मास्यूटिकल साइंस में उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये उत्कृष्टता का केंद्र बनना है।
- इन संस्थानों में न केवल देश के भीतर बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया एवं अफ्रीकी देशों में भी औषधि विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है।
- NIPER, 'एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज' एवं 'एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज' का सदस्य है।

समर्थ SAMARTH

हाल ही में 'इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग' (Enterprises Resource Planning- ERP) 'समर्थ' (SAMARTH) को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित 'तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (Technical Education Quality Improvement Program- TEQIP) के तहत भाग लेने वाली इकाई है।

उद्देश्य:

- इस पहल का उद्देश्य संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है।

मिशन:

- इसका मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) ने 'सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन योजना (National Mission of Education in Information and Communication Technology Scheme- NMEICT) के तहत एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म 'समर्थ' (SAMARTH) विकसित किया है।
- 'समर्थ' सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों को एक 'ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, सुरक्षित, मापनीय एवं विकासवादी प्रक्रिया स्वचालन यंत्र है।
- यह विश्वविद्यालय/उच्च शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- इसके तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र में 38 मॉड्यूल (ऑरगैनिग्राम, संगठनात्मक इकाई, उपयोगकर्ता, कर्मचारी प्रबंधन, आईटीआई प्रबंधन, कानूनी मामलों के प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन, संपदा प्रबंधन, शुल्क प्रबंधन, विक्रेता के बिल को खोजना, अनुसंधान परियोजना प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं नियोजन, छात्रावास प्रबंधन, खेल सुविधा प्रबंधन आदि) लागू किये गए हैं।
- 'समर्थ' के माध्यम से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र में बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से सूचना के निर्बाध उपयोग एवं विभिन्न उद्देश्यों के लिये इसके उपयोग से यहाँ के विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

प्रशामक देखभाल Palliative Care

विश्व भर में अप्रत्याशित एवं अभूतपूर्व महामारी COVID-19 के कारण अब 'प्रशामक देखभाल' (Palliative Care) जैसी अवधारणा पर चर्चा होने लगी है।

प्रमुख बिंदु:

- प्रशामक (Palliative) देखभाल उन लोगों की स्वास्थ्य देखभाल का एक विशेष रूप है जिनको गंभीर बीमारी है। इस तरह की देखभाल आमतौर पर तनाव एवं कुछ बीमारियों के लक्षणों से राहत प्रदान करने के लिये होती है।
 - ◆ यह देखभाल रोगियों द्वारा उनकी एवं उनके परिवार की आजीविका में सुधार करने के लिये की गई है।
- COVID-19 महामारी के कारण न केवल लोगों को शारीरिक नुकसान हुआ है बल्कि उनकी भावनात्मक एवं सामाजिक पीड़ा में भी वृद्धि हुई है।
 - ◆ इस पीड़ा में भय, चिंता, अनिश्चितता, प्रियजनों की पीड़ा एवं सामाजिक संकट जैसे- बेरोजगारी, कार्य एवं अन्य स्थानों पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने में असमर्थता, कुंठा, घर पर लंबे समय तक रहना आदि शामिल हैं।

प्रशामक देखभाल (Palliative Care):

- 'पल्लिएट'(Palliate) शब्द का शाब्दिक अर्थ 'भौतिक एवं भावनात्मक दर्द को कम करना' है अर्थात् 'दुख से राहत'। यहाँ 'दुख' का शाब्दिक अर्थ है 'कष्ट, संकट या कष्ट के दौर से गुजरना'।
- यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो रोगियों एवं उनके परिवारों में बीमारी से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।
- इसमें शुरुआती पहचान एवं दर्द के मूल्यांकन तथा दर्द के उपचार के माध्यम से कष्टों की रोकथाम व राहत शामिल है।
- यह एक प्रकार की चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें दर्द, सांस लेने में कठिनाई एवं पुरानी बीमारियों के कारण दिखाई देने वाले शारीरिक लक्षणों के उपचार शामिल हैं।
- यह किसी भी रोगी में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिये एक 'संपूर्ण व्यक्ति' (Whole Person) दृष्टिकोण है।

- प्रशामक देखभाल प्रशिक्षित डॉक्टरों, विशेषज्ञों एवं नर्सों द्वारा प्रदान की जाती है जो इस क्षेत्र में विशिष्ट हैं। यह उपचार किसी गंभीर बीमारी से गुजरने के बाद किसी भी अवस्था में उपलब्ध है या इसे उपचार के साथ-साथ प्रदान भी किया जाता है।
- 'प्रशामक देखभाल' COVID-19 प्रकोप के मनोसामाजिक (Psychosocial) प्रभावों का मुकाबला करने के लिये एक आशाजनक दृष्टिकोण है। इसका उपयोग भारत में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढाँचे में सुधार हेतु आवश्यक उपायों को निर्धारित करने के लिये एक उदाहरण के रूप में कर सकते हैं।

सचेत SACHET

15 मई, 2020 को भारत के रक्षा मंत्री ने देश में ही बनाए गए तटरक्षक बल के एक गश्ती जहाज 'सचेत' (SACHET) और दो इंटरसेप्टर नौकाओं (C-450 एवं C-451) को राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु:

- सचेत का डिजाइन एवं निर्माण 'गोवा शिपयार्ड लिमिटेड' द्वारा किया गया है, इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।
- भारतीय तटरक्षक जहाज 'सचेत' पाँच 'अपतटीय गश्ती जहाजों' (Offshore Patrol Vessels) की श्रृंखला में पहला पोत है।
- 105 मीटर लंबे पोत 'सचेत' का वजन लगभग 2,350 टन है और यह 9,100 किलोवाट के दो डीजल इंजनों द्वारा संचालित होता है जिन्हें 6,000 नॉटिकल मील की सहनशक्ति के साथ 26 समुद्री मील (नॉट) की अधिकतम गति से चलने योग्य बनाया गया है।
- यह पोत तीव्र तलाशी एवं बचाव अभियानों के लिये दोहरे इंजन वाले एक हेलिकॉप्टर, उच्च गति वाली चार नौकाओं आदि को ले जाने में सक्षम है। यह समुद्र में तेल फैलने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिये 'सीमित प्रदूषण रोधी उपकरण' ले जाने में भी सक्षम है। इंटरसेप्टर नौकाएँ (C-450 एवं C-451):
- इंटरसेप्टर नौकाओं (C-450 एवं C-451) को हजीरा स्थित 'लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड' द्वारा देश में ही डिजाइन एवं निर्मित किया गया है और ये नवीनतम नौवहन तथा संचार उपकरणों से सुसज्जित हैं।
- 30 मीटर लंबी ये नौकाएँ 45 समुद्री मील (नॉट) से भी तेज़ गति से चलने में सक्षम हैं। इन्हें उच्च गति अवरोधन तट के निकट गश्ती एवं कम तीव्रता के समुद्री अभियानों के लिये तैयार किया गया है।
- इंटरसेप्टर नौकाओं की त्वरित जवाबी कार्रवाई क्षमता किसी भी उभरती समुद्री परिस्थिति से निपटने और उसे विफल करने की दृष्टि से इसे एक आदर्श प्लेटफॉर्म बनाती है।

महत्त्व:

- तटरक्षक बल के बड़े में शामिल होने पर इन पोतों को राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिये विशेष रूप से 'विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र' (Exclusive Economic Zone) की निगरानी, तटीय सुरक्षा आदि के लिये उपयोग में लाया जाएगा।
- ये पोत भारतीय प्रधानमंत्री के विज़न 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा एवं विकास) को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वच्छ समुद्र के साथ देश के लिये आर्थिक अवसर प्रदान करेंगे।

गौरतलब है कि भारतीय तटरक्षक बल विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। यह न केवल हमारे समुद्र तट एवं तटीय समुदाय की रक्षा करता है बल्कि आर्थिक गतिविधियों एवं 'विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र' (EEZ) में समुद्री पर्यावरण की भी रक्षा करता है।

इंजेक्टैबल सिल्क फाइब्रोइन-आधारित हाइड्रोजेल

Injectable Silk-Fibroin Based Hydrogel

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान 'जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च' (JNCASR) के वैज्ञानिकों ने मधुमेह रोगियों में इंसुलिन वितरण के लिये 'इंजेक्टैबल सिल्क फाइब्रोइन-आधारित हाइड्रोजेल' (Injectable Silk-Fibroin Based Hydrogel) विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'फाइब्रोइन-आधारित हाइड्रोजेल' को बायोकंपैटिबल एडिटिव्स (Biocompatible Additives) का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह विकसित हाइड्रोजेल मधुमेह रोगियों में इंसुलिन के वितरण को आसान करेगा। इस जेल को पहली बार चूहों में परीक्षण के तौर पर प्रयोग किया गया था जो सफल रहा था। और इसके विवरण को 'एसीएस एप्लाइड बायो मटेरियल' (ACS Applied Bio Material) पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।
- JNCASR के वैज्ञानिकों ने बताया है कि मधुमेह वाले चूहों में उनकी त्वचा के नीचे आईएसएफएच (Injectable SF hydrogel-iSFH) युक्त इंसुलिन के इंजेक्शन ने त्वचा के नीचे सक्रिय डिपो/भंडार का गठन किया जिसमें से इंसुलिन धीरे-धीरे बाहर निकलता है और 4 दिनों की लंबी अवधि के लिये 'शारीरिक ग्लूकोज होमियोस्टेसिस' (Physiological Glucose Homeostasis) को बहाल रखता है। जिससे रक्त में इंसुलिन की उच्च सांद्रता बढ़ने से रक्त शर्करा के अचानक कम होने का कोई जोखिम नहीं होता है।

फाइब्रोइन:

- फाइब्रोइन एक अधुलनशील प्रोटीन है। कच्चे रेशम में दो प्रोटीन होते हैं जिन्हें सेरिसिन (Sericin) एवं फाइब्रोइन (Fibroin) कहा जाता है। रेशेदार कृमि द्वारा फाइब्रोइन का उत्पादन किया जाता है। इसमें तीन श्रंखलायें और हल्के एवं भारी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं।

हाइड्रोजेल:

- एक हाइड्रोजेल बहुलक श्रंखलाओं का एक नेटवर्क है। ये पॉलीविनाइल अल्कोहल, एक्रिलेट बहुलक (Acrylate Polymers) और सोडियम पॉलीक्रिलेट (Sodium Polyacrylate) एवं सहबहुलकों (Copolymers) से बने होते हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत में मधुमेह से 70 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं जो विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। मधुमेह शरीर में बीटा कोशिकाओं के नुकसान या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के परिणामस्वरूप होता है जो ग्लूकोज होमियोस्टेसिस में असंतुलन पैदा करता है और रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि का कारण बनता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस-2020 International Day of Families-2020

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस (International Day of Families) मनाया जाता है।

उद्देश्य:

- इस परिवार दिवस का उद्देश्य बड़े पैमाने पर परिवार प्रणालियों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है।
थीम:
● अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस-2020 का थीम 'Families in Development: Copenhagen & Beijing + 25' है।
◆ गौरतलब है कि कोपेनहेगन घोषणा और 'बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन' (Copenhagen Declaration and Beijing Platform for Action) की इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ है।

कोपेनहेगन घोषणा और 'बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन'**(Copenhagen Declaration and Beijing Platform for Action) :**

- वर्ष 1995 में, बीजिंग और कोपेनहेगन के सम्मेलनों ने हमारे सामाजिक विकास में परिवार एवं इसकी भूमिका के महत्त्व को प्रस्तावित किया और परिवार में सभी व्यक्तियों की भलाई के लिये एक पहल के रूप में अपने विश्वव्यापी मापदंडों को निर्दिष्ट करने पर सहमति व्यक्त की।
- वर्ष 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक विकास के विश्व शिखर सम्मेलन में विश्व के राष्ट्रों ने लोगों को विकास के केंद्र में रखने की आवश्यकता पर एक नई सहमति बनाई और कोपेनहेगन घोषणा को अपनाया।
- बीजिंग घोषणा, वर्ष 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन (बीजिंग) के अंत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया एक संकल्प है। यह संकल्प पुरुषों एवं महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने पर आधारित था।

इतिहास:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुनियादी परिवार प्रणाली के महत्त्व को महसूस करते हुए वर्ष 1993 में 15 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस' के रूप में घोषित किया और सबसे पहले इसे 15 मई, 1994 को मनाया गया था। परिवार प्रणाली सामाजिक एकजुटता और शांत समाज का सबसे आवश्यक तत्व है।

दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना Dibang Multipurpose Project

हाल ही में वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee) ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में दिबांग परियोजना पर अपना निर्णय टाल दिया है।

- गौरतलब है कि इस परियोजना में 6 वर्ष से अधिक की देरी हो चुकी है क्योंकि इस परियोजना के निर्माण की वजह से समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र में 1,165 हेक्टेयर जंगल हटाने की आवश्यकता पड़ेगी।

प्रमुख बिंदु:

- इसे भंडारण-आधारित जल विद्युत परियोजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ को संतुलित करना है।
- यह भारत में निर्मित होने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इस बांध की ऊँचाई 278 मीटर है और एक बार पूरा होने जाने के बाद यह भारत का सबसे ऊँचा बांध होगा।
- यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर स्थित है।
- इस परियोजना की आधारशिला 31 जनवरी, 2008 को पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा रखी गई थी।

वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee):

- वन सलाहकार समिति (FAC) एक शीर्ष निकाय है, जो औद्योगिक गतिविधियों के लिये वनों में पेड़ों की कटाई की अनुमति पर निर्णय लेता है।
- वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee-FAC) केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MOEF&CC) के अंतर्गत काम करती है जिसमें केंद्र के वानिकी विभाग के स्वतंत्र विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होते हैं।

नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन National Innovation Foundation

हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) के एक स्वायत्तशासी निकाय 'नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन' (National Innovation Foundation- NIF) ने 'चैलेंज COVID-19 प्रतियोगिता' (Challenge COVID-19 Competition- C3) के तहत कई विज्ञान एवं तकनीक आधारित नवोन्मेषी समाधानों की पहचान की है।

प्रमुख बिंदु:

- यह अभियान COVID-19 महामारी से निपटने हेतु विचारों तथा नवोन्मेषणों को सामने लाने के लिये नवोन्मेषी नागरिकों को शामिल करने हेतु 31 मार्च से 10 मई, 2020 तक चलाया गया।
- NIF नए विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना तथा उनका प्रचार-प्रसार करने के लिये इंक्यूबेशन एवं परामर्श सहायता उपलब्ध करा रहा है।
- ◆ इस अभियान के तहत हाथ धोने के लिये पैर से संचालित किया जाने वाला एक उपकरण तथा 'सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के लिये नवोन्मेषी स्प्रेयर' विकसित किये गए हैं।
- तेलंगाना में वारंगल के मुप्पारापु राजू ने 'हाथ धोने एवं सैनिटाइज करने के लिये पैर से संचालित किया जाने वाला एक उपकरण डिजाइन' किया है जो COVID-19 महामारी के दौरान संपर्करहित उपकरणों की आवश्यकता के प्रत्युत्तर में एक समयानुकूल समाधान है।
- अन्य समर्थित नवोन्मेषण के तहत सड़कों, सोसाइटी, दरवाजों, कंपाउंडों, दीवारों आदि जैसे बड़े क्षेत्रों को सैनिटाइज करने में सक्षम एक इनोवेटिव स्प्रेयर है। इस स्प्रेयर में मशीन के केंद्र से अधिकतम 30 फीट की दूरी से एवं 15 फीट की ऊँचाई तक सड़कों, सोसाइटियों को सैनिटाइज किया जा सकता है।
- इस स्प्रेयर को महाराष्ट्र के सतारा, नासिक जैसे विभिन्न शहरों में सक्रियतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF):

- इसकी स्थापना मार्च, 2000 में भारत सरकार के 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' की सहायता से की गई थी।
- यह जमीनी स्तर पर तकनीकी नवाचारों एवं उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करने के लिये भारत की राष्ट्रीय पहल है।

मिशन:

- इसका मिशन भारत को जमीनी स्तर पर तकनीकी नवप्रवर्तकों के लिये नीति एवं संस्थागत स्थान का विस्तार करके एक रचनात्मक एवं ज्ञान-आधारित समाज बनने में मदद करना है।

सिक्किम का 45वाँ स्थापना दिवस 45th Statehood Day of Sikkim

16 मई, 2020 को सिक्किम ने 45वाँ स्थापना दिवस (45th Statehood Day of Sikkim) मनाया।

प्रमुख बिंदु:

- 16 मई, 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वाँ राज्य बना था।
- सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है।
- वर्ष 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहाँ चोग्याल का शासन था।
- वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया था।
- वर्ष 1974 में सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के प्रति अपनी इच्छा जताई तदनुसार भारतीय संसद द्वारा 35वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1974) लागू किया गया इसके तहत सिक्किम को एक 'संबद्ध राज्य' का दर्जा दिया गया। किंतु इससे सिक्किम के लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हुईं।
- वर्ष 1975 के एक जनमत के दौरान सिक्किम के लोगों ने चोग्याल शासन को समाप्त करने के पक्ष में मत दिया।
- इस तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम (1975) के प्रभावी होने के बाद सिक्किम भारतीय संघ का 22वाँ राज्य बन गया।

विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस**WORLD TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SOCIETY DAY**

17 मई, 2020 को विश्व भर में 'विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस (WORLD TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SOCIETY DAY- WTISD) मनाया गया।

थीम:

- इस वर्ष 'विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस' की थीम 'Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs)' है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य इंटरनेट तथा अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (Information and Communication Technologies- ICT) का उपयोग विभिन्न समाजों एवं अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ावा देने के लिये विभिन्न संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

प्रमुख बिंदु:

- 17 मई, 1865 को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने और 'अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ' (International Telecommunication Union- ITU) की स्थापना (17 मई, 1865) के वर्षगांठ के रूप में वर्ष 1969 से प्रत्येक वर्ष 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है।

प्रधानमंत्री ई-विद्या Pradhan Mantri e-Vidya

भारत सरकार COVID-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रधानमंत्री ई-विद्या (Pradhan Mantri e-Vidya) कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

- इसके अंतर्गत 12 डायरेक्ट-टू-होम (DTH) चैनल (12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिये एक चैनल) छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराएंगे जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।
- ◆ जबकि अन्य क्षेत्रों में भारत सरकार छात्रों के भावनात्मक सुधार के लिये एक प्लेटफॉर्म 'मनोदर्पण' (Manodarpan) शुरू करने की तैयारी कर रही है जबकि 'नेशनल फाउंडेशनल लिटरसी एंड न्यूमेरेसी मिशन' (National Foundational Literacy and Numeracy Mission) भी शुरू किया जाएगा।
- 12 नए DTH चैनलों में से प्रत्येक में प्रतिदिन 6 घंटे की पाठ्यक्रम सामग्री होगी। हालाँकि तीन रिपीट टेलीकास्ट के साथ वे सप्ताह के सभी दिनों में 24 x7 घंटे चलेंगे।
- लॉकडाउन अवधि के दौरान इन चैनलों पर 'लाइव इंटरैक्टिव सेशन' के प्रसारण के लिये भी प्रावधान किये गए हैं जिनमें स्काइप के माध्यम से विषय एवं परामर्श विशेषज्ञ शामिल किये जाएंगे।
- इन चैनलों की छात्रों तक पहुँच बढ़ाने के लिये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Union HRD ministry) ने निजी डीटीएच ऑपरेटरों जैसे- टाटा स्काई एवं एयरटेल के साथ भी समझौता किया है।
- इसके तहत राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री भी विकसित करेंगे जो इन चैनलों पर प्रसारित की जाएगी।
- 'डिजिटली ऐक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम' (DAISY) पर दृष्टि एवं श्रवण बाधित छात्रों के लिये विशेष ई-सामग्री प्रदान की जाएगी।

शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम:

- वे सभी विश्वविद्यालय जिनके पास A+ अर्थात 3.26 या उससे अधिक का स्कोर है या वे सभी विश्वविद्यालय जो 'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' (National Institutional Ranking Framework-NIRF) में शीर्ष 100 में शामिल हैं, स्वचालित रूप से इस शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान UGC की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्ण ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं।
- शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 30 मई, 2020 से स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी।

राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली National Migrant Information System

COVID-19 के मद्देनजर प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों के आवागमन सुगम बनाने के लिये 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड 'राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली' (National Migrant Information System- NMIS) को विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष बनाएगा और उनके मूल स्थानों तक उनकी यात्रा को सुचारु बनाने के लिये अंतर-राज्यीय संचार/तालमेल में मदद करेगा।
- इसका एक अतिरिक्त लाभ संपर्क में आने वालों का पता लगाने (कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग) के रूप में भी होगा जो COVID-19 से निपटने के लिये की जा रही कार्रवाई में भी उपयोगी साबित हो सकता है।
- प्रवासी लोगों के बारे में मुख्य डेटा जैसे नाम, आयु, मोबाइल नंबर, आरंभिक और गंतव्य जिला, यात्रा की तिथि आदि जिन्हें राज्य द्वारा पहले ही एकत्र किया जा रहा है, को अपलोड करने के लिये उसका मानकीकरण कर दिया गया है।

क्विनिन नोंगलादेव Quinine Nongladew

हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के एक गाँव 'क्विनिन नोंगलादेव' (Quinine Nongladew) के स्थानीय लोगों ने COVID-19 के संभावित इलाज के लिये क्विनिन (Quinine) का पता लगाया है।

प्रमुख बिंदु:

- इसका (गाँव का नाम) नाम सिनकोना की छाल से निकाले गए 'अल्कलॉइड क्विनिन' (Alkaloid Quinine) के नाम पर रखा गया है।
- ◆ यह रूबिअसाए (Rubiaceae) परिवार से संबंधित एक पौधा है और इसे बड़े झाड़ी या छोटे पेड़ों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- जब शिलांग असम प्रांत के लिये ब्रिटिश प्रशासनिक मुख्यालय बना तब मलेरिया एवं मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों से निपटने के लिये अंग्रेजों ने सिनकोना का वृक्षारोपण लगभग वर्ष 1874 के आसपास कराया था।
- मलेरिया के इलाज के लिये 'क्लोरोक्वीन' और 'कुनैन' के रूप में प्रसिद्ध 'क्विनिन सल्फेट' नामक दवा का उपयोग होता है।

गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र Non-Convertible Debenture

हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि निजी कंपनियाँ जो स्टॉक एक्सचेंजों में 'गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र' (Non-Convertible Debenture- NCD) सूचीबद्ध करती हैं उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- डिबेंचर (ऋणपत्र) दीर्घकालिक वित्तीय साधन हैं जो जारीकर्ता के प्रति एक ऋण दायित्व को स्वीकार करते हैं। कुछ डिबेंचर में कंपनी मालिक के विवेक पर एक निश्चित समय के बाद शेयरों में परिवर्तनीयता की सुविधा होती है।
- जिन डिबेंचर को शेयरों या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता उन्हें गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (Non-Convertible Debenture- NCD) कहा जाता है।

उपयोग:

- गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर का उपयोग पब्लिक इश्यू के माध्यम से कंपनियों द्वारा दीर्घकालिक फंड जुटाने के लिये वित्तीय उपकरण के रूप में किया जाता है।
- गैर-परिवर्तनीयता के दीर्घकालिक नुकसान की भरपाई करने के लिये उधारदाताओं को आमतौर पर परिवर्तनीय डिबेंचर की तुलना में उच्च दर की वापसी दी जाती है।
- ◆ जारीकर्ता NCD मालिक को कई अन्य लाभ प्रदान करते हैं जैसे- स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के माध्यम से उच्च तरलता, स्रोत एवं सुरक्षा पर कर छूट क्योंकि वे उन कंपनियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं जिनके पास NCD जारी के लिये RBI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग है।

न्यूनतम परिपक्वता अवधि:

- भारत में आमतौर पर इन्हें 90 दिनों की न्यूनतम परिपक्वता के लिये जारी किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान International Press Institute

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान (International Press Institute-IPI) ने भारत में हालिया घटनाओं के परिदृश्य में अधिकारियों द्वारा कानून का दुरुपयोग, पत्रकारों को डराने-धमकाने और प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी निंदा की है।

प्रमुख बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान एक वैश्विक संगठन है जो प्रेस की स्वतंत्रता के संवर्द्धन एवं संरक्षण तथा पत्रकारिता प्रणालियों में सुधार के लिये समर्पित है।
- इसकी स्थापना अक्टूबर 1950 में हुई थी। इस संस्थान के विश्व भर में 120 से अधिक सदस्य हैं।
- इस संस्थान में संपादक, मीडिया कार्यकारी और IPI के अग्रणी पत्रकार जो मीडिया विभागों, ब्यूरो प्रमुखों, संवाददाताओं एवं अन्य के रूप में शामिल हैं।
- IPI को UN, UNESCO और यूरोपीय परिषद के साथ परामर्श दर्जा (Consultative Status) प्राप्त है।
- इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के 'वियना' में स्थित है।

इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सचेंज**(International Freedom of Expression Exchange):**

- अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान (IPI) 'इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सचेंज' का एक सदस्य है जो गैर-सरकारी संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है। यह दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता एवं मुक्त अभिव्यक्ति के उल्लंघन की निगरानी करता है।

राइट्स इश्यू Rights Issue

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) राइट्स इश्यू (Rights Issue) की आय से 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने के लिये तीन दशकों में पहला शेयर राइट्स इश्यू 20 मई, 2020 को सार्वजनिक करेगी।

प्रमुख बिंदु:

- 'रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड' ने अपने प्रस्तावित राइट्स इश्यू के माध्यम से प्राप्त धन से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ऋण चुकाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिनकी कीमत 53,125 करोड़ रुपए है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा इक्विटी फंड है।
- राइट्स इश्यू कंपनी की बैलेंस शीट को शून्य शुद्ध ऋण (Zero Net Debt) बनाने के लिये कंपनी की रणनीति का एक हिस्सा है।
- राइट्स इश्यू मौजूदा शेयरधारकों के लिये उनके मौजूदा शेयर होल्डिंग के अनुपात में किये गए शेयरों की पेशकश है। कंपनियाँ अक्सर बाजार मूल्य के छूट पर राइट्स इश्यू में शेयरों की पेशकश करती हैं।
- कर्ज में वृद्धि किये बिना पूंजी जुटाने की माँग करने वाली कंपनियों द्वारा राइट्स इश्यू का उपयोग किया जाता है।
- शेयरधारक राइट्स इश्यू में दिये गए शेयरों को खरीदने के लिये बाध्य नहीं हैं।

डिसइंफेक्शन स्प्रेयर इकाइयाँ Disinfection Sprayer Units

सीएसआईआर-सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CMERI), दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने 16 मई, 2020 को दो मोबाइल इनडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर इकाइयाँ (Disinfection Sprayer Units) विकसित की हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इन इकाइयों को 'बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर' (Battery Powered Disinfectant Sprayer-BPDS) और 'न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन' (Pneumatically Operated Mobile Indoor Disinfection-POMS) नाम दिया गया है।
- इन स्प्रेयरों को छिपी हुई जगह तक पहुँचने और बड़े पैमाने पर साफ-सफाई करने के लिये मैपिंग सुविधाओं के साथ विस्तार योग्य उपकरणों से लैस किया गया है।
- इनका उपयोग विशेषकर अस्पतालों में बार-बार हाथ से छुई गई सतहों जैसे- टेबल, डॉर्कनोब्स, लाइट स्विच आदि को साफ एवं कीटाणुरहित करने के लिये किया जा सकता है।

माइक्रो आरएनए MicroRNA

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की 'ऑगस्टा यूनिवर्सिटी' (Augusta University) के अंतर्गत आने वाले 'ऑगस्टा मेडिकल कॉलेज' के शोधकर्त्ताओं के अनुसार, माइक्रो आरएनए (MicroRNA) 'जीन एक्सप्रेशन' को नियंत्रित करने में मानव शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वायरस के आक्रमण के समय फ्रंटलाइन का कार्य करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- एक माइक्रो आरएनए पौधों, जानवरों एवं कुछ विषाणुओं में पाया जाने वाला एक छोटा नॉन-कोडिंग आरएनए अणु (लंबाई लगभग 22 न्यूक्लियोटाइड) है, जो 'आरएनए साइलेंसिंग' (RNA Silencing) और 'जीन एक्सप्रेशन' के बाद के ट्रांसक्रिप्शनल विनियमन में कार्य करता है।
- ये वायरस के आक्रमण के समय फ्रंटलाइन का कार्य करते हैं और वायरस के आनुवंशिक पदार्थ (RNA) को काटकर वायरस से लड़ते हैं।

गौरतलब है कि आयु एवं अंतर्निहित स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों को COVID-19 के मद्देनजर अधिक संवेदनशील बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें प्रतिक्रिया करने वाले माइक्रोआरएनए नंबर कम होते हैं।

आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना Aatmanirbhar Gujarat Sahay Yojana

हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक 'आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना' (Aatmanirbhar Gujarat Sahay Yojana) की घोषणा की है जो छोटे उद्यमियों और स्वरोजगारों जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर एवं बढ़ई को तीन वर्ष की अवधि के लिये 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है।

प्रमुख बिंदु:

- इस योजना का लक्ष्य COVID-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में दैनिक/मासिक आमदनी से प्रभावित सब्जी विक्रेता, निर्माण श्रमिक आदि को भी शामिल करना है।
- इस योजना के आवेदकों को क्रेडिट सोसाइटियों और शहरी एवं जिला सहकारी बैंकों जो 5,000 करोड़ रुपए के संपार्श्विक-मुक्त ऋण सौंपेंगे, के साथ अपने मामले को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिये गारंटियों की आवश्यकता होगी।
- गुजरात सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत कुल 260 शहरी सहकारी बैंक, 18 जिला सहकारी बैंक और 6,500 क्रेडिट सहकारी समितियाँ सफल आवेदकों को 2% की ब्याज दर पर संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करेंगी।
- यह योजना 21 मई से शुरू होगी और ऋण देने वाली एजेंसियाँ 31 अगस्त तक आवेदन स्वीकार करेंगी।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस International Day of Light

प्रतिवर्ष 16 मई को विश्व भर में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस (International Day of Light-IDL) मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक वार्षिक पहल है जो विश्व स्तर पर आयोजित की जाती है ताकि रोजमर्रा के जीवन में प्रकाश-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- यह दिन वर्ष 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन को चिह्नित करने के लिये मनाया जाता है। पहला सफल लेजर संचालन एक इंजीनियर एवं भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन (Theodore Maiman) द्वारा किया गया था।
- IDL को UNESCO के 'इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम' (IBSP) से प्रशासित किया गया है और इसका सचिवालय इटली के 'अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स' (ICTP), ट्राएस्टे में स्थित है।

ट्रोग्लॉमीज़ ट्विटर Troglomyces Twitteri

हाल ही में मायकोकीज़ (MycoKeys) पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने ट्विटर पर एक नई प्रजाति 'ट्रोग्लॉमीज़ ट्विटर' (Troglomyces Twitteri) खोजी है।

प्रमुख बिंदु:

- डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से संबद्ध जीवविज्ञानी एवं एसोसिएट प्रोफेसर 'एना सोफिया रेबोलेइरा' (Ana Sofia Reboleira) जब अपने ट्विटर पर स्कॉल कर रही थीं तब उन्होंने उत्तरी अमेरिकी मिलिपेड (North American Millipede) की एक तस्वीर को देखा।
- यह एक प्रकार का परजीवी कवक है।
- यह एक व्यवस्था या ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं जिसे लबोउलबेनिएस (Laboulbeniales) कहा जाता है। ये छोटे परजीवी कवक होते हैं जो कीड़े एवं मिलिपेड पर हमला करते हैं।
- लबोउलबेनिएस (Laboulbeniales) को पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में खोजा गया था।

चरण पादुका Charan Paduka

चरण पादुका (Charan Paduka) मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिये मध्यप्रदेश द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है।

प्रमुख बिंदु:

- इस अभियान के तहत, नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके पैरों के दर्द को कम करने के लिये जूते एवं चप्पल प्रदान किये जा रहे हैं।
- सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह अभियान अधिकांश स्थानों पर मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है।
- चरण पादुका अभियान इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ।

हंको Hanko

पिछले कुछ दिनों में जैसे-जैसे जापान में COVID-19 के मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है वैसे-वैसे वहाँ के उद्योग जगत के नेताओं द्वारा हंको (Hanko) परंपरा को छोड़ने की मांग की जाने लगी है।

प्रमुख बिंदु:

- हंको आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक मुहर होती है।
- यह लंबाई में छोटा होता है तथा इसका स्याही वाला सिरा गोल या चौकोर आकार का होता है। इस मुहर पैड में जिस स्याही का प्रयोग होता है उसे 'शुनिकु' (Shuniku) कहा जाता है और वह निशान जो किसी दस्तावेज़ पर छपता है उसे 'इंकान' (Inkan) कहा जाता है।
- इसका उपयोग अनुबंध, विवाह पंजीकरण और यहाँ तक कि वस्तु वितरण पर्ची से लेकर आधिकारिक दस्तावेजों को अधिकृत करने के लिये किया जाता है।
- वर्तमान में जब कई देश पेपरलेस सिस्टम की ओर बढ़ने और डिजिटल हस्ताक्षर अपनाने की बात कर रहे हैं तो वहीं जापान में सुरक्षा कारणों की वजह से हंको आज भी लोकप्रिय बना हुआ है।

गौरतलब है कि जापान में कई कंपनियों द्वारा वर्क-फ्रॉम-होम शुरू किये जाने के बावजूद हंको जैसी सदियों पुरानी प्रथा कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर जाने का कारण बन रही है क्योंकि कंपनियाँ सुरक्षा कारणों से कार्यालय परिसर में अपनी पंजीकृत मुहरें रखना पसंद करती हैं।

लेस इनवेसिव सर्फैक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन Less Invasive Surfactant Administration

हाल ही में एक चिकित्सा तकनीक जिसे 'लेस इनवेसिव सर्फैक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन' (Less Invasive Surfactant Administration- LISA) के रूप में जाना जाता है, को राजस्थान के 'जे.के. लोन गवर्नमेंट चिल्ड्रेन हॉस्पिटल' में समय से पहले बच्चों में फेफड़ों की बीमारी या 'रिस्परेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम' के उपचार के लिये शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- मैकेनिकल वेंटिलेशन के मद्देनजर नवजात शिशुओं के अपरिपक्व फेफड़ों को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु LISA को श्वसन प्रबंधन एवं वेंटिलेशन के लिये फेफड़े की सुरक्षात्मक रणनीति के रूप में विकसित किया गया है।
- LISA के लिये उपयुक्त माने जाने वाले शिशुओं को प्राथमिक 'निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव' (Continuous Positive Airway Pressure- CPAP) या श्वसन संकट बढ़ने के प्रमाण के साथ उच्च प्रवाह तथा बढ़ती ऑक्सीजन आवश्यकता के साथ प्रबंधित किया जा रहा है।
- LISA का नियमित अनुप्रयोग बहुत उपयोगी होगा और समय पूर्व शिशुओं के जीवन को बचाने में मदद करेगा।

पिनांगा अंडामैनेंसिस Pinanga Andamanensis

दक्षिण अंडमान द्वीप की एक स्थानिक ताड़ (Palm) प्रजाति पिनांगा अंडामैनेंसिस (Pinanga Andamanensis) को एक दूसरे स्थान पर तिरुवनंतपुरम स्थित 'जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट' (JNTBGRI) में स्थापित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस प्रजाति की कुल संख्या लगभग 600 है जो केवल दक्षिण अंडमान के 'माउंट हैरियट नेशनल पार्क' में एक सदाबहार वन क्षेत्र में होती है।
- इसका यह (पिनांगा अंडामैनेंसिस) नाम 'पेनांग' से लिया गया है जो आधुनिक मलेशियाई राज्य है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' (Critically Endangered) प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है और यह अंडमान द्वीप समूह के स्थानिक ताड़ प्रजातियों में से एक है।

माउंट हैरियट नेशनल पार्क:

- यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
- वर्ष 1969 में स्थापित यह पार्क लगभग 4.62 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है।
- माउंट हैरियट (383 मीटर) जो इस पार्क का हिस्सा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में तीसरी सबसे ऊँची चोटी है। यहाँ उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक (732 मीटर) सबसे ऊँची चोटी तथा दूसरी सबसे ऊँची चोटी ग्रेट निकोबार में स्थित माउंट थुल्लियर (568 मीटर) है।

ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व Tadoba Andhari Tiger Reserve

वर्ष 2019 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व (Tadoba Andhari Tiger Reserve- TATR) में किये गए एक सर्वेक्षण में रिज़र्व के 1,727 वर्ग किमी. के कोर एवं बफर क्षेत्रों में 115 बाघों तथा 151 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की है।

प्रमुख बिंदु:

- TATR में 625 वर्ग किमी. कोर और 1,127 वर्ग किमी. बफर क्षेत्र शामिल हैं। इस बार मानव निवास एवं दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर 1,700 वर्ग किमी. क्षेत्र में इनकी संख्या का अनुमान 'मार्क रीकैप्चर' और 'कैमरा ट्रैप' दोनों तरीकों से लगाया गया।

ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (Tadoba Andhari Tiger Reserve- TATR):

- ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। ताडोबा वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
 - यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
 - ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1994-95 में स्थापित किया गया था।
 - ◆ महाराष्ट्र राज्य में स्थापित पहला टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर रिजर्व (1973-74) है।
 - वनस्पति: यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से सागौन, ऐन, बीजा, धौड़ा, हल्दू, सलाई, सेमल और तेंदू आदि शामिल हैं।
 - प्रमुख जीव-जंतु: भारतीय तेंदुए, स्लॉथ बीयर, गौर, नीलगाय, ढोले, धारीदार हाइना, भारतीय लघु कीच, जंगली बिल्ली, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ते आदि।
- एनोगेयसुस लैटीफोलिया (Anogeissus latifolia) एवं ब्यूटा मोनोसपर्मा (Butea Monosperma):
- यहाँ उगने वाली 'एनोगेयसुस लैटीफोलिया' अग्नि प्रतिरोधी पौधे की प्रजाति है। और यहाँ पलाश (इसका वैज्ञानिक नाम 'ब्यूटा मोनोसपर्मा' है) के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसे 'जंगल की आग' भी कहते हैं।

मध्यम इकाइयाँ Medium Units

'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम' (Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) की परिभाषा बदलने के बाद भारत सरकार ने 'मध्यम इकाइयों' (Medium Units) के लिये निवेश एवं टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 50 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु:

- संशोधित परिभाषा के अनुसार, 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए से कम के कारोबार करने वाली किसी भी फर्म को 'सूक्ष्म'(Micro) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- जबकि 10 करोड़ रुपए तक के निवेश और 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनी को 'छोटे' (Small) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस International Day for Biological Diversity

प्रत्येक वर्ष 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (International Day for Biological Diversity) मनाया जाता है।

थीम:

- इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम 'हमारे समाधान प्रकृति में हैं' (Our Solutions are in Nature) है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य लोगों में जैव-विविधता के महत्त्व के बारे में जागरूक उत्पन्न करना है।

प्रमुख बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस को मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर, 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
- 22 मई, 1992 को नैरोबी में जैव-विविधता पर अभिसमय (Convention on Biological Diversity- CBD) के पाठ को स्वीकार किया गया था। इसलिये 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस मनाया जाता है।

मई चौथा आंदोलन May Fourth Movement

यह 4 मई, 1919 को चीन में हुई एक बौद्धिक क्रांति तथा समाजशास्त्री सुधार आंदोलन था। इसे चीन में मई चौथा आंदोलन (May Fourth Movement) कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक साम्राज्यवाद-विरोधी, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलन था जो 4 मई, 1919 को बीजिंग में छात्रों के विरोध से शुरू हुआ था।
- ◆ प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र देशों के मध्य वसाय की संधि हुई चूँकि चीन ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों का साथ दिया था इसलिए उसे उम्मीद थी कि इस बैठक में उसे यदि बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिली तो कम-से-कम उसकी आवाज तो सुनी ही जाएगी किंतु बातचीत के दौरान फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने गुप्त समझौते के तहत चीन की सीमा का कुछ हिस्सा जापान को सौंप दिया।
- जिसके परिणामस्वरूप चीन में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू हुआ जिसे मई चौथा आंदोलन (May Fourth Movement) के रूप में जाना जाता है।

सोनिक बूम Sonic Boom

कर्नाटक के बेंगलुरु में 20 मई, 2020 को एक सुपरसोनिक प्रोफाइल से युक्त 'IAF टेस्ट फ्लाइट' से निकली तेज ध्वनि जिसे 'सोनिक बूम'(Sonic Boom) के रूप में जाना जाता है, ने शहरवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया।

प्रमुख बिंदु:

- जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेजी से हवा के माध्यम से यात्रा करती हुई शॉक वेव्स (Shock Waves) बनाती है तो उसे 'सोनिक बूम'(Sonic Boom) के रूप में जाना जाता है।
- इस प्रक्रिया में ऊर्जा का विशाल उत्सर्जन (आमतौर पर ध्वनि के रूप में) हो सकता है जिसमें गरज के समान एक तेज विस्फोट होता है।
- सोनिक बूम एक निरंतर ध्वनि है जिसे सुपरसोनिक गति से यात्रा कर रहे विमान द्वारा उत्सर्जित किया जाता है।
- यदि विमान कम ऊँचाई पर उड़ रहा है तो सोनिक बूम से भूकंप आने और काँच के टूटने के समान झटके लग सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस International Tea Day

21 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस (International Tea Day- ITD) मनाया गया।

उद्देश्य:

- इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2015 में भारत ने मिलान (इटली) में खाद्य एवं कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organization- FAO) के अंतर सरकारी समूह की बैठक में 21 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। परिणामतः 15 दिसंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप घोषित किया।
- अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र के 'खाद्य एवं कृषि संगठन' द्वारा अपनाया गया था।
- वर्तमान में विश्व के 35 से अधिक देशों में चाय का उत्पादन होता है और विश्व भर में छोटे किसानों सहित इस क्षेत्र में 13 मिलियन लोग संबद्ध हैं।
- देश में 100 से अधिक किस्मों की खपत के साथ भारत चाय के शीर्ष चार उत्पादकों में शामिल है। चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका के लगभग 90 लाख किसान आय के लिये चाय उत्पादन पर निर्भर हैं।

उमंग UMANG

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की पहलों को आगे बढ़ाने के लिये 'केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' (Union Ministry of Electronics and Information Technology) ने 'उमंग' (UMANG) एप पर 'भारत मौसम विज्ञान विभाग' (India Meteorological Department- IMD) से संबंधित सूचनाएँ भी प्रदान करनी शुरू की हैं।

प्रमुख बिंदु:

- उमंग मोबाइल एप्लीकेशन पर IMD की निम्नलिखित सात सेवाओं को ऑन-बोर्ड किया गया है।
-

सेवाएँ	विवरण
1. वर्तमान मौसम की स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● इसमें 150 नगरों के लिये वर्तमान तापमान, आर्द्रता, हवा की गति एवं दिशा को दिन में आठ बार अपडेट किया जाता है। ● सूर्योदय/सूर्यास्त तथा चंद्रमा के उगने/डूबने के बारे में भी सूचना दी जाती है।
2. नाऊकास्ट (Nowcast)	<ul style="list-style-type: none"> ● IMD के राज्य मौसम विज्ञान विभाग केंद्रों द्वारा देश के लगभग 800 स्टेशनों के लिये स्थानीय मौसम की घटनाओं तथा उनकी तीव्रता के बारे में अगले तीन घंटे की चेतावनी जारी की जाती है। ● गंभीर मौसम की स्थिति में जारी की गई चेतावनी में इसके प्रभावों को भी शामिल किया जाता है।
3. नगर पूर्वानुमान	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत के लगभग 450 नगरों के मौसम की स्थितियों के बारे में पिछले 24 घंटों तथा अगले 7 दिन के पूर्वानुमान दिये जाते हैं।
4. वर्षा की सूचना	<ul style="list-style-type: none"> ● 'अखिल भारतीय जिला वर्षा सूचना' को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एवं संचयी श्रृंखला के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
5. पर्यटन पूर्वानुमान	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत के लगभग 100 पर्यटन नगरों की मौसम की स्थिति को पिछले 24 घंटों एवं 7 दिन के पूर्वानुमान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
6. चेतावनी	<ul style="list-style-type: none"> ● नागरिकों को आने वाले खतरनाक मौसम की चेतावनी देने के लिये अलर्ट जारी किया जाता है। ● इसे लाल, नारंगी एवं पीले रंग के अलर्ट स्तर में कोड किया जाता है जिसमें लाल रंग सबसे गंभीर श्रेणी है। ● आने वाले पाँच दिन के लिये सभी जिलों हेतु दिन में दो बार इसे जारी किया जाता है।
7. चक्रवात	<ul style="list-style-type: none"> ● तूफान की चेतावनी एवं अलर्ट, तूफान के तटों से गुजरने के संभावित समय और बिंदुपथ के द्वारा चक्रवाती तूफान का ट्रैक उपलब्ध कराता है। ● चक्रवात के प्रभाव के आधार पर क्षेत्रवार/जिलेवार चेतावनियाँ जारी की जाती हैं जिससे कि संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों की निकासी सहित उपयुक्त तैयारी संभव हो सके।

- भारतीय प्रधानमंत्री ने नागरिकों तक एक ही मोबाइल एप के माध्यम से प्रमुख सरकारी सेवाओं को पहुँचाने के लिये वर्ष 2017 में उमंग (UMANG) एप लॉन्च किया था।
- उमंग (UMANG) का पूर्ण रूप 'नए युग के शासन के लिये एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन' (Unified Mobile Application for New-age Governance) है।
- यह भारत सरकार का ऑल-इन-वन सिंगल, एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी-चैनल, मल्टी-प्लेटफॉर्म, बहुभाषी, मल्टी सर्विस मोबाइल एप है जो केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों की महत्वपूर्ण सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है।
- वर्तमान में इस एप के माध्यम से केंद्र सरकार के 127 विभागों एवं 25 राज्यों की लगभग 600 सेवाएँ और लगभग 180 उपयोगी बिल भुगतान सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं और कई अन्य सेवाओं को अभी जारी किया जाना बाकी है।
- वर्तमान में एंड्रॉइड, iOS, वेब एवं KaiOS आधारित उमंग (UMANG) उपयोगकर्ताओं की संख्या 2.1 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
- नागरिक उमंग एप के माध्यम से अपने डिजिलॉकर (Digilocker) तक पहुँच सकते हैं और 'रैपिड असेसमेंट सिस्टम' (RAS) के माध्यम से किसी भी सेवा का लाभ उठाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिसे उमंग (UMANG) के साथ एकीकृत किया गया है।

अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिये संयुक्त उपक्रम कंपनी

Joint Venture Company for Renewable Energy Business

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) के तहत सार्वजनिक कंपनी 'राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड' (NTPC Ltd.) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum & Natural Gas) के तहत 'ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (Oil and Natural Gas Corporation Limited- ONGC) ने अक्षय ऊर्जा व्यापार (Renewable Energy Business) के लिये एक 'संयुक्त उपक्रम कंपनी' (Joint Venture Company) बनाने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इस समझौते के अनुसार, NTPC और ONGC भारत एवं विदेश में अपतटीय पवन (Offshore Wind) और अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से जुड़ी संभावनाओं का पता लगाएंगी।
- दोनों कंपनियाँ संवहनीयता, भंडारण, ई-परिवर्तनीयता और ईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रबंधन) के अनुकूल परियोजनाओं के क्षेत्र में भी संभावनाओं का पता लगाएंगी।

NTPC की वर्तमान स्थिति:

- NTPC के पास अभी 920 मेगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ हैं और लगभग 2300 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं।
- इस समझौते से NTPC अपने 'अक्षय ऊर्जा क्षमता योग कार्यक्रम' में तेजी लाएगी और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं एवं विदेश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में अपनी मौजूदगी का विस्तार करेगी।
- इससे भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC को वर्ष 2032 तक 32 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

नोट:

- NTPC समूह के पास कुल स्थापित क्षमता 62110 मेगावाट की है। इनमें NTPC के पास 70 ऊर्जा केंद्र हैं जिनमें 25 संयुक्त उपक्रम सहित, 24 कोयला, 7 संयुक्त गैस/द्रव्य, 1 हाइड्रो और 13 अक्षय ऊर्जा केंद्र शामिल हैं।

ONGC की वर्तमान स्थिति:

- ONGC के पास अभी 176 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ हैं जिसमें 153 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएँ और 23 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएँ शामिल हैं।
- इस नए समझौते से अक्षय ऊर्जा व्यापार में ONGC की मौजूदगी बढ़ेगी और वर्ष 2040 तक यह अपने पोर्टफोलियो में 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ने के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होगी।

रीस्टार्ट ReStart

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वार्ड.एस. जगन मोहन रेड्डी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMEs क्षेत्र को सहारा देने के लिये 'रीस्टार्ट' (ReStart) नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस कार्यक्रम से MSMEs की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं।
- इसके अंतर्गत MSMEs सेक्टर के पुनरुद्धार के लिये आंध्रप्रदेश सरकार 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
- मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि MSMEs सेक्टर की फर्मों को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिये 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार ने MSMEs से खरीदे जाने वाले लगभग 360 उत्पादों की पहचान की है जिनकी सरकारी खरीद पर 45 दिनों के अंदर पैसों का भुगतान किया जाएगा। कुल खरीद में से लगभग 25% सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से, 4% SC/ST सामुदायिक उद्यमों से और 3% महिला उद्यमियों से खरीदा जाएगा।
- इस पहल से 72531 से अधिक सूक्ष्म (Micro), 24252 लघु (Small) और 645 मध्यम (Medium) उद्यमों को लाभ होगा।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार India's forex reserves

15 मई, 2020 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India's forex reserves) 1.73 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 487.04 अरब डॉलर तक पहुँच गया है।

प्रमुख बिंदु:

- विदेशी मुद्रा भंडार में 6 मार्च, 2020 को अपने पिछले आँकड़ों में उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद 20 मार्च, 2020 तक इसमें \$11.983 बिलियन की गिरावट दर्ज की गई थी जो वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे अधिक थी किंतु बाद में इसमें वृद्धि हुई है।
- विदेशी मुद्रा भंडार को 'फोरेक्स रिजर्व' या 'आरक्षित निधियों का भंडार' भी कहा जाता है।

15 मई, 2020 तक विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति:

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (Foreign Currency Assets- FCA) में 1.122 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ अब यह 448.67 बिलियन डॉलर हो गया है।
- स्वर्ण भंडार (Gold Reserve) में \$616 मिलियन की वृद्धि के साथ अब यह \$32.906 बिलियन हो गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 'विशेष आहरण अधिकार' (Special Drawing Rights- SDR) में \$2 मिलियन की वृद्धि के साथ अब यह \$1.425 बिलियन हो गया है।
- ◆ विशेष आहरण अधिकार (Special drawing rights- SDR), IMF द्वारा बनाई गई एक 'अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति' है और IMF इसे (SDR) अपने सदस्यों देशों को उनके आरक्षण के अनुपात में आवंटित करता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आँकड़ों के अनुसार, IMF के साथ रिजर्व कोष (Reserve Trench) की स्थिति में \$13 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई है जिससे अब यह \$4.038 बिलियन हो गया है।

शाही लीची और जर्दालु आम Shahi Lichi & Zardalu Mango

भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने लोगों के दरवाजों तक 'शाही लीची' (Shahi Lichi) और 'जर्दालु आम' (Zardalu Mango) की आपूर्ति करने के लिये समझौता किया है।

- गौरतलब है कि COVID-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में लीची एवं आम उत्पादकों को बाजार तक अपने उत्पादों को ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शाही लीची:

- मई से जून तक उपलब्ध होने वाली शाही लीची की खेती मुख्य रूप से बिहार में मुजफ्फरपुर एवं उसके आसपास के जिलों में की जाती है।
- शाही लीची की खेती में लगभग 25,800 हेक्टेयर का क्षेत्र शामिल है जो प्रत्येक वर्ष लगभग 300,000 टन का उत्पादन करता है।
- वर्ष 2018 में इस प्रसिद्ध शाही लीची को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया।

जर्दालु आम:

- बिहार के भागलपुर का 'जर्दालु आम' अपनी अनोखी खुशबू के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
- आम की यह किस्म (जर्दालु आम) हल्की पीली परत और मिठास के लिये जानी जाती है।
- जर्दालु आम को सबसे पहले खड़गपुर के महाराजा रहमत अली खान बहादुर द्वारा भागलपुर क्षेत्र में लगाया गया था।
- वर्ष 2018 में जर्दालु आम को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया।
- ग्राहक 'शाही लीची' और 'जर्दालु आम' को मंगाने के लिये ऑनलाइन वेबसाइट "horticulture.bihar.gov.in" पर ऑर्डर दे सकते हैं।

विश्व कछुआ दिवस World Turtle Day

प्रत्येक वर्ष 23 मई को 'विश्व कछुआ दिवस' (World Turtle Day) मनाया जाता है।

थीम:

- इस दिवस की थीम 'कछुओं एवं कछुओं के विषय पर ध्यान केंद्रित करना एवं ज्ञान बढ़ाना' है।

उद्देश्य:

- इस दिवस का उद्देश्य कछुओं एवं उनके आवास के बारे में लोगों को जागरूक करना है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2000 के बाद से प्रत्येक वर्ष एक गैर-लाभकारी संगठन 'अमेरिकन टारटाईज रेस्क्यू' (American Tortoise Rescue-ATR) विश्व कछुआ दिवस के उत्सव को आयोजित करता है।
- ◆ ATR को वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था।
- इस वर्ष विश्व कछुआ दिवस की 20वीं वर्षगांठ है।

पुंटियस सैंक्टस Puntius Sanctus

तमिलनाडु के वेलनकन्नी (Velankanni) में साइप्रिनिडे (Cyprinidae) परिवार के ताजे पानी की एक छोटी मछली की एक नई प्रजाति 'पुंटियस सैंक्टस' (Puntius Sanctus) का पता चला है।

प्रमुख बिंदु:

- इस मछली की पहचान एवं नामकरण कोल्लम (तमिलनाडु) में बीजेएम गवर्नमेंट कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग के प्रमुख 'मैथ्यूज प्लामूटिल' (Mathews Plamoottil) द्वारा किया गया है।

- यह मछली अत्यंत छोटी होती है जो 7 सेमी. की लंबाई तक बढ़ती है।
- पुंटियस प्रजाति को स्थानीय रूप से केरल में 'पाराल' (Paral) और तमिलनाडु में 'केंडे' (Kende) के नाम से जाना जाता है। वे विशुद्ध रूप से ताजे जल की मछलियाँ हैं।
- हालाँकि केरल और तमिलनाडु में पाई जाने वाली इस मछली में लगभग समानता दिखाई देती है किंतु वेलंकन्नी में पाई गई इस मछली में शेष प्रजाति से अंतर है।

शारीरिक विशेषताएँ:

- इसकी शारीरिक विशेषताओं में एक 'फैला हुआ मुँह' (Protractible Mouth), 'मैक्सिलरी बार्बल्स' (Maxillary Barbels) (मुँह के पास एक संवेदी अंग) की एक जोड़ी, 24-25 पार्श्व रेखा अनुमाप और 10 पूर्व-पृष्ठीय अनुमाप शामिल हैं।

खेलों को 'उद्योग' का दर्जा 'Industry' Status To Sports

पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मिज़ोरम ने रोज़गार सृजन के उद्देश्य से खेलों को उद्योग का दर्जा ('Industry' Status To Sports) दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस निर्णय का मुख्य लक्ष्य राज्य में खेलों को पेशेवर बनाना है।
- मिज़ोरम को विशेष रूप से फुटबॉल के प्रति अपने अहम खेल के लिये जाना जाता है। फुटबॉल, राज्य की सर्वोच्च फुटबॉल लीग 'मिज़ोरम प्रीमियर लीग' के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खेला जाता है।
- ◆ कम-से-कम 100 मिज़ो खिलाड़ी 'इंडियन सुपर लीग' का हिस्सा हैं जो भारत में शीर्ष 'प्रीमियर फुटबॉल लीग' में से एक हैं।
- मिज़ोरम में देश भर के प्रमुख क्लबों के लिये फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की अच्छी खासी संख्या है। हाल के वर्षों में हॉकी और भारोत्तोलन में भी राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

सिकाडा Cicadas

सिकाडा (Cicadas) एक प्रकार के कीड़े हैं जो अपने जीवन का अधिकांश समय भूमिगत रूप से बिताते हैं और 13-17 वर्षों के बाद ये कीट मिट्टी से बाहर निकलते हैं।

- एक बार मिट्टी से बाहर निकलने के बाद इनका जीवनकाल अत्यंत छोटा (दो-चार हफ्तों के बीच) होता है।

प्रमुख बिंदु:

- 17 वर्ष के सिकाडा की तीन प्रजातियाँ और 13 वर्ष के सिकाडा की तीन प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2020-21 का समय आवधिक सिकाडों के प्रकोप का समय बताया जा रहा है।
- ◆ गौरतलब है कि पिछली बार वर्ष 2003-04 में उत्तरी अमेरिका के जंगलों में इनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी।
- ज़मीन से अरबों की संख्या में बाहर निकलने के बाद, सिकाडों अपने पंखों को विकसित करने के लिये ये अपने एक्सोस्केलटन या बाहरी खाल को बाहर निकालते हैं।
- ये कीट अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा पेड़ों की जड़ों या ज़मीन के नीचे बिताते हैं जहाँ ये ज़ाइलम पर निर्भर होते हैं, जब ये बड़े होते हैं तो एक साथ लाखों की संख्या में प्रजनन के लिये बाहर आते हैं।
- नर सिकाडा, मादाओं को आकर्षित करने के लिये 'एक तीव्र ध्वनि' निकालते हैं, इन नर सिकाडों का सामूहिक कोरस बहुत तीव्र होता है और यह 100 डेसिबल तक पहुँच सकता है जो कि एक लानमौवेर (लॉन की घास काटने वाली मशीन) की ध्वनि से भी ज्यादा होता है।
- एक मादा सिकाडो 40-50 अलग-अलग स्थानों में 400 से अधिक अंडे देने में सक्षम होती है। ये अपने अंडे टहनियों पर रखती हैं जिनका व्यास 1/2 से 1/4 होता है। अंडे टहनियों पर 6-10 सप्ताह तक बने रहते हैं, इनसे कीट के बाहर निकल कर ज़मीन पर गिर जाते हैं और अपने भोजन के लिये ज़मीन के अंदर 6-18 इंच तक नीचे चले जाते हैं और 13 या 17 वर्ष बाद ज़मीन से बाहर निकलते हैं।

लाभ:

- वैज्ञानिक बताते हैं कि जमीन से बाहर आने के बाद इन कीटों के मर कर मिट्टी में मिलने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से आसपास के पेड़ों को तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है।

चिंताएं:

- सिकाडों द्वारा अंडे देने से छोटी टहनियों को काफी नुकसान होता है। ये कई सजावटी एवं कठोर लकड़ी वाले पेड़ों विशेष रूप से नए लगाए गए फल वाले पेड़ एवं सजावटी पेड़ जैसे- सेब, डॉगवुड, आडू, चेरी एवं नाशपाती को नुकसान पहुँचाते हैं।

एडेनोवायरस COVID-19 टीका**Adenovirus COVID-19 Vaccine**

एडेनोवायरस COVID-19 टीके (Adenovirus COVID-19 Vaccine) का चरण-1 परीक्षण सुरक्षित है और इसे वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम पाया गया है।

- गौरतलब है कि इसका चरण-2 परीक्षण एक यादृच्छिक, डबल-ब्लाइंड और प्लेसबो-नियंत्रित परीक्षण होगा।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक 'पुनः संयोजक एडेनोवायरस टाइप -5 वेक्टर' का उपयोग करता है जो आनुवंशिक सामग्री को वहन करता है। 'आनुवंशिक सामग्री' नोवेल कोरोनावायरस के 'स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन' के लिये प्रतिबिंबित की जाती है।
- एडेनोवायरस एक कमजोर सामान्य कोल्ड वायरस (Cold Virus) है। यह सामान्य वायरस का एक समूह है जो मनुष्य की आँखों, वायुमार्ग एवं फेफड़ों, आँतों, मूत्रपथ और तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है।

चंबा सुरंग Chamba Tunnel

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने 26 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारधाम परियोजना (Chardham Pariyojana) के तहत 'चंबा सुरंग' (Chamba Tunnel) से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

- सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation- BRO) ने ऋषिकेश-धरासू राजमार्ग (NH-94) पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है।
- BRO प्रतिष्ठित चारधाम परियोजना में एक महत्वपूर्ण हितधारक है और 'टीम शिवालिक' ने इस सुरंग के निर्माण में सफलता हासिल की है।
- इसके निर्माण में नवीनतम ऑस्ट्रियाई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। यह सुरंग पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से लगभग तीन महीने पहले ही इस वर्ष अक्तूबर तक यातायात के लिये खोल दी जाएगी।

चारधाम परियोजना:

- चारधाम परियोजना में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जाने वाले 889 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य शामिल है।
- लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत एवं तकरीबन 889 किमी. की अनुमानित लंबाई वाली प्रतिष्ठित 'चारधाम परियोजना' के तहत BRO, 250 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहा है जो पवित्र तीर्थस्थल गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाएगा।
- BRO को लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत वाले 251 किलोमीटर लंबे खंड सौंपे गए हैं जिनमें 28 किमी. से 99 किलोमीटर तक की लंबाई वाले ऋषिकेश-धरासू राजमार्ग (NH-94), 110 किलोमीटर की लंबाई वाले धरासू-गंगोत्री राजमार्ग (NH-108) और 42 किलोमीटर की लंबाई वाले जोशीमठ से 'माना राजमार्ग' (NH-58) पर 17 परियोजनाएँ शामिल हैं।

जैव विविधता संरक्षण इंटरनशिप कार्यक्रम Biodiversity Samrakshan Internship Programme

22 मई, 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने जैव विविधता के संरक्षण के लिये 'जैव विविधता संरक्षण इंटरनशिप कार्यक्रम' (Biodiversity Samrakshan Internship Programme) शुरू किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस कार्यक्रम में एक खुली, पारदर्शी, ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिये 20 छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्री के साथ संलग्न करने का प्रस्ताव है।
- इस कार्यक्रम में 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority- NBA) और 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UN Development Programme- UNDP) एक नोडल एजेंसी के रूप में शामिल हैं।
- यह कार्यक्रम गतिशील एवं रचनात्मक छात्रों को संलग्न करना चाहता है जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानने और विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में NBA की परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये तथा तकनीकी रूप से 'राज्य जैव विविधता बोर्ड'/'संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद' को उनके अधिदेशों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के इच्छुक हैं।

अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांज़िएंट एंटीना ANtarctic Impulsive Transient Antenna

हाल ही में नासा (NASA) के 'अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांज़िएंट एंटीना' (ANtarctic Impulsive Transient Antenna- ANITA) ने अंटार्कटिका में न्यूट्रिनो की असामान्य ऊर्ध्व गति का पता लगाया है।

प्रमुख बिंदु:

- ANITA उपकरण एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसका उपयोग अंटार्कटिका के ऊपर उड़ने वाले वैज्ञानिक गुब्बारे से 'अल्ट्रा-हाई एनर्जी कॉस्मिक-रे न्यूट्रिनो' का पता लगाने के लिये किया जाता है। इसे नासा (NASA) द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
- ANITA किसी भी प्रकार के न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिये नासा की पहली वेधशाला है।
- ◆ इसमें हीलियम बैलून से जुड़ी रेडियो एंटीना की एक सारणी/व्यूह रचना शामिल है जो अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ की सतह से 37,000 मीटर की दूरी पर उड़ती है।

न्यूट्रिनो (Neutrinos):

- न्यूट्रिनो में 1018 eV के क्रम में ऊर्जा होती है और वे 'आस्कैरियन प्रभाव' (Askaryan Effect) के कारण बर्फ में रेडियो तरंगों को उत्पन्न करने में सक्षम हैं।

आस्कैरियन प्रभाव (Askaryan Effect): आस्कैरियन प्रभाव वह घटना है जहाँ एक सघने डाईइलेक्ट्रिक (जैसे- नमक, बर्फ या चंद्र रेगोलिथ) में प्रकाश के चरण वेग की तुलना में तेज़ी से यात्रा करने वाला एक कण माध्यमिक आवेशित कणों की एक बौछार उत्पन्न करता है।

- जब न्यूट्रिनो एक परमाणु में टूटते हैं तो वे पता लगाने योग्य माध्यमिक कणों की बौछार उत्पन्न करते हैं। ये पता लगाने योग्य माध्यमिक कण हमें यह जाँचने की अनुमति देते हैं कि वे ब्रह्मांड में कहाँ से आए थे?
- न्यूट्रिनो उच्च-ऊर्जा वाले कण हैं जो मानव शरीर के लिये अधिक खतरनाक नहीं होते हैं और बिना किसी को पता चले ये अधिक टोस वस्तुओं से भी गुजरते हैं।
- न्यूट्रिनो की पृथ्वी पर लगातार बौछार होती है और जैसा कि अध्ययनों से पता चला है कि 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो मानव शरीर से प्रत्येक सेकंड गुजरते हैं।

बेव क्यू Bev Q

हाल ही में 'गूगल प्ले स्टोर' (Google Play Store) ने 'बेव क्यू' (Bev Q) एप को मंजूरी दे दी जिसका उपयोग केरल में शराब वितरित करने के लिये किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- इस नव-विकसित मोबाइल एप के माध्यम से केरल राज्य में शराब की बिक्री के लिये आभासी कतार प्रणाली शुरू की जा सकेगी।
- इससे शराब की दुकानों पर भीड़ कम हो जाएगी और साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन भी न हो सकेगा।
- इसका उपयोग केरल के 'बीवरेजेस कॉर्पोरेशन' (Beverages Corporation- BEVCO) द्वारा राज्य में शराब वितरित करने के लिये किया जाएगा।
- इस एप को कोच्चि स्थित एक स्टार्टअप 'फेयरकोड टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा विकसित किया गया है।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद

Financial Stability and Development Council

हाल ही में भारत सरकार ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सरकार के बढ़ते फोकस के मद्देनजर 'वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद' (Financial Stability and Development Council- FSDC) में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को शामिल किया था।

प्रमुख बिंदु:

- वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (Financial Stability and Development Council- FSDC) का गठन दिसंबर, 2010 में किया गया था। यह सांविधिक निकाय (Statutory Body) नहीं है।
- इसने 'वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति' (High-Level Coordination Committee on Financial Markets- HLCCFM) का स्थान लिया।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने वाली क्रियाविधि को मजबूत एवं संस्थागत करना और अंतर-विनियामक समन्वय को बढ़ाना तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है।
- इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्यों में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव या आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अध्यक्ष आदि शामिल होते हैं।

FSDC के उत्तरदायित्व:

- वित्तीय क्षेत्र का विकास
- वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन
- वित्तीय साक्षरता
- अंतर-नियामक समन्वय
- अर्थव्यवस्था का वृहद विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण

एफएआईटीएच परीक्षण FAITH Trial

COVID-19 की उपचार रणनीति के तहत 'ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड' (Glenmark Pharmaceuticals Ltd.), एफएआईटीएच परीक्षण (FAITH Trial) से संबंधित अध्ययन शुरू करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक नया संयोजन नैदानिक परीक्षण है जिसे एफएआईटीएच (FAVipiravir+Umifenovir Trial in Indian Hospital -FAITH) कहा जाता है।
- संभावित COVID-19 उपचार रणनीति के रूप में इस परीक्षण में दो एंटीवायरल दवाओं [फेविपिराविर (Favipiravir) एवं उमिफेनोविर (Umifenovir)] की संयुक्त प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिये एक नया यादृच्छिक, ओपन-लेबल अध्ययन शामिल है।
- इन दोनों एंटीवायरल ड्रग्स/दवाओं के कार्य करने के अलग-अलग तंत्र हैं और उनका संयोजन, रोग के प्रारंभिक चरण के दौरान रोगियों में उच्च वायरल की स्थिति के दौरान प्रभावी ढंग से निपटने में बेहतर उपचार प्रभावकारिता प्रदर्शित कर सकता है।

खीर भवानी मेला Kheer Bhawani Mela

भारत के केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गाँव में इस वर्ष 30 मई, 2020 को आयोजित होने वाले वार्षिक 'खीर भवानी मेले' (Kheer Bhawani Mela) को COVID-19 महामारी के कारण जम्मू-कश्मीर के धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह त्यौहार देश भर के लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों के साथ विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा गांदरबल जिले के प्रसिद्ध राजणा देवी मंदिर (Ragyna Devi Temple) में मनाया जाता है जिन्हें स्थानीय रूप से 'माता खीर भवानी' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार 'जेष्ठ अष्टमी' (Zeshta Ashtami) के दिन मनाया जाता है।
- 'खीर' शब्द का तात्पर्य 'चावल के हलवे' से है जो वसंत ऋतु में देवी को खुश करने के लिये अर्पित किया जाता है।

महत्त्व:

- 'खीर भवानी मेला' कश्मीरी पंडित समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है।
- यह देखा गया है कि 'खीर भवानी मंदिर' के चारों ओर झरने के पानी का रंग कश्मीर घाटी की मौसमी परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ अपना रंग बदलता है।

स्प्रेक्ट्रिन एवं एक्सॉन Spectrin and Axon

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Union Ministry of Science & Technology) के तहत स्वायत्त संस्थान 'रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट' (RRI) के वैज्ञानिकों ने 'आईआईएसईआर पुणे' और पेरिस की 'ड्रेट्टाट यूनिवर्सिटी' के साथ किये गए शोध में इस बात का पता लगाया है कि एक्सॉन (Axon) में मौजूद 'स्प्रेक्ट्रिन' (Spectrin) खिंचाव के कारण होने वाली क्षति से बचाने के लिये रक्षा कवच यानी कि 'शॉक अब्जाबर्' की तरह काम करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- स्प्रेक्ट्रिन, एक्सॉन में उपस्थित लचीले रॉड के आकार के अणु होते हैं।
- एक्सॉन, तंत्रिका कोशिकाओं के लंबे ट्यूबलर एक्सटेंशन (Tubular Extensions) हैं जो लंबी दूरी तक विद्युत संकेतों को प्रसारित करते हैं और मनुष्यों के मामले में यह संकेत एक मीटर तक प्रसारित हो सकते हैं।
- ◆ इस तरह की दूरी में वे अंग या अन्य शारीरिक संचरण के दौरान बड़े खिंचाव या विकृति के अधीन होते हैं।
- यह शोध अध्ययन मनुष्य के सिर की चोटों के साथ-साथ खिंचाव-प्रेरित तंत्रिका चोटों से होने वाली संवेदना को समझने एवं उपचार में मदद कर सकता है।

वीर सावरकर जयंती Veer Savarkar Jayanti

28 मई को स्वतंत्रता सेनानी वीर दामोदर सावरकर की जयंती मनाई गई।

प्रमुख बिंदु:

- वीर सावरकर का पूरा नाम 'विनायक दामोदर सावरकर' था। इनका जन्म 28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था।
- सावरकर इंडिया हाउस (India House) नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे एवं उन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी (Free India Society) की स्थापना भी की थी।
- सावरकर द्वारा वर्ष 1909 में लिखी गई पुस्तक 'द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस', 1857 में उन्होंने यह विचार किया कि वर्ष 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला भारतीय जन विद्रोह था।
- वर्ष 1910 में सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था।
- वर्ष 1911 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 50 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाकर उन्हें अंडमान निकोबार दीप समूह में स्थित कालापानी जेल में डाल दिया गया। लेकिन वर्ष 1921 में उन्हें रिहा कर दिया गया।
- वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार थे।
- वर्ष 1923 में उन्होंने 'हिंदुत्व' (Hindutva) शब्द की व्याख्या की और कहा कि भारत केवल उन्ही लोगों का है जो इसे 'पितृभूमि' और 'पवित्र भूमि' मानते हैं।
- वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व (Hindutva) में द्वि-राष्ट्र सिद्धांत (Two-nation Theory) का प्रतिपादन किया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिये दो अलग-अलग राष्ट्रों की बात कही गई जिसे वर्ष 1937 में हिंदू महासभा ने एक संकल्प के रूप में पारित किया।
- सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और महात्मा गांधी की तीखी आलोचना की, उन्होंने 'भारत छोड़ो आंदोलन' का विरोध किया और बाद में भारत के विभाजन पर कांग्रेस की स्वीकृति पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक देश में दो राष्ट्रों के सह-अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था।
- 26 फरवरी, 1966 को सावरकर का निधन हो गया।
- वर्ष 2000 में अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया था।

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

International Day of United Nations Peacekeepers

प्रत्येक वर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO), 'संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' (International Day of United Nations Peacekeepers) मनाता है।

शीम:

- वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'Women in Peacekeeping- A Key to Peace' है।
- ◆ इस वर्ष की यह थीम महिला, शांति एवं सुरक्षा पर 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' के प्रस्ताव संख्या (1325) को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ को चिह्नित करती है।

उद्देश्य:

- इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिये शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उन्हें सम्मान प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु:

- पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 29 मई, 1948 को गठित किया गया था जब 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की एक छोटी टुकड़ी की तैनाती को अधिकृत किया था।
- यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था।
- प्रत्येक शांति मिशन सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत होता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिये वित्तीय संसाधन जुटाने की सामूहिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की होती है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वैश्विक शांति के लिये अपने संबंधित हिस्से का भुगतान करने के लिये कानूनी रूप से बाध्य है।
- संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों में सैनिक, पुलिस अधिकारी और नागरिक कर्मी शामिल हो सकते हैं।
- शांति सेना को स्वैच्छिक आधार पर सदस्य राष्ट्रों द्वारा योगदान दिया जाता है। शांति अभियानों के नागरिक कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा भर्ती एवं तैनात किये जाने वाले 'अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवक' हैं।
- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना संघर्ष से युक्त देशों में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद करती है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन का आरंभ वर्ष 1948 में किया गया था और इसने अपने पहले मिशन में वर्ष 1948 में ही अरब-इजरायल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन तीन बुनियादी सिद्धांतों का पालन करता है:
 - ◆ शामिल सभी पक्षों की सहमति का ख्याल रखना।
 - ◆ शांति व्यवस्था कायम रखने के दौरान निष्पक्ष बने रहना।
 - ◆ आत्म-रक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा किसी भी स्थिति में बल-प्रयोग नहीं करना।

मध्यप्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का वित्तपोषण Financing Hydro-electric projects & Multipurpose projects in Madhya Pradesh

'ऊर्जा वित्त निगम' (Power Finance Corporation- PFC) ने मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजनाओं एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये 'नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (NBPCCL) के साथ एक समझौता किया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'ऊर्जा वित्त निगम' (PFC), केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) है और भारत की अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Financial Company-NBFC) भी है।
- 'नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड' (NBPCCL) मध्य प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
- इस समझौते के तहत वित्तपोषित की जाने वाली कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हैं:
 - ◆ बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना, डिंडोरी
 - ◆ चिंकी बोरस बहुउद्देशीय परियोजना नरसिंहपुर रायसेन, होशंगाबाद
 - ◆ सक्कर पेंच लिंक नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा
 - ◆ दूधी परियोजना छिंदवाड़ा होशंगाबाद आदि।

ऑपरेशन वॉर्प स्पीड Operation Warp Speed

‘ऑपरेशन वॉर्प स्पीड’ (Operation Warp Speed) संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार द्वारा COVID-19 से निपटने के लिये शुरू की गई एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी पहल है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य COVID-19 के टीके, चिकित्साविधान/चिकित्साशास्त्र और नैदानिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना एवं उसमें तेजी लाना है।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक प्रकार का अंतर-संस्था कार्यक्रम है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के निम्नलिखित घटक शामिल हैं:
 - ◆ रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention- CDC)
 - ◆ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration- FDA)
 - ◆ राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (National Institutes of Health) और निजी फर्म।

मोंटेनेग्रो MONTENEGRO

मोंटेनेग्रो/मोंटीनेग्रो (MONTENEGRO) यूरोपीय महाद्वीप का पहला ऐसा देश है जिसने स्वयं को कोरोनावायरस मुक्त घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- मोंटेनेग्रो बाल्कन प्रायद्वीप के तट पर स्थित दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी यूरोप का एक देश है।
- इसका सीमा विस्तार उत्तर-पश्चिम में बोस्निया-हर्जेगोविना, उत्तर-पूर्व में सर्बिया, पूर्व में कोसोवो, दक्षिण-पूर्व में अल्बानिया, दक्षिण-पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और पश्चिम में क्रोएशिया तक है।
- मोंटेनेग्रो अपने आच्छादित पर्वतों, हिमनद झीलों और चहल-पहल वाले समुद्री तटों के लिये जाना जाता है।
- इसकी प्रशासनिक राजधानी पॉडगोरिका (Podgorica) है। सेटिंजे (Cetinje) को पुरानी शाही राजधानी के रूप में नामित किया गया है।
- मोंटेनेग्रो ‘डेन्यूब नदी के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय आयोग’ (International Commission for the Protection of the Danube River) का एक सदस्य देश है।
 - ◆ गौरतलब है कि इस देश का 2,000 वर्ग किमी. से अधिक क्षेत्र ‘डेन्यूब जलग्रहण क्षेत्र’ (Danube Catchment Area) के अंतर्गत आता है।

डेन्यूब नदी के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय आयोग’ (International Commission for the Protection of the Danube River- ICPDR):

- यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना ‘डेन्यूब रिवर प्रोटेक्शन कन्वेंशन’ द्वारा की गई थी जिस पर वर्ष 1994 में बुल्गारिया में डेन्यूब नदी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशों ने हस्ताक्षर किये थे।
- इसका सचिवालय वियना में है।

स्पेस एक्स का स्टारशिप एसएन4 प्रोटोटाइप SpaceX's Starship SN4 Prototype

स्पेस एक्स कंपनी का चौथा स्टारशिप प्रोटोटाइप एसएन4 (SN4) टेक्सास के ‘बोका चिका’ में 29 मई, 2020 को एक परीक्षण-फायरिंग ऑपरेशन के दौरान फट गया।

प्रमुख बिंदु:

- स्पेस एक्स कंपनी के पिछले तीन स्टारशिप प्रोटोटाइप भी विफल हो गए थे और परीक्षण स्थलों पर परीक्षणों के दौरान नष्ट हो गए थे।
- एक निजी रॉकेट कंपनी के संस्थापक एलन मस्क वर्ष 2024 के आस-पास चंद्रमा की सतह पर नासा (NASA) के अंतरिक्ष यात्री को ले जाने और अंतिम लक्ष्य के रूप में वर्ष 2030 के बाद मंगल ग्रह पर शहरों की स्थापना के लिये जोर देने वाली प्रणाली को तेजी से विकसित करने पर जोर दे रहे हैं।
- पहले प्रयास में विफल होने के बाद SpaceX कंपनी एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन (डेमो-2 मिशन) शुरू करने के लिये अपना दूसरा प्रयास शुरू करेगी।
- इस मिशन में फाल्कन-9 (Falcon-9) रॉकेट का उपयोग किया जायेगा। इसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिये भेजा जाएगा।

इंटरहैमवे मिलिशिया Interahamwe Militia

‘इंटरहैमवे मिलिशिया’ (Interahamwe Militia), ‘डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो’ और युगांडा में सक्रिय एक ‘हूतू अर्द्धसैनिक संगठन’ (Hutu Paramilitary Organization) है।

प्रमुख बिंदु:

- इसका गठन वर्ष 1990 के आस-पास रवांडा की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी द्वारा ‘नेशनल रिपब्लिकन मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड डवलपमेंट’ के एक युवा विंग के रूप में किया गया था।
- ‘इंटरहैमवे मिलिशिया’ रवांडा नरसंहार के मुख्य अपराधी थे जिन्होंने अप्रैल 1994 से जुलाई 1994 दौरान लगभग 500,000 से 1,000,000 तुत्सी (Tutsi), त्वा (Twa) और उदारवादी हूतू लोगों की हत्या की थी।
- ◆ रवांडा नरसंहार में हूतू जनजाति से जुड़े चरमपंथियों ने अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय के लोगों और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया था।
- ◆ उल्लेखनीय है कि रवांडा की कुल आबादी में हूतू समुदाय की हिस्सेदारी 85% है किंतु लंबे समय से तुत्सी अल्पसंख्यकों का देश पर दबदबा रहा था।

मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल Marine Stewardship council

हाल ही में ‘मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल’ (Marine Stewardship council- MSC) द्वारा ‘सस्टेनेबल टूना हैंडबुक’ (Sustainable Tuna Handbook) प्रकाशित की गई।

प्रमुख बिंदु:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ‘ब्लू MSC लेबल’ के साथ 54,000 टन से अधिक टूना मछली की बिक्री की गई जबकि वर्ष 2015-16 में यह मात्रा 21,500 टन थी।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना के पारिस्थितिक और आर्थिक महत्त्व को मान्यता के लिये प्रत्येक वर्ष 2 मई को विश्व टूना दिवस (World Tuna Day) मनाया जाता है।

मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल (Marine Stewardship council- MSC):

- ‘मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल’ (MSC) एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है जो स्थायी रूप से मछली पकड़ने हेतु मानक निर्धारित करता है।
- MSC की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। वर्ष 1999 में इसे संस्थापक सहयोगियों [वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) और यूनिलीवर] से अलग करके एक स्वतंत्र निकाय बना दिया गया।
- इसका मुख्यालय लंदन में है।

विज्ञान:

- MSC का विज्ञान विश्व के महासागरों की सुरक्षा करना है जो वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिये सुरक्षित समुद्री भोजन की आपूर्ति करते हैं।

मिशन:

- इसका मिशन स्थायी रूप से मछली पकड़ने की प्रथाओं की पहचान करने एवं उन्हें पुरस्कृत कर विश्व के महासागरों के स्वास्थ्य में योगदान के लिये 'पारिस्थितिकी एवं मत्स्य प्रमाणन कार्यक्रम' का उपयोग करना है।



विविध

आयुरक्षा' कार्यक्रम

हाल ही में आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda-AIIA) एवं दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिये 'आयुरक्षा' (AYURAKSHA) नाम से एक संयुक्त कार्यक्रम लॉन्च किया है। 'आयुरक्षा-कोरोना से जंग-दिल्ली पुलिस के संग' नामक इस संयुक्त कार्यक्रम का लक्ष्य आयुर्वेद प्रतिरक्षण बढ़ाने वाले सरल उपायों के माध्यम से कोरोनावायरस (COVID-19) का मुकाबला करना है। ये उपाय आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइज़री के अनुरूप हैं। इसमें च्वयनप्राश (मुख्य तत्व के रूप में आंवला), अनु तैला एवं संशामणि वटी (गुडुची से निर्मित) जैसे अनुशासित फार्मूलेशन (Formulations) की सरल औषधियाँ शामिल हैं जो समय सिद्ध हैं और प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने के लिये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं। यह कार्यक्रम 80000 दिल्ली पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के सुरक्षा के मद्देनजर शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस के प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक कियोस्क की स्थापना करने की भी योजना बनाई गई है जिसमें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के परामर्शदाताओं द्वारा आरंभ में 15 दिनों के लिये आहार एवं जीवनशैली संबंधित संपूर्ण जानकारी एवं प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने में आयुर्वेदिक फार्मूलेशन की उपयोगिता के संबंध में जानकारी दी जाएगी। ध्यातव्य है कि पुलिसकर्मी अग्रिम पंक्ति में रहकर कोरोनावायरस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में वे इस महामारी के प्रति काफी संवेदनशील हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। लॉकडाउन संबंधी नियमों को लागू करने में पुलिसकर्मी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

चुनी गोस्वामी

वर्ष 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जितने वाली टीम के कप्तान और भारत के महान पूर्व फुटबॉलर चुनी गोस्वामी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चुनी गोस्वामी का जन्म 15 जनवरी, 1938 को बंगाल प्रेसीडेंसी के किशोरगंज जिले (वर्तमान बांग्लादेश) में हुआ था। चुनी गोस्वामी वर्ष 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान होने के अतिरिक्त बंगाल के लिये प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। गोस्वामी ने भारत के लिये फुटबॉलर के तौर पर वर्ष 1956 से वर्ष 1964 तक 50 मैच खेले। वहीं क्रिकेटर के तौर पर वर्ष 1962 और वर्ष 1973 के बीच 46 प्रथम श्रेणी मैचों में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने वर्ष 1962 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार जीता था। इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष 1963 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 1983 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गौरतलब है कि भारतीय डाक विभाग ने इसी वर्ष जनवरी माह में चुनी गोस्वामी के 82वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय फुटबॉल में उनके योगदान के लिये विशेष डाक टिकट जारी किया था।

COVID-19 उपकर

नगालैंड ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिये COVID-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है। विदित हो कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियाँ काफी कम हो गई हैं, जिससे राज्यों को राजस्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है, राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिये राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। नगालैंड सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार, 29 अप्रैल से डीजल के लिये 5 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल तथा मोटर स्पिरिट के लिये 6 रुपए का उपकर लगाया जाएगा। ध्यातव्य है कि यह फैसला नगालैंड (मोटर स्पिरिट और लुब्रीकेंट्स समेत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री) कराधान अधिनियम, 1967 (संशोधित) के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर लिया गया है। नगालैंड के अतिरिक्त मेघालय ने भी पेट्रोल और डीजल सहित मोटर स्पिरिट पर 2 प्रतिशत की दर से बिक्री कर अधिभार लगाया है।

आर.वी. स्मिथ

दिल्ली के प्रतिष्ठित इतिहासकार और इतिवृत्त लेखक रोनाल्ड विवियन स्मिथ (Ronald Vivian Smith) का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आर.वी. स्मिथ का जन्म वर्ष 1938 में आगरा में हुआ था, और वे ग्वालियर आर्मी के कर्नल सल्वाडोर स्मिथ (1783-1871) के परिवार से हैं। आर.वी. स्मिथ ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत वर्ष 1956

में अखबारों में लिखने के साथ की थी। इसके पश्चात् उन्होंने दिल्ली में समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) और द स्टेटसमैन अखबार के लिये भी काम किया। वर्ष 1996 में वह समाचार संपादक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी प्रमुख किताबें हैं 'दिल्ली : अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी' (Delhi: Unknown Tales of a City), 'द दिल्ली दैट नो वन नोज़' (The Delhi That No-One Knows) आदि हैं। इसके अलावा उन्होंने ताजमहल पर भी एक पुस्तक लिखी है।

श्रमिक स्पेशल ट्रेन

हाल ही में केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इनमें केवल वही व्यक्ति सफर करेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किया जाएगा, शेष सभी प्रकार की औपचारिकताएँ राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएंगी। भारतीय रेलवे के अनुसार, श्रमिक स्पेशल गाड़ियों में केवल जिला प्रशासन द्वारा नामित व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है। रेलवे के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो दूसरे राज्य में फँसा हुआ है और अपने घर जाना चाहता है तो वह इस संबंध में जिला प्रशासन से संपर्क कर सकता है। श्रमिक स्पेशल गाड़ी के लिये राज्यों को पूर्ण अर्थो रिटी बनाया गया है। रेलवे प्रशासन केवल उन्हीं लोगों को स्टेशन परिसर में प्रवेश देगा, जिनके पास जिला प्रशासन की मंजूरी होगी। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ न हो इसके लिये राज्य सरकारें समूह में लोगों को भेजेंगी। एक ट्रेन में केवल 1000 से 1200 लोग ही यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन में सवार होने से पहले सभी लोगों की मेडिकल जाँच की जाएगी और उन्हें इस संबंध में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गाड़ी में सवार सभी लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी होगा।

प्रो. बी. बी. लाल

हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता प्रो. बी बी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में ई-बुक 'प्रो. बी. बी. लाल-इंडिया रिडिस्कवर्ड' (B. B. Lal-India Rediscovered) का विमोचन किया है। ध्यातव्य है कि प्रो. बी. बी. लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में बेंडोरा गाँव में 02 मई, 1921 को हुआ। यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण है जो कि संस्कृति मंत्रालय की प्रो. बी. बी. लाल शताब्दी समारोह समिति द्वारा तैयार की गई है। प्रो. बी. बी. लाल को इसी वर्ष (वर्ष 2020) में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह वर्ष 1968 से वर्ष 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) के महानिदेशक थे और उन्होंने भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त प्रो. बी. बी. लाल ने यूनेस्को (UNESCO) की विभिन्न समितियों में भी कार्य किया है। लगभग पाँच दशक तक लंबे अपने कैरियर में प्रो. लाल ने पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रो. बी. बी. लाल ने हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिशुपालगढ़ (ओडिशा), पुराना किला (दिल्ली), कालिबंगन (राजस्थान) समेत कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की। वर्ष 1975-76 के पश्चात् प्रो. बी. बी. लाल ने रामायण के पुरातात्विक स्थलों के तहत अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, श्रंगवेरपुरा, नंदीग्राम एवं चित्रकूट जैसे स्थलों की भी जाँच की थी।

रॉस टेलर

हाल ही में अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर (Ross Taylor) को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। ध्यातव्य है कि रॉस टेलर ने तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिये तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली मेडल (Sir Richard Hadlee Medal) प्राप्त किया है। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी हैं। विदित हो कि सर रिचर्ड हैडली मेडल न्यूजीलैंड का सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट इतिहास में सबसे महान तेज गेंदबाजों तथा ऑलराउंडरों में से एक सर रिचर्ड जॉन हैडली के सम्मान में प्रदान किया जाता है। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिये कुल 232 वनडे, 100 T20 और 101 टेस्ट मैच खेले हैं। 08 मई, 1984 को न्यूजीलैंड में पैदा हुए रॉस टेलर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1 मार्च, 2006 को वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेला था। रॉस टेलर के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की बात करें तो उन्होंने कुल 101 टेस्ट मैचों में 7239 रन, 233 वनडे में 8569 रन और 100 T20 में 1909 रन बनाए हैं। ध्यातव्य है कि रॉस टेलर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) की ओर से खेलते हैं।

भारतमार्केट

खुदरा कारोबारियों के संगठन 'कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (Confederation of All India Traders-CAIT) ने घोषणा की है कि वह जल्द ही विभिन्न प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर सभी खुदरा व्यापारियों के लिये एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस 'भारतमार्केट' (BharatMarket) शुरू करेगी। CAIT ने एक विज्ञापित में कहा कि यह विनिर्माताओं के लिये लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति

श्रृंखला तथा उपभोक्ताओं को घर पर सामान पहुँचाने के लिये विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा और इसमें देश भर के विभिन्न खुदरा कारोबारियों की भागीदारी होगी। इस राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। वर्ष 1990 में कुछ समर्पित व्यापारियों ने व्यापारियों की समस्याओं को संभालने और उन्हें प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) का गठन किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

कोयला मंत्रालय की 'परियोजना निगरानी इकाई'

हाल ही में कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खानों के परिचालन को सुगम बनाने की सुविधा हेतु एक परियोजना निगरानी इकाई शुरू की है। कोयला मंत्रालय की यह 'परियोजना निगरानी इकाई' ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) की सुविधा प्रदान करेगी क्योंकि इससे खानों को संचालित करने के लिये समय पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। यह इकाई खदानों को राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों से उनके संचालन के लिये मंजूरी लेने में भी मदद करेगी। यह इकाई देश में कारोबारी माहौल और कोयले के उत्पादन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी। भारत में कोयले को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में देखा जाता है और यह देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। वर्ष 2019 के आँकड़ों के अनुसार, कोयला देश की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है। ध्यातव्य है कि देश की औद्योगिक विरासत स्वदेशी कोयले की नींव पर ही बनाई गई है। भारत में दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा कोयला भंडार मौजूद है। भारत में कोयले का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल हैं-ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना।

के.एस. निसार अहमद

कन्नड़ के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद (K. S. Nissar Ahmed) का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। के.एस. निसार अहमद का जन्म 5 फरवरी, 1936 को बंगलुरु के ग्रामीण जिले के देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था, और उनका पूरा नाम कोकरे होसहल्ली शेख हैदर निसार अहमद (Kokkare Hosahalli Shekh Haider Nissar Ahmed) था। के.एस. निसार अहमद अपनी नित्योत्सव कविता के कारण कर्नाटक सहित में काफी प्रसिद्ध थे। उनकी रचना बाद में एक लोकप्रिय भी गीत बन गई थी। प्रोफेसर अहमद पेशे से एक भूगर्भशास्त्री थे और उन्होंने भूगर्भशास्त्र के व्याख्याता (Lecturer) के तौर पर अध्यापन भी किया था। वे वर्ष 2007 में शिवमोगा में आयोजित कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के 73वें अध्यक्ष भी थे। के.एस. निसार अहमद को वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज्योत्सव पुरस्कार कर्नाटक राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य के गठन के अवसर पर कन्नड़ राज्योत्सव में प्रदान किया जाता है।

शहरी रोज़गार गारंटी योजना

हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनजर राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सृष्टि करने के उद्देश्य से शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोज़गार प्रदान किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में लोगों के कौशल उन्नयन हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। ध्यातव्य है कि कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के फलस्वरूप प्रदेश में बाहरी राज्यों से कई लोग वापस आएँ हैं, जिन्हें जीवनयापन के पर्याप्त रोज़गार उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व हो गया है। राज्य में लौटे ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में कुशल हैं और सरकार के निर्देशानुसार, उनकी कार्यकुशलता के अनुरूप ही उन्हें रोज़गार और स्वरोज़गार मुहैया कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। ध्यातव्य है कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board) के तहत पंजीकृत लगभग एक लाख श्रमिकों को 2000 रुपए प्रदान किये हैं, जिस पर अब तक 20 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं। राज्य के मंत्रिमंडल ने इन श्रमिकों को और 2000 रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है।

सत्यजीत रे

02 मई, 2020 को सारे देश में मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे (Satyajit Ray) की जन्मशती मनाई गई। 02 मई, 1921 को कलकत्ता में जन्मे सत्यजीत रे 20वीं शताब्दी के कुछ चुनिंदा प्रसिद्ध लोगों में से एक थे, जिन्होंने फिल्मों की यथार्थवादी शैली को एक नई दिशा देने के साथ-साथ साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत रे प्रमुख रूप से फिल्म निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 36 फिल्मों का निर्देशन किया। सत्यजीत रे को वर्ष 1991 में ऑस्कर से सम्मानित किया गया

था। अपनी जीवनकाल में सत्यजीत रे को दादा साहेब फाल्के, भारत रत्न और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। सत्यजीत रे की कुछ चर्चित फिल्मों में पाथेर पांचाली, अपुर संसार, अपराजितो, जलसा घर, अभियान आदि का नाम शामिल है। फ्रांस सरकार ने फिल्म जगत में असाधारण योगदान के लिये सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'लिजिएन ऑफ ऑनर' (Legion of Honour) से पुरस्कृत किया था। सत्यजीत रे का निधन अप्रैल 1992 में हुआ था।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन

नीदरलैंड (Netherlands) और यूनेस्को (UNESCO) वर्ष 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन (World Press Freedom Conference) की मेजबानी करेंगे। यह सम्मेलन 18-20 अक्टूबर, 2020 को नीदरलैंड के हेग (Hague) शहर में आयोजित किया जाएगा। 'भय अथवा पक्षपात के बिना पत्रकारिता' (Journalism Without Fear or Favour) को वर्ष 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के विषय के रूप में चुना गया है। ध्यातव्य है कि कई देशों में मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पत्रकारों को किसी विशेष व्यक्ति, राय, विचारधारा अथवा अन्य कारकों से भय या पक्षपात के बिना अपना काम करने में सक्षम बनाना है। विदित हो कि हाल ही में 03 मई, 2020 को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' (World Press Freedom Day) मनाया गया। वर्ष 2020 के लिये 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' की थीम भी 'भय अथवा पक्षपात के बिना पत्रकारिता' (Journalism Without Fear or Favour) थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्त्व के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। वर्ष 2020 में जारी 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' (World Press Freedom Index-2020) में भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर पहुँच गया है, जबकि बीते वर्ष भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था।

संदीप कुमारी

डिस्कस थ्रोअर (discus thrower) एथलीट संदीप कुमारी पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (World Anti-Doping Agency- WADA) की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (Athletics Integrity Unit) ने डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। ध्यातव्य है कि लगभग दो वर्ष पहले राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (National Dope Testing Laboratory- NDTL) संदीप कुमारी के नमूनों में प्रतिबंधित पदार्थ का पता लगाने में विफल रही थी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) को वर्ष 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, यह खेल आंदोलन और विश्व की सरकारों द्वारा समान रूप से वित्त पोषित है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। इस संगठन की प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, एंटी-डोपिंग क्षमताओं का विकास करना और विश्व एंटी-डोपिंग संहिता (कोड) की निगरानी करना शामिल है। विश्व एंटी-डोपिंग संहिता (कोड) सभी खेलों एवं देशों में डोपिंग विरोधी नीतियों का सामंजस्य स्थापित करने वाला दस्तावेज है।

'एनजीएमए के संग्रह से' कार्यक्रम

COVID-19 की वजह से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (National Gallery of Modern Art-NMGA) को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, इस दौरान राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (NMGA) अपने संग्रह की दुर्लभ कलाकृतियों को प्रस्तुत करने के लिये 'एनजीएमए के संग्रह से' नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। ये कार्यक्रम NMGA के प्रतिष्ठित संग्रहों से तैयार किये जाएंगे और विभिन्न साप्ताहिक/दैनिक विषयों पर आधारित होंगे। इस सप्ताह की थीम 'कलाकार, कलाकारों के द्वारा' (ARTIST BY ARTISTS) है और यह रवींद्रनाथ टैगोर को समर्पित है। ध्यातव्य है कि इस सप्ताह 7 मई, 2020 को रवींद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती भी है। इन वर्चुअल कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के माध्यम से कला प्रेमियों, कलाकारों, छात्रों, शिक्षकों आदि को अपने घरों से दुर्लभ कलाकृतियों को देखने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय कला संग्रहालय बनाने का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1949 में अंकुरित और प्रस्फुटित हुआ था, जिसके पश्चात् 29 मार्च, 1954 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गणमान्य कलाकारों एवं कला प्रेमियों की उपस्थिति में देश के उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्ण ने औपचारिक रूप से NMGA की स्थापना की। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्यों में वर्ष 1850 से अब तक की आधुनिक कलाकृतियों (आधुनिक कलात्मक वस्तुओं) को प्राप्त करना एवं उनका संरक्षण करना, देश और विदेशों में विशिष्ट प्रदर्शनियों का आयोजन, कला से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना शामिल है।

राष्ट्रमंडल युवा खेल वर्ष 2023 तक स्थगित

वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों (Commonwealth Youth Games) को वर्ष 2023 तक स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के साथ इसकी तारीखों का टकराव हो रहा था। ध्यातव्य है कि 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक आयोजित

होने वाले टोक्यो ओलंपिक को बीते दिनों COVID-19 महामारी के मद्देनजर एक वर्ष के लिये स्थगित किया गया था। राष्ट्रमंडल युवा खेल (Commonwealth Youth Games) एक अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है जिसका आयोजन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (Commonwealth Games Federation) द्वारा किया जाता है। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड (Scotland) में वर्ष 2000 में किया गया था। राष्ट्रमंडल युवा खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के लिये आयु सीमा 14 से 18 वर्ष है।

निगाह' कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश सरकार 'निगाह' (Nigah) नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसमें उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक किया जाएगा, जो देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आ रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) जैसे मानकों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस संदर्भ में सूचना देते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि चूँकि हिमाचल प्रदेश के हजारों लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि घर पहुँचने वाले किसी भी व्यक्ति की पूर्णतः जाँच की जाए और उससे संबंधित सूचना को रिकॉर्ड किया जाए। 'निगाह' कार्यक्रम के तहत सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को COVID-19 से संबंधित विभिन्न उपायों का पालन करने हेतु संवेदनशील और जागरूक बनाया जाएगा। ध्यातव्य है कि भारत सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके घर तक पहुँचने में मदद करने के लिये ट्रेन व बस सुविधा शुरू की थी। हालाँकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे विभिन्न उपायों का पालन किया जा रहा है, किंतु इसके बावजूद यात्रा के दौरान संक्रमण का खतरा काफी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ऐसे लोगों का COVID-19 परीक्षण नहीं किया जा रहा है, ऐसे में 'निगाह' जैसे विशेष कार्यक्रमों का महत्त्व भी काफी अधिक बढ़ गया है।

कार्ल मार्क्स

05 मई, 2020 को जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स की 201वीं जयंती मनाई गई। कार्ल मार्क्स का जन्म 05 मई, 1818 को जर्मनी में हुआ था और उनका नाम कार्ल हेनरिख मार्क्स था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में कार्ल मार्क्स ने विधि (Law) का अध्ययन करने के लिये बॉन विश्वविद्यालय (University of Bonn), जर्मनी में प्रवेश लिया। तत्पश्चात् उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास तथा दर्शन का अध्ययन किया। इसी काल में वह हीगल के दर्शन से काफी अधिक प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में काफी कुछ लिखा, किंतु उनकी दो कृतियाँ 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' (Communist Manifesto) और 'दास कैपिटल' (Das Kapital) काफी प्रसिद्ध हैं और इन पुस्तकों ने एक समय दुनिया के कई देशों और करोड़ों लोगों पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफी प्रभाव डाला। 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' और अपने अन्य लेखों में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में 'वर्ग संघर्ष' की बात की और स्पष्ट किया कि किस प्रकार अंततः संघर्ष में सर्वहारा वर्ग पूरी दुनिया में बुर्जुआ वर्ग को हटाकर सत्ता प्राप्त कर लेगा। कार्ल मार्क्स उस समय बच्चों को स्कूल भेजने की वकालत कर रहे थे, जब लगभग पूरी दुनिया में बालश्रम अपनी चरम पर था। कार्ल मार्क्स बच्चों को स्कूल भेजना चाहते थे, न कि काम पर। कार्ल मार्क्स का मत था कि यदि समाज में कोई व्यक्ति गलत है अथवा अगर आप महसूस कर रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय या भेदभाव हो रहा है, तो हमें अन्याय करने वाले व्यक्ति का विरोध करना चाहिये। दरअसल मार्क्स की सफलता उस पूरे विचार को बदलने की है जो शोषण को दुनिया का समय नियम मानता है। हालाँकि विचारकों और चिंतकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मार्क्स के विचारों का घोर विरोध करता है और उन्हें अप्रासंगिक करार देता है। आलोचक मानते हैं कि मार्क्स के अनुयायी उनके विचारों के गुण-दोष को मापे बिना उनका अंधानुकरण करते हैं, आलोचकों का मत है कि मार्क्स के विचारों में पर्यावरण को बिल्कुल भी महत्त्व नहीं दिया गया है। वर्ष 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ' की स्थापना में मार्क्स ने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 14 मार्च, 1883 को उनका निधन हो गया।

'गरुड़' पोर्टल

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation-DGCA) ने 'गरुड़' (GARUD) नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। 'गरुड़' (GARUD) का पूर्ण स्वरूप 'गवर्मेंट ऑथोरिज़ेशन फॉर रिलीफ यूज़िंग ड्रॉन्स' (Government Authorisation for Relief Using Drones) है। 'गरुड़' पोर्टल COVID-19 महामारी से मुकाबले के लिये ड्रॉन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिये

राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। ध्यातव्य है कि कई राज्य संस्थाएँ सार्वजनिक स्थानों को कीटाणुरहित करने के लिये ड्रोन का प्रयोग कर रही हैं, ऐसे में यह पोर्टल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है, जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जाँच करती है। यह भारत के लिये/से/भारत के भीतर, विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिये भी उत्तरदायी है।

ज्ञानी जैल सिंह

05 मई, 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की 104वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई, 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। ध्यातव्य है कि ज्ञानी जैल सिंह भारतीय राष्ट्रपति के पद पर पहुँचने वाले पहले सिख राजनेता थे। स्वतंत्रता से पूर्व ज्ञानी जैल सिंह विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा बने रहे थे। स्वतंत्रता से पूर्व ही वे कॉन्ग्रेस में शामिल हो गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वे 1956 से लेकर वर्ष 1962 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। वर्ष 1972 में वे पंजाब के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। 25 जुलाई, 1982 को उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिये शपथ ली और इसी के साथ वे इस पद तक पहुँचने वाले पहले सिख बन गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 'ब्लूस्टार ऑपरेशन' एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ देखीं। 25 जुलाई, 1987 को ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके पश्चात् 25 दिसंबर, 1994 को एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।

फोर्ब्स इंडिया बिलियनयर्स लिस्ट 2020

हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स (Forbes) ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनयर्स लिस्ट 2020 (Forbes India Billionaires list 2020) जारी की है। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालाँकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे पहले स्थान पर मौजूद हैं। वहीं स्टॉक मार्केट (Stock Market) में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधाकृष्णन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ध्यातव्य है कि यह पहली बार है जब राधाकृष्णन दमानी को इस सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तकरीबन 11.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ HCL के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नादर को इस सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में चौथा स्थान इन्वेस्टमेंट बैंकर (Investment Bankers) उदय कोटक (10.4 बिलियन डॉलर) को प्राप्त हुआ है, वहीं पाँचवें स्थान पर अडानी ग्रुप के अध्यक्ष के गौतम अडानी (8.9 बिलियन डॉलर), छठे स्थान पर भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील मित्तल (8.8 बिलियन डॉलर), सातवें स्थान पर भारतीय व्यवसायी साइरस पूनावाला (8.2 बिलियन डॉलर) और आठवें स्थान पर आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार बिड़ला (7.6 बिलियन डॉलर) मौजूद हैं। फोर्ब्स इंडिया बिलियनयर्स लिस्ट 2020 के अनुसार, भारत में बिलियनयर्स की कुल संख्या 102 हो गई है, जो कि बीते वर्ष 106 थी। उल्लेखनीय है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस (BYJU'S) के संस्थापक बायजू रविंद्रन (Byju Raveendran) को भी इस सूची में पहली बार स्थान मिला है और इसी के साथ वे इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं। ध्यातव्य है कि बायजू रविंद्रन की कुल अनुमानित संपत्ति तकरीबन 1.8 बिलियन है।

ऑपरेशन 'समुद्र सेतु'

अपनी तरह के अब तक के सबसे बड़े निकासी अभियान के तहत भारतीय नौसेना ने विदेशों में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की है। इस निकासी अभियान की शुरुआत में नौसेना के INS जलाश्व (INS Jalashwa) और एक अन्य जहाज को मालदीव में भेजा गया है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर के अनुसार, भारतीय नागरिकों की निकासी के लिये व्यापक व्यवस्था की गई है। ध्यातव्य है कि नागरिकों की निकासी का कार्य 8 मई से शुरू किया जाएगा और अनुमान के मुताबिक लगभग 2000 से अधिक फँसे लोगों को निकला जाएगा। वापस लाए गए लोगों को केरल में कोच्चि में उतारा जाएगा और राज्य अधिकारियों की देखरेख में सौंप दिया जाएगा। भारतीय नौसेना के अनुसार, मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये नौसेना के तीन युद्धपोतों को रवाना किया गया है। इन युद्धपोतों में INS जलाश्व, INS मगर और INS शार्दुल शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, देश भर में कोरोनावायरस संक्रमण के कुल 52000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और इस वायरस के प्रभाव से तकरीबन 1700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

सीमा सड़क संगठन

07 मई, 2020 को सीमा सड़क संगठन (Border Road Organization-BRO) ने अपना 60वाँ स्थापना दिवस मनाया। सीमा सड़क संगठन (BRO) की स्थापना 7 मई, 1960 को हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण संस्था के रूप में कार्य करता है। ध्यातव्य है कि यह संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रिणी भूमिका अदा कर रहा है। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण तथा इसके रखरखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक आवश्यकताएँ पूरी की जाएँ। उल्लेखनीय है कि आजादी के पश्चात् के शुरूआती वर्षों में भारत के सामने लगभग 15000 किमी लंबी सीमा रेखा की सुरक्षा तथा अपर्याप्त सड़क साधन वाले उत्तर व उत्तर पूर्व के आर्थिक रूप से पिछड़े सुदूरवर्ती इलाके को भविष्य में उन्नत व विकसित करने का दायित्व था और BRO इस दायित्व को पूरा करने के लिये काफी तेजी से कार्य कर रहा है।

लोक लेखा समिति

संसद में कॉन्ग्रेस के नेता 'अधीर रंजन चौधरी' को संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) का अध्यक्ष चुना गया है। ध्यातव्य है कि परंपरा के तौर पर संसद की इस समिति के अध्यक्ष के तौर पर विपक्ष के नेता को ही चुना जाता है। समिति का कार्यकाल 01 मई, 2020 से शुरू हो चुका है, जो कि 30 अप्रैल, 2021 तक रहेगा। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा अथवा जाँच करने वाली समिति होती है। इस जाँच का आधार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General-CAG) की रिपोर्ट होती है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अंतर्गत पहली बार वर्ष 1921 में हुआ था। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्यों को शामिल किया जाता है।

तरुण बजाज

केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। तरुण बजाज 30 अप्रैल, 2020 को सेवानिवृत्त हुए अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। रिज़र्व बैंक के अनुसार, तरुण बजाज का नामांकन 05 मई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। ध्यातव्य है कि तरुण बजाज वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। इससे पूर्व तरुण बजाज वित्त मंत्रालय में ही आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव और वित्त सेवा विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव के तौर पर अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। तरुण बजाज को वित्त मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। उल्लेखनीय है कि तरुण बजाज ने ऐसे समय में प्रभार संभाला है, जब देश कोरोनावायरस महामारी का सामना कर रहा है, और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें राजस्व की कमी का सामना कर रही हैं। कोरोनावायरस जनित लॉकडाउन के कारण देश में तमाम आर्थिक और गैर-आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में नीति निर्माण की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण हो गई है।

भारतीय मौसम विभाग

भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department-IMD) के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों को भी अपनी मौसम पूर्वानुमान सूची में शामिल कर लिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अब विभाग ने गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) और मुज़फ्फराबाद (Muzaffarabad) के लिये भी पूर्वानुमान जारी करना प्रारंभ कर दिया है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र में आते हैं। IMD के अनुसार, PoK के ये शहर IMD की उत्तर-पश्चिम डिविज़न के तहत आते हैं। अभी तक गिलगित-बाल्टिस्तान एक स्वायत्त क्षेत्र है, जहाँ प्रादेशिक असेंबली के अतिरिक्त एक चुना हुआ मुख्यमंत्री भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 72,971 वर्ग किमी. है और इसका प्रशासनिक केंद्र गिलगित शहर है, जिसकी जनसंख्या लगभग ढाई लाख है। गिलगित-बाल्टिस्तान में कुल 7 जिले हैं, जिनमें से 5 गिलगित में और 2 बाल्टिस्तान में हैं तथा गिलगित और स्कद्रू से इनका प्रशासन चलाया जाता है।

'आयुष कवच' एप्लीकेशन

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित 'आयुष कवच' नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह एप्लीकेशन COVID-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह एप्लीकेशन कुछ अवयवों (Ingredients) के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यह एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को विशेषज्ञों से औषधि से संबंधित सलाह लेने में भी सक्षम बनाता है। एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को यह जानकारी प्रदान करना

है कि COVID-19 का मुकाबला करने के लिये शरीर की प्रतिरक्षा में तुलसी, लौंग और दालचीनी जैसी आम रसोई सामग्रियों का क्या महत्त्व हो सकता है। ध्यातव्य है कि आयुष मंत्रालय ने COVID-19 से मुकाबला करने के लिये प्रतिरक्षा बढ़ाने हेतु कई उपायों और आयुर्वेदिक प्रथाओं की शुरुआत की है।

विश्व थैलेसीमिया दिवस

दुनिया भर में प्रतिवर्ष 08 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस (World Thalassaemia Day) के रूप मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य थैलेसीमिया, जो कि आनुवंशिक विकार है, के संदर्भ में जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम के लिये आवश्यक कदम उठाना है। इस दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1994 में हुई थी और तब से थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन (Thalassaemia International Federation-TIF) इस दिवस पर कई गतिविधियों का आयोजन करता है, जिनका उद्देश्य आम जनता, रोगियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, स्वास्थ्य पेशेवरों और उद्योग के प्रतिनिधियों को इस आनुवंशिक विकार के प्रति जागरूक करना है। थैलेसीमिया एक स्थायी रक्त विकार (Chronic Blood Disorder) है, जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells-RBC) में पर्याप्त हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) नहीं बन पाता है। इसके कारण एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिये हर दो से तीन सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। थैलेसीमिया माता-पिता के जींस के माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक आनुवंशिक विकार है।

ओलिव रिडले कछुए

इस वर्ष मार्च महीने में ओडिशा के समुद्र तट (रुशिकुल्या नदी के मुहाने के पास) पर लगभग 7 लाख 90 हजार ओलिव रिडले कछुओं (Olive Ridley turtles) अंडे देने के लिये पहुँचे थे जिनसे अब लाखों की संख्या में छोटे-छोटे बच्चे बाहर निकल आए हैं। जिसके चलते उड़ीसा का समुद्र तट इन नन्हें कछुओं से भर चुका है। ओलिव रिडले समुद्री कछुओं (Lepidochelys Olivacea) को 'प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुओं' के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। ये माँसाहारी होते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन आईयूसीएन (IUCN) द्वारा जारी रेड लिस्ट में इसे अतिसंवेदनशील (Vulnerable) प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। ओलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ओडिशा के गंजम तट पर अंडे देने आते हैं और फिर इन अंडों से निकले बच्चे समुद्री मार्ग से वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास-स्थान पर चले जाते हैं।

विश्व रेडक्रॉस दिवस

विश्व भर में 8 मई को 'विश्व रेड क्रॉस दिवस' (World Red Cross Day) मनाया जाता है। 'रेड क्रॉस' एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के युद्ध, महामारी एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों की रक्षा करती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में लोगों के जीवन को बचाना है। उल्लेखनीय है कि रेड क्रॉस के जनक 'जीन हेनरी ड्यूनैंट' का जन्म 8 मई, 1828 को हुआ था। जिनके जन्मदिन को ही 'विश्व रेड क्रॉस दिवस' (World Red Cross Day) के तौर पर मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि समाज की भलाई के लिये किये गए कार्यों को देखते हुए उन्हें वर्ष 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। 'इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस' (ICRC) की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनैंट द्वारा वर्ष 1863 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। गौरतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली त्रासदी एवं सैनिकों की लाशों के साथ किये गए अमानवीय व्यवहार को देखते हुए एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस की गई जो विपरीत स्थिति में बिना भेदभाव के काम कर सके। ICRC को तीन अवसरों (1917, 1944 और 1963 में) पर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत में 'इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी' का गठन वर्ष 1920 में हुआ था।

e-mail के जरिये राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का नामांकन

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार 'राजीव गांधी खेल रत्न' एवं 'अर्जुन पुरस्कार' प्रदान किये जाते हैं। खेलों के प्रशिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये 'द्रोणाचार्य पुरस्कार' दिया जाता है जबकि 'ध्यान चंद पुरस्कार' लाइफटाइम एचीवमेंट के लिये दिया जाता है। गौरतलब है कि इस बार खेल मंत्रालय ने COVID-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन के चलते नामांकन की कागजी प्रक्रिया के बजाय ऑनलाइन प्रक्रिया (ईमेल द्वारा) को अपनाया है।

डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायोलेट सेनेटाइज़र

हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) की प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागजों और करंसी नोटों को संक्रमण-मुक्त करने के लिये एक स्वचालित अल्ट्रावायोलेट प्रणाली विकसित की है, जिसे डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायोलेट सेनेटाइज़र (Defence Research Ultraviolet Sanitiser-DRUVS) नाम दिया गया है। इस प्रणाली को मुख्य रूप से मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, कागज, लिफाफे आदि को कीटाणुमुक्त करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। इस उपकरण का संचालन संपर्कहीन है जो विषाणु के प्रसार को रोकने के लिये महत्वपूर्ण है। यह एक डिब्बे के भीतर रखी वस्तु को 360 डिग्री पर अल्ट्रावायोलेट किरणों के संपर्क में लाता है। एक बार प्रयोग करने के पश्चात् यह उपकरण अपने आप बंद हो जाता है और संचालक को इसके नजदीक खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती है। DRDO की प्रयोगशाला ने एक स्वचालित करंसी नोट सैनिटाइज़िंग उपकरण भी विकसित किया है, जिसे नोटस्क्लीन (NOTESCLEEN) नाम दिया गया है। इस उपकरण का उपयोग करके नोटों के बंडलों को कीटाणुमुक्त किया जा सकता है, हालाँकि इसका उपयोग करते हुए प्रत्येक करंसी नोट को कीटाणुमुक्त करने की इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा।

महाराणा प्रताप जयंती

09 मई, 2020 को देश भर में महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। ध्यातव्य है कि महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुम्भलगढ़ में 9 मई, 1540 को सिसोदिया राजवंश में हुआ था। राणा प्रताप के पिता उदयसिंह की मृत्यु के पश्चात् 1 मार्च, 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासन प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप के राज्य की राजधानी उदयपुर थी। भारतीय इतिहास में जितनी चर्चा महाराणा प्रताप की बहादुरी की है, उतनी ही प्रशंसा उनके छोड़े चेतक की भी है। महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियों में चेतक का एक विशेष स्थान है। उसकी फुर्ती, रफ्तार और बहादुरी की कई लड़ाइयाँ जीतने में अहम भूमिका रही है। उदयपुर से नाथद्वारा की ओर जाने वाले मार्ग के पास स्थिति पहाड़ियों के बीच मौजूद हल्दीघाटी वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ 1576 ई. में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार, 1576 ई. में हुए इस युद्ध में करीब 20 हजार सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप ने 80 हजार मुगल सैनिकों का सामना किया था। 29 जनवरी, 1597 ई. को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

देश भर में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (National Technology Day) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों को याद करना है। ध्यातव्य है कि शैक्षणिक संस्थान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान इस दिवस को भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिये मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में 11 मई को ही भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था, यह परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ था। इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) द्वारा किया जाता है और मंत्रालय इस अवसर आर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस दिवस को स्वदेशी वायुयान हंसा-III (HANSA-III) के रूप में भी याद किया जाता है। इसके अतिरिक्त 11 मई 1988 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया था। इस प्रकार 11 मई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का प्रत्यक्षदर्शी रहा है।

हरि शंकर वासुदेवन

प्रसिद्ध इतिहासकार हरि शंकर वासुदेवन का COVID-19 के कारण 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वासुदेवन को रूस तथा मध्य एशिया के इतिहासकारों में अग्रणी नामों में से एक माना जाता है। इसके अतिरिक्त वे भारत-रूस संबंधों के विशेषज्ञों के रूप में भी जाने जाते थे। वर्तमान में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 'मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़', कोलकाता के निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। हरि शंकर वासुदेवन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (University of Cambridge) से स्नातक किया था, जहाँ से उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर (Post-graduate) और पीएचडी (PhD) भी पूरी की थी। हरि शंकर वासुदेवन वर्ष 2011 से वर्ष 2014 के मध्य भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (Indian Council of Historical Research) के सदस्य भी रहे थे।

‘भरोसा’ हेल्पलाइन

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक आभासी मंच के माध्यम से ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central University of Odisha-COU) के ‘भरोसा’ नामक एक हेल्पलाइन नंबर (08046801010) का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय की परेशानियों को दूर करना है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य ओडिशा के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को लॉकडाउन महामारी के दौरान मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा दौर में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चिंता करना काफी आवश्यक है और ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय (COU) द्वारा शुरू की गई यह हेल्पलाइन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश भर के केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से भी ‘भरोसा’ पहल का अनुकरण करने का आग्रह किया। ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आई. रामब्रह्म के अनुसार, ‘भरोसा’ हेल्पलाइन ओडिशा के किसी भी विश्वविद्यालय के छात्रों की चिंताओं का निदान कर सकती है और परियोजना के प्रायोगिक चरण में 400 कॉलें आई थीं। इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों को रेखांकित करते हुए नए शैक्षणिक कैलेंडर और शिक्षा की आभासी प्रणाली के संबंध में उठाए गए कदमों पर बल दिया।

‘चैंपियंस’ पोर्टल

एक बड़ी पहल के रूप में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) ने ‘चैंपियंस’ पोर्टल शुरू किया है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसका उद्देश्य MSME क्षेत्र को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। इस पोर्टल के माध्यम से MSME क्षेत्र से संबंधित समस्त जानकारियाँ एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। यह एक नियंत्रण कक्ष-सह-प्रबंधन सूचना प्रणाली (Control Room-cum-Management Information System) है जिसे टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी सूचना व संचार तकनीकों (ICT) के अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम बनाया गया है। इसे भारत सरकार की मुख्य केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और MSME मंत्रालय की अन्य वेब प्रणालियों के साथ सीधे जोड़ा गया है। इस पूरी प्रणाली को बिना किसी लागत के NIC की मदद से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इस नियंत्रण प्रणाली के हिस्से के रूप में अब तक, 66 राज्यों में स्थानीय स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इस नियंत्रण प्रणाली के हिस्से के रूप में अब तक 66 राज्यों में स्थानीय स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जा चुके हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस

संपूर्ण विश्व में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस (International Nurses Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल (Florence Nightingale) की याद में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिह्नित करता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम 'नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ' (Nursing the World to Health) है। इस दिवस को सर्वप्रथम वर्ष 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स (International Council of Nurses-ICN) द्वारा मनाया गया था। किंतु जनवरी, 1974 से यह दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल (Florence Nightingale) की सालगिरह पर मनाया जाने लगा। वे एक ब्रिटिश नागरिक थीं। उन्हें युद्ध में घायल व बीमार सैनिकों की सेवा के लिये जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1850 के दशक के क्रीमियन युद्ध (Crimean War) में दूसरी नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा उनके प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। उन्हें ‘लेडी विद द लैंप’ कहा जाता है। ध्यातव्य है कि उनके विचारों तथा सुधारों से आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली काफी प्रभावित हुई है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही सांख्यिकी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार स्वास्थ्य से किसी भी महामारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व जब कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी का सामना कर रहा है, तो ऐसे में नर्सों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है।

गांधी शांति पुरस्कार 2020

COVID-19 के कारण देश भर में लागू किये गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिये नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 2020 के लिये नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2020 थी। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिये प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रदान किये जाने वाले इस पुरस्कार के साथ एक करोड़ रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पात्र प्रदान की जाती

है। नियमों के अनुसार, यह पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी राष्ट्र, प्रजाति, धर्म और लिंग से संबंधित हो। उल्लेखनीय है कि इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी और तब से यह अनवरत प्रदान किया जा रहा है।

फखरुद्दीन अली अहमद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 13 फरवरी, 1905 को दिल्ली में जन्मे फखरुद्दीन अली अहमद को भारत के पाँचवे राष्ट्रपति (हालाँकि कार्यकाल के अनुसार वे छठे राष्ट्रपति थे) के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1928 में इंग्लैंड से विधि में डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् फखरुद्दीन अली अहमद वापस भारत लौट आए और पंजाब उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर नामांकित हुए। कुछ समय पश्चात् उन्होंने अपने गृह राज्य असम के गोवाहाटी उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर कार्य करना प्रारंभ किया और जल्द ही वे अपनी प्रतिभा की बदौलत उच्चतम न्यायालय में बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य करने लगे। वर्ष 1931 में फखरुद्दीन अली अहमद ने अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। वर्ष 1938 में जब असम में कॉन्ग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो फखरुद्दीन अली अहमद को वित्त एवं राजस्व मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई अवसरों पर जेल भी गए। वर्ष 1952 में फखरुद्दीन अली अहमद को राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त हुई और वे संसद पहुँच गए। 24 अगस्त, 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत के पाँचवें राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। बतौर राष्ट्रपति उनका कार्यकाल उनकी मृत्यु के दिन यानि 11 फरवरी, 1977 तक चला और इसी दिन राष्ट्रपति भवन में हृदयाघात (Heart Attack) के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

'FIR आपके द्वारा' पहल

हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने 'FIR आपके द्वार' (FIR Aapke Dwar) पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत पीड़ितों को 'प्राथमिकी' अथवा 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' (First Information Report-FIR) दर्ज कराने के लिये पुलिस स्टेशन नहीं जाना होगा, बल्कि पुलिस अधिकारी स्वयं पीड़ितों के घर आकर FIR दर्ज करेंगे। इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना में लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिये हेड कांस्टेबल तैनात किये गए हैं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (First Response Vehicle-FRV) के माध्यम से मौके पर ही अपेक्षाकृत कम गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिये FIR दर्ज करेंगे। हालाँकि गंभीर अपराध के मामलों में उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह लेना होगी। उल्लेखनीय है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत दर्ज की गई पहली FIR भोपाल में एक वाहन चोरी से संबंधित थी। किसी भी अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज की गई सूचना प्राथमिकी अथवा 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' (FIR) कहा जाता है। विदित हो कि भारत में FIR और इसकी वैधता को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के तहत परिभाषित किया गया है। भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में FIR दर्ज की जा सकती है।

2020-21 में शून्य रह सकती है भारत की वृद्धि दर: मूडीज़

मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस (Moody's Investors Service) ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर शून्य कर दिया है। मूडीज़ के अनुसार, इस वर्ष भारत की GDP काफी कम रह सकती है और कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर संकट और गहराता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि COVID-19 के प्रभाव के कारण दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। हालाँकि मूडीज़ का अनुमान है कि आगामी वित्तीय वर्ष (2021-22) में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में बढ़ोतरी होगी और यह 6.6 प्रतिशत पर पहुँच जाएगी। ध्यातव्य है कि दुनिया भर में कोरोनावायरस संक्रमण के आँकड़े दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये लागू किये गए लॉकडाउन के कारण विश्व की लगभग सभी आर्थिक और गैर-आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई हैं, जिससे भारत समेत संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ध्यातव्य है कि इस आर्थिक संकट से उबरने के लिये सरकार और RBI द्वारा काफी प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके तहत सरकार ने हाल ही में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है।

'प्रवासी राहत मित्र' एप

हाल ही में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'प्रवासी राहत मित्र' एप की शुरुआत की है। इस एप की शुरुआत मुख्य रूप से कोरोनावायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के पश्चात् दूसरों राज्यों से उत्तरप्रदेश में लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिये की गई है। इस एप का उद्देश्य राज्य में वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करना है। साथ ही इस एप

के माध्यम से मजदूरों के स्वास्थ्य की निगरानी करने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही इस एप के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार तथा आजीविका के साधन प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इस एप में व्यक्ति की आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, शैक्षिक योग्यता, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक खाता विवरण, COVID-19 संबंधित स्क्रीनिंग की स्थिति और पेशेवर अनुभव आदि ली जाएंगी।

किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा तेलंगाना

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगी। वहीं राज्य में लाल चने की खेती को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया जाएगा। तेलंगाना सरकार के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी कि राज्य के किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी। साथ ही राज्य सरकार ने इन नियमों का पालन करना भी अनिवार्य बना दिया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, जो किसान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें राज्य सरकार की रथू बंधु योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) का लाभ प्राप्त नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, फसलों की खेती को विनियमित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, क्योंकि इससे किसानों की उपज की मांग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार राज्य में फसलों की मांग के आधार पर किसानों को यह सुझाव देगी कि किन क्षेत्रों में कौन-सी फसल अथवा सब्जियाँ उगाई जाएँ।

वी. विद्यावती

वरिष्ठ IAS अधिकारी वी. विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) का नया महानिदेशक (Director General) नियुक्त किया गया है। ध्यातव्य है कि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश के माध्यम से की गई है। वी. विद्यावती 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की IAS अधिकारी हैं। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, IAS वी. विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगी। संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण हेतु एक प्रमुख संगठन है। ASI का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों का रखरखाव करना है। साथ ही यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को भी विनियमित करता है।

CO2 उत्सर्जन में कमी

हाल ही में कार्बन ब्रीफ (Carbon Brief) नामक एक वेबसाइट द्वारा प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार, कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के दौरान गत 40 वर्षों में पहली बार भारत के कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) में कमी दर्ज की गई है। विश्लेषण के अनुसार, मार्च माह में कार्बन उत्सर्जन में कुल 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, कोयला आधारित बिजली उत्पादन मार्च माह में 15 प्रतिशत और अप्रैल माह के प्रथम तीन हफ्तों में 31 प्रतिशत तक गिर गया है। वहीं इसके विपरीत नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के उत्पादन में मार्च माह में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अप्रैल माह के पहले तीन हफ्तों में 1.4 प्रतिशत की कमी आई है। ध्यातव्य है कि मौजूदा समय में संपूर्ण विश्व कोरोनावायरस महामारी की चुनौती का सामना कर रहा है और संक्रमण तथा मृत्यु के आँकड़े दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं। सर्वाधिक चिंता का विषय यह है कि इस वायरस से बचाव के लिये अभी तक कोई भी चिकित्सकीय उपाय नहीं खोजा जा सका है। ऐसे में विश्व के अधिकांश देशों द्वारा कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन को एक उपाय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। भारत में भी विभिन्न चरणों में लॉकडाउन लागू किया गया है, इस लॉकडाउन के माध्यम से भारत में न केवल लाखों लोगों को संक्रमित होने से बचाया गया है, बल्कि इसके कारण पर्यावरण को भी काफी फायदा पहुँचा है।

वर्ल्ड एयरपोर्ट अवाइर्स

बंगलुरु स्थित केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (Kempegowda International Airport) को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाईअड्डा (Best Regional Airport) चुना गया है। बंगलुरु स्थित इस हवाईअड्डे का परिचालन बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (Bangalore International Airport Ltd.) द्वारा किया जाता है। बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार, गत चार वर्षों में यह तीसरी बार है जब बंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवाइर्स (World Airport Awards) में भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाईअड्डा चुना गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड एयरपोर्ट अवाइर्स,

हवाईअड्डों के उपयोगकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर प्रदान किये जाते हैं। इसके लिये वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण किया जाता है और इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाईअड्डे शामिल होते हैं। वर्ष 2020 के लिये सिंगापुर के चांगी हवाईअड्डे (Changi Airport) को लगातार आठवीं बार वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाईअड्डा चुना गया है।

होप' पोर्टल

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य कुशल तथा अकुशल कामगार युवाओं का डाटा बेस तैयार करने के उद्देश्य से 'होप' (HOPE- Helping Out People Everywhere) नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। विदित हो कि कुछ दिन राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया था, इस योजना के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और योजना के साथ समन्वय स्थापित करने में यह पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड सरकार का यह पोर्टल राज्य के कुशल तथा अकुशल कामगार युवाओं और उत्तराखंड के कौशल विकास विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिये एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल के डाटा बेस का उपयोग राज्य के सभी विभागों तथा अन्य रोजगार प्रदाताओं द्वारा युवाओं को स्वरोजगार/रोजगार से जोड़ने के लिये किया जाएगा। इस पोर्टल का निर्माण राज्य के IT विभाग, कौशल विकास विभाग, नियोजन विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre-NIC) द्वारा आपसी समन्वय के माध्यम से किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस के कारण भारत समेत विश्व के लगभग सभी देश प्रभावित हुए हैं, साथ ही इसके प्रसार को रोकने के लिये देश भर में लॉकडाउन भी लागू किया है, इस लॉकडाउन के कारण दैनिक आजीविका के अभाव में कई लोग अपने राज्य वापस लौट रहे हैं, ऐसे में इन लोगों को आजीविका का उचित साधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिये काफी महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है।

उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आठ अन्य उम्मीदवारों को राज्य विधान परिषद के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर, 2019 को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। किंतु संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के अनुसार, उन्हें 27 मई से पूर्व राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होना अनिवार्य था, यदि ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता। वहीं चुनाव आयोग ने पहले ही COVID-19 महामारी के मद्देनजर राज्यसभा चुनाव, उपचुनाव और नागरिक निकाय चुनाव स्थगित कर दिये थे, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे के समक्ष बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। अनुच्छेद 164 (4) के अनुसार, कोई मंत्री यदि निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा, इस स्थिति में संविधान का यही प्रावधान महाराष्ट्र सरकार के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहा था।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस

प्रत्येक वर्ष 15 मई को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस (International Day of Families) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त परिवार के महत्त्व और सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय प्रगति से संबंधित मुद्दों को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। ध्यातव्य है कि परिवार एक प्रकार से समाज की मूल इकाई है, जिसके अभाव में समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संयुक्त परिवार के महत्त्व को बनाए रखने के लिये वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके पश्चात् सर्वप्रथम वर्ष 1996 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का आयोजन किया गया था। ध्यातव्य है कि आधुनिक समाज में परिवारों का विघटन ही अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने का मुख्य कारण है। संयुक्त परिवार से उन्नति के रास्ते खुलते हैं जबकि एकल परिवार और अकेलेपन से विकास की गति धीमी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का मूल उद्देश्य युवाओं को परिवार के प्रति जागरूक करना है।

प्रोफेसर अनिसुज्जमन

पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर (National Professor) अनिसुज्जमन का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ध्यातव्य है कि प्रोफेसर अनिसुज्जमन ने शोध और लेखन के माध्यम से बांग्ला भाषा और साहित्य में अतुल्य योगदान दिया। भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वर्ष 2015 में उन्हें

साहित्य में उनके योगदान के लिये बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'स्वाधीनता पुरस्कार' (Swadhinata Puraskar) से सम्मानित किया गया था। फरवरी 1937 में कोलकाता में जन्मे, प्रोफेसर अनिसुज्जमन और उनका परिवार वर्ष 1947 में विभाजन के पश्चात् बांग्लादेश चले गए थे। वर्ष 1952 के भाषा आंदोलन से लेकर 1972 में लिबरेशन वॉर तक सभी लोकतांत्रिक आंदोलनों में प्रोफेसर अनिसुज्जमन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रोफेसर अनिसुज्जमन को वर्ष 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर (National Professor) के रूप में नामित किया गया था।

संस्कृति पर्व पत्रिका

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'संस्कृति पर्व पत्रिका' के विशेषांक 'भारत 1946-2020, नोआखाली से दिल्ली तक' (India 1946-2020 From Noakhali to Delhi) के ई-संस्करण का लोकार्पण किया है। 'संस्कृति पर्व पत्रिका' के इस विशेषांक में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी का अंतिम वक्तव्य, जो 1946 के कल्याण विशेषांक में छपा था, उसे पुनः प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि धर्म, अध्यात्म और दर्शन के साथ-साथ अपने वास्तविक इतिहास की स्थापना बहुत जरूरी है और संस्कृति पर्व पत्रिका इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। देश में विगत कुछ समय में ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनके कारण यह विशेषांक विशेष वाचनीय है। उल्लेखनीय है कि 'संस्कृति पर्व पत्रिका' भारतीय संस्कृति, दर्शन, साहित्य एवं अध्यात्म के विषयों पर केंद्रित है, और इसका प्रकाशन बीते दो वर्षों से अनवरत किया जा रहा है।

आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना

हाल ही में गुजरात सरकार ने 'आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना' (Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojna-AGSY) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर बैंकों से 1 लाख रुपए का गारंटी-मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आम जनमानस के समक्ष COVID -19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। वहीं राज्य सरकार इस योजना के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगी। इस योजना का सामान्य लक्ष्य इस संकटपूर्ण स्थिति में निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों तथा छोटे व्यापारियों की सहायता करना है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत दिये गए ऋण की अवधि तीन वर्ष की होगी और किस्त का भुगतान ऋण प्राप्ति के 6 महीने बाद शुरू होगा। इस योजना की सूचना देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि 'इस योजना के तहत ऋण आवेदन के आधार पर प्रदान किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

रॉबर्टो एज़ेवेडो

बीते दिनों कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के बीच विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) के महानिदेशक (Director-General) रॉबर्टो एज़ेवेडो (Roberto Azev do) ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। रॉबर्टो एज़ेवेडो के अनुसार, वे 31 अगस्त, 2020 को इस्तीफा दे देंगे। विदित हो कि रॉबर्टो एज़ेवेडो ने ऐसे समय में अपने इस्तीफे की घोषणा की है जब संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है और अनुमान के अनुसार, आने वाले समय में इस वायरस के प्रभावस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व गिरावट आ सकती है। रॉबर्टो एज़ेवेडो के अनुसार, WTO सभी देशों को विश्व के जंगल कानून से दूर रखता है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2021 विश्व व्यापार संगठन (WTO) के लिये काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रॉबर्टो एज़ेवेडो विश्व व्यापार संगठन (WTO) के छोटे महानिदेशक हैं और इनकी उनकी नियुक्ति 1 सितंबर, 2013 को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिये की गई थी। किंतु फरवरी 2017 में उन्हें दोबारा WTO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया और उनका दूसरा कार्यकाल सितंबर 2021 में समाप्त होने वाला था।

'इवेंटबोट' मैलवेयर

भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (Indian Computer Emergency Response Team- CERT-In) ने देश में तेज़ी से फैल रहे 'इवेंटबोट' (EventBot) नामक एक मैलवेयर को लेकर चेतावनी जारी की है। इस संबंध में CERT-In द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार, यह वायरस लोगों की बैंकिंग संबंधित जानकारी चुराने के उद्देश्य से काफी तेज़ी से फैल रहा है। 'इवेंटबोट' एक प्रकार का ट्रोजन मैलवेयर है, जो थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन के प्रयोग से उपयोगकर्ता के सिस्टम में पहुँच सकता है। ध्यातव्य है कि ट्रोजन एक ऐसा मैलवेयर अथवा वायरस होता है जो प्रथम दृष्टया तो वैध लगता है, किंतु असल में इसका निर्माण उपयोगकर्ता के सिस्टम को नुकसान पहुँचाने के लिये किया

जाता है। यह मैलवेयर उपयोगकर्ता के मैसेज भी पढ़ सकता है, जिसके अर्थ है कि यह टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (Two Factor Authentication) को काफी आसानी से बायपास कर सकता है। 'मैलवेयर; किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से निर्मित किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है और धीरे-धीरे कंप्यूटर को धीमा कर सकता है।

राजीव गांधी किसान न्याय' योजना

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 'राजीव गांधी किसान न्याय' योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। ध्यातव्य है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को कृषि सहायता प्रदान के उद्देश्य से 'राजीव गांधी किसान न्याय' योजना शुरू करने का अनुमोदन किया है। इस योजना का शुभारंभ 21 मई, 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना आदि की फसल के लिये 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में दी जाएगी। 'राजीव गांधी किसान न्याय' योजना के तहत राज्य के 18 लाख 75 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में जारी सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने इसके लिये बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार, 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' बहुत ही दूरगामी निर्णय है और यह छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये इस संकट की घड़ी में संजीवनी के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में COVID-19 महामारी को देखते हुए देशी और विदेशी शराब के विक्रय पर 'विशेष कोरोना शुल्क' अधिरोपित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत देशी शराब पर 10 रुपए प्रति बोतल और विदेशी शराब पर उसके फुटकर विक्रय कीमत का 10 फीसदी विशेष कोरोना शुल्क लिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस

सामाजिक विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में 18 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है। इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम (International Council of Museums-ICOM) द्वारा किया जाता है। यह दिवस संग्रहालयों के पेशेवरों को आम लोगों से मिलने और उन्हें संग्रहालयों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से अवगत कराने का मौका देता है। भारत में इस दिवस पर कई संग्रहालयों में विभिन्न-विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिनमें लोगों को संग्रहालय के बारे में विस्तार से बताया जाता है। वर्ष 2020 के लिये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम 'समानता के लिये संग्रहालय: विविधता और समावेश' (Museums for Equality: Diversity and Inclusion) रखा गया है। वर्ष 1977 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा संरक्षण देने हेतु प्रतिबद्ध विश्व के संग्रहालयों और संग्रहालय पेशेवरों का एकमात्र संगठन है।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस

16 मई को देश भर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के मध्य डेंगू के विषय में जागरूकता पैदा करना है। ध्यातव्य है कि डेंगू दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से उभरती हुई वायरल बीमारी है। डेंगू के वायरस का मुख्य वाहक एडीज़ एजिप्टी मच्छर (Aedes Aegypti Mosquito) होता है। डेंगू शहरी गरीब क्षेत्रों, उपनगरों और ग्रामीण इलाकों में पनपता है लेकिन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में अधिक समृद्ध पड़ोसी देशों को भी प्रभावित कर सकता है। 16 मई, 2020 को इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू से बचने के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास का स्थान साफ-सुथरा रखना चाहिये और कहीं पर भी पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिये। कूलरों की सप्ताह में कम-से-कम एक बार सफाई की जानी चाहिये। लोगों को मच्छरदानी और मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का प्रयोग करने की सलाह भी दी गई है।

प्रधानमंत्री उज्वला योजना

वर्ष 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्वला योजना ने अपने सफल कार्यान्वयन के चार वर्ष पूरे कर लिये हैं। ध्यातव्य है कि इस योजना के कारण अब तक 8 करोड़ परिवारों को लाभांशित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि अब तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में 8432 रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की गई है, ताकि इस सुविधा का लाभ उठाने में कोई कठिनाई न हो। BPL अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) जीवनयापन करने वाले परिवारों की

महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 मार्च, 2016 को 'प्रधानमंत्री उज्वला योजना' को स्वीकृति दी थी। इस योजना की शुरुआत 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हुई थी। इस योजना में नया LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये 1600 रुपए की नकद सहायता देना शामिल है और यह सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

भारत को वेंटिलेटर देगा अमेरिका

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर प्रदान करने की घोषणा की है। इस संबंध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस महामारी के दौर में अमेरिका प्रत्येक कदम पर भारत के साथ खड़ा है और इस अदृश्य शत्रु से लड़ने में यथासंभव मदद कर रहा है। अमेरिका इससे पूर्व भी कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी से मुकाबला करने के लिये भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर चुका है। ध्यातव्य है कि अमेरिका न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के कई अन्य देशों को भी इस वायरस से मुकाबला करने के लिये आर्थिक मदद प्रदान कर रहा है। वेंटिलेटर COVID-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु आवश्यक चिकित्सा अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो गंभीर रूप से बीमार लोगों को श्वास लेने में सहायता प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, संक्रमित होने वालों में लगभग 80 प्रतिशत केवल सामान्य रूप से बीमार होते हैं, वहीं लगभग 15 प्रतिशत संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और शेष 5 प्रतिशत लोग जिनकी स्थिति गंभीर या नाजुक होगी, उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। विदित हो कि भारत समेत विश्व के विभिन्न देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है और कोरोना संक्रमण तथा मृत्यु के आँकड़े प्रति दिन नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस

प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस (World Hypertension Day) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में उच्च रक्तचाप के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना और इसकी गंभीरता को देखते हुए लोगों को इसे नियंत्रित करने के लिये प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2020 के लिये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का थीम 'अपने रक्तचाप को मापिये, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें' (Measure Your Blood Pressure, Control It, Live Longer) है। विदित हो कि शरीर में ऑक्सीजन और ऊर्जा के प्रवाह के लिये रक्त शोधन करना हृदय का प्रमुख कार्य है और धमनियों के ज़रिये रक्त के प्रवाह के लिये दबाव की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि रक्त प्रवाह का यह दबाव सामान्य से अधिक होता है, तो यह धमनियों की दीवार पर अतिरिक्त तनाव डालता है। इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) कहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में प्रत्येक पाँच में से दो वयस्क उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं। उच्च रक्तचाप दुनिया भर में असामयिक मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। उच्च रक्तचाप की गंभीरता को देखते हुए इसे 'साइलेंट किलर' (Silent Killer) भी कहा जाता है।

कोरोनावायरस से निपटने में WHO की भूमिका की समीक्षा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी से निपटने में संगठन की भूमिका की स्वतंत्र समीक्षा करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेबियस ने हाल ही में 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि WHO पारदर्शिता के लिये प्रतिबद्ध है और इसलिये आगामी समय में इस महामारी के प्रकोप के लिये अपनी प्रतिक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा करेगा। WHO प्रमुख का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत समेत विश्व के 116 देशों ने यूरोपीय संघ (European Union) द्वारा निर्मित एक ऐसे प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें कोरोना वायरस महामारी की स्वतंत्र जाँच की बात की गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के उद्गम की जाँच की जानी चाहिये, ताकि इस वायरस के उद्गम को लेकर अन्य देशों पर दोष डालने की प्रथा को समाप्त किया जा सके। इस प्रस्ताव का उद्देश्य वायरस के लिये किसी विशिष्ट देश को जिम्मेदार ठहराना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि अंततः इस वायरस का उद्गम किस प्रकार हुआ है। मौजूदा जानकारी के अनुसार, कोरोना वायरस (COVID-19) एक ज़ूनोटिक रोग (Zoonotic Disease) है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। WHO एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को की गई थी।

‘संग्रहालयों का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल’ वेबिनार

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर ‘संग्रहालयों का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल’ विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का उद्देश्य उन संभावित नीतिगत कार्यों की पहचान करना है जो संग्रहालयों, सांस्कृतिक स्थलों और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के संकट के लघु तथा दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने में मदद करेंगे। इस वेबिनार के दौरान विशेषज्ञों ने संस्कृति तथा रचनात्मक उद्योग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। साथ ही इस दौरान चर्चा में महामारी के बाद पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहालयों और सांस्कृतिक स्थानों के संदर्भ में प्रभाव, नवाचारों और बाद के संकट की योजना जैसे विषयों को छुआ गया। सामाजिक विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में 18 मई को ‘अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस’ मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है।

WHO का कार्यकारी बोर्ड

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 22 मई को पदभार ग्रहण करेंगे। डॉ. हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉ. हिरोकी नकातानी (Dr. Hiroki Nakatani) का स्थान लेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते COVID-19 से मुकाबले में डॉ. हर्षवर्धन भारत के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की विशिष्ट संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के कार्यकारी बोर्ड का मुख्य कार्य विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) की नीतियों को प्रभावी बनाने हेतु सलाह देना और सभा के कार्य को सुविधाजनक बनाना है। इस कार्यकारी बोर्ड में स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य 34 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इन सभी सदस्यों को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इस कार्य के लिये चुने गए सदस्य राष्ट्रों द्वारा नामित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कार्यकारी बोर्ड की बैठक का आयोजन एक वर्ष में कम-से-कम दो बार किया जाता है, जिसमें पहली बैठक प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में होती है और दूसरी बैठक विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक के तुरंत बाद मई माह में आयोजित की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्थापना वर्ष 1948 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में की गई थी।

खतरनाक है कीटाणुनाशक का छिड़काव: WHO

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विभिन्न देशों को चेतावनी जारी की है कि सतह पर कीटाणुनाशक का छिड़काव करने से कोरोना वायरस (COVID-19) को समाप्त करना संभव नहीं है और यह स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक साबित हो सकता है। WHO ने अपने एक दस्तावेज़ में स्पष्ट तौर पर कहा है कि सड़कों पर कीटनाशक का छिड़काव अप्रभावी हो सकता है। WHO के अनुसार, COVID-19 अथवा किसी अन्य वायरस के कीटाणुओं को मारने के लिये बाहरी स्थानों जैसे- सड़कों और बाजारों में कीटनाशक के छिड़काव की सिफारिश नहीं की गई है, क्योंकि गंदगी या मलबे से यह छिड़काव अथवा कीटनाशक निष्क्रिय हो जाता है। WHO ने अपने दस्तावेज़ में स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को संक्रमणमुक्त करने के लिये कीटाणुनाशक के प्रयोग की सिफारिश नहीं की गई है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उस व्यक्ति के लिये शारीरिक अथवा मानसिक रूप से हानिकारक हो सकता है। दस्तावेज़ के अनुसार, यदि व्यक्ति पर क्लोरीन अथवा किसी अन्य जहरीले रसायनों का छिड़काव किया जाता है तो उसे आंखों और त्वचा में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। WHO के मुताबिक यदि सतह पर कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाना है तो यह कीटाणुनाशक में भिगोए हुए किसी कपड़े या पोंछे के साथ किया जाना चाहिये।

विश्व मधुमक्खी दिवस

प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस (World Bee Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य मधुमक्खी और अन्य परागणकों जैसे तितलियों, चमगादड़ और हर्मिंग बर्ड आदि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले एंटोन जनसा (Antone Jansa) के जन्मदिन (20 मई, 1734) के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को 7 जुलाई, 2017 को इटली में आयोजित खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization-FAO) के 40वें सत्र में स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2020 के लिये ‘Bee Engaged’ विषय को इस दिवस की थीम चुना गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस, 2020 की थीम

मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के संरक्षण पर जोर देता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर मधुमक्खी के तमाम उत्पादों के लाभ, उत्पादन बढ़ाने में मधुमक्खियों की भूमिका और किसानों को खेती के साथ-साथ नए व्यवसाय के अवसर मुहैया कराने की संभावनाओं पर चर्चा की जाती है।

नीलम संजीव रेड्डी

19 मई, 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। भारत के छठे राष्ट्रपति और आंध्रप्रदेश के प्रमुख राजनेताओं में से एक नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई, 1913 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर (Anantapur) जिले में हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा अड्यार (मद्रास) से और उसके आगे की शिक्षा अनंतपुर जिले के आर्ट्स कॉलेज (Arts College) से हुई थी। कॉलेज के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिये अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे विभिन्न आंदोलनों में बढ चढकर हिस्सा लिया। नीलम संजीव रेड्डी अपने राजनीतिक कैरियर में कॉन्ग्रेस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे और आंध्र प्रांतीय कॉन्ग्रेस समिति के सदस्य चुने गए। 26 मार्च, 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया, किंतु 13 जुलाई, 1977 को पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था। 21 जुलाई, 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्वों के निर्वाह के पश्चात् नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई, 1982 को कार्यकाल से मुक्त हो गए। पद छोड़ने के लगभग 14 वर्षों बाद 1 जून, 1996 को नीलम संजीव रेड्डी की मृत्यु हो गई।

नेशनल टेस्ट अभ्यास' एप्लीकेशन

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'नेशनल टेस्ट अभ्यास' (National Test Abhyas) नामक एक नया मोबाइल एप जारी किया है। इस एप को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency-NTA) द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को आगामी परीक्षाओं जैसे जेईई मेन (JEE Main), एनईईटी (NEET) के लिये मॉक टेस्ट देने में सक्षम बनाएगा। इस एप की शुरुआत मुख्य रूप से उम्मीदवारों को उनके घरों में सुरक्षा और सुविधा के साथ उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट की सुविधा प्रदान करना है, क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण शैक्षणिक संस्थानों और NTA के टेस्ट-प्रेक्टिस सेंटर (Test-Practice Centers-TPCs) के बंद रहने से छात्रों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। देश भर के छात्र, आगामी JEE, NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये उच्च गुणवत्ता वाले टेस्टों की प्राप्ति हेतु इस एप का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से मुफ्त है। इन टेस्टों को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और उन्हें ऑफलाइन रहते हुए भी पूरा किया जा सकता है। निर्माताओं के अनुसार, यह एप एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन और टैबलेट पर कार्य करता है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप जल्द ही IOS पर भी उपलब्ध होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित कराती है। इसकी स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम- 1860 के तहत की गई थी।

आतंकवाद विरोधी दिवस

प्रतिवर्ष 21 मई को संपूर्ण भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस (Anti-Terrorism Day) मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस का आयोजन मुख्य रूप से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को स्मरण करना है। इस के आयोजन का उद्देश्य आम लोगों में हिंसा और आतंकवाद के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर युवाओं को आतंकवाद के विरुद्ध जागरूक करने और उन्हें मानव पीड़ा तथा मानव जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करने जैसे कार्य किये जाते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर देश भर के विभिन्न हिस्सों में उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में किसी सरकार का नेतृत्व किया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, 1944 को बम्बई (मुंबई) में हुआ था। विज्ञान में रुचि रखने वाले राजीव गांधी वर्ष 1984 को अपनी माँ की हत्या के पश्चात् वे कॉन्ग्रेस अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने और वर्ष 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 21 मई, 1991 को चेन्नई में एक रैली के दौरान अलगाववादी संगठन लिट्टे की महिला सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी।

दिलीप उम्मेन

हाल ही में दिलीप उम्मेन को भारतीय इस्पात संघ (Indian Steel Association-ISA) का नया अध्यक्ष चुना गया है। इस संबंध में ISA द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 'आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (Arcelor Mittal Nippon Steel India) के मुख्य

कार्यकारी अधिकारी (CEO) दिलीप उम्मेन को ISA का अध्यक्ष चुना गया है और वे तत्काल पदभार संभालेंगे।' ध्यातव्य है कि दिलीप उम्मेन का चयन 19 मई, 2020 को आयोजित बोर्ड की असाधारण बैठक में किया गया था। दिलीप उम्मेन इस पद पर टाटा स्टील (Tata Steel) के CEO टी. वी. नरेंद्रन (T. V. Narendran) का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था, किंतु उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व एक मई को ही अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा कर दी थी। ISA के अध्यक्ष के तौर पर दिलीप उम्मेन को दो वर्षीय कार्यकाल के लिये चुना गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology-IIT) खड़गपुर के पूर्व छात्र दिलीप उम्मेन को इस्पात उद्योग में 37 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

हाल ही में भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) ने 1 करोड़ लोगों के उपचार का आँकड़ा प्राप्त कर लिया है। इस योजना के तहत 21,565 सरकारी और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से 13,412 करोड़ रुपए की लागत से उपचार उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर पर आयोजित वेबिनार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि 'आयुष्मान भारत योजना आगामी समय में आने वाली स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में मानवीय दृष्टिकोण के साथ एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाती रहेगी।' ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में शुभारंभ के बाद से ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना बनी हुई है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष दिये जा रहे 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर के माध्यम से गरीब और वंचित भारतीयों को अस्पताल में किफायती स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में 10.74 करोड़ से अधिक गरीबों और संवेदनशील परिवारों के लिये वित्तीय जोखिम से सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना के सभी लाभार्थियों को मुफ्त COVID-19 जाँच और उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर डॉ. हर्ष वर्धन ने व्हाट्सएप (Whatsapp) पर 'आस्क आयुष्मान' (Ask Ayushman) चैट बोट का शुभारंभ किया, जो 24x7 काम करने वाला AI-सक्षम सहायक है। यह आयुष्मान भारत योजना के लाभ, विशेषताओं, ई-कार्ड बनवाने की प्रक्रिया, नज़दीक में स्थित पैनलबद्ध अस्पतालों, फीडबैक और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया जैसी जानकारियाँ उपलब्ध कराता है।

रेपो रेट में कटौती

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने रेपो रेट (Repo Rate) में 0.4 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है। RBI की घोषणा के साथ ही रेपो रेट अब 4.40 प्रतिशत से घटकर 4.0 प्रतिशत पर पहुँच गया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, बीते 2 महीने में लॉकडाउन के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधियाँ काफी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ज्ञात हो कि शीर्ष 6 औद्योगिक राज्यों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा रेड अथवा ऑरेंज जोन में है। साथ ही विभिन्न आर्थिक संकेतक मार्च 2020 में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग कम होने का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। ऐसे में RBI के इस निर्णय को मौजूदा आर्थिक स्थिति में मांग को बढ़ाने के लिये एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। ध्यातव्य है कि वाणिज्यिक बैंक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये RBI से अल्पकालिक ऋण लेते हैं और इस ऋण पर RBI को उन्हें जिस दर से ब्याज देना पड़ता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिये रिज़र्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और तभी बैंक ब्याज दरों में भी कटौती करते हैं, ताकि अधिक-से-अधिक रकम ऋण के तौर पर दी जा सके।

ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया

केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेश में फंसे ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया (Overseas Citizen of India-OCI) कार्डधारकों की कुछ श्रेणियों को देश में आने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, OCI कार्डधारक पारिवारिक आपात स्थिति में वापस भारत लौट सकते हैं। इसी के साथ ही ऐसे OCI कार्डधारकों को भी वापस भारत लौटने की अनुमति होगी, जिसमें पति अथवा पत्नी में से कोई एक OCI कार्डधारक है और एक भारत का निवासी है। नाबालिग बच्चों को भी अपने OCI कार्डधारक माता-पिता के साथ भारत लौटने की इजाजत होगी। ऐसे OCI कार्डधारक छात्रों को भी भारत आने की अनुमति दी गई है, जो कानूनी रूप से नाबालिग नहीं हैं, किंतु उनके माता पिता भारत में रहते हैं। ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया या OCI की श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय OCI को एक ऐसे विदेशी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था; या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था; या 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता, जो अन्य उक्त मानदंडों पूरे करता हो।

एश्ले कूपर

आठ बार के ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन एश्ले कूपर (Ashley Cooper) का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ध्यातव्य है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और विंबलडन खिताबधारक एश्ले कूपर 1950 के दशक में चार ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और चार ग्रैंड स्लैम युगल खिताब के साथ ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेनिस के स्वर्ण युग का हिस्सा थे। एश्ले कूपर ने अपने 33 वर्षीय लंबे कैरियर में कुल 13 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का फाइनल खेला और उसमें से अधिकांश में जीत हासिल की। एश्ले कूपर अपने कैरियर के दौरान वर्ष 1957 से वर्ष 1958 के दौरान दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी के स्थान पर रहे। एश्ले कूपर का जन्म 15 सितंबर, 1936 को ऑस्ट्रेलियाई के मेलबॉर्न (Melbourne) शहर में हुआ था। एश्ले कूपर को वर्ष 2007 में टेनिस में उनके अमूल्य योगदान के लिये ऑस्ट्रेलियाई के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था।

PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक

भारत दो महीने से भी कमी की अवधि में विश्व में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment- PPE) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। हालाँकि, कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी से बचाव के लिये आवश्यक PPE किट के उत्पादन में चीन अभी भी अग्रणी देश बना हुआ है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार, सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाए जा रहे हैं कि आगामी समय में PPE किट की गुणवत्ता और मात्रा में वांछित स्तर तक सुधार किया जाए। ध्यातव्य है कि वस्त्र मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि PPE किट की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में केवल प्रमाणित उत्पादनकर्ता उत्पादन कर सकें। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) की जाँच और प्रमाणन के कार्य के लिये देश भर की कुल 9 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई है। विदित हो कि हाल ही में वस्त्र समिति, मुंबई को भी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य COVID-19 योद्धाओं के लिये आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment-PPE) के परीक्षण और प्रमाणन का कार्य दिया गया था। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) एक प्रकार का चिकित्सीय उपकरण होता है, जिसे आमतौर पर मेडिकल पेशेवरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह न केवल डॉक्टरों, नर्सों जैसे चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा करता है, बल्कि घातक बीमारी के प्रसार को रोकने में भी मदद करता है।

चीन की कंपनियों को सूचीबद्ध होने से रोकने के लिये बिल पारित

हाल ही में अमेरिकी सीनेट (US Senate) ने चीन की कुछ कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से रोकने के उद्देश्य से एक बिल को मंजूरी दी है। इस बिल के अनुसार, चीन की कंपनियों को तब तक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा, जब तक वे इस संबंध में अमेरिका के सभी नियमों का पालन नहीं करती हैं। एक अनुमान के अनुसार, इस बिल से चीन की लगभग 800 कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से बाहर कर दिया जाएगा। इस बिल को कोरोना वायरस (COVID-19) और व्यापार से संबंधित मुद्दों पर विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य तनाव के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिकी सीनेट (US Senate) द्वारा पास किये गए बिल के अनुसार, कंपनियों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी भी विदेशी सरकार के नियंत्रण में कार्य नहीं कर रही हैं। यह बिल अमेरिकी कांग्रेस के निम्न सदन 'प्रतिनिधि सभा' (House of Representative) में भेजा जाएगा। 'प्रतिनिधि सभा' से पारित होने के पश्चात् इस बिल को कानून बनाने के लिये राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

हुनर हाट

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के बीच देश में एक बार पुनः 'हुनर हाट' का आयोजन किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार, 'हुनर हाट' का आयोजन सितंबर 2020 में 'लोकल से ग्लोबल' थीम के साथ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीते पाँच वर्षों में 5 लाख से अधिक भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले 'हुनर हाट' के दुर्लभ हस्तनिर्मित स्वदेशी सामान आम लोगों में काफी लोकप्रिय हुए हैं। देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, हुनर के उस्तादों को मौका देने वाला 'हुनर हाट' स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों का 'प्रामाणिक ब्रांड' बन गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि 'हुनर हाट' में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन और मास्क आदि की विशेष व्यवस्था की जाएगी, साथ ही इसमें एक 'जान भी जहान भी' पवेलियन होगा जहाँ लोगों को 'पैनिंग नहीं प्रीकॉशन' की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी। ध्यातव्य है कि हुनर हाट योजना के माध्यम से पारंपरिक शिल्पकला और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हुनर हाट के आयोजन के माध्यम से उत्पादों की बाजार तक पहुँच को भी आसान किया जा रहा है।

खादी फेस मास्क

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गैर-चिकित्सा मास्क के निर्यात पर लगी रोक हटाने के बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) संयुक्त राज्य अमेरिका, दुबई और मॉरीशस जैसे देशों को खादी फेस मास्क (Khadi Face Masks) का निर्यात करने की योजना बना रहा है। KVIC को अब तक 8 लाख मास्क की आपूर्ति करने के आदेश मिले हैं, जिनमें से, लॉकडाउन अवधि के दौरान 6 लाख से अधिक मास्क की आपूर्ति की जा चुकी है। ये सभी आदेश राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और आम जनता से प्राप्त किये गए थे। वहीं लगभग 7.5 लाख से अधिक खादी मास्क जिला प्राधिकरण को मुफ्त में वितरित किये गए हैं। ध्यातव्य है कि खादी मास्क न केवल गुणवत्ता मानक पर खरा उतरता है बल्कि प्रभावी लागत, श्वास सुगमता, धोने योग्य और पुनः प्रयोग में लाने के साथ ही जैव अवरोधक भी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956' के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है।

आभास झा

भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक (World Bank) में दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिये जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर कार्यविधि प्रबंधक (Practice Manager) के पद पर नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि आभास झा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब भारत और बांग्लादेश को चक्रवाती तूफान 'अम्फान' के कारण काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कार्यविधि प्रबंधक के तौर पर आभास झा के अधिकार क्षेत्र में भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव आदि देश शामिल हैं। कार्यविधि प्रबंधन के तौर पर आभास झा का कार्य उक्त देशों की समस्याओं का सर्वाधिक उपयुक्त समाधान देने हेतु उच्च योग्य पेशेवरों के एक समूह की तैनाती करना और इनका नेतृत्व करना है। विश्व बैंक में इस महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करने वाले आभास झा का संबंध मूल रूप से बिहार की राजधानी पटना से है। आभास झा वर्ष 2001 में विश्व बैंक में शामिल हुए थे और वह बांग्लादेश, भूटान, भारत तथा श्रीलंका के विश्व बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्य कर चुके हैं। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है, इसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक वृहद वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना तथा विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है। यह नीति सुधार कार्यक्रमों एवं संबंधित परियोजनाओं के लिये ऋण प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है।

क्रिकेट से संबंध व्यापक दिशा-निर्देश

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council-ICC) ने कोरोनावायरस महामारी के बीच क्रिकेट से संबंधित गतिविधियों को एक बार पुनः शुरू करने को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों में सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ICC द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियों को पुनः शुरू करने के लिये प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण शिविरों में 14-दिवसीय प्री-मैच आइसोलेशन (अलगाव) की सिफारिश की गई है। ICC के अनुसार, यह चिकित्सा अधिकारी सरकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और प्रशिक्षण तथा प्रतिस्पर्द्धाओं के दौरान स्वास्थ्य संबंधी नियम लागू कराने हेतु जिम्मेदार होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के सुझावों के अनुसार, T20s में लौटने वाले किसी भी गेंदबाज को अंतर्राष्ट्रीय मैच में गेंदबाजी करने के लिये कम-से-कम 5-6 सप्ताह की तैयारी की आवश्यकता होगी। अनिवार्य प्रशिक्षण के दौरान गेंदबाजों को चोट लगने पर टीम को नुकसान न हो इसके लिये ICC ने सभी देशों को 'बड़े' समूह के साथ यात्रा करने की सलाह दी है। साथ ही ICC ने प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्द्धाओं के दौरान स्वास्थ्य जाँच की समुचित प्रणाली विकसित करने की भी सिफारिश की है। उल्लेखनीय है कि विश्व भर में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के बाद से ही क्रिकेट समेत के बाद सभी देशों में क्रिकेट गतिविधियाँ पूर्ण रूप से बंद पड़ी हैं।

बलबीर सिंह सीनियर

25 मई, 2020 को प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का जन्म 10 अक्टूबर, 1924 को पंजाब के एक गाँव में हुआ था। बलबीर सिंह सीनियर भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे, जो कि तीन बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य रहे थे। बलबीर सिंह सीनियर लंदन (1948), हेल्सिंकी (1952) और मेलबॉर्न (1956) ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। बलबीर सिंह सीनियर वर्ष 1975 में भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर और चीफ कोच के पद पर भी थे और उनके कोच रहते भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष हॉकी विश्वकप भी जीता था। बलबीर सिंह सीनियर को वर्ष 1957 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह पहला अवसर था, जब किसी खिलाड़ी को यह सम्मान मिला था। वर्ष 2015 में बलबीर सिंह सीनियर

को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1948 में लंदन ओलंपिक के दौरान अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में बलबीर सिंह सीनियर ने कुल छह गोल किये थे।

विश्व थायरॉइड दिवस

थायरॉइड के संबंध में जागरूकता फैलाने और इसके उपचार हेतु लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व थायरॉइड दिवस (World Thyroid Day) मनाया जाता है। विश्व थायरॉइड दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। इस दिवस की स्थापना मुख्य रूप से थायरॉइड के नए उपचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा तथा रोकथाम कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये विश्व स्तर पर अमेरिकन थायरॉइड एसोसिएशन (American Thyroid Association) और यूरोपीय थायरॉइड एसोसिएशन (European Thyroid Association) के नेतृत्व में चल रहे अभियान के एक हिस्से के रूप में की गई थी। थायरॉइड ग्रंथि, गर्दन के सामने वाले हिस्से में पाई जाती है। आँकड़ों के अनुसार, प्रत्येक 10वाँ वयस्क हाइपोथायरॉइडिज्म (Hypothyroidism) रोग से ग्रसित है, इस रोग में थायरॉइड ग्रंथि पर्याप्त थायरॉइड हार्मोन्स का उत्पादन नहीं कर पाती है।

मेजर सुमन गवनी

भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवनी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड-2019 (United Nations Military Gender Advocate of the Year Award-2019) के लिये चुना गया है। उल्लेखनीय है कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन गवनी संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थीं और उन्होंने हाल ही में अपना मिशन पूरा किया था। मेजर सुमन गवनी के अतिरिक्त ब्राजील सेना की एक कमांडर 'कर्ला मोंटेइरो डे कास्ट्रो अराउजो' (Carla Monteiro de Castro Araujo) को भी 'संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड-2019' से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) ने दोनों ही महिलाओं को 'प्रभावशाली आदर्श' की संज्ञा दी। यह लगातार दूसरा अवसर है जब ब्राजील के शांतिदूत को यह सम्मान मिला है। ब्राजील की सेना की कमांडर 'कर्ला मोंटेइरो डे कास्ट्रो अराउजो' वर्तमान में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कार्य कर रही हैं। मेजर सुमन गवानी वर्ष 2011 में भारतीय सेना में शामिल हुई थीं, जहाँ उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (Officers Training Academy) से स्नातक किया और फिर सेना सिग्नल कोर (Army Signal Corps) में शामिल हो गईं। 'संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड' संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 में उल्लेखित सिद्धांतों को बढ़ावा देने में एक व्यक्तिगत शांतिदूत के समर्पण और प्रयास को मान्यता देता है। यह पुरस्कार सर्प्रथम वर्ष 2016 में प्रदान किया गया था।

सनराइज़ फूड्स का अधिग्रहण

भारतीय बहु-उद्योग कंपनी ITC ने सनराइज़ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रस्तावित अधिग्रहण को FMCG व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने की ITC की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। विदित हो कि सनराइज़ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5 प्रतिशत बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया था। इस संबंध में ITC द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने FMCG कारोबार से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ITC भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है, जिसका बाजार पूंजीकरण (Market Capitalisation) लगभग 50 बिलियन डॉलर और सकल बिक्री मूल्य (Gross Sales Value) 10.8 बिलियन डॉलर है। ITC की स्थापना वर्ष 1910 में की गई थी और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है।

रामकिंकर बैज

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (National Gallery of Modern Art-NMGA) द्वारा रामकिंकर बैज की 115वीं जयंती के अवसर पर वर्चुअल टूर (Virtual Tour) का आयोजन किया गया। आधुनिक भारत के सबसे मौलिक कलाकारों में से एक रामकिंकर बैज एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार और चित्रकार थे। रामकिंकर बैज का जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था, वे ऐसे परिवार से संबंधित थे जिनकी आर्थिक और आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति काफी कमजोर थी, किंतु वे अपनी प्रतिभा के बल पर पर भारतीय कला के सबसे प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिकतावादियों में स्वयं को शुमार करने में सफल रहे। वर्ष 1925 में उन्होंने शांतिनिकेतन

स्थित कला विद्यालय यानी कला भवन में प्रवेश लिया और नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में कला से संबंधित अनेक बारीकियां सीखीं। कला भवन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ही वे संकाय के एक सदस्य बन गए और फिर उन्होंने नंदलाल बोस और बिनोद बिहारी मुखर्जी के साथ मिलकर शांतिनिकेतन को आजादी-पूर्व भारत में आधुनिक कला के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाने में अग्रणी भूमिका अदा की। वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय कला में उनके अमूल्य योगदान के लिये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। तमाम उपलब्धियों और प्रसिद्धियों के बाद 2 अगस्त, 1980 को रामकिंकर बैज का निधन हो गया।

लाख की खेती को कृषि का दर्जा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में लाख की खेती (Lac Farming) को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार, इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिये काफी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद, लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़, भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएँ हैं और यहाँ के किसान कुसुम, पलाश तथा बेर के पेड़ों में परंपरागत तरीके से लाख की खेती करते आ रहे हैं, किंतु व्यवस्थित और आधुनिक तरीके के अभाव में किसानों को उतना लाभ मिल पाता है।

WHO फाउंडेशन

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने महामारी के दौर में वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिये WHO फाउंडेशन (WHO Foundation) नाम से एक स्वतंत्र संस्था के निर्माण की घोषणा की है। इस स्वतंत्र संस्था के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य आम जनता समेत वित्त के गैर-परंपरागत स्रोतों से वित्त एकत्रित करना है। यह संस्था 'गैर-परंपरागत स्रोतों से धन एकत्रित कर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रयासों का समर्थन करेगी।' यह संस्था कानूनी तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अलग है। इस संस्था का लक्ष्य WHO के योगदानकर्ताओं के आधार को और अधिक व्यापक बनाना है और वित्तपोषण कार्यक्रम को अधिक स्थाई बनाना है। इस संस्था का मुख्यालय जिनेवा (Geneva) में स्थित है। यह संस्था विशेष तौर पर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने का कार्य करेगी। WHO एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को की गई थी।

पंडित जवाहर लाल नेहरू

27 मई, 2020 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। भारत से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद वर्ष 1912 में वे भारत लौटे और राजनीति से जुड़ गए। वर्ष 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं वर्ष 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। पंडित जवाहर लाल नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमेटी के महासचिव बने। वर्ष 1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें वर्ष 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कई अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। नेहरू जी सर्वप्रथम वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और गांधी जी से काफी अधिक प्रभावित हुए। नेहरू जी बच्चों से काफी अधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण देश भर में प्रत्येक वर्ष नेहरू जी के जन्म दिवस (14 नवंबर) को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चीन से युद्ध के बाद नेहरू जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और 27 मई, 1964 को उनकी मृत्यु हो गई।

कोविड कथा

हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology-DST) के तहत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (National Council for Science & Technology Communication-NCSTC) ने COVID-19 महामारी के संदर्भ में जन जागरूकता फैलाने के लिये 'कोविड कथा' के नाम से सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली

लोकप्रिय मल्टीमीडिया गाइड का हिंदी संस्करण जारी किया है। इसका अंग्रेजी संस्करण पहले ही इस महीने की शुरुआत में जारी किया जा चुका है। 'कोविद कथा' के हिंदी संस्करण से देश की हिंदी पट्टी के लोग भी इस महामारी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकेंगे। इस मल्टीमीडिया गाइड में वैज्ञानिक संदेश और स्वास्थ्य अवधारणाओं को साधारण तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, साथ ही इसमें विज्ञान कार्टून (साइंटून्स-Scientoons) और हास्य का भी प्रयोग किया गया है। हिंदी के अतिरिक्त कोविद कथा का देश की अन्य भाषाओं जैसे-तमिल, बांग्ला और असमिया आदि में भी अनुवाद किया जा रहा है। मल्टीमीडिया तकनीकों और डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके, COVID-19 के संबंध में सामान्य जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत 'राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद' ने लोगों को उपयुक्त ज्ञान एवं विश्वास के साथ महामारी को समझने तथा उससे निपटने में सहायता प्रदान करने के लिये इस मल्टीमीडिया गाइड को प्रस्तुत किया है।

आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस

कुछ समय पूर्व अप्रैल 2020 में आयोजित होने वाली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस (Army Commanders' Conference) को COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब इस सम्मेलन का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक शीर्ष स्तर का आयोजन है, जिसे वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है। इस दौरान अवधारणाओं के स्तर पर विचार-विमर्श किया जाता है और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के साथ इसका समापन होता है। इस सम्मेलन का पहला चरण 27 से 29 मई, 2020 तक और दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना का शीर्ष स्तर का नेतृत्व मौजूदा उभरती सुरक्षा एवं प्रशासनिक चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेगा और भारतीय सेना के लिये भविष्य की रूपरेखा तय करेगा। इस सम्मेलन के पहले चरण में लॉजिस्टिक्स एवं मानव संसाधन से जुड़े अध्ययनों सहित परिचालन तथा प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

पाई' चैटबोट

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (National Payments Corporation of India- NPCI) ने 'पाई' (PAI) नाम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) आधारित चैटबोट की शुरुआत की है। इस चैटबोट का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। यह देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये एक नई और महत्वपूर्ण पहल है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित चैटबोट लोगों को 24x7 NPCI के लेन-देन से संबंधित सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक करेगा। उपयोगकर्ता शब्दों अथवा आवाज के माध्यम से प्रश्न भेज सकते हैं और NPCI के विभिन्न उत्पादों जैसे FASTag, RuPay और UPI Chalega आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NPCI देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिये एक समग्र संगठन है। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (The Payment and Settlement Systems Act, 2007) के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के प्रावधानों के तहत 'गैर-लाभकारी संगठन' के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों में एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI), भीम एप (BHIM App), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) और भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) आदि प्रमुख हैं।

मुज्ताबा हुसैन

मशहूर उर्दू लेखक और व्यंग्यकार मुज्ताबा हुसैन (Mujtaba Hussain) का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मुज्ताबा हुसैन अपने व्यंग्य लेखन के लिये काफी जाने जाते थे और उर्दू अखबारों में लिखे गए उनके स्तंभ काफी चर्चित थे। मुज्ताबा हुसैन का जन्म 15 जुलाई, 1936 को हुआ था। वर्ष 1956 में हैदराबाद से बी.ए. (BA) की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् वे हैदराबाद के प्रसिद्ध उर्दू अखबार 'सियासत' में उप-संपादक के पद पर नियुक्त हो गए। लगभग 6 वर्षों बाद 12 अगस्त, 1962 को इसी अखबार में हास्य-व्यंग्य का दैनिक स्तंभ 'शीशा-ओ-तिशा' लिखना शुरू किया, जिसे वे मुसलसल 17 वर्षों तक लिखते रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के उर्दू विभाग में संपादक की भूमिका भी अदा की। वर्ष 1986 में उर्दू अकादमी, दिल्ली ने उन्हें उनके रचनात्मक साहित्य के लिये सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसके बाद उन्हें 'गालिब अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया। हिंदी में उनकी तीन किताबें प्रकाशित हुईं- 'जापान चलो', 'किस्सा आरामकुर्सी का' और 'स्विस बैंक में खाता हमारा'। उर्दू साहित्य में मुज्ताबा हुसैन के योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वे उर्दू के पहले व्यंग्यकार थे जिन्हें पद्म सम्मान मिला था।

राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर

कर्नाटक सरकार ने भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिये राज्य की आबादी के स्वास्थ्य संबंधी डेटा को एकत्र करने हेतु 'राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर' नामक अपने तरह के पहले कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। इस राज्यव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम एक पायलट परियोजना के तौर पर राज्य के चिक्काबल्लापुरा (Chikkaballapura) और दक्षिण कन्नड़ (Dakshina Kannada) जिले में लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद इसकी सफलता को देखते हुए राज्यव्यापी स्तर पर इसके विस्तार से संबंधित निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि COVID-19 महामारी के अनुभव ने देश भर में एक मजबूत और वास्तविक समय के सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा की आवश्यकता का प्रदर्शन किया है, ऐसे में प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य संबंधी डेटा के भंडार को बनाए रखना आवश्यक हो गया है। इस संबंध में राज्य के सभी 6.5 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी, राजस्व विभाग तथा आशा वर्कर्स के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी तैनात किये जाएंगे। इस परियोजना को निजी अस्पतालों की साझेदारी में निष्पादित किया जाएगा।

विश्व भूख दिवस (World Hunger Day)

प्रत्येक वर्ष 28 मई को 'विश्व भूख दिवस' (World Hunger Day) के रूप में मनाया जाता है। 'विश्व भूख दिवस' 'द हंगर प्रोजेक्ट' (The Hunger Project) नामक वैश्विक संगठन की एक पहल है। 'द हंगर प्रोजेक्ट' वैश्विक स्तर पर भूख के लिये एक तर्कसंगत उपाय खोजने के लिये प्रतिबद्ध एक वैश्विक संगठन है। इस वैश्विक संगठन की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी और यह विश्व भर में समान विचार रखने वाले लोगों का गैर-लाभकारी समूह है। संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक लगभग 2 बिलियन लोग गरीबी के दायरे में आ जाएंगे और उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, भारत को इस सूचकांक में 119 देशों में से 103वाँ स्थान दिया गया है तथा देश में भुखमरी के स्तर को 'गंभीर' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक अनुमान के अनुसार, विश्व में लगभग 800 मिलियन लोगों के पास खाने के लिये पर्याप्त भोजन नहीं है।

अजीत जोगी

हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्तमान में अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और दिसंबर 2003 तक इस पद पर बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने अजीत जोगी के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है, इस तीन दिवसीय अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी शासकीय समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल, 1946 को बिलासपुर जिले (छत्तीसगढ़) में हुआ था। अजीत जोगी ने भोपाल से इंजीनियरिंग और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। राजनीति में आने से पूर्व अजीत जोगी वर्ष 1974 में भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service-IPS) के लिये चयनित हुए थे, जिसके कुछ वर्षों बाद उन्होंने पुनः सिविल सेवा परीक्षा दी और इस बार वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service-IAS) के लिये चयनित हैं और तकरीबन 12 वर्षों तक मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। वर्ष 1998 में रायगढ़ लोकसभा से पहली बार चुनाव लड़ा और संसद पहुँचे। जब वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना तो वे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने।

मिसाइल पार्क 'अग्निप्रस्थ'

28 मई, 2020 को INS कलिंग में 'अग्निप्रस्थ' नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई। 'अग्निप्रस्थ' मिसाइल पार्क का उद्देश्य वर्ष 1981 से लेकर अब तक INS कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक दिखाना है। इस मिसाइल पार्क की स्थापना मिसाइलों और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (Ground Support Equipment-GSE) की प्रतिकृति के साथ की गई है, जो यूनित द्वारा संचालित की जा रही मिसाइलों के विकास को प्रदर्शित करते हैं। इन प्रदर्शनियों को स्क्रेप/अप्रचलित (Obsolete) इन्वेंट्री से बनाया गया है जिन्हें आंतरिक रूप से पुनर्निर्मित किया जा रहा है। इस पार्क का मुख्य आकर्षण P-70 एमेस्टिट है। यह एक एंटी-शिप मिसाइल है जिसे पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है, जो वर्ष 1988-91 के दौरान भारतीय नौसेना में सेवारत था। यह मिसाइल पार्क मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकियों में रुचि रखने वाले लोगों के लिये आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र होगा।

गोवा स्थापना दिवस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस के स्थापना दिवस (30 मई) के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएँ दी हैं। इस दिवस का आयोजन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के अवसर पर किया जाता है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने सभी रियासतों को मिलाकर भारत को एक संघ राज्य का रूप दिया। वे गोवा को भी भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे, किंतु ऐसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 1510 ई से गोवा और दमन एवं दीव में पुर्तगालियों का औपनिवेशिक शासन था। भारत सरकार ने कई बार पुर्तगाली सरकार से वार्ता की, किंतु वे विफल रहीं, जिसके बाद अंततः 18 दिसंबर, 1961 को भारत की सेना ने गोवा, दमन और दीव में हमला कर दिया। 19 दिसंबर, 1961 को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद 30 मई, 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा गोवा को आधिकारिक तौर पर भारत का 25वाँ राज्य घोषित किया गया। गोवा, भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तेरेखोल नदी (Terekhol River) बहती है, जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है, वहीं इसके पश्चिम में अरब सागर है। गोवा का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,702 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, गोवा की जनसंख्या तकरीबन 1458545 है। गोवा की राजधानी पणजी (Panaji) है और यहाँ मुख्य तौर पर कोंकणी (Konkani) भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तथा कन्नड़ आदि का भी प्रयोग होता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा

संयुक्त राष्ट्र महासभा (U.N. General Assembly) ने COVID-19 प्रतिबंधों के कारण नई मतदान व्यवस्था के तहत अगले माह सुरक्षा परिषद के पाँच गैर-स्थायी सदस्यों (Non-Permanent Members) के लिये चुनाव कराने का निर्णय लिया है। 193 सदस्यों वाली महासभा ने हाल ही में 'कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के दौरान एक पूर्ण बैठक के बिना गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कराने की प्रक्रिया' शीर्षक नाम से एक निर्णय को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार, सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों के चुनाव और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (Economic and Social Council) के सदस्यों के चुनाव जून 2020 में एक साथ परिपूर्ण बैठक (Plenary Meeting) के बिना आयोजित किये जाएंगे। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिये 15-राष्ट्र परिषद के पाँच गैर-स्थायी सदस्यों के लिये चुनाव मूल रूप से 17 जून को निर्धारित किये गए थे।

The Vision